


अहिसा का आदर्श पालने मे ताकत तभी आती है  
जबकि समय का खयाल और तप का बल हो ।

आचार्य श्री हस्ती



WITH BEST COMPLIMENTS FROM



**BRIGHT STAR DIAMOND CO. LTD**



**Diamond & Precious Stones**

*410 The Executive House  
12th Floor, Suit 160-161  
Suriwongse Road  
Bangkok 10500  
Tel : 237-6110  
237-8052*

*Fax : (662) 237 - 6110  
Phone Link : 151,152  
Call 316690  
Res - 437 - 0910*




**G. BAMB**

# जिनवाणी

मंगल-मूल धर्म की जननी, शाश्वत, सुखदा, कल्याणी ।  
द्रोह, मोह, छल, मान-मर्दिनी, फिर प्रगटी यह 'जिनवाणी' ॥

'जिनवाणी' के स्वर्ण जयन्ती वर्ष में आचार्य श्री हस्तीमलजी म. सा.  
की द्वितीय पुण्य तिथि पर प्रकाशित

## अहिंसा विशेष्ठांक



परस्परौपद्वे जीवात्मम्

प्रधान सम्पादक  
डॉ० नरेन्द्र भानावत



सम्पादक  
डॉ० श्रीमती शान्ता भानावत



प्रकाशक

सम्यग्ज्ञान प्रचारक मण्डल

बापू बाजार, जयपुर

# जिनवाणी

## अहिंसा विशेषांक

मार्च, अप्रैल, मई, जून, १९६३

वीर निर्वाण संवत्, २५१६

फाल्गुन, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, संवत् २०५०

वर्ष : ५० □ अंक : ३, ४, ५, ६



प्रकाशक :

सम्यग्ज्ञान प्रचारक मण्डल

दुकान नं० १८२-१८३ के ऊपर

वापू बाजार, जयपुर-३०२ ००३ (राजस्थान)

फोन : ५६५६६७

संस्थापक :

श्री जैन रत्न विद्यालय, भोपालगढ़ (जोधपुर)

सम्पादकीय सम्पर्क सूत्र :

सी-२३५ ए, दयानन्द मार्ग, तिलक नगर

जयपुर-३०२ ००४ (राज.)

फोन : ४७४४४

भारत सरकार द्वारा प्रदत्त रजिस्ट्रेशन नं ३६५३/५७

सदस्यता :

स्नम्भ सदस्यता : २००० रु. संरक्षक सदस्यता : १००० रु.

आजीवन सदस्यता : ३५० रु. (देश में), १०० डालर (विदेश में)

त्रिवर्षीय सदस्यता : ८० रु., वार्षिक सदस्यता : ३० रु.

इस विशेषांक का मूल्य : ५० रुपये

मुद्रक : फ्रेंड्स प्रिण्टर्स एण्ड स्टेशनर्स, जौहरी बाजार जयपुर-३

नोट : यह आवश्यक नहीं कि लेखकों के विचारों से सम्पादक या

मण्डल की सहमति हो ।

# समर्पण

अहिंसा, संयम और तप

के आराधक

रत्नवंश सम्प्रदाय के अष्टम पट्टधर

आचार्य श्री हीराचन्द्रजी म. सा.

के

अज्ञेय प्रभावक व्यक्तित्व

को

सादर सविनय समर्पित



## प्रकाशकीय

“जिनवाणी” के स्वर्ण जयन्ती वर्ष में आचार्य श्री हस्तीमलजी म. सा. की द्वितीय पुण्य तिथि पर उनके अष्टम पट्टधर आचार्य पूज्य श्री हीराचन्द्रजी म. सा. की प्रेरणा से पाठकों की सेवा में “अहिंसा विशेषांक” प्रस्तुत करते हुए हमें विशेष प्रसन्नता है ।

पौष शुक्ला पूर्णिमा विक्रम संवत् १९९९ (जनवरी, १९४३) में जोधपुर जिले के भोपालगढ़ कस्बे के श्री जैन रत्न विद्यालय से मासिक “जिनवाणी” का प्रकाशन प्रारम्भ किया गया । यह बड़े संतोष की बात है कि विगत ५० वर्षों से “जिनवाणी” का प्रकाशन अब तक नियमित रूप से चला आ रहा है । यह “जिनवाणी” के सभी पाठकों, लेखकों, शुभ चिन्तकों, हितैषियों और स्नेहीजनों के सहयोग का ही परिणाम है ।

“जिनवाणी” के प्रकाशन का आरम्भ जिस समय हुआ वह समय द्वितीय विश्व युद्ध का था । सारी मानव जाति महायुद्ध की हिंसा और आतंकवादी गतिविधियों से त्रस्त थी । कुछ राष्ट्र नेताओं की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाओं ने समूची मानव जाति के समक्ष उसके भविष्य को लेकर एक प्रश्न चिह्न खड़ा कर दिया था । वन्दूको और तोपों की आवाजों में अहिंसा और प्रेम जैसे जीवन-मूल्य मानो कहीं खो गये । ऐसे ही कठिन समय में आचार्य श्री हस्तीमलजी म. सा. ने विश्व को पुनः शांति और अहिंसा का संदेश देने का संकल्प लिया । इसी संकल्प से उन्होंने ‘जिनवाणी’ के प्रकाशन की प्रेरणा दी । उन्होंने ‘जिनवाणी’ के माध्यम से जैन धर्म के मूलभूत सिद्धान्तो-अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य आदि का संदेश दिया ।

आचार्य श्री की प्रेरणा से ही लगभग ४८ वर्ष पूर्व रत्नवशी सम्प्रदाय के महान् पट्टधर आचार्य श्री रत्नचन्द्रजी म. सा. की स्वर्गवास शताब्दी (संवत् २००२) के अवसर पर सम्यक् ज्ञान प्रचारक मण्डल की स्थापना की गयी । मण्डल द्वारा सम्यक्ज्ञान के प्रचार-प्रसार की अनेक प्रवृत्तियाँ संचालित की जाती हैं । ‘जिनवाणी’ के प्रकाशन के अतिरिक्त मण्डल की ओर से सामायिक व स्वाध्याय संघ का संचालन और जीवन उत्थानकारी सत् संस्कारवर्धक साहित्य का सृजन, प्रकाशन और वितरण किया जाता है । अब तक सम्यक्ज्ञान प्रचारक मण्डल द्वारा आगमिक, आध्यात्मिक, धार्मिक, ऐतिहासिक, तात्विक, कथात्मक, स्तवनात्मक, प्रवचनात्मक, व्याख्यात्मक आदि विविध विषयक धर्म, दर्शन सम्बन्धी ६० से अधिक पुस्तकें प्रकाशित की जा चुकी हैं ।

मण्डल द्वारा प्रकाशित ये पुस्तकें सन्त-सतियों, विद्वानों, स्वाध्यायियों से लेकर मामान्य स्तर के सभी पाठकों के लिए मननीय, पठनीय और आच-

रणीय रही हैं। उच्च कोटि के सत्-साहित्य के निर्माण एवं प्रकाशन की व्यापक योजना भी तैयार की गयी है ताकि जीवन और समाज की सत्-साहित्य संबंधी बढ़ती मांग पूरी की जा सके। कोई भी व्यक्ति (१०००) रु. प्रदान कर आजीवन साहित्य सदस्यता ग्रहण कर सकता है। साहित्य सदस्यों को उपलब्ध प्रकाशित साहित्य निःशुल्क भेजा जाता है।

‘जिनवाणी’ अपने प्रकाशन के पचासवें वर्ष में प्रवेश कर गयी है। ‘जिनवाणी’ के स्वर्ण जयन्ती वर्ष में बृहद्काय ‘अहिंसा विशेषांक’ पाठकों की सेवा में प्रस्तुत करते हुए हमें अत्यन्त हर्ष एवं गौरव की अनुभूति हो रही है।

‘जिनवाणी’ मासिक पत्रिका का उद्देश्य नैतिक, धार्मिक तथा जीवन निर्माणकारी प्रेरक सामग्री का प्रकाशन करना है। ‘जिनवाणी’ के विशेषांकों की अपनी विशिष्ट परम्परा और पहचान रही है। अब तक ‘जिनवाणी’ के अनेक विशेषांक प्रकाशित किए जा चुके हैं। इनमें ‘स्वाध्याय’ (१९६४), ‘सामायिक’ (१९६५), ‘तप’ (१९६६), ‘श्रावक धर्म’ (१९७०), ‘साधक’ (१९७१), ‘ध्यान’ (१९७२), ‘जैन संस्कृति और राजस्थान’ (१९७५), ‘कर्म सिद्धान्त’ (१९८४), ‘अपरिग्रह’ (१९८६), ‘आचार्य श्री हस्तीमलजी म. सा. श्रद्धाजलि’ (१९९१), ‘आचार्य श्री हस्तीमलजी म. सा. व्यक्तित्व एवं कृतित्व’ (१९९२) आदि विशेषांक बहुपठनीय और विशेष चर्चित और लोकप्रिय रहे हैं।

अहिंसा के सैद्धान्तिक विवेचन संबंधी सामग्री विपुल मात्रा में उपलब्ध है, पर अहिंसा को जीवन में उतारने तथा उसके विभिन्न पक्षों से संबंधित पहलुओं पर व्यावहारिक चिन्तन कम हुआ है। इस विशेषांक में अहिंसा के सैद्धान्तिक विवेचन के साथ-साथ ज्ञान-विज्ञान के अन्य क्षेत्रों यथा—समाज-शास्त्र, अर्थशास्त्र, शिक्षा, उद्योग, विज्ञान, प्रशासन, पर्यावरण आदि से संबंधित रचनात्मक, प्रयोगात्मक चिन्तन भी प्रस्तुत किया गया है। विभिन्न निबन्धों में प्रस्तुत विचार लेखकों के अपने निजी विचार हैं, उनसे सम्पादक अथवा सम्पादन प्रचारक मण्डल का सहमत होना आवश्यक नहीं है।

इस विशेषांक के प्रकाशन में ‘जिनवाणी’ के मानद सम्पादक डॉ. नरेन्द्र भानावत, सम्पादक श्रीमती डॉ. शान्ता भानावत एवं पूज्य आचार्यों, मुनियों, साध्वियों, साधकों एवं विद्वान् लेखकों का महत्त्वपूर्ण योगदान रहा है। डॉ. नरेन्द्र भानावत राजस्थान विश्वविद्यालय में हिन्दी विभाग के प्रोफेसर एवं अध्यक्ष हैं। आप प्रबुद्ध विचारक, चिन्तनशील समीक्षक, कुशल लेखक, संवेदनशील कवि, प्रभावकारी वक्ता एवं सफल संपादक और ‘जिनवाणी’ पत्रिका के आधार स्तम्भ रहे हैं। आकाशवाणी एवं दूरदर्शन से आपकी वार्त्ताएँ बराबर प्रसारित होती रहती हैं। आप ‘जिनवाणी’ के प्रधान संपादक एवं ‘स्वाध्याय शिक्षा’, ‘स्वाध्याय सन्देश’ तथा कई ग्रन्थों व स्मा-

रिकाश्रों के संपादक मण्डल के सदस्य है। आप अ. भा. जैन विद्वत् परिषद् के महामंत्री एवं आचार्य विनयचन्द्र ज्ञान भण्डार शोध संस्थान के निदेशक हैं। डॉ. भानावत ने अपने संपादन से 'जिनवाणी' को नई दिशा प्रदान की है और इसमें आपका निःस्वार्थ रूप से महत्त्वपूर्ण योगदान रहा है। 'जिनवाणी' पत्रिका साधारण पाठकों से लेकर विश्वविद्यालयों, शोधार्थियों एवं विद्वानों में लोकप्रिय है। प्रति माह सहस्रों पाठक स्वाध्याय के रूप में इस पत्रिका का उपयोग करते हैं। यह सब डॉ. भानावत के अथक परिश्रम का ही फल है। सम्यग्ज्ञान प्रचारक मण्डल परिवार आपका सदैव अत्यन्त कृतज्ञ है।

देश-विदेश के अनेक प्रतिष्ठानों, संस्थानों तथा व्यक्तियों ने अपने विज्ञापन भेजकर 'जिनवाणी' की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाने में उल्लेखनीय योगदान किया है, उसके लिए विज्ञापन दाताओं के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। देश-विदेश से विज्ञापन जुटाने में अखिल भारतीय श्री जैन रत्न हितैषी श्रावक संघ के कोषाध्यक्ष, समर्पित कार्यकर्ता एवं अनन्य गुरु भक्त श्री सुमेरसिंहजी बोथरा का उल्लेखनीय योगदान रहा है। न्यूयार्क से श्री लाभचन्द्रजी कोठारी, श्री धर्मचन्द्रजी हीरावत, श्री सुनीलकुमारजी डागा एवं श्री अन्नूजी हीरावत, हांगकांग से श्री प्रवीणचन्द्रजी लोढ़ा और श्री राजेन्द्रकुमारजी डागा एवं बैंकाक से श्री घीसालालजी बम्ब और अशोककुमारजी छाजेड़ ने विशेष विज्ञापन सामग्री भेजकर और 'जिनवाणी' के आजीवन सदस्य बनाकर तथा देश में अ. भा. श्री जैन रत्न हितैषी श्रावक संघ के कार्याध्यक्ष श्री सायरचन्द्रजी कांकरिया, मण्डल के उपाध्यक्ष श्री नवरत्नमलजी जैन, कोषाध्यक्ष श्री पदमचन्द्रजी कोठारी, संयुक्त मंत्री श्री केसरीचन्द्रजी नवलखा, जलगांव से अ. भा. श्री जैन रत्न युवक संघ के अध्यक्ष युवा रत्न श्री पारसजी जैन और सचिव युवा रत्न श्री दीपचन्द्रजी जैन, श्री नीलमजी चोरड़िया और वम्बई से श्री विमलचन्द्रजी हीरावत, अ. भा. श्री जैन रत्न युवक संघ वम्बई शाखा के अध्यक्ष युवा रत्न श्री नरेन्द्रजी हीरावत, श्री प्रेमचन्द्रजी जैन आदि ने विज्ञापन-सामग्री जुटाकर महत्त्वपूर्ण योगदान प्रदान किया है। मुद्रण कार्य में सहयोग के लिए जयपुर प्रिण्टर्स व फ्रैण्ड्स प्रिण्टर्स एण्ड स्टेशनर्स के प्रबन्धकों का पूर्ण सहयोग रहा। मण्डल व 'जिनवाणी' परिवार इन सबका विशेष आभारी है।

आशा है 'स्वर्ण जयन्ती अहिंसा विशेषांक' के प्रकाशन के माध्यम से अहिंसा संबंधी चिन्तन-मनन व्यापक बनेगा, जीवन-व्यवहार में इसके प्रयोग की प्रेरणा मिलेगी तथा अहिंसा का सकारात्मक पक्ष अधिक पुष्ट होगा जिससे नमाज-सेवा व लोक कल्याणकारी प्रवृत्तियों को बल मिलेगा।

डॉ० मम्पतसिंह भाण्डावत  
अध्यक्ष

टीकमचन्द्र हीरावत  
कार्याध्यक्ष

चैतन्य ढढ्ढा  
मंत्री

सम्यग्ज्ञान प्रचारक मण्डल, बापू बाजार, जयपुर

## सम्पादकीय

आज विश्व के अनेक देश आतंकवाद, असुरक्षा, भय और हिंसा की गम्भीर समस्याओं से ग्रस्त है। हमारा देश भी साम्प्रदायिकता, क्षेत्रियता और आतंकवाद जैसी समस्याओं से जूझ रहा है। आज मनुष्य स्वयं मनुष्य के रक्त का प्यासा हो रहा है। प्रतिदिन समाचार पत्रों के पृष्ठ हत्या, डकैती, लूटपाट, आगजनी, बलात्कार आदि समाचारों से भरे रहते हैं। मानवीय सबंधों में हार्दिकता धीरे-धीरे समाप्त होने लगी है। सहज मानवीय विश्वास और आस्था के मूल्य खंडित होने लगे हैं।

ऐसे कठिन एवं विषम समय में अहिंसा की उपयोगिता पहले से बहुत अधिक बढ़ गई है। भारतीय आध्यात्मिक परम्परा में 'अहिंसा परमोधर्मः' कहा गया है। अहिंसा के व्रत को पालने से अन्य व्रतों की पालना स्वतः ही हो जाती है तथा अन्य व्रतों के पालन से अहिंसा स्वतः पुष्ट होती चलती है।

अहिंसा के दो पक्ष हैं—निषेधात्मक तथा सकारात्मक। निषेधात्मक अहिंसा का तात्पर्य है किसी भी जीव अथवा प्राणी को नहीं मारना। सकारात्मक अहिंसा का तात्पर्य है प्राणी मात्र के प्रति करुणा, दया, प्रेम, सहयोग, वात्सल्य और मैत्री भाव रखना। काल के प्रवाह में अहिंसा का यह सकारात्मक रूप शनैः-शनैः कमजोर होता चला गया। व्यक्ति हृदयहीन, क्रूर, निर्दयी, स्वार्थलोलुप और लोभी होता चला गया। दूसरों को पीड़ित देख उसका हृदय प्रवीभूत नहीं वरन् आनन्दित होने लगता है।

अहिंसा का सच्चा मर्म है किसी को लेशमात्र भी कष्ट या पीडा नहीं पहुँचाना। भारतीय चिन्तन का मूल सार है—'परस्परोग्रहो जीवानाम्' अर्थात् परस्पर उपकार करते हुए जीना। पारस्परिक सहयोग, भ्रातृभाव और सौहार्द ही सच्ची अहिंसा है।

आज की युवा पीढ़ी की ओर दृष्टिपात कीजिए। इस बात में सन्देह नहीं कि आज का युवक अधिक जागरूक, जिज्ञासु, संजग और क्रियाशील है। उसका जीवन पहले की अपेक्षा अधिक सुविधाजनक तथा आरामदेह हो गया है। ज्ञान-विज्ञान की क्रान्तिकारी प्रगति ने युवाओं के लिए न सिर्फ मनोरंजन के नानाविध साधन जुटा दिए हैं वरन् उसने ज्ञान के क्षितिज को भी काफी विस्तृत कर दिया है। इतना सब कुछ होने पर भी आज के युवक में जीवन के प्रति सकारात्मक और रचनात्मक दृष्टि विकसित नहीं हो पा रही है। आज का युवक सहयोग, प्रेम और अहिंसा के बजाय संघर्ष और हिंसा को साहस और शक्ति का प्रतीक मानने लगा है।

संघर्ष जीवन का पर्याय है। प्रश्न है संघर्ष किसका ? संघर्ष किससे ?

यह संघर्ष हमें दूसरों से नहीं करना है, संघर्ष करना है स्वयं अपने आप से, अपनी कमजोरियों से, अपने विकारों से, प्रगति के मार्ग की नानाविध बाधाओं से। यह संघर्ष ही पुरुषार्थ का पर्याय है। आज के शैक्षिक संस्थानों की स्थिति को देखकर हमें काफी दुःख होता है। संघर्ष के नाम पर युवा पीढ़ी हिंसा, तोड़-फोड़, आगजनी तथा हड़ताल जैसी गतिविधियों द्वारा अपनी शक्ति का अपव्यय कर रही है। गुरुजनों के प्रति दुर्व्यवहार आम बात होती जा रही है। युवा पीढ़ी ने प्रकृति और जीवन के सत्य को गहराई से नहीं समझा है। 'संघर्ष नहीं, सहयोग' विकास का मूल मंत्र है। इस प्राकृतिक सत्य में कोई सन्देह नहीं है। एकेन्द्रिय से लेकर पंचेन्द्रिय जीव में इन्द्रियों का जो विकास दिखाई देता है, वह परस्पर सहयोग के कारण ही है।

आज युवा पीढ़ी को इस मर्म को समझना होगा कि सभी के प्रति सहयोग, प्यार और सेवा का भाव अहिंसा का सकारात्मक पक्ष है। यह भाव तभी आ सकता है जब व्यक्ति अपने को अपनी देह की सीमा में बांध कर नहीं रखे। अपने 'स्व' का वह विस्तार करता चला जाये। आज हमें स्वयं भी ऐसा वातावरण निर्मित करना होगा जिसमें युवा पीढ़ी को अहिंसा तथा प्रेम के संस्कार मिल सकें।

आज हमारे सामने एक प्रमुख संकट है—उपभोक्तावादी संस्कृति का। समाचार पत्रों तथा रेडियो और विशेषकर दूरदर्शन पर प्रकाशित-प्रसारित व्यावसायिक विज्ञापनों ने एक उपभोक्तावादी जीवन दृष्टि विकसित कर दी है। इन विज्ञापनों ने व्यक्ति के भीतर इन्द्रिय-विषयों के सेवन की भूख और मांग को बढ़ा दिया है। आवश्यकताएँ इच्छाएँ बनकर पुकार उठी है। इन इच्छाओं की पूर्ति के साधन सीमित हैं। नित नवीन इच्छाओं के पनपने और उनकी पूर्ति न होने के कारण युवा पीढ़ी में एक ओर कुठा, निराशा और हीनता की भावना घर करती जा रही है तो दूसरी ओर इनको भुलाने के लिए मादक पदार्थों के सेवन की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। यही स्थिति हिंसा, आतंक और अपराध वृत्ति को प्रोत्साहित करती है। इस प्रकार महत्त्वाकांक्षा और उपलब्धि के फासले में व्यक्ति अहिंसा के संस्कारों में नहीं ढल पाता है।

कोई भी जनतांत्रिक सरकार बिना अहिंसा के आधार पर लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना नहीं कर सकती। हमारे संविधान के ढाँचे के तहत निर्मित कानूनों का प्रमुख आधार अहिंसा ही है। समानता, स्वतन्त्रता, धार्मिक सहिष्णुता, श्रम-कल्याण, शोषण-मुक्ति, वन्य जीव संरक्षण आदि से सम्बन्धित कानूनों के पीछे मूल भावना अहिंसक समाज रचना की ही है। आज हम जिस पर्यावरण संकट के दौर से गुजर रहे हैं, उसका एक प्रमुख कारण भोगवादी जीवन के प्रति बढ़ती हुई ललक है। हमने अपने निहित स्वार्थों के लिए प्राकृ-

तिक संसाधनों का शोषण करना शुरू कर दिया। इसके कारण प्राकृतिक संतुलन बिगड़ने लगा है।

तीर्थकरों, आचार्यों, संत-महात्माओं, महापुरुषों ने अहिंसा को परम धर्म बताया है और स्वयं अपने जीवन में उसका आचरण करते हुए, अपने सम्पर्क में आने वाले लोगों को अहिंसा-पालन का उपदेश दिया है। पर व्यवहार में देखा जाता है कि हम अहिंसा की बात तो खूब करते हैं लेकिन जीवन में उसे उतार नहीं पाते हैं, यह हमारे लिए चिन्ता का विषय है।

यह सही है कि धर्म के प्रति हमारी आस्था और भक्ति है। हम समय-समय पर तीर्थकरों के पंच कल्याणक, महापुरुषों की जयन्ती, पुण्य तिथि आदि मनाते हैं। विशेष अवसरों पर व्रत, पूजा, उपासना आदि भी करते हैं, दैनन्दिन धार्मिक क्रिया भी करते हैं और अनुष्ठान भी मनाते हैं। पर उन सबके मूल में रही हुई भावनाओं को जीवन-व्यवहार में चरितार्थ नहीं कर पाते हैं।

विचारणीय विषय यह है कि हम महावीर का स्तवन, कीर्तन, गुणगान आदि वाचिक और कायिक स्तर पर ही करते रहेंगे या उनको अपने मन में भी प्रतिष्ठित करेंगे? महावीर के समय में हिंसा अपनी चरम सीमा पर थी। धर्म के नाम पर यज्ञों में पशु-बलि यहाँ तक कि नरबलि भी दी जाती थी। विचारों में दुराग्रह था और कई मत-मतान्तर थे। तीर्थकर और प्रति तीर्थकर के द्वन्द्व में बौद्धिक जगत् जी रहा था। ऐसे समय में महावीर ने आचार के रूप में अहिंसा और विचार के रूप में अनेकान्त तथा जीवन-शैली के रूप में अपरिग्रह का संदेश दिया, मन, वचन और कर्म की पवित्रता पर बल दिया और विवेक सम्मत सदाचार तथा तप, संयम को धर्म बताया—“धम्मो मंगल मुक्किट्ठं अहिंसा संजमो तवो।”

मनुष्य को कई दृष्टियों से सर्वश्रेष्ठ प्राणी माना गया है। इसमें प्रमुख दृष्टि है इसके विवेक और संयम भाव की। यही कारण है कि कई दार्शनिक विचारकों ने मनुष्य के कल्याण को सर्वोपरि मानकर अन्य प्राणियों के घात को भी उचित ठहराया है। पर जैन तीर्थकरो ने प्राणीमात्र के प्रति दया, करुणा और प्रेम भावना को परम धर्म कहा है। भगवान महावीर ने अपने उपदेश में स्पष्ट कहा है—

सव्वे पाणा पियाउया सुहसाया दुक्खपडिकूला

अप्पियवहा, पियजीविणी, जीविउकामा

सव्वेसि जीवियं पियं

—आचारांग

अर्थात् सभी जीवों को सुख प्रिय है, सुख अनुकूल है और दुःख प्रतिकूल है। वध सभी को अप्रिय लगता है। प्राणी मात्र जीवित रहने की कामना वाले हैं। सबको अपना जीवन प्रिय है।

किसी भी 'प्राणी' की मन, वचन और काया से हिंसा न करना अहिंसा है। केवल काया का घात करना ही हिंसा नहीं है वरन् किसी को मानसिक रूप से कष्ट पहुँचाना, उसे ताड़ना देना, उसे गुलाम बनाना भी हिंसा है। महावीर ने 'प्राण' की व्यापक परिभाषा करते हुए उसे शक्ति, गुण और स्वभाव के रूप में देखा है। मोटे तौर से प्राण दो प्रकार के कहे गये हैं, द्रव्य प्राण और भाव प्राण। द्रव्य प्राणों में पाँच इन्द्रियाँ, मन, वचन और कायबल, श्वासोच्छ्वास तथा आयु को सम्मिलित किया गया है। भाव प्राणों से तात्पर्य है आत्मा के ज्ञान, दर्शन, सुख और निराकुलता आदि शाश्वत गुण। द्रव्य प्राणों का विनाश प्रत्यक्ष दिखाई देता है और इन प्राणों के घात में भाव प्राणों अर्थात् आत्मा के ज्ञानादि गुणों का विनाश भी राग-द्वेष आदि कषायों के कारण अवश्य होता है। ऐसा भी सम्भव हो सकता है कि द्रव्य प्राणों का विनाश न हो पर भावों की क्लृप्तता और विचारों की अशुद्धता के कारण भाव प्राणों का विनाश तो हो ही जाता है। अतः अहिंसा के पालन के लिए भावना की विशुद्धि पर अधिक बल दिया गया है।

प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि हिंसा का मूल कारण क्या है? उत्तर में कहा गया है जब मन, वचन और काया की प्रवृत्ति राग-द्वेष आदि कषाय भावों के साथ जुड़ती है तब हिंसा जन्म लेती है। भगवान महावीर ने 'स्थानांग' सूत्र में हिंसा को दण्ड कहा है और इसके पाँच कारण बताये हैं। अपनी स्वार्थ-पूर्ति के लिए प्रयोजनवश हिंसा करना अर्थ दण्ड है, विना प्रयोजन के कौतूहल आदि के लिए प्राणियों को मारना, क्लेश पहुँचाना, अंग भंग करना अनर्थ दण्ड है। आशंका मात्र से किसी की हिंसा कर देना हिंसा दण्ड है। घात करने के लिए शस्त्र आदि का प्रयोग किसी प्राणी पर किया जाय और उससे किसी अन्य प्राणी का वध हो जाय तो वह अकस्मात् दण्ड है। भ्रमवश मित्र को शत्रु और साहूकार को चोर समझकर दण्ड देना दृष्टि विपर्यास दण्ड है।

उक्त कारणों के अतिरिक्त हिंसा के क्रोध, मान, माया, लोभ, अज्ञान, प्रमाद, अविवेक, अंधविश्वास, रस लोलुपता, भोग वृत्ति आदि मुख्य कारण हैं। उनसे वचकर अपनी मन, वचन और काया की प्रवृत्तियों को क्रोध की वजाय क्षमा के साथ, मान की वजाय विनय के साथ, माया की वजाय सरलता के साथ, लोभ की वजाय संतोष के साथ जोड़कर अहिंसा का पालन किया जा सकता है।

जीवन-व्यवहार में अहिंसा को चरितार्थ करने के लिए महावीर ने सयम और तप पर विशेष बल दिया है। संयम का अर्थ है अपनी वाह्य प्रवृत्तियों पर नियंत्रण करना और सावधानीपूर्वक, विवेकपूर्वक सद्कार्य करना। महावीर ने उन दृष्टि से पाँच समितियों के पालन पर बल दिया है। गमनागमन, उठने-बैठने आदि में इस प्रकार सावधानी बरतना कि किसी छोटे-बड़े जीव को क्लेश

न हो, पीड़ा न पहुँचे ईर्या समिति है। वाणी से कर्कश, कठोर, क्लेश व भय जनक कथन न कर, हित मित, सत्य और मधुर वचन बोलना भाषा समिति है। भोजन, पानी, वस्त्र, पात्र आदि के ग्रहण और उपयोग में सात्विक और सादी वस्तुओं का प्रयोग करना एषणा समिति है। दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुओं के लेने, रखने, मल-मूत्रादि विसर्जन में सावधानी रखना, अपने परिवेश और पर्यावरण को शुद्ध बनाये रखना आदान-निक्षेपण समिति है।

समिति के साथ-साथ इन्द्रियों का गोपन-रक्षण करना भी आवश्यक है। इन्द्रिय-निग्रह को गुप्त कहा गया है। मन, वचन और काया की प्रवृत्ति दुष्ट चिन्तन और अशुभ विचारों में न जावे, इस प्रकार का अनुशासन तप है। आज मानसिक अनुशासन और व्रत-संयम का पक्ष क्षीण होता जा रहा है। भोग विलास और इन्द्रियों के विषय-सेवन का रस बढ़ता जा रहा है। इसलिए अहिंसा को पुष्ट करने वाले सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह व्रतों की पालना कठिन होती जा रही है।

अतः यह आवश्यक है कि हम “सादा जीवन उच्च विचार” को महत्त्व दे और व्रतों का कठोरतापूर्वक पालन करे।

अहिंसा के पालन में वैचारिक उदारता और शुद्ध भाव व चिन्तन सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण है। हमारे स्वार्थ में जो सहायक है उन्हीं के प्रति हम मैत्री न रखे वरन् प्राणी मात्र के प्रति हमारा मैत्री भाव हो, जो हमारी प्रशंसा करे उन्हीं में हम गुणों को न देखे बल्कि जिन-जिन व्यक्तियों में गुणवत्ता है, उसे महत्त्व दे, सम्मान दे और उनके प्रति प्रमोद भावना व्यक्त करे। जो हमारे कष्टों को दूर करने में मदद करे, उन्हीं के प्रति हम संवेदनशील न बने बल्कि जगत् में जितने भी दुःखी प्राणी हैं, उन सबके दुःखों को दूर करने में हम करुणाशील बने। अपने ही मत या सिद्धान्त को हम सर्वश्रेष्ठ न माने बल्कि और जितने भी मत, सिद्धान्त और सम्प्रदाय हैं, उन सबमें रहे हुए मानवीय मूल्यों और सद् विचारों का समान भाव से आदर और सम्मान करे। अपने व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन को इतना शक्तिशाली बनाये कि कोई हमें डरा-धमका न सके और अपने को इतना सयमनिष्ठ और शीलवान बनावे कि हमारे द्वारा किसी के प्रति अन्याय और अत्याचार न हो। अहिंसक जीवन की यही कसौटी है।

अहिंसा के सैद्धान्तिक और व्यावहारिक पक्षों पर गम्भीर चिन्तन प्रस्तुत करने की दृष्टि से ‘जिनवाणी’ के स्वर्ण जयन्ती वर्ष में यह विशेषांक प्रकाशित किया जा रहा है। आचार्य श्री हस्तीमलजी म.सा. ने अहिंसा की साधना में ही अपना सारा जीवन समर्पित कर दिया था, उन्हीं के तपःपूत, निस्पृही, तेजस्वी व्यक्तित्व को यह वन्दनांजलि है।



यह विशेषांक दो खण्डों में विभक्त है। प्रथम खण्ड 'अहिंसा-विचार' से सम्बन्धित है। इसमें अहिंसा के वैचारिक पक्ष को विश्लेषित करने वाले ३८ निबन्ध संकलित हैं। इन निबन्धों में जैन-जैनेतर धर्मों में अहिंसा के स्वरूप, सकारात्मक अहिंसा के कर्षणा, वात्सल्य, अनुकम्पा, दया, निर्भयता, उदारता, सेवा, कर्तव्यपरायणता, वीतरागता आदि पहलुओं पर अहिंसक जीवन जीने वाले आचार्यों, मुनियों एवं साध्वियों के अतिरिक्त विशिष्ट विद्वानों के विचारों को सम्मिलित किया गया है।

द्वितीय खण्ड 'अहिंसा-व्यवहार' से सम्बन्धित है। इस खण्ड में ४१ निबन्ध संकलित हैं। इन निबन्धों में हिंसा के कारण और प्रयोजन, अहिंसा व्रत के अतिचार, अहिंसा का अभ्यास, अहिंसा का प्रशिक्षण, अहिंसक क्रान्ति की प्रक्रिया, विज्ञान और अहिंसा, अहिंसा और पर्यावरण, अहिंसक अर्थव्यवस्था, उद्योग-व्यवसाय, प्रशासन, शिक्षा, साहित्य, पशु-संरक्षण, मांसाहार-निषेध, अहिंसा और आतंकवाद, अहिंसा के प्रचार-प्रसार में जनसंचार माध्यमों की भूमिका, विश्वशांति के संदर्भ में अहिंसा-प्रयोग जैसे विषयों पर अधिकृत विद्वानों के विचार समाविष्ट किये गये हैं। कतिपय रचनाएँ सम्बद्ध लेखकों की कृतियों से संकलित की गई हैं अतः उन लेखकों एवं प्रकाशकों के प्रति विशेष आभार।

स्थान-स्थान पर अहिंसा से सम्बन्धित बोध-कथा, प्रसंग, सूक्ति, कविता के रूप में प्रेरक और रोचक सामग्री प्रस्तुत की गयी है। परिशिष्ट में हिंसा-निवारण और शाकाहार-प्रचार में कार्यरत प्रमुख संस्थाओं की सूची दी गयी है ताकि अहिंसा के क्षेत्र में कार्यरत समाजसेवी विभिन्न संस्थाओं से जुड़कर अहिंसा प्रचार-प्रसार से सम्बन्धित गतिविधियों को सक्रिय बना सकें।

जिन विद्वान् आचार्यों, मुनियों व लेखकों ने अपनी रचनाएँ भेजकर इस ग्रन्थ को सुन्दर रूप में प्रस्तुत करने में हमारी सहायता की है, उनके प्रति हम हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। जैन धर्म-दर्शन के विद्वान् और अनुभवी साधक श्री कन्हैयालाल लोढा, अधिष्ठाता, श्री जैन सिद्धान्त शिक्षण संस्थान, बजाज नगर, जयपुर का सामग्री-संकलन और चयन में विशेष सहयोग मिला है, अतः हम उनके प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। प्रूफ-सशोधन में चि. सजीव भानावत के योगदान के लिए क्या कहूँ? सम्यग्ज्ञान प्रचारक मण्डल के पदाधिकारियों एवं विज्ञापनदाताओं के हम विशेष आभारी हैं जिनके सद्-प्रयत्नों से हम बृहद्काय विशेषांक के प्रकाशन की व्यवस्था सम्भव हो सकी।

आशा है, इस विशेषांक का अध्ययन-मनन-चिंतन अहिंसा भाव को पुष्ट करने एवं उसे जीवन में उतारने और समाज-सेवा तथा लोक-कल्याण के मार्ग पर अग्रसर होने में प्रेरक सिद्ध होगा।

# अनुक्रमणिका

पृष्ठ

प्रकाशकीय  
सम्पादकीय

: सम्यग्ज्ञान प्रचारक मंडल  
: डॉ. नरेन्द्र भानावत

iv  
vii

प्रथम खण्ड

## अहिंसा-विचार

- |  |                                    |    |
|--|------------------------------------|----|
| १ अहिंसा का आलोक                                   | : स्व. आचार्य श्री हस्तीमलजी म.सा. | १  |
| २ अहिंसा और करुणा की भावना<br>जीवन में प्रवाहित हो | : आचार्य श्री हीराचन्द्रजी म.सा.   | ५  |
| ३. अहिंसा का विवेक जागृत करे                       | : उपाध्याय श्री मानचन्द्रजी म.सा.  | १५ |
| ४. Relevance of Ahimsa                             | : Shri D. R. Mehta                 | १६ |
| ५ प्राणि हिंसा से बढकर<br>कोई अकार्य नहीं          | : आचार्य श्री आनन्द ऋषिजी म.सा.    | २५ |
| ६. वात्सल्य भाव                                    | : आचार्य श्री नानेश                | ३० |
| ७ अनुकम्पा की अवधारणा                              | : आचार्य श्री देवेन्द्र मुनि       | ३४ |
| ८ दयालुता  | : आचार्य श्री जयन्त सेन सूरि       | ४१ |
| ९ दया-माता की आराधना                               | : जैन दिवाकर श्री चौथमलजी न.सा.    | ४३ |
| १०. धर्म की रीढ़ : अहिंसा                          | : उपाध्याय श्री पुष्कर मुनि        | ४८ |
| ११. अहिंसा के नामों की सार्थकता                    | : श्री कन्हैयालालजी म० 'कन्हा' ६३  | ६३ |
| १२ अहिंसा और निर्भयता                              | : प. र. श्री विनयचंद्रजी न. सा.    | ६३ |
| १३ अहिंसा : स्वरूप और चिन्तन                       | : श्री रमेश मुनि शास्त्री          | ६६ |
| १४. अहिंसा की साधना                                | : महात्मा गांधी                    | ६१ |
| १५. उदारता सेवा और<br>कर्तव्यपरायणता               | : स्वामी शरणाचन्द्र                | ७४ |
| १६ अहिंसा मनुष्य का स्वभाव है                      | : आचार्य रजनीश                     | ७७ |
| १७ आपु समान जगत् जस चीन्हा                         | : साध्वी नरिन्द्रजी                | ८१ |
| १८. जैन आगमो मे अहिंसा का स्वरूप                   | : श्री देवेन्द्र मुनि              | ८६ |
| १९ 'आचारांग सूत्र' मे हिंसा-निषेध                  | : श्री नरेश्वरजी देवेन्द्र         | ९१ |
| २० 'आचारांग' में अहिंसा का स्वरूप                  | : श्री नरेश्वर देवेन्द्र           | ९१ |
| २१ बौद्ध धर्म में अहिंसा                           | : श्री नरेश्वर देवेन्द्र           | ९१ |
| २२ 'महाभारत' में अहिंसा-विचार                      | : श्री देवेन्द्र मुनि              | ९१ |
| २३ विभिन्न धर्मों मे अहिंसा का<br>स्वरूप           | : श्री नरेश्वर देवेन्द्र           | ९१ |
| २४. सभी धर्मों का अहिंसा-विचार                     | : श्री नरेश्वर देवेन्द्र           | ९१ |

२५. अहिंसा : स्वरूप और महत्त्व	: सुश्री सरोजकुमारी जैन	१३४
२६ अहिंसा बनाम वीतरागता	: श्री सम्पतराज डोसी	१४४
२७. चैतन्य महाप्रभु और अहिंसा	: डॉ उषा गोयल	१५५
२८ महात्मा गांधी का अहिंसा-दर्शन	: डॉ ज्ञानप्रकाश पिलानिया	१५९
२९. अभिनव विज्ञान युग :		
अभिनव अहिंसा	: आचार्य विनोबा भावे	१६३
३०. अहिंसा : व्यक्ति और		
संघ के सन्दर्भ में	: पं दलसुख भाई मालवणिया	१७१
३१. अहिंसा	: श्री पी. एम. चोरड़िया	१८१
३२. अहिंसा-तत्त्व	: प्रो कल्याणमल लोढा	१८९
३३. हिंसा-अहिंसा	: डॉ. राजेन्द्र स्वरूप भटनागर	२०२
३४. अहिंसा-निरूपण	: श्री श्रीचन्द गोलेछा	२०६
३५. अहिंसा का संबंध हृदय के साथ	: उपाध्याय अमर मुनि	२०७
३६. इस्लाम धर्म में प्रेमभाव		
और अहिंसा	: श्री इकराम राजस्थानी	२१२
३७. अहिंसा सिद्धान्त :		
तुलनात्मक दृष्टि	: डॉ. सागरमल जैन	२१५
३८. सकारात्मक अहिंसा पर आप-		
त्तियाँ और उनका निराकरण	: श्री कन्हैयालाल लोढा	२२५

### द्वितीय खण्ड

#### अहिंसा-व्यवहार

१. हिंसा : कारण और प्रयोजन	: स्व. युवाचार्य श्री मधुकर मुनि	२४३
२. अहिंसा व्रत के अतिचार	: श्रीमद् जवाहराचार्य	२४५
३. अहिंसा का अभ्यास	: स्वामी शिवानन्द	२५२
४. अहिंसा का प्रशिक्षण	: आचार्य तुलसी	२५७
५. हिंसा का सामना		
कैसे किया जाय ?	: काका कालेलकर	२६३
६. विश्व-शान्ति के संदर्भ में		
अहिंसा-प्रयोग	: आचार्य श्री विजय वल्लभ सूरि	२६७
७. मैत्री भावना	: युवाचार्य महाप्रज्ञ	२७४
८. अहिंसक क्रांति की प्रक्रिया	: दादा धर्माधिकारी	२८०
९. अहिंसा जीवन के भीतर :		
अहिंसा जीवन के बाहर	: डॉ. महेन्द्र सागर प्रचडिया	२८९
१०. अहिंसा-वृक्ष की जड़ को मीचे	: श्री मोफतराज मुणोत	२९३
११. योग और अहिंसा	: डॉ. नरेन्द्र शर्मा 'कुसुम'	२९५
१२. अहिंसा और सेवा	: श्री टीकमचंद हीरावत	२९९

१३	विज्ञान और अहिंसा	: डॉ. धनराज चौधरी	३०१
१४.	विज्ञान को अहिंसा से जोड़े	: डॉ. दौलतसिंह कोठारी	३०५
१५	आगमों में पृथ्वी-पर्यावरण संरक्षण	: डॉ. उदयचन्द जैन	३०८
१६	पर्यावरण धर्म	: डॉ. त्रिलोकीनाथ खुशु	३११
१७.	भ्रमर, पर्यावरण और अहिंसा	: श्री रणजीत सिंह कूमट	३१५
१८.	अहिंसा : सामाजिक संदर्भ में	: श्री राजीव प्रचंडिया	३१६
१९	अहिंसा का समाज-दर्शन	: डॉ. धर्मचन्द जैन	३२३
२०	अहिंसा के प्रयोग : अहिंसक समाज-रचना की दिशा में	: श्री जमनालाल जैन	३३१
२१.	वर्तमान अर्थव्यवस्था और अहिंसा	: डॉ. नरेन्द्र भानावत	३३६
२२.	अहिंसक अर्थव्यवस्था	: श्री सिद्धराज ढढ्ढा	३४८
२३.	उद्योग-व्यवसाय एवं अहिंसा	: श्री अमरसिंह मेहता	३५१
२४.	सौन्दर्य-प्रसाधनो में वढती हुई हिंसा	: डॉ. शान्ता भानावत	३५५
२५	प्रशासन और अहिंसा	: श्री जयनारायण गौड	३६०
२६	अहिंसा-शिक्षा के तत्त्व	: श्री चांदमल कर्णावट	३६४
२७.	अहिंसा और साहित्य	: पद्मश्री डॉ. लक्ष्मीनारायण दुवे	३७०
२८	अहिंसा का सकारात्मक स्वरूप और युवा पीढी	: श्री फूलचन्द मेहता	३७६
२९.	अहिंसा जीवन में कैसे उतरे	: श्री जशकरण डागा	३८२
३०.	आधुनिक हिन्दी साहित्य में अहिंसा : एक अनुशीलन	: डॉ. विश्वासराव पाटिल	३९१
३१	लोकगीतो में अहिंसा के स्वर	: डॉ. विद्या विन्दु सिंह	३९६
३२.	अहिंसा से विष्व समस्याओं का समाधान	: श्री शांतिलाल पोखरना	४०२
३३.	अहिंसा को जीवन में कैसे उतारें ?	: श्री लालचन्द जैन	४०४
३४	अहिंसा के मार्ग पर चले	: श्री नरेन्द्र हीरावत श्री गौतम एस. मेहता	४०८
३५.	अनर्थ का मूल—मांसाहार	: श्री रतनलाल सी. वाफणा	४१०
३६.	अहिंसा और पशु-संरक्षण	: श्री वी. रमेश जैन	४१६
३७.	अहिंसा, आतंकवाद और जैन	: श्री सुधीन्द्र गेमावत	४२२
३८.	अहिंसा की सार्थकता : प्रश्न फिर उपस्थित है	: श्री अोंकारश्री	४२५

३६. अहिंसा की ज्योति को  
आगे बढ़ाये : श्री सरदारमल कांकरिया ४२८
४०. अहिंसा के प्रचार-प्रसार में  
जनसंचार माध्यमों की भूमिका : डॉ. सजीव भानावत ४३१
४१. अहिंसा के कुछ कथा-प्रसंग : डॉ० प्रेम सुमन जैन ४३५

□ बोधकथा / प्रसंग / सूक्ति / कविता आदि □

१. संगठन और अहिंसा : श्री चम्पालाल छल्लाणी ७०
२. व्यर्थ का खून नहीं : श्री राजकुमार जैन ७३
३. यह दावा करना छोड़ दो : कमल सौगानी ८१
४. हिंसा का डर : डॉ. भैरूलाल गर्ग १०३
५. घाव और कीड़े : श्री राजेन्द्रप्रसाद जैन ११२
६. अहिंसा की शक्ति : श्री निरंकारदेव सेवक १२६
७. महानता : श्री अशोक श्रीश्रीमाल १३३
८. फिर भरो अहिंसा का प्रकाश : डॉ. रामगोपाल गर्मा 'दिनेश' १५४
९. पर दुःख कातर : डॉ. गोवर्धन शर्मा १५८
१०. सक्रिय सेवा : श्री मनोज इकवाल १६२
११. अहिंसा और मैत्री के दोहे : श्री सत्यनारायण गोयनका २११
१२. हिंसक का कोई मूल्य नहीं होता : संकलित २१४
१३. अन्तरात्मा जाग उठी : डॉ. भैरूलाल गर्ग २२४
१४. जिनवाणी की ज्योति : वर्षा सिंह २४०
१५. अहिंसा : सर्व धर्मों का  
मंगलाचरण : श्री मिश्रीलाल जैन २५६
१६. शाही फरमान : श्री राजेन्द्र प्रसाद जैन २६२
१७. गजेन्द्र वाणी : आचार्य हस्ती ३००
१८. सूई की पीड़ा : डॉ. गोवर्धन शर्मा ३०४
१९. प्रतिफल : श्री मनोज इकवाल ३१४
२०. अहिंसा : श्री छंदराज पारदर्शी ३५०
२१. हिंसक और अहिंसक बना : श्री बलवन्तसिंह हाडा ३७५
२२. अहिंसा का सूर्य : श्री निरंकारदेव सेवक ४०३
२३. सच्चा वीर : डॉ. नरेन्द्र भानावत ४०७
२४. आत्म-जागृति : आचार्य हस्ती ४०६
२५. दयालु सूफी संत : श्री राजेन्द्र प्रसाद जैन ४१८

□ परिशिष्ट □

हिंसा-निवारण और शाकाहार-प्रचार : श्री चंचलमल चौरड़िया  
में कार्यरत प्रमुख संस्थाओं श्री हंसमुख शांतिलाल गाह  
के नाम-पते

प्रथम खण्ड

# अहिंसा-विचार

.....

.....



## अहिंसा का आलोक\*

□ स्वर्गीय आचार्य श्री हस्तीमलजी म. सा.

अनन्तकाल से संसार का प्राणी कर्मपाश में बंधा हुआ है। जिससे वह अपने ज्ञानादि गुणों का पूर्ण प्रकाश नहीं फैला सकता। कर्म बन्ध की अनादिता से प्रश्न होता है कि जब कर्म अनादि है तो फिर मनुष्य की मुक्ति कैसे हो ?

यहाँ समझने की बात है कि सम्बन्ध दो प्रकार के होते हैं—एक संयोग सम्बन्ध और दूसरा समवाय सम्बन्ध। एक वस्तु का दूसरी वस्तु के साथ सम्बन्ध अथवा आत्मा का कर्म के साथ सम्बन्ध, यह संयोग सम्बन्ध है और आत्मा का ज्ञान आदि निज गुण के साथ सम्बन्ध समवाय है, इसमें से पहले का सम्बन्ध अनादि होकर भी सान्त है, जबकि दूसरे का अनादि अनन्त सम्बन्ध है, न उसका संयोग है और न वियोग।

किसी को यदि योग्य निमित्त मिल जाय और उसमें उचित पुरुषार्थ हो तो आत्मा के साथ जो कर्म का सम्बन्ध है, उसका वियोग भी कर सकता है। जैसे सुवर्ण और धूलि का सम्बन्ध अनादि से होने पर भी रासायनिक प्रयोग से सोना शुद्ध होता है। मिट्टी में मिला हुआ भी जल शुद्ध किया जाता है वैसे ही आगन्तुक कारणों को रोक कर कर्म का भी अन्त किया जाता है। कर्म भी प्रवाह की अपेक्षा अनादि और स्थिति की अपेक्षा सादि है। जैसे छत्ने जल के पात्र को ढंक दिया जाय तो नया-मैल नहीं आता फिर वाष्प नलिका में फिल्टर कर उसे पूर्ण शुद्ध कर लिया जाता है। ऐसे ही व्रतों के द्वारा पापों का आगमन रोक कर तप एव ध्यान से कर्म-मल का सर्वथा अन्त भी कर लिया जाता है।

कर्म के अणु संसार में चारों ओर भरे पड़े हैं, जब आत्मा उन्हें ग्रहण करती है तो वे उस-उस परिणति के अनुकूल फल देते हैं, जैसे भावावेश में आकर कोई भंग पी लेता है तो उसके दिल-दिमाग सब मस्ती से आवृत्त होकर कुछ और ही रूप हो जाते हैं। धीरे-धीरे उपचारों से वह प्रभाव मिटकर मन स्वस्थ होता है। जैसे भंग के परमाणु स्वयं के द्वारा ग्रहण करने पर ही दुःख देते हैं, वैसे कर्म परमाणु भी अपने द्वारा ग्रहण किये जाने पर ही दुःखदायी होते हैं।

कर्म बन्ध से बचने का उपाय साधना है जो दो प्रकार की है, एक साधु मार्ग की साधना और दूसरी गृहस्थ धर्म साधना। दोनों में अहिंसा, सत्य, अर्चय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह रूप पाँच व्रतों के पालने की व्यवस्था की गई है। साधु-मार्ग की साधना महा कठोर और पूर्ण त्याग की है किन्तु गृहस्थ की धर्म साधना सरल है। गृहस्थ के व्रत में मर्यादा होती है। आनन्द की साधना भी देश साधना

\* आचार्य श्री के प्रवचन से सम्पादित।



है। उसने श्रावक धर्म को स्वीकार करते हुए सर्व प्रथम स्थूल हिंसा का त्याग किया जो साधना पथ की सबसे बड़ी बाधा है।

संसार में जीवन-निर्वाह करते हुए शरीरधारी के सम्मुख हिंसा के अस्वर आते रहते हैं। ऐसी स्थिति में अहिंसा व्रत का निर्वाह कैसे किया जाय ? इस प्रकार आनन्द के द्वारा पूछे जाने पर प्रभु ने बतलाया कि हिंसा के दो भेद हैं :—एक स्थूल हिंसा और दूसरी सूक्ष्म हिंसा। सूक्ष्म हिंसा के अन्तर्गत निम्न पाँच बातें आती हैं—१. पृथ्वी काय के जीवों की हिंसा, २. जलीय जीवों की हिंसा, ३. अग्नि के जीवों की हिंसा, ४. वायु के जीवों की हिंसा, ५. वनस्पति के जीवों की हिंसा। गृहस्थ के लिए दैनिक व्यवहार में इनका सर्वथा त्याग सम्भव नहीं। फिर भी विवेकी को इसके लिए ध्यान रखना चाहिए कि यह सूक्ष्म हिंसा है। किन्तु दूसरी स्थूल हिंसा जिसमें एक कीट से लेकर पशु, पक्षी और मनुष्य तक सारे चर प्राणी आ जाते हैं, श्रावक को स्थूल रूप में चलने-फिरने वाले जीव जन्तुओं की जान-बूझकर दुर्भाव से हिंसा नहीं करनी चाहिए। आनन्द ने ऐसी प्रतिज्ञा की थी।

साधु या व्रती से पाप हो सकता है परन्तु उसका संकल्प है कि जान-बूझकर पाप नहीं करना। पाप का हो जाना और पाप करना ये दो भिन्न-भिन्न बातें हैं। करने में मन की प्रेरणा होती है और होने में मात्र काय-चेष्टा। यदि हमारे व्यवहार से किसी के हृदय पर ठेस लग गई और उससे क्षमा माँगकर परिशोधन कर लिया तो वह शान्त हो जायगा और यदि अनायास ही किसी को पीड़ा पहुँच जाय तो यह जान-बूझकर पीड़ा न पहुँचाने के कारण क्षम्य है किन्तु कंकर की चोट भले ही कम हो, पर जान-बूझकर मारने वाले को आपे कड़ी दृष्टि से देखते हैं, किन्तु अनजाने मिलने वाली पीड़ा को क्षमा की नजरों से देखते हैं।

हर प्राणी को अपनी जान प्यारी होती है, अतएव हिंसा से बचना हर मानव का परम पुनीत कर्तव्य है। कवि ने ठीक ही कहा है—

प्रथम तो प्रिय धर्म सब ही को, द्रव्य से सुत लागें नीको ।

पुत्र से वल्लभ तन जानो, अग मे अधिक नयन माँनो ॥

नयन आदि सब इन्द्रियन, अधिक पियारे प्राण ।

या कारण कोई मत करो, पर प्राणन की हान ॥

बुरी है जग में वेईमानी, दया पालो बुधजन प्राणी ।

स्वर्ग अपवर्ग सौख्यदानी ॥

जीव को अपना जीवन सबसे प्यारा होता है। अपनी जान के आगे वह किसी की भी परवाह नहीं करता।

एक जगह की बात है कि एक सेठजी को चौथेपन में पुण्य योग से एक पुत्र रत्न प्राप्त हुआ। पुत्र का बड़े ठाठ से लालन-पालन हुआ। एक दिन सेठ

कही बाहर गए हुए थे कि उनके घर में अचानक आग लग गई और बच्चा घर के भीतर पालने में ही रह गया। घर के सब लोग जल्दी में बाहर हो गये। बच्चे की याद आयी तब तक तो घर में चारों ओर आग फैल गई थी और जोरों की ज्वाला निकल रही थी।

जब सेठ को पता चला तो उसने, बच्चे को बचाने के लिए बहुत धन देने का निर्णय किया, किन्तु धन के लिए जान पर खेलने वाला व्यक्ति उस जगह नहीं मिल सका। सेठ बच्चे के लिए छाती पीट-पीटकर रो रहा था। सेठ की व्याकुलता देखकर किसी व्यक्ति ने कहा कि सेठजी! स्वयं ही भीतर जाकर बच्चे को क्यों नहीं निकाल लाते हो? यह सुनकर सेठजी बोले कि यदि बचाने के बदले मैं स्वयं जल जाऊँ तो...! यदि मैं ही नहीं रहा तो पुत्र-मुख दर्शन का सुख कौन देखेगा? नीति में भी तो कहा है—

आत्मानं सततं रक्षेत, दारैरपि धनैरपि

इस दृष्टान्त से तात्पर्य यह है कि सम्पदा और पुत्र आदि से, हर एक मनुष्य को अपना जीवन अधिक प्यारा है। अतः आत्मव्रत मानकर किसी के भी प्राण को खतरे में डालना महान् घातक व बड़ा पातक है।

हिंसा करने वाले मनुष्य को हमेशा चिन्तित रहना पड़ता है। सताये गये व्यक्ति से प्रतिकार पाने की भावना भी मन को कलोटती रहती है। क्योंकि हिंसा प्रति हिंसा को उत्पन्न करती है, जो मनुष्य के लिए चिन्ता का कारण है। आप जानते हैं, एक साधारण व्यक्ति कहीं भी स्वतन्त्रतापूर्वक भ्रमण कर सकता है। उसे किसी भी बात की चिन्ता नहीं होगी, किन्तु देश के प्रधानमंत्री या बड़े-बड़े पदाधिकारी अकेले नहीं घूम सकते। उनके मन में शंका लगी रहती है, मगर जिसके मन में अहिंसा की भावना है, वह अकेले भी जगत् में घूम-फिर सकता है। गांधीजी हिन्दू-मुस्लिम दंगे के समय में भी नोआखली आदि पाकिस्तानी क्षेत्रों में घूम गये। कारण स्पष्ट है कि उनके मन में अहिंसा की पवित्र भावना थी, अतः वे सर्वत्र निर्भय रहते थे।

आचार्य पातंजलि ने योग दर्शन में साधना के मार्ग में यम का लक्षण बतलाते हुए कहा है—‘अहिंसा-सत्यास्तेय-ब्रह्मचर्यापरिग्रहाः यमाः।’ फिर अहिंसा की महिमा बताते हुए आप कहते हैं कि जिसके मन में अहिंसा की प्रतिष्ठा हुई हो, उसका किसी से वैर-विरोध नहीं रहता और भयंकर प्राणी भी उसके सामने वैर-भाव भूल जाते हैं जैसे कि—

“अहिंसाप्रतिष्ठायां तत्सन्निधौ वैरत्यागः” योग।

साधु वन-भूमि में हिंसक पशुओं से घिर कर तपस्या करते हैं। इन साधु-सतों के पास अहिंसा का ही बल है। पूर्ण अहिंसक के शरीर पर सर्प, बिच्छू

आदि विषैले जीव-जन्तु भी अपना विष नहीं लगाते। धार्मिक साधना के द्वारा ही लोगों का दिल जीता जा सकता है। गृहस्थ भी यदि अहिंसा व्रत धारण करे तो उसका कौटुम्बिक जीवन मधुर बन सकता है।

अहिंसा का क्षेत्र बड़ा ही व्यापक है। शरीर से नहीं मारने अहिंसा सीमित नहीं है। मंत्र द्वारा दूसरे को हानि पहुँचाना, जादू-टोना कटु वाणी का प्रहार कर ठेस पहुँचाना ये सब भी हिंसा के ही रूप हैं। किसी की कटु वाणी या छीटाकशी से उत्तेजित होकर आत्म-हत्या का आत्म-घाती के साथ-साथ छीटाकशी करने वाला भी पातकी होगा। खूब ध्यानपूर्वक हिंसा के पाप से बचने का प्रयत्न करना चाहिए। आनन्द ने प्रभु से कहा कि मैं ऐसी स्थूल हिंसा स्वयं नहीं करूँगा और न कराऊँ। मन, वाणी एवं शरीर तीनों से स्थूल हिंसा का त्याग करता हूँ।

संयमित जीवन का अर्थ साधना को ऊपर बढ़ा ले जाना है। साधना ऊपर बढ़ाने के बजाय अधोगामिनी हो, उसे साधना कहना साधना के महत्त्व को घटाना है। अब जरा पूर्ण साधक की जीवन भाँकी प्रस्तुत है—भद्रबाहु। वे पूर्ण त्यागी थे। उनकी सत्यवादिता के चमत्कार से अराहमिहिर के हृदय में आकुलता भर गई और वह प्रतिशोध के लिए हृदय हो गया, आर्त्तध्यान में प्राण त्याग कर वह व्यन्तर देव बना और शिव की भावना से पाटलिपुत्र के संघ में प्लेग, हैजा का जन सहारक रोग फैल गया। जब भद्रबाहु के पास संघ ने आकर रक्षा की प्रार्थना की तब भद्रबाहु शान्ति के लिए एक स्तोत्र की रचना की और कहा कि इसके पाठ से संघ नहीं रहेगा। यद्यपि मंत्र-यत्र आदि विद्या की जानकारी या प्रयोग गृहस्थों को बताना जैन साधुओं के लिए वर्जित है, किन्तु आगम व्यवहारी होने से भद्रबाहु ने इसमें संघ रक्षा के साथ शासन की प्रभावना देखी। अतः 'उवसग्गह' की रचना कर दी जो आज भी अपने मंगल रूप में विद्यमान है।

पाप मानव के सत्यानाश का कारण बनता है, पाप से संताप मिटता तथा धर्म आत्म-सुख का निमित्त है। देशविरति आनन्द का नमूना साधना में महामुनि भद्रबाहु का आदर्श हम सबके सामने है। अपने अनुसार हमें साधना का रूप ग्रहण करना है। वीतराग की प्रेरणामय का लाभ लेकर स्वयं साधना करने से लौकिक और पारलौकिक दोनों कल्याण होगा और आत्मिक शान्ति प्राप्त होगी।

• जो व्यक्ति जहरतमंदो के साथ वांटकर रोटी खाता है और हिंसा



# अहिंसा, दया और करुणा की धारा जीवन में प्रवाहित हो !\*

□ आचार्य श्री हीराचन्द्रजी म. सा.

जीवन निर्माण हेतु ज्ञान और संस्कार दोनों की आवश्यकता है। बिना जाने कल्याण का मार्ग क्या है, पाप का मार्ग क्या है, नहीं कहा जा सकता। तीर्थंकर भगवान महावीर की वाणी में :—

सोच्चा जाणइ कल्लाणं, सोच्चा जाणइ पावगं ।

उभय पि जाणइ सोच्चा, ज सेयं तं समायरे ॥ दश. अ. ४ गाथा ११

जीवन का सार क्या ? जानकर क्या करना चाहिए ? जाना हुआ व्यक्ति क्या करता है ? आज इस पर कुछ चिन्तन करें ।

एयं खु नाणिणो सार, ज न हिंसइ किचणं ।

अहिंसा समयं चेव, एतावत वियाणिया ॥ सुय. १/४

ज्ञान लेने का, श्रवण कर लेने का और हिताहित के मार्ग के चिन्तन से निर्णायक भूमिका प्राप्त कर लेने का मात्र कारण अहिंसा है। ज्ञानी दूसरों को पीडा नहीं देता। ज्ञानी अपने समान सबको समझता है। ज्ञानी आत्मभाव में विचरण करता है। यही सिद्धान्त है, यही विज्ञान है, यही धर्म का सार है।

दया है तो धर्म है :

भारतीय संस्कृति में व्यवहार अथवा परमार्थ के जितने भी माप-तोल हैं, जितने भी निर्णय और निश्चय करने वाले सिद्धान्त हैं, वे सब दया पर आधारित हैं। सिद्धान्त की सूक्तियों में ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं :—

तुगं न मंदराओ, आगांसओ विसालय नत्थि ।

जह तह जयम्मिजाणसु, धम्ममहिंसा समं नत्थि ॥

जैसे पर्वतों में सुमेरु से बढ़कर कोई नहीं, विजालता में आकाश से बढ़कर कोई विस्तृत नहीं, वैसे ही सम्पूर्ण धर्मों में अहिंसा से बढ़कर कोई धर्म नहीं। यहाँ का आहार—पेय, वस्त्र-परिधान, रहन-सहन, आजीविका चलाने के साधन, जीवन के जितने भी व्यवहार हैं, सब दया से तोले जा रहे हैं। खाना कौनसा ? जिसमें कम से कम हिंसा हो। मांसाहार का क्या निषेध किया गया ? मांसाहार मानव का खाद्य नहीं, आहार नहीं। मांसाहार से जीवन की मूलभूत करुणा भावना समाप्त होती है। आदमी नृशंस बनता है। जिसके घट में दया नहीं तो कुछ भी नहीं। उर्दू के शायर ने कहा है—

\* १० मार्च, १९६३ को महावीर भवन, लाखन कोटडी, अजमेर में दिये गये प्रवचन का सम्पादन अंश ।

अगर तेरे दिल में दया ही नहीं,  
समझ ले तुझे दिल मिला ही नहीं ।

दया है तो धर्म है । दया के माहात्म्य को समझने के लिए प्रभु महावीर ने 'दशवैकालिक सूत्र' में कहा :—

तस्थिमं पढमं ठाणं, महावीरेण देसियं ।

अहिंसा णिउणा दिट्ठा, सव्वभूएसु संजमो ॥ द. अ. ६ गाथा ९

धर्म के अनेक अंग हैं, मार्ग है, तथ्य है । उन सब में पहला स्थान अहिंसा का है । सम्पूर्ण जीवों को पीडा से रहित बनाने वाली अहिंसा है । एकेन्द्रिय से पंचेन्द्रिय तक सम्पूर्ण जीवों में जीने की इच्छा है, मरना कोई नहीं चाहता । नरक के नारकियों से लेकर नरेन्द्र-देवेन्द्र तक भी जीने की चाहना करने वाले हैं । जो जीना चाहता है, वह दूसरों को जिलाना चाहता है । जो मारता है, उसे मरना पड़ता है । काटता है, उसे कटना पड़ता है । दुःख देता है, उसे दुःख भोगना पड़ता है ।

अहिंसा सब पापों का परिमार्जन है :

अहिंसा से बढ़कर कोई धर्म नहीं । अहिंसा सब पापों का परिमार्जन है । हिंसा का कोई परिमार्जन नहीं । एक व्यक्ति झूठ बोलता है, कल उसका मन शांत हो सकता है, पश्चात्ताप करके झूठ से ग्लानि हो जाय और वह सत्यवादी भी बन सकता है । मतलब झूठ बोलने वाला अपने पाप धो सकता है । चोरी के पाप में लिप्त व्यक्ति की भावना दण्ड से बदल सकती है । रोहिण्य जैसा चोर जिसने सैकड़ों का माल हड़पा लेकिन ज्योंही उसे चोरी से घृणा हुई, चोरी का पाप छूट गया । झूठ-चोरी के पाप धोये जा सकते हैं, अहंकार का पाप साफ किया जा सकता है पर जिसका जीवन हरण कर लिया, क्या आप उसके प्राणों को लौटा सकते हैं ? जीवन से रहित किये जीव को फिर से जीवन-दान नहीं दे सकते । आप तो छद्मस्थ हैं । अनन्त शक्तिमान वीतराग भगवन्त भी प्राण रहित को प्राण नहीं दे सकते । आज एक व्यक्ति का दिल दूसरे व्यक्ति में लगाया जा सकता है, किसी की आँख दूसरे व्यक्ति की आँख में वैठाई जा सकती है, अंगों का परिवर्तन तो हो सकता है लेकिन प्राणी को प्राण रहित करने के बाद उसमें फिर से प्राण नहीं दिये जा सकते । इसलिए सबसे बड़ा पाप हिंसा है । यह बात आपके समझ में आई या नहीं ? मैं कह रहा हूँ इससे नहीं, आपके समझ में आनी चाहिए ।

अनेक शास्त्रों का सार कह रहा हूँ—तथ्यपूर्ण कह रहा हूँ । आपकी माता आपके जन्म पर आप पर दया नहीं करती और इधर जन्म हुआ उधर गला घोट दिया जाता तो सामायिक कौन करता ? शील कौन पालता ? आप प्राणयुक्त हैं इसीलिए आप यहाँ बैठे हैं, व्याख्यान श्रवण कर रहे हैं, सामायिक

हो रही है। दया नहीं करने वाला सम्पूर्ण पापों को करता है। चोरी करने वाला एक पाप करता है, झूठ बोलने वाला एक पाप करता है पर जो हिंसा करता है वह सम्पूर्ण पाप करता है। दया है तो जीवन है। जीवन है तो धर्म है।

**आज अहिंसा धर्म कितना उपेक्षित है ?**

अब, दूसरी तरह से चिन्तन करे। अहिंसा को परमोधर्म कहा। अहिंसा धर्म का मूल है, आज हम इस मूल धर्म को कितना उपेक्षित कर रहे हैं ? दूसरे शब्दों में आप धर्म से कितने दूर हटते जा रहे हैं ? हिंसा कितनी व कौसी अनर्थकारी है, आप चिन्तन करेगे तो रोंगटे खड़े हो जायेगे। खाना पहले भी खाया जाता था, आज भी खाया जाता है लेकिन पहले मन उतना काला नहीं था। आज क्या-क्या बनावट करके डिजाइनो मे सज्जियाँ काटी जा रही हैं। खाने में एक ही चीज चार दिन लगातार आ जाय तो माथा ठनक जायगा।

आज खान-पान मे हिंसा बढी है। जैननामधारी मांसाहारी बन रहे है। जैसे केक, विस्कुट, खाद्य पदार्थ, दवाओं में कैसे हिंसाकारी पदार्थ काम में लिये जा रहे है, चिन्तन करें। जो पदार्थ तामसी कहलाते थे, खाने योग्य नहीं माने जाते थे, उनको आज सामूहिक रूप मे काम मे लिया जा रहा है। आज शादी हो-विवाह हो या पार्टियाँ, आप मे से कई एक लहसुन-प्याज तक काम में लेते है। इसे क्या कहा जाय ? क्या यह दया का रूप हो सकता है ? क्या आपके मन में दया माता की कोई भावना है ? व्याख्यान के अन्त मे 'दया सुखां री बेलड़ी' बोलने वाले क्या बोल रहे है, इस पर चिन्तन करने की आवश्यकता है।

कल तक सूती या ऊनी कपड़े पहनने वाले आपके बच्चे आज चमड़े की जर्सी किस शान से पहनते है ? चमड़े की जर्सी कैसे बनती है आपने गंभीरता से सोचा ही नहीं। पहले बहिन बाजार से निकलती थी तब उसमें शर्म के भाव सहज दिखलाई पड़ते थे परन्तु आज बहिने शान से चमड़े का मनी बैग लटका कर चलती है। वह चमड़ा कैसे प्राप्त होता है, उसका उन्हे ध्यान तक नहीं। आप पुराने लोग तो फिर भी कपड़े की थैली हाथ मे लेकर निकल जायेगे परन्तु आपके बच्चे थैली के बजाय बैग रखना पसन्द करते है, क्यों ? आप थोड़ा चिन्तन तो करे कि चमड़े के बैग कैसे बनते है ? जिन्दे हालात में चमड़ी उतारना तो दूर, थोड़ा गर्म पानी डाल दे तो क्या महसूस होता है ? जब आपको गर्म पानी डालना भी सुखदायी माफिक नहीं होता तो कल्पना कीजिए जिन्दे जानवरों पर गर्म-गर्म पानी डालकर चमड़ी उतारी जाती है और उस चमड़ी से पर्स-बैग बनाये जाते है। क्या यह जीव दया में धर्म मानने वालों के काम में लेने योग्य है ? आपके सामने डॉक्टर इंजेक्शन लेकर खड़ा हो जाये तो कइयों को पसीना आ जाता है। जब एक सुई नहीं देखी जाती तो ऐसे करुणाशील लोग शान से चमड़े के बैग-पर्स कैसे काम में लेते है ? उन्हें तो सोचना चाहिए

कि-इस तरह की सामग्री का उपयोग हिंसा को बढ़ावा देना है, उसमें भागीदारी डालना है, दुःख को क्षिप्तमन्त्रण देना है।

आहार व्यवहार की क्या बात कहूँ ! औषधियों में भी कैसी-कैसी वस्तुएँ मिलायी जा रही है ? हड्डी, मांस, चमड़ी, खून क्या-क्या उपयोग में नहीं आ रहे हैं ? आप सोचने बैठेंगे तो रोगटे खड़े हो जायेंगे।

**अनर्थकारी हिंसा से बचें :**

महान् पुरुषों का उपदेश है—मानव ! जो दे नहीं सकता, उसको ले भी मत। तू धन दे सकता है, सामान दे सकता है, बेटा-बेटी दे सकता है पर प्राणी को प्राण रहित करने के वाद पुनः प्राण नहीं दे सकता, इसलिए किसी जीव के प्राण हरण का तुम्हें क्या अधिकार है ? अनर्थकारी अनावश्यक भयंकर पाप कर्म क्यों कर रहा है ?

जीवन चलाने के लिए हिंसा होती है, करनी भी पड़ती है पर अनर्थ की हिंसाएँ हो रही हैं उससे बचना चाहिये। आप गृहस्थ हैं तो मकान की जरूरत हो सकती है, श्रावक उसमें भी उपयोग रखे तो अल्पारभी रह सकता है परन्तु आज अनर्थ की हिंसा बढ़ रही है। बगला बनायेंगे तो वगीचा भी बना लेंगे। अनर्थकारी हिंसा के एक-दो नहीं, कई-कई नाम गिनाये जा सकते हैं। मनोरंजन के लिए हिंसा करते विचार नहीं होता। आज मनोरंजन के लिए मेंडे लड़ाये जाते हैं, मुर्गे लड़ाये जाते हैं, घोड़े दौड़ाये जाते हैं। घोड़ों की रेस होती है। कौनसा घोड़ा फास्ट आता है, इसके लिए उन्हें मार-पीटकर तेज दौड़ाया जाता है। यह भी हिंसा में सम्मिलित है, अनर्थकारी है।

कई हिंसाएँ रूढ़ियों के कारण होती हैं। आपने मुन रखा होगा—मिश्र के वादशाह का जब देहावसान होता है तो उसकी रानियों को जिन्दा ही उनके साथ दफनाया जाता है। अमुक मात्रा में घोड़े, हाथी, दासी-दासियाँ दफना दिये जाते और यह माना जाता है कि वे उन्हें परभव में आगे मिल जाएँगे। आपके घर में भी कोई बच्चा मर गया तो आप भी दूसरे दिन दूध का प्याला लेकर जाते हैं। जिन्दों को दूध मिले न भी मिले, पर मरने के बाद दूध का प्याला रखने की रूढ़ि है।

कुरीतियों के कारण भी हिंसाएँ हो रही हैं। धन के लिए क्या-क्या नहीं होता है ? बचपन में आँखें निकाल कर बेची जा रही हैं, बच्चों के अंग-प्रत्यंग बेचे जाते हैं, बच्चों से भीख मगवाई जा रही है। आज पैसों की प्राप्ति के लिए कैसे-कैसे तरीके अपनाये जा रहे हैं, आप जानते हैं।

मैंने मुना है कि आन्ध्र प्रदेश में एक कत्लखाना जैन बन्धु के द्वारा खोला जा रहा है। खुद के पाम लाखों की सम्पदा है पर धन की लालसा के लिए कत्लखाना खुलवाने की बात पर विचार आता है कि ऐसा धन इकट्ठा करके

कहाँ ले जायगा ? एक तरफ ऐसे भी लोग हैं जो एक-एक जानवर को छुड़ाते हैं, दूसरी तरफ ऐसे भी मिल-सकते हैं जो कत्लखाना खुलवाने में भागीदार बनते हैं। आप एक वर्ष में जितने जानवर बचायेंगे, कत्लखाने में एक दिन में उससे कई गुणा प्राण रहित हो जायेंगे। आपको अहिंसा का स्वरूप समझना है तो आप इन सब बातों पर गंभीरता से चिन्तन करें।

**हिंसा के कैसे-कैसे रूप :**

आज हिंसा के कैसे-कैसे रूप हैं, साधारण तौर पर ध्यान में ही नहीं आते। मैंने कहीं पढा है कि ब्रिटेन में चिकित्सा सम्बन्धी खोज करने के लिए पचास लाख पशुओं को काटा जाता है। किसी जानवर को काटने पर कैसी वेदना होती है इसको समझने के लिए आप अपने पर से विचार करें। आप अपनी अंगुली पर वार करके देखें। आप अपनी अंगुली को काट नहीं सकते पर कभी तबे पर रोटी डालते समय अंगुली तबे से छू जाय तो भी वेदना होती है, इसका आपको अनुभव होगा। आपको शायद अनुभव हो या न भी हो पर बहिनों को अनुभव है कि अनजाने में तबे से अंगुली छू जाने पर पीड़ा होती है। जब मात्र छू जाने पर वेदना हो सकती है तो काटने पर कितनी वेदना होती होगी ?

आज कुत्तों पर प्रयोग होते हैं, बिल्लियों पर प्रयोग होते हैं। खरगोशों के कान में तेजाब डाला जाता है जिससे कान फूलता है, खरगोश भागता है, खरगोश के कान से निकले खून की नेलपालिश बनती है। ऐसी हिंसाकारी वस्तुओं के प्रयोग में आपको कितना संकोच है, जरा अपने से पूछें ?

आज किसे कहें, कौन सुने ? आप में से कइयों को हमारे पास आने की फुर्सत नहीं और कुछ लोग सतों के पास आकर सुन भी ले तो सोचते हैं हमें क्या ? किसी के वच्चा न हो तो वह कहाँ-कहाँ नहीं जाता। डॉक्टर के पास जायगा, भैरू-भवानी की मनौती करेगा और कई तो नासमझ महाराज तक के पास यह कहने उपस्थित हो जायेंगे कि बाबजी ! वच्चा नहीं हुआ। वच्चा नहीं होने पर तो स्थान-स्थान पर जायेंगे, मनौतिया मनायेंगे और वच्चा हो जाय तो उसे १० मिनट सस्कार देने की, दया के स्वरूप को समझाने की, किसी को दुःख नहीं देने की बात कहने की फुर्सत नहीं।

कई ऐसे भी हैं जो ताश-चौपड़ में टाइम गंवा देंगे, इधर-उधर की बातों में समय वर्बाद कर देंगे लेकिन अपने वच्चों को जिन्हें संस्कार की जरूरत है, उन्हें संभालने की आप में अधिकांश को फुर्सत नहीं। जरूरत है वच्चों में संस्कार देने की। आपने संस्कार नहीं दिये तो हिंसा का यह रूप बन्द नहीं होगा। मैं कह रहा था कि फैशन के कारण हिंसा बढ़ रही है, मनोरंजन के कारण हिंसा बढ़ रही है वैसे ही राजनैतिक कारणों से भी हिंसा बढ़ रही है।

राजनीति में हिंसा की बात कहूँ—एक-एक दिन में लाखों मीत के घाट



उत्तर दिये गये । आज निर्दोष लोगों को कैसे सताया जा रहा है, किस प्रकार यातनाएँ दी जा रही हैं, कहें तो दिल कांप उठे आपका ।

मन में दया नहीं तो कुछ भी नहीं :

धर्म का मूल दया है । कबीर ने कहा—

भावे जाओ द्वारका, भावे जावो गया ।

कहत कबीर सुनो भाई साधो, सबमें मोरी दया ॥

चाहे द्वारिका जाओ, चाहे मथुरा, पुष्कर जाओ या गिरनार, मन में दया नहीं तो सब तीर्थों में जाकर भी दुःख से बचोगे नहीं ।

कहते हैं—पढ़ लिख गया, डिग्री प्राप्त करली, पी-एच. डी. करली, करोड़ों पद कंठस्थ कर लिये, बोलने का कहे तो घण्टों बोल सकता है किन्तु तेरे मन में दया नहीं तो कुछ भी नहीं । बिना कारण दूसरों को दुःख नहीं देना चाहिये, यह नहीं सीखा तो कुछ नहीं सीखा ।

आपने अहिंसा परमोधर्म को जान लिया, जीवन में कष्ट और दया का आचरण आ गया तो मानिये स्वर्ग के दरवाजे खुलते देर नहीं लगेंगी । जिसके मन में दया है, वह झूठ बोलते डरेगा । मन में कष्ट है तो वह किसी को सतायेगा नहीं, दुःख नहीं पहुँचायेगा । अहिंसा को जीवन में उतारने वाला क्रोध नहीं करेगा, मान-माया-लोभ उसके पास नहीं फटकेंगे, वह पापों से बचा रह सकेगा । जिसके घट में दया माता का निवास है उसके लिये बहुत कुछ कहा जा सकता है । ज्यादा कहने का अभी समय नहीं है, आप यत्किंचित् भी दया की आराधना कर अनर्थकारी आवश्यक हिंसा के पाप से बचने का प्रयास करेंगे तो वीतराग वाणी के श्रवण का सही लाभ प्राप्त कर सकेंगे । 'आचारांग' सूत्र में जिनेश्वर भगवन्तों के वचन मिलते हैं कि यह धर्म शाश्वत है, नित्य है, श्रुत है, अनादिकालीन है । संसार रहेगा तब तक अहिंसा धर्म रहेगा । दूसरे-दूसरे धर्मों का लोप हो जायेगा । भरत-एरावत की दृष्टि से पंचम काल समाप्त हो जाने के बाद एक प्रहर रहेगा, छट्ठा आरा शुरु होगा तब व्रत रूप धर्म नहीं रहेगा, न सत्य पालन की प्रतिज्ञा रहेगी न अणुव्रती का संकल्प रहेगा तथापि दया रहेगी ।

संसार के जितने भी जीव हैं वे सब सुख-शांति की इच्छा रखने वाले हैं । दुःख, वेदना, कष्ट, पीडा कोई नहीं चाहता । एक धर्म सब को इष्ट है, वह है अहिंसा । अहिंसा सब धर्मों का सार है । 'प्रश्न व्याकरण' सूत्र के प्रथम संवर द्वार में तीर्थंकर प्रभु महावीर ने अहिंसा भगवती का गुणगान करने हुए कहा है—यह अहिंसा भगवती डरे प्राणियों को अभय देने वाली है,

शरण देने वाली है । चोरी की बुरी आदत के कारण चोर पकड़ा गया, उसे महाराजा ने फांसी की सजा सुनाई । महाराजा सुनवाई कर रहे थे, उस समय महाराजा की चारों रानियाँ उसे देख रही थी । शरीर से सुन्दर, कांतिवाला युवक था । मौत का नाम सुनकर कॉप उठा । उधर रक्षण की भावना से रानी को दया आ गई । रानी ने महाराजा से कहा—यह डरा हुआ है, इसे एक दिन के लिये मुझे दे दिया जाय । महाराजा ने एक दिन के लिये चोर को रानी के सुपुर्द कर दिया ।

चोर को नहलाया गया, अच्छे वस्त्र पहनाये गये, भोग-उपभोग की सामग्री दी गई पर चोर के भीतर में मरने का भय था, उसे भोग-उपभोग की सामग्री प्राप्त होने पर भी कोई आनन्द नहीं । क्यों ? मौत की तलवार सिर पर जो लटकी हुई थी । एक एक करके तीन रानियों ने एक-एक दिन चोर को खिलाया-पिलाया । चौथी रानी की बारी आई । उसने महाराजा से कहा—मुझे एक दिन नहीं, यदि आप देना ही चाहते हैं तो इस चोर को अभयदान दे दीजिये ।

अभयदान श्रेष्ठ है । अभयदान दया है, अहिंसा है । नीति के वचन में कहें—

दया गई तो धर्म गया, धर्म गया तो कुछ रहा नहीं ।

सब कुछ देकर धर्म रख लिया, तो तेरा कुछ गया नहीं ॥

संसार में ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने दया के लिए सब कुछ दिया, प्राणों तक का समर्पण कर दिया । दया समकित देने वाली है, दया स्वर्ग दिलाने वाली है । हाथी के भव मे सम्यक्त्व प्राप्त करने वाले 'ज्ञाता धर्म' के अधिकारी मेघकुमार की बात आपने कई वार श्रवण की है । मैं उसे पुनः नहीं दोहराना चाहता पर आपके ध्यान में आये इसलिये कहना चाहता हूँ कि एक जीव को बचाने वाला सम्यक्त्व प्राप्त कर रहा है । जावन भर मे उस हाथी ने कितनी हिंसाएँ की, कितने पेड़ उखाड़े, लेकिन एक जीव की दया की भावना से उसे मोक्ष मार्ग में प्रवेश करने का प्रमाण-पत्र प्राप्त हो गया । जीव दया मे अपने आपकी दया भी है, दूसरे जीवों की दया भी है ।

आप हिंसा कब करते हैं ? आपके शरीर मे मवाद हो और उसमें एक कीड़ा पड़ जाय, सहन नहीं होता । घर मे मच्छर हो जाय, आप क्या करते हैं ? आप जरा चिन्तन तो करे । आपने धर्म को ऐसा विपरीत कर दिया कि आज अहिंसा या दया भी हास्य का कारण बन गई है । धर्मों के विपरीत आचरण से धर्म बदनाम होता है । लिलोत्री के त्याग करना, स्नान के त्याग करना कब शोभा देगा ? अगर लिलोत्री के त्याग करने वाले अपनी व घासलेट डालकर तूली लगा दे तो क्या धर्म बदनाम नहीं होगा ?

तीर्थकर प्रभु महावीर ने धर्म का क्या यही रूप बताया है कि घर वालों को मारे जाओ और पानी छानकर पीओ ? दया के स्वरूप को समझने की जरूरत है। पहले पंचेन्द्रिय की दया करनी चाहिये या एकेन्द्रिय की ? आज आप जमीकन्द छोड़ सकते है पर स्वधर्मी के साथ प्रेम से नहीं रह सकते तो इससे क्या धर्म की प्रभावना बढ़ती है ? एक भाई आया और उससे पूछा—क्या नियम है ? बोला—बाबजी ! मारे सगला नियम है । पास बैठा दूसरा भाई बोला—महाराज ! यह रोज सामायिक करता है, हरी नहीं खाता पर घर में भाई-भाई ऐसे लड़ते है कि पूछो मत । ऐसे विपरीत आचरण वाले भाई धर्म को बदनाम करते है ।

भगवान महावीर ने कहा—दयां स्वर्ग दिलाने वाली है । चण्डकौशिक जैसा साँप जिसने भगवान को नहीं छोड़ा पर जब अहिंसा की भावना बन गई तो चींटियों की दया करके आठवे स्वर्ग का अधिकारी बन गया । चण्डकौशिक में जब दया की भावना आ गई तो उसने अपना शरीर का हलन-चलन बन्द कर दिया । उसने विचार किया कि मेरे हिलने पर शरीर पर रही चींटियों की घात हो सकती है ।

आप सामायिक करते है, धर्म-ध्यान करते है । आपका सामायिक-पौपध कब तक ? थोड़ी सी वेदना हुई नहीं कि धर्म-ध्यान सब छूट जाता है । आप में कई तो सहज रूप से कहते भी है 'आपत कालै मर्यादा नास्ति ।' आप अहिंसा धर्म के मर्म को समझे तो आपको अपने शरीर की नहीं धर्म की फिकर होगी । शरीर आज है, कल नहीं रहेगा । इधर कष्ट आया, उधर धर्म छोड़ दिया, यह रूप दया धर्म का नहीं है—

चार वेद मुख से पढ़िया, समझ विना सब भूठ ।

जीव दया पाली नहीं, तो सब माथा कूट ॥

दया है तो वह सम्यक्त्व के प्रकाश को निर्मल रखेगी । दया है तो आप व्रतो में आगे बढ़ेंगे । दया है तो सत्य-शील सदाचार और अन्य-अन्य धर्म होंगे । दया नहीं तो कुछ भी नहीं ।

नीति कहती है—सब कुछ चला गया तो भी कुछ नहीं गया, यदि एक दया है तो सब कुछ रह गया—

न तद् दानं, न तद् ध्यानं, न तद् ज्ञानं, न तद् तपः ।

न सा दीक्षा, न सा भिक्षा, दया यत्र न विद्यते ॥

जहाँ दया नहीं तो दान दान नहीं, दया नहीं तो ध्यान ध्यान नहीं, दया नहीं तो तप तप नहीं । आप भी कुछ देते है । कुत्ते को रोटी, कबूतर को

दाना, गाय को घास । जैसे आप किसी को कुछ देते हैं शिकारी भी कुछ देता है । आपके देने का उद्देश्य किसी को सात्ता पहुँचाना है । शिकारी भी देता है पर उसका उद्देश्य सात्ता पहुँचाना नहीं, जाल में पकड़ना है । आप किसी को देकर शीशी में उत्तारना चाहते हैं तो आपका वह देना भी षाप है । देने को तो आप ग्राहक को भी कुछ देते हैं । आज ग्राहक आते ही उसे चाय, ठण्डा देते हैं, क्यों ? आप उसे आकर्षित और प्रभावित करना चाहते हैं जिससे वह आपका माल खरीदे । नीति कहती है—दया नहीं तो दान दान नहीं है ।

आज टी. वी. से भी ज्ञान मिलने की बात कही जाती है । कैसा ज्ञान ? चोरी का ज्ञान, किसी की जेब साफ करने का ज्ञान ! आज सुनते हैं मुसाफिरो को कोई दवा सुधा दी जाती है और लूटकर माल साफ कर लिया जाता है । ट्रैनो में चाय के साथ नशीली दवा मिलाकर पिला देते हैं । बेहोश होने पर सामान लेकर चम्पत हो जाते हैं, इस तरह का ज्ञान, ज्ञान नहीं है ।

वगुला क्या करता है ? एक टांग पर खड़ा रहता है लेकिन दया नहीं इसलिये उसका ध्यान, ध्यान नहीं । वह एक टांग पर खड़ा रहकर बाट जोहता है कि कब मछली आये और कब वह उसे पकड़े । विल्ली भी कोने में चुपचाप बैठी रहती है । किस लिये ? उसका ध्यान चूहे की ओर रहता है ताकि ज्यों ही चूहा आये, उसे पकड़े ।

व्याख्यान में बैठने वालों में भी कुछ भाई इस बात का ध्यान रखते हैं कि कौन आया, कौन नहीं आया । कई सामायिक लेकर बैठते हैं, उसमें से भी कुछ भाई महाराज को देखे, नहीं भी देखे पर नई साड़ी पहन कर कौन आई, उसे देखेंगे ।

जिसमें हितचिन्तन-करुणा की भावना और दयारूपि नही तो वह ध्यान, ध्यान नहीं । खड़े-खड़े सूख जायेंगे, उल्टे लटक जायेंगे, भगवान ने ऐसे तप को बाल तप कहा है । वह अज्ञान तप है । तप का मतलब अपने आपको तपाना है, अगर तप होता तो कमठ की जिन्दगी बरवाद नहीं होती । शास्त्र कह रहा है कि वह तप, तप नहीं जहां दया नहीं, वह व्रत, व्रत नहीं जिसमें दया नहीं, वह आचरण, आचरण नहीं जिसमें दया नहीं । दूसरों की पीड़ा पहुँचाने की भावना है तो वह दीक्षा. दीक्षा नहीं ।

धर्म के सिद्धान्त का महत्त्व दया से है । सब धर्मों में दया ही श्रेष्ठ है । दया के दो भेद हैं—एक द्रव्य दया, एक भाव दया । उठते-बैठते

खाते-पीते कभी हिंसा होने पर भी हिंसा का पाप नहीं लगता और बाहर में व्यावहारिक दया होते हुए भी मन में करुणा भाव नहीं है तो हिंसा का पाप लगता है ।

मन में करुणा और दया होनी चाहिए । जिसके मन में करुणा और दया होगी वह अनर्थ की हिंसा नहीं करेगा और प्रयोग से काम करते हुए भी हिंसा में कमी करेगा । दया की भावना वाले ऐसे लोग भी हैं जो दूसरों के प्राणों को बचाने के लिये अपने प्राण अर्पण कर दे ।

तीर्थंकर प्रभु महावीर ने आठ प्रकार के हिंसक कहे हैं—

अनुमंता, विशसिता, निहंता क्रय विक्रयी ।  
संस्कर्ता, चोपहर्ता च, खादकश्चेति ह्यातकाः ॥

मारने वाला हिंसक है, कहने वाला, अनुमोदन करने वाला, बनाने वाला, बेचने वाला, लाने वाला, लाकर देने वाला ये सब क्या हैं ?

आप एक सिद्धान्त, एक धर्म के मूल को पकड़कर चलिये कि जीवन में अनावश्यक हिंसा नहीं हो । आप आवश्यक का सर्वथा त्याग नहीं कर सकें तो भी मर्यादित करके चलेंगे तो बहुत कुछ हिंसा के पाप से बचे रह सकेंगे ।

नीति कहती है—

दुःख दिया दुःख होत है, सुख दिया सुख होत ।

तू रहम करेगा तौ रहमान तेरे पर रहम करेगा । हर धर्म, हर पंथ, हर ग्रन्थ इस विषय में एक मत वाले हैं । जीव हिंसा को कोई धर्म नहीं मानता । जहाँ कहा भी गया है वहाँ दृष्टि-भेद है । ज्योही ज्ञान का प्रकाश हुआ नहीं कि उसकी दृष्टि बदल जायगी ।

हिंसा करना धर्म नहीं है । आप सम्पूर्ण पापों को नहीं छोड़ सकते तो मर्यादा करके कम करें । पहले पंचेन्द्रिय के साथ करुणा लाइये । पंचेन्द्रिय जीवों पर दया और करुणा के भाव होने पर अन्यान्य जीवों पर भी दया के भाव आने स्वाभाविक हैं । कीड़ियों के प्रति आपके मन में कोमलता के भाव रहे और अपने भाइयों के प्रति द्वेष और घृणा के भाव रहे तो कहना होगा कि अहिंसा धर्म को आपने अभी जाना ही नहीं । दया या अहिंसा के महत्त्व को समझने की जरूरत है । आप दया को घट में रखकर आगे बढ़ेंगे तो इस लोक-परलोक में शान्ति-आनन्द पा सकेंगे ।



## अहिंसा का विवेक जागृत करें !\*

□ उपाध्याय श्री मानचन्द्र जी म० सा०

वीतरागता के लिए ज्ञानियो ने एक सकेत दिया वह सूत्र है निःसंगता । नि सगता अर्थात् संग से रहित होना । संग पर वस्तु का होता है । अपनी वस्तु का संग तो हमेशा से ही है । संयोग-वियोग पर से होता है । आत्मा का वीतराग भाव आत्मा के पास निरन्तर रहा हुआ है । आत्मा किसी गति में चला जाय, जिस किसी स्थान पर रहे उसमे वीतराग भाव रहेगा । विकारी अवस्था पर विजय प्राप्त करने के लिए आध्यात्मिक साधना है, संतजन, श्रावकजन और जितनी भी मुमुक्षु आत्माएँ है सब विकारी अवस्था दूर करके वीतराग भाव पाने के लिए प्रयास करती हैं । सच्ची अहिंसा की स्थिति मे वीतराग भाव होता है । जानियों ने राग-द्वेष को भी हिंसा का कारण माना है । जहा तक राग-द्वेष है वहाँ तक पूर्ण अहिंसा नही हो सकती ।

### जैन अहिंसा का वैशिष्ट्य :

जितने धर्म है, जितने पथ है, उन सबने अहिंसा को प्रमुख स्थान दिया है । धर्म का प्राण अहिंसा है । फिर भी सबकी अहिंसा एक समान नही है । ईसा की अहिंसा भी है तो बौद्ध की अहिंसा भी है, अहिंसा को सनातनी भी मानते हैं, जैनी भी मानते हैं । कुरान मे भी हिंसा का निषेध किया गया है । अहिंसा का रूप सब धर्मों मे है किन्तु सबकी सीमाएँ अलग-अलग है । ईसाइयों की अहिंसा मानव तक सीमित है । मानव वचता है तो दूसरे प्राणियों के प्राणों के हरण मे उन्हें संकोच नही होता । बौद्धो की अहिंसा मे प्राणी को मारेगे नही परन्तु मरे जानवर का मांस सेवन करने मे उन्हें ऐतराज नही होगा । सनातन धर्म की अहिंसा बस प्राणियो तक सीमित है पर पृथ्वीकाय, अपकाय, तेजकाय, वायुकाय में जीव-हिंसा की जैसी सूक्ष्म व्याख्या जैन धर्म मे है वैसी सनातन धर्म मे कल्पना नही है । किसी गाडी में जानवर जोता जा रहा है, उस गाडी मे बैठने के लिए सनातनी एतराज करेंगे पर जिसमे जानवर नही जोते जाते, सनातनी उसमे बैठने मे अधर्म या हिंसा नही मानते ।

जैनियो की अहिंसा बहुत बारीक है । महात्मा गांधी के जीवन पर जैनियों को छाप पड़ी । गांधीजी ने अहिंसा की वदौलत स्वाधीनता आन्दोलन छेड़ा और देश की स्वतन्त्रता की बात पूरी की । भगवान् महावीर की अहिंसा केवल स्थूल प्राणो के लिए नही है । त्रस-स्थावर, सूक्ष्म-वादेर, पर्याप्ता-अपर्याप्ता

\*६ मार्च, १९६३ को लावन्कोटडी अजमेर मे दिये गये प्रवचन का सम्पादित अक्ष ।

सभी जीवों की हिंसा के परित्याग का रूप जैनियों की अहिंसा में समाहित है। राग-द्वेष को भी हिंसा के रूप में माना गया। राग-द्वेष जहाँ भी हैं वहाँ अपने आत्मीय गुणों का घात होता है। जहाँ आत्मीय गुणों में रुकावट आए वहाँ हिंसा हो सकती है। राग-द्वेष को हिंसा का मूल कारण माना है इसलिए रागात्मक प्रवृत्ति से बचा रहना भी अहिंसा का स्वरूप है।

**द्रव्य-हिंसा और भाव-हिंसा का अन्तर :**

दूसरे-दूसरे धर्मों में द्रव्य हिंसा को महत्त्व दिया लेकिन जैनियों की अहिंसा में द्रव्य और भाव दोनों हिंसाओं के निषेध की बात कही, इसीलिए जैनियों की अहिंसा बहुत बारीक है। व्यवहार और निश्चय दोनों रूपों में हिंसा है, अहिंसा है। द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा का जितना सूक्ष्म स्वरूप जैन दर्शन में है उतना अत्यान्य धर्मों में कही नहीं है। द्रव्य हिंसा उतना कर्म बन्ध का कारण नहीं जितनी कि भाव हिंसा। भाव हिंसा बाहर से तो दिखलाई नहीं पड़ती परन्तु अन्तर-में कर्म बन्धन का अधिक निमित्त उपस्थित करती है। जब तक हिंसा क्या है नहीं समझे, वहाँ तक अहिंसा का स्वरूप नहीं समझा जा सकता। अहिंसा को जानने के लिए हिंसा को समझना जरूरी है। हिंसा क्या है, कैसे होती है, क्यों त्याज्य है, इन सबको पहिचानने के बाद अहिंसा का पालन सहज हो सकता है। द्रव्य हिंसा योगो के निमित्त से होती है। भाव हिंसा कपायो के निमित्त से। हिंसा के प्रधान दो कारण हैं, एक योग दूसरा कपाय। जिसने कपायों को जीत लिया, राग-द्वेष पर विजय पा ली, उनसे हिंसा नहीं होती।

द्रव्य हिंसा नहीं हो ऐसे संस्कार तो हममें हैं। किसी श्रावक से कहा जाय—यह मक्खी चल रही है इसे मार दे तो वह उसे नहीं मारेगा। मारने का कहने पर जवाब में वह कहेगा—मैं जैन हूँ, मैं किसी जीव को नहीं मारता। द्रव्य हिंसा करे, ऐसे संस्कार उसमें नहीं हैं। द्रव्य हिंसा नहीं करने वाला राग को उतना बुरा नहीं मानता।

अट्टारह पापों में पहला पाप है--प्राणातिपात। जैसे प्राणी की घात नहीं करने के संस्कार हैं, वैसे दूसरे पापों से बचने के संस्कार नहीं। थोड़े से प्रलोभन के लिए झूठ बोल जायेंगे। इनकम टैक्स-सेल्स टैक्स की चोरी को आप चोरी मानते हैं, या नहीं? चोरी चाहे इनकम टैक्स की हो, चाहे सेल्स टैक्स की हो, चोरी तो चोरी ही है पर उसे आप कितना मानते हैं?

मैं द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा की बात कह रहा हूँ। कभी-कभी द्रव्य हिंसा नहीं होते हुए भी भाव हिंसा हो जाती है और भाव हिंसा से कर्म बंधते हैं। 'भगवती सूत्र' में उल्लेख है कि एक सातवीं नरक से निकलने वाला जलचर जन्तु पतन-मानवी नरक में चला जाता है। एक हजार गोचर करने पतन की

मच्छ से ज्यादा कर्म-बन्ध कर लेता है। मच्छ हजारों जल-जन्तुओं को खाता रहता है। फिर भी मन नहीं होने के कारण वह भाव हिंसा का अधिकारी नहीं बनता। वह मरकर नारकी में चला जाता है पर वह पहली नरक से आगे नहीं जाता। परन्तु उस मच्छ की भौहों पर बैठा तेन्दुल मच्छ जिसके मन भी है, वह सोचता है कि मेरी इतनी बड़ी देह हो तो मैं एक भी जानवर को नहीं बचने दूँ, सबके सबको खा जाऊँ। इस भावना से ऐसे कर्म का बन्ध कर लेता है कि वह मर कर सातवीं नरक में जाता है। तेन्दुल मच्छ का आयुष्य अन्तर्मुहूर्त का है। देह छोटी है पर मन है इस कारण भाव हिंसा से वह सातवीं नरक का मेहमान बनता है और जो द्रव्य हिंसा करता है, लम्बा आयुष्य है वह मरकर नरक में जायगा तो पहली नरक से आगे नहीं। आप द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा के इस अन्तर को समझें।

मनुष्य के मन है। मन है तो बन्ध और मोक्ष का कारण है। एक संत प्रवचन कर रहे थे प्रवचन सभा में ठाकुर साहव भी बैठे थे तो उनके कुवर सा० भी। प्रवचन में अहिंसा का विषय चल रहा था। महाराज ने शिकार को लेकर प्रवचन प्रारम्भ किया। प्राणियों को मारना बड़ा पाप है। पाप से क्या हानियाँ होती हैं? प्रवचन के माध्यम से महाराज समझा रहे थे। प्रवचन समाप्त होते ही कुंवर साहव पूछने लगे—महाराज! जीव मरता है तो आयुष्य समाप्त होने पर मरता है या मारने से मरता है? महाराज प्रत्युत्तर में कहते हैं—निश्चय से तो आयुष्य समाप्त होने पर मरता है और निमित्त से मारने पर मरता है।

कुवर साहव आगे कहते हैं—महाराज! मैं एक दिन शिकार के लिए गया। हिरणों की टोली थी। मैं जिस हिरण को मारना चाहता था वह तो आगे निकल जाने से बच गया और दूसरा हिरण जिसे मैं मारना नहीं चाहता था, उसे गोली लगी। जिसको मारना नहीं चाहता था उसे गोली लगी और वह मारा गया। महाराज ने कहा—द्रव्य हिंसा मरने वाले के लिए हुई, भाव हिंसा नहीं मरा उसके प्रति हो गई।

**अनर्थदण्ड से बचें :**

ज्ञानी कहते हैं भावना के साथ बहुत सारे कर्म बन्ध होते हैं। आरम्भ को अनुमोदना करके भी कर्म बन्ध हो जाते हैं। आप श्रावक हैं, आपके वारह अणुव्रत हैं उसमें वारहवां व्रत है अनर्थ दण्ड। अनर्थ दण्ड में बिना कारण हिंसा होती है। कुछ हिंसा मतलब से होती है वही बिना मतलब से भी हिंसा होती है उसे अनर्थ दण्ड कहा गया है। आप गृहस्थ हैं इसलिये अर्थ दण्ड से नहीं बच सकते, परन्तु अनर्थ दण्ड से तो बचना ही चाहिये।

आज अनर्थ दण्ड से बचने की ओर प्रायः कम ख्याल जाता है। आप कहीं भोजन करने जायें, भोजन कर लिया पर वहाँ तक सीमित नहीं रहते किन्तु भोजन सामग्री को देखकर एक-दूसरे को कहकर अनुमोदना करते हैं। आप



गृहस्वामी को खुश करने के लिए कहते हैं—रसोई बहुत बढ़िया बनी है। आपका इतना कह देना कि खाना बहुत बढ़िया बना है हिंसा की अनुमोदना हो गई। आप भोजन करके रवाना हो गए, जैसा बना था, खा लिया, यह अनर्थ दण्ड है परन्तु गृहस्वामी को खुश करने अथवा भोजन की तारीफ बार-बार करने से अनर्थ दण्ड का कर्म बन्धन होता है, इससे बचे।

आप कहां-कहां अनुमोदना करके कर्म बन्धन करते हैं, इसका कहीं कोई हिसाब ही नहीं। किसी का मकान देखा तो उसकी अनुमोदना कर देंगे, किसी का कपड़ा देखा तो उसकी अनुमोदना कर देंगे, जेवर देखा तो जेवर की अनुमोदना कर देंगे। अच्छे भले समझदार आदमी भाषा का बचाव भले ही कर ले भावों का बचाव नहीं कर पाते, इससे अनर्थ दण्ड कर्म बधते हैं।

प्राचीन समय में श्रावक छः काय के आरम्भ से बचने का जैसा ख्याल रखते थे, वैसी रूपरेखा आज कम देखने को मिलती है। पाप कर्म से बचना विवेकी श्रावक का कर्तव्य है। अनर्थ दण्ड से जितने-जितने बचे रहेंगे, उतनी-उतनी भाव हिंसा से बचा रहा जा सकेगा। अर्थ दण्ड की अपेक्षा अनर्थ दण्ड ज्यादा होता है। आज कोई सलाह मागे, नहीं मागे फिर भी कई भाई अपनी सलाह देने से नहीं चूकते। ऐसे भाई अनर्थ दण्ड से कर्मबन्ध के स्वरूप को नहीं जानते, इसलिए बिना पूछे सलाह देते हैं। आप बोलते हैं :—

अवभाणाचरिए पमायाचरिए हिसप्पयाणे पावकम्मोवएसे

आदमी बुरा चिन्तन करके भी कर्मबन्ध कर लेता है। विल्ली के कहने मात्र से छीका नहीं टूटता, ऐसे ही बिना मतलब के बात करना, बिना प्रयोजन सलाह देना ये सब कर्म बन्ध के कारण हैं, अनर्थ दण्ड है। कई भाई टोना करते हैं, कामण करते हैं यह सब अनर्थ दण्ड का सेवन है। प्रमादवश वर्तन रख दिया और रात में सो गये। मक्खी-मच्छर मरते हैं यह हिंसा अनर्थ दण्ड का पाप है। जरूरत है तब विजली का उपयोग करे यह अर्थ दण्ड है परन्तु जरूरत नहीं है फिर भी विजली जल रही है। दातून एक लोटे में भी हो सकता है पर नल खोल दिया, कितना पानी व्यर्थ गया, उसका कोई हिसाब ही नहीं। आप स्नान करते हैं, एक बाल्टी में भी स्नान हो सकता है परन्तु घंटों नल के नीचे बैठने वाले अनर्थ दण्ड के स्वरूप को जानते ही नहीं कि बिना मतलब वयो पाप कर्म का बन्ध किया जाय ?

भगवान ने छः काया के जीवों से बचने के लिए उपदेश दिया। अहिंसा व्रत को लेकर छः जीवनी व्रताई। आप जब तक हिंसा के रूप को समझेंगे नहीं, अहिंसा की पालना कैसे करेंगे ? यतनापूर्वक कर्म बन्ध से बचना गृहस्थ जीवन के लिए भी जरूरी है। आज कई भाई केवल देखा देखी अनर्थ दण्ड के

भागी भागी बनते हैं। चाय पीने वाले चाय पियेगे तो थोड़ी, चाय बचाकर रखते हैं। चाय कप में बची रहेगी तो उसमें मक्खी गिरने की सम्भावना है, जीव हिंसा हो सकती है, यह अनर्थ दण्ड है। पुराने जमाने के कई श्रावक थाली धोकर पीते थे। उनका लक्ष्य जीव-हिंसा के पाप से बचा रहने का था।

**अहिंसा का विवेक जागृत करे :**


पुराने श्रावकों के विवेक की मैं क्या बात कहूँ। वे हिंसाकारी अस्त्र-शस्त्र दूसरों को दे, वह तो दूर की बात, वे तो अपने घर का सरौता या चाकू तक दूसरों को नहीं देते थे। आज इतना उपयोग नहीं रहा। इससे अनर्थ दण्ड का पापकर्म, अनर्थ दण्ड की हिंसा बढ़ी है। एक बहिन घर में जरूरत के अनुसार आचार डाले, वहाँ तक तो ठीक परन्तु वह बहिन घर-घर जाकर कहे—मैं आचार डालूँ, मेरे हाथ का आचार साल भर खराब नहीं होता—ऐसा कहना और करना अनर्थ दण्ड रूप हिंसा है। बिना मतलब की हिंसा से बचने के लिए जानियो ने अनेक बातें बताई हैं। जानियों की बातों को हृदयंगम नहीं किया जा सकता है, इसलिए अनर्थ दण्ड बढ़ रहा है। किसी की लड़की बड़ी हो गई तो कहेगा—इसकी शादी कर देना। उसके शादी करने या कहने का कोई मतलब नहीं, परन्तु कहे बिना नहीं रहा जाता—

तेल नहीं, ताकलो नहीं, काढती फिरे पुआ।  
पूछे ताछे कोई नहीं, हूँ लाडा री भुआ।।

किसी को कहेगा—मकान बना ले। किसी का खेत है तो कहेगा—बो दे। वह बोये तो क्या, न बोये तो क्या, परन्तु जिसे कहे बिना नहीं रहा जाता वह अनर्थ दण्ड कर्म का बन्ध कर लेता है। बिना मांगे सलाह देने को तैयार रहना अनर्थ दण्ड है, भाव हिंसा का कारण बन सकता है।

भगवान ने अनर्थ दण्ड से बचने को कहा है। व्यर्थ में अनुमोदन कर कर्म-बन्ध से बचा रहना श्रावक का धर्म है, अहिंसा का सुन्दर रूप है। आप द्रव्य हिंसा से बचे, अनुमोदन रूप भाव हिंसा से बचे। आप भाव हिंसा से बचेंगे तो आत्मिक गुणों का घात नहीं होगी। द्वेष से बचना उतना कठिन नहीं है, जितना कि राग से। आप वीतराग वाणी जीवन में उतारेंगे तो मुख, शान्ति, और आनन्द के भागीदार बनेंगे।





# Relevance of Ahimsa

□ Shri D. R. Mehta

We are living in a paradoxical situation. While on the one hand, modern civilisation is characterised by a concern for fellow human beings, on the other, the foremost problem of our age is growing violence, both in thought and action. A child in Europe may have sympathy and extend help to one of his ilk in Africa who may not have adequate food to eat or medicine to save his body against disease. As never before, this spirit of compassion has permeated state policies and the result is that we have so many enlightened welfare states in the world in which the poor and weak are taken care of at public expense. There are many international organisations as well which are equally concerned and are making significant contribution in arousing conscience as also directly alleviating human misery and suffering. But juxtaposed is the spread of violence at individual, national and international levels, on scales which are unprecedented. The crime rate has increased many-fold because of growing greed, intolerance, other undesirable and unchecked propensities, and ready availability of sophisticated weapons. Indeed, in some countries, holding firearms is a fundamental right of citizens. Terrorism is becoming common and respectable.

At the international level, the situation is horrendous. The expenditure on arms and armaments has increased many-fold because of hatred and intolerance of other countries and their ideologies. The most shuddering situation is in the form of unabated development and stockpiling of nuclear weapons and their delivery systems. Two small rudimentary atom bombs used at Hiroshima and Nagasaki killed and maimed several lakhs of people. Much bigger and more sophisticated fission and fusion weapons and multi-headed intercontinental ballistic missiles are now capable of destroying the entire life on this planet several times over. Use of one such bomb or device either by design or accident would result in immediate retaliation and escalate into a total nuclear war and complete holocaust.

More and more people all over the world are realising that the answer to present problem of violence is to be found in a morality which replaces ravenous greed with contentment, hate with tolerance, and killing with reverence for life. There are many enlightened and eminent scientists, intellectuals and religious leaders who are talking in this positive language. At the common man's level also, awareness to these dangers of violence is growing. Many protest groups are contributing their mite in arousing the human conscience further. Principles of Ahimsa, Satya, Aparigraha, Anekantwad, etc. assume great relevance in this context.

One of the basic commandments of Jainism is Ahimsa. Ahimsa is Parmodharma. Acharang Sutra states, "thus say all the perfect souls and blessed ones, whether past, present or to come— thus they speak, thus they declare, thus they proclaim : All things breathing, all things existing, all things living, all beings whatever, should not be slain or treated with violence, or insulted, or tortured, or driven away. This is the pure unchanging eternal law, which the wise ones who know the world have proclaimed, among the earnest and the non-earnest, among the loyal and the non-loyal, among those who have given up punishing others and those who have not done so, among those who are weak and those who are not, among those who delight in worldly ties and those who do not. This is the truth. So it is. Thus it is declared in this religion".

Jainism believes in the plurality and equality of living creatures. Since no body wants to be hurt or killed, the general rule should be that nobody should be hurt or killed. This rule of conduct is not confined only to man but extends even to the smallest of small creatures. It is amazing that more than 2500 years ago, when scientific devices to detect micro creatures were not available, Mahavir stated that there were small living creatures in wind and water and enjoined his followers to avoid, to the extent possible, their killing as well.

This kind of comprehensive concept of Ahimsa is unknown in the philosophical world. Indeed, Albert Schweitzer, while dealing with Jainism in his book *Indian Thought and Its Development*.

that "the laying down of the commandment not to kill and not to damage is one of the greatest events in the spiritual history of mankind..... So far as we know it is for the first time clearly expressed by Jainism".

The concept of Ahimsa as developed by Jainism has many significant features. These are .

- ( i ) Ahimsa is not be practised at the physical level only but at mental one as well Apart from *Jiva* or *Dravya* Ahimsa there is a *Bhav* Ahimsa In another form, it is stated that there should be no Himsa by "*Man*" (mind), "*Vachan*" (speech), or "*Kaya*" (body) Even hurting feelings is himsa,
- ( ii ) The concept of Ahimsa means that one would not kill, get killing done, or approve any killing
- (iii) Himsa or violence and "*Parigraha*" or possession are intimately connected In fact, the biggest cause of Himsa is possession. Thus to achieve Ahimsa, physical possession and the spirit of possession would have to be restricted.

Jainism believes that the first steps of Ahimsa would have to be taken at the individual level Individuals though their number may be small, would have to truly and sincerely practise Ahimsa in their daily life Cruelty and killing of even small creatures brutalises a man. Indeed, one of the ways of preparing good soldiers in the past was to ask them to kill animals so that they got hardened and, in war were capable of killing man.

In the present day world, with religion getting separated from daily life and spreading commercialisation killing has increased many-fold and sensitivity to life, whether animal or human, has declined in proportion. The need, therefore, is that this trend should be reversed and man should be made more humane not only in relation to man but also for other living creatures With personal commitment to Ahimsa and personal transformation of individual, the real remedy to violence would be found.

One of the major problems with many of the protest groups trying to fight against violence at national and international levels is that personally they are not non-violent. One of the reasons why Gandhiji also could not succeed was that a large number of his followers were wanting to be non-violent at the social level but were violent at the personal level. On 15th August, 1947, Gandhiji was the most disillusioned man in this world because his emphasis on purity of personal conduct as a pre-condition for purity of social conduct was not heeded by his own followers.

As mentioned earlier, part of Himsa grows from acquisitiveness, Jainism does not subscribe to forced poverty but suggests that wants should be minimised voluntarily and there should be no grabbing at any level. Many economic systems today are based only on promoting wants rather than curbing them. This is having disastrous results. One of them is that we are exhausting the non-replenishable resources of this world, another is that material goods and money are becoming the measures of man. Internationally, this spirit is leading to regional and world conflicts. Here again, the start would have to be made from the individual and his mind would have to be changed.

Another malady of our age is general intolerance. While science has been a great boon both in promoting material prosperity and rationalism it has made our thinking, even in areas other than science, extremely definitive. We learn that two and two can only be four and tend to carry the same certitude into social matters, though they are of a different character. The result is that those who do not agree with us are treated as wrong. Earlier dogmatism was based on ignorance. Now it is caused by certitude arising out of rational thinking. What is not being realised is that knowledge is relative. The faculties that we possess are limited. Even as compared to small creatures, our senses are much less developed. For example, dog may have a far better sense of smell and an eagle may have far more developed eye sight. Even in comparison with such creatures, when our senses are so poor how can we claim absolute knowledge.

Jainism has its philosophy of Syadvad. It is a seven-fold logic which replaces certitude with relativity in thinking. According to this principle, one may be right or one may be wrong. Even the opponent may be right. If one acquires this mental attitude, one cannot but be tolerant. In this there is no place for dogmatism. This is one of the great contributions of Jainism to world thought; its application to personal conduct could make the world a safe place. The present ideological conflicts that we witness today would not be as intense as they are now if this principle could permeate the minds of adversaries.

It is also worth mentioning here that, mistakenly, the negative aspect of Ahimsa has been over-emphasised at the expense of its positive form. While non-killing is certainly essential, Ahimsa in its positive form means reverence for life, which in turn calls for compassion and service. In Jainism, for attaining Moksha Samyak Jnan (pure knowledge), Samyak Darshan (pure doctrine), and Samyak Charitra (pure conduct) are essential. To achieve Samyak Darshan or pure doctrine there are five requirements, one of them being "Anukampa" or compassion. Besides, the definition of Ahimsa is compassion, according to one of the Shastras (Vishesh Awashyak Sutra) which deals with the Ahimsa in 60 ways. Mahavir also speaks of "Maitri" "Vatsalya", "Vayavach" etc. It seems that the later Acharyas, who had more of logic than realisation tended to ignore this aspect. If by doctrine, one has to be the friend of all creatures, one is expected not only to indulge in their non-killing but also to help them. In one of the stories relating to the life of Adinath, it is indicated that he attained Tirthankarhood because in one of his earlier lives he treated the people well as a Vaidya. The need, therefore, is to reinforce this compassionate aspect of Ahimsa.

—Deputy Governor, Reserve Bank of India, Bombay



# प्राणिहिंसा से बढ़कर कोई अकार्य नहीं

□ आचार्य श्री आनन्द ऋषिजी म. सा.

यों तो दुनिया में बहुत से अकार्य हैं, जिन्हें मनुष्य कु-संस्कारवश करता आ रहा है, परन्तु उन सबमें सबसे निकृष्ट अकार्य है—'प्राणिहिंसा'। इसलिए गौतम महर्षि ने गौतमकुलक के ५२वें जीवनसूत्र में स्पष्ट बता दिया है।

“न प्राणिहिंसा परमं अकञ्जं ।”

‘प्राणिहिंसा से बढ़कर ससार में कोई अकार्य नहीं है।’

प्रश्न होता है—प्राणिहिंसा क्या है? उसके मुख्य-मुख्य कितने रूप हैं? वही सबसे बढ़कर अकार्य क्यों है?

प्राणिहिंसा क्या है?

हिंसा के स्थान पर जैनशास्त्रों में यत्र-तत्र ‘प्राणातिपात’ शब्द अधिकांश रूप में प्रयुक्त है। प्राणातिपात का सीधा-सा अर्थ है—प्राणों का अतिपात—विनाश करना। प्राण का अर्थ केवल श्वासोच्छ्वास ही नहीं है, जैनधर्म का यह पारिभाषिक शब्द है। जैनशास्त्रों में १० प्राण माने गये हैं, वे इस प्रकार हैं—

(१) श्रोत्रेन्द्रियवलप्राण, (२) चक्षुरिन्द्रियवलप्राण, (३) घ्राणेन्द्रिय-वलप्राण, (४) रसनेन्द्रियवलप्राण, (५) स्पर्शेन्द्रियवलप्राण, (६) मनोवलप्राण, (७) वचनवलप्राण, (८) कायवलप्राण, (९) श्वासोच्छ्वासवलप्राण और (१०) आयुष्यवलप्राण।

इन दस प्राणों में से जितने जिस प्राणी के नियत हैं, उतने प्राणों को धारण करने वाला ‘प्राणी’ कहलाता है। प्राणियों के उक्त १० प्राणों में से किसी भी प्राण का विघात या वियोजीकरण करना प्राणों से रहित कर देना प्राणातिपात या प्राणिहिंसा है।

बहुत से स्थूल दृष्टि वाले व्यक्ति यह सोचते हैं कि किसी का श्वास बन्द कर दिया—रोक दिया अथवा किसी का आयुष्य खत्म कर दिया—इतना ही प्राणातिपात या हिंसा का अर्थ है। लेकिन यह अर्थ अधूरा और एकांगी है। किसी प्राणी का दम घोट देना या श्वास रोक देना या आयुष्य खत्म कर देना तो प्राणातिपात या हिंसा है ही। इसके अलावा भी पाँच इन्द्रियाँ और मन, वचन और काया ये तीन बल भी प्राण हैं, इनका विघात या वियोग कर देना भी हिंसा है।



जैसा कि शीलाकाचार्य ने 'सूत्रकृतांगवृत्ति' में कहा है—

पंचेन्द्रियाणि त्रिविधं बलं च, उच्छ्वास-निःश्वासमथान्यदायुः ।

प्राणा दशैते भगवद्भिरुक्तास्, तेषां वियोजीकरणं तु हिंसा ॥<sup>१</sup>

अर्थात्—पाँच इन्द्रियाँ, तीन बल (मन, वचन और काया), श्वासोच्छ्वास एवं वायु, ये दस प्राण तीर्थकर भगवान ने कहे हैं। उनका वियोग करना—उनसे प्राणी को रहित कर देना ही हिंसा है।

हाँ, तो मैं कह रहा था कि केवल एक-दो लोकप्रसिद्ध प्राणों का ही नहीं, दस प्राणों में से किसी भी प्राण से जीव को रहित कर देना हिंसा है। बहुत से लोग किसी प्राणी का दम घोट देने या श्वास रोक देने को हिंसा नहीं मानते। प्राचीन काल में एक खारपटक मत था, जो किसी को तलवार, बटूक, लाठी आदि शस्त्र से मार डालने को ही हिंसा मानता था। किसी दुःखी या पीड़ित व्यक्ति के श्वास बंद कर देने को वह हिंसा नहीं मानता था बल्कि इसे 'घटचटकमोक्ष'<sup>२</sup> कहा जाता था। जैसे घड़े में चिड़िया को बंद करके चारों ओर से उस घड़े का मुँह बन्द कर देने पर चिड़िया अपने आप ही जीवन से मुक्त हो जाती है उसी तरह इस मत वाले लोग इस जीवन से मुक्त होने के इच्छुक व्यक्ति को एक ऐसे कमरे में बंद कर देते थे, जिसमें कहीं से भी हवा का प्रवेश नहीं होता था। फलतः वह व्यक्ति दो-चार मिनट में ही श्वास बंद होने से मर जाता था परन्तु यह सरासर प्राणविघात है। इससे इन्कार कैसे किया जा सकता है। किसी का कान फोड़ देना, उसकी श्रवण शक्ति को नष्ट कर देना अथवा दण्ड देने हेतु कानों में गर्म शीशे का रस डाल देना, कान काट लेना, यह श्रोत्रेन्द्रिय-बलरूप प्राण का विघात है। इसी प्रकार किसी की आँख फोड़ देना, आँखों की देखने की शक्ति नष्ट कर देना, आँखों में सलाई भोंककर उन्हें खत्म कर देना, यह चक्षुरिन्द्रियबलरूप प्राण का विनाश है। घ्राणेन्द्रिय (नाक) काट लेना, नाक की घ्राण (गन्ध) ग्रहण की शक्ति त्रिनष्ट कर देना भी घ्राणेन्द्रियबलप्राण से रहित करना है। रसनेन्द्रिय (जीभ) काट लेना, या जीभ की चखने या बोलने की शक्ति नष्ट कर देना रसनेन्द्रियबलप्राण से रहित करना है, इसी प्रकार स्पर्शेन्द्रिय (खास तौर से जननेन्द्रिय) को काट लेना या उसकी शक्ति नष्ट कर देना स्पर्शेन्द्रियबल-प्राणातिपात है। किसी की मानस शक्ति को नष्ट कर देना, उसके मन की मनन-चिन्तन करने की शक्ति को समाप्त कर देना, उसे पागल या विक्षिप्त कर देना, मनोबलप्राण का अतिपात है। इसी प्रकार

१ सूत्रकृतांगमूत्रवृत्ति १।१।३

२ धननवपिपामिताना विनेयविरवाप्तनायदर्णयताम् ।

भट्टिनिघटचटकमोक्ष आद्येय नैव खारपिटकानाम् ॥

किसी की वाचिक शक्ति को—बोलने की शक्ति को नष्ट कर देना, गूगा बना देना, वाचिकबल को विपरीत कर देना वचनबल प्राणातिपात है। इसी प्रकार किसी के शरीर को क्षत-विक्षत (घायल) कर देना, शस्त्र से मारपीट देना, शरीर को तीखे नोकदार शस्त्र से गोद देना, शरीर के अंगोपांगों को काट डालना, शरीर को हानि पहुँचाकर वेडोल कर देना, ऐसा कर देना जिससे शरीर से उठा-वैठा न जा सके, यह सब कायबलप्राण का प्रतिपात (विघात) है। इसी प्रकार किसी का श्वासोच्छ्वास रोक देना, तथा किसी को आयुष्य से रहित कर देना, ये दोनों प्राणातिपात (हिंसा) के प्रकार तो प्रसिद्ध ही हैं।

प्राणियों के ये १० प्राण एक प्रकार से बल हैं, जीवनी शक्तियाँ हैं। इन प्राणों के सहारे प्राणी अपनी निर्धारित या पूर्ववद्ध आयुष्यबन्ध तक जीवित रहता है परन्तु प्राणिहिंसा करने वाला उसे अकाल में ही—समय से पहले ही—नष्ट कर देता है, यही हिंसा है। पूर्वकर्मोदयवश किसी प्राणी के इन १० प्राणों में से किसी भी प्राण का स्वत (किसी भी निमित्त से) नष्ट हो जाना, हिंसा नहीं है। इसी प्रकार प्राणायाम करने के लिए स्वयं रेचक-पूरक-कु भक करना, श्वास रोकना, बाहर निकालना, अदर लेना प्राणातिपात या हिंसा नहीं है, और न ही कायोत्सर्ग, मौन, त्राटक या अन्य ध्यान, योगाभ्यास या योगासन करते समय पाँचो इन्द्रियो तथा मन, वचन, काया को स्वयं रोकना, स्थिर एव एकाग्र करना प्राणातिपात नहीं है और न ही सकाम निर्जरा एवं कर्मक्षय हेतु किये जाने वाले अनशन, अवमौदर्य, कायक्लेश आदि किसी भी तप द्वारा स्वेच्छा से शरीर को कृण करना, इन्द्रियो को मन्दविषय बनाना या शरीर को मन्दकषाय बनाना, प्राणातिपात है। यह शरीर, इन्द्रियों आदि, पर अत्याचार नहीं है, स्वेच्छा से स्वीकृत तप है, आत्मविकास के अनुकूल शरीर इन्द्रियों और मन को बनाने की एक सयम प्रक्रिया है।

### द्रव्यहिंसा और भार्वाहिंसा :

इसलिए हिंसा होना और हिंसा करना, इन दोनों में महदन्तर है। इन दोनों के पीछे परिणामो में अन्तर है। इसे एक दृष्टान्त द्वारा समझाता हूँ—एक डॉक्टर बहुत ही सहृदय, नामी और परोपकारी है। उसके पास एक दिन ऐसा रोगी आया, जिसका रोग दुःसाध्य था। डॉक्टर ने उसके स्वास्थ्य की जाँच करके कहा—“इसका आपरेजन होगा। आपरेजन बड़ा जोखिमी है।” रोगी और उसके घर वाले आपरेजन कराने के लिए महमत हो गये। डॉक्टर ने विधिवत् आपरेजन करना शुरू किया। पहले तो आपरेजन ठीक चला। किन्तु सावधानी में आपरेजन करने हुए भी अकस्मात् रोगी की एक नम कट गई, उसमें उसकी तत्काल मृत्यु हो गई। डॉक्टर ने रोगी को जान-बूझकर नहीं, उसके हृदय में रोगी की मृत्यु के लिए बहुत पञ्चान्नाप है। रं निश्चेदारो को उसने अश्रुपूर्ण आँसुओं में यह समाचार सुनाया, उसमें डॉ

प्रेक्टिस को भी थोड़ा धक्का लगा । मगर डॉक्टर ने रोगी की हिंसा की नहीं है, उसकी हिंसा हो गई है ।

अब एक और दृष्टान्त, इससे ठीक विपरीत समझ लीजिए । एक ऐसा डॉक्टर है, जिसे मालूम हो गया कि रोगी के पास काफी धन है, साथ में लाया है, नौकर के सिवाय इसका कोई रिश्तेदार साथ में आया नहीं है । डॉक्टर ने रोगी को ऑपरेशन की सलाह दी । रोगी सहमत हो गया । डॉक्टर ने रोगी का ऑपरेशन करते-करते ही एक नस जान-बूझकर काट दी, जिससे रोगी की तत्काल मृत्यु हो गई । लोभी डॉक्टर ने रोगी की वह थैली तुरन्त अपने कब्जे में करली और झूठे आँसू बहाते हुए नौकर को रोगी की मृत्यु की सूचना दी । वह बेचारा क्या कर सकता था ? यहाँ डॉक्टर ने रोगी की हिंसा की है, हुई नहीं है ।

अब एक तीसरा दृष्टान्त लीजिए, एक लोभी डॉक्टर का । उसने देखा कि रोगी अपने साथ बहुत पूजी लाया है । रोगी से उसने कहा कि तुम्हारा रोग दुःसाध्य है, इलाज कर रहा हूँ, भगवान् करेगा तो ठीक हो जाएगा । इलाज करते-करते डॉक्टर के मन में लोभ जागा । एक दिन उसने रोगी की दवा में जहर की पुड़िया घोलकर कहा— 'लो यह दवा पी जाओ, इससे तुम्हारा रोग समूल नष्ट हो जाएगा ।' डॉक्टर पर विश्वास करके वह दवा पी गया । भाग्यवश वह जहर ही उसके लिए अमृत गया । कहावत है—'विषस्य विषमौषधम्' विष का निवारण करने हेतु विषमय औषध होता है । रोगी एकदम स्वस्थ हो गया । रोग नष्ट हुआ जानकर रोगी और उसके रिश्तेदारों से डॉक्टर को बहुत धन्यवाद और इनाम दिया । किन्तु डॉक्टर का मनोरथ सफल न हुआ । वह मन से और कर्म से रोगी की हत्या कर चुका था, यह तो रोगी का आयुष्यवत् प्रवल था कि वह जिंदा रह गया । इस दृष्टान्त में डॉक्टर ने जान-बूझकर हिंसा करने की चेष्टा की है । अतः हिंसा करने का अपराधी डॉक्टर हो चुका है ।

आचार्य हरिभद्र सूरि ने द्रव्यहिंसा और भावहिंसा की चौभंगी इस प्रकार बताई है—

- १—एक में द्रव्य से हिंसा होती है, भाव से नहीं ।
- २—दूसरा द्रव्य से भी हिंसा करता है, भाव से भी ।
- ३—तीसरा भाव से हिंसा करता है, द्रव्य से नहीं ।
- ४—चौथा न द्रव्य से हिंसा करता है, न भाव से ।

पूर्वोक्त तीन दृष्टान्त क्रमशः प्रथम द्वितीय और तृतीय अंग के दृष्टान्तों में

एक व्यक्ति मच्छीमार है, वह घर से मछली पकड़ने का जाल लेकर चला है। नदी में जाल डालने पर चाहे वह एक भी मछली न पकड़ सका हो, फिर भी भाव से उसने मछलियों की हिंसा कर दी है, इसलिए वह हिंसा का भागी हो गया, भले ही उसने एक भी मछली न पकड़ी हो या न मारी हो। अथवा एक व्यक्ति ऐसा है जिसने स्वयं हिंसा नहीं की है, दूसरा ही व्यक्ति उसके किसी दुश्मन को मार रहा है, किन्तु जिस समय वह दूसरा व्यक्ति उसके शत्रु को मार रहा है, उस समय वह खड़ा-खड़ा कह रहा है—“अच्छा हुआ, इसको तो ऐसी ही सजा मिलनी चाहिए थी। यह इसी दण्ड के योग्य है।” इसमें मारने वाले को तो फल मिलता ही है, किन्तु जिस व्यक्ति ने बिलकुल प्रहार नहीं किया है, केवल दूसरे के द्वारा की जाने वाली हिंसा का जोरशोर से समर्थन—अनुमोदन करता है इसलिए हिंसा न करने पर भी ऐसा व्यक्ति हिंसा के फल का भागी हो गया।


एक अप्रमत्त साधु या वीतरागी साधु है, नदी पार करते है, किन्तु बहुत ही यतनापूर्वक; फिर भी कई जल-जन्तु उनके पैर के नीचे आकर (कुचल कर) मर जाते है, इतना होने के बावजूद भी उनके हिंसाजन्य पापकर्म का बन्ध नहीं होता और न ही उस हिंसा का फल मिलता है ?<sup>१</sup>

### हिंसा का लक्षण :

निष्कर्ष यह है कि हिंसा का—विशेषतः संकल्पजा हिंसा का—जब तक व्यक्ति त्याग नहीं करता, तब तक चाहे वह हिंसा न कर सके, किन्तु हिंसाजन्य पाप तो उसे लगता ही रहेगा। इसीलिए पुरुषार्थ सिद्धयुपाय में बताया गया है कि व्यक्ति बाहर में हिंसा चाहे कर सके या न कर सके, किन्तु अगर क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, मोह आदि के वश हिंसा का परिणाम मन में आ गया तो हिंसा हो जाती है। जैसे—दियासलाई जलती है, तब वह चाहे इन्हीं को जला सके या व्यक्ति सावधान हो तो न भी जला सके, परन्तु उमड़ा अन्न मूँह तो जल ही जाता है, उसी प्रकार कोई व्यक्ति दूसरों को हानि पहुँचा सके या न पहुँचा सके, दूसरों को मार सके या न मार सके। वह अपने अन्त में आत्म-हिंसा तो कर ही लेता है। जब भी रागादि या कषायादि का नाश उन्मत्त हुआ कि स्वहिंसा हो जाती है।

१ प्रविषायापि हिंसा, हिंसाजन्य पापकर्मकः ।

इन्द्राप्यपरो हिंसा हिंसाजन्य पापकर्मकः ॥—१११



## वात्सल्य भाव

□ आचार्य श्री नानेश

आज मनुष्यों की जो दयनीय दशा बन रही है, वे किनकी शरण में जाएँ ? दुःख से निवृत्ति लेने हेतु, जो परिपूर्ण सुखी है, उनकी शरण लेने से ही वे सुखी बन सकते हैं। पर दुःखी व्यक्ति के पास जाने से वे अपने दुःखों से निवृत्ति नहीं प्राप्त कर सकते हैं। जैसे—एक भिखमगा दूसरे भिखमगे से भूख-निवारण करने हेतु कहे, तो क्या वह भिखारी उस भिखमगे की भूख मिटा सकता है ? उत्तर होगा—नहीं। ठीक इसी प्रकार ससार में सभी व्यक्ति दुःखी हैं। उनके पास जाने से दुःख की निवृत्ति नहीं हो सकती है। इसी प्रकार भौतिक पदार्थों की याचना करने वाले, भौतिक पदार्थों में आसक्त ससारियों को भिखमंगे की उपमा दे दी जाए, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। क्योंकि प्रायः सभी संसारी, तृष्णा के आवेग में बहते हुए भिखमगे के रूपक को ही धारण किये हुए हैं। यही नहीं देव, जो अमित ऐश्वर्य के स्वामी है, उनकी भी तृष्णा का अन्त नहीं है। बड़ी विचारणीय स्थिति है कि निजी स्वरूप को छोड़कर जीव पर-स्वरूप में रमण कर रहा है, उनमें ममत्व रख रहा है। ऐसी तृष्णा वाले चाहे लखपति, करोड़पति भी क्यों न हों, दूसरों के दुःख दूर करने में समर्थ नहीं हो सकते हैं। पर जो पर-पदार्थों के व्यामोह में न पडकर साधना के बलवृत्ते पर आध्यात्मिक सम्पत्ति के स्वामी बन चुके हैं, उनका सान्निध्य, उनकी शरण ग्रहण करने से ही दुःखों से छुटकारा पाया जा सकता है। शातिनाथ भगवान् जब चक्रवर्ती थे, तब उनके पास छः खण्ड की ऋद्धि थी, फिर भी आध्यात्मिक सुख की अपेक्षा रखने वाले, आध्यात्मिक लक्ष्मी को प्राप्त करने हेतु छः ही खण्डों का राज्य उन्होंने छोड़ दिया। उन्होंने मोचा कि आत्मिक ऋद्धि अभी तक मुझे मिली नहीं है, यदि इस भौतिक ऋद्धि में ही खुशी मनाता रहा तो मैं भिखारी ही रहूँगा। अतः छः खण्ड का राज्य छोड़कर वे अरण्यगार बन गये। जैसा कि 'उत्तराध्ययन' सूत्र में यह बतलाया गया है कि—

“चडत्ता भारह् वास, चक्कवट्टी महद्धिओ ।  
 'सन्ती' सन्तिकरे लोए, पत्तो गडमणुत्तरम् ॥”

अर्थात्—शांति देने वाले शातिनाथ नामक महासमृद्धिशाली चक्रवर्ती इस लोक में भरत क्षेत्र के, छः खण्ड के राज्य को छोड़कर अर्थात् अतीव रमणीय कामभोगों का परित्याग करके प्रधान गति मोक्ष को प्राप्त हुए। जिनके ज्ञान में,

जिनके हृदय में संसार के प्रत्येक प्राणी के प्रति अपूर्व वात्सल्य-भाव था, ऐसे भाव के स्वामी, सभी के कल्याण का पथ प्रणस्त करने वाले वीतराग देव बन गये। यदि हमारी आत्मा कर्म-प्रवाह से संसार रूपी वैतरणी में बहती हुई वीतराग भगवान् के वचनों पर दृढ़ आस्थावान् हो जाय, जो कि सम्यक्त्व का लक्षण है, उस लक्षण पर इतनी दृढ़ीभूत हो जाय कि सम्यक्त्व के सभी आचारों का भलीभाँति अपने जीवन में निर्वाह करती हुई एक दिन उस आध्यात्मिक शक्ति रूप श्री का वरण कर सके और उस प्रधान गति मोक्ष को प्राप्त कर सके।

आचरण करने योग्य आठ सम्यक्त्व के आचारों को भव्यात्माओं को आन्तरिक जीवन में ओत-प्रोत कर लेना चाहिये। सातवें स्थान पर जिस आचार का वर्णन आया है, वह है वात्सल्य। माता का पुत्र के प्रति अद्वितीय वात्सल्य रहता है, वह पुत्र के लिए सब कुछ सहन कर लेती है, अनन्य भाव से उसका परिपालन करती है। यह सारी चर्या उस माँ की वात्सल्य भावना का प्रतीक है। इसी प्रकार प्रत्येक प्राणी पर सम्यक्दृष्टि का निःस्वार्थ वात्सल्य बन जाय तो प्रत्येक आत्मा के साथ अनन्य भाव पैदा किये जा सकते हैं। प्रत्येक के साथ आत्मवत् व्यवहार की स्थिति प्राप्त होती है। रूपक है—विल्ली स्वयं की सन्तान को जन्म देने के बाद उन्हें अपने दाँतों के बीच में दबाकर सात घंटों तक फिराती है, तब उन बच्चों की आँख खुलती है—ऐसा कहा जाता है। पर जब वह सात घंटों तक बच्चे को दाँतों के बीच में दबाकर घूमती है, तब अपने बच्चे को जरा भी आच नहीं आने देती। लेकिन यदि किसी पक्षी का बच्चा उसके मुख में आ जाय तो वह उसको खा जाती है। यह तो अज्ञानवश पशु जाति की मोह अवस्था है, पर जो मानव चिन्तनशील है, वह अपने वात्सल्य भाव का विस्तार करना सीखे। स्व-पर का भेद भूलकर सबके साथ आत्मवत् व्यवहार करे। बच्चा जन्म लेता है और माता के स्तन में से दूध एकाएक आने लगता है, यह बच्चे के प्रति माता की वात्सल्यता का ही परिणाम है। जब भगवान् महावीर को चण्ड-कौशिक ने डक मारा, तो भगवान् के पैर के अंगुष्ठ से दूधवत् धारा छूट पड़ी। यह उनकी प्रत्येक आत्मा के प्रति अपूर्व आत्मीयता, अद्वितीय वात्सल्यता का प्रतीक थी। यह माता के जीवन से भी बढ़कर भगवान् के जीवन का वात्सल्य भाव था। डक मारने वाले के प्रति भी वह निःस्वार्थ वात्सल्य भावना दूध की धवलता के रूप में निर्भरित हुई। प्रतिबोधित कर दिया उस चण्डकौशिक को। पर आज कहाँ है निःस्वार्थ वात्सल्य भावना? कहाँ है वह सम्यक्दृष्टि का आचार? कहाँ है माधर्मों के प्रति सहयोग की भावना?

एक समय का प्रसंग है। दुष्काल का समय था। तब कई मम्पन्न स्थिति वालों ने अन्न खरीद लिया और अपने परिवार वालों का पोषण करने लगे। पर कई गरीब लोग क्षुधा से तड़फड़ाते हुए मरने लगे। ऐसी परिस्थिति में "बहुरना वमुन्धरा" एम कदावत को चरितार्थ करने वाला एक मुदत्त नामक

सम्यग्दृष्टि श्रावक प्रभु महावीर का अनुयायी विचार करने लगा कि मेरी यह सम्पत्ति यदि मैं साधर्मी भाइयों की मदद में नियोजित कर दूँ, तो इससे बढ़कर इस नश्वर सम्पत्ति का और क्या सदुपयोग होगा। ऐसा विचार कर खुले दिल से वह साधर्मी भाइयों के लिये हर तरह से साधन जुटाने लगा, बड़ी हवेली बना कर सब अनार्थों का, गरीबों का पोषण करने लगा, बड़ी विनम्रता और आत्मीय भावना के साथ। तीन साल तक बराबर उनका परिपालन कर उन लोगों का भी धर्म के प्रति अहोभाव उत्पन्न किया।

समय परिवर्तनशील है। समय ने पलटा खाया, दुष्काल जब सुकाल में परिवर्तित हुआ तो सभी दुष्काल पीड़ित भाई-बहिन अपनी विनम्रता, कृतज्ञता जतलाते हुए बड़े विनम्र भावों के साथ उन सेठ सा. को कहने लगे कि— “महानुभाव ! आपने हमारी बहुत सुरक्षा की। आपने वात्सल्य भाव का बहुत सुन्दर अनूठा रूपक जगत् के सामने रखा। हम आपके बहुत आभारी हैं। अब हमें छोटी दीजिये। हम अपने घर जाना चाहते हैं।” तब सेठ कहने लगा कि वह तो आपने मुझे स्वर्णिम चान्स दिया। मेरा अहोभाग्य है कि मुझे आपकी सेवा करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। आपने मेरे पर बहुत उपकार किया।

खयाल करिये कि उपकार किया सेठ ने उन लोगों पर, पर कह क्या रहा है कि “आपने मुझ पर बड़ा उपकार किया।” कितनी विनम्रता थी, सेठ के जीवन में। सेठ ने यथार्थ में प्रभु महावीर के सिद्धान्तों का रसपान किया था। सम्यक् दृष्टि के आचारों का भली भाँति ज्ञान कर दृढता से उसका पालन किया था।

आज के युग में तो देखने को मिलता है कि प्रथम तो कोई ऐसा स्वधर्मी वात्सल्य का व्यवहार ही नहीं करते हैं। यदि कही करते भी हैं तो उसके पीछे नाम कमाने की, यश फैलाने की भावना अधिक काम करती है। काम कम, नाम अधिक होना चाहिये। इस बात को मानने वाले व्यक्ति कभी भी स्वधर्मी वात्सल्यता का पूरा-पूरा लाभ नहीं प्राप्त कर सकते। वह सेठ, ऐसे लोगों में से नहीं था। वह दिये गये दान को भूमि में गये बीज की तरह गुप्त और सुरक्षित रखने वाला था।

जब सुकाल हुआ और लोग जाने की तैयारी करने लगे तो सेठ ने उन्हें एक निवेदन किया कि एक प्रीतिभोज और देना चाहता हूँ। कृपा कर मुझे संतुष्ट कीजिये। लोगों ने बात मान ली। प्रीतिभोज की जोरदार तैयारियों की जाने लगी। सभी को वह अपने हाथ से परोसकर जिमाने लगे। देखिये स्वधर्मी सेवा !

मुझे इसी बीच स्वर्गीय गुरुदेव श्री गणेशीलाल जी म सा. के समय का प्रसंग याद आ रहा है। गुरुदेव का जब बगड़ी चातुर्मास था, तब चातुर्मास

करने वाले सेठ लक्ष्मीचंद जी धाडीवाल स्वयं स्वधर्मी भाइयों की सराहनीय सेवा करते थे। भोजनादि सभी कार्यों में भाग लेते थे। एक वार का प्रसंग है—कुछ भाई भोजन में अपनी खुराक का ध्यान नहीं रख पाये, जिससे उन्हें हैजे की शिकायत हो गयी। चेष की वीमारी होने से उनकी सेवा करने में नौकर-चाकर भी संकोच करने लगे। तो सेठ-सेठानी ने स्वयं ने उनको सम्भाला, उनकी सभी प्रकार से सेवा की और उन्हें स्वस्थ कर विदा किया। यह है साधर्मि के प्रति निःस्वार्थ वात्सल्य भाव।

हाँ ! तो उस सेठ की बात कह रहा था मैं, जो सेठजी सभी को परोस रहे थे, उस समय उनके लडके ने कहा—“पिताजी ! मैं भी परोसूँगा।” तो उसे सहर्ष अनुमति दी गयी। वह लड़का जब परोस रहा था तो एक बहिन ने, जिसे किसी चीज की आवश्यकता थी, उसे माँगने हेतु उसने उस लडके के बस्त्र को पकड़ कर कहा—“यहाँ भी परोसते जाइये।” पर वह नादान, वात्सल्य भावना से अनभिज्ञ, बोल उठा कि तीन-तीन साल हो गये, यहाँ टुकड़े खाते-खाते फिर भी अभी तक तृप्ति नहीं हुई क्या ? पल्ला पकड़ते नहीं छूटा ? बन्धुओ ! ये कठोर शब्द, उस बहिन को क्या ! जीमने वाले सभी भाई-बहिनो को इतनी ठेस पहुँचाने वाले हुए कि सब के सब एक साथ उठ गये, विना पूरा भोजन किये ही रवाना होने लगे। जब सेठजी ने यह दृश्य देखा तो विचार करने लगे कि तीन साल तक जो वात्सल्य भावना का स्रोत मैंने बहाया, उस पर इस लडके ने थोड़े से कठोर शब्द कहकर पानी फेर दिया। सेठजी उन लोगों को हाथ जोड़कर, पैरो में गिरकर माफी माँगने लगे। कहने लगे कि लडके ने नादानी कर दी, आप उसे क्षमा कर दे। सभी सेठ की अपूर्व वात्सल्यता, विनम्रता से गद्गद् हो उठे। सेठ का पूरा सत्कार ग्रहण करके, सेठ को अन्तर आशीष देते हुए विदा हुए। अस्तु ?

वात्सल्य भावना तो अन्तर की होती है। प्रभु महावीर ने कहा है कि—“हे आत्मन् ! तू सम्पूर्ण विश्व के साथ वात्सल्य भाव रख। यदि इतना न हो सके तो कम से कम परिवार वालों के प्रति और साधर्मि भाइयों के प्रति तो अपनी वात्सल्य भावना का विस्तार होना चाहिये। वात्सल्य भाव रखने वालों को भयक लेना है कि समाज में रहते हुए कभी कुछ बोलने अथवा सुनने का प्रसंग आ जाए तो भी अपने क्षमा गुण का विकास कर आत्मवत् व्यवहार का खयाल कर अपने वात्सल्य का निर्भर बहाते रहे। अपने जीवन में समागत समूल दृष्टियों में निवृत्ति पाने हेतु वीतराग वाणी में अवगाहन करते हुए सम्यक्त्व के भावों आचार को जीवन में स्थान देगे तो जीवन अतीव मंगलमय बन जाएगा। अन्ती शुभ भावों के साथ।





## अनुकम्पा की अवधारणा

□ आचार्य श्री देवेन्द्र मुनि

धर्म का प्रारम्भ : परहित का विचार करने से :

अपने हित एवं सुख-दुःख के समान दूसरो के हित और सुख-दुःख का विचार आने पर ही व्यक्ति के जीवन में सच्चे धर्म का प्रारम्भ होता है। मुझे ही सुख मिले, दूसरो का चाहे जो हो, यह वृत्ति तो पशु-पक्षियों में प्रायः होती है। मनुष्य में भी अगर यह स्वार्थवृत्ति हो, दूसरो के हित या सुख-दुःख का विचार न करके अपने ही सकीर्ण स्वार्थ और सुख-दुःख को महत्त्व देने की वृत्ति—प्रवृत्ति हो, तो वह भी पशुवृत्ति ही समझनी चाहिए। केवल 'स्व' का ही विचार तो जीव को अनादि काल से मिला हुआ है, वही सब पापों का बीज है, वही सकीर्ण स्वार्थवृत्ति अधर्म का मूल है। समस्त पाप प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से संकीर्ण स्वार्थवृत्ति में ही पनपते हैं। आर्त्तध्यान और रौद्रध्यान का जाल भी सकीर्ण स्वार्थ के इसी केन्द्र के आसपास बिछता है। किसी भी पाप के मूल की खोज करेंगे तो आपको यही सकीर्ण 'स्व' का विचार ही प्रतीत होगा। पाप-वृत्ति और पाप-प्रवृत्ति को निर्मूल करना ही तो इस संकुचित स्वार्थ-वृत्ति के मिथ्यादर्शन का कांटा अन्तर से निकालना ही होगा। इस संकुचित स्वार्थवृत्ति पर चोट पड़ने पर ही, अर्थात्—स्वार्थवृत्ति मन्द होने पर ही हृदय-भूमि में धर्म-वृक्ष अंकुरित होता है। 'स्व' की संकुचित स्वार्थवृत्ति को 'सर्व' में परिणत करने पर ही सच्चे माने में अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, क्षमा, दया, अनुकम्पा, विनय, नम्रता, ऋजुता, पवित्रता, सयम, त्याग, तप आदि सद्धर्मों का पालन हो सकता है। दूसरो को अपना और अपने जैसा मानने, उनके हित, सुख-दुःख या जीवन को अपना हित, सुख-दुःख या जीवन समझने पर ही व्यक्ति हिंसा, भूठ, चोरी, व्यभिचार, परिग्रह, ईर्ष्या, दम्भ, छल, ठगी, मिथ्यात्व, क्रोध, अहंकार, आदि पापों को करने से रुक सकता है। दूसरे प्राणियों को आत्मीय मानने तथा उनके कष्ट या सकट को अपना कष्ट या सकट समझने पर कौन किस की हिंसा या चोरी करेगा? कौन किसके साथ भूठ या व्यभिचार सेवन करेगा? कौन अत्यन्त जरूरी साधनों से अधिक परिग्रह रखकर या वस्तुओं का संग्रह करके दूसरो को संकट में डालेगा? व्यक्ति जब दूसरो को अपना समझ लेता है, तब क्या स्वयं ही स्वयं को धोखा देगा। एक हाथ दूसरे हाथ को मारेगा—पीटेगा? इसी 'आत्मीय भावना—आत्मवत् सर्वभूतेषु' की

१. यहां 'स्व' का अर्थ 'आत्मा' नहीं, परन्तु 'स्वार्थ' अर्थात्—'स्व-शरीर और उससे सम्बन्धित अन्य बातों को समझना चाहिए।'

भावना को तात्त्विक दृष्टि से समझाने के लिए श्रमण भगवान् महावीर ने 'आचाराग सूत्र' में स्पष्ट कहा है—

तुमंसि नाम सच्चेव, जं 'हंतव्वं' ति मन्नसि ।  
 तुमंसि नाम सच्चेव, जं 'अज्जावेयव्वं' ति मन्नसि ।  
 तुमंसि नाम सच्चेव, जं 'परितावेयव्वं' ति मन्नसि ।  
 तुमंसि नाम सच्चेव, जं 'परिघेतव्वं' ति मन्नसि ।  
 तुमंसि नाम सच्चेव, जं 'उद्देवेयव्वं' ति मन्नसि ।

—आचारांग १/५/५

अर्थात्—तुम वही हो, जिसे तुम मारना है, ऐसा समझते हो ।

तुम वही हो, जिसे तुम सताना है ऐसा मानते हो ।


तुम वही हो, जिसे तुम परिताप देना चाहते हो ।

तुम वही हो, जिसे तुम गुलाम बनाकर या कैद करके रखना चाहते हो ।

तुम वही हो, जिसे तुम डराना-धमकाना चाहते हो ।

इससे स्पष्ट है, जो दूसरों को सताना-मारना या दुःखी करना चाहता है, वह अपने आपको सताता-मारता या दुःखी करता है । इसका तात्पर्य यह भी है कि जो दूसरो को सताता, मारता-पीटता या त्रास देता है, उसके कारण हुए घोर पाप कर्म के बन्ध के कारण स्वयं को ही उसके फलभोग के समय उतना ही नहीं बल्कि उससे भी अधिक त्रस्त, संतप्त एवं दुःखी होना पड़ता है ।

निष्कर्ष यह है कि अहिंसादि धर्म का प्रारम्भ दूसरों के सुख-दुःख का भान, पर-पीडा त्याग, अथवा दुःखी मात्र के प्रति अत्यन्त दया—अनुकम्पा, गुणीजनों के प्रति अद्वेष, और सर्वत्र औचित्यपूर्वक व्यवहार से होता है । परार्थ भावना के बीजारोपण से ही धर्म का श्रीगणेश होता है । जब चित्त परार्थ-भावना से वासित होता है, तभी वह मनुष्य को उत्तरोत्तर अधिकाधिक शुद्ध करके मुक्ति तक ले जा सकता है । यही परार्थभावना आत्मवत् सर्वभूतेषु की या स्व-परहित की भावना ही अनुकम्पा के रूप में सम्यग्दृष्टि के जीवन में अवतरित होती है । इसीलिए भगवान् महावीर ने सम्यग्-दर्शनी को पहचानने परखने के जो पाँच लक्षण (चिह्न) बताये हैं, उनमें से एक महत्त्वपूर्ण लक्षण अनुकम्पा को बताया है । जिसे सम्यग्दर्शन प्राप्त हो जाता है, उसके अन्तर में समग्र प्राणि जगत् के प्रति आत्मीयता का ऐसा निर्मल प्रवाह बहता रहता है कि उसका हृदय किसी भी प्राणी के दुःख, कष्ट या संकट को देखकर द्रवित हो उठता है । यही नहीं, अपराधी, दुर्जन, पापी या अधर्मी को देखकर भी उसके अन्तर में अनुकम्पा—वात्सल्यमयी दृष्टि जाग उठती है । यद्यपि सम्यग्दृष्टि गृहस्थ आवश्यकता पड़ने पर अपने कर्तव्य या दायित्व के नाते अपराधी को दण्ड भी देता है, परन्तु अन्तर में उसके हृदय में उसके प्रति जग भी द्वेष, गोप या दुष्ट बुद्धि नहीं होती, उसको मुधान्ने की, उसकी आत्मा का हित करने की



## अनुकम्पा की अवधारणा

□ आचार्य श्री देवेन्द्र मुनि

धर्म का प्रारम्भ : परहित का विचार करने से :

अपने हित एवं सुख-दुःख के समान दूसरो के हित और सुख-दुःख का विचार आने पर ही व्यक्ति के जीवन मे सच्चे धर्म का प्रारम्भ होता है। मुझे ही सुख मिले, दूसरो का चाहे जो हो, यह वृत्ति तो पशु-पक्षियों में प्रायः होती है। मनुष्य में भी अगर यह स्वार्थवृत्ति हो, दूसरो के हित या सुख-दुःख का विचार न करके अपने ही संकीर्ण स्वार्थ और सुख-दुःख को महत्त्व देने की वृत्ति—प्रवृत्ति हो, तो वह भी पशुवृत्ति ही समझनी चाहिए। केवल 'स्व' का ही विचार तो जीव को अनादि काल से मिला हुआ है, वही सब पापों का बीज है, वही संकीर्ण स्वार्थवृत्ति अधर्म का मूल है। समस्त पाप प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से संकीर्ण स्वार्थवृत्ति मे से ही पनपते हैं। आर्त्तध्यान और रौद्रध्यान का जाल भी संकीर्ण स्वार्थ के इसी केन्द्र के आसपास बिछता है। किसी भी पाप के मूल की खोज करेगे तो आपको यही संकीर्ण 'स्व' का विचार ही प्रतीत होगा। पाप-वृत्ति और पाप-प्रवृत्ति को निर्मूल करना ही तो इस संकुचित स्वार्थ-वृत्ति के मिथ्यादर्शन का कांटा अन्तर से निकालना ही होगा। इस संकुचित स्वार्थवृत्ति पर चोट पडने पर ही, अर्थात्—स्वार्थवृत्ति मन्द होने पर ही हृदय-भूमि में धर्म-वृक्ष अकुरित होता है। 'स्व' की संकुचित स्वार्थवृत्ति को 'सर्व' में परिणत करने पर ही सच्चे माने में अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, क्षमा, दया, अनुकम्पा, विनय, नम्रता, ऋजुता, पवित्रता, सयम, त्याग, तप आदि सद्धर्मों का पालन हो सकता है। दूसरों को अपना और अपने जैसा मानने, उनके हित, सुख-दुःख या जीवन को अपना हित, सुख-दुःख या जीवन समझने पर ही व्यक्ति हिंसा, भूठ, चोरी, व्यभिचार, परिग्रह, ईर्ष्या, दम्भ, छल, ठगी, मिथ्यात्व, क्रोध, अहंकार, आदि पापों को करने से रुक सकता है। दूसरे प्राणियों को आत्मीय मानने तथा उनके कष्ट या सकट को अपना कष्ट या सकट समझने पर कौन किस की हिंसा या चोरी करेगा? कौन किसके साथ भूठ या व्यभिचार सेवन करेगा? कौन अत्यन्त जरूरी साधनों से अधिक परिग्रह रखकर या वस्तुओं का संग्रह करके दूसरो को संकट मे डालेगा? व्यक्ति जब दूसरो को अपना समझ लेता है, तब क्या स्वय ही स्वय को धोखा देगा। एक हाथ दूसरे हाथ को मारेगा—पीटेगा? इसी 'आत्मीय भावना—आत्मवत् सर्वभूतेषु' की

१. यहाँ 'स्व' का अर्थ 'आत्मा' नहीं, परन्तु 'स्वार्थ' अर्थात्—'स्व-शरीर और उससे सम्बन्धित अन्य बातों को समझना चाहिए।'

भावना को तात्त्विक दृष्टि से समझाने के लिए श्रमण भगवान् महावीर ने 'आचाराग सूत्र' में स्पष्ट कहा है—

तुमंसि नाम सच्चेव, जं 'हंतव्वं' ति मन्नसि ।  
 तुमंसि नाम सच्चेव, जं 'अज्जावेयव्वं' ति मन्नसि ।  
 तुमंसि नाम सच्चेव, जं 'परितावेयव्वं' ति मन्नसि ।  
 तुमंसि नाम सच्चेव, जं 'परिघेतव्वं' ति मन्नसि ।  
 तुमंसि नाम सच्चेव, जं 'उद्देवेयव्वं' ति मन्नसि ।

—आचाराग १/५/५

अर्थात्—तुम वही हो, जिसे तुम मारना है, ऐसा समझते हो ।

तुम वही हो, जिसे तुम सताना है ऐसा मानते हो ।

तुम वही हो, जिसे तुम परिताप देना चाहते हो ।

तुम वही हो, जिसे तुम गुलाम बनाकर या कैद करके रखना चाहते हो ।

तुम वही हो, जिसे तुम डराना-धमकाना चाहते हो ।

इससे स्पष्ट है, जो दूसरो को सताना-मारना या दुःखी करना चाहता है, वह अपने आपको सताता-मारता या दुःखी करता है । इसका तात्पर्य यह भी है कि जो दूसरो को सताता, मारता-पीटता या त्रास देता है, उसके कारण हुए घोर पाप कर्म के बन्ध के कारण स्वयं को ही उसके फलभोग के समय उतना ही नहीं बल्कि उससे भी अधिक त्रस्त, सतप्त एवं दुःखी होना पड़ता है ।

निष्कर्ष यह है कि अहिंसादि धर्म का प्रारम्भ दूसरो के मुख-दुःख का भान, पर-पीडा त्याग, अथवा दुःखी मात्र के प्रति अत्यन्त दया—अनुकम्पा, गुणीजनो के प्रति अद्वेष, और सर्वत्र औचित्यपूर्वक व्यवहार से होता है । परार्थ भावना के बीजारोपण से ही धर्म का श्रीगणेश होता है । जब चित्त परार्थ-भावना से वासित होता है, तभी वह मनुष्य को उत्तरोत्तर अधिकाधिक शुद्ध करके मुक्ति तक ले जा सकता है । यही परार्थभावना आत्मवत् सर्वभूतेषु की या स्व-परहित की भावना ही अनुकम्पा के रूप में सम्यग्दृष्टि के जीवन में अवतरित होती है । इसीलिए भगवान् महावीर ने सम्यग्-दर्शनी को पहचानने परखने के जो पाँच लक्षण (चिह्न) बताये हैं, उनमें से एक महत्त्वपूर्ण लक्षण अनुकम्पा को बताया है । जिसे सम्यग्दर्शन प्राप्त हो जाता है, उसके अन्तर में समग्र प्राणि जगत् के प्रति आत्मीयता का ऐसा निर्मल प्रवाह बहता रहता है कि उसका हृदय किसी भी प्राणी के दुःख, कष्ट या संकट को देखकर द्रवित हो उठता है । यही नहीं, अपराधी, दुर्जन, पापी या अधर्मी को देखकर भी उसके अन्तर में अनुकम्पा—वात्सल्यमयी दृष्टि जाग उठती है । यद्यपि सम्यग्दृष्टि गृहस्थ आवश्यकता पडने पर अपने कर्तव्य या दायित्व के नाते अपराधी को दण्ड भी देता है, परन्तु अन्तर से उसके हृदय में उसके प्रति जरा भी द्वेष, रोष या दुष्ट बुद्धि नहीं होती, उसको सुधारने की, उसकी आत्मा का हित करने की

ही बुद्धि होती है। उस अपराधी को समाज के भयंकर कोप का भागी न होना पड़े, भविष्य में उसे उस अपराध के कारण घोर दुःख में न पड़ना पड़े, इस दृष्टि से सम्यक्त्वी आत्मा उसे यथोचित शारीरिक सजा भी देता है परन्तु सम्यग्दृष्टि के अनुकम्पा प्रवण हृदय में उसका जरा भी नुकसान या अहित करने की वृत्ति नहीं होती।

### सम्यग्दर्शन-प्राप्ति की पहचान : अनुकम्पा

किसी व्यक्ति को भाव से सम्यग्दर्शन प्राप्त हुआ है या नहीं, इसकी एक पहचान अनुकम्पा से होती है। जिसकी अन्तरात्मा जीव सृष्टि के किसी भी प्राणी, व्यक्ति, समाज और समष्टि पर आ पड़े हुए दुःख और संकट को देखकर द्रवित नहीं होती, जिसके हृदय में अनुकम्पा नहीं फूटती, समझ लो अभी वह जीव सम्यग्दर्शन से दूर है। सम्यग्दर्शन से ही धर्माचरण (दर्शनाचार) का प्रारम्भ होता है और-जिसके जीवन में अनुकम्पा नहीं आई अभी उसमें सद्धर्म अंकुरित ही नहीं हुआ। जिसका हृदय सवेदनशील नहीं, सहानुभूतिपरायण नहीं, सह-अस्तित्व की भावना से ओतप्रोत नहीं, परार्थ की वृत्ति से परिपूर्ण नहीं, वह अनुकम्पाहीन हृदय सम्यक्त्व रूप धर्म से दूर है। इसके विपरीत जिसके दिल में दुःखी को देखकर घृणा, आक्रोश, तिरस्कार, मत्सर, अहकार, ईर्ष्या, बदले की भावना, उसे गिराने और अधिक दुःखी करने की वृत्ति प्रबल रूप से उभरती हो तो समझ लो उस पापाणहृदय निपट स्यार्थी व्यक्ति ने भी सम्यग्दर्शन का प्रकाश नहीं पाया है। वह अभी संकुचित स्वार्थ, कठोरता, अहंता-ममता आदि दुर्गुणों के गाढ़ अन्धकार से घिरा हुआ है। अतः अनुकम्पा इस बात की प्रतीति करा देती है कि जिस व्यक्ति में प्राणि मात्र के प्रति आत्मीयता का भाव जागृत हुआ है, किसी प्राणी के दुःख को जान-देखकर जिसका हृदय कम्पित हो उठता है, वह सम्यग्दृष्टि है, सम्यक्त्वी है।

अनुकम्पा क्या है, क्या नहीं ?

जब सम्यग्दृष्टि को परखने की एक निशानी अनुकम्पा है, तब प्रश्न होता है कि अनुकम्पा किसे कहते हैं ?

सामान्य रूप से अनुकम्पा का अर्थ होता है—परदुःखानुकूलं कम्पन—‘अनुकम्पा’। इसका फलितार्थ यह है कि अपने-पराये के भेद या अन्य किसी पक्षपात के विना किसी भी धर्म, जाति, प्रान्त या राष्ट्र के दुःखी प्राणी को देख-सुनकर हृदय द्रवित या कम्पित हो उठना तथा उस दुःख को दूर करने को तत्पर होना—अनुकम्पा है। गुणभूषण श्रावकाचार में इसी अर्थ को स्पष्ट करते हुए कहा है—

सर्वजन्तुषु चित्तस्य, कृपाद्रत्वं कृपालवः ।  
सद्धर्मस्य परं वीजमनुकम्पां वदन्ति ताम् ॥

समस्त प्राणियों पर चित्त के दयाद्र होने को तथा सद्धर्म के उत्कृष्ट बीज को दयालुगण 'अनुकम्पा' कहते हैं।

अनुकम्पा धारण करने वाले व्यक्ति की आत्मा दया से उतनी स्निग्ध या आर्द्र हो जाती है कि वह किसी भी मनुष्य या प्राणी को कष्ट, सकट या दुःख में पडा देखकर चुपचाप नहीं रह सकता। उसके हृदय में दुःखी को देख कर सहसा यह भावना उठती है कि "जैसे मैं दुःख या पठने पर उससे मुक्त होकर सुखी होना चाहता हूँ, वैसे यह जीव भी दुःख मुक्त होकर सुखी होना चाहता है। दुःख जैसा मुझे कष्ट देता है, वैसा उसे भी देता होगा।" इस प्रकार दूसरे प्राणी या मानव को दुःखित या पीडित देखकर अनुकम्पाशील सम्यग्दृष्टि के हृदय में उसके अनुकूल अनुभूति जाग जाती है। वह दूसरे के दुःख और कष्ट को अपना ही कष्ट या दुःख समझने लगता है। भगवान् गद्गावीर के इस कथन के प्रति उसकी दृढ श्रद्धा होती है -

‘सत्वे पाणा पियाउया सुहमाया, दुवखपडिकूला।’

—आचारांग १/२/३/२४०

सभी जीवों को आयुष्य प्रिय है। सभी जीव सुख चाहते हैं, दुःख सबको प्रतिकूल—अप्रिय लगता है। अनुकम्पा में प्राणि मात्र के साथ आत्मीयता, एकता या सहानुभूति होती है। वैसे दया, करुणा और अनुकम्पा में थोडा-सा अन्तर है। दया में दूसरों के साथ सहानुभूति होती है, साथ ही दया में प्रायः अह-कर्तृत्व का भाव आ जाता है। करुणा में दूसरों को दुःखी देखकर आघात पहुँचता है। परन्तु अनुकम्पा में आत्मज्ञानपूर्वक आत्मीयता होती है। इसमें सर्वप्रथम मनुष्य अपनी आत्मा को भलीभाँति जान लेता है, आत्मा का हित या आत्मसुख किस में है? इसे समझ लेता है। फिर यह अनुभव करता है कि जैसा अपनी आत्मा है, वैसा ही दूसरे प्राणी का है। इसके अनुकम्पाशील व्यक्ति का अन्तःकरण दूसरों के प्रति आत्मीयता के कारण एकरस और समभावी बन जाता है। कहते हैं, एक व्यक्ति ने रामकृष्ण परमहंस के मना करने पर भी वैल की पीठ पर बैठ से मारा, उसके निशान रामकृष्ण परमहंस की पीठ पर पट गये। यह था अनुकम्पा का ज्वलन्त उदाहरण! रघुवश में वर्णन आता है कि पार्वती को एक बिल्ली के बच्चे के प्रति इतनी आत्मीयता थी कि उसके मुँह पर किसी ने नोच लिया था, उसके निशान पार्वती के मुँह पर हो गये थे। इस प्रकार अनुकम्पाशील व्यक्ति का हृदय माता का-सा होता है। इसका कारण यह है कि दूसरों के सुख-दुःख का सवेदन अनुकम्पापरायण मनुष्य अनुभव करता है। दूसरे का दुःख वह अपना ही दुःख समझता है। इसलिए वह महसूस करता है कि मैं दूसरे का नहीं, अपना ही दुःख दूर करने के लिए अपनी शक्ति भर दूसरों के दुःख का निवारणोपाय करता है। अपने ही दुःख पर व्यक्ति जैसे हाथ से खींच कर निश्चाय लेता है, वैसे ही दूसरे

अहित अपने ही प्रतीत हुए और रहा न गया, इसलिए दूर किये। इस प्रकार सहज स्थिति बन गई। यही कारण है कि इसमें निःस्वार्थ भाव से दूसरे का दुःख दूर करने का नम्र प्रयत्न होता है, किसी प्रकार की आशा या अपेक्षा इसमें नहीं रखी जाती और न ही कर्तृत्व का अभिमान इसमें होता है, न ही फलाकाक्षा का भाव।

अनुकम्पा के विषय में किसी प्रकार की उलझन न रहे, इस दृष्टि से आचार्यों ने इसके दो भेद बताये हैं—द्रव्य-अनुकम्पा और भाव-अनुकम्पा। जीवन की मूलभूत आवश्यकताएँ और सुख-सुविधा की सामग्री जिन्हे प्राप्त है, परन्तु जो सद्धर्माचरण से रहित है, यथार्थ जीवन-दृष्टि से वंचित है, उनके प्रति करुणा से अन्तर द्रवित हो जाना तथा उन्हें सम्यग्दृष्टि प्राप्त हो, ऐसी सद्भावनापूर्वक यथामति यथाशक्ति इस दिशा में सच्चे अन्तःकरण से प्रयास करना—भाव अनुकम्पा है। अमितगति के अनुसार—

जन्माभोधौ कर्मणा भ्रम्यमाणे जीवग्रामे दुःखितेऽनेकभेदे ।

चित्तार्द्रत्वं यद् विधत्ते महात्मा तत्कारुण्यं दर्शयते दर्शनीये ॥

अर्थात्—कर्मवश संसार समुद्र में भ्रमण करते हुए अनेक प्रकार के दुःखित जीवों को देखकर जो महान् आत्मा चित्त में आर्द्रता दयालुता धारण करता है, उसी को तत्त्ववेत्ता दार्शनिक करुणा—भाव-अनुकम्पा कहते हैं।

अभिप्राय यह है कि कर्मों के कारण जन्म, जरा, मृत्यु, रोग आदि नाना-विध दुःखों को भोगते हुए, तथा चारों गतियों में भटकते हुए जीवों पर आत्मीयता लाकर जो दयार्द्र पुरुष उन्हें सम्यक्बोध देता है, दुःखों से मुक्त होने का मार्ग बताता है, आत्मिक सुख-प्राप्ति का उपाय बताता है उसकी इस सक्रिय आत्मौपम्य भावना को जानी पुरुष भाव-अनुकम्पा कहते हैं।

दूसरी ओर, जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं के अभाव में पीड़ित एवं दुःखित होते हुए आत्माओं को देखकर उनके प्रति अन्तर में सहानुभूति पैदा होना और उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए यथाशक्ति प्रयत्न करना द्रव्य-अनुकम्पा है।

यह स्मरण रहे—द्रव्य-अनुकम्पा के साथ भाव-अनुकम्पा होनी जरूरी है। भाव-अनुकम्पा में अनुकम्पा का तत्त्वज्ञान होता है। उससे हृदय में एकात्म-भावना, हृदय की कोमलता, दयार्द्रता, सवेदनशीलता, आत्मवत् सर्वभूतेषु की भावना, समस्त प्राणियों में स्वतुल्य वृद्धि, सर्वात्मसमदृष्टि एवं आत्मीयता, सहानुभूति आदि भी भाव-अनुकम्पा के अंग हैं। इसमें सर्वप्रथम आत्मा का तत्त्वज्ञान, फिर सर्वात्मैकत्व भावना पनपती है।

यह ध्यान रहे कि स्वयं व्यक्ति यदि साधन सम्पन्न हो, अथवा दूसरों से साधन दिलाने की प्रभावशील क्षमता हो तो साधनहीन के प्रति द्रव्य-अनुकम्पा

के बिना सहानुभूतिशून्य या आत्मोपेक्षा की भावना से रहित अव्यात्म या वैराग्य का कोरा उपदेश दे देने में भाव-अनुकम्पा की इति—समाप्ति नहीं हो जाती। आत्मतुल्य दृष्टि से जगत् के जीवों को देखने वाले व्यक्ति में ही सच्ची अनुकम्पा प्रकट होती है।<sup>१</sup>

कोई भी प्राणी दुःखी न हो, सभी प्राणी सुखी हों, तथा दूसरों को अज्ञानादिवश दुःखित देखकर निःस्वार्थ भाव से सुखी बनाने की भावना भी भावानुकम्पा है। भाव-अनुकम्पापूर्वक यथाशक्ति यथामति किसी दुःखी, पीड़ित आदि को सहायता देकर दुःख मिटाना द्रव्य-अनुकम्पा है। कई लोग कहते हैं कि हमारे पास धन इतना नहीं है कि हम अपना गृहस्थ जीवन चलाने के बाद कुछ वचन कर सकें और उसमें से दीन-दुखियों की मदद कर सकें। परन्तु किसी भी दुःखित—पीड़ित को सहायता केवल धन से ही नहीं, किन्तु तन से शारीरिक सेवा देकर, वचन से सहानुभूति प्रगट करके, आश्वाम्न प्रोत्साहन तथा वीहिक सत्परामर्श-देकर अथवा दूसरों से सहायता दिलवा कर या दूसरों को सहायता देने का कहकर सहयोग प्रदान कर सकते हैं। कई निर्धन व्यक्तियों का हृदय भी इतना दयार्द्र एवं अनुकम्पाशील होता है कि वह स्वयं अपने खर्च में कतरव्योत करके दुःखित और पीड़ित व्यक्ति को अर्थ-सहयोग दे देते हैं। उनकी परमार्थ भावना वह पीड़ित और दुःखित प्राणी को देखकर उसके दुःख दूर किये बिना रह ही नहीं सकती।

अमेरिका के तत्कालीन न्यायाधीश एनाहिम लिंकन अपनी घोड़ा गाड़ी में बैठकर न्यायालय में जा रहे थे। तभी रास्ते में उन्होंने एक सूअर को कीचड़ में फसे हुए और निकलने के लिए छटपटाते देखा। उन्होंने अपने सईस या किसी चौकर को आदेश नहीं दिया। घोड़ागाड़ी रुकवाकर वह स्वयं उतरे और कीचड़ में फसे हुए सूअर को पकड़कर बाहर निकाला। यद्यपि सूअर के द्वारा अगों को फडफडाने से कीचड़ उछल कर लिंकन के कपड़ों पर लग गया था। परन्तु सूअर के कपट को अपना कपट समझकर उन्होंने उसे बाहर निकाल कर उसका कपट दूर कर दिया, इसका उन्हें बहुत सन्तोष था। सूअर की आत्मा को न्यायाधीश लिंकन ने अपनी आत्मा के तुल्य समझा। यह भाव-अनुकम्पापूर्वक द्रव्य-अनुकम्पा का जीता-जागता उदाहरण है।

१ अनुकम्पा दुःखितेषु अपक्षपातेन दुःखप्रहाणेच्छा, पक्षपातेन तु करुणा स्वपुत्रादी व्याघ्रादीनामप्यस्त्येव । सा चाऽनुकम्पा द्रव्यतो भावतश्च भवति । द्रव्यतः सत्या शक्तौ दुःखप्रतीकारेण, भावत आर्द्रहृदयत्वेन ।

—योगशास्त्र प्रकाश २, श्लो. १५ टीका

‘आत्मोपमेन सर्वं पश्यतो हि सा (अनुकम्पा) स्यात् ।’

—पंचालिगी प्रकरण गाय १ टीका



जैन इतिहास का एक उज्ज्वल पृष्ठ अनुकम्पा की जीती-जागती तस्वीर प्रस्तुत करता है। कर्मयोगी श्रीकृष्ण भगवान् अरिष्टनेमि के दर्शनार्थ हाथी पर सवार होकर जा रहे थे। रास्ते में उनकी दृष्टि सहसा एक जराजीर्ण बूढ़े पर पड़ी। वह बेचारा अकेला ही काँपते हाथों से एक-एक ईंट उठाकर घर के अन्दर रख रहा था। उस दुःखित और असहाय वृद्ध को देखकर श्रीकृष्ण का हृदय अनुकम्पा से भर आया। उन्होंने किसी सेवक को आज्ञा नहीं दी, स्वयं हाथी से उतर पड़े और चुपचाप स्वयं ईंटे उठाकर रखने लगे। श्रीकृष्णजी को यह करते देख उनके सभी सेवक भी उस कार्य में जुट पड़े। थोड़ी देर में बूढ़े की तमाम् ईंटे अन्दर रख दी गई। वृद्ध ने श्रीकृष्णजी के प्रति कृतज्ञता प्रकट की।

### अनुकम्पा का व्यावहारिक रूप

इस प्रकार की अनुकम्पा के कारण ही श्रीकृष्णजी में सम्यग्दृष्टि की यथार्थ पहचान हो गई। वृद्ध को श्रीकृष्णजी द्वारा दी गई सहायता यद्यपि द्रव्य-अनुकम्पा है परन्तु इसके गर्भ में भाव-अनुकम्पा न होती तो कोरी द्रव्य-अनुकम्पा निःस्वार्थभाव से आत्मौपम्यदृष्टि से न होती, अकेली द्रव्य-अनुकम्पा के पीछे आत्मौपम्य का ज्ञान नहीं होता। निःस्वार्थ भाव या किसी प्रकार का निष्कांक्ष भाव भी नहीं आता। इसी कारण भगवान् महावीर ने स्पष्ट शब्दों में कहा है—“पडमं नाण तओ दया।”

इसका भावार्थ यह है कि पहले यह ज्ञान होना चाहिए कि दूसरे प्राणियों में भी मेरे समान आत्मा विलसित हो रहा है। ऐसी आत्मीयता जहाँ होगी, वहाँ अनुकम्पा पात्र को जरा भी दुःख न हो, इस प्रकार जीने की भावना स्वाभाविक रहती है। इतना ही नहीं, उसके साथ सहानुभूति, सहयोग भावना और तत्पश्चात् सहिष्णुतापूर्वक व्यवहार, अर्थात्—अनुकम्पापात्र व्यक्ति के हित या सुख के लिए स्वयं कष्ट सहने, असुविधा उठाने की वृत्ति-प्रवृत्तिपूर्वक उसका जीवन-व्यवहार होगा। ७

□ अहिंसा है दूसरों के जीवन के प्रति, उनके व्यक्तित्व के प्रति आदर। जैसे हम अपने ढंग से सत्य के उपासक हैं, वैसे ही दूसरा भी अपने समझे हुए सत्य का उपासक है। उसकी जीवन साधना में हमारी ओर से कोई बाधा न आवे यह देखना हमारा कर्तव्य है। अगर उसके साथ हमारा मतभेद हुआ, उसके और हमारे रास्ते में विरोध आया, तो सबसे पहले हम विचार-विनिमय के द्वारा समझौता करने की कोशिश करें। दोनों का समाधान हो, ऐसा कोई रास्ता निकालें। पूरी-पूरी कोशिश करने के बाद अगर हम देखते हैं कि शब्दों के द्वारा, दलीलों के द्वारा हम अपने विरोधी को समझा नहीं सकते, तो अन्याय वरदास्त करना हमारा काम नहीं है।



## दयालुता

□ आचार्य जयन्तसेन सूरि

दया-ज्ञान का फल है। ज्ञान विचार है तो दया आचार। जिस व्यक्ति में ज्ञान तो है; पर सहानुभूति नहीं है, वह कितना भी श्रेष्ठ हो, कितना भी प्रसिद्ध हो, उसमें मानवता नहीं है यह निश्चित है।

दयालुता ही एक ऐसा गुण है, जिससे मानवता का अनुमान लगाया जा सकता है, जो निर्दय है, क्रूर है, वह दानव है; मानव नहीं। शास्त्रीय वाक्य है—

“पदमं नाणं तत्रो दया” —दशवैकालिक ४/१०

(पहले ज्ञान और फिर दया।)

ज्ञान के बाद दया की अनिवार्य आवश्यकता बतायी गयी है। दया को माता कहा जाता है। यदि यह उपमा ठीक है तो हमें ज्ञान को पिता मानना होगा।

“धम्मस्स जणणी दया।” (दया धर्म की माता है।)

ज्ञान और दया के दाम्पत्य से धर्म रूपी पुत्र की उत्पत्ति होती है। कितनी अच्छी कल्पना है यह। ज्ञान पिता की तरह कठोर स्वभाव का होता है। पुत्र को पढा-लिखा कर वह विद्वान् बनाना चाहता है। दया माता की तरह धर्म रूपी पुत्र से प्यार करती है; परन्तु रहती है ज्ञान के अंकुश में। हिंसा के कारण अच्छे से अच्छा साधक भी मलिन हो जाता है।

अनुशासन के लिए दृढता और न्याय पर्याप्त है। हिंसा द्वारा होने वाला अनुशासन अस्थायी होता है, इसलिए अनुशासन में भी अहिंसा का प्रयोग करना चाहिये—

“अहिंसयैव भूतानां, कार्यम् श्रेयोऽनुशासनम् ॥”

—मनुस्मृति: २/१५६

(अहिंसा के द्वारा ही प्राणियों पर किया गया अनुशासन श्रेयस्कर होता है।)

दयालु व्यक्ति न दूसरों से घबराता है और न ऐसा व्यवहार ही करता है कि उसमें दूसरे लोग घबराने लगें—

अकुश छूट जाए तो विधवा दया (माता) धार्मिकता के नाम पर अन्ध-श्रद्धा फैलाने लगेगी, धर्म की जगह धार्मिक कट्टरता और सकीर्णता उत्पन्न कर के मानव-जाति में पारम्परिक संघर्ष के बीज बो देगी।

भारत के दो टुकड़े जिस सांप्रदायिक कट्टरता के फलस्वरूप हुए थे, वह ज्ञान के अंकुश से रहित थी, इसलिए यह जरूरी है कि हम ज्ञान, दया और धर्म की त्रिपुटी को सदैव याद रखे ।

दिल में दया रहे तो वैर नहीं रह सकता—

अहिंसा प्रतिष्ठायां तत्सन्निधौ वैरत्यागः ॥”

—योगदर्शन : २/४५

(अहिंसा की प्रतिष्ठा होने पर उसके सान्निध्य में वैर छूट जाता है ।) वैर से हिंसा की भावना बनी रहती है, जो साधना को दूषित कर देती है—

“यस्मान्नोद्विजते लोको, लौकान्नोद्विजते च यः ॥”

—गीता: १२/१५

(जो न किसी प्राणी को उद्विग्न करता है और न स्वयं ही किसी अन्य प्राणी के व्यवहार से उद्विग्न होता है (वही साधक हो सकता है ।) हिंसा का निषेध करते हुए आदेश दिया गया है—

“मा हिंसी: ‘पुरुषं’ जगत् ॥ —यजुर्वेद १६/३

(मनुष्य और जंगम (गाय, कबूतर आदि) प्राणियों की हिंसा मत करो ।)

दया को करुणा भी कह सकते हैं । एक बौद्ध ग्रन्थ में ‘करुणा’ की बहुत अच्छी परिभाषा और व्युत्पत्ति इन शब्दों में पायी जाती है—

“परदुःखे सति साधुनं हृदयकम्पनं करोतिति करुणा, किणाति मा परदुःखं हिंसति विनासेति, इति करुणा ।”

बुद्धि दिमाग. ६/६२

(दूसरों के दुःख में सज्जनों के हृदय को जो कंपा देती है वह करुणा है, दूसरों के दुःख को जो खरीद लेती है, नष्ट कर देती है, वह करुणा कहलाती है ।)

“यत्नादपि परक्लेशं, हंतुं या हुदिं जायते ।

इच्छा भूमिसुर श्रेष्ठ, सा दया परिकीर्तिता ॥”

—शब्दस्तोममहानिधि: २११

(हे ब्राह्मण श्रेष्ठ ! पराये दुःख को प्रयत्न पूर्वक दूर करने के लिए हृदय में जो इच्छा पैदा होती है, वही ‘दया’ कही जाती है ।)

निर्दय हृदय में सद्गुण अंकुरित नहीं हो सकते हैं, दया जिस व्यक्ति के हृदय में निवास करती है, वह ‘दयालु’ कहलाता है और उसकी समस्त प्रवृत्तियों का सामूहिक नाम है दयालुता ।

पवित्र मार्ग का अनुसरण करने वालों को ‘दयालुता’ नामक दिव्य सद्गुण की साधना अद्यय्य करनी चाहिये ।



## दया-माता की आराधना

□ जैन दिवाकर श्री चौथमलजी म० सा०

कभी-कभी चिकने कर्म सामुदायिक रूप से बाँधे और भोगे जाते हैं । जैसे बहुत-से लोग कोई मेला देखने गये और बहुत राजी हुए, किसी ऐसे स्थान पर गये जहाँ जीवों का वध होता है और वध को देखकर खुशी मनायी, तो ऐसे प्रसंगों पर सामूहिक कर्म बधन होता है और सामूहिक रूप में उनको भोगना भी पड़ता है ।

माताजी के स्थान पर बकरों और भैंसों का वध किया जाता है । लोग अज्ञानवश होकर समझते हैं कि ऐसा करके वे माताजी को प्रसन्न कर रहे हैं और उनको प्रसन्न करेगे तो हमें भी प्रसन्नता प्राप्त होगी । ऐसा सोचना मूर्खता है । लोग माताजी का स्वरूप भूल गये हैं और उसको प्रसन्न करने का तरीका भी भूल गये हैं । इसी कारण वे नृशंस और अनार्य तरीके आज भी काम में लाते हैं । सच समझो तो हम साधु लोग माताजी के सच्चे पुजारी हैं । हम उनके पडे हैं और प्रतिदिन उनकी पूजा किया करते हैं । हम तो रात-दिन उनका स्मरण किया करते हैं । यह ओघा, पूजणी और मुहपत्ती जो हमारे पास है, माताजी की सेवा-पूजा के लिए ही है । उन माताजी की महिमा कम नहीं है । अगर उनका सच्चा स्वरूप समझ कर कोई उनकी ठीक तरह उपासना करे तो उसे किसी चीज की कमी नहीं रहती । वह बलदेव बन सकता है और तीर्थकर भी बन सकता है । वह माताजी वरदान देती है कि तुम ऐसे बन जाओ । उनके आशीर्वाद से धन-सम्पत्ति, पुत्र-पौत्र आदि सभी कुछ प्राप्त होता है । हे भाइयो ! तुम भी उन सच्ची माताजी के स्वरूप को समझो और उनकी उपासना करो । वह कौन-सी माता है ?

थाने मनाऊँ देवी शाशता, म्हारी दया माता ॥ ध्रुव ॥

सर्व मनोरथों को पूरा करने वाली और सुख देने वाली उन माता का नाम है—दया माता ! वह अखण्ड है, अविनाशी है और अजन्मा है ! यह दया-माता सच्ची-माता है । कोई कहता है कि मैंने किसी गरीब को पाँच रुपये दिये हैं ! पर मैं कहता हूँ कि तुम देने वाले कौन हो ? असल में तो तुम्हारे दिल में दया माता आई थी और उसी के हुक्म से तुम्हें देने पडे । माताजी हुक्म के बिना क्या पत्ता हिल सकता है ?

या सम देवी नहीं कोई दूजी, हाथां हाथ हजूर ।  
तूठां तत्क्षण फलें भावना, दुख जावे सब दूर ॥

देखो, दया माता पधारे तो उन्हें प्रसन्न कर लो। दूसरे देव को प्रसन्न करोगे तो न मालूम कितने समय बाद फल की प्राप्ति होगी, मगर इन माताजी की यह विशेषता है कि सन्तुष्ट होने पर वे तत्काल फल प्रदान करती हैं। इनके समान तीन लोक में और कोई देव या देवी नहीं है। यह हाथों हाथ फल देने वाली है। एक महीना तो दूर, एक मुहूर्त्त की भी देर नहीं लगती है।

बच्चा पैसा माँगता है, पैसे के लिए हठ करता है, मगर आप उसे डाँट देते हैं, 'हट-हट' कर देते हैं। मगर ज्यो ही वह ज्यादा रोता है और आपके दिल में दया आ जाती है। वस, उसी समय आप पैसा जेब से निकालते हैं और उसे दे देते हैं। छोटा बच्चा रोता है तो माता सब काम छोड़ कर भट उसको दूध पिलाने लगती है। यह सब दया-माता का ही प्रताप है। दया-माता प्रसन्न हुई कि उसी समय कामना सिद्ध हुई। दया-माता की कृपा से सभी कामनाएँ सिद्ध होती हैं।

जिसने दया-माता की मान्यता, आराधना, सेवा-पूजा नहीं की, उसकी क्या स्थिति होती है, यह बात किससे छुपी है? ऐसे लोग हर तरह से दुखी होते हैं। वे भीख के लिए गली-गली भटकते फिरते हैं, फिर भी पेट भर अन्न नहीं पाते! "अरे बाबूजी भूखा मरूँ हूँ, रोटी को टुकड़ों दे ओ नी!" की दीनता पूर्ण आवाजे लगाते फिरते हैं! जिन्होंने दया-माता का गुणगान नहीं किया, जिन्होंने अपने मनो-मन्दिर में दया देवी को विराजमान नहीं किया, उन्हें दुःख और दरिद्रता का सामना करना पड़ता है। अतएव अगर अपना भला चाहते हो, सब मनोरथ पूरे करना चाहते हो तो दया-माता की सेवा करो।

लोग पत्थर को सिन्दूर लगाते हैं और माता कह कर उसकी पूजा करते हैं। परन्तु यह नहीं समझते कि असली माता तो उन्हीं के घट में विराजमान है। अशिक्षित और अपढ़ लोग ही इस भ्रम में पड़े हो, सो बात नहीं है, वरन् बहुतेरे सेठ, साहूकार और राजा लोग भी इसी भ्रम में पड़े हुए हैं। वे असली माता को भूल गये हैं और उलटी मान्यता पकड़ बैठे हैं। इसका इतना दुष्परिणाम आया है कि वयान नहीं किया जा सकता। 'मेरा बच्चा अच्छा हो जायेगा तो वकरा चढ़ाऊँगा या पाड़ा चढ़ाऊँगा' इस प्रकार की निर्दयता पूर्ण मनोभावना लोगों की बन गई है! यह माताजी की मान्यता नहीं है, मजाक है, आराधना नहीं विराधना है; माताजी को राजी करना नहीं, वरन् नाराज करना है। ऐसे लोग माताजी को जगत् की माता मानते हैं, सब जीव धारियों को उनका पुत्र समझते हैं और फिर भी उनके ही सामने, उन्हीं के निमित्त, उनके पुत्रों के प्राण लेते हैं? क्या इससे कभी माता प्रसन्न हो सकती है? क्या कोई माता अपने बच्चे का वलिदान चाह सकती है और उससे सन्तुष्ट हो सकती है? शेरनी जैसी क्रूर समझी जाने वाली माता भी

अपनी सन्तान की रक्षा करती है तो क्या सारे संसार की रक्षा नहीं चाहेगी ? अवश्य चाहेगी । यही नहीं, अगर वह सच्ची माता है तो अपनी सन्तान का घात करने वाले से बदला लिये बिना नहीं रहेगी ।

कई लोग कहते हैं—क्या करे, जब बच्चा बीमार हो जाय तो उसको बचाने के लिए ऐसा करना पडता है । मगर उन्हें सोचना चाहिए कि एक प्राणी की हत्या से दूसरे प्राणी की रक्षा नहीं हो सकती । वह बालक, जो अकाल में मर रहा है, पहले ऐसे ही काम करके आया होगा । उसने किसी के प्राण लिये होंगे, पाप का उपाजन किया होगा । इसी कारण वह अकाल मृत्यु का शिकार हो रहा है । वह पाप के फल को भोग रहा है । उस पाप के फल को नवीन पाप करके किस प्रकार रोका जा सकता है ? बकरे के प्राण ले लेने से बालक के प्राण कैसे बच जाएंगे ? अगर बालक थोड़ी उम्र लेकर आया है तो वह बचेगा नहीं, और तुम बकरे के प्राण लेकर पाप के भागी अलग ही बन जाओगे ।

मैं यह नहीं कहता कि बीमार बालक का इलाज मत करवाओ और उसे बचाने का प्रयत्न मत करो । मैं तो मानवोचित विवेक से काम लेने की बात कह रहा हूँ । मैं यह कहता हूँ कि कीचड़ को कीचड़ से धोने का प्रयास मत करो । खून के दाग को खून से धोने का प्रयत्न करना उपाहासास्पद है ! इसी प्रकार हिंसा-जनित पाप-कर्म के फल से बचने के लिए हिंसा को मत अपनाओ । दया-माता की करुणामयी मुद्रा को अपने सामने रख कर ही कुछ करो । दया को विसार कर काम करोगे तो अच्छा करने चलोगे और बुरा फल पाओगे । बकरा और पाड़ा जैसे पंचेन्द्रिय जीवों की हत्या से किसी का कल्याण होना सम्भव नहीं है । यह राक्षसी कृत्य है, अनार्यों का अनुकरण करना है । विवेकवान् आर्यपुरुष ऐसे कृत्य भूल कर भी नहीं करेगा । भगवान् ऋषभदेव के आदेश को स्मरण रखो । उन्होंने कहा कि सभी जीवों को अपना-अपना जीवन प्रिय है । सभी जीवित रहना पसन्द करते हैं । क्या पशु, क्या पक्षी और क्या कीड़ा-मकोडा, सभी में जिजीविषा है—जीवित रहने की इच्छा है । अतएव उनके जीवन का घात मत करो । तुम बड़े हो और अधिक सामर्थ्यवान् हो तो तुम्हें अधिकार नहीं कि अपने से छोटे के प्राण लूट लो । बड़े भाई का काम छोटे भाई की रक्षा करना है । मनुष्य बड़ा भाई है, पशु-पक्षी उसके छोटे भाई है । उनकी रक्षा करो । कम से कम अपनी ओर से तो उन्हें कष्ट मत पहुँचाओ ।

भाइयो ! दया समस्त दुखों की एक अमोघ दवा है । अगर आप दया-देवी को दिल में बिठला लोगे तो आपके सारे दुःख और सारी दरिद्रता दूर हो जायगी । निश्चित समझो कि दया-माता के विरुद्ध प्रवृत्ति करने से सारे दुःख होते हैं । अगर दया माता का सच्चा स्वरूप समझ कर

आराधना करोगे तो वह तुम्हारी रक्षा करेगी और तुम्हें सुख मिलेगा । इसे कभी विस्मरण मत करो । यह असली माता है और आखिर जगत् की माता है । इस माता की सवारी कौन-सी है ?

ज्ञानरूप सिंह की असवारी, तप-तिरशूलां हाथ ।  
हाक धाक करती दुश्मन पर, करे रिपु की घात ॥

दया-माता ज्ञान रूपी सिंह पर सवार है । भगवान् ऋषभदेव का और अन्य तीर्थकरों का जो दर्शन है, जो सिद्धान्त है उनके द्वारा उपदिष्ट जो द्वादशांगी है, और आपके अन्तस्तल में रहने वाला जो शुद्ध विवेक है, वही ज्ञान है और उसी पर दया-माता की सवारी है । 'पढमं नाणं तओ दया' अर्थात् ज्ञान आता है और फिर दया आकर उस पर बैठ जाती है । इस दया-माता के हाथ में तपस्या का तीखा त्रिशूल है । तपस्या रूपी त्रिशूल से दया-माता अपने शत्रुओं का संहार करती है । दया का शत्रु कौन है ? हिंसा, भूठ, चोरी, व्यभिचार, लोभ, काम, क्रोध, मद, मोह आदि अवगुण ही इसके शत्रु हैं । दया-माता तपस्या के त्रिशूल का प्रयोग करके इन सब पाप रूप रिपुओं का समूल सहार कर डालती है ।

जहाँ दया की देवी नहीं होती, वहाँ बड़े से बड़े अनर्थ होते हैं । अमेरिका से दया-देवी हट गई तो उसने परमाणु बम के द्वारा हजारों लाखों जापानियों के प्राण ले लिये । यह घटना एक संकेत है, इशारा है । इससे यह बात साफ हो जाती है कि जगत् की स्थिति दया पर ही निर्भर है । अगर दुनिया से दया उठ जायगी तो प्रलय मच जायगा ! दया के अभाव में भाई, भाई के प्राणों का ग्राहक बन जायगा । एक राष्ट्र, दूसरे राष्ट्र का सहार कर डालेगा । कोई सुख-चैन से नहीं रह पाएगा । दया की वदौलत ही सारे सद्गुण हैं । दया के अभाव में एक भी सद्गुण नहीं टिक सकता । अतएव क्या आत्मा के कल्याण के लिए, क्या देश के कल्याण के लिए और क्या जगत् के कल्याण के लिए, दया ही एक मात्र समर्थ साधन है ! दया के बिना संसार का त्राण नहीं है । शान्ति की सैकड़ों योजनाएँ बनाई जाएँ, मगर वे विफल ही होंगी, अगर उनके मूल में दया नहीं होगी । क्योंकि शान्ति का मूल आधार दया ही है ।

अष्ट कर्म का मुण्ड तोड़ कर, धरी रुंड की माल ।  
अष्ट प्रकारे धार विभूति, गले मोतियन की माल ॥

आत्मा को दुःख देने वाले आठ कर्म हैं । काम, क्रोध आदि दुर्गुणों को उत्पन्न करने वाले भी यही हैं । अतएव यह आत्मा के दुश्मन हैं । जब दया-माता घट में आकर विराजमान हो जाती है तो जानावरणीय, दर्शनावरणीय, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र और अन्तराय, इन आठों कर्मों के सिर काट लेती है और आशीर्वाद देती है—जा, तू केवल ज्ञान का भागी हो; तुझे

अनन्त दर्शन और निराबाध सुख प्राप्त होगा ! दया-माता इन आठो कर्मों के सिर की माला अपने गले में पहन लेती है और नी तत्त्व रूपी मोतियों का नव लड़ा हार पहनती है । इस माता के भी चार हाथ हैं.—

दानादिक चउ भेद विराजे, भुजा-दण्ड विस्तार ।  
विनय-मुकुट सिर ऊपर सोहे, ऐसो कियो सिणगार ॥

दया-माता की चार भुजाएँ हैं । दोनो तरफ दो दो हाथ हैं । पहला दान का, दूसरा शील का, तीसरा तपस्या का और चौथा भावना का है । जो आदमी दान नहीं देता, समझ लो कि उसने दया-माता का पहला हाथ तोड़ दिया है । जो ब्रह्मचर्य नहीं पालता उसने दूसरा हाथ तोड़ दिया है, तपस्या नहीं की तो तीसरा हाथ खण्डित कर दिया और जो भावना नहीं भाता, उसने चौथा हाथ काट डाला है ! ऐसा जीव मर कर वनस्पतिकाय आदि में जन्म लेगा, जहाँ उसे हाथ-पैर नहीं मिलेंगे । इसके विपरीत, जो भाग्यशाली पुरुष दया-माता के चारों हाथों का जतन करेगा, उसे परिपूर्ण अवयवों वाला सुन्दर शरीर मिलेगा और वह ऐसे सुख का भागी होगा कि सपने में भी दुःख का सामना नहीं करना पड़ेगा ।

भाइयो ! इस दया-माता की महिमा का क्या पूछना ? उसका प्रभाव अपरिमित है, उसका महात्म्य अनन्त है ! उसके गुणों का वर्णन करना सम्भव नहीं है । दया-माता के मस्तक पर विनय का अर्थात् नम्रता का सुन्दर मुकुट सुशोभित होता है । जिस मनुष्य में नम्रता हो, समझना चाहिए कि उसने दया-माता के मस्तक पर मुकुट चढाया है । नम्रता का मुकुट चढाने वाला इस लोक में और परलोक में मानव-समाज का मुकुटमणि हो जाता है । सब के आदर और सम्मान का पात्र होता है । सभी उसकी प्रशंसा करते हैं । वह सर्वत्र सम्माननीय होता है । अतएव जिसे जो चीज पसन्द हो, जो जैसा फल प्राप्त करना चाहता हो, वह दया-माता की वैसी ही आराधना करे ।

कोई पूछे कि दया-माता का मन्दिर कहाँ है ? उसका उत्तर यह है :—

मोक्ष-मन्दिर की है तू वासी, खासा सुख दातार ।  
चार तीर्थ थारे आवे यातरी, भरा रहै तब द्वार ॥

भाई ! इस दया-माता का मन्दिर मोक्ष में है । आप कहोगे कि यह मन्दिर तो बड़ी दूर है ! मगर जिसे जरूरत होगी, तो जाएगा ही । जिसे धन की आवश्यकता होती है, वह देश-विदेश की परवाह नहीं करता । दूर-पास की गिनती नहीं करता । वह तो अपने प्रयोजन को सिद्ध करने की ही भावना रखता है । जिसे मोक्ष चाहिए, उसे पुरुषार्थ भी करना चाहिए । प्रयत्न भी करना चाहिए ।



दूसरी माताजी के पास तो लोग कभी-कभी दशहरे आदि के अवसर पर ही जाते हैं, मगर दया-माता की सेवा में सदैव यात्री आते रहते हैं। उनका दरवार सदा भरा रहता है। देखो इन दया-माता के हम पन्डे हैं और इनकी उपासना के लिए तुम सब आये हो और प्रतिदिन आते हो ! हमारी यह दया-माता अनन्त वरदायिनी है। अगर इन्हें प्रसन्न नहीं करोगे तो तुम्हारी क्या दशा होगी ? जानते हो, माता रुष्ट हो जाती है तो वह बच्चे को दूध नहीं पिलाती है। इसलिए हम प्रतिदिन और प्रतिक्षण दया-माता को प्रसन्न करने का प्रयत्न करते रहते हैं। हम गाँव-गाँव में दया-माता का धाम बनाते और चलाते हैं। दया-माता की पूजा में चारों तीर्थ सम्मिलित होते हैं। दूसरी माताजी के यहाँ तो नवरात्रि के समय ही बाजे बजते हैं, किन्तु यहाँ—

**सत्तरह विधि संयम को थारे, बाजा का भरणकार ।**

**ध्यान ध्वजा थारे उड़े शिखर पर, लाग रही धूँधकार ॥**

सत्तरह प्रकार का समय जिसका साधु और साध्वी पालन कर रहे हैं, वही दया-देवी के स्थान पर रात-दिन वजने वाले नगाड़े है। दया-माता के मन्दिर पर ध्यान रूपी ध्वजा चढ़ाई जाती है। जिसे ध्वजा चढ़ानी हो, वह ध्यान की ध्वजा चढ़ा कर अपने कल्याण की ध्वजा फहरा सकता है। कम से कम चार लोगसस का सवेरे, दोपहर और शाम को तथा हो सके तो बारह वजे रात को ध्यान करना। जिसे लोगसस का पाठ न आता हो, उसे नवकार मंत्र का ही ध्यान करना चाहिए। दया-देवी को किसी कपड़े की ध्वजा नहीं चाहिए। वह ध्यान की ध्वजा से सन्तुष्ट होगी। और फिर क्या है :—

**ऋद्धि सिद्धि नव निधि दाता, भरे अखूट भण्डार ।**

**अष्ट पहर थारा मंगल गावे, हो रया मंगलाचार ॥**

दया-माता सब प्रकार की ऋद्धि-सिद्धि देने वाली है, उसके अनुग्रह से नव-निधियो की प्राप्ति होती है। वह ऐसा भण्डार भर देती है कि फिर कभी खाली ही नहीं होता। आठ प्रवचनों की आराधना करने वाला कर्मों की कोटी खपाता है और उत्कृष्ट रसायन आने पर तीर्थकर गौत्र वाँधता है। जहाँ दया-माता है, वहाँ सब प्रकार का आनन्द होता है। किसी प्रकार का दुःख दारिद्र्य उमके आस-पास नहीं फटकता !



## धर्म की रीढ़ : अहिंसा

□ उपाध्याय श्री पुष्कर मुनि

धर्म ने मानव जाति की जो अनेकानेक दिव्य विभूतियाँ प्रदान की हैं, अहिंसा उन सब में उत्कृष्ट है। अहिंसा ही मानव की आकृति में मानवत्व और देवत्व के प्राणों की प्रतिष्ठा करती है। कभी-कभी ध्यान आता है—मानव-मन में यदि अहिंसा की कोमल कमनीय भावना न होती तो इसकी क्या स्थिति होती ? मनुष्य ने परिवार, समाज और राष्ट्र का निर्माण किया और अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध स्थापित किया, मगर इन सब का मूलाधार अहिंसा ही है। अहिंसा के अभाव में परिवार-समाज और राष्ट्र का अस्तित्व सुरक्षित नहीं रह सकते। मानव-जाति के महान् मनीषियों ने अब तक के विराट् और गम्भीरतम चिन्तन का सर्वोत्कृष्ट सार यदि कुछ है तो वह अहिंसा ही है।

स्वामी समन्तभद्र ने कहा है—

**अहिंसा भूतानां जगति विदितं ब्रह्म परमम् ।<sup>१</sup>**

व्यक्ति और समाज के जीवन का प्रधान अवलम्बन अहिंसा है। अहिंसा के प्राण ही उसमें स्पन्दित दिखाई देते हैं। जिस प्रकार ग्वासोच्छ्वास प्राण के अभाव में व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता, इसी प्रकार अहिंसा के प्राण के बिना भी व्यक्ति और समाज जीवित नहीं रह सकता।

**अहिंसा आत्मा का स्वभाव है :**

पाश्चात्य सभ्यता की गन्दगी को, विना विचार और विवेक के, शिरो-धार्य करने वाले नासमझ लोग धर्म के विरुद्ध कितना ही विष-वमन क्यों न करे, धर्म आत्मा में एक रस है। वह आत्मा का स्व-भाव है, अतएव आत्मा की तरह ही अमर है, उसकी आदि नहीं, अन्त भी नहीं। इसलिए अहिंसा भी अमर है। वह प्राणिमात्र में नैसर्गिक है। घोर से घोर हिंसक समझे जाने वाले प्राणी के अन्तरतर में भी अहिंसा के किञ्चित् सौम्य कण विद्यमान रहते हैं। अगर हम विचार के लोचनों में उसके हृदय के आन्तरिक रूप को देख पाएँ तो वहाँ भी अहिंसा भगवती का परम सुन्दर स्वरूप प्रतिष्ठित मिलेगा।

हिंस्र जन्तुओं पर विचार करते ही हमारा ध्यान सर्वप्रथम सिंह की ओर आकर्षित होता है। व्याकरणशास्त्र के अनुसार भी 'हिस्' धातु के 'सिह' शब्द

१. बृहद् स्वयम्भूस्तोत्र

व्युत्पन्न हुआ है। वास्तव में सिंह अत्यन्त खूंखार जानवर है और उसकी स्मृति ही साधारण मनुष्य के हृदय को प्रकम्पित कर देती है। सामना हो जाने पर तो कहना ही क्या है? बड़े-बड़े शूरवीरों के भी देवता कूच कर जाते हैं और होश-हवास गायब हो जाते हैं। मगर क्या कभी सोचा है आपने कि उस ओर हिंस्र प्राणी के कलेजे में भी करुणा की कोमल मूर्ति विद्यमान रहती है, जो अहिंसा का एक ही रूप है। अगर सिंह में अहिंसा की वृत्ति न होती तो सिंहजाति इस धरातल से कभी की समाप्त हो गई होती। सद्यः प्रसूत सिंह शावक की प्राणरक्षा कौन करता है? तब वह अपनी शक्ति के बल पर जीवित नहीं रहता, वरन् सिंह-सिंहिनी की अहिंसा-करुणा की वृत्ति ही उसके प्राणों का संरक्षण और संपोषण करती है। इसीलिए कहता हूँ कि अहिंसा आत्मा का स्वभाव है और जो जिसका स्वभाव है, वह उससे पूरी तरह अलग नहीं हो सकता।

### अहिंसा का इतिवृत्त :

अहिंसा का इतिवृत्त क्या है? वह कब इस धराधाम पर अवतरित हुई? किस लोकोत्तर महापुरुष के मस्तिष्क में उसने जन्म लिया? इन प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं है और न हो सकता है। पुरातन होने ही से कोई वस्तु उपादेय हो और नूतन होने से हेय हो जाय, यह हेयोपादेय की कोई कसौटी नहीं है। अहिंसा अगर इस युग का आविष्कार होती तो भी अपनी विशिष्टता के कारण वह उपादेय ही होती, मगर ऐसा है नहीं। वस्तुतः अहिंसा सनातन सत्य है और किसी भी काल में उसके अभाव की कल्पना नहीं की जा सकती।

मेरा अभिप्राय यह नहीं है कि अनादि काल से अहिंसा का एक ही रूप रहा है और युग के चिन्तन का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वास्तव में अहिंसा का स्वरूप अत्यन्त विराट् है और वह हमारे सहस्रो रोगों की एकमात्र अमोघ औषध है। इसी अतीत में वह नाना रूपों में मानव-जाति के समक्ष प्रस्तुत हुई है और जब समाज में जिस रोग ने अपना सिर उठाया; उसके एक विशिष्ट रूप ने उसका प्रतिकार किया है।

जैन इतिहास के वेत्ता भलीभाँति जानते हैं कि भगवान् अरिष्टनेमि ने, जिनका उल्लेख वेदों में भी मिलता है, किस प्रभावशाली तरीके से हिंसा का प्रतिकार किया था! तत्कालीन क्षत्रिय-वर्ग में जिह्वा-लोलुपता ने अपना आसुरी स्वरूप ग्रहण कर लिया था। वे मासभक्षी हो गये थे। तब विवाह के ऐन अवसर पर अरिष्टनेमि तोरण से वापिस लौट गये पशुओं की सहानुभूति में। श्रीकृष्ण ने साँ-साँ वार मनुहार की, परन्तु अरिष्टनेमि के उस सत्याग्रह को वे भग्न न कर सके। उनके इस त्याग ने क्षत्रियों के नेत्र खोल दिये।

भगवान् पार्श्वनाथ ने अपनी कुमारावस्था में नाग जैसे विपधर की भी रक्षा के लिए एक महान् गिने जाने वाले तपस्वी से मोर्चा लिया और अहिंसा की मृदमता की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित किया।

भगवान महावीर के युग में हिंसा ने धर्म से नाम पर पुनः सिर उठाया तो भगवान ने शक्ति के साथ उसका सामना किया है और बड़े-बड़े याजिकों को अहिंसा देवी के चरणों में झुकाया। उनके समय में वैचारिक संघर्ष ने, उग्र और भीषण रूप धारण किया था। दार्शनिक विद्वान् विद्यामद से मतवाले होकर परस्पर एक-दूसरे को नीचा दिखाने में ही अपना गौरव मानते थे और ऐसा करते हुए सत्य की हत्या करने में सकोच नहीं करते थे। तब त्रिशला-नन्दन ने अनेकान्त के रूप में वैचारिक अहिंसा का मधुर शखनाद किया और जगत् को एक सन्मार्ग प्रदर्शित किया।

भारत का राजशासन विदेशियों ने हथिया लिया और देश गुलाम बन गया तो गाँधीजी को अहिंसा की पुरातन विरासत की स्मृति आई। उन्होंने गुलामी की दीनता जनक व्याधि को दूर करने के लिए अहिंसा की रामबाण औषध का प्रयोग किया। उसका एक नया सामूहिक प्रयोग जनता के सामने आया और वह शान के साथ सफल हुआ।

विनोबाजी ने आर्थिक एवं सामाजिक क्षेत्र में फैली विषमता की बीमारी पर अहिंसा का प्रयोग किया।

### अहिंसा और विश्वशान्ति :

अभिप्राय यह है कि भिन्न-भिन्न युगों में अहिंसा हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार की कठिन समस्याओं को सुलझाने का साधन रही है और इसी से उसके नये-नये पहलू जनता के सामने आते रहे हैं। वास्तव में अहिंसा की उपयोगिता अमर्याद और शक्ति अचिन्त्य है।

इस युग में विज्ञान के दानव ने जो भयानक हिंसा के साधन प्रस्तुत किये हैं उन्हें देखकर विश्व के विचारशील नेता चिन्तित हो उठे हैं और अहिंसात्मक उपायों से उनके प्रतिकार का विचार और प्रचार कर रहे हैं। अहिंसा के अतिरिक्त विश्वशान्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं हो सकता।

### अहिंसा और पशुजगत्

इतना सब कुछ होने पर भी यह नहीं कहा जा सकता कि शासनक्षेत्र में अहिंसा का व्यापक स्वरूप समझा गया है। ऐसा लगता है कि हमारे देश के राजकर्ता अहिंसा को मानव-जाति तक ही सीमित रखना चाहते हैं। मगर यह जगत् मनुष्य-जाति में ही अशेष नहीं है। बहुत बड़ी दुनिया मानवेतर जीव-धारियों की भी है, जिन्हे हमारी तरह वाणी प्राप्त नहीं है और जो अपने विराट् सगठन और यूनियन नहीं बना सकते और चिल्लाहट नहीं मचा सकते। उन दीन-हीन प्राणियों के प्रति, जो हमारे ही परिवार के अविकसित और अबोध सदस्य हैं, हमारा क्या कर्तव्य है? जब तक हमारी करुणा की विमल धारा उन तक नहीं पहुँचती, तब तक अहिंसा लगड़ी ही रहेगी और

क्षमता नहीं आ सकेगी। अगर हम चाहते हैं कि एक देश दूसरे देश के प्रति, एक वर्ग दूसरे वर्ग के प्रति और एक जाति दूसरी जाति के प्रति अहिंसक व्यवहार करे और मनुष्य का अन्तःकरण हिंसा के दानवी सस्कार से छुटकारा पा ले तो हमें अपने परिवार के उन छोटे सदस्यों के प्रति भी सदय बनना पड़ेगा। जब तक हम मनुष्येतर प्राणियों के प्रति भी दयाशील न होंगे, तब तक हृदय में क्रूरता, कठोरता और हिंसा-भावना बनी रहेगी और जब हृदय में निर्दयता और हिंसाभावना विद्यमान होगी तो उसका प्रयोग मनुष्य, मनुष्य के प्रति भी करने से नहीं चूकेगा। अतएव मनुष्येतर प्राणी, प्राणी होने के नाते भी करुणा के पात्र है और इसलिए भी कि इस प्रकार की करुणा के अभाव में मनुष्य, मनुष्य के प्रति पूरी तरह करुणाशील नहीं बन सकता।

जिसका एक पंख काट दिया गया हो, ऐसे पक्षी से व्योम में उड़ान भरने की आशा नहीं की जा सकती। एक टांग के बल पर मनुष्य दुरूह पथ पर चल कर अपनी दूर की मंजिल तक नहीं पहुँच सकता। इसी प्रकार एकांगी अहिंसा भी अपने उद्देश्य को पूरा नहीं कर सकती—मानव के मन में से हिंसा के संस्कारों का समूल उन्मूलन नहीं कर सकती।

अहिंसा एक जीवनव्यवहार्य सिद्धान्त है। वह वाणी विलास नहीं है। तथापि यह आशा नहीं की जा सकती कि प्रत्येक दशा में, प्रत्येक मनुष्य उसका पूर्णरूपेण व्यवहार करेगा। मनुष्य को अहिंसा के पथ पर ही चलना चाहिए और जितना सम्भव हो, अग्रसर होते जाना चाहिए। किन्तु हमारे चलने की एक सीमा है, अतएव अहिंसा को भी हम सीमित कर ले और उसके आगे की अहिंसा को अहिंसा ही न समझे, यह बुद्धिमत्ता नहीं। शास्त्र कहता है—

जं सक्कइ तं कोरइ, जं च न सक्कइ तस्स सद्दहणं ।  
सद्दहमाणो जीवो, पावइ अयरामरं ठाण ॥

—धर्मसंग्रह

मनुष्य अपने कर्तव्य का, धर्म का या सिद्धान्त का जितना व्यवहार (आचरण) कर सकता हो, करे किन्तु जिस अंश का व्यवहार करना उसकी शक्ति से परे हो, उस पर भी श्रद्धा अवश्य रखे, उसे प्राप्य माने और प्राप्त करने के लिए भरसक प्रयत्न करे। इस प्रकार श्रद्धाशील पुरुष को एक न एक दिन मुक्ति मिल जाती है।

हिंसा क्या है ?

जीवन में अहिंसा का अमल कितनी सीमा में किया जा सकता है। इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले यह जान लेना आवश्यक है कि वास्तव में अहिंसा क्या है और हिंसा क्या है ? साधारणतया किसी भी प्राणी को प्राणों से वियुक्त करना हिंसा समझा जाता है; परन्तु हिंसा की यह व्याख्या परिपूर्ण नहीं है।

प्राणों का विनाश होना द्रव्य-हिंसा है, मगर द्रव्यहिंसा तभी हिंसा के पाप में परिगणित होती है, जब वह प्रमाद-कपाय से प्रेरित हो। प्रमाद-कपाय ही चास्तविक हिंसा है और जैनागम उसे भाव-हिंसा कहते हैं। आचार्य अमृतचन्द्र ने स्पष्ट शब्दों में कहा है—

यत्खलु कषाययोगात्, प्राणानां द्रव्यभावरूपाणाम् ।  
व्यपरोपणस्य करणं, सुनिश्चितता भवति सा हिंसा ॥

क्रोध आदि कषायों के योग से किसी भी प्राणी के या अपने निज के प्राणों का व्यपरोपण करना निश्चित रूप से हिंसा है। और—

अप्रादुर्भावः खलु रागादीनां भवत्यहिंसेति ।  
तेषानेवोत्पत्तिर्हिंसेति जिनागमस्य संक्षेपः ॥

—पुरुषार्थसिद्ध युपाय

जैनागमों में हिंसा-अहिंसा के सम्बन्ध में बहुत विस्तृत, विशद और गहन मीमांसा की गई है। किसी अन्य धर्म के शास्त्रों में ऐसी मीमांसा नहीं मिलती इसका कारण यही है कि समग्र जैनाचार का आधार अहिंसा ही है।

कृत्य और अकृत्य की कसौटी :

क्या कृत्य है और क्या अकृत्य है, इसकी प्रमुख कसौटी अहिंसा ही है। सत्य भी धर्म है, अस्तेय भी उपादेय है, ब्रह्मचय भी आराधनीय है, पर यह सब धर्म अहिंसा धर्म की ही शाखाएँ हैं। कहा भी है—

आत्मपरिणामहिसन—हेतुत्वात्सर्वमेव हिंसैतत् ।  
अनृतवचनादि केवल—मुदाहृतं शिष्यबोधाय ॥

असत्य भाषण, अदत्तादान, मैयुन और परिग्रह—इन सब पापों के आचरण से आत्मा के परिणामों की हिंसा होती है। अतएव भाव-हिंसा के कारण होने से ये सभी पाप-हिंसा ही हैं। तथापि स्फुट रूप से समझाने के लिए और जिज्ञासु जन किसी प्रकार के भ्रम में न पड़ जायें, इस दृष्टि से असत्यभाषण आदि की पृथक् गणना की गई है।

तात्पर्य यह है कि अहिंसा ही सम्यक्चारित्र्य और पापाचार का मापक दंड है। समस्त कर्तव्यों में अहिंसा ही मूर्धन्य कर्तव्य है। अतएव आगमों में उसके वारीक से वारीक व्याख्या उपलब्ध होना स्वाभाविक ही है। प्रत्येक व्यक्ति में इतनी योग्यता नहीं हो सकती कि वह अहिंसा विषयक समग्र श्रुत का अध्ययन और मनन कर सके। ऐसे जिज्ञासुओं के लिए आचार्य अमृतचन्द्र अहिंसाविषयक मन्थन का मक्खन प्रस्तुत करते हुए कहते हैं—जैनागमों में प्रतिपादित हिंसा-अहिंसा का संक्षिप्त सार यही है कि रागादि क्लुषित भावों का प्रादुर्भाव न होना अहिंसा है और क्लुषित भावों की उत्पत्ति हीना हिंसा है।

## हिंसा और अहिंसा का विश्लेषण :

वाचक उमास्वाति ने भी 'तत्त्वार्थसूत्र' में यही कहा है—

**'प्रमत्तयोगात् प्राणव्यपरोहणं हिंसा ।'**

यह उक्ति प्रसिद्ध ही है कि संयमी पुरुष यदि यतना के साथ, सावधान और सतर्क रहकर, किसी भी जीव के प्राणों का घात न होने देने की बुद्धि से, चार हाथ भूमि देख-देख कर चल रहा है, फिर भी यदि अचानक कोई जीव उड़ कर या अन्य किसी तरीके से उसके पैर से कुचल जाता है तो वह संयमी पुरुष हिंसा के पाप से लिप्त नहीं होता ।

अभिप्राय यह है कि प्रमाद और कषाय से किया जाने वाला प्राणवध हिंसा है । इस हिंसा से बचने का उपाय प्रमाद और कषाय का परित्याग करना है । इस विवेचन से पूर्वोक्त से निवृत्त होता जाता है, उतने ही उतने अंगों में हिंसा से बचता है ।

स्थूल (द्रव्य) हिंसा न करने पर भी जिसके अन्तःकरण से हिंसक भावना प्रचुर है, वह प्रचुर हिंसा का भागी होता है । इस सम्बन्ध में तन्दुल मत्स्य का सुन्दर उदाहरण प्रसिद्ध है । अहिंसा का पालन करने के लिए आवश्यक है कि साधक अपने अन्तःकरण को स्वच्छ, पवित्र और अकलुष बनाए । अन्तःकरण में क्रोध, मान, कपट, आसक्ति, राग, द्वेष, ईर्ष्या आदि की कालिमा का प्रवेश न होने दे । इतना करने पर वह अपना धर्मोपेत जीवन-व्यवहार चलाता हुआ भी अहिंसा की साधना कर सकता है ।

## भ्रान्तधारणाओं का निराकरण :

अहिंसा के सम्बन्ध में अनेक प्रकार की भ्रान्त धारणाएँ सुनने को मिलती हैं । कुछ लोग समझते हैं कि यह पृथ्वी सिर्फ हमारे लिए अर्थात् मनुष्य-जाति के लिए ही है । हमारा ही इस पर एकाधिपत्य है । अन्य प्राणियों को इस पर रहने और जीवन-निर्वाह करने का अधिकार नहीं । इस प्रकार की विचारधारा से प्रेरित होकर वे वन्य पशुओं का, कुत्तों का, बन्दरों का, हिरणों का और दूसरे जीवों का वध करते हैं, करवाते हैं या किये जाने वाले वध का समर्थन करते हैं । मगर निष्पक्ष विचार करने से स्पष्ट प्रतीत होता है कि यह विचारधारा 'जिसकी लाठी उसकी भैंस' इस पुरानी लोकोक्ति को चरितार्थ करती है । यह स्वार्थी विचार जंगलीपन की निशानी है । इसमें न्याय अथवा औचित्य के लिए कोई स्थान नहीं है । किसने धरती का पट्टा मनुष्य के लिए लिख दिया है ? वास्तव में जो भी जीवधारी इस धरती पर जन्मा है, उसे इस पर रहने का अर्ह उममें पोषण प्राप्त करने का अधिकार है । सिर्फ दस कारण कि मनुष्य में, इतर जीवों की अपेक्षा अधिक सामर्थ्य है, वह दूसरों के जन्मजात

अधिकारो को नहीं छीन सकता। वह छीन सकता है तो प्रकृति उसे समुचित दंड दिये बिना नहीं रहती।

इस प्रकार की संकीर्ण और स्वार्थमय भावना का दंड मनुष्य-जाति को किस प्रकार भुगतना पडता है, यह जानने के लिए तपस्या करने की आवश्यकता नहीं। यह भावना बढ़ते-बढ़ते मनुष्य-मनुष्य में भी इसी प्रकार की धारणा उत्पन्न किये बिना नहीं रहती। शासक वर्ग समझता है कि पृथ्वी उसकी वर्षाती है और शासितों को जीवित रहने का अधिकार नहीं अगर वे जीवित रहे तो हमारी सुख-सुविधा के लिए जीएं। इस प्रकार की समझ के कारण अतीत में मनुष्य ने मनुष्य के साथ भीषण और लोमहर्षक अत्याचार किये हैं और उन अत्याचारो की आज भी इति नहीं हो पाई है।

**दुर्वृत्ति का उद्गम कहाँ से ?**

प्रश्न यह है कि आखिर मनुष्य में इस वृत्ति का उद्गम हुआ कहाँ से ? विचार से विदित होता है कि इस दुर्वृत्ति का बीज मनुष्येतर प्राणियों के अधिकारो की अस्वीकृति में ही छिपा है। जब तक मनुष्य, मनुष्येतर प्राणियों के प्रति न्याय नहीं करेगा, मनुष्य के प्रति भी न्याय नहीं कर सकता।

अहिंसा का उपासक इस प्रकार की अनैतिक एवं अधार्मिक वृत्ति को न अपने हृदय में स्थान दे सकता है, न इसका समर्थन ही कर सकता है।

लोग कहते हैं—सिंह, व्याघ्र और सर्प जैसे हिंस्र प्राणियों का वध करना अनुचित नहीं है, क्योंकि उनसे हमें खतरा है। मगर वे प्राणी भी यही कह सकते हैं। उन्हें भी मनुष्य से खतरा है। हिंस्र प्राणियों से मनुष्य को जितना खतरा हो सकता है, उसकी अपेक्षा उन्हें मनुष्य से कहीं बहुत अधिक खतरा होता है। मनुष्य के पास हिंसा के साधन शस्त्र हैं—और वह दूर से भी उन पर प्रहार करता है। दल बनाकर भी उसके प्राण लूटता है। वेचारे पशु इस प्रकार के आयोजन नहीं कर सकते।

**आत्मवत् सर्वभूतेषु :**

अहिंसा के सम्बन्ध में इसी प्रकार की अन्यान्य भ्रान्तियों भी फैली हुई हैं। मगर उन सबसे मुक्ति पाने का और सही स्वरूप समझने का सरल उपाय है—आत्म-साक्षी। ज्ञानियों ने हिंसा-अहिंसा का निर्णय करने के लिए एक अभ्रान्त कसौटी हमें पकडा दी है—आत्मवत् सर्वभूतेषु। दूसरों द्वारा किये जाने वाले जिस व्यवहार को तुम अपने लिए उचित नहीं समझते, वह व्यवहार दूसरो के प्रति करना भी अनुचित है। दूसरों के अपने प्रति किये गये जिस कार्य से तुम्हें पीड़ा पहुँचती है, समझ लो वैसा तुम्हारा कार्य भी दूसरो को पीड़ा पहुँचाता है। इस प्रकार शुद्ध बुद्धि से न्यायपूर्ण विचार करने पर, स्वतः



हिंसा-अहिंसा का भेद समझ में आ जाता है ।

प्राचीन काल में हिंसा के साधन आज की भाँति शक्तिशाली और दूर-दूर तक व्यापक प्रभाव डालने वाले नहीं थे । आज जब ऐसे अगणित साधन निर्मित हो चुके हैं और हिंसा अत्यन्त शक्तिशाली बन गई है, तब उसका प्रतिकार करने के लिए अहिंसा को भी अत्यधिक सक्षम बनाने की आवश्यकता है । इसी कारण अहिंसा के पक्ष में भी जोरदार आवाज उठने लगी है । अहिंसा के भक्तों और अनुयायियों को चाहिए कि अहिंसक वातावरण के निर्माण में पूर्णरूपेण सहयोग दें ।

## त्याग : त्यागी

कर्म से, धन से अथवा सन्तान से विद्वानों ने अमृत रूप मोक्ष नहीं प्राप्त किया है ।

—अज्ञात

छोटी वस्तुओं की अपेक्षा बड़ी वस्तुओं का त्याग है ।

—मॉन्टेन

जिस आदमी की त्याग की भावना अपनी जाति के आगे नहीं बढ़ती, वह स्वयं स्वार्थी होता है और अपनी जाति को भी स्वार्थी बनाता है ।

—महात्मा गाँधी

त्याग का प्रेम के साथ गहरा संबंध है—ऐसा संबंध है कि यह निश्चय करना कठिन है कि कौन आगे है और कौन पीछे । प्रेम के बिना त्याग नहीं होता और त्याग के बिना प्रेम असम्भव है ।

—रवीन्द्रनाथ ठाकुर

त्याग का ही दूसरा नाम महत्त्व है । प्राणों का मोह त्याग करना वीरता का रहस्य है ।

—जयशंकर प्रसाद

त्याग के समान कोई सुख नहीं है ।

—महात्मा गाँधी

त्याग के सिवा इस संसार में कोई शक्ति नहीं है ।


—स्वामी रामतीर्थ

त्याग से पाप का मूलधन चुकता है और दान से पाप का व्याज ।

—विनोबा भावे

पतझड़ हुए बिना पेड़ों में फल नहीं लगते हैं ।

—रज्जव जी



# अहिंसा के नामों की सार्थकता

□ अनुयोग प्रवर्तक श्री कन्हैयालजी म. 'कमल'

दसवें अंग आगम 'प्रश्न व्याकरण' के संवर द्वार मे प्रथम संवर अहिंसा है । इसमे अहिंसा के निम्नलिखित नामों की सार्थकता सिद्ध करने का प्रयास किया जाता है—

१. निर्वाण २. निवृत्ति ३. समाधि ४. शक्ति ५. कीर्ति ६. कान्ति  
७. रति ८. विरति ९. श्रुतांग १०. तृप्ति ११. दया १२. विमुक्ति  
१३. क्षान्ति १४. सम्यक्त्व आराधना १५. महती १६. बोधि  
१७. बुद्धि १८. धृति १९. समृद्धि २०. ऋद्धि २१. वृद्धि २२. स्थिति  
२३. पुष्टि २४. नन्दा २५. भद्रा २६. विशुद्धि २७. लब्धि  
२८. विशिष्ट दृष्टि २९. कल्याण ३०. मंगल ३१. प्रमोद ३२. विभूति  
३३. रक्षा ३४. सिद्धावास ३५. अनाश्रव ३६. केवलस्थान ३७. शिव  
३८. समिति ३९. शील ४०. संयम ४१. शील परिग्रह ४२. संवर  
४३. गुप्ति ४४. व्यवसाय ४५. उन्नति ४६. यज्ञ ४७. आयतन  
४८. यजन ४९. अप्रभाव ५०. आश्वासन ५१. विश्वास ५२. अभय  
५३. अमारि ५४. चोक्ख ५५. पवित्र ५६. शुचि ५७. पूजा  
५८. विमला ५९. प्रभासा ६०. निर्मला ।

१ निर्वाण :—जिस साधक के मन से कामदेव के पांचों काम-बाण निकल गये हैं, वह निर्वाण है । कामदेव का जन्म मन से होता है, इसलिए कामदेव को मनसिज कहा जाता है अथवा कामदेव मन को मथने वाला है, इसलिए मन्मथ कहा जाता है । कामदेव के पांच बाण प्रसिद्ध हैं :—

उन्मादन स्तापनश्च, शोषण स्तम्भन स्तथा ।

समोहनश्चकामस्थ, पंच बाणा प्रकीर्तिता ॥

जहा उन्माद नहीं है, वहा अहिंसा है, जहां ताप (संताप परिताप) नहीं है, वहाँ अहिंसा है, जहाँ शोषण नहीं है, वहाँ अहिंसा है, जहाँ स्तम्भन नहीं है, वहाँ अहिंसा है, जहा संमोहन नहीं है वहा अहिंसा है । ये पांचों बाण जिसके मन से निकल गये हैं वहा निर्वाण है—अतएव निर्वाण अहिंसा है ।

१ निर्वाण—वात (वायु) रहित स्थिति निर्वाण है । जहा वायु जैसी चंचलता नहीं है अर्थात् स्थिरता है वहाँ अहिंसा है ।

२ निवृत्ति—वृत्तियाँ तीन प्रकार की हैं—१. कृषि २. १-२ :  
३ वाणिज्य । जीवन-निर्वाह के लिए किए जाने वाले कार्य वृत्तियाँ हैं । उक्त तीन वृत्तियों से जहाँ निवृत्ति है वहाँ अहिंसा है ।

३. समाधि :—सम भाव की प्राप्ति समाधि है । जहाँ समत्व की भावना है वहाँ अहिंसा है अथवा आधि-मन की व्यथा जहाँ समत्व से समाप्त हो गई है वहाँ समाधि अहिंसा है ।

४. शक्ति :—शक्ति दो प्रकार की है—१. शारीरिक शक्ति और २. आध्यात्मिक शक्ति । शारीरिक शक्ति पाशविक शक्ति है । आध्यात्मिक शक्ति अहिंसा है ।

५. कीर्ति :—अहिंसा परम—उत्कृष्ट धर्म है, अतः अहिंसक की कीर्ति सर्वत्र होती है ।

६. कान्ति :—क अन्ति कान्ति अर्थात् कण्टो का अन्त होना, कान्ति है । कण्टों वाले व्यक्ति का मुँह म्लान रहता है और कण्ट रहित व्यक्ति का मुँह कान्ति युक्त होता है । जहाँ कण्ट नहीं है वहाँ अहिंसा है ।

७. रति :—र से रज ति—तितिक्षा । रज की तितिक्षा रति है । रज से यहाँ कर्म-रज ग्रहण करे । कर्म-रज के त्याग की इच्छा ही अहिंसा है । पापे रति मा कृथा ।

८. विरति :—विगता रति, विरति । रति—मैथुन का पर्यायवाची है । मैथुन से निवृत्ति अहिंसा है ।

९. श्रुतांग :—श्रुत आगम में प्रतिपादित संवर का एक अंग अहिंसा है ।

१०. तृप्ति :—‘तृ’ से तृष्णा समाप्ति । यहाँ अंतिम अक्षर लेकर शब्द रचना की गई है । तृष्णा की समाप्ति ही तृप्ति है । अतएव तृप्ति अहिंसा है ।

११. दया :—‘द’ से दर्द ‘या’ से याद । अपने दर्द को याद रखकर दूसरे के दर्द को समझना ही दया है । अतएव दया अहिंसा है ।

१२. विमुक्ति :—‘वि’ विशिष्ट मुक्ति विमुक्ति अर्थात् सर्वथा मुक्ति, बन्धन से मुक्त करना अहिंसा है । बन्धन दो प्रकार के है—१. द्रव्य बन्धन, २. भाव बन्धन । अहिंसा का आराधक इन दोनों बन्धनों से मुक्त हो जाता है ।

१३. क्षान्ति :—‘क्ष अन्ति क्षान्ति’ ‘क्ष’ से क्षत—दुःख, भय, खतरा आदि का अन्त होना क्षान्ति है, अतएव क्षान्ति अहिंसा है ।

१४. सम्यक्त्व :—आराधना—जहाँ सम्यक् ज्ञान, दर्शन, चारित्र की साधना है वहाँ अहिंसा है ।

१५. महती :—अहिंसा मन की चंचलता को हत करने वाली है अर्थात् अहिंसा चंचलता को समाप्त करके मन को स्थिर करने वाली है ।

१६. बोधि :—आत्मबोध होना अहिंसा है । अनन्तकाल से यह आत्मा आत्मबोध से रहित रहा है अतः ससार में भव-भ्रमण करता रहा है ।

१७. बुद्धि :—बुराई को जानने का ज्ञान बुद्धि है । दूसरे की बुराई को तो हर कोई जान लेता है पर अपनी बुराई को जानने वाले बहुत कम हैं, बुद्धि से अपनी बुराई को जानना और उससे वचना अहिंसा है ।

१८. धृति :—धृष्टता की इति अर्थात् समाप्ति धृति है । 'धृ' धृष्टता इति । यहाँ अन्तिम अक्षर से शब्द रचना की गई है । जो अहिंसा की साधना करता है वह धृति वाला होता है । जो धृति रहित होता है वह अहिंसा की आराधना नहीं कर सकता है ।

१९. समृद्धि :—समभाव की ऋद्धि समृद्धि है । सच्ची समृद्धि अहिंसा है ।

२०. ऋद्धि :—'ऋ' ऋजुता—सरलता की 'ध' ऋद्धि है । जहाँ हार्दिक सरलता है वहाँ अहिंसा है ।

२१. वृद्धि :—वृध विस्तृत—धि ज्ञान, विशाल धि—वृद्धि । जहाँ वसुधैव कुटुम्बकम् की भावना है वहाँ अहिंसा है ।

२२. स्थिति :—स्थिरता की इति पूर्णता अर्थात् पूर्ण स्थिरता अहिंसा है ।

२३. पुष्टि :—'पु' पुण्य, पवित्र 'इष्टि' इच्छा-पुष्टि । पवित्र इच्छा अहिंसा है ।

२४ नन्दा :—आनन्द की आप्ति-प्राप्ति नन्दा है, अतएव नन्दा अहिंसा है ।

२५ भद्रा :—भद्र—कल्याण आप्ति-प्राप्ति भद्रा । प्राणी मात्र के कल्याण की कामना भद्रा है, अतएव भद्रा अहिंसा है ।

२६. विशुद्धि :—'विशिष्टा शुद्धि विशुद्धि ।' शुद्धि दो प्रकार की है—  
१. शरीर-शुद्धि २. आत्म-शुद्धि । शरीर की शुद्धि करने वाले अनेक हैं । आत्म-शुद्धि करने वाले विरले हैं । शरीर-शुद्धि और आत्म-शुद्धि करने वाले अत्यल्प हैं, अतएव विशुद्धि अहिंसा है ।

२७. लब्धि :—लाभ की 'धि' लब्धि है । लाभ दो प्रकार के है—  
१ लौकिक लाभ, २. लोकोत्तर लाभ । ये दोनों प्रकार के लाभ अहिंसा से प्राप्त होते हैं, अतएव लब्धि अहिंसा है ।

२८ विशिष्ट दृष्टि :—दृष्टियाँ दो प्रकार की हैं—१. सामान्य दृष्टि २ विशिष्ट दृष्टि । सामान्य दृष्टि वाले अनेक हैं । विशिष्ट दृष्टि वाले विरले हैं । अथवा दृष्टियाँ दो प्रकार की हैं, १. सम्यग्दृष्टि २. मिथ्यादृष्टि । मिथ्या-दृष्टि वाले तो अनेक हैं । सम्यग्दृष्टि वाले विरले हैं । सम्यग्दृष्टि ही 'वि' । जहाँ सम्यग्दृष्टि है वहाँ अहिंसा है ।

२९. कल्याण :—‘सर्वे भवन्तु सुखिनः’ यह प्राणीमात्र के कल्याण की कामना अहिंसा है। ‘कल्ये प्राप्त अण्येते शब्धते इति कल्याणं’ कल्य प्राप्तःकाल का पर्यायवाची है।

३०. मंगल :—‘मं दुःखं गलति इति मंगल’ दुखों का गल जाना, नष्ट हो जाना मंगल है, अतएव मंगल अहिंसा है।

३१. प्रमोद :—अहिंसा से प्रसन्नता होती है। अथवा प्रबल मोह का दमन अहिंसा है। आठ कर्मों में से सबसे प्रबल मोहनीय कर्म है, उसका दमन अहिंसा से होता है।

३२. विभूति :—‘विशिष्ट भूति विभूति’ यहां भूति ऐश्वर्य का सूचक है। विशिष्ट ऐश्वर्य की इति—पूर्णता अहिंसा से होती है।

३३. रक्षा :—‘र’ रहता है ‘क्षा’ क्षायक भाव। क्षायक भाव का रहना अहिंसा है। सब भावों में क्षायक भाव सर्वोत्तम भाव है। कर्मों का क्षय क्षायक भाव से होता है। इसलिए अहिंसा क्षायक भाव है।

३४. सिद्धावास :—सिद्धत्व का आवास अहिंसा मे है।

३५. अनाश्रव :—कर्मों का आना आश्रव है। अहिंसा से कर्मों का आना अवरुद्ध होता है अतः अहिंसा अनाश्रव है।

३६. केवलस्थान :—केवल्य की प्राप्ति अहिंसा से होती है, इसलिए अहिंसा केवलस्थान है।

३७. शिव :—‘शि’ शिक्षण ‘व’ वर श्रेष्ठ है, अहिंसा का शिक्षणसर्वश्रेष्ठ है इसलिए अहिंसा शिव है।

३८. समिति :—विवेकपूर्वक चलना, बोलना आदि पांचों समितियां अहिंसा के विधेयात्मक रूप है इसलिए अहिंसा समिति है।

३९. शील :—‘शी’ शीर्ष स्थान—‘ल’ लब्ध प्राप्त। ‘अहिंसा परमोधर्म’। इस सूक्त से सब धर्मों में अहिंसा को शीर्ष स्थान—सर्वोच्च स्थान प्राप्त है, इसलिए अहिंसा शील है।

४०. संयम :—इन्द्रियों का और मन का नियमन संयम है। संयमी ही अहिंसा का साधक होता है, इसलिए संयम अहिंसा है।

४१. शील परिग्रह :—यहाँ शील स्वभाव का सूचक है। शील का परिग्रह ग्रहण करना अर्थात् स्वभाव का ग्रहण करना शील परिग्रह है। अहिंसा आत्म-स्वभाव है उसको ग्रहण करना ही शील परिग्रह है।

४२. संवर :—‘स’ समभाव ‘वर’ श्रेष्ठ। अहिंसा सर्वश्रेष्ठ समभाव है अतएव संवर अहिंसा है।

४३. गुप्ति :—‘गु’ गुणों की प्राप्ति अर्थात् आत्म-गुणों की प्राप्ति गुप्ति है । सभी आत्म-गुण अहिंसा में समाविष्ट हैं अतएव अहिंसा गुप्ति है ।

४४. व्यवसाय :—व्यवसाय दो प्रकार के होते हैं—१. लौकिक व्यवसाय २. लोकोत्तर व्यवसाय । अहिंसा लोकोत्तर व्यवसाय है ।

४५. उन्नति :—यहाँ उन्नति अभ्युदय का सूचक है, उन्नति दो प्रकार की है—१. लौकिक उन्नति २. लोकोत्तर उन्नति । अहिंसा की साधना में सफल होना लोकोत्तर उन्नति है ।

४६. यज्ञ :—अहिंसा आत्मयज्ञ है । सभी यज्ञों से अहिंसा की आराधना श्रेष्ठ होती है इसलिए अहिंसा यज्ञ भी है ।

४७. आयतन :—आत्म-स्वरूप में स्थित होने के लिए अहिंसा एक सर्वोत्तम आयतन है ।

४८. यजन :—कर्मों का यजन करने के लिए अहिंसा पवित्र यजन है ।

४९. अप्रमाद :—सावधानी से चलना, बैठना आदि सभी क्रियाएँ करना अहिंसा की आराधना है, अतएव अप्रमाद अहिंसा है ।

५०. आश्वासन :—भयभीत को आश्वासन देना अहिंसा की सर्वश्रेष्ठ आराधना है ।

५१. विश्वास :—‘वि’—विद्यमान ‘श्वास’ विश्वास । जब तक श्वास है तब तक अर्थात् जीव-पर्यन्त मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा, विश्वासघात नहीं करूंगा, मैं तुम्हें यावज्जीवन समय-समय पर उचित एवं आवश्यक सहयोग देता रहूंगा, इस प्रकार का विश्वास देना अहिंसा है ।

५२. अभय :—किसी भयभीत को भय न होने देना अहिंसा है । मेरे से या अन्य किसी से तुम्हें किसी प्रकार का भय न होने दूंगा, इस प्रकार अभय का आश्वासन देना अहिंसा है ।

५३. अमारि :—महामारी से बचाना अमारि है अथवा अकाल मृत्यु से बचाना अमारि है ।

५४. चोखा :—चारों ओर से क्षालन करना अर्थात् स्वच्छ करना । स्वच्छता दो प्रकार की है—१. द्रव्य स्वच्छता २. भाव स्वच्छता । निर्मल विचार भाव स्वच्छता है । अहिंसा से आत्मा कर्म-मल से मुक्त होकर स्वच्छ बनती है ।

५५. पवित्रता :—यहाँ पवित्रता निष्पाप जीवन का सूचक है । पवित्रता दो प्रकार की है—द्रव्य पवित्रता २. भाव पवित्रता ।

५६. शुचि :—‘शु’ शुद्धि ‘चि’ चित्त शुद्ध चित्त होना शुचि है । शुचि दो प्रकार की है—१. शारीरिक शुचि २. मानसिक शुचि । अहिंसा की साधना मानसिक शुचि वाला ही कर सकता है ।

५७. पूजा :—‘पू’ पूर्ण हो जाना । अहिंसा से आत्म-शुद्धि पूर्ण हो जाती है ।

५८. विमला :—‘वि’ विगत ‘मला’ विमला । मल दो प्रकार के है— १. शारीरिक मल २ मानसिक मल अथवा १. द्रव्यमल २. भावमल । दोनों प्रकार के मलो से मुक्त होने की सफल साधना अहिंसा से होती है ।

५९. प्रभासा :—प्रभात सादृशी प्रभासा । अहिंसा प्रभात जैसी भावस्वर आभा वाली है ।

६०. निर्मलतरा :—अहिंसा निर्मलतरा है । आत्मा को कर्म मल से सर्वथा मुक्त करने वाली अहिंसा है ।

अहिंसा के इन साठ नामों की अति संक्षिप्त व्याख्या शब्द नय का अनुसरण करके की गई है । प्रत्येक शब्द के अर्थ उसकी मूल भावना के अनुरूप यहां दिए गए हैं । आगमज्ञ पाठक कहीं कुछ संशोधन करने के लिए सूचित करेगे तो मैं उनकी सूचनायें हृदय से स्वीकार करने की भावना रखता हूँ ।

## सूक्तियाँ

क्या बकरी क्या गाय है, क्या अपनी जाया ।

सबको लोहू एक है, साहिब फरमाया ॥

पीर पैगम्बर औलिया, सब मरने आया ।

नाहक जीव न मारिये, पोपन को काया ॥

साहब का कहना है कि सब प्राणियों का खून एक है, चाहे वह बकरी हो, गाय हो या अपनी सन्तान हो । पीर पैगम्बर और औलिया—सब एक न एक दिन मर जायेंगे । इसलिए अपने शरीर का पालन करने के लिए जीव को व्यर्थ मत मारिये ।

—गुरु नानकदेव

अहिंसा प्रचण्ड शास्त्र है । उसमें परम पुरुषार्थ है, वह भीरु से दूर भागती है । वह वीर पुरुष की शोभा है, उसका सर्वस्व है । वह शुष्क, नीरस, जड पदार्थ है । वह चेतन है । वह आत्मा का विशेष गुण है ।

—महात्मा गाँधी

अनेकों को जो एक रखती है, भेदों में से अभेद ढूँढती है, वह अहिंसा है ।

—विनोबा भावे



## अहिंसा और निर्भयता

□ पं. र. श्री विनयचन्द्रजी म. सा.

जल अग्नि को शान्त कर सकता है, लेकिन वह उसी अवस्था में कर सकता है जबकि उसका खुलकर प्रयोग किया जाय। वन में दावानल लगी हो और उस पर किसी ने एक घड़ा पानी लाकर छिड़क दिया तो क्या वह बुझ जायेगी ? कदापि नहीं। यही बात अहिंसा के विषय में भी है। जीवन में तो अहिंसा का बूँदभर भी उपयोग नहीं करते हैं और चाहते हैं कि देशभर में घृणा और द्वेष का दावानल बुझ जाय तो यह कैसे सम्भव हो सकता है ? अग्नि शान्त करने के लिए पानी का अप्रतिबद्ध तीव्र प्रहार करने की आवश्यकता है। वैसे ही अहिंसा की भी जीवन में अजस्र धारा प्रवाहित करने की आवश्यकता है। अगर यह धारा निरन्तर प्रवाहित होती रहेगी तो दुनिया में प्रदीप्त विद्वेष की लपटे सदा के लिए बुझती चली जायेगी। अहिंसा धर्म का प्राण है। प्राण रहित शरीर में जिस प्रकार कीड़े पड़ जाते हैं और कुत्ते और कौवे नोचने लग जाते हैं। वैसे ही अहिंसा रहित धर्म भी मुर्दे के समान है, उससे समाज में सड़न पैदा हो जाती है।

### अहिंसा और कायरता :

कुछ लोग अहिंसा को कायरों का धर्म समझते हैं और उसे इसी सम्बोधन से पुकारते भी हैं। लेकिन उनका ऐसा मानना ठीक नहीं है। अहिंसा कायरों का नहीं, वीरों का धर्म है। किसी दूसरों पर आक्रमण कर देना सरल है किन्तु दूसरों के आक्रमण को प्रसन्नतापूर्वक सहन कर लेना ही सबसे बड़ी कठिन साधना है। माता कभी-कभी अपने बच्चे के हाथ की मार भी खाती है और ऊपर से उसे पुचकारती भी जाती है। यदि उसे माता की कायरता समझी जायगी तो फिर मातृ-प्रेम किसे कहा जायगा ? प्रेम में वह सहनशीलता न हो तो वह प्रेम फिर कहाँ रहा ? अतः अहिंसा कायरों का नहीं, वीरों का धर्म है। अहिंसा और कायरता में जमीन-आसमान का अन्तर है। अहिंसा धर्म है तो कायरता पाप है। अहिंसा सम्यक्त्व है तो कायरता मिथ्यात्व है। अहिंसा विश्व का शृंगार है तो कायरता एक प्रकार की कोढ़ है।

अहिंसा के सिद्धान्त पर जिसकी पूर्ण श्रद्धा है, वह भय को भी जीत लेता है। जो किसी के डर से या भय से हिंसा नहीं करता है वह मानसिक हिंसा का शिकार कहा गया है। चूहा बिल्ली के प्रति अहिंसक है ऐसा नहीं कहा जा सकता; किन्तु वह निर्बल होने के कारण उस पर आक्रमण नहीं कर पाता है, यही उसकी कायरता है। जहाँ कायरता है वहाँ भले ही द्रव्य हिंसा नहीं किन्तु भाव हिंसा तो हो ही जाती है।



अहिंसा को समझने के लिए हिंसा के चार भेद समझ लेना आवश्यक है—

१. संकल्पिनी हिंसा—दूसरों का अहित सोचना ।

२. उद्योगिक हिंसा—जीवन-निर्वाह के लिये १५ कर्मदान से होने वाली हिंसा ।

३. आरम्भी हिंसा—पाक क्रिया (भोजनादि) से होने वाली हिंसा ।

४. विरोधिनी हिंसा—अपने या पर (स्व-पर) की रक्षा के लिये की गई हिंसा ।

गृहस्थो के लिए प्रथम हिंसा सर्वथा त्याज्य है । दूसरी हिंसा के लिए 'यत्नाचार' की आवश्यकता है । यत्नाचार को समझने के लिए यहाँ एक उदाहरण दिया जाता है ।

अनहिलपुर के राजा पर मौका देखकर दूसरे राजा ने चढ़ाई कर दी । महाराजा बाहर गये हुए थे । महारानी ने मंत्री और राज्य कर्मचारियों से विचार-विनिमय किया और अपनी सेना भी शत्रु सेना के मुकाबले में खड़ी कर दी । मंत्री जैन था, उसने चीटी की विराधना हो जाने से "मिच्छामि दुक्कडम्" दिया । यह सुनकर एक सैनिक महारानी के पास पहुंचा और बोला—मंत्री तो चीटी मारने से भी डरता है तो वह सारा युद्ध कैसे कर सकेगा ? दूसरे दिन मंत्री ने समय देखकर शत्रु सेना के पड़ाव में आग लगवा दी । हजारों सैनिक अपनी जान बचाने के लिये इधर-उधर भागने लगे । रानी ने यह सारा दृश्य देखा—तभी उसने मंत्री से पूछा—कल तो तुम एक चीटी के मर जाने से घबरा रहे थे । पर आज यह नर सहार कराते हुए तुम्हें वैसा क्यों नहीं हो रहा है ? मंत्री ने उत्तर दिया—“जैन कभी भी अपनी ओर से प्रथम आक्रमण नहीं करता है, लेकिन कोई उस पर आक्रमण करता है तो वह उसका प्रतिकार अवश्य करता है । वह एक प्राणी की रक्षा के लिये अपना सर्वस्व देने के लिये त्याग कर सकता है परन्तु अन्याय का मुकाबला करते समय उसको अपनी जान भी देना पड़े तो वह खुशी-खुशी उसके लिए सदा तैयार रहता है ।” इससे आप यह भलीभांति समझ सकते हैं कि अहिंसा वीरो का धर्म है, कायरों का नहीं ।

**धर्म का सार :**

हजारों नहीं लाखों वर्ष पहले भी पाँच और चार ( $५ + ४ = ९$ ) नौ ही होते थे । किसी ने भी ( $५ + ४ = ९$  किन्तु १० नहीं) पाँच और चार को दस नहीं कहा । कोई १० कह दे तो आप उसे क्या कहेंगे ? गणित का सिद्धान्त मदा एक-सा ही रहता है । उसमें किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं होता । आँख से देखना, कान से सुनना और जिह्वा से स्वाद का लेना यह प्रवृत्ति तीनों कालों में एक-सी ही रहती है । आम की गुठली से आम, नीबू के बीज से नीबू,

गेहूं के बीज से गेहूं और जामुन के बीज से जामुन ही पैदा होंगे, दूसरा और कुछ भी पैदा नहीं हो सकता। इसी प्रकार धर्म भी हमेशा अहिंसा में ही रहेगा।

हिन्दू, मुसलमान, क्रिश्चियन कोई भी क्यों न हो, २ और २=४ ही कहेंगे। गणित शास्त्र में किसी भी जाति या धर्म वाले का मतभेद नहीं होता, इसी प्रकार अहिंसा के बारे में भी सभी समान आदरभाव रखते हैं।


ग्रीस में 'जेनो' नामक एक ऐसा तत्त्ववेत्ता हो गया है जो अपने शरीर में कीड़े पड़ जाने पर भी उनके मर जाने के भय से कभी उन्हें बाहर नहीं निकालता था। कदाचित् वे स्वयं नीचे गिर जाते तो उन्हें वापस उठाकर उसी स्थान पर रख देता था। इसी तरह के उदाहरण आपको मुसलमान आदि सभी धर्मग्रंथों और साहित्यों में मिल सकते हैं। अतः किसी न किसी रूप में प्रत्येक धर्म ने अहिंसा को माना ही है।

अहिंसा में परस्पर विरोधी शक्तियों के वैरभाव को दूर करने का सामर्थ्य रहा हुआ है। सिंह-बकरी, चूहा-विल्ली, विल्ली-कुत्ता, सर्प-नेवला ये स्वभाव से एक दूसरे के विरोधी हैं किन्तु अहिंसा के सम्मुख ये दोनों निःवैर और आराम की नीद लेते हैं। उनका जन्मजात वैर भी मिट जाता है। यह अहिंसक परमाणुओं का ही असर होता है। अहिंसक बनकर ही मनुष्य निर्भयता से जी सकता है।

महात्मा गांधी के शब्दों में "हिंसा मृत्यु का कारण है तो अहिंसा जीवन का। हिंसा पशुबल है तो अहिंसा मनुष्य का बल है। हिंसा आसुरी शक्ति है तो अहिंसा दैविक शक्ति है।" मनुष्य यदि पूर्ण रूप से अहिंसक बन जाय तो वह शस्त्रधारी सेना की अपेक्षा दूसरे की रक्षा करने में अधिक शक्तिशाली साबित हो सकता है। पूर्ण अहिंसक बनने के लिए दृढ श्रद्धा का होना अनिवार्य है। अहिंसा की शक्ति इतनी मंगलमय है कि जिसका सहारा बालक, युवा, वृद्ध, स्त्री, पुरुष सभी समान भाव से ले सकते हैं। यदि जीवन में सच्ची अहिंसा आ जाय तो राज्य में पुलिस, कोर्ट, कचहरी जैसी नियमों का पालन करवाने वाली संस्थाओं की जरा भी आवश्यकता नहीं रहे। अहिंसा भारतीय संस्कृति का जीवन-भूत तत्त्व। जैन धर्म की ख्याति भी मुख्यतः अहिंसा से ही है। 'प्रश्न व्याकरण सूत्र' में—अहिंसा को भगवती कहा गया है—

**“एस सा भगवती अहिंसा जा सा भियाणं वीवसरणं”**

कि यह भगवती अहिंसा भयभीत जीवों को भी शरण प्रदान करने वाली है।



## अहिंसा : स्वरूप और चिन्तन

□ श्री रमेश मुनि शास्त्री

अहिंसा एक परम धर्म है। यह जैन आचार-संहिता के लिये प्राणवत् है। जैनाचार का अतीव विशाल व सुरम्य प्रासाद अहिंसा की सुद्ध नीव पर ही अत्यधिक आश्वस्तता के साथ आधारित है। अहिंसा मानव की शान्ति और सुख की जननी है। मानव और दानव में अन्तरे ही हिंसा और अहिंसा का है। मानव ज्यो-ज्यो हिंसक बनता जाता है, वह त्यों-त्यों दानवता के समीप होता चला जाता है और दानव ज्यों-ज्यों हिंसा का त्याग करता जाता है, यथार्थ मानवता के अत्युच्च गौरव से विभूषित होता चलता है। अहिंसा का सिद्धान्त वस्तुतः अतीव व्यापक व प्रभावकारी है। अहिंसक मानव में स्वतः ही अनेकानेक सद्गुण विकसित होते चले जाते हैं और उसके भीतर की मानवीयता विशेष रूप से पुष्ट होती चली जाती है। वास्तविकता यह है कि अहिंसा सिद्धान्त की विराट् भूमिका मानव के मानस को ऐसा विस्तार प्रदान करती है कि वह सहज ही सृष्टि के समस्त प्राणियों को आत्मवत् स्वीकार करने लगता है, वह प्राणीमात्र का परम हितैषी हो जाता है और किसी की हानि करने की परिकल्पना से भी वह दूर, बहुत दूर हो जाता है।

यह 'सर्वप्राणातिपातविरति' की ऐसी अतीव विशिष्ट प्रतिज्ञा है जो मानव को अहिंसा महाव्रती और जीव मात्र का रक्षक बना देती है। वह किसी की भी हिंसा नहीं करने का सकल्प धारण करता है और उसका दृढ़ता के साथ पालन करता है। परिणामतः वह न केवल अन्य जनो की सुख-सृष्टि में योगदान करता है, अपितु स्वयं अपने लिये भी अलौकिक सुख की संरचना कर लेता है। उसकी अन्तरात्मा राग, द्वेष, सर्व कल्मष और दुर्भावो की दुरभि सन्धि से मुक्त होकर विशुद्ध एवं प्रणान्त रहती है, आत्मतोष के अगाध सागर में निमग्न रहती है। अहिंसा धर्म के आराधक साधक के लिये यह एक सयम है और यही अन्य जन के लिये दया और रक्षा का विशेष भाव है। इसी भाव-श्लेष के कारण 'रक्षादया सर्वभूत क्षेमकारी' का प्रयोग अहिंसा के पर्याय रूप में हुआ है। अहिंसा आत्मनिष्ठ है, आत्मा से उपजती है और समानता की मदभावना से परिपुष्ट होती है। हिंसा की भावना से निवृत्त होने के पीछे अपने अनिष्ट की आशंका विशेष रूप से काम करती है।

यह समूचा पृथ्वी-ग्रह नाना प्रकार के जीव-जन्तुओं का एक अद्भुत समुच्चय है। विभिन्न रंग-रूप, आकार-आकृति, गुण-धर्मादि के धारक होने के कारण ये समस्त प्राणी वैभिन्न्ययुक्त एवं अनेक वर्गों में विभाजित हैं। बाह्य और प्रत्यक्ष ज्ञान के आधार पर यह वैभिन्न्य स्वीकार करना ही पड़ता है, किन्तु यह एक अति स्थूल सत्य है। इसके अतिरिक्त एक अति सूक्ष्म सत्य और भी है, वह यह कि विभिन्न प्राणी वर्गों के घोर असाम्य के समानान्तर रूप में एक अमिट साम्य भी है। सभी प्राणी सचेतन हैं। सभी में आत्मा का निवास है। यह आत्मा सभी में एक-सी है। उदाहरणार्थ—मानव अन्य प्राणियों की अपेक्षा कई गुना अधिक सशक्त और विवेकशील है तथापि आत्मा की दृष्टि से उसका स्थान भी अन्य प्राणियों के समकक्ष ही है। मानव की अन्य कोई श्रेणी नहीं है। सचेतनता का धर्म मनुष्य का भी और अन्य प्राणियों का भी है। यह चैतन्य जीव वर्ण में ऐसा परिव्याप्त है कि इसी आधार पर जीवों को शेष अजीवों से पृथक् करके पहचाना जा सकता है। सुख-दुःख आदि की अनुभूति चैतन्य का ही परिणाम है। ये अनुभूतियाँ प्राणियों के लिए ही हैं, निर्जीव जड़-पदार्थों के लिये नहीं, क्योंकि वे चेतना-शून्य होते हैं, जान-विहीन होते हैं।

समस्त चेतन जीव दुःख से बचना चाहते हैं और सुखमय जीवन की कामना करते हैं। सुख प्रत्येक आत्मा का स्वाभाविक लक्ष्य होता है और सुख-प्राप्ति के मार्ग में आगत बाधक परिस्थितियाँ दुःखानुभव का कारण बनती हैं। यह सत्य है कि आत्मा की दृष्टि से सभी आत्माएँ समान हैं, चेतनतावश सभी को सुख-दुःख का अनुभव होता है। इस सम्बन्ध में मनुष्य और इतर जीवों में भेद नहीं किया जा सकता। इसके अतिरिक्त सभी आत्माएँ सुखकामी और दुःखद्वेषी होती हैं। सुखाकांक्षा आत्मा की स्वाभाविक प्रवृत्ति है, सभी आत्माएँ सुख चाहती हैं। समस्त प्राणियों को आत्मवत् समझना चाहिये। किसी के लिये ऐसा कार्य मत करो, जो तुम्हारे लिये कष्टकारी हो। दूसरो से तुम जैसा व्यवहार अपने लिये चाहते हो, वैसा ही व्यवहार तुम भी दूसरो के साथ करो। जिस दिन तुम अपनी और दूसरों की आत्मा के मध्य भेद को विस्मृत कर दोगे, उसी दिन अहिंसा की साधना भी सफल हो जायेगी। अपने प्राणों की सुरक्षा चाहने वालों का परम कर्तव्य यही है कि वे दूसरो के जीवन-रक्षा सम्बन्धी अधिकार को भी मान्यता दे। अहिंसक व्यक्ति का उपदेश मात्र वाचिक नहीं होता, उसका समग्र जीवन ही अहिंसामय होता है। सर्व प्रकार से सर्व कालों में सर्व प्राणियों के साथ अभिद्रोह न करना 'अहिंसा' है। विराट् भाव ही अहिंसा का मूलाधार है। इसमें आत्मा-आत्मा में ऐक्य और अभेद की स्थिति रहती है। प्राणिमात्र के प्रति समता का भाव, सभी के प्राहितैषिता एव वन्धुता का भाव, सभी के साथ सह-अस्तित्व की । १७ । किसी को अहिंसक बना सकती है।

अहिंसा के गुणनिष्पन्न ६० नाम हैं। संक्षेप में उनका स्वरूप इस प्रकार है :—

१. निर्वाण—मोक्ष प्रदाता होने से इसे निर्वाण कहा गया है।
२. निवृत्ति—समस्त पापों और समस्त दुःखों से निवृत्त कर शान्ति और सुख प्रदाता है।
३. सनाधि—चित्त को शान्ति देने वाली।
४. शक्ति—मोक्ष प्राप्त करने की शक्ति प्रदान करने वाली।
५. कीर्ति—यशःप्राप्ति करने वाली।
६. कान्ति—दीप्ति, तेज, सौन्दर्य बढ़ाने वाली।
७. रति—मन को प्रसन्नता देने वाली।
८. विरति—पापों से हटाने वाली।
९. श्रुतांग—श्रुत ज्ञान से उत्पन्न।
१०. तृप्ति—संतोष देने वाली।
११. दया—अनुकम्पा करने वाली।
१२. विमुक्ति—कर्म-बन्धन से छुड़ाने वाली।
१३. क्षान्ति—क्रोध का निग्रह करने वाली।
१४. सम्यक्त्वाराधना—सच्चे देव, सच्चे गुरु और सच्चे धर्म की आराधना कराने वाली।
१५. महंती—सभी व्रतों में महत्त्व रखने वाली।
१६. बोधि—सम्यक्त्व प्रदान करने वाली।
१७. बुद्धि—निर्मल बुद्धि रूप।
१८. धृति—धैर्य युक्त।
१९. समृद्धि—समस्त प्रकार की सम्पन्नता से युक्त।
२०. ऋद्धि—आन्तरिक लक्ष्मी प्राप्त करने का कारण।
२१. वृद्धि—पुण्य प्रवृत्ति सम्पादन कर सुख-सामग्री बढ़ाने वाली।
२२. स्थिति—स्थायी निवास देने वाली।
२३. पुष्टि—पुण्य-संचय रूप पुष्टि देने वाली।
२४. नन्दा—स्व-पर को आनन्द देने वाली।
२५. भद्रा—स्व-पर का कल्याण करने वाली।
२६. विशुद्धि—पाप-मल को दूर कर आत्मा को निर्मल बनाने वाली।
२७. लब्धि—अनेक प्रकार की लब्धियाँ देने वाली।
२८. विशिष्ट दृष्टि—जिनेश्वर-प्रणीत स्याद्वादमय दृष्टि देने वाली।
२९. कल्याण—आत्मा को आरोग्य देने वाली।
३०. मंगल—अनिष्ट को मिटाने वाली या पाप को गलाने वाली।
३१. प्रमोदा—हर्ष उत्पन्न करने वाली।

३२. विभूति—सभी प्रकार के ऐश्वर्य देने वाली
३३. रक्षा—जीवों की रक्षा करने वाली ।
३४. सिद्धावास—मोक्ष का शाश्वत स्थान देने वाली ।
३५. अनाश्रव—आश्रव को रोकने वाली ।
३६. केवली स्थान—केवल ज्ञान की प्राप्ति का मुख्य आधार ।
३७. शिव—उपद्रव रहित, स्थायी शान्ति देने वाली ।
३८. समिति—निर्दोष प्रवृत्ति कराने वाली ।
३९. शील—सदाचार रूपा ।
४०. संयम—हिंसा से सर्वथा निवृत्ति या इन्द्रिय-दमन रूप ।
४१. शील-परिग्रह—शुद्ध चारित्र्य रूप सदाचार का घर ।
४२. संवर—कर्मों के आगमन को रोकने वाली ।
४३. गुप्ति—मन, वचन, काया के अशुभ-व्यापार को रोकने वाली ।
४४. व्यवसाय—शुभ अध्यवसाय रूप ।
४५. उच्छ्रय—शुद्ध भावों में वृद्धि करने वाली ।
४६. यज्ञा—भाव पूजा रूप ।
४७. आयतन—गुणों का घर ।
४८. यजना—अभय दान देने वाली, यतना-विवेक प्रदान करने वाली ।
४९. अप्रमाद—प्रमाद को हटाने वाली ।
५०. आश्वासन—कष्ट में धैर्य देने वाली ।
५१. विश्वास—विश्वास देने वाली ।
५२. अभय—सब को निर्भय बनाने वाली ।
५३. आमाघात—सभी प्राणियों के घात का निवारण करने वाली ।
५४. चोक्षा—हृदय को स्वच्छ बनाने वाली ।
५५. पवित्रा—हृदय को विशुद्ध बनाने वाली ।
५६. शुचि—हिंसादि मलिन भावों से रहित कर हृदय शुद्ध बनाने वाली ।
५७. पूता—पवित्र करने वाली, पूजा—देव पूजा रूप ।
५८. विमला—विशेष रूप से मल-रहित करने वाली ।
५९. प्रभासा—प्रकाश देने वाली, तेजयुक्त बनाने वाली ।
६०. निर्मलतर—जीव को अत्यन्त विशुद्ध बनाने वाली ।

अहिंसा अभया है । वह भीतो को शरण प्रदाता है । इसका आश्रय लेने वाला भयमुक्त हो जाता है और दूसरे जीवों को भयमुक्त बना देता है । पक्षियों के लिये आकाश-गमन भयप्रद नहीं होता । पृथ्वी पर वास या चलना उनके लिये भयप्रद है क्योंकि उन्हें हिंसक पशु और शिकारी मनुष्यों से भय बना रहता है, पर आकाश-गमन वे उपद्रव रहित होकर निश्चिन्तता से करते हैं । इसी प्रकार अहिंसक भयमुक्त होकर निश्चिन्त गमन करता है और पापों का विनाश कर शाश्वत स्थान को प्राप्त करता है ।

जैसे प्यासे के लिये पानी और भूखों के लिये भोजन जीवन-प्रदाता है इसी प्रकार अहिंसा का अमृतपान कर जीव अमर बन जाता है। जैसे अर्गोथ समुद्र में डूबे हुए प्राणी के लिये जलयान रक्षक होता है और उसका आश्रय लेकर वह पार पहुँच जाता है, उसी प्रकार अहिंसा रूपी पोत संसार-समुद्र से पार लगा देता है। जैसे पशुओं को अटवी में सिंह, व्याघ्र आदि से भय वर्ना रहता है, पर पशुशाला उसको उपद्रव-रहित कर देती है, उसी प्रकार अहिंसा रूपी पशुशाला जीव रूपी पशुओं को संसाराटवी में विचरते हुए क्रोधादि रूप हिंस्र पशुओं से सुरक्षित कर देती है। औषधि जैसे रोगो को विनष्ट कर देती है और आरोग्य प्रदान करती है वैसे ही अहिंसा पाप रूप रोग को नष्ट कर देती है। भयंकर वन में पथ-भ्रष्ट मानवों को जैसे पथप्रदर्शक निष्कण्टक, सरल, उपद्रवरहित मार्ग बतलाकर भयमुक्त कर देता है, उसी प्रकार हिंसा के पथ पर चलने वाले पथभ्रष्ट मानवों को अहिंसा सत्पथ पर लगा देती है।

संक्षेप में यही कहा जा सकता है कि अहिंसा एक ऐसा उच्चकोटि का आध्यात्मिक धर्म है जो विराट् विश्व के समग्र चैतन्य को एक समानता के धरा-तल पर खड़ा कर देता है, उनके जीवन को अन्दर और बाहर दोनों ओर से आलोकित कर देता है।

## संगठन और अहिंसा

श्री चम्पालाल छत्वाणी

एक संध्या में एक मुनि अपनी कुटिया के सामने ध्यान मग्न बैठे थे। ऊपर नील गगन में चिड़ियाँ अपने बसेरे को लौट रही थी। तभी मुनि को किसी की कातर चीख सुनाई दी। उन्होंने ऊपर देखा। एक बाज चिड़िया पर झपटा, वह चिड़िया को पंजे में पकड़े ले जा रहा था। शेष चिड़ियाँ दूर-दूर थी और डरी हुई थी। मुनि ने कहा—“हिंसा जगत् का नियम है। निर्बल जाति हिंसा को बढ़ावा देती है, इसलिए संगठित होकर रहो।”

मुनि पुनः ध्यान मग्न हो गये। कई वर्षों बाद एक दिन फिर आँखें आकाश की ओर उठी। सूर्य अस्ताचल को जा रहा था। चिड़ियाँ आकाश में विचर रही थीं। पर एक साथ। दूसरी ओर दो-तीन उदास बाज ताक रहे थे। चिड़ियाँ सकुशल चली गईं। बाज केवल ताकते रहे। मुनि मुस्कराकर बोले—“हिंसक आततायी काले बाजो! तुम अब कहीं अन्यत्र चले जाओ। यहाँ की चिड़ियाँ तो संगठित हो गई हैं।” इतना कहकर मुनि फिर ध्यान-मग्न हो गये। यह है संगठित शक्ति में अहिंसा।

—आर. के. बोस रोड, धुबड़ी (असम)



## अहिंसा की साधना

□ महात्मा गांध

१ आम तौर पर लोग सत्य का स्थूल अर्थ सत्यवादिता ही समझते हैं लेकिन सत्य वाणी में सत्य के प्रालन का पूरा समावेश नहीं होता; इसी तरह साधारणतया लोग अहिंसा का स्थूल अर्थ यही करते हैं कि दूसरे जीव को मारना नहीं; किन्तु केवल प्राण न लेने से अहिंसा की साधना पूरी नहीं होती।

२. अहिंसा केवल आचरण का स्थूल नियम नहीं, बल्कि मन की वृत्ति है। जिस वृत्ति में कहीं भी द्वेष की गंध तक नहीं रहती, वह अहिंसा है।

३. इस प्रकार की अहिंसा सत्य के समान ही व्यापक होती है। ऐसी अहिंसा की सिद्धि के बिना सत्य की सिद्धि सम्भव नहीं। अतएव दूसरी दृष्टि से देखे, तो सत्य अहिंसा की पराकृष्ठा ही है। पूर्ण सत्य और पूर्ण अहिंसा में भेद नहीं; फिर भी समझने की सुविधा के लिए सत्य को साध्य और अहिंसा को साधन माना है।

४. ये—सत्य और अहिंसा—सिक्के के दो पहलुओं की तरह एक ही सनातन वस्तु की दो वाजुओं के समान हैं।

५. अनेक धर्मों में ईश्वर को जो प्रेम-स्वरूप कहा गया है, उस प्रेम और इस अहिंसा में कोई अन्तर नहीं है।

६. प्रेम के शुद्ध, व्यापक स्वरूप का नाम, अहिंसा है। जिस प्रेम में राग या मोह की गंध आती है, उसमें अहिंसा नहीं होती। जहाँ राग और मोह होते हैं, वहाँ द्वेष का बीज भी रहता ही है। प्रायः प्रेम में राग-द्वेष पाये जाते हैं। इसीलिए तत्त्ववेत्ताओं ने प्रेम शब्द का उपयोग न करके अहिंसा शब्द की योजना की है और उसे परम धर्म कहा है।

७ दूसरों के शरीर या मन को दुख अथवा चोट न पहुँचाना ही अहिंसा-धर्म नहीं है, परन्तु उसे साधारणतः अहिंसा-धर्म का एक आँखो दीखने वाला लक्षण कहा जा सकता है। यह सम्भव है कि दूसरे के शरीर अथवा मन को स्थूल दृष्टि से दुख या चोट पहुँचती दिखाई पड़े, और फिर भी उसमें शुद्ध अहिंसा-धर्म का प्रालन हो रहा हो। इसके विपरीत, इस के दुःख अथवा चोट पहुँचाने का आरोप लगाने जैसा कोई काम न



फिर भी हो सकता है कि उस मनुष्य ने हिंसा की हो । अहिंसा का भाव आँखों से देखने वाले परिणाम में ही नहीं, बल्कि अन्तःकरण की राग-द्वेष रहित स्थिति में है ।

८. फिर भी आँखों से देखने वाले लक्षण की उपेक्षा नहीं की जा सकती । क्योंकि यद्यपि यह एक स्थूल साधन है, तो भी अपने या दूसरे के हृदय में अहिंसा-वृत्ति का कितना विकास हुआ है, इसका मोटा अन्दाज इस लक्षण से लग सकता है । जहाँ दूसरे भूत-प्राणियों को उद्विग्न न करने वाली वाणी के और वैसे ही कर्म के दर्शन होते हैं, वहाँ साधारण जीवन में तो इस बात का प्रत्यक्ष पता चल सकता है कि उसमें अहिंसा किस हद तक पुष्ट हुई है । निश्चय ही अहिंसामय दुःख देने के प्रसंग भी आते हैं; उदाहरण के लिए, शुद्ध हेतु से, आत्म-शुद्धि के निमित्त किए गए उपवास से अपने प्रति प्रेम रखने वालों पर एक प्रकार का दबाव पड़ता है; किन्तु उस समय उसमें विद्यमान अहिंसा स्पष्ट दीखती है । जहाँ स्वार्थ की लेशमात्र भी गंध है, वहाँ पूर्ण अहिंसा सम्भव नहीं ।

९. परन्तु इतने से यह नहीं माना जा सकता कि अहिंसा की साधना पूरी हुई है । अहिंसा का साधक केवल प्राणियों को उद्विग्न बनाने वाली वाणी का उच्चारण और कर्म का आचरण न करके अथवा मन में भी उनके बारे में द्वेष भाव न रख कर ही सन्तुष्ट नहीं होगा, बल्कि वह संसार के वर्तमान दुःखों का दर्शन करने, उनके उपाय खोजने और उन उपायों को अमल में लाने का प्रयत्न करता रहेगा; साथ ही दूसरों के सुख के लिये वह स्वयं प्रसन्नतापूर्वक कष्ट सहता रहेगा । तात्पर्य यह कि अहिंसा केवल निवृत्ति रूप कर्म अथवा निष्क्रिया नहीं है, बल्कि बलवान प्रवृत्ति अथवा प्रक्रिया है ।

१०. अहिंसा में तीव्र कार्य-साधक शक्ति विद्यमान है । उसमें विद्यमान अमोघ शक्ति का पूर्ण संशोधन अभी हुआ नहीं है । 'अहिंसा के निकट सारा विष और वैर शान्त हो जाता है', यह सूत्र केवल उपदेश-वाक्य नहीं है, बल्कि ऋषि का अनुभव-वाक्य है । जाने-अनजाने, सहज प्रेरणा से, सब प्राणी एक दूसरे के लिए खपने का धर्म पालते हैं और इस धर्म के पालन से ही संसार निभता है । फिर भी इस शक्ति के सम्पूर्ण विकास का और सब कार्यो तथा प्रसंगों के लिए इसके प्रयोग का मार्ग अभी जानपूर्वक खोजा नहीं गया है ।

११. हिंसा के मार्गों की खोज और उसके संगठन के लिए मनुष्य ने जितना दीर्घ उद्योग किया है और एक बड़ी हद तक उसका शास्त्र तैयार करने में जो सफलता प्राप्त की है, यदि उतना उद्योग वह अहिंसा की शक्ति

की खोज और उसके संगठन के लिए करे, तो उससे यह सिद्ध हो सकता है कि अहिंसा मनुष्य जाति के दुःखों को दूर करने के लिए एक अमूल्य, कभी व्यर्थ न होने वाला और परिणाम में दोनों पक्षों का कल्याण करने वाला साधन है।

१२. जिस श्रद्धा और उद्योग से वैज्ञानिक प्राकृतिक शक्तियों की खोज करते हैं और उनके नियमों को विविध रीति से व्यवहार में उतारने का प्रयत्न करते हैं, उसी श्रद्धा और उद्योग से अहिंसा-शक्ति की खोज करने और उसके नियमों को व्यवहार में उतारने का प्रयत्न करने की आवश्यकता है।

## व्यर्थ का खून नहीं

□ श्री राजकुमार जैन

भारत के जिस राज्य पर सिकन्दर हमला करना चाहता था, उसी राज्य का राजा जब बिना बुलाए उससे मिलने आया तो सिकन्दर का सीना गर्व से फूल गया। उसने समझा कि वह राजा आत्म-समर्पण करने आया है। बातों के दौरान उस राजा ने पूछा—“हमने तो आपका कोई अपकार नहीं किया है, फिर भला आप हम पर आक्रमण क्यों करना चाहते हैं?”

सिकन्दर ने गर्व भरा जवाब दिया—“ठीक है, हम तुम पर आक्रमण नहीं करेंगे किन्तु तुम्हें सात साल तक ‘कर’ देना होगा।”


राजा ने सिकन्दर को समझाया कि इतने सारे धन के रहते हुए मामूली-सी कर की रकम से आपका क्या बन-बिगड़ जाएगा? बात सिकन्दर के गले उतर गई। दोनों ने मित्रता स्वीकार करली। तब राजा ने सिकन्दर को सम्पूर्ण सेना सहित प्रीतिभोज पर आमन्त्रित किया।

अपने दल-वल सहित जब सिकन्दर राज्य की सीमा पर पहुँचा तो एक विशाल सेना ने घेर लिया। सिकन्दर तिलमिला उठा और बोला—“तुमने हमारे साथ विश्वासघात किया है।”

लेकिन राजा का उत्तर सुनकर शर्म से सिकन्दर का सिर झुक गया। उसने जवाब दिया—“मैं अपनी सेना की इस छोटी-सी टुकड़ी के साथ आपके स्वागत के लिए आया हूँ, युद्ध हेतु नहीं। आपको शायद यह गलतफहमी है कि अपनी सैन्य-दुर्बलता की वजह से हमने आपके साथ मैत्री की है, लेकिन वास्तविकता तो यह है कि हम हिन्दुस्तानी व्यर्थ में खून बहाना और वहाना पसन्द नहीं करते।”

सिकन्दर का गर्व टूट चुका था।

—राज स्टेशनर्स एण्ड जन  
भवानीमण्डी (राज.) ३



## उदारता, सेवा और कर्तव्यपरायणता

□ स्वामी शरणानन्द

प्रत्येक परिस्थिति प्राकृतिक न्याय है । प्राकृतिक न्याय मे किसी का अहित नहीं है, अपितु सभी का हित है । इस दृष्टि से प्राणी का विकास प्राप्त परिस्थिति के सदुपयोग मे ही निहित है । पर परिस्थिति का सदुपयोग वे ही प्राणी कर सकते हैं जो परिस्थिति मे जीवन-बुद्धि नहीं रखते अपितु परिस्थिति को साधन-सामग्री ही जानते हैं । परिस्थिति स्वभाव से ही परिवर्तनशील है । जो परिवर्तनशील है उसके परिवर्तन का प्रयास करना प्राप्त सामर्थ्य का दुरुपयोग करना है । इतना ही नहीं जो सामर्थ्य प्राणी को परिस्थिति के सदुपयोग के लिए मिला था उसका व्यय अप्राप्त परिस्थिति के चिन्तन मे अथवा परिस्थिति के परिवर्तन मे करना उसका दुरुपयोग है । सामर्थ्य के दुरुपयोग का बड़ा ही भयंकर परिणाम होता है अर्थात् प्राणी सामर्थ्य के दुरुपयोग से न तो प्रतिकूलता का ही अन्त कर सकता है और न उसे अनुकूलता ही प्राप्त होती है । ऐसी कोई परिस्थिति ही ही नहीं सकती जो सर्वांग में अनुकूल हो अर्थात् प्रत्येक परिस्थिति अनुकूलता तथा प्रतिकूलता का समूह है । अनुकूलता की दासता तथा प्रतिकूलता का भय प्राणी को परिस्थिति का सदुपयोग नहीं करने देता, जिसके विना किए न तो उत्कृष्ट परिस्थिति प्राप्त होती है और न परिस्थितियों से अतीत के जीवन में प्रवेग ही होता है । प्राकृतिक नियम के अनुसार अनुकूलता और प्रतिकूलता दोनों ही कर्तव्यनिष्ठ होने के लिए आवश्यक अंग हैं क्योंकि प्रतिकूलता के विना वस्तुओं के स्वरूप का वास्तविक ज्ञान नहीं होता और अनुकूलता के विना प्राप्त वस्तुओं का उदारतापूर्वक सदुपयोग नहीं होता । वस्तुओं के स्वरूप का यथेष्ट ज्ञान हुए विना वस्तुओं की दासता का अन्त नहीं हो सकता और वस्तुओं के सदुपयोग के विना परस्पर मे स्नेह की एकता सम्भव नहीं है । स्नेह की एकता के विना सर्प मित नहीं सकता अथवा यो कहो कि स्नेह की एकता मे ही भेद तथा भिन्नता का नाश और सुन्दर समाज का निर्माण एवं चिरंजिवि की स्थापना निहित है । इस दृष्टि से अनुकूलता और प्रतिकूलता दोनों ही में प्राणी का हित है । अतः अनुकूलता की दासता और प्रतिकूलता का भय चित्त से सदा के लिए निकाल देना अनिवार्य है, जिसके निकलने ही अनुकूलता तथा प्रतिकूलता का सदुपयोग स्वतः होने लगता है और फिर पराधीनता जेप नहीं रहती, जिससे चित्त सुगमतापूर्वक शुद्ध हो जाता है ।

अधिकार-लालसा से रहित, प्राप्त परिस्थिति के सदुपयोग में ही कर्तव्यपरायणता है और कर्तव्यपरायणता में ही विद्यमान राग की निवृत्ति है। अधिकार-लालसा में आवद्ध प्राणी कर्तव्यनिष्ठ नहीं हो सकता कारण कि अधिकार की अपूर्ति उसे क्षोभित तथा क्रोधित कर देगी और अधिकार की पूर्ति उसमें नवीन राग उत्पन्न कर देगी। इस दृष्टि से अधिकार-लालसा के त्याग में ही कर्तव्यपरायणता निहित है। क्षोभित होने पर प्राप्त सामर्थ्य का ह्रास हो जाता है और क्रोधित होने पर कर्तव्य की विस्मृति अर्थात् कर्तव्य के ज्ञान की विस्मृति आच्छादित हो जाती है। प्राप्त सामर्थ्य के ह्रास और कर्तव्य के ज्ञान की विस्मृति में कर्तव्यपरायणता सम्भव नहीं है, क्योंकि कर्तव्य के ज्ञान तथा सामर्थ्य के द्वारा ही प्राणी कर्तव्य-निष्ठ हो सकता है। यद्यपि प्रत्येक परिस्थिति में कर्तव्यपालन सम्भव है, परन्तु जब प्राणी प्राप्त सामर्थ्य तथा ज्ञान का सदुपयोग नहीं करता तब कर्तव्य से च्युत हो जाता है। राग-निवृत्ति के लिए ही कर्तव्य अपेक्षित है, अतः नवीन राग की उत्पत्ति भी प्राणी को कर्तव्य-निष्ठ नहीं होने देती। इस दृष्टि से अपने अधिकार का त्याग किए बिना कोई भी प्राणी कर्तव्य-निष्ठ नहीं हो सकता। अधिकार के नाम पर कर्तव्य की बात कहना अकर्तव्य में कर्तव्य-बुद्धि रखना है। जो अकर्तव्य कर्तव्य के भेद में आता है वह बड़ा ही भयंकर होता है क्योंकि उसका त्याग कठिन हो जाता है। अकर्तव्य अकर्तव्य के रूप में अधिक काल तक जीवित नहीं रह सकता, क्योंकि सर्वांश में कोई भी दोष किसी भी प्रकार से नहीं रह सकता। गुण का आश्रय पाकर ही दोष अपने अस्तित्व को सुरक्षित रख पाता है, अथवा यो कहो कि अकेला दोष रह ही नहीं सकता।

इस दृष्टि से कर्तव्य और अकर्तव्य का भेद जानना अनिवार्य है। अधिकार की माग अकर्तव्य की जननी है और दूसरों के अधिकार की रक्षा कर्तव्य की जननी है। जिस प्राणी की दृष्टि सदैव दूसरे के अधिकार पर ही लगी रहती है वही कर्तव्यनिष्ठ हो पाता है और जो प्राणी अपने ही अधिकार को देखता रहता है वह कभी भी कर्तव्यनिष्ठ नहीं हो पाता। इतना ही नहीं, वह बेचारा ऐसी भयंकर परिस्थिति में आवद्ध हो जाता है कि एक दोष की निवृत्ति के लिए दूसरे दोष को अपनाता रहता है; जैसे किसी की रक्षा के लिए किसी की हिंसा, किसी के विकास के लिए किसी का ह्रास, किसी के लाभ के लिए किसी की हानि करता रहता है। प्राकृतिक नियम के अनुसार जिस रक्षा, विकास और लाभ के मूल में हिंसा, ह्रास और हानि है उससे अन्त में हिंसा, ह्रास और हानि ही सिद्ध होती है, क्योंकि जिससे जिसकी उत्पत्ति होती है उसका अन्त उसी में होता है। अतः कर्तव्य के त्याग से जिस कर्तव्य का उदय होता है वही कर्तव्य वास्तव में विनाश मूल है। अकर्तव्य का त्याग किए बिना कर्तव्यनिष्ठ होना किसी भी

सम्भव ही नहीं है, अथवा यों कहो कि अकर्तव्य का त्याग भी निषेधात्मक दृष्टि से कर्तव्य ही है ।

प्राकृतिक नियमानुसार प्राप्त सुख दुखियों की वस्तु है । उसे अपना मानना और उसका भोग करना पराई वस्तु को अपना मानना है । पराई वस्तु को अपना मानने से प्राणी का सर्वनाश हो जाता है । इस कारण जो सुख प्राप्त है उसका वितरण कर उसकी आसक्ति से रहित होना अनिवार्य है । सुख बांट देने पर दुःख सदा के लिए मिट जाता है और सुख-दुःख से अतीत वास्तविक जीवन से अभिन्नता हो जाती है । जो प्राणी सुख-भोग तथा सुख की आशा में आवद्ध हो जाता है वह कभी भी स्वाधीन नहीं हो सकता । स्वाधीनता के बिना चित्त की शुद्धि सम्भव नहीं है, क्योंकि पराधीन प्राणी सर्वदा सुख की आशा में आवद्ध रहता है । सुख की आशा चित्त में राग-द्वेष उत्पन्न करती है जिससे चित्त अशुद्ध हो जाता है । सुख की आशा से रहित होने पर राग-द्वेष, त्याग तथा प्रेम में बदल जाता है और फिर चित्त स्वतः शुद्ध हो जाता है । चित्त उसी प्राणी का शुद्ध हो सकता है जो दूसरों के कर्तव्य पर दृष्टि नहीं रखता और जिसकी प्रसन्नता किसी की उदारता पर निर्भर नहीं है; परन्तु जो स्वयं दूसरों के लिए उदार भी है और कर्तव्यनिष्ठ होकर दूसरों के अधिकार की रक्षा भी करता है, अर्थात् उदारता तथा कर्तव्यपरायणता ही जिसे अभीष्ट है उसी का चित्त शुद्ध हो सकता है ।

प्राकृतिक नियम के अनुसार वस्तुओं का सदुपयोग व्यक्तियों की सेवा में है और व्यक्तियों की सेवा उनसे सम्बन्ध-विच्छेद कराने में समर्थ है । इस दृष्टि से न्यायपूर्वक सम्पादित वस्तुओं के द्वारा व्यक्तियों की सेवा करना और किसी भी व्यक्ति से सुख की आशा न करना चित्त की शुद्धि का साधन है । जो प्राणी व्यक्तियों से सुख की आशा करता है वह व्यक्तियों की सेवा नहीं कर सकता और न उनकी ममता से ही रहित हो सकता है । इस कारण किसी भी व्यक्ति को किसी भी व्यक्ति से सुख की आशा नहीं करनी चाहिए, अपितु सुख देने के लिए प्रयास करना चाहिए । सुख देने की भावना में ही सुख की आशा का त्याग निहित है । सुख की आशा का त्याग सुख की दासता से रहित करने में समर्थ है । सुख की दासता से रहित होते ही चित्त स्वतः शान्त हो जाता है ।

चित्त की शान्ति चित्त को स्वयं शुद्ध कर देती है और चित्त को शुद्धि से चित्त स्वस्थ हो जाता है, जिसके होते ही बड़ी ही सुगमतापूर्वक चित्त का निरोध अथवा चित्त से सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता है, अथवा चित्त स्वतः अपने अधीन हो जाता है ।



## अहिंसा मनुष्य का स्वभाव है

□ आचार्य रजनीश

अहिंसा मनुष्य का स्वभाव है और हिंसा मनुष्य की निर्मिति है। हिंसा प्रकृति-प्रदत्त तथ्य है लेकिन मनुष्य का स्वभाव नहीं है, पशु का स्वभाव है। मनुष्य उस स्वभाव से गुजरा है इसलिए पशु के जीवन के सारे अनुभव अपने साथ ले आया है। हिंसा ऐसे ही है, जैसे कोई आदमी राह से गुजरे और धूल के कण उसके सिर पर छा जाँएँ और जब वह महल के भीतर प्रवेश करे तब भी उन धूल के कणों को उतारने से इनकार कर दे और कहे कि वे मेरे साथ ही आ रहे हैं। वह मैं ही हूँ। वे धूल-कण है जो पशु की यात्रा पर मनुष्य की आत्मा पर चिपक गये हैं, जड़ गये हैं, स्वभाव नहीं है। पशु के लिए स्वभाव है, क्योंकि पशु के लिए कोई चुनाव ही नहीं है। मनुष्य के लिए स्वभाव नहीं है क्योंकि मनुष्य के लिए चुनाव है। असल में मनुष्यता शुरू होती है च्वायस (choice) से, चुनाव से। मनुष्य शुरू होता है निर्णय से, डिजीजन से। मनुष्य शुरू होता है सकल्प से। मनुष्य चौराहे पर खड़ा है। कोई पशु चौराहे पर नहीं खड़ा है। सब पशु डायमेंशनल रास्ते पर होते हैं। एक ही रास्ता होता है जिसमें कोई चुनाव नहीं है।

मनुष्य चाहे तो हिंसक हो सकता है, चाहे तो अहिंसक हो सकता है। यह स्वतंत्रता है उसकी। पशु को यह स्वतंत्रता नहीं है। पशु की यह मजबूरी है कि वह जो हो सकता है, वही है। यह भी समझने जैसा है, पशु वही है, जो हो सकता है। इसलिए पशु के स्वभाव में और पशु के तथ्य में कोई फर्क नहीं होता। पशु के भविष्य में और पशु के अतीत में कोई डिस्टेंस, कोई फासला नहीं होता। पशु के होने में, और हो सकने की सम्भावना में, कोई फर्क नहीं होता। पशु जो हो सकता है, वह है। दैट व्हिच इज पौसिवल, इज ऐक्चुअल। पशु की ऐक्चुअलिटी और पौसिविलिटी में कोई फर्क नहीं। आदमी का मामला एकदम बदल गया। आदमी उससे भिन्न हो सकता है। आदमी की ऐक्चुअलिटी उसकी पौसिविलिटी नहीं है। जो आदमी वास्तविक आज है, कल उससे और कुछ हो सकता है। इसलिए किसी कुत्ते को हम नहीं कह सकते कि तुम कुछ कम कुत्ते हो, लेकिन आदमी से कह सकते हैं कि तुम कुछ कम आदमी मानुम होते हो। किसी कुत्ते से यदि हम कहेंगे कि तुम कुछ कम कुत्ते हो तो विलकुल एवर्सर्ड स्टेटमेंट होगा। इसका कोई मतलब नहीं होगा। सब कुत्ते बराबर कुत्ते होते हैं। कमजोर हो सकते हैं, ताकतवर हो सकते हैं, कुत्तेपन में कोई फर्क नहीं होता। बीमार हो सकते हैं, स्वस्थ हो सकते हैं, कुत्तेपन में कोई फर्क नहीं होगा। लेकिन आदमियत की मात्राओं में फर्क है। किसी कुत्ते में

आदमियत का कोई फर्क नहीं है। कि...  
 और रावण में आदमियत का कोई फ...  
 यह है कि आदमियत बहुत कम मालूम पडती है...  
 इतनी ज्यादा है कि भगवान शब्द खोजने...  
 हमने भगवान शब्द खोजा, उसका कुल मतलब...  
 क्या था कि आदमी कहना काफी नहीं मालूम...  
 आदमी जो है वही सब कुछ नहीं है, बहुत कुछ है...  
 पशु की यात्रा से जुडा है, वह उसकी हिंसा है।  
 वह उसकी अहिंसा है। आदमी का स्वभाव वह है जो...  
 तत्र होगा। आदमी का तथ्य वह है जो उसने...  
 इसलिए मैं कहता हूँ, हिंसा अर्जित...  
 हिंसा छोड़ी जा सकती है, अहिंसा सिर्फ पाई...  
 यह फर्क भी समझ लेना जरूरी है।

हिंसा छोड़ी जा सकती है, अहिंसा पाई जा सकती है। अहिंसा अगर  
 पा ली जाय तो छोटना असम्भव है। आदमी कितना ही हिंसक हो जाय हिंसा  
 छोड़ना सदा सम्भव है; क्योंकि वह स्वभाव नहीं है। प्रत्येक पापी का भविष्य  
 है और प्रत्येक पापी का भविष्य एक भविष्य है। हम प्रत्येक पापी से  
 धार्मिक रूप से कह सकते हैं कि तुम्हारे सत्त्व के सत्त्व प्रत्येक सत्त्व का एक  
 भतीत होता है; और प्रत्येक सत्त्व का एक सत्त्व प्रत्येक सत्त्व का एक  
 प्रत्येक सत्त्व से सार्थक रूप का फल होता है। हम प्रत्येक सत्त्व को  
 सत्त्व का फल आगे कोई भविष्य नहीं है। हम प्रत्येक सत्त्व को  
 उपलब्ध हो गया, जो वही स्वभाव को छोड़ना ही है। हम प्रत्येक सत्त्व को  
 कली का भविष्य है। कली भी बन सकती है। लेकिन प्रत्येक सत्त्व को  
 भी। फूल फिर फूल हो गया स्वभाव है तो इसका यह  
 कह रहे हैं, हम सम्भावना कली से कहते हैं कि तेरा  
 हो सकती है। लेकिन अगर कोई भी यही है कि मैं कली हूँ, तो  
 है, क्योंकि मैं कली हूँ।

...  
 ...  
 ...  
 ...  
 ...

कोठरी से निकले और काजल उसके शरीर पर लग जाय, उसके कपड़े पर लग जाय जो अनिवार्य था। पशु क्षम्य है, अनिवार्य है हिंसा उसके जीवन में। आदमी को क्षमा नहीं किया जा सकता। हिंसा अब उसकी पसंद है, अब अनिवार्य नहीं। अब वह चुन रहा है हिंसा। अगर कली जिद कर ले कली रहने की, तो रह सकती है। लेकिन यह उसकी अनिवार्यता नहीं, यह उसकी नियति, यह उसकी डेस्टनी नहीं है। यह उसका अपना ही भ्रांत निर्णय है। तब इसकी जिम्मेवार वह स्वयं ही होगी, और तब किसी परमात्मा के समक्ष पहुँच कर वह यह नहीं कह सकेगी कि मुझे कली ही क्यों रखा? क्योंकि कली के भीतर फूल होने की सम्भावना परमात्मा ने पूरी दे दी थी। वह फूल हो सकती थी। कली होने की जिम्मेवारी उसकी होगी।

हिंसा, पशु के लिए अनिवार्यता है, हमारे लिए जिम्मेवारी है। पशु के लिए तथ्य, हमारे लिए सिर्फ ऐतिहासिक याददाश्त है। पशु का वर्तमान, हमारा अतीत है। चुनाव सामने है। आदमी अहिंसक होने का निर्णय ले सकता है, हिंसक होने का भी निर्णय ले सकता है। इसलिए जब कोई आदमी हिंसक होने का निर्णय लेता है तो कोई पशु उसका मुकाबला नहीं कर सकता। असल में कोई पशु इतना हिंसक नहीं हो सकता जितना आदमी हो सकता है। क्योंकि पशु सहज ही हिंसक है, और आदमी हिंसक आयोजना से होता है। इसलिए हम चगेज खों और तैमूर और नादिर और हिटलर और माओ और स्टालिन जैसे हिंसक, पशुओं में नहीं खोजकर ला सकते। स्टालिन के पैरेलल या चगेज के समानान्तर अगर हम पशुओं के इतिहास से पूछें, कि क्या कोई एक पशु हुआ, जो हमारे चगेज खों के मुकाबले हो तो पशु कहेंगे, हम बहुत दरिद्र हैं। इस मामले में हमारे पास कोई याददाश्त नहीं है। एक बड़े मजे की बात है कि कोई भी जानवर सजातीय के प्रति हिंसक नहीं होता सिवाय आदमी को छोड़कर। कोई जानवर अपनी जाति के जानवर को नहीं मारता, हिंसा नहीं करता। इतनी पहचान पशु की हिंसा में भी है। सिर्फ आदमी अकेला जानवर है जो आदमी को मारता है।

लेकिन यह कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि कोई पशु अपनी जाति के पशु पर हमला नहीं करता, पर आदमी करता है और कोई पशु अकारण कभी नहीं मारता है, यह भी मजे की बात है, सिर्फ आदमी को छोड़कर। अगर कभी मारता भी है तो उसकी जरूरत होती है। भूख होती है तो मारता है। रक्षा करनी होती है तो मारता है। आदमी बेजरूरत मारता है। कोई जरूरत नहीं होती है, तब भी मारता है। कभी-कभी तो ऐसा लगता है कि मारना होता है इसलिए जरूरत पैदा करता है। बिना मारे नहीं रह सकता, इसलिए जरूरत पैदा कर लेता है। कभी वियतनाम में जरूरत पैदा करता है, कभी कोरिया में जरूरत पैदा करता है, कभी कश्मीर में जरूरत पैदा करता है। कोई जरूरी



बात नहीं है। न कोई कोरिया में, न किसी वियतनाम में, नही किसी कम्बो-दिया में, कही कोई जरूरत नहीं है लेकिन आदमी जरूरत पैदा करता है। क्योंकि बिना जरूरत मारेगा तो जरा ठीक नहीं लगेगा। आदमी नेशनल है, सिर्फ एक अर्थ में कि वह अपनी बेवकूफियों को भी रेशनलाइज करता है, और किसी अर्थ में वह रेशनल नहीं है। अरस्तू ने जरूर कहा था कि आदमी एक बुद्धिमान प्राणी है लेकिन आदमी का अब तक का इतिहास यह सिद्ध नहीं करता। अरस्तू को इतिहास ने गलत सिद्ध किया है। आदमी सिर्फ बुद्धिमानों एक बात में दिखाता है कि वह अपनी बेवकूफियों को बुद्धिमानों सिद्ध करने की कोशिश करता है। मारता है तो भी रेशनलाइज कर लेता है। वह कहता है कि मारना ही पड़ेगा। क्योंकि यह मुसलमान है, मारना ही पड़ेगा। क्योंकि यह हिन्दू है, मारना ही पड़ेगा। यह हिन्दुस्तानी नहीं, पाकिस्तानी है। जैसे किसी का पाकिस्तानी होना मरने के लिए काफी कारण है। काफी हो गई बात कि एक आदमी मुसलमान है, मारो। आदमी कारण खोजता है कि मारना पड़ेगा, कि यह आदमी पूजीपति है, मारना पड़ेगा। यह आदमी कम्युनिस्ट है, मारना पड़ेगा। पुराने कारण जरा पिट जाते हैं तो नये कारण खोजता चला जाता है। नये कारण ईजाद करता है कि अब चलो पुराना कारण बेकार हुआ, वह खेल बन्द करो, नया खेल खेलो। आदमी मारना चाहता है तो कारण खोज लेता है। पशु बिना कारण कभी नहीं मारते।

मैं यह कह रहा हूँ कि अगर हम आदमी की हिंसा को समझे तो हम पायेंगे कि अकारण आदमी हिंसक होता है। तो यह उसका चुनाव है, और इसलिए आदमी इतना हिंसक हो सकता है जितना कोई पशु नहीं हो सकता है। क्योंकि पशु का हिंसक होना सिर्फ स्वभाव है, वह उसका चुनाव नहीं है इसलिए नादिरशाह उसमें पैदा नहीं हो सकता, इसलिए उसमें महावीर भी पैदा नहीं हो सकते। अहिंसा का भी उसे कोई चुनाव नहीं। आदमी को अहिंसा का भी चुनाव करना पड़ता है। हमने अगर नादिरशाह, स्टालिन और माओ की खाइयाँ देखी हैं तो हमने महावीर, कृष्ण और क्राइस्ट की ऊँचाइयाँ भी देखी हैं। वे दोनों हमारी सम्भावनाएँ हैं। खाइयाँ हमारे अतीत का स्मरण हैं, ऊँचाइयाँ हमारे भविष्य की आकांक्षा हैं।

---

अहिंसा का अर्थ है ईश्वर पर भरोसा रखना।

—महात्मा गांधी

अहिंसा का मतलब इतना ही नहीं है कि हम किसी का बुरा नहीं चाहेंगे और नहीं करेंगे। नहीं, बल्कि हर किसी का भला सोचेंगे और वह भला करने के लिए आगे बढ़ेंगे।

—जैनेन्द्र कुमार



## आपु समान जगत् जस चीन्हा

□ साध्वी मणिप्रभा धी

जीवन-निर्माण की दशा मे व्यक्ति किसी को हानि नहीं पहुँचाता । उसके विचार दूसरो के लिये किसी न किसी रूप मे लाभकारी होते हैं; लेकिन जीवन-निर्वाह की दिशा में वह दूसरो का शोषण भी कर सकता है । अतः जिसने आत्महित के लिये पुरुषार्थ प्रारम्भ कर दिया तो समझिये जनहित भी स्वतः ही शुरू हो जायेगा । आत्महित का विस्तृत रूप ही जगहित होगा । जिसने आत्मा का मूलरूप जान लिया है वह जान लेता है कि आत्मा शुद्ध है, बुद्ध है, मुक्त है, निरंजन है लेकिन वर्तमान मे जो उसकी परिणति है, वह कर्मों के कारण है । अज्ञान और मोह से बाधे गये कर्मों ने आत्मा को सुषुप्त अवस्था मे ला पटका है, ससार में परिभ्रमण करवाया है । ससारी आत्मा का लक्ष्य, उसके सारे प्रयत्न काया, कुटुम्ब, कचन, कामिनी एव कीर्ति के लिये है । उसका कार्यक्षेत्र कितना भी विस्तृत वयो न हो—लेकिन लक्ष्य इन्ही की प्राप्ति का होगा । उसके लिये धन-धरती, सत्ता-सुन्दरी मे आकर्षण होगा । इन चारों शब्दो मे सम्पूर्णा जगत् का आकर्षण समाहित हो जाता है । अपने स्वार्थ की पूर्ति हेतु वह दूसरे के स्वार्थ को, दूसरे की आवश्यकता को, दूसरे की इच्छाओं को ठुकराता है, उनका हनन करता है । वह अपनी इच्छित वस्तु प्राप्त करता है लेकिन किसी का दिल दुखाकर, किसी की आँखो से आँसू निकलवा कर । कहने का तात्पर्य यह है कि जिसका उद्देश्य जगत् को, जगत् के परपदार्थों को प्राप्त करना मात्र है, उसकी शक्ति सृजनात्मक कम होगी, विध्वंसात्मक ज्यादा । मानव जीवन का उद्देश्य शक्ति का ऊर्ध्वारोहण होना-चाहिये, अधोगमन नहीं । ज्ञानियो ने भौतिक सुख को सुखाभास कहा है । दूसरो को दुःख देकर प्राप्त किया जाने वाला सुख, सुख नहीं । हमे भी सुख मिले, हमारे माध्यम से दूसरो को भी सुख मिले, यह भावना होनी चाहिये ।

“ जं इच्छसि अप्पणतो, जं च ण इच्छसि अप्पणतो ।

तं इच्छ परस्स वि या, एत्तियगं जिणसासनं ॥ ”

अर्थात् जो तुम अपने लिये चाहते हो वही दूसरो के लिये भी चाहो तथा जो तुम अपने लिये नहीं चाहते वह दूसरो के लिये भी न चाहो, यही जिनशासन है ।

जिनशासन हो अथवा अन्य कोई धर्म, कोई मजहब, कोई पन्थ—यह नहीं कहता कि तुम दूसरो को दुःखी करके अपने को सुखी बनाओ, दूसरो की

भोंपड़ी हटाकर अपना महल बनाओ, दूसरो की रोटी छीनकर अपनी तिजोरी भरो ।

बन्धुओ ! जब आत्मीयता का विस्तार होने लगेगा, सभी प्राणियो के साथ मित्रता के भाव उत्पन्न होने लगेगे तब चराचर जगत् के प्राणियो के साथ वह अपने आप को जोड लेगा । उनका सुख उसका सुख होगा, उनका दुःख उसका दुःख होगा । वह महापुरुषो के पद-चिह्नो पर चल पडेगा । महापुरुष किसी भी काल मे हो, किसी भी देश मे हो, किसी भी जाति मे हों—उनका काल, देश, जाति स्तर पर तो अन्तर हो सकता है लेकिन भावात्मक स्तर पर नही । सभी की भावात्मक स्थिति एक होती है, जो महापुरुष होगा उसमें उदारता, उदात्तता, क्षमाशीलता आदि गुण सहज होंगे ।

इस भूमि (जोधपुर) का सम्बन्ध वीर तेजाजी के साथ है, न जाने कितने संत हो गये, कोई किसी के साथ जुड़ा, कोई किसी के साथ । महापुरुषों की धरती में जन्म लेने वाले, उनकी महिमा गाने वाले, उनकी पूजा-उपासना करने वाले हम, जरा विचार तो करे कि क्या अन्तरङ्ग मे भी हम उनके साथ जुड पाये ? क्या उनकी वाणी ने हमारे जीवन मे कुछ परिवर्तन किया ? जब उनकी वाणी हमारे हृदयतल को स्पर्श करेगी तब हमारी दृष्टि बदलेगी, जब दृष्टि बदलेगी तब पुरुषार्थ बदलेगा, जब पुरुषार्थ बदलेगा तभी उपलब्धि भी बदलेगी । स्वकाया के संरक्षण के लिये किसी अन्य काया का नाश करना हमारा उद्देश्य नही होगा । स्वयं को सम्पत्ति के साथ जोड़ने के लिये दूसरो को विपत्ति में नही डालेगे, हमारा व्यवहार बदलेगा, कर्म बदलेगा फिर जीवन बदलेगा । हृदय मे मेरे का घेरा विस्तृत हो जायेगा—“मिस्ती में सब्बभूएसु” समस्त प्राणियो से मेरी मैत्री हो—ऐसी भावना जब उत्पन्न होगी वही से आत्मीयता का विस्तार होने लगेगा तो हम दूसरों को दुःख नही दे पायेगे । साधारणतः जिनसे हमारी आत्मीयता होती है, उनके सुख-दुःख मे हमारा मन भी सुखी-दुखी होता है । आत्मीयता का विस्तार जितना अधिक होगा, जगत् की मंगलकामना की प्रवृत्ति भी उतनी ही अधिक होगी । जिस प्रकार एक मा अपने बच्चे का रोना नही देख सकती क्योकि उसमे वात्सल्य ममत्व, स्नेहभाव है, उसी प्रकार महापुरुषो की वाणी के साथ जुड़ने वाला सकल ससार से स्नेह करने लगेगा । दूसरो के कष्टनिवारण में वह अपनी शक्ति लगायेगा ।

हम अपने जीवन को देखे, सोचे—अपने जीवन में हम कितनो को सुखी कर पाए ? कितनो के हिन मे शक्ति लुटा पाए ? आज तो सब कुछ विपरीत ही दिखाई देता है—सर्वत्र संघर्ष के, संक्लेश के समाचार मिलते है—यह क्या है ? आज हम अपनी शक्ति का उपयोग किसी को उठाने मे नही, उसे गिराने मे करते हैं । कोई लड़खड़ा रहा हो तो उसको सहारा देकर उठाते नही अपितु एक

ठोकर और लगा देते हैं—भले ही वह व्यापारिक क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो अथवा धार्मिक क्षेत्र हो। क्या यही हमारी धार्मिकता है ?

बन्धुओ ! हमने मानव-आकृति तो पाई परन्तु पता लगाइये मनुष्यप्रकृति भी मिली या नहीं ? पुनः यह मानवजीवन न जाने कब प्राप्त होगा। यह अमूल्य अवसर हमें प्राप्त हुआ है, सुनहरा मौका है—इस प्रकार ज्ञानी वरावर उद्बोधन देकर हमें सावचेत करते हैं, सावधान करते हैं। एक व्यापारी दूसरे व्यापारी को कभी नहीं कहेगा कि बन्धु ! मौका अच्छा है, लाभ उठा ले, इसके बाद तो भाव गिरने वाले है। लेकिन हाँ, अगर बहुत अधिक अपनापन होगा तो सूचना अवश्य दे देगा। सामान्यतः कोई व्यापारी यह कभी नहीं चाहेगा कि कोई मुझसे धन कमाने में बाजी मार जाय या कोई मुझसे ज्यादा यश कमा ले अथवा कोई किसी भी क्षेत्र में मुझसे आगे बढ़ जाए। लेकिन महापुरुषों के लिये तो सम्पूर्ण जगत् अपना है—“उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्।” वे हमें जागरूक बनाने के लिये बार-बार उद्बोधन देते हैं—यह मौका मत छोड़ो, इससे उत्तम जीवन कोई और नहीं है, पुनः यह जीवन मिले या न मिले, जो कमाई करनी है कर लो, इस मानव मस्तिष्क का लाभ उठा लो, इस शरीर से जितना सत्कर्म कर सकते हो, कर लो, इस वाणी से जितने मंगलमय वचनों की वर्षा कर सकते हो, कर लो, इस मन से जितने शुभ संकल्प कर सकते हो, कर लो।

दो व्यक्ति जा रहे थे। यात्रा लम्बी थी। कभी बैठते कभी फिर चल पडते। काफी दूर जाने के पश्चात् एक स्थान पर जब वे बैठे थे कि एक व्यक्ति आया और कहने लगा—उठा लो ! उठा लो !! वे विस्मित होकर पूछने लगे—क्या उठा लो ? और क्यों उठा लो ? उस व्यक्ति ने कहा—अपने पांवों के नीचे की मिट्टी उठा लो। वे हँस पडे, उपहास करने लगे अरे ! यह मिट्टी ही हम उठाने लगते तो हमारे पास न जाने कितना व्यर्थ भार हो जाता। इतनी देर से मिट्टी पर ही तो चल रहे है। आगन्तुक ने कहा—मित्रो ! यह मिट्टी सामान्य नहीं है, इसमें स्वर्ण-कण मिले है। अब तो यात्री भी चौंकर ऊँचे देखने लगे और जल्दी-जल्दी मिट्टी उठाने लगे।

बन्धुओ ! हम भी चल रहे है—अनन्त काल की यात्रा में—हमें जगत् कहाँ नहीं मिला ?—कभी चिडिया, कभी चीटी, कभी ज्ञान, कभी श्रम, कभी गजराज तो कभी गर्दभराज। प्रत्येक भाव में काम-दान्ना की रूढ़ि, मंगलवृत्ति भी रही, क्रोध-संघर्ष आदि वृत्तियाँ भी रही। हम ऊँचे जानें देखते हैं—पशु-पक्षी जगत् में भी, कि जब कोई चीज उनके बीच आती है तो वे उसके लिये करने लगते है। स्वयं की सुरक्षा, परिवार की सुरक्षा, मंगल की सुरक्षा, विषा की भावना हर गति, हर योनि में मिली है। एक चीटी को देखकर शक्कर का एक-एक कण इकट्ठा करने लगती है। हमें भी ऐसी भावनाएँ तिर्यञ्च आदि सभी वृत्तियों में उद्वेक वार

उत्तम मानव भव में भी वही—काया, कंचन, कामिनी, कुटुम्ब के लिये मस्तिष्क का उपयोग कर रहे हैं। जरा सोचिये-विचारिये !

जिस प्रकार उन यात्रियों ने कहा—मिट्टी तो हमें सर्वत्र मिली—क्यों उठा लें—उसी प्रकार ज्ञानी जन कहते हैं—यह परिवार, ये भावनाएं, ये मनोवृत्तियाँ तो हर पर्याय में मिली और हर भव में, हर शरीर में इन्हीं का पोषण किया लेकिन इस मनुष्य देह से सेवा का स्वर्ण निकालना है, सत्संग का स्वर्ण निकालना है, शुद्ध भावनाओं का स्वर्ण निकालना है।

पूज्य गुरुवर्या श्री विचक्षण श्री जी म० सा० कहा करते थे—तन भी मिट्टी, धन भी मिट्टी—लेकिन इन दोनों के योग से मनुष्य चाहे तो स्वर्ण प्राप्त कर सकता है। तन से सेवा करके किसी का हित करके, सत्कर्म करके तथा धन से परोपकार करके, दुःखियों को सहायता पहुँचा करके। किसी के तन-धन की शक्ति किसी अन्य का शोषण करने में लगती है तो किसी की किसी अन्य का पोषण करने में। नीतिकार कहते हैं—

“विद्या विवादाय धनं मदाय, शक्तिः परेषां परिपीडनाय ।

खलस्य साधोः विपरीतमेतत्, ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय ॥”

दुष्टों की विद्या विवाद के लिये, धन मद के लिये और शक्ति परपीड़न के लिये होती है जबकि साधुजन का आचरण इससे विपरीत होता है अर्थात् उनकी विद्या ज्ञान के लिए, धन दान के लिए और शक्ति दूसरों के रक्षण के लिए होती है।

## अहिंसा का महत्व


मातेव सर्वभूतानामहिंसा हितकारिणी ।

अहिंसेव हि संसारमरावमृतसारिणी ॥

अहिंसा दुःख दावाग्नि-प्रावृषेण्यघनावली ।

भवभ्रमिरूगातानामहिंसा परमौषधी ॥

—अहिंसा माता के समान समस्त प्राणियों का हित करने वाली है। अहिंसा संसार रूपी मरुस्थल में अमृत की नहर है। अहिंसा दुःख रूपी दावानल को नष्ट करने के लिए वर्षाकालीन मेघों की घनघोर घटा है। अहिंसा भवभ्रमण रूपी रोग से पीड़ित जनों के लिए उत्तम औषध है।



# जैन आगमों में अहिंसा का स्वरूप

□ श्री केवलमल लोढ़ा

ज्ञानियों ने संसार में जितने भी तत्त्व हैं, उनको तीन विभागों ज्ञेय, (जानने योग्य) हेय, (त्यागने रूप) व उपादेय (आदरने लायक) में विभक्त किया है। नौ तत्त्वों में जीव, अजीव, पुण्य ज्ञेय रूप में, पाप, आश्रव, बंध हेय रूप में व संवर, निर्जरा तथा मोक्ष उपादेय रूप में है। इन नौ तत्त्वों में जीव कर्ता है, जो स्वभाव (समस्त गुणों) व विभाव (अवगुणों) का धारक है। गुणों में अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य आदि जीव के हितकारी होने से ग्राह्य है, व अवगुण हिंसा, असत्य, चौर्य, अब्रह्मचर्यादि त्याज्य है, क्योंकि ये आत्मा को मलिन करके अधोगति में ले जाने वाले हैं। गुणों में अहिंसा सब से प्रधान है, क्योंकि वीर प्रभु ने धर्म का प्रमुख लक्षण 'अहिंसा' दशवैकालिक सूत्र<sup>१</sup> में निरूपित किया है। इसी सूत्र के छठे अध्यायन<sup>२</sup> में छः व्रतों में अहिंसा को प्रथम स्थान दिया है। सत्यादि दूसरे गुण इस अहिंसा के पोषक व रक्षक हैं। जैसे कोई पुरुष झूठ बोलता है, चौर्य कर्म करता है, तो वह इस अनार्य कर्म से जिसको झूठे वचन कहे व जिसके पदार्थों का हरण किया है, उस-उस पुरुष के चित्त को आघात पहुँचता है। असत्य बोलना तो वर्जनीय है ही, पर सत्य भी अगर अप्रिय एवं मर्मकारी हो तो वह भी पापकारी होने से हेय है। जैसे कि सूत्रकृतांग<sup>३</sup> व दशवैकालिक सूत्रों में प्रतिपादन है। मैथुन तो हिंसा का घर है। एक समय के भोग में लाखों जीवों का घात होता है। परिग्रह के मूल में हिंसा ही है, क्योंकि अधिक संग्रह से दूसरे जीवों को क्षति पहुँचती है। अहिंसा में समस्त गुण वैसे ही समाविष्ट हैं, जैसे हाथी के पैर में सभी पशु-जगत् के पैर। ऐसी भगवती अहिंसा का जैन आगमों में स्वरूप, महत्त्व, अधिकारी आदि का संक्षेप में वर्णन करना इस लेख का प्रयोजन है।

**अहिंसा का स्वरूप**—'न हिंसति इति अहिंसा'। छः शायों में किसी भी जीव का वध न करना अहिंसा है, जिसके दो रूप हैं।

(१) निषेधात्मक—प्राणी मात्र की नद-वचन-क्रिया, मे मयं हिंसा करे नहीं, दूसरों से करावे नहीं, और न हिंसा करने वालों की अनुमोदना करे। तीन करण तीन योग से हिंसा से निवृत्त होना, ऐसी सम्पूर्ण हिंसा श्रमण निर्ग्रन्थ करते हैं। प्रथम महाव्रत 'समाह्वय्यो विरमणो' तिपात विरमण व्रत में आठ प्रकार के मृत जीवों की वध-  
'दशवैकालिक' सूत्र के अध्यायन आठ में की गई है।<sup>४</sup>

(२) विधेयात्मक—यानी जीवों की रक्षा एवं दया करना, शांति, क्षमा, करुणा, प्रेम, स्नेह, वात्सल्य, मैत्रीभाव, आदि । जिनेश्वर देव सभी जनजीवों की रक्षा व दया के हेतु प्रवचन फरमाते हैं<sup>६</sup> । अहिंसा को पूर्णतया समझने के लिये हिंसा की जानकारी भी आवश्यक है । हिंसा की व्याख्या 'तत्त्वार्थ सूत्र' अध्ययन ७ सूत्र ८ में "प्रमत्त योगात् प्राण व्यपरोपणं हिंसा" के रूप में की गई है अर्थात् प्रमादवश जीवों के प्राणो का हरण हिंसा है । इस सूत्र में हिंसा के दो रूप-भाव हिंसा व द्रव्य हिंसा है । प्रमत्त योग यानी राग-द्वेष वश की गई हिंसा भाव हिंसा है, और प्राणों को नष्ट करना द्रव्य हिंसा है । एकेन्द्रिय से लेकर पंचेन्द्रिय तक जीवों में ४, ६, ७, ८, ९ और १० प्राण क्रमशः होते हैं । उन सभी का घात करना पूर्ण द्रव्य हिंसा है । इसका पूर्ण चित्रण 'इच्छाकारेण' की पाटी में 'अभिहयावत्तिया' से लेकर 'जीविया', 'ववरोविया' तक दृष्टव्य है । आचारांग सूत्र के अनुसार जीव हिंसा आठ कारणों से होती है । यथा अपने जीवन हेतु, प्रशंसा या यश की कामना, सम्मान के लिये, पूजा हेतु, संतानादि के लिये, मृत्यु प्रसंग पर, मुक्ति प्राप्त करने हेतु व दुःख निवारण के लिये । इनके अलावा इसी सूत्र में<sup>७</sup> देवता की बलि के लिये, चर्म, मांस, रक्त, केस, सींग, दांत, डाढ़, अंग, उपांग की प्राप्ति हेतु प्रतिशोध की भावना से व हिंसा की भावी आशंका से जीव का प्रयोजन व निष्प्रयोजन भूत घात किया जाता है । हिंसा के कारण हिंसक जातियाँ किन-किन जीवो की कौन-कौन से जीव करते हैं, 'जीवो जीवस्य भोजनं' उक्ति कैसे सार्थक है, और हिंसा के कटु फल, नारकी में भयंकर वेदनाएँ आदि का विस्तृत वर्णन 'प्रश्न व्याकरण' सूत्र के प्रथम आश्रव द्वार में गुम्फित है । उसका स्वाध्याय करने से साधक जीव को हिंसा के प्रति घृणा उत्पन्न होगी, और वह हिंसक से अहिंसक बनने हेतु कदम बढ़ायेगा । क्योंकि हिंसा को ग्रन्थि, मोह,<sup>८</sup> मृत्यु और नरक बतलाया गया है ।

हिंसा स्व व पर के लिये अहितकारी व विनाशकारी है, तो अहिंसा, 'त्रस थावर सव्वभूए खेमकारी' है । (संवर द्वार, सूत्र १५) । यानी अहिंसा समस्त त्रस और स्थावर जीवो की धैर्यकुशल कल्याणकारी है । इसका सांगोपांग वर्णन 'प्रश्न व्याकरण' सूत्र के सवरद्वार में देखने, समझने व आचरण योग्य है । इस संवर द्वार के कुछ तथ्य यहाँ प्रस्तुत किये जा रहे हैं ।

अहिंसा के साठ नाम बतलाये हैं, जैसे द्वीप, त्राण, गति, शरण, प्रतिष्ठा, निर्वाण, समाधि, कीर्ति, विरति, विमुक्ति, निर्मलता आदि ।

अहिंसा की महिमा—'प्रश्न व्याकरण सूत्र, के सवर द्वार में अहिंसा का महत्त्व इस प्रकार प्रतिपादित किया गया है—

१. भीयाणं विव सरणं—भयभूत प्राणियों के लिये शरणभूत ।

२. पक्खिणं विव गमणं—पक्षियों के लिये आकाश में उड़ने के समान ।

३. तिसियाणं विव सलिलं— प्यासे प्राणियों के लिये जल के समान ।
४. खुहियाणं विव असणं— भूखों के लिये भोजनवत् ।
५. समुद्रमज्जे विव पोयवहणं— समुद्र में डूबते हुए जीवों के लिये जहाज के समान ।
६. चउप्पयाणं विव आसमपयं— चतुष्पद जानवरों के लिये आश्रय-स्थल ।
७. दुहट्टियाणं विव ओसहिवलं— रोगियों के लिये औषधिवत् ।
८. अडवी मज्जे विव सत्थगयणं— जंगल में संघ के साथ गमन करने के समान ।

जिस प्रकार भयाकुल मनुष्यों को शरण, पक्षियों को आकाश, चौपाया पशुओं को अपना निवास स्थान और जंगल में भटके हुए प्राणियों की सार्थवाह, सुरक्षा करते हैं, वैसे ही अहिंसा भगवती सकटग्रस्त जीवों को निर्भय बनाती है। जैसे जल प्यासे को, भोजन भूखे प्राणी को, औषधि पीड़ित जनो को शान्ति देती है, वैसे ही अहिंसा समस्त जीवों को शान्ति देती है। समुद्र में डूबते हुए प्राणी को जहाज तिरा देता है, उसी प्रकार अहिंसा भव्य जीवों को ससार-समुद्र से तिरा देती है। आकाश, पानी, भोजन, दवाई आदि तो जीव को कुछ समय के लिये शान्ति देते हैं, परन्तु अहिंसा उनसे कहीं अधिक लाभदायक है। वह तो परंपरा से मोक्षदात्री होने से शाश्वत आनन्द प्रदायी है।

अहिंसा की महिमा सम्बन्धी सूत्र अनेक आगमों में यत्र-तत्र उपलब्ध हैं, उनमें से कुछ सूत्र नमूने के तौर से यहाँ दिये जा रहे हैं।

१. सव्वेपाणा परमाहम्मिया— सभी प्राणी परम सुख के इच्छक हैं। दश. अ. ४

२. सव्वे जीवा वि इच्छंति जिवित्तं न मरिज्जइ— सभी जीव जीना चाहते हैं, मरना कोई नहीं चाहता। दश. अ. ६

३. सव्वे पाणा पिया उया, सुहसाया, दुक्ख पडिक्कूला, अप्पियवहा पिय जीविणो, जीवित्तं कामा, सव्वेसि जीवियं पियं— सभी जीवों को आयु प्रिय है, सभी सुख के इच्छक हैं व दुःख से घबराते हैं, वध अप्रिय है, जीवन प्रिय है, सभी जीवित्त रहना चाहते हैं, सबको जीवन प्रिय है। आचारंग अ. २, उ ३, सूत्र ७

४. सव्वे अक्कंत दुक्खा य, अत्तो सव्वे ण हिंसिया— सभी प्राणियों को दुःख अप्रिय है अतः किसी भी जीव की हिंसा न करो। सूत्रकृतंग अ. ११/६

५. एवं खु णाणिणो सारं, जं ण हिंसई किच्चंणं— ज्ञान का सार यही है कि किसी जीव की हिंसा नहीं करे—सूत्र. अ. ११/१०



६. सयं तिवायए पाणे, अदुवा अन्नेहिं घायए ।  
हृणंतं वाऽणजाणाई, वेरं वड्ढइ अपणो ॥

जो व्यक्ति प्राणियों का स्वयं घात करता, करवाता है, व उसकी अनु-  
मोदना करता है वह मारे जाने वाले जीवों के साथ मे वैर बढ़ाता है । सूत्र. १/३

७. अभओ पत्थिवा ! तुज्झ, अभयदाया भवाहि य ।

अणिच्चे जीव लोगम्मि, किं हिंसांए पसज्जसि ॥ (उ. १८/११)

आचार्य गर्दभालि सजय राजा को अभय देते हुये, उसको उपदेशित  
किया कि तुम भी जीवों को अभय दान देवो । इस अनित्य संसार मे हिंसा में  
क्यों आसक्त हो रहे हो ?

८. अज्झत्थं सव्वओ सव्वं, दिस्स पाणे पियायए ।

न हणे पाणिणो पाणे, भय वेराओ उवरए ॥ उक्त. ६/७

अध्यात्म सुख तुझे इष्ट है वैसे ही दूसरों को भी इष्ट है । सबको जीवन  
प्रिय है अतः भय और वैर से उपरत पुरुष जीवों के प्राणों का घात न करे ।

९. जई मुज्झ कारणा एए, हम्मति सु बहू जिवा ।

न मे एय तु निस्सेसं, परलोगे भविस्सई ॥ उ. सूत्र अ. २२/१६

भगवान् अरिष्टनेमी कहते हैं कि यदि ये पशु-पक्षी मेरे विवाह के निमित्त  
से मारे जाते हैं तो यह हिंसाकारी कार्य मेरे परलोक के लिये कल्याणकारी नहीं  
होगा ।

१०. बहु जुणस्स पोयारे, दीव ताणं च पाणिणं ।

एयारिसं नरहन्ता, महामोहे पक्कुवइ ॥ दशाश्रुत स्कंध ६/१७

जो जनता का नेता है और जो दुःखी जनों के लिये द्वीप के समान रक्षक  
है, ऐसे व्यक्ति का घात करने वाला जीव महामोहनीय कर्म बाधता है ।

११. सव्वे पाणा, सव्वे भूया, सव्वे जीवा, सव्वे सत्ता ण हतव्वा, ण  
अज्जावेयव्वा, ण परिघित्तव्वा ण परियावेयव्वा, ण उद्देवेयव्वा (आचारांग  
४/२/६)— सभी प्राणी, भूत, जीव व सत्त्वों को न तो मारना चाहिये, न उन पर  
जबरन शासन करना चाहिये, न उनको, दास, गुलाम बनाना चाहिये, न परिताप  
देना चाहिये, न उनको हैरान करना चाहिये ।

१२. तुमंसि नाम तं चेव ज चेव हंतव्व ति मन्नसि

तुमंसि नाम त चेव ज चेव अज्जावेयव्वं ति मन्नसि ।

तुमंसि नाम त चेव ज चेव परियावेयव्वं ति मन्नसि

तुमंसि नाम तं चेव ज चेव परिघित्तव्वं ति मन्नसि

तुमंसि नाम तं चेव ज चेव उद्देवेयव्वं ति मन्नसि

अंजू चेवं पडिवुद्धजीवी तम्हा न हता न विघायए । आचारांग ५/५/६

तू वही है, जिसको तू हनन योग्य, आज्ञा में रखने योग्य, परिताप देने योग्य, दास बनाने योग्य व हैरान करने योग्य मानता है। यह आत्म ऐक्य (सभी आत्मा समान है) या 'आत्मवत् सर्व भूतेषु' की भावना है। अतः किसी जीव को हनन करने की इच्छा मत करो।

**अहिंसा के आराधक**—अहिंसा का सम्पूर्ण रूप से पालन करने वाले तीर्थंकर, केवल ज्ञानी, मनपर्ययज्ञानी, अवधिज्ञानी, मति और श्रुतज्ञानी, सामायिक आदि पाँचो चारित्र के धारक, पुल्लवाक आदि पाँचो निर्ग्रन्थ, श्रुतधर आदि हैं। श्रमण निर्ग्रन्थों को छत्र काय जीवों की रक्षा, जिसका विस्तृत वर्णन 'दश वैकालिक' सूत्र के चतुर्थ अध्यायन में है, करना अनिवार्य है और इसके अतिरिक्त उनके दैनिक जीवन की आवश्यकता यथा भोजन, वस्त्र, पात्र, पाट, स्थानक आदि के सेवन के लिये भी निर्दोष विधि की 'उत्तराध्ययन सूत्र' के चौबीसवें अध्यायन अष्ट प्रवचन माता (पाँच समिति तीन गुप्ति) में प्ररूपणा की गई है। यत्नापूर्वक<sup>१०</sup> चलना, खड़े रहना, बैठना, शयन, भोजन और भाषण करना प्रथम तीन समिति—इर्या, भाषा, और एपणा—के क्षेत्र है। संयम पालनार्थ उपकरणों को अच्छी तरह से पूँज-देखकर काम में लेना व रखना तथा परठने योग्य उच्चार (वडीनीत) पासवण (पेशाव) कुल आठ वस्तुओं को विधि पूर्वक परठने के लिये शेष दो समितियाँ निर्देश करती हैं। मन, वचन, काया की पापकारी वृत्तियों का निरूपण करने हेतु तीन गुप्तियाँ मार्गदर्शन करती हैं। अष्ट प्रवचन माता जो आठ अंगों का निचोड़ है, उसके सम्यक् आचरण से साधक ससार से ही मुक्त हो जाता है।<sup>११</sup>

मुमुक्षु को दान आदि परोपकार प्रवृत्तियाँ जिनमें देय पदार्थ हिंसा-उपाजित है, उनके सम्बन्ध में पूछने पर<sup>१२-१३</sup> न हाँ कहे न मना करे क्योंकि साधक यदि उनका समर्थन करता है, तो उसमें होने वाली हिंसा का अनुमोदन होने से पाप का भागीदार होता है, और उसका निषेध करता है, तो उस दान से लाभान्वित होने वाले जीवों को अतराय लगती है। हिंसा से निवारणार्थ कैसा सूक्ष्म विश्लेषण है !

अहिंसा का दूसरा आराधक श्रावक है, जिसके १२ व्रतों में प्रथम व्रत—थूलाओ पाणाइवायाओ वेरमणं—के अन्तर्गत संकल्प पूर्वक निरपराधी जीवों को आकुट्टो (वध करने) बुद्धि से हनन करने का दोष करण तीन योग से त्याग होता है। उत्कृष्ट श्रावक ११ प्रतिमाओ का पालन करता है जिसमें अन्तिम पडिमा श्रमण के समान होती है। अहिंसा सवरद्वार कर्मों का निरूधन करने वाली, पाप रहित, पाप निषेधक और निर्दोष प्रवृत्ति रूप होने से स्व व परहित के लिये अवश्य सेवनीय है क्योंकि संसार में कोई कल्याण करने वाली, दुःखों से मुक्त कराने वाली, ससार-समुद्र से तिराने वाली यदि कोई क्रिया है तो वह

दया ही है। 'आचारांग' सूत्र में भगवान महावीर ने प्ररूपणा की है कि अहिंसा धर्म शुद्ध है, नित्य है, और शाश्वत है।<sup>१४</sup>

इस अहिंसा के सम्यक् आचरण से आराधक श्रमण निर्ग्रन्थ जघन्य उसी भव में और उत्कृष्ट पन्द्रह भवों में निश्चय ही अपने लक्ष्य सिद्धत्व को प्राप्त करते हैं। —ए-८-महावीर नगर, जयपुर ३०२०१५

### संदर्भ संकेत—

१. धम्मो मंगल मुक्किट्टं, अहिंसा संजमो तवो ।  
देवावि तं णमंसंति, जस्स धम्मे सया मणो ॥

२. तत्थिमं पढमं ठाणं, महावीरेण देसियं ।  
अहिंसा णिउणा दिट्ठा, सब्ब भूएसु संजमो । दशवैकालिक ६/६

३. (१) तहेव फरसा भासा, गुरु भूओवघाइणी ।  
सच्चा वि सा न वत्तव्वा, जअओ पावस्स आगमो । दशवैकालिक ७/११

(२) सच्चेसु या अणवज्जे वदति । सूत्रकृतांग

४. पढमं भंते महव्वए पाणाइवायाओ वेरमणं । सब्बं भंते ! पाणाइवायं, पच्चक्खामि, से सुहुमं वा, वायरं वा, तसं वा, थावरं वा, णेव सयं पाणे अइवा-इज्जा, णेवण्णेहि पाणे अइवायाविज्या, पाणे, अइवायंते, वि अण्णे ण समणु-जाणेज्जा जावज्जीवाए तिविहं तिविहेणं मणेणं वायाए काएण ण करेमि ण कार्वेमि करंतं पि अणं ण समणुजाणामि । दशवै. ४/११

५. अट्ट सुहुमाइं पेहाए, जाइं जाणित्तु संजए ।  
दयाहिगारि भूएसु, आस चिट्ठ सएहि वा । दशवै. ८/१३  
सिणेहं पुप्फ सुहुमं च, पाणुत्तिगं तहेव य,  
पणगं वीयहरियं च, अंड सुहुमं च अट्टमं । दश. ८/१५

६. सब्ब जगजीव रक्खण दयट्ठाए पावयणं भगवया सुकहिय-प्रश्न व्या. २/११२

७. इमस्स चेव जीवियस्स, परिवंदण, माणण, पूयणाए, जाई-मरण, मोयणाए, दुक्खपडिघाय हेउ । आचा. १/१/८

८. अप्पेगे अच्चाए हहति, अप्पेगे अजिणाए वहंति, अप्पेगे मंसाए वहंति, अप्पेगे सोणिताए वहंति, अप्पेगे हिययाए वहंति एवं पिताए, वसाए पिच्छाए, पुच्छाए, वालाए, सिजाए, विसाणाए, दताए, दाढाए, नहाए, ण्हाएणीए, अट्ठिए, अट्ठिमिजाए, अट्ठाए, अणट्ठाए । आचा. १/६/७

६. एस खलु गंधे एस खलु मोहे एस खलु मारे, एस खलु निरए ।  
आचा. १/१/६

१०. जयं चरे जयं चिट्ठे, जयंमासे जयं सए ।  
जयं भुजंतो भासंतो, पावकम्मं न बंधइ । दश. ४/८

११. सो खिप्पं सब्ब संसारा, विप्पमुच्चई पंडिए । उत्तरा. २४/२७

१२. जे य दाणं पससंति, वहमिच्छंति पाणिणं ।  
जे य रां पडिसेहंति, वित्तिच्छेयं करंति ते ॥ सूत्रकृतांग ११/२०

१३. दुहओ वि ते ण भासंति, अत्थि वा नत्थि वा पुणो ।  
आयं रयस्स हेच्चा णं, निव्वाणं पाउणंति ते । सूत्रकृतांग ११/२१

१४. एस धम्मे सुद्धे, णितिए, सासए सम्मेच लोयं  
खेयणोहिं पवेइए । आचा. ४/१/१

## यह दावा करना छोड़ दो

—कमल सौगानी

उन दिनों पटना के बड़े न्यायालय में एक कुशल वकील के रूप में राजेन्द्र बाबू की शौहरत फैली हुई थी। प्रसिद्ध समाज सुधारक श्री भवानीदयाल संन्यासी का एक आत्मीय जन उनकी चिट्ठी लेकर राजेन्द्र बाबू के पास पहुंचा। वह एक मुकदमा दायर करना चाहता था।

राजेन्द्र बाबू ने आगुन्तक के कागज पत्रों को देखकर कहा—“भाई, यदि यह मुकदमा चलाया जाये तो निश्चित है कि तुम जीत जाओगे, परन्तु उसके साथ ही एक विधवा का जीवन नष्ट हो जायेगा। मेरी तुमसे प्रार्थना है कि तुम यह दावा करने का आग्रह छोड़ दो, क्योंकि एक विधवा की सम्पदा हजम करने पर तुम्हें शांति नहीं मिलेगी।”

उनके ये वचन सुनते ही वे महाशय अपने कागज पत्र लपेट कर लौट आये।

—स्टेशन रोड, भवानीमंडी (राज.)



## ‘आचारांग सूत्र’ में हिंसा-निषेध

□ श्री राजवीरसिंह शेखावत

क्या मानवीय जीवन का कोई उद्देश्य है ? यह प्राचीन भारतीय दर्शनों की एक मुख्य समस्या रही है, जिसके समाधान में प्रायः सभी दर्शनों में, चार्वाको के अतिरिक्त, माना गया है कि मानवीय जीवन का उद्देश्य आत्यंतिक दुःख-निवृत्ति है अर्थात् सभी दुःखों का सदा के लिए नाश। किन्तु ध्यातव्य है कि सभी प्राचीन भारतीय दर्शनों का इस प्रश्न, मोक्ष का साधन क्या है ? के समाधान में मतैक्य नहीं है, क्योंकि उनकी तत्त्व सम्बन्धी मान्यताओं में भिन्नता है और यह प्रश्न कि मोक्ष का साधन क्या है, एक सीमा तक इस बात पर निर्भर करता है कि “तत्त्व” क्या है ? जैन धर्म और दर्शन का भी, अन्य दर्शनों की तरह, यही मानना है कि मानवीय जीवन का उद्देश्य “जीव” को अपनी पूर्ण एवं शुद्ध अवस्था में स्थापित करना है। जीव को यह अवस्था सुख-दुःख के परे की अवस्था है अर्थात् इस अवस्था में सभी दुःखों का सदा के लिए नाश हो जाता है। किन्तु प्रश्न है कि किस साधन या माध्यम के द्वारा जीव अपने शुद्ध स्वरूप को प्राप्त कर सकता है ? इसके समाधान में कहा गया है कि “धर्म” के द्वारा।<sup>१</sup> पुनः प्रश्न उठता है कि “धर्म” क्या है ? प्रत्युत्तर में कहा गया है कि सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र ही धर्म है।<sup>२</sup> अर्थात् सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र मोक्ष का साधन या मार्ग है।<sup>३</sup> फिर प्रश्न किया जा सकता है कि सम्यग्दर्शन आदि का स्वरूप क्या है ? समाधान में कहा गया है कि तत्त्व के श्रद्धान को सम्यग्दर्शन,<sup>४</sup> यथार्थज्ञान को सम्यग्ज्ञान और पाच पापों के परित्याग को सम्यक्चारित्र कहते हैं।<sup>५</sup> अर्थात् हिंसा, भूठ, चोरी, मैथुन-सेवन और परिग्रह से विरक्त होना।

पुनः प्रश्न उठता है कि “हिंसा” क्या है ? इसके समाधान में कहा गया है कि किसी प्राणी को प्राण-विहीन करना, दूसरे से प्राण-विहीन करवाना या किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा किसी प्राणी को प्राण-विहीन करते हुए देखकर उसका अनुमोदन करना।<sup>६</sup> किसी प्राणी पर शासन करना, दास बनाना, किसी भी प्रकार की पीड़ा देना, सताना, अशात करना हिंसा है।<sup>७</sup> अर्थात् आचारांग के अनुसार किसी प्राणी को प्राण-विहीन कर देना ही हिंसा नहीं है अपितु किसी भी प्राणी की स्वतन्त्रता का किसी भी रूप में हनन भी हिंसा है।<sup>८</sup> यथा ध्यातव्य की बात है कि आचारांग में प्राणी या जीव को मनुष्य, पशु, पक्षी और कीट-पतंगों के अर्थ में ही नहीं, अपितु प्राणी या जीव को व्यापक अर्थ में लिया गया है, जिसमें उन जीवों का भी समावेश हो जाता है जिन्हें सामान्य जन जड़ या अजीव कहते हैं। आचारांग में उन सभी जीवों को छः वर्गों में

रखा है। ये वर्ग हैं—पृथ्वीकाय जीव, जलकाय जीव, अग्निकाय जीव, वायुकाय जीव, वनस्पतिकाय जीव और त्रसकाय जीव।<sup>१०</sup> यहाँ प्रश्न उठता है कि पृथ्वीकाय जीवों के अस्तित्व को कैसे स्वीकार किया जाये? इसके समाधान में कहा गया है जिस प्रकार तुम्हारी सत्ता है उसी प्रकार उन जीवों की भी सत्ता है अर्थात् उन जीवों के अस्तित्व को नकारा नहीं जा सकता है, क्योंकि उनके अस्तित्व को नकारने का अर्थ है स्वयं की आत्मा के अस्तित्व को नकारना। जैसाकि आचारंग में कहा गया है कि “जो अन्य जीवों के अस्तित्व का निषेध करता है वह अपने अस्तित्व का निषेध करता है, जो अपने अस्तित्व का निषेध करता है वह अन्य जीवों के अस्तित्व का निषेध करता है।”<sup>१०</sup> इससे फलित होता है कि उन जीवों की सत्ता है। आचारंग में उन सभी जीवों की हिंसा का निषेध है, न कि किन्हीं विशेष जीवों की हिंसा का अर्थात् उन सभी जीवों की न तो स्वयं हिंसा करे, न दूसरे से करवाये और न ही अनुमोदन करे।<sup>११</sup> किन्तु प्रश्न है कि किसी भी जीव की हिंसा नहीं की जाये तो क्यों नहीं की जाये? अर्थात् वे कौन-से कारण हैं जिनके कारण हिंसा का त्याग करना चाहिए? आचारंग में हिंसा निषेध या त्याग के अनेक कारण बतलाये गये हैं, जिनमें से मुख्य कारण है “कर्मबन्ध” अर्थात् हिंसा से जीव का, जिसने हिंसा की है, कर्मबन्ध होता है।<sup>१२</sup> कर्मबन्ध से जीव के शुद्ध स्वरूप में न्यूनता आ जाती है अर्थात् कर्मों से जीव का स्वरूप विकृत हो जाता है, जिसके कारण वह जन्म-मरण के चक्कर में पड़ा रहता है।

दूसरे, हिंसा मोह का कारण है।<sup>१३</sup> अर्थात् हिंसा राग-द्वेष का कारण है। यद्यपि यह माना जाता है कि हिंसा का कारण राग-द्वेष है, किन्तु आचारंग में हिंसा को राग-द्वेष का कारण माना है।<sup>१४</sup> यह ठीक है कि राग-द्वेष के कारण हिंसा होती है, किन्तु यह नहीं कहा जा सकता है कि हिंसा के पश्चात् राग-द्वेष नहीं रहते हैं तथा न ही उत्पन्न होते हैं अर्थात् हिंसा के पश्चात् राग-द्वेष पहले की अपेक्षा अधिक उत्पन्न होते हैं। इसीलिये आचारंग में हिंसा को मोह या राग-द्वेष का कारण माना है। राग-द्वेष और कर्मबन्ध के कारण जीव के शुद्ध स्वरूप पर कर्मों का आवरण आ जाता है अर्थात् हिंसा से कर्मबन्ध और राग-द्वेष उत्पन्न होते हैं तथा राग-द्वेष से जीव का कर्म पुद्गलों से बन्ध हो जाता है जिससे उसके अनन्त ज्ञान, अनन्त दर्शन, अनन्त सुख और अनन्त शक्ति में न्यूनता आ जाती है। उसमें न्यूनता आने के कारण वह सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र्य की प्राप्ति नहीं कर सकता है अर्थात् हिंसा दर्शन बोधि, ज्ञान बोधि और चारित्र्य बोधि की अनुपलब्धि का कारण है।<sup>१५</sup> इस बात को यों भी कहा जा सकता है कि हिंसा के कारण जीव त्रिरत्न की प्राप्ति नहीं कर सकता है और जो पहले से प्राप्त है उसमें भी न्यूनता आ जाती है। और त्रिरत्न के बिना जीव अपने यथार्थ एवं शुद्ध स्वरूप को प्राप्त नहीं कर सकता, अर्थात् हिं

कारण जीव मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकता है । इससे फलित होता है कि मोक्ष के लिए हिंसा का निषेध अनिवार्य है ।<sup>१६</sup> अर्थात् जो अहिंसा का पालन करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है और इसके विपरीत जो हिंसा करता है उसे नरक की प्राप्ति होती है ।<sup>१७</sup>

जैन दार्शनिक स्वर्ग और नरक की कल्पना करते हैं तथा यह मानते हैं कि जो जीव अच्छे कर्म करता है उसे स्वर्ग मिलता है, वहां वह सुख भोगता है और जो बुरे कर्म करता है उसे नरक मिलता है, वहां उसे दुःख ही दुःख भोगना होता है । जो हिंसा करता है उसे नरक मिलता है और वहां उसकी हिंसा की जाती है अर्थात् कोई व्यक्ति यदि किसी प्राणी की हिंसा करता है उसे, जिसने हिंसा की, नरक में जाना पड़ता है तथा वहां फिर उसकी हिंसा की जाती है । यहां प्रश्न है कि यह कैसे कहा जाये कि स्वर्ग और नरक की सत्ता है ? यदि कुछ समय के लिए इस कल्पना को कि स्वर्ग एवं नरक हैं तथा वहां सुख-दुःख भोगने पड़ते हैं, न भी स्वीकार करें तब भी यह सिद्ध नहीं होता है कि हिंसा त्याज्य नहीं है, क्योंकि यह अकरणीय है ।<sup>१८</sup> इसलिए कि हिंसा क्रिया भी है और फल भी । जो क्रिया है वे सब त्याज्य है ।<sup>१९</sup> क्योंकि क्रिया हिंसा और ससार का कारण है तथा अक्रिया मोक्ष का ।<sup>२०</sup>

यहां कहा जा सकता है कि न तो स्वर्ग है, न नरक है, न कर्मबन्ध और न ही मोक्ष । तब हिंसा त्याज्य कैसे हो सकती है ? इसके समाधान में कहा गया है कि यदि कुछ समय के लिए उन्हें नहीं भी माने, तब भी हिंसा त्याज्य है, क्योंकि उससे अहित होता है ।<sup>२१</sup> अहित दो प्रकार का होता है—आध्यात्मिक और व्यावहारिक । आध्यात्मिक अहित को कोई न भी माने, किन्तु व्यावहारिक अहित नकारा नहीं जा सकता है । व्यावहारिक अहित भी दो प्रकार का है—‘स्व’ अहित और ‘पर’ अहित । ‘स्व’ अहित में हिंसा करने वाला सदैव अशांत और भयभीत रहता है, जिससे उसका जीवन दुःखमय हो जाता है । “पर” अहित में हिंसा मृत्यु का कारण है,<sup>२२</sup> अर्थात् हिंसा से, जिस जीव की हिंसा की जाती है, उसे प्राण रहित कर दिया जाता है, जबकि सब जीवों को अपना-अपना जीवन प्रिय है और मृत्यु अप्रिय अर्थात् कोई भी जीव मरना नहीं चाहता है ।<sup>२३</sup> दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि जिस प्रकार तुम मरना नहीं चाहते हो उसी प्रकार दूसरे प्राणी भी मरना नहीं चाहते हैं अर्थात् सभी प्राणी जीना चाहते हैं । यही नहीं, प्रत्येक प्राणी जीवन के साथ “अभय” चाहते हैं अर्थात् जिस प्रकार तुम्हें अभय प्रिय है और भय अप्रिय है, उसी प्रकार अन्य प्राणियों को भी अभय प्रिय है और भय अप्रिय, अर्थात् सभी प्राणी अभय चाहते हैं ।<sup>२४</sup> किन्तु हिंसा से अभय का हनन होता है ।

पुनः कहा जा सकता है कि किसी व्यवस्था या मूल्यों की रक्षा के लिए किसी जीव विशेष की हिंसा की जाये, तब उस हिंसा में क्या दोष है ? इसके

समाधान में कहा जा सकता है कि जिस व्यवस्था या मूल्यो की रक्षा हिंसा से सम्भव है वह वास्तविक अर्थ में व्यवस्था या मूल्य है ही नहीं, क्योंकि हिंसा से व्यवस्था या मूल्यों की रक्षा नहीं, ह्रास होता है। हिंसा से किसी व्यवस्था या मूल्यों की रक्षा करने का अर्थ है हिंसा की रक्षा करना अर्थात् हिंसा से हिंसा को मिटाना चाहते हैं और हिंसा से हिंसा को मिटाते समय एक ओर दूसरी हिंसा को आमंत्रित करते हैं तथा दूसरी ओर उस हिंसा को जिससे पहली हिंसा को मिटाया गया है, मिटाने के लिए तीसरी हिंसा की आवश्यकता पड़ती है और तीसरी के लिए चौथी हिंसा की। इस प्रकार यह निरन्तर चलने वाली हिंसा है, जिससे व्यवस्था या मूल्यों की रक्षा कैसे सम्भव है ?

दूसरे, जब किसी जीव विशेष की हिंसा की जाती है तब वह हिंसा केवल उस एक जीव विशेष की ही हिंसा नहीं होती है, अपितु उसके आश्रय में रहने वाले अन्य जीवों की भी हिंसा होती है अर्थात् अनेक जीव ऐसे हैं जो अन्य जीवों के शरीर के आश्रय में रहते हैं। ऐसी स्थिति में उस एक जीव की, जिसके आश्रय में अन्य जीव रहते हैं, हिंसा करने से उसके आश्रय में रहने वाले जीवों की भी हिंसा होती है।<sup>२५</sup> तब प्रश्न उठता है कि उन अन्य जीवों की हिंसा क्यों ?

तीसरे, "हिंसा" हिंसा ही नहीं, वह चोरी भी है।<sup>२६</sup> क्योंकि हिंसा में जीवों के प्राणों का हरण होता है और दूसरे के प्राणों पर हिंसक का कोई अधिकार नहीं होता है अर्थात् जिन प्राणियों की हिंसा की जाती है उनके प्राणों का स्वामी हिंसक नहीं होता है। जो वस्तु जिस स्वामी की है उसके दिये बिना लेना चोरी है और हिंसा में ऐसा ही होता है। अतः सिद्ध होता है कि हिंसा चोरी है, जो त्याज्य है।

हिंसा निषेध के पक्ष में एक अन्य महत्त्वपूर्ण तर्क यह दिया जाता है कि हिंसा से जीवों को वेदना या कष्ट होता है और वेदना से दुःख।<sup>२७</sup> वेदना और दुःख जीवों को अप्रिय और प्रतिकूल है तथा सुख प्रिय और अनुकूल है अर्थात् दुःख भय और अशान्तिरूप है,<sup>२८</sup> जिसे कोई भी जीव नहीं चाहता है। यहां प्रश्न उठाया जा सकता है कि जो एकेन्द्रिय जीव है, जैसे पृथ्वीकाय जीव, अग्निकाय जीव, वनस्पतिकाय जीव आदि, उनके बारे में कैसे कह सकते हैं कि उनको वेदना होती है तथा वेदना का अनुभव भी होता है, क्योंकि वे न तो चलते हैं, न बोलते हैं, न देखते हैं और न ही सुनते हैं? इस प्रश्न के उत्तर में कहा गया है कि जैसे मनुष्य को वेदना का अनुभव होता है वैसे ही एकेन्द्रिय जीवों को भी वेदना का अनुभव होता है, क्योंकि उनमें चेतना है और जहां भी चेतना है वहां वेदना का अनुभव है। अन्तर केवल इतना है कि एकेन्द्रिय जीव वेदना को दूसरों के सामने अभिव्यक्त नहीं कर सकते हैं, जबकि मनुष्य आदि वेदना को अभि-



व्यक्ति कर सकते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि पृथ्वीकाय आदि जीवों को वेदना का अनुभव होता है।

आचारांग में तीन दृष्टान्तों द्वारा इस बात को सिद्ध किया गया है कि पृथ्वीकाय जीवों को वैसे ही वेदना का अनुभव होता है जैसे मनुष्य को।<sup>२९</sup> अर्थात् जैसे किसी के पैर, टखने, जंघा, भुजा, कमर, नाभि, उदर, पसली, पीठ, छाती, हृदय, स्तन, कंधा, हाथ, अंगुली, नख, ठोड़ी, गर्दन, दाँत, जिह्वा, तालु, गाल, नासिका, आँख, ललाट, सिर आदि का छेदन-भेदन करे, तब उसे जैसी पीड़ा का अनुभव होता है वैसे ही पीड़ा का अनुभव पृथ्वीकाय जीवों को होता है। किन्तु मनुष्य उस पीड़ा को दूसरों के सामने अभिव्यक्त कर देता है और पृथ्वीकाय जीव उसे अभिव्यक्त नहीं कर सकते हैं। एक दूसरा दृष्टान्त है, जिसमें मनुष्य भी अपनी वेदना को दूसरों के सम्मुख अभिव्यक्त नहीं कर सकता है। जैसे कोई मनुष्य जन्म से अंधा, बहरा, गूंगा और पंगु हैं उस मनुष्य को यदि कोई तलवार आदि से पीड़ा दे, तब वह न तो देख सकता है, न सुन सकता है, न कह सकता है और बचने के लिए भी कही नहीं जा सकता। तब क्या उस व्यक्ति के बारे में ऐसा कहा जा सकता है कि उसे वेदना का अनुभव नहीं होता है? उस व्यक्ति के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि उसे वेदना का अनुभव नहीं होता है अर्थात् जिस प्रकार स्पर्शेन्द्रिय के अतिरिक्त इन्द्रियों का अभाव होने पर भी व्यक्ति को स्पर्श सम्बन्धी वेदना का अनुभव होता है किन्तु उसे प्रकट नहीं कर सकता है, ठीक उसी प्रकार स्पर्श इन्द्रिय से युक्त होने तथा अन्य इन्द्रियों का अभाव होने पर भी पृथ्वीकाय आदि जीवों को वेदना का अनुभव होता है।

वनस्पतिकाय जीव सजीव हैं तथा वेदना का अनुभव करते हैं, इस बात को सिद्ध करने के लिए आचारांग में वनस्पतिकाय जीवों के शरीर और मनुष्य शरीर में समानता बतलाई है। समानता बतलाते हुए कहा गया है कि जैसे मनुष्य जन्म लेता है, बढता है, चेतनायुक्त है, आहार करता है, उसका शरीर उपचित-अपचित होता है, अनित्य और अशाश्वत है तथा अनेक प्रकार की अवस्थाओं को प्राप्त होता है, वैसे ही वनस्पति जन्म लेती है, बढती है, चेतनायुक्त है, आहार करती है, उसका शरीर उपचित-अपचित होता है, अनित्य है तथा अनेक प्रकार की अवस्थाओं को प्राप्त होता है।<sup>३०</sup> इसके आधार पर कहा जा सकता है कि वनस्पतिकाय जीवों को भी वेदना होती है।

उपर्युक्त चर्चा से यह स्पष्ट होता है कि एकेन्द्रिय जीवों को, अन्य जीवों की तरह वेदना तथा वेदना का अनुभव होता है। अतः एकेन्द्रिय जीवों की हिंसा भी निषिद्ध है।

ध्यातव्य है कि आचारांग में त्रस जीवों की हिंसा के त्याग के साथ-साथ एकेन्द्रिय जीवों-पृथ्वीकाय, जलकाय, अग्निकाय, वायुकाय और वनस्पतिकाय

जीवों की हिंसा के त्याग पर विशेष बल दिया है। संभवतः इसके निम्नलिखित कारण हो सकते हैं—पहले, अधिकतर लोग इस बात से अनभिज्ञ होते हैं कि एकेन्द्रिय-पृथ्वीकाय आदि जीव होते हैं। दूसरे, यदि वे यह जानते हैं कि पृथ्वीकाय आदि जीव है, तब वे इस बात से अनभिज्ञ होते हैं कि उनको वेदना होती है। तीसरे, यदि कोई इन दोनों बातों को जानता है, तब भी वे उन जीवों को अधिक महत्त्व नहीं देते हैं। चौथे, उन जीवों की हिंसा सबसे अधिक होती है। ये चार कारण प्रकाश में आये हैं। इन कारणों के अतिरिक्त भी कारण हो सकते हैं, जिनके कारण उन जीवों की हिंसा-त्याग पर विशेष बल दिया गया है।

जैसा कि ऊपर कहा गया है कि हिंसा से जीवों को वेदना और दुःख होता है। किन्तु इस पर हिंसक व्यक्ति कह सकते हैं कि हिंसा से हमें तो सुख मिलता है। तब हिंसा त्याज्य कैसे हो सकती है? इसके समाधान में कहा गया है कि जैसे तुम्हें हिंसा से सुख मिलता है वैसे ही उन जीवों को, जिनकी तुम हिंसा करते हो, दुःख होता है और जैसे तुम सुख चाहते हो, दुःख नहीं, वैसे ही वे जीव सुख चाहते हैं दुःख नहीं अर्थात् जिस प्रकार तुम्हें सुख प्रिय है और दुःख अप्रिय है, उसी प्रकार दूसरे प्राणियों को सुख प्रिय है और दुःख अप्रिय है।<sup>३१</sup> अतः तुम दूसरों के प्रति वैसा ही व्यवहार करो जैसा तुम दूसरों से चाहते हो।

दूसरे, जिसकी तुम हिंसा करना चाहते हो उसमें और तेरे में कोई भेद नहीं है। दोनों का तात्त्विक स्वरूप एक है, जैसी प्रकृति या स्वभाव तुम्हारा है, वैसा ही अन्य जीवों का है, जैसा तुम चाहते हो वैसा ही वे चाहते हैं। इसी सदर्भ में आचारांग में कहा गया है,<sup>३२</sup> कि तू वही है, जिसे तू मारने योग्य मानता है, तू वही है जिसे तू आज्ञा में रखने योग्य मानता है, तू वही है, जिसे तू परित्याग देने योग्य मानता है, तू वही है जिसे तू दास बनाने योग्य मानता है। अतः किसी जीव की न स्वयं हिंसा करे, न किसी दूसरे से करवाये और न हिंसा करते हुए को देखकर अनुमोदन करे।

इस प्रकार उपर्युक्त चर्चा के आधार पर कहा जा सकता है कि हिंसा त्याज्य है। किन्तु यहां प्रश्न है कि हिंसा का त्याग कैसे किया जाये? अर्थात् हिंसा का त्याग करने के लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? इस प्रश्न के समाधान के पूर्व निम्न दो प्रश्नों का समाधान आवश्यक है कि हिंसा का निमित्त या हेतु क्या है? दूसरे, किस प्रकार के व्यक्ति हिंसा करते हैं और किस प्रकार के व्यक्ति हिंसा नहीं करते हैं? इसे यों भी कहा जा सकता है कि व्यक्ति कब हिंसा करते हैं और कब नहीं? पहले प्रश्न के समाधान में कहा गया है कि वर्तमान जीवन की रक्षा के लिए, प्रशंसा, सम्मान, पूजा के लिए, जन्म-मृत्यु सम्बन्धी प्रसंगों के लिए, परम शांति प्राप्त करने के लिए, दुःखों को दूर करने के लिए और कुछ व्यक्ति निष्प्रयोजन ही हिंसा ये हिंसा के निमित्त हैं।<sup>३३</sup> दूसरे प्रश्न के समाधान में कहा गया है कि

के परिणामों को नहीं जानते हैं तथा दूसरे के दुःखों का अनुभव अपने दुःखों के अनुभव की तरह नहीं करते हैं, वे व्यक्ति हिंसा करते हैं और जो हिंसा के परिणामों को जानते हैं तथा दूसरे के दुःखों का अनुभव अपने दुःखों के अनुभव की तरह करते हैं, वे हिंसा नहीं करते हैं।<sup>३४</sup>

अब, इस प्रश्न कि हिंसा त्याग के लिए क्या करना चाहिए, के समाधान में कहा जा सकता है कि सबसे पहले हिंसा के निमित्त या हेतुओं को जाने तथा उनको त्यागे, क्योंकि वे हिंसा के निमित्त के साथ-साथ राग-द्वेष और परिग्रह हैं जो त्याज्य है। दूसरे, हिंसा के परिणामों को जाने, क्योंकि जो उसके परिणामों को जानता है वह हिंसा नहीं करता है। हिंसा के परिणाम क्या हैं? इस प्रश्न का समाधान ऊपर किया जा चुका है। तीसरे, अपने से भिन्न जीवों के दुःखों का अनुभव करें अर्थात् उनके दुःखों को अपने दुःखों के समान जानें, अर्थात् जैसे मेरी हिंसा करने पर मुझे दुःख होता है उसी प्रकार अन्य जीवों को दुःख होता है, ऐसा जाने। चौथे, समता का पालन करे अर्थात् सभी जीवों पर समभाव रखे, सभी जीवों को अपने तुल्य समझे।<sup>३५</sup> पाचवे, पांच भावनाओं का पालन करे अर्थात् विवेकपूर्वक गमन करे, मन को खुश रखे, निर्दोष भाषा का प्रयोग करे, शारीरिक क्रियाएं विवेक पूर्वक करे और शुद्ध एवं विवेक पूर्वक आहार-पानी ग्रहण करे।<sup>३६</sup>


अन्त में, संक्षेप में कहा जा सकता है कि किसी भी जीव या प्राणी की स्वतन्त्रता का किसी भी रूप में हनन हिंसा है, जिसे कर्मबन्ध, मोह, नरक, दुःख, चोरी, अज्ञाति, अबोध, अहित आदि का कारण जानकर निषेध करे। निषेध के लिए उसके हेतुओं को जानकर त्यागे, उसके परिणामों को जानें, दूसरों के दुःखों का अनुभव करे, सब जीवों पर समभाव रखे और सभी क्रियाओं को विवेक पूर्वक करे।

—१२ प्रतापनगर, शास्त्रीनगर, जयपुर—३०२०१६

### संदर्भ-सूची—

- १ पद्मनन्दिपञ्चविंशतिका-गत-श्रावकाचार, सूत्र १.२
- २ वही, सूत्र १.२, ३. तत्त्वार्थसूत्र सूत्र ११, ४. वही, सूत्र १२
५. रत्नकरण्ड-श्रावकाचार, सूत्र ४६
६. आचारांग सूत्र, १.१.२.१३, १.१.३.२४, १.१.३.३५, १.१.५.४३, व १.१.५.४७, श्री आगम प्रकाशन मिति, व्यावर, १९८०.
- ७ वही, १.१.२.१३, १.१.३.२१, १.१.४.३८ व १.५.५.१७०.

- ८ आचारांग-चयनिका, प्रस्तावना पृ० (iii)
- ९ अचारांग सूत्र, सूत्र ११.२१०, ११.२१३, ११.३२३, ११.३२४, ११.४३२, ११.५४२, १.१.६४६, ११.७५८ व ११.७६२.
- १० वही, ११.३२२ व-११.४३२.
११. वही, ११.२१७, १.१.३३०, ११.५४७, ११.६५४, ११.७६१, ११.७६२, १४२.१३८, १५.३१६०.
१२. आचारांग सूत्रम्, आचार्य श्री आत्माराम जी जीन प्रकाशन समिति, लुधियाना, १९६३, सूत्र ११.३.३१, ११.४३७, ११.४३२, ११.५४६, ११.६५३, ११.७५६, १२.२७७.
- १३ आचारांग सूत्र, (व्यावर), सूत्र ११.२१४, ११.३.२५, १.१.४३६, ११.५४४, ११.६५२, ११.७५६.
१४. वही, ११.२.१४, ११.४३६, व ११.५४४.
- १५ वही, ११.२.१३, ११.४३५, ११.५४३, ११.६५१, १.१.७५८.
- १६ आचारांग सूत्रम्, (लुधियाना), गाथा १३.२७, १३.२८
१७. आचारांग सूत्र, (व्यावर), सूत्र ११.२१४, ११.३.२५, ११.४३६, ११.६५२, १.१.७५६.
- १८ वही, सूत्र ११.७.६२ १९ वही, सूत्र ११.१५
- २० वही, हिन्दी व्याख्या, पृ० ६
- २१ वही, सूत्र ११.२.१३, ११.४.३५, ११.५४३, ११.६५१, ११.७५८
- २२ आचारांग सूत्रम्, (लुधियाना), सूत्र ११.४.३७, ११.४४६
- २३ वही, सूत्र १२.३.८१ २४. आचारांग सूत्र, (व्यावर), सूत्र १.१.५४०.
- २५ वही, सूत्र ११.२.१२, ११.२.१४, ११.३.२३, १.१.४.३४, ११.७५६।
- २६ वही, ११.३.२६ २७ वही, ११.६४६.
- २८ आचारांग सूत्रम्, (लुधियाना), सूत्र ११.६५१, १.२.३.८१, १.३.३.११६.
२९. आचारांग सूत्र, (व्यावर), सूत्र ११.२.१५. ३० वही, सूत्र ११.५४५.
- ३१ आचारांग सूत्रम्, (लुधियाना), सूत्र ११.६.५१, १.३.३.११६.
- ३२ आचारांग सूत्र, (व्यावर), सूत्र १.५.५.१७०.
३३. वही, सूत्र ११.१.७, ११.२.१०, ११.२.१३, ११.३.२४, ११.४.३५, १.१.४.३६, ११.५.४३, ११.६.५१, १.१.६.५२, १.१.६.५८.
- ३४ वही, सूत्र ११.२.१६, १.१.३.२६, १.१.४.३८, १.१.५.४६, १.१.६.५३, ११.५.६०
- ३५ आचारांग सूत्रम्, (लुधियाना), गाथा १३.३.१०
- ३६ वही, गाथा, २.१५.१, २.१५.२, २.१५.३, २.१५.४, २.१५.५.



# ‘आचारांग’ में अहिंसा का स्वरूप

□ श्री प्रकाश सालेचा

अहिंसा के विषय में विभिन्न दर्शनो ने अपने-अपने स्तर पर चर्चा की है किन्तु अहिंसा के सम्बन्ध में जितना गहन एवं सूक्ष्म विवेचन जैन दर्शन ने किया है, अपेक्षाकृत अन्य दर्शनों ने नहीं। अहिंसा के विषय में यद्यपि वैदिक दर्शन में भी चर्चा मिलती है, किन्तु अहिंसा वैदिक दर्शन का मुख्य प्रतिपाद्य विषय नहीं है। वेद की दार्शनिक चर्चा सृष्टि के विषय में है। बौद्ध दर्शन में अहिंसा का विचार मिलता है किन्तु उसमें चार आर्य सत्यो की चर्चा मुख्य है। जैन दर्शन का प्राचीनतम ग्रन्थ ‘आचारांग’ सूत्र माना जाता है। भगवान महावीर ने इसमें अहिंसा को मुख्य स्थान दिया है। ‘आचारांग’ सूत्र में धर्म की दो प्रकार से व्याख्या की गयी है—

१. अहिंसामूलक :—अहिंसा को शुद्ध, नित्य और शाश्वत धर्म बताया गया है—‘एस धम्मे सुद्धे णितिए सासए’।

२. समतामूलक :—अहिंसा का आधार समता है। समता के दो पक्ष हैं, प्रथम सबको अपने समान समझना। इसके आधार पर ‘आचारांग’ की घोषणा है ‘तुमसि णाम तं चेव ण हंतव्वं ति मण्णसि’। समता का दूसरा अर्थ है—छोटे और बड़े के बीच भेदभाव नहीं रखना, यथा—‘णो हीणे णो अतिरित्ते’।

अहिंसा की दृष्टि में सब जीव समान हैं। न कोई छोटा है न कोई बड़ा है। इस दृष्टि से छोटे से छोटे जीव को भी उपेक्षा नहीं की जा सकती है। अग्नि, जल, वायु, पृथ्वीकाय जीव-विकास के क्रम में सबसे नीचे है किन्तु ‘आचारांग’ में अहिंसा की चर्चा इन्हीं की अहिंसा से चालू की गई है। वर्तमान भाषा में महावीर की अहिंसा का कार्यक्रम अन्त्योदय कार्यक्रम जैसा था। विशेष महत्त्वपूर्ण बात यह है कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु की अहिंसा की चर्चा आज के युग में सबसे ज्यादा प्रासंगिक है। क्योंकि यह वर्तमान की बहुत बड़ी समस्या पर्यावरण-प्रदूषण की रामबाण औपधि है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु की अहिंसा का अर्थ है प्रकृति के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना और पर्यावरण-प्रदूषण से बचाने में यही एक मात्र अच्छा रामबाण है। प्राकृतिक सन्तुलन बनाये रखने के लिए अहिंसा का होना अति आवश्यक है। इसलिए छोटे से छोटे प्राणी की हिंसा का समर्थन नहीं किया जा सकता।

अहिंसा का फल है सबको अभयदान यथा ‘लोगं च आणाए अभिसमेच्च प्रकुतो भयं।’ दुःख से हर व्यक्ति भयभीत है। हिंसा के अनेक कारण हैं—

'इमस्स वेव जीवियस्स परिवंदण-माणण-पूयगाए, जाइ मरण मोयगाए, दुक्खपडिघायहेउं जीव एमारंभति' अर्थात् प्रशंसा, आत्म-पूजा के लिए, जन्म-मरण के भय से छुटकारा पाने के लिए मनुष्य हिंसा करता है। इसके अतिरिक्त अनेक प्रकार के उपकरण प्राप्त करने के लिए भी मनुष्य हिंसा करता है और बिना किसी प्रयोजन के भी हिंसा की जा सकती है। हिंसा के लिए 'आचारांग' में एक शब्द प्रयुक्त हुआ है 'समारम्भ'। सम्भवतः 'समारम्भ' में वही धातु है जो मीमांसा दर्शन के आलम्भन यज मे पशु का आलम्भन करने के विधान रूप में है। इसी कारण जैन-दर्शन में 'आरम्भ' या 'समारम्भ' हिंसा के लिए प्रयुक्त होने लगा। हमारे कर्म मात्र में समारम्भ निहित रहता है इसीलिये 'आचारांग' सूत्र में मुनि से कहा—'जस्सेते लोगंसि कम्मसमारंभा परिणायय भवंति से हु मुणी परिणायकम्मेत्ति वेसि' अर्थात् इस लोक में जो कर्म-समारंभ का ज्ञाता है वास्तव में वही मुनि परिज्ञात कर्मा है। 'परिज्ञा' के दो अर्थ हैं— (१) जानना और (२) छोड़ना।

वस्तुतः ज्ञान ही त्याग है। 'णाणं पच्चक्खाणं' ज्ञान के भी दो विषय है— स्व और पर। 'स्व' का ज्ञान निश्चय अहिंसा है। 'पर' के ज्ञान से व्यवहार अहिंसा फलित होती है, इसलिए अहिंसा के लिए ज्ञान पर बहुत बल दिया गया है—'पढमं णाणं तओ दया'। अहिंसा के लिए वीतरागता आवश्यक है क्योंकि वीतरागी व्यक्ति ही सच्चा अहिंसक हो सकता है। वर्तमान में हम दूसरे के प्राणों का हनन करने मात्र को हिंसा मानते हैं, परन्तु दूसरों के प्राण हनन करने के पूर्व जीव अपने स्वयं के द्रव्य एवं भाव प्राणों का घात करता है। इस बात को समझाते हुए श्री अमृतचन्द्राचार्य द्वारा विचारित 'पुरुषार्थ सिद्धयुपाय' नामक ग्रन्थ में हिंसा के चार भगों का निरूपण किया गया है—

यत्खलुकषाययोगात्प्राणानां, द्रव्यभावरूपाणाम्  
व्यपरोपणस्य करणं, सुनिश्चितता भवति सा हिंसा (४३)

जिस पुरुष के मन, वचन, काया में क्रोधादिक कषाय प्रकट होते हैं, उसके शुद्धोपयोग रूप भाव प्राणों का घात तो पहले होता है, क्योंकि कषाय के उदय से भाव प्राण का व्यपरोपण होता है। यह प्रथम हिंसा है। पश्चात् यदि कषाय के तीव्र उदय में वह हस्तपादादिक से अपने अंग को कष्ट पहुँचाता है अर्थात् आत्मघात कर लेता है तो उसके द्रव्य प्राणों का व्यपरोपण होता है। यह दूसरी हिंसा है। फिर उसके द्वारा कहे गये अशुभ वचनों से, हास्यादि से लक्ष्यपुरुष के अन्तरंग में पीड़ा होकर उसके भाव प्राणों का व्यपरोपण होता है, यह तीसरी हिंसा है। और अन्त में तीव्र कषाय और प्रमाद से लक्ष्यपुरुष को जो शारीरिक अग-छेदन आदि की पीड़ा पहुँचाई जाती है, पर द्रव्य प्राण, व्यपरोपण होता है, यह चौथी हिंसा है। सारांश यह कि कषाय भाव से एवं पर के भाव प्राण व द्रव्य प्राण का घात करना हिंसा का लक्षण है।

अपने शुद्धोपयोग प्राणों का घात रागादिक भावों से होता है अतः रागादिक भावों का अभाव ही सच्ची अहिंसा है। राग का अभाव अहिंसा तथा सद्भाव हिंसा कहलाती है। अतः वीतराग व्यक्ति न किसी के प्रति आकृष्ट होता है और न किसी से खिन्न होता है—

यथा गारति सहती वीरे, वीरे णो सहति रति ।

जम्हा अविमणे वीरे, तम्हा वीरे ण रज्जति”

‘आचाराग’ का प्रारम्भ ‘शस्त्र परिजा’ से होता है। शस्त्र की परिजा का अर्थ है शस्त्र का जान और शस्त्र को छोड़ना। अहिंसा के दर्शन के लिए यह आवश्यक है कि अपनी तथा दूसरो की सत्ता मानी जाय। इसे आत्मवाद तथा लोकवाद कहा गया है। आत्मा मे कर्तृत्व मानना क्रियावाद है तथा कर्म का फल होता है यह कर्मवाद है। ये चारों अहिंसा के आधार स्तम्भ हैं—

‘से आयावादी लोयावादी कम्मावादी किरियावादी ।’

अहिंसा के तीन-भग हैं—करना, कराना तथा अनुमोदन। इन तीन भगों को तीन-करण मन, वचन व कर्म से गुणित करने पर अहिंसा के नौ भग हो जाते हैं। यद्यपि अनेक जीव बोल नहीं पाते किन्तु उन्हें पीडा का अनुभव होता है, कुछ जीव अपने स्थान से हिल भी नहीं पाते किन्तु पीडा का अनुभव करते हैं। अहिंसा का आधार यह नहीं कि जो अपनी पीडा अभिव्यक्त नहीं कर सके हम उसके प्रति अहिंसक न हो। अहिंसा की दृष्टि में सब समान है इसलिए ‘आचाराग’ सूत्र के प्रथम अध्ययन मे ही वनस्पतिकाय के साथ-साथ जल, अग्नि, वायु तथा पृथ्वी के प्रति भी अहिंसा का प्रतिपादन है। इन चारों को सत्व कहते हैं—

प्राणाः द्वित्रिचतुः प्रोक्ता, भूतास्तु तत्र. स्मृता ।

जीवा. पंचेन्द्रिया प्रोक्ताः शेषा. सत्त्वा उदीरिता ॥

वेइन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय जीव प्राण, वनस्पतिकायिक जीव भूत, पांच इन्द्रिय वाले जीव तिर्यच, मनुष्य, देव, नारक ये जीव एव पृथ्वी, अप, अग्नि और वायुकाय के जीव सत्व कहलाते हैं। इन चारो प्रकार के प्राणियों की हिंसा करने का ‘आचाराग’ सूत्र मे निषेध किया गया है।

‘आचाराग’ सूत्र का अध्ययन करने के पश्चात् ऐसा फलित होता है कि हिंसा-अहिंसा का विचार प्रमाद-अप्रमाद को केन्द्र मे रखकर हुआ है। आचार्य उमास्वाति ने ‘तत्त्वार्थ सूत्र’ मे प्रमाद को ही हिंसा का कारण बताया है यथा— ‘प्रमत्तयोगात् प्राण व्यपरोपणं हिंसा’ ‘आचारांग’ सूत्र एव ‘सूत्रकृतांग’ सूत्र मे अप्रमाद को लेकर संयम साधना की चर्चा की गयी है। जब तक जीव मे अज्ञानता है. प्रमाद है तब तक जीव मूढ है, धर्म को जान नहीं सकता। जो प्रमत्त है वही हनन-द्वेदन आदि करता है जैसा कि ‘आचारांग’ सूत्र मे कहा है—जे पमत्ता से

हंता छेत्ता भेत्ता लुपिता विलुचिता उछवेत्ता उतासयिता अकडं करिस्मामि ति मण्णमाणे ।' अतएव जो मुनि है, कुशल है, वह प्रमाद नहीं करता और उसे महाभय समझकर किसी की हिंसा नहीं करता । इस प्रकार पाप कर्म या हिंसा में प्रमाद की मुख्यता मानी गयी है ।

पापजनकता प्रमाद में मानी गयी है, केवल प्राणातिपात में नहीं । इस प्रकार 'आचारांग' सूत्र में अहिंसा का सूक्ष्म विवेचन किया गया है । सभी जीवों के प्रति समता भाव रखने वाला जीव अहिंसक हो सकता है ।

कार्यालय सचिव,  
स्वाध्याय सघ, जोधपुर ।

## हिंसा का डर

□ डॉ० भैरूलाल गर्ग

एक महान् मुस्लिम संत हुई है राबिया । एक बार वह एक जंगल में घूमने गयी । वह बड़े प्रेम से इधर-उधर-उड़ने वाले पक्षियों और घूमने वाले जंगली पशुओं को देखसे लगी । इतने में बहुत से जानवर उसके आस-पास आकर इकट्ठे हो गये । कुछ तो उसके वदन पर ही बैठ गये । यह देख राबिया को बड़ा सुख मिला ।

तभी कहीं से एक दूसरे संत हसन बसरी उधर आ निकले । उन्होंने दूर से ही यह दृश्य देखा तो आश्चर्य चकित हो गये, उनकी खुशी का ठिकाना न रहा । लेकिन जैसे ही वे राबिया के निकट पहुँचे, सारे जानवर भाग गये और पक्षी इधर-उधर उड़ गये ।

हसन बसरी को यह देख बुरा लगा । उन्होंने दुःखी मन से राबिया से इसका कारण जानना चाहा । वे बोले, "राबिया, यह क्या बात है कि इतने जानवर और परिन्दे तुम्हारे पास जमा हो गये थे और बड़ी मुहब्बत से तुम्हें घेरे हुए थे, पर मेरे आते ही सब ऐसे भाग छूटे जैसे मैं कोई खूखार आदमी होऊँ !"

राबिया ने पूछा, "तुम क्या खाते हो ?"

हसनबसरी बोले, "उससे तुम्हें क्या काम ?"

राबिया बोली, "काम है तभी तो पूछा है ।"

हसनबसरी ने जवाब दिया, "मैं गोश्त खाता हूँ ।"

राबिया ने कहा, "गोश्त खाते हो और चाहते हो कि जानवर और परिन्दे तुम्हारे पास आवें । यह कैसे हो सकता है कि जिन्हें तुम मारते हो वे तुमसे डरे नहीं और भागे नहीं ? जल्लाद से किसे डर नहीं लगता ? किसी अपनी जान प्यारी नहीं होती ?"

यह सुन हसनबसरी की आंखें खुल गयी ।

—हिन्दी विभाग, राजकीय महाविद्यालय, भोपाल—





## बौद्ध धर्म में अहिंसा

□ डॉ. भागचन्द जैन भास्कर

तथागत बुद्ध धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक क्रान्ति के अग्रदूत थे। उन्होंने विपाक्त वातावरण में पले-पुसे तत्कालीन धर्म और समाज में समता और अहिंसा का गहन सूत्रपात किया था। श्रमण संस्कृति के मनस्वी उद्घोषक के रूप में उनका अनुपम योगदान अविस्मरणीय है। महाकारुणिकता और मानवता के पुजारी भगवान बुद्ध का चुम्बकीय व्यक्तित्व चारित्रिक क्षेत्र में एक मील का पत्थर बन गया है। उनकी तपःपूत साधना ने भौतिकता की चकाचौंध में अंधीभूत संसार को जो नई ज्योति दी है, वह अपने आप में एक मानदण्ड बनी हुई है।

अहिंसा शास्त्रों की देशना की आधारशिला है। उसी को उन्होंने 'सद्धम्म' की संज्ञा से अभिहित किया है। बौद्ध साहित्य में 'धर्म' शब्द अनेक अर्थों में प्रयुक्त हुआ है। उन्हें हम समासतः तीन अर्थों में प्रयुक्त हुआ पाते हैं—पदार्थ, स्वभाव और शील। पदार्थ को यहाँ संस्कृत कहा जाता है जो उत्पत्ति, स्थिति और समाहार का प्रतीक है। हीनयान में इन संस्कृत पदार्थों को स्वीकार किया गया था पर माध्यमिकों ने उसे नहीं माना। वे संस्कृत पदार्थों का उत्पादन न-संस्कृत रूप से मानते हैं और न असंस्कृत रूप से। उनकी दृष्टि में ये उत्पादादि न व्यस्त रूप से पदार्थ के लक्षण होंगे और न समस्त रूप से। वे तो तत्त्वतः निःस्वभावी हैं। वाह्यार्थ वहाँ अस्तित्वहीन है। धर्म का अर्थ जब स्वभाव होता है तब उसे हम परमार्थ के रूप में देखते हैं जो प्रतीत्यसमुत्पन्नता को ज्ञापित करता है। तृतीय अर्थ में वह सद्धम्म अथवा शील के सन्दर्भ में दृष्टव्य है। चन्द्रकीर्ति ने धर्म शब्द को इन्हीं अर्थों में बाँधा है—धर्मशब्दोऽयं प्रवचने त्रिधाव्यवस्थापित स्वलक्षणधारणार्थेन कुगतिगमनविधारणार्थेन, पाञ्चगतिकसंसारगमन-विधारणार्थेन (प्रसन्नपदा, माध्यमिककारिका, (पृ. ३०४)। मौगलान थेर ने अभिवानप्पदीपिका (३.७८४) में इसी तथ्य को पुष्ट किया है—

धम्मो सभावे परियत्तिपञ्जा-भावेसु सच्चापकतीसु पुञ्जे ।

भेव्ये गुणाचार समाधिसूपि नित्सत्ततापत्तिसु कारणादो ॥

धर्म के प्रथम दो अर्थ पदार्थ की व्याख्या से सम्बद्ध हैं और तृतीय अर्थ व्यक्ति के आचार को स्पष्ट करता है। आर्यदेव ने शील के महत्त्व को स्पष्ट करते हुए कहा है कि समासतः अहिंसा ही धर्म है। केवल स्वभावशून्यता को ही

निर्वाण कहा है। यही दोनों धर्म हैं। किसी प्राणी के अपकार की और अपकार के लिए किये गये शारीरिक और वाचिक कर्म हिंसा कहलाती है। उसके विपरीत अहिंसा है। दश कुशल कर्म ही उसके पथ हैं। किञ्चित भी परोपकार अहिंसा के अन्तर्गत आ जाता है। तथागतों ने सक्षेपतः धर्म और अहिंसा का ही प्रतिपादन किया है। स्वभावशून्यता को तथागतों ने निर्वाण माना है। जो अहिंसा से भी श्रेष्ठतर है। अहिंसा से स्वर्ग प्राप्त होती है और शून्यता से निर्वाण मिलता है। तथागत द्वारा प्रतिपादित दोनों धर्म इसी में परिशुद्धि (केवल) को प्राप्त होते हैं—

धर्म समासतोऽहिंसां, वर्णयन्ति तथागतः ।

शून्यतामेव निर्वाणं, केवल तदिहोभयम् ॥

चतुःशतक, २६८

आर्यदेव की इस व्याख्या से यदि हम सहमत हैं तो अहिंसा को प्रतीत्य-समुत्पाद और निर्वाण से सम्बद्ध मानना होगा। ऐसी स्थिति में बौद्धधर्म का सारा प्रासाद अहिंसा की भूमिका पर स्पष्टतः खड़ा हो जाता है। सम्बोधि के बाद बुद्ध के प्रथम वचन के विषय में बौद्ध परम्परा भले ही एकमत न हो पर अहिंसा की इस व्याख्या की सीमा में तथागत की वह सारी देशना समाहित हो जाती है जिसमें उन्होंने चतुरार्यसत्य का वर्णन किया है। ब्रह्मयाचना की स्वीकृति महायान की आध्यात्मिकता की उत्पत्ति है, कारुणिकता का विकास है और सामुदायिक चेतना का उत्स है। इसकी मूल भावना 'सुत्तनिपात' के मेत्तमुत्त (४-५) में दृष्टव्य है—

ये केचि पाणभूतत्थि तसा वा थावरा वा अनवसेसा ।

दीना वा ये महान्ता वा सञ्जिक्कमा रस्मकाणुक थूला ॥

दिट्ठा वा येव अदिट्ठा ये च दूरे वसन्ति अबिदूरे ।

भूता वा संभवेसी वा सव्वे सत्ता भवन्ति सुखित्तत्ता ॥

'संयुत्तनिकाय' में अहिंसक उसे कहा है जो काया, मन, वचन से हिंसा नहीं करता और दूसरे को नहीं सताता।<sup>१</sup> अहिंसक की यह परिभाषा बड़ी व्यापक और मानवता से आपूर है। हिंसामय यज्ञों का विरोध कर दान-पुण्य के कर्म को ही सबसे बड़ा यज्ञ भगवान बुद्ध ने माना है (चतुक्कनिपात, अंगुत्तरनिकाय)। तदनुसार व्यक्ति को तीन प्रकार की शुचिता प्राप्त करनी चाहिए—<sup>२</sup>

१. यो च कायेन वाचाय, मनसा च न हिंसति ।

सर्वं अहिंसको होति, यो पर न विहिंसती ति ॥

२. अगुत्तरनिकाय, तिकनिपात

- (१) कायिक शुचिता—प्राणिहिंसा, चोरी एवं मिथ्याचार से विरति ।  
 (२) वाचिक शुचिता—मृषावाद, पैशुन्य, कठोर वचन तथा व्यर्थ वचन से विरति ।  
 (३) मानसिक शुचिता—क्रोध, लोभ, मिथ्यादृष्टि, आलस्य, अौद्धत्य, कौकृत्य, विचिकित्सा आदि से विरति ।

संयमी व्यक्ति सदैव इस बात का प्रयत्न करता है कि दूसरे के प्रति वह ऐसा व्यवहार करे जो स्वयं के अनुकूल रहता हो । तदर्थ उसमें मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा भावनाओं पर बल दिया गया है ।<sup>१</sup> सभी प्राणियों के प्रति मित्रता के भावप्रदर्शन को ही ब्रह्मविहार कहा गया है ।<sup>२</sup> अहिंसा का सम्बन्ध किसी का भी वंचन अथवा अपमान न करने से भी है ।<sup>३</sup> प्राणियों के साथ अहिंसक का व्यवहार मातृवत् होता है ।<sup>४</sup>

बुद्धघोष की शील की व्याख्या में अहिंसा की व्याख्या देखी जा सकती है । उन्होंने विधेयात्मक और निषेधात्मक आधार पर शील को चारित्र्य और वारित्र्य के रूप में विभक्त किया है और त्रिक में उसे हीन, मध्यम और प्रणीत आकार में व्यवस्थित किया है । प्रणीतशील पारमिताशील है । अपनी मुक्ति के लिए पाला गया शील मध्यम शील है और भोग-सम्पत्ति के लिए पाला गया शील हीन शील है । चतुष्क शील में प्रातिमोक्षसवर, इन्द्रिय सवर, आजीव-पारिशुद्धि और प्रत्यय संनिश्चित शील को व्याख्यायित किया है । शील की इस बहुविध व्याख्या में अणुव्रत और महाव्रत का रूप भी दृष्टव्य है जिसे अहिंसा के सन्दर्भ में देखा जा सकता है ।

तथागत बुद्ध के अधिकांश उपदेश भिक्षुओं को सम्बोधित कर दिये गये हैं । 'दिव्यावदान' में तो गृहस्थ धर्म को आत्मवोधि में अन्तराय माना है—आर्य अह तावद् गृहवासे परिगृद्धो विषयाभिरतिष्ठ ।<sup>५</sup> वानप्रस्थाश्रम भी अपेक्षित नहीं । सीधे भिक्षु बना जा सकता है ।<sup>६</sup> इसके बावजूद चूँकि सभी जन घर-वार नहीं छोड़ सकते थे, इसलिए उन्होंने कुछ धर्मदेशना गृहस्थों के लिए भी दी है । 'दीघनिकाय' (सिगालोवाद सुत्त), 'सुत्तनिपात' आदि ग्रन्थ बौद्ध गृहस्थ धर्म की दृष्टि से उपयोगी हैं । बुद्धघोष ने भी 'विमुद्धि-मग्ग' के शील-निर्देश में इसकी व्याख्या की है ।

- 
१. दीघनिकाय, तेविज्जसुत्त
  २. विनयपिटक, प्रातिमोक्ख
  ३. मेत्तसुत्त
  ४. संयुत्तनिकाय, पदमुत्त
  ५. पांगुप्रदानावदान, पृ. २१७
  ६. पूर्णावदान, पृ. २

बौद्धधर्म में अहिंसा के स्वरूप को विकासात्मक सोपानों में समझा जा सकता है। उसका प्रारम्भिक स्वरूप धर्मदर्शना में दृष्टव्य है। वाद में चेतना कर्म के आधार पर चार पापकर्मों (पाणातिपात, अदिन्नादान, कामेसु-मिच्छाचार, मुसावाद)<sup>१</sup> और 'सुरामेप्यमज्जप्पमादवुत्तान को जोडकर पंचपापों से विरमण रूप पञ्चशील को प्रस्थापित किया गया। 'मनोपुब्बंगमा धम्मा' के आधार पर अकुशल कर्म को तीन भागों में विभाजित किया गया—कायकर्म, वाक्कर्म और मन कर्म। प्राण, प्राणकी संज्ञा (ज्ञान), घातकचित्त, उपक्रम तथा मृत्यु, ये पांच प्राणातिपात की वधकचेतना के कारणीभूत अंग हैं। इन पांच अंगों के पूर्ण होने पर ही प्राणातिपात कर्मपाप होता है। अपराध का छोटा-बड़ा होना, मरने वाले के छोटे-बड़े होने पर निर्भर करता है।<sup>२</sup> प्राणातिपात में ज्ञान, संकल्प, प्रयत्न और प्रयत्न के पदविसान के रूप में मृत्यु होना आवश्यक है। प्रयत्नों में स्वद्वस्तिक, आज्ञप्तिक, नैसर्गिक, विद्याश्रय, ऋद्धिमय और स्तम्भोत्कीर्णन मुख्य हैं।<sup>३</sup> इसी प्रकार अदत्तादान के सन्दर्भ में भी है। काम-मिथ्याचार के सन्दर्भ में कहा गया है कि मातृरक्षिता, पितृरक्षिता, माता-पितृ-रक्षिता, भगिनीरक्षिता, भ्रातृरक्षिता, जानिरक्षिता, गौत्ररक्षिता तथा धर्मरक्षिता महिलाओं के साथ किन्हीं कारणवश सहवास किया जा सकता है। इसमें कायदुश्चरित होता है, काम मिथ्याचार नहीं। भ्रम से भी संपर्क होने पर पापचेतना न होने के कारण उसमें दोष नहीं लगेगा।<sup>४</sup> उत्तरकालीन स्थविरवाद में पनपी इस विचारधारा का यह एक अंग है जिसमें कामसेवन का चित्त न होने पर यदि कामसेवन किया जाये तो वह कर्मपथ नहीं होता। 'सूत्रकृतांग' में शीलाकाचार्य ने इसी का वर्णन किया है।<sup>५</sup>

जातक कथा काल में कदाचित् मांसभक्षण अधिक लोकप्रिय हो गया होगा।<sup>६</sup> नियुक्तिकार ने अट्टसालिनी के ही अनुसार हिंसा के पांच कारणों का उल्लेख किया है और कहा है कि बौद्ध धर्म के अनुसार परिज्ञोपचित (मनो-व्यापार), अविज्ञोपचित (शरीर व्यापार), ईर्यापथ व स्वप्नातिक ये चतुर्विध-कर्म उपचय को प्राप्त नहीं होते। जैसे दीवाल पर फेंकी गई धूलि स्पर्श के बाद ही बिखर जाती है इसी तरह ये चतुर्विध कर्म स्पर्श के बाद ही नष्ट हो जाते हैं। इसलिए उन कर्मों का उपचय नहीं होता। इसके समर्थन में संयुक्तनिकाय (२.१२.७.३.) में एक उदाहरण दिया गया है जिसका उल्लेख बुद्धघोष ने

१. दीघनिकाय, सिगालोवादसुत्त, ८१४

२. अट्टसालिनी, पृ ८०

३. सुमगलविलासिनी, भाग १, पृ ७०

४. अट्टसालिनी, पृ ८०-८१

५. सूत्र वृत्ति पृ ६७/१; ११ २६-२८; ६३८-६४२; ११ २ २८

६. भोरजातक, सुमंगल जातक; जातककालीन भारतीय संस्कृति, पृ. २१४

‘विसुद्धिमग्ग’ में किया है<sup>१</sup> कि जैसे राग-द्वेष रहित कोई गृहस्थ पिता किसी बड़ी विपत्ति के समय उसके उद्धारार्थ आहार के लिए अपने पुत्र को मारकर मांस-भक्षण करता हुआ भी कर्मबन्ध को प्राप्त नहीं होता, वैसे ही साधु भी मांसभक्षण करता हुआ भी कर्मबन्ध नहीं करता ।

बौद्धाचार सम्बन्धी इन उल्लेखों के देखने से स्पष्ट है कि उत्तरकालीन बौद्ध सम्प्रदाय अत्यधिक शिथिल हो गये थे । उनके धर्म के परिपालन में मांसभक्षण का निषेध नहीं था । शर्त यह अवश्य थी कि साधक का यह मांसभक्षण त्रिकोटिपरिशुद्ध होना चाहिए ।<sup>२</sup> पातिमोक्ख मे इस प्रकार के अनेक नियमों का विधान भी किया गया है । पालि साहित्य में भी बौद्धों को मांस भक्षण करते हुए देखा गया है । यहाँ तक कि भगवान बुद्ध को भी मांस भक्षण करते हुए बताया गया है । सीह सेनापति बुद्ध का उपासक हो जाने पर बुद्धसंघ के लिए मांसमिश्रित भोजन देता है जिसका तीव्र-विरोध निगण्ठ करते हुए दिखाई देते हैं ।<sup>३</sup>

‘दीघनिकाय’ के महापरिनिब्बानसुत्त के अनुसार अन्तिम यात्रा के समय चुन्द सोनार ने उन्हें ‘सूकरमद्व’ दिया जो उनकी मृत्यु का कारण बना ।<sup>४</sup> ‘सूकरमद्व’ शब्द का अनुवाद विवादग्रस्त रहा है । बुद्धघोष ने इसका अर्थ सूकर का मांस किया है जबकि उदान अट्टकथा ने उसे शकरकद का पाक माना है । अथवा यह कोई ऐसा पौधा है जिसे सूकर कुचल देते थे । कुछ विद्वान उस अहिच्छत्तक नामक पौधा (mushroom) मानते हैं जो ऐसी जगह उत्पन्न होता है जिसे सूकर कुचल दिया करते हैं ।<sup>५</sup> रिज डेविड्स ने उसका अर्थ गाठदार पौधा (a quantity of trubbles) किया है (Dial, II. II. 137) ।

मेरी दृष्टि में महाकारुणिक भगवान बुद्ध के व्यक्तित्व के साथ सूकर मांस भक्षण अकल्पित-सा लगता है । फिर इसकी दो सम्भावनाएँ हो सकती हैं । प्रथम तो यह कि आयुर्वेद ग्रन्थों में पशुओं के नाम पर औषधियों के नाम उपलब्ध होते हैं । महाराष्ट्र में शकर कद के लिए डुक्करकद कहा जाता है । यह एक गोलाकार कंद होता है जो स्वाद में कड़ुवा तथा नशीला-सा होता है । दूसरी बात यह कि यदि यह सूकर मांस है तो निश्चित ही यह अण उत्तरकालीन है अतः प्रक्षिप्त है । महापरिनिब्बानसुत्त रिपोर्टिंग मेटर प्रस्तुत करता है जो

१. कन्तारनित्थरएतियका पुत्तमसं विय, विसुद्धिमग्ग, पृ २८  
हिन्दी अनुवाद, भाग १, पृ. ३४; सूत्रकृतांग वृत्ति, १.१ २.२८
२. तेलोवाद जातक, २४६
३. मज्झिमनिकाय, जीवकसुत्त
४. महापरिनिब्बानसुत्त, ३.१६.६२
५. उदान, अट्टकथा, ३.१६६

बाद का ही होना चाहिए। पालि यद्यपि प्राकृत का ही प्राचीनतम रूप है पर महावीरनिब्वानसुत्त में उत्तरकालीन प्राकृत की प्रवृत्तियाँ दिखाई देती हैं— उदाहरणार्थ, लहुट्टान (३.१.३), अभिण्हं (३.१.४), वुट्टहन्ति (३.१.४), अज्जतनाय (३.६.२३), आहुनेय्यो-पाहुनेय्यो (३.७.२६), अज्भत्त (३.१३.४३), निरवणाहि (३.१६.६२), प्हूत (३.१६.६२), पहियत्त (३.१६.६२), अलत्थ (३.२३.८८) आदि। यही कारण है कि वुट्टचरित, सौन्दरानन्द आदि ग्रंथों में इस घटना का कहीं कोई उल्लेख नहीं है। लकावतार सूत्र में तो उसका स्पष्टतः खण्डन किया गया है।

बौद्ध धर्म में मुख्य कर्म चेतना कर्म माना गया है। उसे चित्त सहगतधर्म कहा गया है। मानसिक धर्म उसकी अपर संज्ञा है। यह चेतना चित्त को आकार विशेष प्रदान करती है और प्रतिसन्धि (जन्म) के योग्य बनाती है। चेतना के कारण ही शुभाशुभ कर्म होते हैं और तदनुसार ही उसका फल होता है। यह मनसिकार दो प्रकार का है—योनिशो मनसिकार और अयोनिशो मनसिकार। इनमें प्रथम सम्यक्त्व है और द्वितीय मिथ्यात्व। जैन धर्म में इस चेतना कर्म को भाव कहा गया है। वह कुणल-अकुणल के समान शुद्ध-अशुद्ध होता है। चेतना कर्म के दो रूप हैं—दर्शन और ज्ञान। चेतना, अनुभूति, उपलब्धि और वेदना ये सभी शब्द समानार्थक हैं। योनिशो मनसिकार को ज्ञान चेतना और अयोनिशो मनसिकार को अज्ञानचेतना कह सकते हैं। बौद्ध धर्म की अहिंसा अज्ञानचेतना से अधिक सबद्ध प्रतीत होती है। बौद्ध धर्म का अहिंसक जैन धर्म की दृष्टि से हिंसक ही है क्योंकि हिंसा के पीछे उस तथाकथित अहिंसक की प्रेरक भावना काम करती है।

बौद्ध भिक्षु का शिथिलाचार थेरगाथा में बहुत अधिक स्पष्ट हुआ है जहाँ कहा गया है कि पाप वासनाएँ उनके अन्दर उन्मत्त राक्षस जैसी खेल रही हैं। वे ठग हैं, असयमी हैं और आमिष का उपभोग करने वाले हैं।<sup>१</sup> शीलाकाचार्य ने भी उनकी जीवनचर्या का विषद वर्णन किया है।<sup>२</sup>

लगता है, पालि साहित्य में उपलब्ध मांस भक्षण की विहितता के विरोध में एक सबल आन्दोलन चला होगा। पालि साहित्य को छोड़कर वज्रयान के पूर्व तक का बौद्ध संस्कृत साहित्य साधारणतः मांस भक्षण को अस्वीकार करता है। उसका अहिंसा का चित्तन और गहरा हुआ है। यह स्वाभाविक भी था। पारमिताओं की बात करने के साथ मांस भक्षण युक्त अहिंसा के चित्तन में गहनता नहीं आ पाती। अप्रत्यक्षतः हिंसा का दोष भक्षक पर आ ही जाता है।

१ थेरगाथा, ६२१, ६२८, ६३८-९

२ मृद्वी शय्या प्रातस्तथाय पेया, भक्त मध्ये पानकं चापरान्हे ।

द्राक्षाखण्ड शर्करा चार्धरात्री. मोक्षरचान्ते शाक्यपुत्रेण दृष्टः ॥

यह लोक चेतना लकावतार में प्रतिबिम्बित होती है जहाँ 'मांस भक्षण प्रतिषेध' नामक स्वतन्त्र परिवर्त लिखा गया है। वहाँ स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि मांस भक्षण और अहिंसा का कोई सम्बन्ध नहीं है। उसे किसी भी स्थिति में विहित नहीं माना जा सकता। वहाँ लिखा है कि महामति बोधिसत्व ने बुद्ध से पूछा—मांस भक्षण के गुण-दोष क्या है? उत्तर में बुद्ध ने कहा—

(१) आज हमारे जो माता-पिता हैं, कल वे पशु-पक्षी होंगे और हम उन्हीं का मांस खायेंगे। इस स्थिति में मांस भक्षण विहित कैसे माना जा सकता है? प्राणि मात्र पर दया करने वाला बुद्ध मांस भक्षण की बात कैसे कर सकता है?

(२) प्रायः यह देखा गया है कि शिकारी व्यक्ति को देखकर छोटे-छोटे प्राणी-एकेन्द्रिय जीव भी स्वतः भयभीत हो जाते हैं। ऋषियों का पवित्र भोजन ही बोधिसत्व का भोजन है। आश्चर्य है, कुछ लोग इस भोजन को अस्वीकार करते हैं, फिर भी वे अपने को धार्मिक मानते हैं। उन्हें धार्मिक कैसे कहा जा सकता है?

(३) मांसभक्षी को दुःस्वप्न दिखाई देते हैं। विभिन्न प्रकार के रोगों से भी वह ग्रस्त हो जाता है।

(४) समाज मांस भक्षी से अपना सम्बन्ध विच्छेद कर लेता है। सीह-सीदास नामक राजा मांस भक्षी था। समाज ने उससे अपना सम्बन्ध तोड़ लिया।

(५) पूर्व जन्म में इन्द्र ने भी मांस भक्षण किया था। फलतः उसे दुःख भोगना पड़ा। तब शिवि ने उस पर दया की।

(६) एक अन्य राजा ने भी मांस भक्षण किया। उसकी सन्तान भी मांस भक्षण की आदी हो गई। फलतः वे जन्म-जन्मान्तर में पिशाच-पिशाचिनी हुए।

(७) अभिमान-तुष्टि के लिए लोग हिंसा करते हैं। यदि कोई मांस-भक्षण नहीं करे तो प्राणि-हिंसा होगी क्यों?

(८) बौद्ध उपासक को भी मांस भक्षण नहीं करना चाहिए, भिक्षु तो दूर रहा। त्रिकोटि परिशुद्ध मांस का भक्षण भी विहित नहीं माना जा सकता।

(९) बौद्ध साहित्य में मांस भक्षण को कहीं भी विहित नहीं माना गया। यदि बुद्ध ने उसे कभी विहित माना होता तो आज उसका निषेध नहीं करता। मांस भक्षण किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं किया जा सकता। धर्म-पालन के लिए मांस-भक्षण का परित्याग करना नितान्त आवश्यक है। बुद्ध ने अपने जीवनकाल में मांस भक्षण किया, यह कहना गलत है। ऐसा कहने वाले को कर्मबन्ध होगा। मैंने (बुद्ध ने) धर्म का भोजन माना, मांस का भोजन नहीं।

‘लंकावतार’ के इस उद्धरण-से स्पष्ट है कि बौद्ध समाज में भी अहिंसा के सही मूल्यांकन करने की ओर ध्यान आकर्षित हुआ और मांस भक्षण के प्रति असन्तोष की भावना जाग्रत हुई। इसका रचना काल लगभग पांचवी शती माना जा सकता है। इसके बाद का साहित्य भी ‘लंकावतार’ से प्रभावित रहा है। आचार्य शांतिदेव ने स्पष्ट लिखा है—एवं तावत् सतत भैषज्येनात्म भावरक्षा कार्या। तत्रापि न मत्स्यमांसेन, लंकावतार सूत्रे प्रतिषिद्धत्वात्। तथाह्युक्तम्—मांस सर्वमभक्ष्यं कृपात्मनो बोधिसत्वस्येति वदामि।……रत्नमेघ मे भी निरामिष होने की बात कही गई है। यहाँ त्रिकोटिपरिशुद्ध की भी बात कही है पर गृह्यता पनपने के कारण उससे भी दूर रहने का आदेश दिया है।<sup>१</sup> इसी को उन्होंने बोधिचर्यावतार के ध्यान-पारमिता मे भी प्रस्तुत किया है।

अहिंसा का फलित क्षेत्र पारमिता प्राप्ति है। दान, शील, क्षांति, वीर्य, ध्यान और प्रज्ञा पारमिताएँ पूर्वपिक्षया श्रेष्ठ है।<sup>२</sup> शील पारमिता की प्राप्ति प्राणातियात विरमण से ही होती है (बोधि. ५.११)। शिक्षा समुच्चय में प्राणातिपातादि अकृशाल कर्मों का विस्तार से फल भी बताया है (पृ. ४३-४५)। बोधिचित्त की प्राप्ति का मूल कारण अहिंसा भावना है (बोधि. ३.१-३३)। अनर्थ वर्जन भी उसी का अंग है (वही ५.४६)। मूर्धाभिषिक्त क्षत्रिय की पाच मूलापत्तियो मे ग्राम, नगर, राष्ट्र भेद करना भी अन्यतम है जो राष्ट्रीयता से ओतप्रोत है (शिक्षा. पृ. ३५-३८)। अशोक ने अहिंसा को धर्म-मगल कहा (शिलाप्रज्ञापन ६)। क्षेमेन्द्र ने इसी को सर्वोत्तम गुण माना है।<sup>३</sup> इसी का विकास समचित्तता मे हुआ है।

बौद्ध धर्म ने वैचारिक अहिंसा पर भी चिंतन किया है। वहाँ तत्त्व का विचार दो दृष्टियों से किया गया है—परमार्थ और प्रज्ञप्त्यर्थ। परमार्थ तत्त्व को अविपरीत तथा मूल स्वभाव माना है और प्रज्ञप्त्यर्थ वस्तु का व्यावहारिक स्वरूप है। इन्ही को क्रमशः पारमार्थिक और सांवृतिके भी कहा गया है।<sup>४</sup> प्रज्ञापारमिता की प्राप्ति इन्ही दो सत्यों की दृष्टि पर आधारित है (बोधि-चर्यावतार)। इन सत्यों की तुलना जैनदर्शन के द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक नयों से की जा सकती है।

अनेकान्तवाद के समान भगवान बुद्ध ने प्रश्नों के समाधान के लिए विभज्यवाद को एक सशक्त माध्यम बनाया। उन्होंने एकशवाद को मिथ्याप्रतिपत्ति और विभज्यवाद को सम्यक् प्रतिपत्ति के रूप में स्वीकार किया है। पदार्थ के सम्यक् विवेचन के लिए उन्होंने विभज्यवाद का प्रयोग किया। उसके अतिरिक्त वे एकस, अनेकस, पटिपुच्छा, ठापनीय आदि विधियों से भी इस प्रकार के

१ शिक्षासमुच्चय, पृ ७३-७४

२ बोधिचर्यावतार, पृ ५६०

३ बोधिसत्त्वावदानकल्पलता, कलकत्ता, १८८८, 11 ८४१-४.

४ अभिष्मत्यसंगहो, १ २.



विवादग्रस्त प्रश्नों का समाधान किया करते थे। चतुष्कोटि के साथ ही सांवृतिक और पारमार्थिक सत्यों का भी आधार लिया गया है। बुद्ध के विभज्यवाद को हम निम्नलिखित विकासात्मक अवस्थाओं में देख सकते हैं—

- (१) अव्याकृततावाद, (२) एकसिक-अनेकंसिकवाद,
- (३) व्याकरणीय प्रकार, (४) चतुष्कोटिक विधा,
- (५) सत्य प्रकार, (६) मध्यमप्रतिपदा।

उत्तरकालीन तान्त्रिक परम्परा में वज्रयान ने अहिंसा के एक अन्य-रूप का विकास किया जिसमें वह अपने उच्चादर्श से पतित होता गया। पंच मकारों के प्रयोग ने स्थिति को और भयावह बना दिया। दशकुमारचरित, मालविका-ग्निमित्र, राष्ट्रपालपरिपृच्छासूत्र, मृच्छकटिक, महायानसूत्रालंकार, हेवज्रतन्त्र टीका आदि ग्रंथों में अहिंसा की विकृत अवस्था को देखा जा सकता है।

इस प्रकार बौद्ध धर्म में अहिंसा पर विभिन्न समयों में विचार होता रहा है जो उसकी विकास-प्रक्रिया को द्योतित करते हैं। आचार और विचार के क्षेत्र में अहिंसा की अभिव्यक्ति उसके स्तरों में अन्वेषणीय है। बौद्धकला भी इससे प्रभावित हुए बिना नहीं रही। वज्रयानिक देवी-देवताओं की कल्पना में ये स्तर दिखाई देते ही हैं।

- अध्यक्ष, प्राकृत एवं पालि विभाग, नागपुर विश्वविद्यालय, नागपुर


## घाव और कीड़े

• श्री राजेन्द्र प्रसाद जैन

अतीत में एक बहुत बड़े मुसलिम संत हो गये हैं। नाम था उनका हजरत अयूब, पर-दुःख-कातर हजरत अयूब दया, करुणा और सवेदना के धनी थे। समभाव से अपनी पीड़ा पी लेने की तो उनमें क्षमता थी पर पर-पीड़ा उन्हें उद्वेलित व अभिभूत कर देती थी।

वृद्धावस्था में वे बीमार पड़ गये। चलना-फिरना दुश्वार हो गया। पलंग पर पड़े रहने से शरीर में घाव हो गये और घावों में कीड़े भी पड़ गये पर उन्होंने कभी आह नहीं की, उफ नहीं किया और न कभी किसी ने उनको इतनी असह्य पीड़ा होते हुए भी पेशानी पर पीड़ा या परेशानी की कोई सिलबट देखी। एक दिन उनके घाव से कीड़े खिर कर भूमि पर पड़ रहे थे। एक व्यक्ति ने यह सब कुछ देखा तो उसने द्रवित हो उनके शरीर से कीड़ों को निकाल देने का प्रस्ताव किया पर हजरत अयूब ने यह प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया, उल्टे भूमि पर पड़े कीड़ों को उठाकर अपने घावों में डाल दिये। वह व्यक्ति हतप्रभ हो हजरत से ऐसा करने का कारण पूछ बैठा तो हजरत ने हौले से कहा— “भाई ! इन कीड़ों की खुराक मेरे घावों में ही है। इनसे बाहर जाते ही ये मर जावेंगे। हम किसी निर्जीव में प्राण नहीं डाल सकते तो किसी जीव के प्राण लेने का हमें क्या अधिकार ?”

संत के इन शब्दों ने उस व्यक्ति को निरुत्तर कर दिया और मन ही मन उन महान् संत को प्रणाम कर वह वहाँ से चल दिया। • एडवोकेट, भवानीमडी



# ‘महाभारत’ में अहिंसा-विचार

□ प्रा० अरुण जोषी

महर्षि व्यास, वैशंपायन और सौति के योगदान से भारत भूमि पर जिस ग्रंथ का प्रादुर्भाव हुआ उसको हम ‘महाभारत’ नाम से पहचानते हैं। ‘जय’ से ‘भारत’ और तत्पश्चात् ‘महाभारत’ के नाम से विख्यात यह ग्रंथ भारतीय सस्कृति का प्रवर्धक, संवर्धक एवं संरक्षक ग्रंथ माना जाता है। यह ग्रंथ विशाल ज्ञान का भण्डार है अतएव कहा जाता है कि ‘यद् इह अस्ति तत् सर्वत्र, यह इह नास्ति न तत्कवचित्।’ अर्थात् जो इसमें है वह सर्वत्र है और जो इसमें नहीं है वह कहीं भी नहीं है। इस ग्रंथ में लगभग एक लाख पद्य सम्मिलित हैं, अतएव महाभारत को ‘सतसाहस्री संहिता’ कहते हैं। इस ग्रंथ में अनेकविध अर्थ, अनेकविध कथाएँ, षड्दर्शन एव धर्म की चर्चा हमें मिलती है। ‘बृहद्धर्म पुराण’ पूर्व खण्ड ३०/३२ में कहा गया है—

**भारते विविधा अर्था, भारते विविधा कथाः ।**

**भारते षड्दर्शनानि, भारते धर्मसंचयाः ॥**

इसी तरह अन्य अनेक पुराणों में ‘महाभारत’ की महिमा का वर्णन हमें मिलता है। महाकवि कालिदास जैसे अनेक कवियों के लिए यह ग्रंथ उपजीव्य रहा है। ‘भगवद् गीता’ जैसा ग्रंथरत्न भी इसी ग्रंथ की देन है। अन्य अनेक उपदेशरत्न की भी यह ग्रंथ खान है। ‘महाभारत’ के अन्त में भयानक युद्ध का वर्णन है किन्तु इस ग्रंथ में जगह-जगह पर ऐसा वर्णन आया है कि लगता है मानो कवि हिंसा के पक्ष में नहीं है। सर्वप्रथम तो प्रश्न उठेगा कि धर्म क्या है? युधिष्ठिर ने भी भीष्म को यही पूछा था—

**इमे वै मानवाः सर्वे धर्मः प्रति विशंकिताः ।**

**कोऽयं धर्मः कुतो धर्मः जन्मे ब्रूहि पितामह ॥**

(शांतिपर्व, अध्याय २५६, श्लोक १)

अर्थात् हे पितामह ! ये सर्व मानव धर्म प्रति सर्व कुछ जानते नहीं हैं अतः आप बताइये कि धर्म का स्वरूप क्या है, उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई ?

इस प्रश्न के उत्तर में भीष्म ने कहा है कि आचार ही धर्म का मुख्य आधार है। सत्य बोलना धर्म है। चोरी न करना धर्म है। दान देना धर्म है। हिंसा न करना धर्म है। विद्वान कहते हैं कि जो कर्म सबको प्रीतिकर होता है और अहिंसा से युक्त होता है वह वस्तुतः धर्मरूप है। जो पुरुष जीवित रहने की

विवादग्रस्त प्रश्नों का समाधान किया करते थे । चतुष्कोटि के साथ ही सांवृतिक और पारमार्थिक सत्यो का भी आधार लिया गया है । बुद्ध के विभज्यवाद को हम निम्नलिखित विकासात्मक अवस्थाओं में देख सकते हैं—

- (१) अव्याकृततावाद, (२) एकंसिक-अनेकसिकवाद,
- (३) व्याकरणीय प्रकार, (४) चतुष्कोटिक विधा,
- (५) सत्य प्रकार, (६) मध्यमप्रतिपदा ।

उत्तरकालीन तान्त्रिक परम्परा मे वज्रयान ने अहिंसा के एक अन्यरूप का विकास किया जिसमें वह अपने उच्चादर्श से पतित होता गया । पंच मकारों के प्रयोग में स्थिति को और भयावह बना दिया । दशकुमारचरित, मालविकाग्निमित्र, राष्ट्रपालपरिपृच्छासूत्र, मृच्छकटिक, महायानसूत्रालंकार, हेवज्रतन्त्र टीका आदि ग्रंथों में अहिंसा की विकृत अवस्था को देखा जा सकता है ।

इस प्रकार बौद्ध धर्म में अहिंसा पर विभिन्न समयों मे विचार होता रहा है जो उसकी विकास-प्रक्रिया को द्योतित करते है । आचार और विचार के क्षेत्र में अहिंसा की अभिव्यक्ति उसके स्तरों में अन्वेषणीय है । बौद्धकला भी इससे प्रभावित हुए बिना नहीं रही । वज्रयानिक देवी-देवताओं की कल्पना मे ये स्तर दिखाई देते ही है ।

- अध्याक्ष, प्राकृत एवं पालि विभाग, नागपुर विश्वविद्यालय, नागपुर


## घाव और कीड़े

• श्री राजेन्द्र प्रसाद जैन

अतीत में एक बहुत बड़े मुसलिम सत हो गये है । नाम था उनका हजरत अयूव, पर-दुःख-कातर हजरत अयूव दया, करुणा और सवेदना के धनी थे । समभाव से अपनी पीडा पी लेने की तो उनमें क्षमता थी पर पर-पीड़ा उन्हे उद्वेलित व अभिभूत कर देती थी ।

वृद्धावस्था मे वे बीमार पड गये । चलना-फिरना दुश्वार हो गया । पलंग पर पडे रहने से शरीर में घाव हो गये और घावों में कीड़े भी पड गये पर उन्होंने कभी आह नहीं की, उफ नहीं किया और न कभी किसी ने उनको इतनी असह्य पीडा होते हुए भी पेशानी पर पीड़ा या परेशानी की कोई सिलवट देखी । एक दिन उनके घाव से कीड़े खिर कर भूमि पर पड़ रहे थे । एक व्यक्ति ने यह सब कुछ देखा तो उसने द्रवित हो उनके शरीर से कीड़ो को निकाल देने का प्रस्ताव किया पर हजरत अयूव ने यह प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया, उल्टे भूमि पर पड़े कीड़ों को उठाकर अपने घावों में डाल दिये । वह व्यक्ति हतप्रभ हो हजरत से ऐसा करने का कारण पूछ बैठा तो हजरत ने हौले से कहा— “भाई ! इन कीड़ो की खुराक मेरे घावो में ही है । इनसे बाहर जाते ही ये मर जावेंगे । हम किसी निर्जीव मे प्राण नहीं डाल सकते तो किसी जीव के प्राण लेने का हमें क्या अधिकार ?”

संत के इन शब्दों ने उस व्यक्ति को निरुत्तर कर दिया और मन ही मन उम महान् संत को प्रणाम कर वह वहाँ से चल दिया । • एडवोकेट, भवानीमई



# ‘महाभारत’ में अहिंसा-विचार

□ प्रा० अरुण जोषी

महर्षि व्यास, वैशंपायन और सौति के योगदान से भारत भूमि पर जिस ग्रंथ का प्रादुर्भाव हुआ उसको हम ‘महाभारत’ नाम से पहचानते हैं। ‘जय’ से ‘भारत’ और तत्पश्चात् ‘महाभारत’ के नाम से विख्यात यह ग्रंथ भारतीय सस्कृति का प्रवर्धक, संवर्धक एवं संरक्षक ग्रंथ माना जाता है। यह ग्रंथ विशाल ज्ञान का भण्डार है अतएव कहा जाता है कि ‘यद् इह अस्ति तत् सर्वत्र, यह इह नास्ति न तत्क्वचित्।’ अर्थात् जो इसमें है वह सर्वत्र है और जो इसमें नहीं है वह कहीं भी नहीं है। इस ग्रंथ में लगभग एक लाख पद्य सम्मिलित हैं, अतएव महाभारत को ‘सप्तसाहस्री संहिता’ कहते हैं। इस ग्रंथ में अनेकविध अर्थ, अनेकविध कथाएँ, षड्दर्शन एवं धर्म की चर्चा हमें मिलती है। ‘वृहद्धर्म पुराण’ पूर्व खण्ड ३०/३२ में कहा गया है—

भारते विविधा अर्था, भारते विविधा कथाः ।

भारते षड्दर्शनानि, भारते धर्मसंचयाः ॥

इसी तरह अन्य अनेक पुराणों में ‘महाभारत’ की महिमा का वर्णन हमें मिलता है। महाकवि कालिदास जैसे अनेक कवियों के लिए यह ग्रंथ उपजीव्य रहा है। ‘भगवद् गीता’ जैसा ग्रंथरत्न भी इसी ग्रंथ की देन है। अन्य अनेक उपदेशरत्न की भी यह ग्रंथ खान है। ‘महाभारत’ के अन्त में भयानक युद्ध का वर्णन है किन्तु इस ग्रंथ में जगह-जगह पर ऐसा वर्णन आया है कि लगता है मानों कवि हिंसा के पक्ष में नहीं है। सर्वप्रथम तो प्रश्न उठेगा कि धर्म क्या है? युधिष्ठिर ने भी भीष्म को यही पूछा था—

इमे वै मानवाः सर्वे धर्मः प्रति विशंकिताः ।

कोऽयं धर्मः कुतो धर्मः जन्मे ब्रूहि पितामह ॥

(शांतिपर्व, अध्याय २५६, श्लोक १)

अर्थात् हे पितामह! ये सर्व मानव धर्म प्रति सर्व कुछ जानते नहीं हैं अतः आप बताइये कि धर्म का स्वरूप क्या है, उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई?

इस प्रश्न के उत्तर में भीष्म ने कहा है कि आचार ही धर्म का मुख्य आधार है। सत्य बोलना धर्म है। चोरी न करना धर्म है। दान देना धर्म है। हिंसा न करना धर्म है। विद्वान कहते हैं कि जो कर्म सबको प्रीतिकर होता है और अहिंसा से युक्त होता है वह वस्तुतः धर्मरूप है। जो पुरुष जीवित रहने के

इच्छा रखता है वह अन्य का घात करने के लिए क्यों उद्यत हो ? इस तरह करीब ३० श्लोको में धर्म का स्वरूप दिखाया गया है । इससे पता चलता है कि अहिंसामय आचरण धर्म है किन्तु अहिंसा को परम धर्म माना गया है क्योंकि सत्य, चोरी आदि की अपेक्षा अहिंसा तो जीवित रहने में अधिक उपयोगी होती है । अतएव कहा गया है —

जीवितं य. स्वयं चेच्छेत्कथं सोऽन्यं प्रधातयेत् ।

यद्यदात्मनि चेच्छेत्, तत्परस्यापि चिन्तयेत् ॥

(शांति पर्व, २५६.२२)

इस पद्य से अहिंसा का स्वरूप स्पष्ट होता है । युधिष्ठिर और भीष्म के बीच जो वार्तालाप होता है उसमें अहिंसा को सकल धर्म भी माना गया है । अहिंसा को हितकारक धर्म भी माना गया है । 'महाभारत' में ऐसा भी कहा गया है कि यः स्यात् अहिंसा संयुक्तः स धर्मः इति निश्चयः । अर्थात् जो अहिंसायुक्त है वही धर्म है, ऐसा निश्चित है ।

अहिंसा का इतना गुणगान गाया गया है अतः प्रश्न उठेगा कि प्राचीन काल में यज्ञ भी होते थे और उसमें पशु-हिंसा भी होती थी । अहिंसा को धर्म मानते थे और हिंसा करके यज्ञयाग भी करते थे । इस शका का उन्मूलन 'शांतिपर्व' के अध्याय ३३७ से होता है । इस अध्याय के प्रारम्भ में एक सवाद जो ऋषियों और देवों के बीच होता है, वह इस प्रकार है—

अजेन यष्टव्यम् इति, प्राहुर्देवा द्विजोत्तमान् ।

स च वद्धागोऽप्यजो ज्ञेयो, नान्यः पशुरिति स्थितिः ॥

ऋषयः ऊचुः—

बीजैः यज्ञेषु यष्टव्यमिति वैदिकी श्रुतिः ।

अजसंज्ञानि बीजानि च्छाग ना हन्तुमर्हथ ।

नैष धर्मः सतां देवा, येत्र बध्यते वै पशुः ॥

(शांतिपर्व, ३३७ : ३-५)

अर्थात् पूर्वकाल में देवोंने ब्राह्मणों को कहा कि अज का वध करके यज्ञ करना, और अज का अर्थ 'बकरा' होता है यह वात ग्रहण करना । अन्य पशु का ग्रहण नहीं करना, ऐसा वेद में लिखा है । तब ऋषियों ने कहा कि यज्ञों में अज अर्थात् बीज का ही उपयोग करना, ऐसा वेद में कथन है । अज का पर्याय बीज ही होता है अतः यज्ञार्थ बकरे का वध करना उचित नहीं है । हे देवगण, यज्ञ में पशु का वध करना सत्पुरुषों का धर्म नहीं है । सर्व प्राणी के भीतर प्रभु का निवास है और प्रभु का वास पृथ्वी में, वायु में, अग्नि में और जल में भी है अतः हिंसा करने से प्रभु की हिंसा का प्रसंग उपस्थित होता है, यह वात इस तरह कही गई है—

पृथिव्यामप्यहं पार्थ ! वायावग्नौ लेऽप्यहलेम् ।  
वनस्पतिगतश्चाहं, सर्वभूतगतोऽप्यहम् ॥

(भगवद्गीता ११.३४)

अर्थात् श्री कृष्ण अर्जुन को जो कहते हैं उससे स्पष्ट होता है कि उस काल में अहिंसा के बारे में सूक्ष्मता का विचार किया जाता था। प्रभु को अहिंसक व्यक्ति प्रिय था और प्रभु उसको सुरक्षित रखता है, ऐसा वचन निम्न पद्य में है—

यो मां सर्वगतं ज्ञात्वा, न च हिंसेत् कदाचन ।

तस्थाहं न प्रणश्यामि, न च मां स प्रणश्यति ॥

(भगवद्गीता ४ २७)

अर्थात् जो मानव मुझको सर्वत्र व्याप्त मानकर कदापि किसी की हिंसा नहीं करता है उसका मैं नाश नहीं करता हूँ क्योंकि वह मेरा नाश नहीं करता है।

जिस ग्रथ में अहिंसा के बारे में इतना सूक्ष्म विवरण मिलता है उसमें मांसभक्षण का निषेध भी किया गया है, यह बात सर्वथा समुचित है।

'अनुशासन पर्व' के ११५वें अध्याय में युधिष्ठिर और भीष्म के बीच जो वार्तालाप होता है उससे फलित होता है कि जो हिंसा का त्याग करता है वह रूप, आयुष्य, बुद्धि, सत्य, बल, स्मरण-शक्ति और अहीनअंगता प्राप्त करता है। जो व्यक्ति मद्य और मांस का सर्वथा त्याग करता है उसको प्रशसा सजर्षि आदि ऋषिगण करते हैं। जो व्यक्ति मांस का भक्षण नहीं करता है और अन्य के द्वारा हिंसा नहीं करवाता है वह प्राणियों का मित्र बनता है। ऐसा स्वयंभू मनु का वचन है। मांस भक्षण त्यागने वालों का कभी पराभव नहीं होता है और सज्जनों में वह मान्य होता है। मदिरा और मांस का त्याग करके मानव दान, यज्ञ और तपश्चर्या का फल प्राप्त कर सकता है। जो विद्वान प्राणीमात्र को अभय दान देता है वह प्राणदाता कहलाता है। मांस भक्षण का त्याग धर्म, स्वर्ग और सुख प्राप्त करने का श्रेष्ठ साधन है। कहा भी है—

अहिंसा परमो यज्ञस्तथाऽहिंसा परमं फलम् ।

अहिंसा परमं मित्रम्, अहिंसा परमं सुखम् ॥

(शांतिपर्व ११५ ३७)

'उद्योग पर्व' में विदुर और धृतराष्ट्र के बीच जो वार्तालाप होता है, उसमें भी विदुर के मुख से हमें मालूम होता है कि जीव एक नदी है, पुण्य एक घाट है, ब्रह्म उत्पत्ति स्थान है, धैर्य किनारा है और अहिंसा की जननी दया उस नदी में तरंग है।

इस तरह स्थान-स्थान पर अहिंसा को परम धर्म माना गया है फिर भी 'महाभारत' में महाभयानक हिंसा से प्रेरित युद्ध भी हुआ था। ऐसा क्यों हुआ ?

‘उद्योग पर्व’ से हम जानते हैं कि आगामी युद्ध अवश्यंभावी न हो, इसलिये विदुर का प्रयत्न निष्फल रहा। श्री कृष्ण ने भी हिंसा को रोकने के लिये यथा-शक्ति प्रयत्न किया। दुर्योधन की राजसभा में प्रविष्ट होकर उन्होंने कहा कि मैं धीर पुरुषों का संहार न हो, इसलिये उपदेश देने के हेतु यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। मैं आपके हित के लिए आया हूँ। कुरु वंश की विशिष्टता रही है कि उस वंश में जन्म लेने वाले सरलता, आनृशस्य, क्षमा और सत्य में सबसे अधिक है। इस वंश में जन्म लेने वाले दया के विरुद्ध वर्तन करे तो अनुचित होगा। पांडव तो मात्र पांच गाँव से भी सन्तुष्ट होंगे। यदि आप उपदेश से प्रतिकूल आचरण करेगे तो समग्र पृथ्वी का नाश होगा। युद्ध से तो भयानक विनाश होगा। इस तरह श्रीकृष्ण ने हिंसा रोकने के लिए भरसक प्रयत्न किया, फिर भी उसका कोई परिणाम निकला नहीं क्योंकि—

**जानामि धर्मं न च मे प्रवृत्तिः**

**जानामि अधर्मं न च मे निवृत्तिः ।**

अर्थात् दुर्योधन धर्म का स्वरूप मात्र जानता था उसका आचरण करने में असमर्थ था। यदि वह अधर्म से निवृत्त हो गया होता तो भीषण युद्ध की नौबत ही न आती।

‘महाभारत’ के अन्त में भीषण संग्राम हुआ तथापि ‘महाभारत’ का मुख्य रस वीर कदापि नहीं है। मुख्य रस शान्त रस है। ‘ध्वन्यालोक’ (चतुर्थ उद्योत) में आनन्दवर्धन ने स्पष्ट प्रतिपादन किया है कि सत्यं शान्तस्य एव रसस्य अंगित्वं महाभारते।’ क्योंकि इस महाकाव्य में अहिंसा आदि धर्म का प्रचार स्थान-स्थान पर देखने को मिलता है।

‘महाभारत’ के शांतिपर्व में अहिंसा का फल भी दर्शाया गया है—

सर्वजीवदयार्थं, तु च न हिंससि प्राणिनः ।

निश्चितं धर्मं संयुक्ता, से नराः स्वर्गं गमिः ॥

अर्थात् जो सर्व जीव की दया के हेतु प्राणियों की हिंसा नहीं करते हैं वे मानव धर्मयुक्त और पुण्यशाली बनकर स्वर्ग में स्थान प्राप्त करते हैं।

अन्य ग्रन्थों में भी अहिंसा के बारे में उत्कृष्ट विचार मिलते हैं।

‘इतिहास समुच्चय’ अध्याय २६ श्लोक १६७ में कहा गया है कि—

नास्ति अहिंसा परं पुण्यं, नास्त्यहिंसापरं सुखम् ।

नास्त्यहिंसापरं ज्ञानं, नास्त्यहिंसापरं दमः ॥

अर्थात् अहिंसा से उत्तम कोई पुण्य नहीं है। अहिंसा से उत्तम कोई सुख, ज्ञान और अन्य उत्तम इन्द्रिय-दमन भी नहीं है।

पुण्यवर्धन नृत्य कथा पत्रांक ८ श्लोक २०४ में कहा गया है कि—

लक्ष्मीः पाणितले तस्य, स्वर्गस्तस्य गृहाङ्गणे ।

कुरुते यो जनः सर्वजीवरक्षां सदा आदरान् ॥

अर्थात् जो मानव सदा आदरपूर्वक सर्व प्राणियों की रक्षा करता है, उसके हाथ में लक्ष्मी का वास है और उसके घर के आंगन में स्वर्ग है।

'पद्मपुराण' में भी कहा गया है कि—

अहिंसा परमो धर्मः हि, अहिंसा एव परं तपः ॥

अहिंसा परमं दानम्, इत्याहुः मुनयः सदाः ॥

(अ. ३१, श्लोक २७)

अर्थात् अहिंसा उत्तम धर्म है, वह ही उत्तम तप है, वह ही उत्तम दान है, यह मुनियों का कथन है।

श्री हेमचन्द्राचार्य विरचित 'योगशास्त्र' (२.२०) में कहा गया है कि—

आत्मवन् सर्वभूतेषु, सुखदुःखे प्रियाप्रिये ।

चिन्तयन्नात्ननोऽनिष्टां हिंसामन्यस्थ नाचरेत् ॥

अर्थात् अपनी तरह सब प्राणियों को सुख प्रिय है और दुःख अप्रिय है। इस तरह विचार रखते हुए बुद्धिमान को अपने को जो प्रिय नहीं है, ऐसी हिंसा का अन्य के प्रति आचरण न करना चाहिए।

हमारी सस्कृति के 'महाभारत' आदि कई संरक्षक ग्रंथ हैं उनमें वैरभाव मिटाने वाली अहिंसा का पद-पद पर उपदेश दिया गया है। पाच महाव्रतों में भी अहिंसा को स्थान मिला है। जैनधर्म में सूक्ष्मता से अहिंसा का विचार किया गया है और साधु एवं गृहस्थ के लिये अहिंसा का पालन आवश्यक है, ऐसा कह कर गुप्ति और समितियों का पालन करने का भी उपदेश दिया गया है।

साम्प्रत काल में भी अहिंसा का आचरण ही हमारे लिये कल्याणकारक होगा। यदि हम अहिंसा का अनादर करेंगे और हिंसा में प्रवृत्त होंगे तो हमने जो कुछ सिद्ध किया है उस सब का सर्वनाश हो जायेगा। हम सबमें और हमारे शासक वर्ग में सुमति का प्रसार होगा तो हमें शांति, समृद्धि और सुख मिलेगा। हम चाहते हैं कि हे प्रभु ! जगत् में कभी भी युद्ध न हो और सब हिलमिल कर रहें।

पुष्प सोसायटी, हील. ड्राइव, भावनगर (गुजरात)

जो जन अहिंसा-धर्म का पालन करेगा रीति से,

संसार सब गिर जायगा उसके पगों पर प्रीति से।

अति क्रूर भी उसके लिए अतिशय सरल हो जायगा,

उसके लिए मीठी सुधा के सम सरल हो जायगा।

जो व्यक्ति विधिवत् अहिंसा धर्म का पालन करेगा, सारा संसार उसके चरणों में नतमस्तक हो जायगा। बहुत ही निष्ठुर मनुष्य भी उसके लिए अत्यन्त सरल हो जायगा और विष उसके लिए अमृत हो जायगा।

—रामचरित





# विभिन्न धर्मों में अहिंसा का स्वरूप

□ डॉ० मंजुला बम्ब

विश्व के जितने भी धर्म, दर्शन और सम्प्रदाय हैं, उन सभी में अहिंसा के सम्बन्ध में चिन्तन किया गया है। चाहे वैदिक धर्म हो, बौद्ध धर्म हो, यहूदी, पारसी, ताओ, कन्फ्यूशियस, इसाई, इस्लाम, शिन्तो, सिख और जैनधर्म हो—सभी ने अहिंसा के महत्त्व को स्वीकार किया है। अहिंसा जीवन का एक सरस संगीत है। उसकी सुमधुर स्वर लहरियाँ जन-जन के जीवन को ही नहीं वरन् सम्पूर्ण प्राणी-जगत को आनन्द विभोर बना देती हैं। अहिंसा जीवन को सरसब्ज बनाने वाली एक महा सरिता है। जब वह सरिता मन, वचन और काया में इठलाती हुई, कल-कल, छल-छल करती हुई प्रवाहित होती है, तब मानव के जीवन में स्नेह-सद्भावना की हरियाली लहराने लगती है, अनुकम्पा के अंकुर फूटने लगते हैं, दया के सुरभित सुमन खिलने लगते हैं और विश्व-मैत्री के मधुर फल जन-जन के मन को परितृप्त करने लगते हैं। अहिंसा से जीवन रमणीय एवं मधुमय बनता है।

अहिंसा की विमल धारा प्रान्तवाद, भाषावाद, पंथवाद और सम्प्रदाय-वाद के क्षुद्र घेरे में कभी आबद्ध नहीं हुई है और न किसी व्यक्ति विशेष की निजी धरोहर ही रही है। वह विश्व का सर्वमान्य सिद्धान्त है, मानवता का उज्ज्वल पृष्ठ है। इसीलिए भगवान महावीर ने अहिंसा को भगवती कहा है—

“एसा सा भगवती”<sup>१</sup>

अहिंसा एक विराट शक्ति है। अनादि काल से मानव अपने जीवन के विविध पक्षों में उसका प्रयोग करता रहा है। मानव की कठिन से कठिनतम समस्याओं को अहिंसा ने सुलभाया है, उसके मार्ग को प्रशस्त किया है। अहिंसा वह अमोघ शक्ति है, जिसके सम्मुख ससार की सभी संहारक शक्तियाँ कुण्ठित हो जाती हैं। अहिंसा संस्कृति का प्राण है, धर्म और दर्शन का मूल आधार है। इसीलिए सभी मूर्धन्य मनीषियों ने अहिंसा की महत्ता और उपयोगिता को स्वीकार किया है, और उसके स्वरूप पर प्रकाश डाला है।

**वैदिक धर्म में अहिंसा :**

वैदिक परम्परा का आद्य स्रोत वेद है। वेद मन्त्र दृष्टा ऋषियों की वाणी का अद्भुत संकलन है। ऋषियों ने प्रार्थना के रूप में अहिंसा शब्द का

व्यवहार किया है<sup>१</sup>। ऋषि कहता है “हम अभिगमन (संगति) प्राप्त करें। मित्रभूत या मित्र के द्वारा दिखाये हुए मार्ग से हम गमन करें। अहिंसक मित्र का प्रिय सुख हमें घर में प्राप्त हो।<sup>२</sup>

अहिंसा अत्यन्त हितकारी है। वह सभी के साथ मैत्री सम्बन्ध सस्थापित करती है, आत्म-साम्य की विराट दृष्टि प्रदान करती है। ऋषि कहता है—  
“हे वरुण! यदि हम लोगों ने उस व्यक्ति के प्रति अपराध किया है जो हमें प्रेम करता था; यदि उसके प्रति कोई भूल हो गई है जो हमारा मित्र, साथी या पड़ोसी है; या किसी अज्ञात व्यक्ति के प्रति कोई घात किया हो तो हमारे अपराधों को क्षमा करो।<sup>३</sup> मानव के कर्तव्य पर प्रकाश डालते हुए ऋषि ने कहा—वह दूसरों की रक्षा करे।<sup>४</sup>

‘यजुर्वेद’ का ऋषि प्रार्थना के स्वर में कहता है—मैं सभी को मित्र के समान देखूँ। परस्पर सभी एक दूसरे को मित्र के समान देखे।<sup>५</sup> शान्ति की भावना को व्यापक बनाते हुए ऋषि कामना करता है—पृथ्वीलोक से लेकर द्युलोक, वनस्पतियाँ, और जितने भी देवता व ब्रह्म हैं, वे सभी को शान्ति प्रदान करें। विश्व ही पूर्ण रूप से शान्तिमय हो।<sup>६</sup>

अथर्ववेद में ऋषि कहते हैं—हम सभी एक साथ इस प्रकार प्रार्थना करें जिससे कि परस्पर सुमति और सद्भाव का प्रसार हो।<sup>७</sup> ‘भगवन्! आपकी अतीव कृपा से मैं सभी मानवों के प्रति, चाहे मैं उनसे परिचित हूँ अथवा नहीं, सद्भाव रखूँ।<sup>८</sup>

१. अहिंसन्ती—ऋग्वेद १०, १२, १३

अहिंसन्तीरमानया—अथर्ववेद ६, ८, १३

२. यन्नूनमश्या गति मित्रस्य याया पथा।

अस्य प्रियस्य शर्मण्यहिंसानस्य मश्चिरे ॥ ऋग्वेद ५, ६४, ३

३. अयं गय, वरुण, मित्र्य वा सखाय वा सद्मिद् आतर वा।

वेशं वा नित्यं वरुणारुण वा यत् सीमागश्यकृमा शिश्वथस्तत् ॥

—ऋग्वेद ५, ८५, ७

४. पुमान् पुमासं परियातु विश्वत ऋग्वेद ६, ७५, १४

५. मित्रस्याह चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे। मित्रस्य चक्षुषा समीक्षामहे ॥

—यजुर्वेद ३६, १८

६. द्यो शान्तिरन्तरिक्ष शान्तिः पृथ्वी

शान्तिराप. शान्तिरोषघय. शान्तिः।

वनस्पतयः शान्तिर्विश्वेदेवा. शान्ति—ब्रह्म शान्तिः सर्व शान्तिः शान्तिरेव

शान्तिः सा मा शान्तिरेधि—यजुर्वेद ३६, १७

७. “तत्कृणो ब्रह्म वो गृहे सज्जानं पुरुषेभ्यः।”—अथर्ववेद ३, ३०, ४

८. याश्च पञ्चामि याश्च न तेषु मा सुमतिं कृधि।”—अथर्ववेद १७, १, ७

इस प्रकार स्पष्ट है कि वेदयुग में ऋषियों की वाणी में अहिंसा की स्वर लहरियाँ भनभना रही है। मानव मात्र तक ही नहीं, उसकी अहिंसा की विराट भावनाएँ सभी प्राणियों के प्रति व्यक्त हुई हैं। मैत्री भावना का विकास उत्तरोत्तर व्यापक होता गया है। अहिंसा और मैत्री ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं।

वेदों के पश्चात् उपनिषद् साहित्य का निर्माण हुआ। वेदों में जिन विषयों पर विचार-चर्चाएँ नहीं हो सकी या संक्षेप में चर्चाएँ हुईं उनकी चर्चाएँ और विस्तार उपनिषदों में प्राप्त होते हैं। 'छान्दोग्योपनिषद्' में ऋषि ने कहा—“जो आत्मा वेदों का अध्ययन करता है, सम्पूर्ण इन्द्रियों को अपने अन्तःकरण में स्थापित करता है, शास्त्र की आज्ञा को धारण करता हुआ अन्य प्राणियों की हिंसा नहीं करता है, आयु की परिसमाप्ति तक इस प्रकार आचरण करता है, वह ब्रह्म लोक को प्राप्त होता है, वह पुनः कभी ससार में नहीं लौटता।”

'प्राणाग्निहोत्रोपनिषद्'<sup>२</sup> और 'आरुणिकोपनिषद्'<sup>३</sup> में अहिंसा, दया, शांति आदि सद्गुण अग्निहोत्र करने वाले व्यक्ति की पत्नी की कमी की पूर्ति करते हैं। ये सद्गुण जिस व्यक्ति में अंगड़ाइयाँ ले रहे हो और यदि उसकी पत्नी नहीं हो तथापि वह यज्ञ कर सकता है। उन्होंने अहिंसा को यज्ञ का इष्ट कहा है। अहिंसा व्रत की परिपूर्णता के लिए ही यज्ञ आदि किये जाते हैं।

इस प्रकार उपनिषदों में भी यत्र-तत्र अहिंसा के स्वर मुखरित हुए हैं। उन्होंने अहिंसा को महत्त्व प्रदान किया है। आत्म-दर्शन के लिए अहिंसा को अति आवश्यक अंग माना है तथा स्पष्ट कहा है—यदि मन में, वचन में और कर्म में हिंसा की ज्वालाएँ धधकती रहेंगी तो आत्म-दर्शन सम्भव नहीं है।

उपनिषदों के पश्चात् 'स्मृति' साहित्य आता है। स्मृतियों में 'मनुस्मृति' का स्थान मूर्धन्य है। 'मनुस्मृति' में हिंसा-अहिंसा के सम्बन्ध में विस्तार से विश्लेषण किया गया है। यह पूर्ण सत्य है कि 'मनुस्मृति' वैदिक विधानों पर विस्तार से चिन्तन करती रही है।

१. तद्वैतद् ब्रह्मा, प्रजापतय उवाच प्रजापतिर्भनवेमनुः प्रजाभ्यः आचार्यकुला ।  
द्वेदमधीत्य यथाविधानं गुरोः कर्मातिरोणामिसमावृत्य कुटुम्बे शुचौ  
देशे स्वध्यायमधीयानो धर्मिकान्विदधदात्मनि सर्वेन्द्रियाणि सम्प्रतिष्ठाप्या—  
—हिसन्सर्वभूतान्यन्यत्र तीर्थेभ्यः स खल्वेव । वर्तयन्वावदायुषं  
ब्रह्मलोकमामिसम्पद्यते न च पुनरावर्तते ॥ छान्दो० ८० ८, १५, १

२. स्मृतिर्दया क्षान्तिरहिंसा पत्नी संजायः । — प्राणाग्निहोत्रोपनिषद्, खण्ड ४

३. ब्रह्मचर्यमहिंसा चापरिग्रह च सत्य च यत्नेन  
हे रक्षतो हे रक्षतो हे रक्षत इति ॥ ३ ॥

—आरुणिकोपनिषद्

‘मनु स्मृति’ में स्पष्ट कहा गया है—“जो कार्य तुम्हें पसन्द नहीं है, वह कार्य दूसरों के लिए कभी न करो”<sup>१</sup> जो किसी भी प्राणी को कष्ट नहीं पहुँचाता, उसे बिना प्रयास के ही मनचाहा धर्म उपलब्ध हो सकता है।

वैदिक परम्परा में अश्वमेध यज्ञ का अत्यधिक महत्त्व रहा है। आचार्य मनु ने कहा—“एक व्यक्ति सौ वर्षों तक अश्वमेध यज्ञ करता है, दूसरा व्यक्ति मास नहीं खाता है। वे दोनों ही समान पुण्य के भागी हैं।”<sup>२</sup> अहिंसा, सत्य, अस्तेय, पवित्रता और इन्द्रिय-निग्रह ये ऐसे धर्म हैं जो चारों वर्णों के लिए आवश्यक हैं।<sup>३</sup>

ऐतिहासिक दृष्टि से स्मृति साहित्य के पश्चात् ‘सूत्र’ साहित्य का स्थान है। सूत्रों में अन्य चर्चाएँ विस्तार के साथ की गई हैं किन्तु अहिंसा पर विशेष चर्चा नहीं हुई है। गौतम ऋषि ने सभी जीवों पर दया करना, सहिष्णुता, अक्रोध, पवित्रता, शांति, अलोभ आदि आठ आत्मिक गुण बताये हैं, और कहा है कि—जो इन गुणों को धारण करता है वह ब्रह्मा को प्राप्त होता है या उसे स्वर्ग की उपलब्धि होती है।<sup>४</sup>

### महाकाव्यों में अहिंसा :

सूत्र साहित्य के पश्चात् काव्य की दृष्टि से संस्कृत साहित्य में वाल्मीकि रामायण में मर्यादा पुरुषोत्तम राम का पवित्र चरित्र अंकित है। उस चरित्र के माध्यम से उन्होंने जीवन के विकास के लिए सद्गुणों का उल्लेख किया है। उन्होंने अहिंसा, सत्य, आत्मसंयम, दया, सहिष्णुता, क्षमा, आतिथ्य, शत्रुओं की सहायता, मन-वचन-कर्म की शुद्धि आदि पर अत्यधिक बल दिया है।<sup>५</sup> सामाजिक दृष्टि से अहिंसा पर चिन्तन करते हुए लिखा है—राजा, स्त्री, बालक, वृद्ध और शरणागत की रक्षा करनी चाहिये। उनका वध करना बहुत बड़ा पाप है।<sup>६</sup> इस ग्रन्थ में अहिंसा की चर्चा सीधे रूप से न करके पात्रों के गुणों का उत्कीर्तन करते हुए की गई है।

१ आत्मनः प्रतिकूलानि परेषा न समाचरेत्

—मनुस्मृति

२ वर्षे वर्षेऽश्वमेधेन यो यजेत शत समाः ।

मासानि च न खादेद्यस्तयोः पुण्यफलम् समम् ॥ मनुस्मृति अ. २, १५८

३ अहिंसासत्यमस्तेयं शौचमिन्द्रियनिग्रहः ।

एत सामासिकं वर्मं चतुर्वर्षेऽन्नवीन्मनुः ॥ मनुस्मृति अ० १०, ६३

४ गौतम धर्मसूत्र, ७०, २२-२५

५ वा० रा० २, १०६, ३१, ६, ११३, ४३-४४, ६, १८-२७-२८

६ राजस्त्री बाल वृद्धानां वधे यत्पापमुच्यते ।

भृव्यव्यागे च यत्पापं तत्पापं प्रतिपद्यताम् ॥ वा० रा० २, ७५, ३७

रामायण के बाद महाभारत का युग आरम्भ होता है। महाभारत वेदव्यास की अद्भुत कृति है। ऐतिहासिक दृष्टि से उसका महत्त्व अत्यधिक है। महाभारत में पांडव-कौरवों की कथा के माध्यम से मानव-जीवन की दैवी और आसुरी प्रवृत्तियों का चित्रण हुआ है। यत्र-तत्र अहिंसा का महत्त्व प्रतिपादित किया गया है। अहिंसा की विराट भावना का महत्त्व बताते हुए वेदव्यास ने कहा—धर्म और अर्थ दोनों ही, पुरुषार्थों से अहिंसा उच्च कोटि की है।

इस प्रकार महाभारत में अहिंसा धर्म का स्पष्ट प्रतिपादन हुआ है। व्यास ने एक स्वर से अहिंसा की महत्ता को स्वीकार किया है। उनका यह वज्र आघोष रहा कि अहिंसा ही एक मात्र महान् धर्म है।

### गीता में अहिंसा :

‘श्रीमद्भगवद्गीता’ महाभारत के ‘भीष्मपर्व’ का एक अंश है। कुरुक्षेत्र के मैदान में वीर अर्जुन को—श्रीकृष्ण ने जो उद्बोधन दिया वही प्रेरणादायी सदेश गीता में है। ज्ञान, भक्ति और कर्म-मार्ग का सुन्दर विवेचन इस ग्रन्थ-रत्न में हुआ है। कर्म-मार्ग का निरूपण करते हुए श्रीकृष्ण ने कहा—तप के विभिन्न प्रकार हैं। देवता, ब्राह्मण, गुरु और जानीजनों की पूजा, पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य, अहिंसा आदि ये शारीरिक तप हैं। इसके विपरीत हिसायुक्त प्रवृत्ति-तामसी और राजसी प्रवृत्तियाँ हैं।<sup>१</sup>

श्री कृष्ण का यह दृढ मन्तव्य था कि अहिंसा, समता, सन्तोष, दान आदि जितने भी सुकर्म हैं, वे सभी मेरे से ही उत्पन्न हुए हैं।

### पुराण साहित्य में अहिंसा :

‘श्रीमद्भगवद् गीता’ के पश्चात् पुराण-साहित्य की गणना की जाती है। पुराण साहित्य में अहिंसा का विवेचन यत्र-तत्र हुआ है। ‘वायु पुराण’ का मन्तव्य है—मन, वाणी और कर्म से सभी जीवों के प्रति अहिंसा का पालन करना चाहिए।<sup>२</sup> ‘विष्णु पुराण’ में कहा है—हिंसा अधर्म की स्त्री है। वह सभी पातकों की जड़ है। उसका पुत्र भूठ और पुत्री निकृति (दुष्कर्म) है, इनसे नरक का भय रहता है, अर्थात् ये तीनों नरक में ले जाने वाले हैं। ‘अग्नि-पुराण’ में भी कहा गया है—अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह ये पाँचो यम-मुक्ति और भुक्ति दोनों प्रदान करने वाले हैं।

‘मत्स्य-पुराण’ का मन्तव्य है कि अहिंसा मुनिव्रतों में से एक है। चार वेदों के गम्भीर अध्ययन से या सत्य भाषण से जितना पुण्य होता है उससे कई गुना अधिक पुण्य अहिंसा-व्रत के पालन से होता है। ब्रह्मपुराणकार का

१ दिय द्विज गुरु प्राज्ञपूजन शौचमार्जवम् ।

ब्रह्मचर्यमहिमा च शरीरं तप उच्यते—गीता १७, १४, अ० १८ देखिये

२ अहिंसा सर्वभूताना कर्मणामनसा गिरा

—वायुपुराण पूर्वार्द्ध अ० १८, १३

अभिमत है—जो मन से भी किसी भी प्राणी की हिंसा नहीं करता है वह स्वर्ग-गामी होता है। 'नारद-पुराण' में कहा है—वे ही सत्य वचन है जिनसे किसी का विरोध न हो, किसी भी प्राणी को कष्ट न पहुँचे। यही अहिंसा का रूप है। इसी अहिंसा की निर्मल भावना से सम्पूर्ण कामनाएँ पूर्ण होती हैं।

'नारदपुराण' में अहिंसा की गणना 'यमो' में सर्व प्रथम की गई है। 'शिवपुराण' में अहिंसा को पुण्य कर्म में तथा हिंसा की परिगणना पाप कर्म में की है। जो व्यक्ति पाप कर्मों में रत है वह नरक गामी है। 'बृहद्धर्मपुराण' में श्रद्धा, अतिथि सेवा, सबसे आत्मीयतापूर्ण सद्व्यवहार, आत्मशुद्धि ये सभी अहिंसा की पृथक्-पृथक् विधिधर्म हैं। 'कूर्म पुराण' में भी अहिंसा प्रियवचन अपिशुनता आदि गुणों को चारों वर्णों के लिए उपादेय माना है। 'भगवत् पुराण' में महर्षि नारद ने धर्मराज से कहा—धर्म के बीस लक्षण हैं उनमें अहिंसा प्रमुख है।<sup>१</sup>

इस प्रकार पुराण साहित्य में अहिंसा का वर्णन स्थान-स्थान पर किया गया है। पुराणों में अहिंसा को केवल संन्यासी या ब्राह्मण वर्ण तक ही सीमित न रखकर स्पष्ट निर्देश किया गया है कि अहिंसा का पालन चारों वर्ण वालों को यथाशक्ति अवश्य करना चाहिए। अहिंसा का पालन सभी के लिए आवश्यक है। यह जीवन को निखारने का अपूर्व साधन है।

## बौद्धधर्म में अहिंसा

बौद्ध धर्म भारत का एक प्रमुख धर्म रहा है। भारत की पवित्र भूमि में जन्म लेकर विश्व के विविध अचलों में इस धर्म ने अपना प्रभाव दिखाया।

बौद्ध धर्म में अहिंसा की प्रधानता रही। इस धर्म के प्रसिद्ध एवं मान्य ग्रन्थों में अहिंसा की प्रेरणा दी गई है कि मन, वचन और कर्म से अन्य प्राणियों को कष्ट न दिया जाय। अहिंसा का पथिक न स्वयं किसी को कष्ट देता है, और न अन्य किसी को कष्ट देने के लिये उत्प्रेरित करता है।<sup>२</sup> स्थूल जीवों की ही बात नहीं, वह पेड़-पौधों को भी कष्ट नहीं पहुँचाता।<sup>३</sup>

भिक्षुओं को उपदेश देते हुए बुद्ध ने तीन प्रकार के शील पर प्रकाश डाला और कहा—आरभिक, मध्यम और महा ये तीन शील हैं, जो सभी भिक्षुओं

१. अहिंसा ब्रह्मचर्य च त्यागः स्वाध्याय आर्जवम् ।

त्रिशल्लक्षणवान् राजन्सर्वात्म येन तुष्यति ॥

भागवतपुराण, प्रथम खंड, स्कन्ध ६, अ० ११०, ८-१२

२. धम्मपद, २५, ६-१०

३. विनयपिटक अनु, राहुल साकृत्यायन, पृ. २०६

के लिए आवश्यक है। इन शीलों में अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, सत्य तथा नशीले पदार्थों का परित्याग समाविष्ट है। बुद्ध ने मैत्री भावना, करुणा भावना, मुदिता भावना और उपेक्षा भावना पर बल दिया है। इन भावनाओं में अहिंसा की निर्मल विचार लहरियाँ तरंगित हो रही हैं।

‘सयुक्तनिकाय’ में राजा प्रसेनजित से बुद्ध ने कहा—राजन् ! अपने मन को सभी दिशाओं में घुमाओ। तुम्हें अपने से प्यारा अन्य कोई भी प्राणी नहीं मिलेगा। जैसे तुम्हें अपना जीवन प्रिय है, वैसे ही दूसरों को अपना जीवन प्रिय है अतः कभी भी दूसरों को न सताओ। विश्व के समस्त प्राणियों के साथ असीम मैत्री भावना बढाई जाय। तुम सदा मन में यही भावना भाओ कि विश्व के सभी प्राणी सुखी हों। जिसके अन्तर्मानस में प्राणियों के प्रति दया नहीं है, उसे वृषल यानी शूद्र (सही शब्दों में वृष=धर्म, ल=लोप करने वाला=धर्म का लोप करने वाला, धर्म का पालन न करने वाला) समझना चाहिये। जैसा मैं हूँ वैसे ही विश्व के प्राणी हैं और जैसे वे सभी प्राणी हैं उसी प्रकार मैं भी हूँ। इस प्रकार अपने समान सभी प्राणियों को समझकर न किनी का वध करे न दूसरे से वध कराये। क्योंकि मारने वाले को मारने वाला मिलता है और जीतने वाले को जीतने वाला।<sup>१</sup> पहले विश्व में तीन ही रोग थे—इच्छा, भूख और जरा, किन्तु पशुवध प्रारम्भ होने पर अठानवे नये रोग पैदा हो गये।<sup>२</sup>

बुद्ध ने हिंसापरक यज्ञ को अनुचित कहा। जब राजा प्रसेनजित हिंसापरक यज्ञ करने के लिए तत्पर हुए और तथागत बुद्ध को यह वृत्त परिज्ञात हुआ तो उन्होंने राजा से कहा—राजन् ! यज्ञ में हिंसा करने के फल अच्छे नहीं होते। यदि तुम्हें यज्ञ करना है, तो ऐसा यज्ञ करो जिसमें भेड़, बकरी और गायें न कटती हों। ऐसा यज्ञ ही सुमार्ग पर ले जाने वाला है।

‘सुत्त निपात’ में बुद्ध ने कहा—जंगम या स्थावर, दीर्घ या ह्रस्व, अणु या स्थूल, दृष्ट या अदृष्ट, दूरस्थ या निकटस्थ, उत्पन्न या उत्पद्यमान जितने भी प्राणी हैं वे सभी मुखपूर्वक, रहे। वे किसी के साथ वचना न करे, न किसी का अपमान करे। वे सभी प्राणियों को उसी प्रकार देखे जैसे माता अपने इकलौते पुत्र को देखती है।

बुद्ध का जीवन एक महा कारुणिक जीवन था। दीन-दुःखियों को देखकर उनका हृदय दया से द्रवित हो जाता था। उन्होंने सामाजिक, राजनैतिक जीवन में ऐसे अनेक उदाहरण प्रस्तुत किये जिनमें अहिंसात्मक प्रतिकार रहे हैं। उनके अहिंसात्मक प्रतिकार से हजारों प्राणियों के वहते हुए खून रुक गये। बुद्ध ने हिंसा का निषेध कर अहिंसा की प्रतिष्ठा की।

१ हन्ता लभति हन्तार, जेतार लभते जय ॥ सयुक्तनिकाय १, ३, १५

२ तयो रोगा पुरे आमुं, इच्छा-अनमनं जरा।

पन्न च नमारभा, अट्ठानवुति भागमु ॥ सुत्तनिपात, २, १६, २८

### यहूदी धर्म में अहिंसा :

यहूदी धर्म विश्व के प्रमुख धर्मों में से एक है। उसका मन्तव्य है—किसी व्यक्ति के आत्म-सम्मान को चोट न पहुँचाओ। किसी के सामने किसी व्यक्ति को अपमानित न करो। उसका अपमान करना उतना ही महान्-पाप है जितना कि किसी व्यक्ति का खून करना। वह व्यक्ति दुष्ट कहलाएगा जो किसी व्यक्ति को मारने के लिए हाथ उठाता है, शक्ति के अभाव में भले ही वह न मारे। यदि तुम्हारा कोई शत्रु तुम्हें मारने के लिए तुम्हारे घर आए और यदि वह भूखा-प्यासा है तो तुम्हारा प्रथम कर्त्तव्य है कि तुम उसे भोजन कराओ और पानी पिलाओ।

बन्धुत्व भाव को विकसित करने के लिए कहा है—बन्धुत्व का प्रेम जाति और धर्म की सीमाओं से ऊपर है। और पड़ोसी से प्यार करो। उनके प्रति तुम्हारे मन में किसी भी प्रकार की घृणा की भावना न रहे। उनसे ईर्ष्या न करो। उनसे घृणा करना ईश्वर से घृणा करने के समान है। अपने पड़ोसियों के साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसा तुम अपने प्रति चाहते हो। अपने साथियों की सेवा करना यह एक प्रकार का सुकर्म है, सुकृति है।

यहूदी धर्म ने मानवता पर बल दिया है। मानवता को विकसित करने के लिए ईमानदारी, ब्रह्मचर्य, सत्य, भक्ति प्रभृति सद्गुणों पर उनके अधिक बल दिया। दया और प्रेम को उन्होंने ईश्वर माना। क्रोध, विलास, अन्याय आदि दुर्गुणों को नष्ट करने की प्रेरणा दी।

### पारसी धर्म में अहिंसा :

पारसी धर्म के प्रवर्तक जरथुष्ट्र थे। उनका प्रमुख ग्रन्थ 'अवेस्ता' है। उनके अभिमतानुसार प्रत्येक व्यक्ति के तीन कर्त्तव्य हैं—

- (१) अपने शत्रु को मित्र बनाना।
- (२) दानव को मानव बनाना।
- (३) अज्ञानी को ज्ञानी बनाना।

यह निर्विवाद सत्य है कि अहिंसा के द्वारा ही शत्रु को स्नेह-सद्भावना के आधार पर मित्र बनाया जा सकता है। यदि शत्रु के प्रति मन में दुर्भावनाये होगी, उसके प्रति हिंसापरक व्यवहार होगा तो उसके अन्तर्मानस में मित्रता की हरियाली नहीं लहराएगी। अहिंसा से ही सद्भाव की वृद्धि होगी। सदा-सर्वदा मन में सद्चिन्तारो के दीपक प्रकाशित रखो। पारसी धर्म ने दानादि सद्गुणों पर अत्यधिक बल दिया है जो अहिंसा का ही विधेयात्मक पक्ष है।

### ताओ धर्म में अहिंसा :

ताओ धर्म के प्रवर्तक लाओत्से थे। वे जिस समय पैदा हुये उस समय चीन में राजनीतिक स्थिति अत्यन्त विपन्न थी। सामाजिक जनजीवन में



भ्रष्टाचार पनप रहा था। सामाजिक और राजनैतिक विकृत स्थिति को देखकर लाओत्से ने चीन छोड़ने का निश्चय किया, किन्तु चीनवासियों की प्रेरणा से उन्होंने, अपना विचार स्थगित कर 'ताओ-नेह-किंग' नामक ग्रन्थ लिखा। इस ग्रन्थ में उन्होंने जीवन में सरलता पर अत्यधिक बल दिया। साथ ही उन्होंने इस बात पर भी अधिक बल दिया कि हिंसा से उत्पन्न घाव पर स्नेह का मरहम और दया की पट्टी लगाओ।

### ईसाई धर्म में अहिंसा :

ईसाई धर्म के प्रवर्तक महात्मा ईसा थे। वर्तमान युग में विश्व के विविध अंचलों में यह धर्म फैला हुआ है। ईसा ने कहा—तुम अपनी तलवार म्यान में रख लो, क्योंकि जो लोग तलवार चलाते हैं वे सभी तलवार से ही नष्ट किए जायेंगे। किसी के साथ भी दुर्व्यवहार न करो। तुम्हारे गाल पर कोई तमाचा मारता है तो दूसरा गाल भी उसके सामने कर दो।

'जैसा को तैसा', 'आँख के बदले आँख', 'दाँत के बदले दाँत' और 'सिर के बदले सिर' लेने के सिद्धान्त से समस्या का सही समाधान नहीं हो सकता। इससे शान्ति प्राप्त नहीं होती। उस पर तुम स्नेह की वर्षा करो और इस प्रकार की प्रशस्त भावना करो कि उसके विचारों में परिवर्तन आ जाये।

ईसा ने ईश्वर को प्रेम के रूप में चित्रित किया। वस्तुतः प्रेम ही ईश्वर है, वही अहिंसा है। जिसके हृदय में दया का साम्राज्य नहीं है, उसका ज्ञान शुष्क ज्ञान है। ईसा ने प्रेम, करुणा, सेवा आदि सद्गुणों को जीवन के लिए आवश्यक माना है। इस तरह ईसाई धर्म में अहिंसा की भावनाएँ मानव-सेवा और प्रेम के रूप में विकसित हुई हैं।

### इस्लाम धर्म में अहिंसा :

इस्लाम धर्म का मुख्य केन्द्र अरब रहा है। इस धर्म का मन्तव्य है कि खुदा सारे जगत का पिता है और जगत में जितने भी प्राणी हैं; वे सभी खुदा के ही बन्दे और पुत्र हैं। 'कुरान शरीफ' के प्रारम्भ में अल्ला ताला का विशेषण "त्रिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम" है जिसका अर्थ है—खुदा दयामय है। खुदा के मन के कण-कण में दया का निवास है।

मुहम्मद साहब के उत्तराधिकारी हजरत अली ने मानवों को सम्बोधित कर उपदेश देते हुए कहा—हे मानव तू! पशु-पक्षियों की कब्र अपने पेट में मत बना। अर्थात् तू मांस का भक्षण न कर।

उपर्युक्त कथन से यह स्पष्ट है कि इस्लाम धर्म में भी अहिंसा को प्रधानता दी गई तथा मदिरापान, ईर्ष्या, लालच, असत्य, कृपणता, अभिमान, हिंसा, युद्ध आदि को त्याज्य बताया है। ये जीवन को विकृत करने वाले दुर्गुण हैं। 'कुरान शरीफ' में जहाँ-तहाँ भ्रानृत्व, दान, क्षमा, मैत्री, दया, प्रेम, कृपा,

संयम आदि सद्गुणों के ग्रहण करने पर बल दिया गया है। ये सद्गुण जीवन को विकसित करते हैं। इन सद्गुणों को धारण करने से जीवन में अहिंसा का पवित्र आचरण करने की भव्य भावना लहराने लगती है। इससे स्पष्ट है कि इस्लाम धर्म में भी अहिंसा की भावनाएँ विकसित होती रही हैं।

### सूफी सम्प्रदाय में अहिंसा :

इस्लाम धर्म के अन्तर्गत ही सूफी सम्प्रदाय भी विकसित हुआ। सूफियों का मानना है कि मुहम्मद साहब को दो प्रकार के ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त हुए थे। एक ज्ञान को तो उन्होंने कुरान के द्वारा व्यक्त किया और दूसरा ज्ञान उन्होंने अपने हृदय में धारण किया। कुरान का ज्ञान विश्व के सभी व्यक्तियों के लिए प्रसारित किया गया जिससे वे सद्ज्ञान के द्वारा अपने जीवन को पावन बनावे। पर दूसरा ज्ञान उन्होंने कुछ प्रमुख शिष्यों को ही प्रदान किया। वह ज्ञान अत्यन्त रहस्यमय था। वह रहस्यमय ज्ञान ही सूफी कहलाया है। किताबी ज्ञान जो कुरान का ज्ञान था वह 'इल्म-ई-साफिन' और हार्दिक ज्ञान "इल्म-ई-सिन" कहलाया।

सूफी दर्शन का रहस्य है—परमात्मा सम्बन्धी सत्य का परिज्ञान करना। परमात्म-तत्त्व की उपलब्धि के लिए सांसारिक वस्तुओं का परित्याग करना। सूफी सम्प्रदाय में प्रेम के आधिक्य पर बल दिया गया है। वे परमात्मा को प्रियतम मानकर सांसारिक प्रेम के माध्यम से प्रियतम के सन्निकट पहुँचना चाहते हैं। मानवीय प्रेम ही आध्यात्मिक प्रेम का साधन है, प्रेम परमात्मा का सार है। ईश्वर की अर्चना करने का प्रेम ही सर्वश्रेष्ठ और सर्वोत्कृष्ट रूप है।

### शिन्तो धर्म में अहिंसा :

यह जापान का मुख्य धर्म है। जापान में शिन्तो धर्म का जन्म प्रादुर्भाव हुआ उस समय तक अन्य धर्म का आगमन नहीं हुआ था। 'शिन्तो' वस्तुतः चीनी शब्द है जिसका जापानी नाम 'कामी नो मीची' है जिसका तात्पर्य है 'श्रेष्ठ जन तक ले जाने वाला मार्ग'।

शिन्तो धर्म के मुख्य सिद्धान्तों में पितृजन के प्रति कृतज्ञता प्रदर्शित की गयी है। उनका मन्तव्य है—अपने पितृजन के प्रति अपनी कृतज्ञता को न भूलो, यह भी न भूलो कि संसार एक परिवार है। दूसरों के क्रुद्ध हो जाने पर भी तुम स्वयं क्रुद्ध न बनो। कार्य करने में आलस्य न करो। देवों के उदार सद्गुणों को विस्मृत न करो। इस प्रकार इस धर्म में "वसुधैव कुटुम्बकम्" की निर्मल भावना के रूप में अहिंसा का प्रतिपादन हुआ है।

### सिख-धर्म में अहिंसा :

सिख धर्म का उद्भव भारत में हुआ। भारत के प्राचीन धर्म से अनेक विशेषताएँ ग्रहण कर गुरु नानक ने नवीन धर्म की संर

सिक्ख धर्म में कर्म मार्ग, योग मार्ग, ज्ञान-मार्ग और भक्ति मार्ग इन चार मार्गों का प्रतिपादन किया गया है।

अहिंसा के सिद्धान्त को महत्त्व देते हुए गुरु नानक ने कहा—जो सबकी भलाई करता है वही महान् है। सभी की भलाई बिना अहिंसा सिद्धान्त को अपनाना सम्भव नहीं है। अहिंसा की निर्मल भावना से प्रेम-भाव की वृद्धि होती है। बिना प्रेम के प्रभु प्राप्त नहीं हो सकता।

‘गुरुग्रन्थ साहब’ में कहा है—रक्त लग जाने से वस्त्र पर दाग लग जाता है, वैसे ही रक्तयुक्त मांस खाने से मन मैला हो जाता है। इसलिए मांस ग्रहण करना दोषपूर्ण है।

सिक्ख धर्म में सात्त्विक भोजन पर बल दिया गया है। सिक्ख धर्म ने अन्याय को सहन करना हिंसा माना है इसलिए उसके प्रतिकार के लिए वे सतत तैयार रहे। उनकी युद्ध की भावना अन्याय के प्रतिकार के लिए थी। वे युद्ध के लिए युद्ध करना नहीं चाहते थे।

### जैन धर्म में अहिंसा :

जैन धर्म में अहिंसा का बहुत ही सूक्ष्म विवेचन किया गया है। हमने पूर्व पृष्ठों में देखा कि जितने भी धर्म, दर्शन और सम्प्रदाय हैं, उन सभी ने अहिंसा पर चिन्तन किया, किन्तु जब हम गहराई से अध्ययन करते हैं तो सहज ही ज्ञात होता है कि अहिंसा का जैसा सूक्ष्म विश्लेषण जैन साहित्य में उपलब्ध होता है वैसे अन्य साहित्य में प्राप्त नहीं होता। जैन धर्म के प्रत्येक क्रिया-कलाप में अहिंसा की दिव्य ध्वनि मुखरित हो रही है। चाहे चलना हो, चाहे बोलना हो, सभी में अहिंसा का नाद गूज रहा है।<sup>१</sup> अहिंसा केवल धार्मिक व्यवहार में ही नहीं; जीवन के प्रत्येक व्यवहार में व आचरण में आनी चाहिए। जैन-धर्म का मूल आधार ही अहिंसा है। श्रमण भगवान महावीर ने कहा है—जैसे जीवों का आधार पृथ्वी है वैसे ही भूत और भावी ज्ञानियों के जीवन दर्शन का आधार अहिंसा है।

हिंसा कभी भी धर्म नहीं हो सकती। इस विराट विश्व में जितने भी प्राणी हैं वे चाहे छोटे हों या बड़े हों, पशु हो या मानव हों, सभी की एक ही कामना है और वह है जीवित रहने की। सभी जीवित रहना चाहते हैं, कोई भी मरना नहीं चाहता। जिस हिंसक व्यवहार को तुम अपने लिए पसन्द नहीं करते, उस व्यवहार को दूसरा किस प्रकार पसन्द करेगा? जिस दयामय व्यवहार को तुम पसन्द करते हो, उसे सभी पसन्द करते हैं। यही जिनशासन का सार है। किसी के प्राणों का नाश करना कभी भी धर्म नहीं हो सकता।

१. जय चरे जय चिट्ठे, जयमासे जय सये।

जय नु जनों, नामतो, पावकम्म न वचई ॥

त्रस, स्थावर, सभी प्राणियों का मंगल करने वाली अहिंसा है। शत्रु और मित्र सभी प्राणियों पर समभाव की दृष्टि रखना ही अहिंसा है। सभी प्राणियों के प्रति आत्म-तुल्य भाव रखो। किसी भी प्राणी की हिंसा न करना ही ज्ञानी होने का सार है। क्योंकि सभी के अन्तर में एक सदृश आत्मा है। जैसे हमे अपने प्राण प्यारे है, वैसे ही सभी को अपने प्राण प्यारे है, ऐसा समझकर भय और वैर से मुक्त होकर किसी-भी प्राणी की हिंसा न करो। जो स्वयं हिंसा करता है, दूसरो से करवाता है या करने की प्रेरणा देता है वह अपने लिए वैर ही बढ़ाता है। अतः प्राणियों के प्रति वैसा ही स्नेह भाव रखो जैसा कि अपनी आत्मा के प्रति रखते हो। अहिंसा का मूल आधार समता है। समता से आत्म-साम्य की निर्मल दृष्टि प्राप्त होती है।

अहिंसा को भगवान महावीर ने सभी जीवों के लिए कल्याणप्रद माना। अतः उन्होंने कहा—जिसे तू मारना चाहता है वह तेरे समान ही है, जिसे तू आज्ञा देने की इच्छा करता है वह भी तेरे समान ही है, जिसे तू कष्ट देना चाहता है वह भी तेरे ही समान है; अतः तू किसी भी प्राणी को न सता, न मार, न किसी को प्रताड़ना प्रदान कर और न किसी को आकुल-व्याकुल ही कर। हिंसा के अभाव का सूचक अहिंसा है। अहिंसा का अर्थ है हिंसा का न होना, हिंसा की भावनाओं और हिंसाजन्य क्रियाओं का अभाव होना।

‘आवश्यक हारिभद्रीयावृत्ति’ में भगवान महावीर और गणधर गौतम का सुन्दर सवाद है। गौतम ने भगवान महावीर से विनम्र स्वर में पूछा— भगवन ! दो व्यक्ति है; एक आपकी सेवा करता है और दूसरा दीन-दुःखियों की सेवा करता है। भगवन ! आपकी दृष्टि से महान् कौन है ? समाधान करते हुए भगवान महावीर ने कहा - गौतम ! मेरी सेवा करने वाले की अपेक्षा दीन-दुःखियों की सेवा करने वाले को मैं कहीं अधिक श्रेष्ठ समझता हूँ। वे मेरे सच्चे भक्त नहीं हैं जो केवल नाम ही जपते हैं। मेरे सच्चे भक्त वे जो मेरी आज्ञा का पालन करते हैं।

३, रामसिंह रोड,  
जयपुर-4

### अहिंसा की शक्ति

शक्ति अहिंसा की पत्थर के, दिल पिघला सकती है।  
कट्टर दुश्मन को भी अपना, दोस्त बना सकती है ॥  
कभी किसी का दिल न दुखार्ये, करे सभी से प्यार।  
अपने दुश्मन के प्रति भी हम, रक्खे शुद्ध विचार ॥

—श्री निरंकारदेव सेवक



## सभी धर्मों का मूल—अहिंसा

□ कुमारी शकुन्तला जैन

विश्व का सर्वश्रेष्ठ धर्म, मानवता की पवित्र धरोहर और जैन धर्म का आभूषण अहिंसा है। 'सर्वभूएसु सजमो अहिंसा' अर्थात् सभी जीवों के प्रति मन, वचन व शरीर से संयम रखना अहिंसा है। संयम का पालन मन, वचन व काया से होता है पर उन सब में कर्तव्य आत्मा के होने से इसे आत्म-धर्म ही माना गया है, किसी सम्प्रदाय का नहीं !

वर्तमान जीवन में सामाजिक, राष्ट्रीय, धार्मिक, राजनैतिक, आर्थिक व अन्य क्षेत्रों में अहिंसा रूपी पवित्र धारा की अत्यन्त आवश्यकता है। वैसे तो विश्व में प्रत्येक समाज अहिंसा को श्रद्धा एवं आदर की दृष्टि से देखता है। प्रत्येक माँ अपने बच्चे को जन्म से ही अहिंसा के पथ पर चलने के लिए प्रेरित करती है। प्रत्येक गुरु अपने शिष्य को अहिंसा रूपी चोले को धारण करने को कहता है। ससार का प्रत्येक प्राणी जीना चाहता है, जीने की इच्छा प्राणी मात्र का स्वभाव है। अहिंसक दृष्टि सृष्टि पर सुधावृष्टि कर प्राणीमात्र को अमरता प्रदान करती है। हिंसक को सामने खड़ा देख हर प्राणी भयभीत हो जाता है। एक चीटी बिल से निकलने पर सामने आये प्राणनाशक तत्त्वों को देखकर मार्ग बदल लेती है। ऐसा क्यों ? स्पष्ट है, प्रत्येक प्राणी के मन में जीने की प्रबल इच्छा का होना।

अतः जीवन को बनाये रखने में अहिंसा का सर्वश्रेष्ठ स्थान है। अहिंसा प्रत्येक जीवन को मृत्यु-भय से दूर करती है तथा संरक्षण प्रदान करती है। इसी कारण संसार के सभी धर्माचार्य एवं उनके धर्मशास्त्र अहिंसा को ही धर्म का मूल मानते हैं। अहिंसा का अभाव, पाप, अनाचार, हिंसा आदि दुर्गुणों को बढ़ाकर समाज-जीवन को अस्त-व्यस्त कर देने वाला है। धर्म, जीवन और समाज सबका अस्तित्व अहिंसा पर ही निर्भर है। यदि धर्म जीवन से अलग कर दिया जाये तो उसमें कुछ भी नहीं बचेगा। अहिंसा से ही धर्म की सत्ता और स्थिति है और अहिंसा ही धर्म का मूल है।

अहिंसैव परोधर्मः, शेषस्तु व्रत विस्तरः ।

तस्यास्तु परिरक्षणै, पादपस्य यथावृत्तिः ॥

अर्थात् अहिंसा ही सबसे बढ़कर धर्म है और शेष व्रत उसी का विस्तार है। अहिंसा की रक्षा के लिए वे वृक्ष की वाड़ या घेराव के रूप में हैं। जो लोग

अहिंसा को कायरता की निशानी या निर्बलता का चिह्न समझते हैं, वे इसके वास्तविक रूप से अनजान हैं। पाषाण युग से लेकर आज के इस परमाणु युग तक अनेक विध अस्त्र-शस्त्रों का निर्माण हुआ है और नित्य होता जा रहा है। ये एक से एक भयंकर एवं विनाशकारी हैं। इनकी सामर्थ्य विनाश तक ही सीमित है। ये जीवन को मिटा सकते हैं, पर बना नहीं सकते।

इसके विपरीत अहिंसा अस्त्र एक अपूर्व शक्ति का भण्डार है जिसमें विनाश के स्थान पर सृजनता का निवास होता है। बिना रक्तपात व कष्ट पहुँचाये विजय प्राप्त कराने की क्षमता एकमात्र अहिंसा के अस्त्र में ही है। अंग्रेजों की शस्त्र सज्जित फौज का सामना महान् पुरुष महात्मा गांधी ने इसी अस्त्र के द्वारा किया था, परिणामस्वरूप स्वतन्त्र भारत आज हम सबके सामने है। साथ ही हमें गर्व है कि हम सब को दासता की कडी से बाधने वाले अंग्रेज आज हमारे देश के मित्र हैं। अतः हिंसा अहिंसा के आगे हृदय से झुक जाती है और अहिंसा की शर्तों को मानकर बन्धुवत् व्यवहार करने लगती है। अहिंसा में किसी के प्रति शत्रुता और वैर भावना का पीडादायक प्रतिकार नहीं होता। उसमें जीवन-अधिकार की सहज माँग मात्र रहती है।

वैसे तो संसार के सभी धर्म हिन्दू, मुस्लिम, बौद्ध, इसाई और अनेक सभ्य समाज में अहिंसा का बड़े जोर-शोर से समर्थन किया गया है और हिंसा का विरोध, लेकिन हमें यह कहना होगा कि जैन सस्कृति का तो प्राण अहिंसा ही है। भगवान् ऋषभदेव से लेकर भगवान् महावीर और आज तक कभी भी जैन धर्मावलम्बियों द्वारा किसी भी अवसर पर हिंसा का समर्थन नहीं किया गया है। काल के इतने बड़े अंतराल में विविध परिवर्तनों के होते हुए भी अहिंसा धर्म के मर्म को कभी भुलाया नहीं गया। इतिहास साक्षी है—

सर्वे जीवा वि इच्छन्ति, जीविउं न मरिज्जिउं ।

तस्मा पाणवहं घोरं, निग्गथा वज्जयंतिणं ॥

अर्थात् सभी जीव जीना चाहते हैं, मरना नहीं, इसलिए प्राण वध पाप है और निर्ग्रन्थ इसका त्याग करते हैं।

यदि कहा जाये कि हिंसा से बढकर कोई पाप नहीं है तो कोई अति-शयोक्ति नहीं होगी। जैन शास्त्र में दुर्गति में डालने वाली हिंसा के मुख्य दो भेद किये गये हैं—द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा। सासारिक कार्यों में सावधानी रखते हुए भी किसी का उसके द्वारा मर जाना 'द्रव्य हिंसा' है और संकल्प-पूर्वक किसी को मारना या उसका अहित करना भाव हिंसा है। भगवान् महावीर ने 'आचाराग सूत्र' में कहा है—

“जे अइया जे य पडुपन्ना, जे य आगमिस्सा अरिहंता भगवंतो ते सत्त्वे एवमाइवखंति एवं भासंति एवं पणवेति, एवं परुवेति, सत्त्वे पाणा, सत्त्वे—

भूया, सव्वे जीवा, सव्वे सत्ता, न हन्तव्वा, न अज्जवियव्वा, न परियेतव्वा,  
न परियावेयव्वा, न उट्ठवेयव्वा, एस धम्मो धुवे नियइ, सासइ सम्मए ।”

अर्थात् अतीत में जितने तीर्थंकर हुए हैं, वर्तमान में जितने तीर्थंकर हैं एवं भविष्य में जितने भी होंगे वे सब यही कहते थे, कह रहे हैं और कहेंगे कि सभी प्राण, भूत, जीव और सत्वों को मत मारो। किसी जीव को मात्र मारना ही हिंसा नहीं है वरन् उनको किसी तरह का कष्ट देना, पीड़ा पहुँचाना, परि-ताप देना तथा रुलाना भी हिंसा ही है।

इस तरह जैन संस्कृति हिंसा की सूक्ष्मातिसूक्ष्म व्याख्या करती है तथा उससे बचने और बचाने की क्रिया को अहिंसा मानती है। अहिंसा व्रत पालन करने की जो सूक्ष्मता और बारीकी जैन संस्कृति में पायी जाती है, निश्चय ही वह अन्यत्र दुर्लभ है। जैन धर्म के अतिरिक्त विश्व के अन्य धर्मग्रन्थों में भी अहिंसा को सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ है। बड़े-बड़े महापुरुष अहिंसा को ही अपना आदर्श मानते रहे और समय-समय पर उन्होंने अहिंसा का ही व्याख्यान किया है।

महाकवि गोस्वामी तुलसीदास ने अपने लोक विख्यात ग्रन्थ ‘रामचरित मानस’ में अहिंसा को परमधर्म श्रुति विहित अहिंसा कहकर उसे वेदसम्मत परम धर्म के रूप में स्वीकारा है। अहिंसा की श्रेष्ठता बताते हुए ‘कुरान’ में कहा है—‘जहाँ रहम है वही रहीम है।’ ‘हिदिश’ में लिखा है कि ‘कत्ले शिदर’ अर्थात् किसी को मत काटो! फारसी बेत में पैगम्बर हजरत मुहम्मद नबी और खलीफा जमाल हजरत अली का फरमान है कि तुम अपने पेट को पशु-पक्षियों की कब्र मत बनाओ। आगे उन्होंने कहा है कि संसार में अनेक ऐसे भयंकर काम हैं किन्तु हिंसा अर्थात् किसी को मारना सबसे बड़ा भयंकर काम है। हिंसा के विषय में वे बताते हैं कि “चाहे शराब पी कुरान को जला डाल, कावे में आग लगादे, और मदीना को खाक करदे, दरगाह शरीफ की नीव उखाड़कर फेंक दे परन्तु भूलकर भी कभी किसी प्राणी को दुःख मत पहुँचा, उसे उसके प्यारे जीवन से अलग मत कर।”

पारसियों के धर्मशास्त्र ‘शातनामा’ में फिरदौसी ने लिखा है कि हमारा जरथुस्त धर्म ऐसा नेक है कि उसमें पशु वध, शिकार और मांस-भक्षण करना मना है। इसी तरह वेदों, स्मृतियों और उपनिषदों में तो अहिंसा परमो धर्म की अनेकानेक प्रशस्तियां पद-पद में पायी जाती हैं। ‘मा हिंस्यात् सर्वभूतानि’ वेद का यह वाक्य प्रत्यक्ष रूप में हिंसा विरोधी एवं अहिंसा का प्रबल समर्थक है। इस तरह विश्व के सभी धर्मग्रन्थ अहिंसा की महिमा का ही गुणगान करते हैं।

निष्कर्ष रूप से अन्तिम चरण में यही कहना होगा कि अहिंसा मानव

जाति के ऊर्ध्वमुखी विराट् चिन्तन का सर्वोत्तम विकास बिन्दु है। व्यक्ति से परिवार, परिवार से समाज, समाज से राष्ट्र और राष्ट्र से विश्वबन्धुत्व का जो विकास हुआ और हो रहा है, उसके मूल में अहिंसा की ही पवित्र भावना काम करती रही है। और यही कारण है कि विश्व के सभी धर्मों ने धूम फिर कर अन्ततोगत्वा अहिंसा का ही आश्रय लिया है। वर्तमान समय में इस बात को विशेष रूप से कहना होगा कि यदि सभी धर्मों को या कहा जाये मानवता को हरा-भरा एव अमरता प्रदान करनी है तो अहिंसा की इस पावन धारा को सागर रूपी इस ससार में अविरत गति से बहने देना होगा।

—११, श्री कृष्ण कॉलोनी, अंकपात मार्ग, अवंतिपुरा, उज्जैन-४५६००६

## महानता | श्री अशोक श्रीभीमाल

दक्षिण भारत में तुकाराम नाम के एक प्रसिद्ध संत हुए हैं। तुकाराम स्वभाव से बहुत ही शान्त तथा निर्मल थे। वे अत्यन्त गरीब थे। अपने छोटे से खेत से वे अपने परिवार का गुजर-बसर करते थे। एक बार उन्होंने अपने खेत में गन्ने बोए। जब गन्ने की फसल तैयार हो गई तो उन्होंने गन्ने काटे, उनकी गठरी बनाई और सिर पर रख कर घर ले जाने लगे।


रास्ते में गाँव के कुछ बच्चों ने उन्हें घेर लिया तथा गन्ने माँगने लगे। तुकाराम ने सभी बच्चों को गन्ने बाँट दिये। अन्त में उनके पास सिर्फ एक गन्ना बचा जिसे लेकर वे घर लौटे।

तुकाराम की पत्नी का नाम रखुमाई था। वह बहुत ही गुस्सैल स्वभाव और चिड़चिड़े मिजाज की महिला थी। गन्ने की फसल का वह सुबह से ही इन्तजार कर रही थी। जब उसने तुकाराम को हाथ में केवल एक गन्ना लाते देखा तो वह सारी बात समझ कर तिलमिला उठी तथा उसने तुकाराम के हाथ से वह गन्ना छीन कर उसकी पीठ पर जोर से दे मारा। पीठ पर पड़ते ही गन्ने के दो टुकड़े हो गये।

तुकाराम तो सन्त स्वभाव के थे। क्रोधित होने के बदले वे मुस्कराते हुए बोले—“कितनी अच्छी हो तुम। हम दोनों के लिये इस गन्ने के दो टुकड़े मुझे करने पड़ते परन्तु यह काम तुमने कर दिया बिना मेरे कहे ही।” तुकाराम के इस व्यवहार से पत्नी सकपका गई। उसे अपनी गलती का अहसास हो गया। उसने तुकाराम के पैर छुए और अपने किये की क्षमा माँगी।

—वन्दा रोड, भवानीमंडी





# अहिंसा : स्वरूप और महत्त्व

□ सुश्री सरोज कुमारी जैन

## अहिंसा का स्वरूप :

“चारित्तं खलु धम्मो” चारित्र्य धर्म है। धर्म का मूल स्तम्भ सम्यक् दर्शन है। सम्यक्त्व के अभाव में ज्ञान और चारित्र्य सम्यक् नहीं होते अतएव सम्यग्दर्शन आत्मसत्ता की अवस्था है और स्वरूप विषयक यथार्थ दृढ़ निश्चय। आत्मसत्ता (आत्मस्वभाव) से विचलित करने वाली हिंसा की अनेक पर्याये हैं यथा काम, क्रोध, मद, राग-द्वेषादि। यदि ये पर्याये प्रगट हों तो जिनश्रुत के अनुसार स्व-पर को आत्म-धर्म में दृढ़ करना चाहिये<sup>१</sup> तथा सभी साधर्मियों में एवं अहिंसामय धर्म में निःकषाय वात्सल्य रखना चाहिये।<sup>२</sup> यही अहिंसा की श्रद्धा है।

जैन सिद्धान्त में प्रमत्तयोग से स्व-पर प्राणों के घात को हिंसा कहा है। अन्तरंग में रागादि भावों की उत्पत्ति हिंसा और उनकी अनुत्पत्ति अर्थात् राग-द्वेष, मोह, काम, क्रोध, मान, लोभ, हास्य, भय, शोक, जुगुप्सा प्रमादादिक समस्त विभाव भाव का न होना अहिंसा है—यही जैनागम का सक्षेप सार है—

अप्रादुर्भावः खलु रागादीनां, भवत्यहिंसेति ।  
तेषामेवोत्पत्तिर्हिंसेति, जिनागमस्य सक्षेपः ॥<sup>३</sup>

वस्तुतः हिंसा-अहिंसा का सम्बन्ध जीवों के सुख दुःख से न होकर आत्मा से उत्पन्न रागादि विकारी परिणामो से है। “अहिंसा का सम्बन्ध प्राणी के हृदय के साथ है, मस्तिष्क के साथ नहीं, तर्क-वितर्क के साथ नहीं और न बधे-वधाये विवेकशून्य विश्वासो के साथ ही है, इसका सम्बन्ध अन्तःकरण के साथ है—भीतर की गहरी आध्यात्मिक अनुभूति के साथ है।”<sup>४</sup> हिंसा का फल बाह्यक्रिया अनुसार न होकर परिणामो के अनुरूप होता है। अप्रमत्त परिणाम वाले के बाह्य में किसी भी जीव की हिंसा होने पर फल अहिंसा का और प्रमत्त परिणाम वाले

१. कामक्रोधमदादिषु च  
श्रुतमात्मनः परस्य च

२. अनवरतं  
सर्वेषुपि

३. वही. श्लो  
तीर्थंकर

के बाह्य हिंसा न होने पर भी फल हिंसा का होता है। अतः किसी जीव को हिंसा का फल अहिंसा रूप और किसी को अहिंसा का फल हिंसा रूप प्राप्त होता है। यथा कोई डॉक्टर किसी रोगी को दुःखी देखकर उसकी चीरफाड़ कर यत्नपूर्वक कण्ट दूर करता है लेकिन चीरफाड़ में रोगी की पीड़ा बढ़ जावे या वह मर जावे तो डॉक्टर को अहिंसा का फल मिलेगा। किसी वन में ध्यानस्थ साधु को एक सिंह भक्षण करना चाहता है, वही एक शूकर उस सिंह से उस मुनि की रक्षा करना चाहता है। सिंह और शूकर, दोनों लड़-लड़कर मर जाते हैं तो इनमें सिंह क्रूर भावों से हिंसा और शूकर हिंसा करते हुए भी मुनि रक्षा के भावों से अहिंसा का पात्र है। हिंसा की लघुता और गुरुता प्राणियों के छोटे-बड़े होने पर नहीं तोली जाती, उसका तोल हिंसक का मन्द या तीव्रभाव आदि अनेक स्थिति सापेक्ष होता है।<sup>१</sup>

हिंसा चार प्रकार की होती है<sup>२</sup> - (१) संकल्पी, (२) उद्योगी, (३) आरंभी और (४) विरोधी। निर्दोष जीव का जान-बूझकर वध करना संकल्पी; जीविका-सम्पादन के लिये कृषि, व्यापार, नौकरी आदि कार्यों द्वारा होने वाली हिंसा उद्योगी; सावधानीपूर्वक भोजन बनाने, जल भरने आदि कार्यों में होने वाली हिंसा आरंभी; एव अपनी या दूसरो की रक्षा के लिए की जाने वाली हिंसा विरोधी हिंसा कहलाती है। अहिंसाव्रत का धारो गृहस्थ सकल्पी हिंसा का नियमतः त्यागी होता है।

सभी धर्मग्रन्थों—जैन सिद्धान्त दीपिका,<sup>३</sup> उत्तराध्ययन सूत्र<sup>४</sup> ईश्वर गोता<sup>५</sup> रत्नकरण्डकश्रावकाचार<sup>६</sup>, पुरुषार्थ सिद्ध्युपाय<sup>७</sup>, आचारांग आदि में अहिंसा के विषय में शब्द-रूपान्तर अवश्य है लेकिन सभी का सार (अन्तरंग में रागादि भावों की अनुत्पत्ति) यही है।

### सर्वधर्मों में अहिंसा :

अहिंसा सब धर्मों का मूल है। कोई धर्म या पंथ ऐसा नहीं जिसमें अहिंसा का स्थान न हो। संसार के समस्त क्रिया-कलाप, अचार-विचार और

१ सूत्रकृतांग २५६; २.६५२

२ तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्य परम्परा, प्रथम खंड, पृ ५१६

३ सर्वभूतेषु सयमः असिंसा । ६-१

४ समया सत्ता भूएसु, सत्तु मित्तेषु वा जगे । १६-२६

५. कर्मणा मनसा वाचा, सर्वभूतेषु सर्वदा ।

अक्लेश जननी प्रोक्ता, अहिंसा परमार्षिभिः ॥

६. रागद्वेषनिवृत्ते हिंसादिनिवर्तना कृता भवति । गुणव्रताधिकार, श्लो २

७. अप्रादुर्भावः खलु रागादीनां, भवत्यहिंसेति ।

तेषामेवोत्पत्तिहिंसेति, जिनाममस्य सक्षेप ॥ श्लो ४४

व्यवहार अहिंसा की धुरी पर आधारित हैं। सभी धर्मों में अहिंसा के महत्त्व को मानते हुये उसे उत्तम धर्म स्वीकारा है। वैदिक धर्म में कहा है—

“अहिंसा परमो धर्मः सर्वप्राण-भृतांवरः।”<sup>१</sup>

म. तुलसीदास जी ने कहा है—

“परम धर्म श्रुतविहित अहिंसा।

पर निन्दा सम अघ न गिरीसा।”<sup>२</sup>

अहिंसा वास्तव में परमधर्म है। जीवन में एक बिन्दु धर्म भी उतारना हो तो प्रथम अहिंसा को ही अपनाना पड़ेगा। कबीर हिंसा के विरोधी थे। कहा है—

बकरा पाती खात है, ताकी काढ़ी खाल।

जे नर बकरा खात है, वां को कौन हवाल।।

इस्लाम धर्म में भी अहिंसा के सम्बन्ध में अनेक कथानक मिलते हैं। उर्दू के सुप्रसिद्ध कवि हाली ने कहा है—

मेहरबानी करो तुम, अहले जमी पर।

खुदा खुश होगा तुम पर, अरशे<sup>३</sup> बरी पर।।

ईसाई धर्म के मुख्य ग्रंथ ‘बाइबिल’ में कहा है—

“Thou shalt not kill” अर्थात् हिंसा मत करो।

**जैन धर्म में अहिंसा :**

जैन संस्कृति की सबसे बड़ी देन अहिंसा है। अहिंसा का महत्त्व जैन धर्म में सर्वाधिक है। जैन धर्म के अनुसार जीव मुख्यतः दो प्रकार के हैं—त्रस और स्थावर। त्रस के चार भेद हैं—बेइन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चतुरेन्द्रिय व पचेन्द्रिय। स्थावर के पांच भेद हैं—पृथ्वीकाय, अपकाय, तेउकाय, वायुकाय, व वनस्पति काय। सभी जीव प्राणों के धारक होते हैं। इनमें से किसी भी प्राणी का (चाहे वे एकेन्द्रिय हो) प्राण हनन करना या घात पहुँचाना जीवहिंसा है। कुछ लोग स्थावर पृथ्वी, अग्नि, वनस्पति (अनाज आदि) में जीव नहीं मानते जो भ्रम है। स्थावर एकेन्द्रिय जीव होते हैं जिनमें चार प्राण होते हैं। इन स्थावर जीवों की विराधना में इन्हे भी बड़ी वेदना व दुःख होता है। भगवान महावीर ने कहा है—

“अप्पेगे अंधमढ्भे, अप्पेगे अंधमच्छे, अप्पेगे पायमढ्भे, अप्पेगे पायमच्छे, अप्पेगे गुप्फमढ्भे, अप्पेगे गुप्फमच्छे, अप्पेगे जाणुमढ्भे, जाव अप्पेगे उद्दवए।”<sup>४</sup>

१. आदिपर्व, महाभारत, ११/१३

२. रामचरितमानस

३. खूदा के रहने का स्थान

४. आचारांग, अ. १, उ. १

अर्थात् एक जन्मांध गूगा, बहरा तथा अवयवहीन पुरुष जिसके दायी-बायी और जुदे-जुदे (बत्तीस-बत्तीस) आदमी तलवार लेकर खड़े हों। ये सब मिलकर उस आदमी पर अपने शस्त्रों से प्रहार करे तो जैसे वह पुरुष कुछ बोल नहीं सकता, देख नहीं सकता, चल नहीं सकता पर असह्य पीड़ा का तो वह अनुभव करता ही है, इसी प्रकार एकेन्द्रिय जीव की पीड़ा भी आप देख नहीं सकते हैं किन्तु उसको भी वैसे ही पीड़ा तो होती ही है अतः स्थावर जीवों की हिंसा करना भी पाप है।

आगम में स्पष्ट लिखा है—“पुढविकाय न हिंसति मणसा, वयसा, काएणं तिविहेणं करणं जाएणं संजया सुसमाहिया।” अर्थात् पृथ्वीकाय आदि जीवों की मन-वचन-काया से हिंसा मत करो। जो संयमी जीव है वे तीन करण, तीन योग से इन जीवों की न हिंसा करते हैं, न कराते हैं और न अनुमोदन ही करते हैं—यही आचार्य समन्तभद्र ने कहा है<sup>१</sup>। अहिंसा जैन धर्म का प्राण है। जैन धर्म की प्रत्येक क्रिया में चाहे वह साधना की हो या समाज से सम्बन्धित, उसमें अहिंसा का पुट मिलता है। तीर्थकरों ने मानव-जीवन की प्रत्येक क्रिया को अहिंसा के मापदण्ड द्वारा मापा है। जो क्रिया अहिंसामूलक है, राग-द्वेष और प्रमाद से रहित है, वह सम्यक् है और जो हिंसामूलक है वह मिथ्या है। मिथ्या क्रिया कर्मबन्धन का कारण है और सम्यक् क्रिया कर्मक्षय का। धार्मिक विधि-विधानों में ही अहिंसा की आवश्यकता नहीं है अपितु जीवन के दैनिक व्यवहार में भी अहिंसा की आवश्यकता है। कहा जाता है कि अहिंसात्मक प्रवृत्ति के कारण ही २१वे तीर्थकर नमिनाथ का धनुष प्रत्यञ्चाहीन रूप उनके क्षत्रियत्व का प्रतीक मात्र रह गया था। राम ने शिव-गांडीव को फिर प्रत्यञ्चायुक्त किया। सीता-स्वयंवर के अवसर पर राम ने इसी प्रत्यञ्चाहीन धनुष को तोड़कर धनुष पर पुनः प्रत्यञ्चा की परम्परा प्रचलित की। वस्तुतः अहिंसा में ही शौर्य और पराक्रम की वृत्ति निहित है।<sup>२</sup>

तीर्थकर महावीर की वाणी की व्याख्या करते हुए इन्द्रभूति गणधर ने कहा है—“जिसे आत्मा के अस्तित्व में विश्वास है वही हिंसा का त्यागी हो सकता है। सहृदय व्यक्ति कभी किसी के प्राणों का वध नहीं कर सकता अतएव द्रव्य-हिंसा और भाव-हिंसा के स्वरूप को ज्ञात कर ही व्यक्ति अहिंसा धर्म का पालन कर सकता है। जो प्रमादवश क्रोध, मान, माया, लोभ के वशीभूत है वह प्राणी वध न करने पर भी हिंसा का भागी है। जो भार्वाहिंसा है वह द्रव्याहिंसा

१. सकल्पात् कृतकारितमननाद्योगत्रयस्य चरसत्त्वान्।

न हिनस्ति यत्तदाहुः, स्थूलवधाद्विरमणं निपुणाः ॥

—रत्नकरण्डक श्रावकाचार ३/७

२. तीर्थकर महावीर और उनकी आचार्य परम्परा, प्रथमखण्ड, पृ. १५

न करने पर भी हिंसा का पातकी बनता है। भावों की पवित्रता और लोकोप-कारिता की वृत्ति अहिंसा में सम्मिलित है। जो संग्राम स्वार्थ, द्वेष, लोभ, अहंकारवश किया जाता है वह संग्राम अहिंसा धर्म की दृष्टि से वर्जित है पर देशोत्थान की कामना की दृष्टि से किया जाने वाला संग्राम अहिंसा धर्म में बाधक नहीं है।<sup>१</sup> धर्म वही है जिसमें अहिंसा का आचरण हो। मन-वचन और काय की क्रियाएँ अहिंसक होने पर ही धर्म का रूप ग्रहण कर सकती है।

### खान-पान व व्यवहार में अहिंसा

**अभक्ष्य वस्तु का त्याग :** जीवन को अहिंसक बनाने के लिए सर्वप्रथम अनन्त जीवों के धारक स्थान मद्य, मांस, मधु और पाँच उदम्बर फलों का त्याग करना आवश्यक है। इनका सर्वथा त्याग करने से बुद्धि निर्मल और जिन धर्म के उपदेश का पात्र हो जाता है<sup>२</sup>। जड़ के बिना वृक्ष नहीं उसी प्रकार इनके त्याग बिना श्रावक नहीं हो सकता, इसी कारण इनका नाम मूल गुण है। वे हैं—

मद्यं मांसं क्षौद्रं, पञ्चोदुम्बरफलानि यत्नेन ।

हिंसाव्युपरतिकामैर्मोक्तव्यानि प्रथममेव<sup>३</sup> ॥

**मदिरा :** मदिरा मन को मोहित करती है। चित्त के मोहित होने पर जीव धर्म को भूल जाता है। जीव द्वारा धर्म के भूल जाने पर निःशक रूप से हिंसा का आचरण करेगा अतएव मदिरा साक्षात् एव परम्परा या हिंसा का कारण है<sup>४</sup>। अभिमान, भय, जुगुप्सा, हास्य, अरति, शोक, काम, क्रोधादि हिंसा के भेद हैं। ये सब मदिरा के निकटवर्ती हैं। वैसे भी मदिरा रस तैयार करने में अनेक एकेन्द्रिय, द्विन्द्रिय जीव उत्पन्न होते हैं। मदिरा जीवों की हिंसा होने से मदिरापान में हिंसा होती है। अन्य जो मादक अमल की वस्तु हैं, उनका उपयोग भी मदिरा तुल्य हिंसा के अन्तर्गत आता है।

**मांस :** प्राणियों के घात किये बिना मांस की उत्पत्ति नहीं होती है। जीवित प्राणियों के घात से तो हिंसा होती ही है लेकिन स्वयमेव यद्यपि मृत भैंस, बैल, मुर्गा आदि जीवों का मांस होता है उस मांस भक्षण में भी हिंसा है क्योंकि उस मांस के आश्रित जो निगोद रूप अनन्त जीव होते हैं, उनका घात करना भी हिंसा है।<sup>५</sup>

१ तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्य परम्परा, प्रथम खंड, पृ २४४

२. अष्टावनिष्ठदुस्तरदुरितायतनान्यमूनि परिवर्ज्य ।

जिनधर्मदेशनाया भवन्ति, पात्राणि शुद्धधियः ॥ पुरुषार्थसिद्ध्युपाय, श्लो ७४

३. वही श्लो ६१

४. वही श्लो ६२, ६३, ६४

५. पुरुषार्थसिद्ध्युपाय, श्लो ६५-६८

मधु : मधु का कण भी बहुत प्रचुर मक्खियों की हिंसा रूप होता है<sup>१</sup> । जो मधु के छत्ते से, कपट से या स्वमेव मक्खियों द्वारा उगला हुआ मधु होता है वहाँ भी उसके आश्रयभूत प्राणियों का घात होता है अतएव मधुभक्षण हिंसा है ।

पाँच उदम्बर फल : उदुम्बर, कठुम्बर, पीपल के फल, बड़ के फल, पीलू के फल इन पाँचों पर त्रसजीव होने के कारण ये हिंसा स्वरूप है ।<sup>२</sup> त्रस न होने पर भी हिंसा का पात्र होता है अतः ये पाँच उदम्बर फल काल पाकर त्रस रहित तो हो जाते हैं लेकिन इनके भक्षण से एक रागभाव आ जाता है<sup>३</sup> । और जहाँ राग है वही हिंसा है । यदि राग न हो तो इतना प्रयास ही नहीं करेगा ।

रात्रि भोजन त्याग : अहिंसा व्रत के निर्दोष पालनार्थ रात्रि भोजन त्याग आवश्यक है, अतः रात्रि भोजन बनाने-खाने में असंख्य जीवों की हिंसा होती है । यदि उस समय दीपक न जोड़ा जाये तो बड़े-बड़े जीवों का पता ही न पड़े और यदि कदाचित् दीया जोड़ा या सावधानी रखी जावे तो कीट-पतंग आदि सूक्ष्म जीव भोजन में ही मिल जाते हैं<sup>४</sup> अतएव रात्रि भोजन में द्रव्यहिंसा विशेष रूप से होती है ।

दहेज निराकरण : सामन्त युग से प्रभावित रहने के कारण आज दहेज लेना-देना बड़प्पन का सूचक समझा जाता है । कली रूपी उपहार ने पुष्प रूपी दहेज का स्थान ग्रहण कर लिया है । उपहार वह होता है जिसमें वधू पक्ष परिवार की तरफ से कन्यादान स्वरूप अल्पाधिक स्थितिनुसार धनराशि, सामान आदि दिया जाता है जबकि दहेज में धनराशि, सामान आदि का निश्चित कर दिया जाता है—दोनों में यही अन्तर है । वस्तुतः निर्धारित धनराशि न मिलने पर सम्प्रति वधुओं पर अमानुषिक व्यवहार एक परम्परा सी बन गयी है । वधू को अनेक यातनाओं का सामना करना पड़ता है और अन्त में तंग आकर या तो जलने को या फिर आत्महत्या करने को विवश हो जाती है जैसा कि प्रायः

१. मधुशकलमपि प्रायो, मधुकरहिंसात्मक भवति लोके ।

भजति मधु मूढधीको यः, स भवति हिंसकोऽत्यन्तम् ॥

—पुरुषार्थसिद्ध्युपाय, श्लो. ६६

२. योनिरुदुम्बरयुग्मं, प्लक्षन्यग्रोघपिप्लफलानि ।-

त्रसजीवाना तस्मात्तेषा, तद्भक्षणो हिंसा ॥ वही. श्लो. ७२

३. यानि तु पुनर्मवेयुः, कालोच्छिन्नत्रसाणि शुष्काणि ।

भजतस्तान्यपि हिंसा. विशिष्टरागादिरूपा स्यात् ॥ वही, श्लो. ७३

४. रात्रौ भुञ्जानानां, यस्मादनिवारिता भवति हिंसा ।

हिंसाविरतैस्तस्मात्, त्यक्तव्या रात्रिमुक्तिरपि ॥

अकालोकेन विना भुञ्जान., परिहरेत कथं हिंसाम् ।

अपि बोधितः प्रदीपे, भोज्य जुणा सूक्ष्मजीवानाम् ॥

—पुरुषार्थसिद्ध्युपाय, श्लो १२६ एव १३३

समाचार पत्रों में पढ़ने को मिलता है। इस दृष्टि से दहेज हिंसा (उद्योगी) का रूप ही प्रतीत होता है।

**पंचमहाव्रतों में अहिंसा :** अहिंसा, अनृत, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य ये पंच महाव्रत<sup>१</sup> है। इनमें अहिंसा प्रधान है। इसी के विशुद्ध पालनार्थ अन्य चारों व्रत है। जैसे खेत की रक्षार्थ बाड़ होती है, वैसे ही अन्य सब व्रत अहिंसा के ही रक्षार्थ है। जहाँ पर अहिंसा है वहाँ पर शेष व्रत सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य व अपरिग्रह स्वतः पालित हो जाते हैं।

अहिंसा के बिना सत्य नग्न एवं कुरूप है क्योंकि प्रमाद रहित हित की प्राप्ति और अहित परिहारक वचन बोलना अहिंसा है। चोरी में स्वामी की आज्ञा बिना बाह्यधनादिक के हरण से उसे प्राणघात जैसा ही दुःख होता है अतः वध का हेतु होने से हिंसा स्वरूप ही है। अब्रह्म में असंख्य मनुष्याकार सम्मूर्च्छन पंचेन्द्रिय जीवों की हिंसा होती है। अपरिग्रह और अहिंसा में आधार-आधेय का सम्बन्ध है।

**संयम ही अहिंसा है :** संयम अहिंसा रूपी विशाल वृक्ष की एक शाखा है। अहिंसा साध्य है और संयम साधन। संयम के अनुष्ठान से ही अहिंसा की साधना सम्भव होती है। संयम का अर्थ है—इन्द्रिय और मन का दमन करना, उन्हें आत्मवशीभूत करना और हिंसा प्रवृत्ति से वचना। संयम दो प्रकार का है—इन्द्रिय-संयम और प्राणी-संयम। इन्द्रिय और मन को अपने-अपने विषयों में प्रवृत्त करने से रोककर आत्मोन्मुख करना इन्द्रिय-संयम है और षट्काय जीवों की हिंसा का त्याग करना प्राणी-संयम है। इन दोनों संयमों में पहले इन्द्रिय-संयम का धारण करना आवश्यक है क्योंकि इन्द्रियों के वश हो जाने पर ही प्राणियों की रक्षा सम्भव होती है। जिसने इन्द्रिय-संयम का पालन आरम्भ कर दिया, वह जीवन-निर्वाह के लिए कम से कम सामग्री का उपयोग करेगा जिससे शेष सामग्री समाज के अन्य सदस्यों के काम आयेगी, संघर्ष कम होगा और विषमता दूर होगी। यदि एक मनुष्य अधिक सामग्री का उपयोग करे तो दूसरों के लिए सामग्री कम पड़ेगी, जिससे शोषण आरम्भ हो जायेगा, अतएव इन्द्रिय-संयम का अभ्यास करना आवश्यक है। प्राणी संयम में षट्काय के जीवों की रक्षा अपेक्षित है। प्राणी संयम के धारण करने से अहिंसा की साधना सिद्ध होती है। जीवन में अहिंसा की प्रतिष्ठा संयम से ही सम्भव है। अतएव महावीर ने अपने दसवें वर्ष की साधना में संयम और समता-प्राप्ति के लिए पूर्ण प्रयास किये। क्योंकि तपोनिष्ठान से मनुष्य संयमशील बनता है और संयमशीलता से अहिंसा की प्रतिष्ठा होती है। जिस व्यक्ति के अन्तर में अहिंसा, संयम और तप की त्रिवेणी प्रवाहित होती है उसकी आत्मा निर्मल, निष्कलुप और निर्विकार हो जाती है, देव भी उसके चरणों में नमस्कार कर अपने को धन्य मानते हैं।

वस्तुतः संयम ही एक ऐसी औषधि है जो राग-द्वेष रूप परिणामों को नियन्त्रित करती है। अहिंसा की साधना तितिक्षा और संयम के बिना सम्भव नहीं है अतः जहाँ अहिंसा है वहाँ सत्य अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह भी विद्यमान है। इन चारों महाव्रतों का संयम से घनिष्ठ सम्बन्ध है।

**अहिंसा का महत्त्व :** अहिंसा के महत्त्व को निम्न प्रकार से समझा जा सकता है—

(१) अहिंसा द्वारा हृदय परिवर्तन सम्भव होता है। यह मारने का सिद्धान्त नहीं, सुधारने का सिद्धान्त है। यह संसार का नहीं, उद्धार एवं निर्माण का सिद्धान्त है। यह ऐसे प्रयत्नों का पक्षधर है जिसके द्वारा मानव के अन्तस् में मनोवैज्ञानिक परिवर्तन किया जा सकता है और अपराध की भावनाओं को मिटाया जा सकता है।

(२) अहिंसा द्वारा सबके कल्याण और उन्नति की भावना उत्पन्न होती है। इसके आचरण से निर्भीकता, स्पष्टता, स्वतन्त्रता और सत्यता बढ़ती है। अहिंसा से ही विश्वास, आत्मीयता, पारस्परिक प्रेम, निष्ठा आदि गुण व्यक्त होते हैं। अहंकार, दम्भ, मिथ्या विश्वास, असहयोग आदि का अन्त भी अहिंसा द्वारा सम्भव है। यह एक ऐसा साधन है जो बड़े से बड़े साध्य को सिद्ध कर सकता है। एकता की भावना अहिंसा का ही रूप है।

(३) अहिंसा ही एक ऐसा अस्त्र है जिसके द्वारा बिना एक बूद रक्त बहाये वर्गहीन समाज की स्थापना की जा सकती है। यद्यपि कुछ लोग अहिंसा द्वारा निर्मित समाज को आदर्श या कल्पना की वस्तु मानते हैं पर-यथार्थतः यह समाज काल्पनिक नहीं, प्रत्युत् व्यावहारिक होगा। क्योंकि अहिंसा का लक्ष्य यही है कि वर्गभेद या जातिभेद से ऊपर उठकर समाज का प्रत्येक सदस्य अन्य के साथ शिष्टता और मानवता का व्यवहार करे। छल, कपट-या इनसे होने वाली छीना-भपटी को अहिंसा द्वारा ही दूर किया जा सकता है। वस्तुतः अहिंसा में ऐसी अद्भुत शक्ति है जिसके द्वारा आर्थिक, सामाजिक और राज-नैतिक समस्याओं को सरलतापूर्वक समाहित किया जा सकता है।

(४) अहिंसा मानव को हिंसा से मुक्त करती है। वैर, वैमनस्य, द्वेष, कलह, घृणा, ईर्ष्या, क्रोध, अहंकार, लोभ-लालच, शोषण, दमन आदि जितनी भी व्यक्ति और समाज की ध्वसात्मक प्रवृत्तियाँ हैं, विकृतियाँ हैं, वे सब हिंसा के रूप हैं। मानव-मन हिंसा के विविध प्रहारों से निरन्तर घायल होता रहता है। इन प्रहारों का शमन करने के लिए अहिंसा की दृष्टि और अहिंसक जीवन ही आवश्यक है। अतः क्रोध को क्रोध से नहीं क्षमा से, अहंकार को अहंकार से नहीं विनय-नम्रता से, दम्भ को दम्भ से नहीं सरलता-निश्चलता से; लोभ को लोभ से नहीं सन्तोष-उदारता से जीतना चाहिये। जिस प्रकार कुएँ में गयी ध्वनि प्रतिध्वनि के रूप में वापिस लौटती है उसी प्रकार हिंसात्मक क्रियाओं का प्रतिक्रियात्मक प्रभाव कर्ता पर ही पड़ता है।



(५) कर्तव्य-स्वभाव का निर्धारण अहिंसात्मक व्यवहार द्वारा ही सम्भव है। माता-पिता, पुत्र-पुत्री, भाई-बहन, पति-पत्नी आदि के पारस्परिक कर्तव्य का अवधारण भावात्मक विकास की प्रक्रिया द्वारा होता है और यह अहिंसा का ही सामाजिक रूप है। मानव-हृदय की आन्तरिक संवेदना की व्यापक प्रगति ही तो अहिंसा है और यही परिवार, समाज और राष्ट्र के उद्भव एवं विकास का मूल है। यह सत्य है कि उक्त प्रक्रिया में रागात्मक भावना का भी एक बहुत बड़ा अंश है पर यह अंश सामाजिक गतिविधि में बाधक नहीं है।

(६) अहिंसा के द्वारा मनुष्य की प्रतिष्ठा सम्भव है। अत्याचारी की इच्छा के विरुद्ध अपने समस्त आत्मबल को लगा देना ही संघर्ष का अन्त करना है, और यही अहिंसा है। यह अन्याय और अत्याचार से दीन-दुर्बलों की रक्षा कर सकती है। यही विश्व के लिए सुखदायक है।

(७) अहिंसा के आधार पर सहयोग और सहकारिता की भावना स्थापित करने से समाज धर्म की दूसरी सीढ़ी को बल मिलता है।

(८) हिंसा के त्याग द्वारा श्रावक अपनी कायिक, वाचिक और मानसिक प्रवृत्तियों को शुद्ध करता है और अहिंसक यत्नाचार का धारी होता है।

(९) अहिंसक व्यक्तित्व का प्रथम दृष्टिबिन्दु है—सह-अस्तित्व और सहिष्णुता। सहिष्णुता के बिना सहअस्तित्व सम्भव नहीं है। संसार में अनन्त प्राणी हैं। सभी इस लोक में रहते हैं। यदि वे एक-दूसरे के अस्तित्व को आशंकित दृष्टि से देखते रहे तो अस्तित्व का संघर्ष कभी समाप्त नहीं हो सकता। संघर्ष अशान्ति का कारण है। इस अशान्ति से बचने का उपाय अहिंसा ही है।

### अहिंसा परमो धर्मः

तीनों काल में अहिंसा के समान धर्म नहीं होने से अहिंसा उत्कृष्ट धर्म है। भगवान् महावीर ने कहा है—“धम्मो मंगल मुक्किट्टं अहिंसा सजमोतवो<sup>१</sup>।” अर्थात् अहिंसा, संयम व तप रूप धर्म उत्कृष्ट मंगल है। इन तीनों में भी अहिंसा मुख्य है। पंचमहाव्रतों<sup>२</sup> में भी अहिंसा प्रधान है। उसी के विशुद्ध पालनार्थ अन्य व्रत हैं। सुप्रसिद्ध जैनाचार्य समंतभद्र ने तो अहिंसा को परमब्रह्मस्वरूप<sup>३</sup> कहा है और जिस आश्रमविधि में अणुमात्र भी आरम्भ न होता हो उसी के द्वारा उस अहिंसा की पूर्ण सिद्धि मानते थे। अहिंसा का महत्त्व दर्शाते हुए आंगमकार कहते हैं—

१. दशवे, अ. १, गा १

२. तत्त्वार्थसूत्र, ७.१

३. अहिंसा भूताना जगति विदितं ब्रह्मपरमम् ।  
न मा तत्रारंभोन्त्यणुरपि च यत्राश्रमविधौ ॥

एवं खु नागिणो सारं, जं न हिंसइ किंचणं ।

अहिंसा समयं चेव, एतावत्तं वियाणिया ॥<sup>१</sup>

अर्थात् जानी होने का यही सार है कि किसी भी जीव की हिंसा न करें यही अहिंसा का सिद्धान्त है, सार है । अन्य धर्मों में भी अहिंसा का प्रमुख स्थान है । वैदिक धर्म में अहिंसा को प्रधानता देते हुये उसे माता की उपमा दी है कहा है—

“मातेव सर्वभूतानां अहिंसा हितकारिणी ।”

जैनागम में भी इसी प्रकार कहा है—

जेय बुद्धा अतिक्कंता, जेय बुद्धा अणासया ।

संति तेसि पइट्ठाणं, भूयालं जगइ जहा ॥

अर्थात् जिस प्रकार जीवों का आधार पृथ्वी है, उसी प्रकार पहिले हुये व आगे होने वाले ज्ञानियो का जीवनदर्शन अहिंसा है । ‘योगशास्त्र’ में अहिंसा को कामधेनु कहा है—

दीर्घ आयु परं रूपमारोग्यं श्लाघनीयता ।

अहिंसायाः फल सर्व किमन्यत् कामदैव सा ॥<sup>२</sup>

अर्थात् दीर्घ आयु, परम रूप (श्रेष्ठरूप) नीरोगता एवं प्रशंसनीयता ये सब अहिंसा के ही फल हैं । वस्तुतः अहिंसा सभी मनोरथों को सिद्ध करने वाली कामधेनु है ।


तीर्थकर महावीर पर एक दृष्टि :

अहिंसा के सच्चे साधक तीर्थकर महावीर थे । भगवान् महावीर का सिद्धान्त था कि अग्नि का शमन अग्नि से नहीं होता इसके लिए जल की आवश्यकता होती है इसी प्रकार हिंसा का प्रतिकार हिंसा से नहीं, अहिंसा से होता है । विरोधी से विरोधी के प्रति भी उनके मन में घृणा नहीं थी, द्वेष नहीं था । वे उत्पीड़क एव घातक के प्रति भी मंगल, कल्याणकारी, पवित्र भावना रखते थे । संगमदेव, शूलपाणी यक्ष जैसे उपसर्ग देने वाले व्यक्तियों के प्रति भी उनके नेत्रों में करुणा थी । तीर्थकर महावीर का अहिंसक जीवन क्रूर एव निर्दय व्यक्तियों के लिए आदर्श था । वे बारह वर्षों तक मौन रहकर मोह, ममता का त्याग कर अहिंसा की साधना में सलग्न रहे । महावीर की अहिंसा-साधना के प्रभाव से उस समय प्रचलित बलि प्रथा का अन्त हुआ । महावीर के व्यक्तित्व की प्रमुख विशेषताओं में अहिंसक व्यक्तित्व निर्मल आकाश के समान विशाल और समुद्र के समान अतलस्पर्शी है । दया, प्रेम और विनम्रता ने उन्होने अहिंसा को सुसंस्कृत किया था । आज आवश्यकता है भगवान् महावीर की अहिंसा को पुनः प्रतिष्ठापित करने की ।

• ५७०, स्कीम नं. २, अलवर-३०१००१

१. सूत्रकृताङ्ग सूत्र

२. योगशास्त्र, २/५२



## अहिंसा बनाम वीतरागता

□ श्री सम्पतराज डोसी

विश्व में जितने भी धर्म, एवं दर्शन प्रचलित है उनमें से अधिकांश दर्शनों एवं धर्मों ने प्रायः अन्य जीवों को किसी प्रकार की हानि, दुःख आदि पहुँचाने या मारने को हिंसा और हानि, दुःख न पहुँचाने को, न मारने को अहिंसा माना है। यह अहिंसा का निषेधात्मक स्वरूप है। इसके विधेयात्मक स्वरूप में दूसरे प्राणियों को दुःख एवं मरने आदि से बचाना, उनकी रक्षा, कृपा, दया, सेवा सहायता आदि करना माना गया है। वेदव्यासजी से जब सारे पुराण एवं धर्म ग्रन्थों का अति संक्षिप्त सार पूछा तो उन्होंने बताया—

अष्टादश पुराणेषु, व्यासस्य वचनद्वयं ।  
परोपकाराय पुण्याय, पापाय परपीडनम् ॥

अर्थात् पर जीवों के हित या उपकार के समान पुण्य नहीं और पर जीवों को पीड़ित करने के समान दूसरा कोई पाप नहीं है।

व्यासजी ने सम्भवतः पुण्य में ही धर्म मान कर, अहिंसा आदि का समावेश उस धर्म के पालनार्थ कर लिया है।

जैन दर्शन में भी अहिंसा के पालन को, धर्म के नाम पर किए जाने वाले सभी अनुष्ठानों में प्रथम स्थान दिया है। जैसे साधु के महाव्रतों में सबसे प्रथम स्थान अहिंसा महाव्रत, श्रावको के वारह महाव्रतों में प्रथम अहिंसा अणुव्रत ही बतलाया गया है। धर्म के तीन भेदों में भी अहिंसा को प्रथम स्थान दिया गया है, जैसा कि कहा है—

धम्मो संगलमुक्खिट्ठं, अहिंसा संजमोतवो ।—दशवै० अ० १ गा० १ ॥

इसी प्रकार सम्पूर्ण ज्ञान-प्राप्ति का फल एवं सार बताते हुए 'सूत्रकृतांग' सूत्र में बतलाया कि किसी भी प्राणी की किञ्चित् मात्र भी हिंसा न करे, उन्हें दुःख न उपजाये। जैसा कहा है—

एयं खु नाणिणो सारं, जं न हिंसई किच्चणं ।—सूत्रकृतांगसूत्र ॥  
हिंसा रूप प्राणी वध को घोर पाप बताते हुए कहा है—

सत्त्वे जीवा वि इच्छन्ति, जीविजं न मरिज्जिजं ।  
तम्हा पाणिवहं घोरं, निगंथा वज्जयन्ति णं ॥

—दशवै० अ० ६ गा० ११ ॥

सभी जीव जीना चाहते हैं, मरना सब के लिए भयंकर दुःख रूप है, इसलिए प्राणी-वध घोर पाप है। अतः साधक को इस हिंसा रूप पाप से बचना श्रेयस्कर है।

जैन धर्म का कोई भी सूत्र या ग्रन्थ शायद ही बचा हो जिसमें अहिंसा की चर्चा किसी न किसी रूप में न हुई हो। आचाराग, सूत्रकृतांग, भगवती, प्रश्न-व्याकरण आदि सूत्रों में तो हिंसा-अहिंसा के स्वरूप, लक्षण, भेद, प्रभेद, पालने के तरीके, हिंसा से हानियाँ एवं अहिंसा पालन से लाभ आदि विषयों का विवेचन विशेष रूप से उपलब्ध है।

सबसे बड़ी एव मुख्य बात यह है कि दार्शनिक दृष्टि से हिंसा एवं अहिंसा के स्वरूप की जो व्याख्या एव विवेचना जैन दर्शन में मिलती है तथा वह जितनी तार्किक, मार्मिक, वैज्ञानिक एवं व्यावहारिक है उसकी मिसाल अन्यत्र मिलना अत्यन्त कठिन है। परन्तु उस विश्लेषण से जो तथ्य सामने आते हैं वे बड़े विचित्र हैं। दूसरो की हिंसा वही कर सकता है जो पहले स्वयं की हिंसा करता है और दूसरो की अहिंसा, दया, उपकार आदि भी वही कर सकता है जो अपनी अहिंसा, दया व उपकार करता हो। 'पर' की सारी हिंसा या अहिंसा का अन्तरंग रूप 'स्व' की हिंसा-अहिंसा में ही छिपा हुआ है।

जैन दर्शन की उपर्युक्त मान्यता को अनुभूति के स्तर पर भी समझा जा सकता है कि 'पर' की जानबूझ कर विचारपूर्वक हिंसा करने वाले के पहले टेन्शन, तनाव, अशान्ति रूप स्वयं की ही हिंसा होती है जिसका उसे ध्यान एव ज्ञान भले ही नहीं रहता और दूसरे की सच्ची अहिंसा, दया, करुणा आदि करने पर भी पहले स्वयं को ही समता, प्रसन्नता, शान्ति रूप सच्चा सुख प्राप्त होता है जो स्वयं की अहिंसा ही है।

कोई भी व्यक्ति जब दूसरे को किसी भी प्रकार से सकल्पपूर्वक दुःख देने या मारने का प्रयत्न या इससे पूर्व विचार तक भी करेगा तो उसमें दूसरो के प्रति द्वेष उत्पन्न हुए बिना वह दूसरे का बुरा सोच भी नहीं सकेगा, फिर करना तो उससे बहुत आगे की बात है। द्वेष करने वाले को पहले संकल्प-विकल्प रूप तनाव, अशान्ति एव दुःख हुए बिना द्वेष हो नहीं सकता। यह स्वयं का अशान्त एवं तनावयुक्त होना ही स्वयं की हिंसा है। इससे भी और अधिक महत्त्वपूर्ण बात यह है कि इस स्व हिंसा रूप द्वेष का भी जो असली कारण है, वह राग अथवा मोह है। मोह अथवा राग के करने का कारण सुख का स्वार्थ है। जब इस स्वार्थ में कमी होने लगती है या कमी की आशंका होती है तब राग या मोह द्वेष में बदल जाता है। वैसे तो मोह अथवा राग में व्यक्ति सुख का अनुभव करता है क्योंकि यह अपनी मानी हुई या चाही

हुई अनुकूलता में होता है । व्यक्ति जिस पर राग या मोह करता है, उसका भी हित ही सोचता एवं करता है परन्तु उसमें भी राग या मोह करने वाला स्वर्ष की तो हिंसा कर ही लेता है । यह कैसे और क्यों होती है, इस रहस्य को समझने के लिए हमें हिंसा-अहिंसा की व्याख्या पर चिन्तन करना आवश्यक है ।

जैन-दर्शन में हिंसा का वास्तविक एवं गुण-सूचक नाम 'प्राणातिपात' दिया है क्योंकि वास्तविकता भी यही है कि जीव स्वयं न नया जन्मता न मरता अर्थात् समूल नष्ट नहीं होता, इसलिए उसकी हिंसा तो कैसे हो सकती है ? इसी तरह वह दूसरे किसी भी जीव की हिंसा भी कैसे कर सकता है ? परन्तु जिस प्रकार से व्यक्ति पुराने कपड़े आदि छोड़कर नये वस्त्रादि धारण करता है, ठीक उसी प्रकार जीव के भी पुराने शरीर, इन्द्रिय, प्राण आदि को छोड़ना उसका मरना है तथा नये शरीर, प्राणादि धारण करना उसका जन्म लेना कहलाता है । इसी कारण हिंसा का दूसरा नाम 'प्राणातिपात' दिया गया है । 'प्राणातिपात' अर्थात् हिंसा आदि सारे पापो एवं कर्मों का मूल राग-द्वेष को माना गया है । राग-द्वेष रूप हिंसा आदि से जन्म-मरणादि सभी दुःखों एवं पापो का सम्बन्ध किस प्रकार है, इसकी चर्चा 'तत्त्वार्थ सूत्र' के एक श्लोक से की जाती है । वहाँ हिंसा की व्याख्या करते हुए बताया है—

**'प्रमत्त योगात् प्राण व्यपरोपणं हिंसा ।' —तत्त्वार्थ सूत्र अ ७/८**

प्रमाद (प्रमत्त) की प्रवृत्ति (योगात्) से स्वयं प्राणों की क्षति अथवा नाश करना या होना हिंसा है ।

उपर्युक्त सूत्र में प्रमाद तथा योग एव इनसे होने वाली 'स्व' अथवा 'पर' प्राणों की क्षति अथवा नाश को हिंसा बतलाया गया है । जैन-दर्शन में प्राण दो प्रकार के माने गए हैं । पहला भाव प्राण और दूसरा द्रव्य प्राण । भाव प्राण चार प्रकार के माने हैं जो आत्मा से सम्बन्धित हैं, वे हैं—सुख, सत्ता, चैतन्य और बोध । दूसरे शब्दों में ज्ञान, दर्शन, सुख (शान्ति) और शक्ति (वीर्य) । ये आत्मा के विशेष गुण भी हैं जो कभी नष्ट नहीं हो सकते । द्रव्य प्राण दस प्रकार के माने गए हैं—पाँच इन्द्रियों की शक्तियाँ, मन, वचन, काया की शक्तियाँ, श्वासोच्छ्वास और आयुष्य वन प्राण ।

स्वयं के इन भाव अथवा द्रव्य प्राणों का हनन-नाश अथवा क्षति पहुँचाना स्वयं का व्यपरोपण है तथा दूसरों के भाव प्राणों अथवा द्रव्य प्राणों को क्षति पहुँचाना अथवा नाश करना 'पर' का प्राण-व्यपरोपण कहलाता है । इनमें 'स्व' अथवा 'पर' के द्रव्य प्राणों का तो पूरा हनन अथवा नाश हो भी

सकता है, पर भाव प्राणों की तो क्षति ही हो सकती है, सर्वथा नाश कदापि नहीं क्योंकि वे आत्मा रूप ही हैं।

द्रव्य प्राणों की क्षति अथवा नाश पाँच प्रकार से हो सकता है—  
**प्रथम**—स्वयं के कर्मोदय के फल-स्वरूप जो सहज में सभी जीवों के हर समय होता रहता है। जैसे आयु के निरन्तर घटते रहने से प्रति समय हर प्राणी का भाव मरण ही हो रहा है। **द्वितीय**—किसी वस्तु से अर्थात् अकस्मात् जैसे कोई वस्तु अपने आप गिर पड़ी और उसके नीचे दब कर कोई प्राणी मर गया। **तृतीय**—एक जीव द्वारा सहज में दूसरे का प्राण हनन होना, जैसे हम श्वास लेते या हमारी नाडी की धडकन होती है, उससे असख्य वायुकायिक आदि जीवों का प्राणनाश समय-समय पर होता रहता है। **चतुर्थ**—क्रोधादिवश जान-बूझकर स्वयं का अपघात अर्थात् आत्म-हत्या करना। **पंचम**—स्वार्थ आदि कारणवश या अज्ञान आदि से अकारण जानबूझकर दूसरों को मारना या कष्ट पहुँचाना।

उपर्युक्त पाँच में से प्रथम तीन प्रकार से होने वाले प्राणव्यपरोपण को हिंसा नहीं माना गया। अगर इस प्राण व्यपरोपण के साथ प्रमत्त योग नहीं हो तो क्योंकि इन तीनों प्रकारों में सहजता, स्वाभाविकता है। बिना इच्छा एवं भावना रूप राग-द्वेष के अभाव में भी ये स्वयं का मरना या अशक्य परिहार रूप दूसरे का मरना भी चाल ही रहेगा। परन्तु अन्त के दो प्रकार चूँकि राग-द्वेषादि अथवा क्रोधादिवश होने से प्रमाद-योग सहित प्राण व्यपरोपण है, इसलिए इसे हिंसा माना गया।

इस सन्दर्भ में मुख्य बात यह है कि द्रव्य प्राण शरीर से सम्बन्धित यानि पौद्गलिक है। आत्मा से पर है, इसलिए दूसरे जीवों अथवा पुद्गलो आदि से भी इनकी क्षति अथवा नाश हो सकता है। परन्तु भाव प्राण चूँकि आत्मा से होते हैं, अरूपी हैं इसलिए इनकी क्षति स्वयं के राग-द्वेष अथवा मोहादि से ही हो सकती है। दूसरे किसी व्यक्ति या वस्तु से इन भाव-प्राणों का नाश हो ही नहीं सकता। इसीलिए 'प्राण व्यपरोपण के पहले 'प्रमत्तयोगात्' शब्द आया है। 'प्रमत्त' अर्थात् प्रमाद और 'योगात्' अर्थात् मन, वचन, काया की प्रवृत्ति।

प्रथम—प्रमाद पाँच प्रकार का माना गया है—

मज्जं विषयकषायं, निद्रा विकहा पंच वि पमाया भणियच्चा।

अर्थात् मद्य, विषय, कषाय, निद्रा एवं विकथा। द्वितीय-योगात् अर्थात् आत्म-प्रदेशों का प्रकम्पन जिसके कारण से मन, वचन, काया इन तीनों की प्रवृत्ति होती है। इसलिए योग तीन प्रकार का माना गया।

जो भी व्यक्ति कषाय रूप प्रमाद से युक्त अर्थात् राग-द्वेष सहित है, उसके तनाव, संकल्प-विकल्प रूप अशान्ति आदि होने से आत्मा के मूल गुण अर्थात् ज्ञान, दर्शन, शान्ति (सुख) वीर्य आदि भाव-प्राणो की क्षति-रूप स्व की भाव-हिंसा नियम से होगी ही और इससे आत्म-प्रदेशो मे प्रकम्पन भी होने से आत्मा से सम्बन्धित मन, वचन, काया आदि को भी प्रवृत्ति होगी ही, जिससे स्वयं के द्रव्य-प्राणों का हनन भी होगा ही, जो स्वयं की द्रव्य हिंसा है। चूकि द्रव्य-प्राण शरीराश्रित होते हैं इसलिए जिन जीवो मे राग-द्वेष नहीं होता अर्थात् वीतरागियों या सर्वज्ञो मे भी स्वयं के शरीर का 'प्राण-व्यपरोपण' अर्थात् स्वयं के मन, वचन, काया, श्वासोच्छ्वास एवं आयु आदि प्राणों की क्षति एवं आयु पूर्ण होने पर इन सभी द्रव्य-प्राणो का पूर्ण नाश भी होगा ही, परन्तु इसे हिंसा नहीं माना गया है। सर्वज्ञो के भी जब तक शरीर है, तब तक हलन-चलन, बोलना, खाना-पीना आदि क्रियाएँ भी होंगी, कम से कम श्वासोच्छ्वास लेने अथवा नाड़ी एवं हृदय की धडकन रूप इस क्रिया से भी प्रतिक्षण असंख्य वायुकायिक आदि जीवो की विराधना रूप 'पर' का प्राण-व्यपरोपण क्रिया भी नियम से होता है परन्तु राग-द्वेष के अभाव में तथा स्वयं की भाव-हिंसा न होने से इसे मात्र योगो की प्रवृत्ति से इर्यापथिक क्रिया माना गया, न इससे पाप का बन्ध माना गया और न हिंसा ही। मात्र योगो की प्रवृत्ति से होने वाले 'स्व' अथवा 'पर' के प्राण-व्यपरोपण को भी हिंसा नहीं माना गया। अन्यथा मात्र 'प्राण-व्यपरोपण' अथवा 'योगात् प्राण-व्यपरोपण हिंसा' ही कह देते जो शास्त्रकारों का इष्ट नहीं था तथा यह व्यावहारिक भी नहीं क्योंकि इसमे जीव की परवशता है, अर्थात् यह अशक्य परिहार रूप 'स्व' अथवा 'पर' का प्राण नाश है।

इससे यह फलित होता है कि न तो 'स्व' अथवा 'पर' के मात्र प्राण नाश को और दूसरा बिना राग-द्वेष के मात्र योग से होने वाले 'स्व' अथवा 'पर' के द्रव्य प्राण-नाश को भी हिंसा नहीं माना गया है। इससे यह तथ्य स्पष्ट सामने आता है कि हिंसा के लिए 'प्रमाद' की अर्थात् राग-द्वेष की अनिवार्यता मानी गयी है। दूसरे शब्दों में राग-द्वेष ही हिंसा है। इसमे भी प्रश्न हो सकता है कि फिर मात्र प्रमाद को ही हिंसा कह देते, इसके साथ 'योगात्' एव 'प्राण-व्यपरोपण' की क्या आवश्यकता थी ?

इसका समाधान यह है कि जीव जब तक राग अथवा द्वेष करेगा तब तक उसमें योग भी नियम से रहेगा ही, क्योंकि राग-द्वेष से होने वाले आत्म-प्रदेशों के प्रकम्पन से मन, वचन, काया रूप योग प्रभावित हुए बिना रह नहीं सकते। जब तक प्रमाद सहित योग है तब तक राग-द्वेष से स्वयं के भाव-प्राणों एवं योगों से स्वयं के द्रव्य-प्राणों का व्यपरोपण तो नियम मे

चालू ही रहेगा और यह स्वयं की हिंसा भी है ही और इसी राग-द्वेष से पापों व कर्मों का बन्ध भी नियम से माना गया है । कहा भी है—

रागो य दोसो य द्विय कम्म बीय । —उत्तरा० अ० ३२ गा० ७

पर विचित्रता यह है कि स्वयं की यह हिंसा तनाव एव अशान्तियुक्त होते हुए और स्वयं इसका अनुभव करते हुए भी जीव इसे समझ नहीं सकता, यह उसकी अज्ञानता का फल है अथवा अज्ञानता के फल-स्वरूप उत्पन्न हुए मोह के नशे का परिणाम है ।

स्वयं की इस विचित्र एवं रहस्यमय हिंसा की जो मूल कारण राग-द्वेष है उसमें भी गहराई से विचारे तो द्वेष की जड़ भी राग ही है । द्वेष को खारा एवं काले रंग का जहर अथवा बिच्छु काटने के समान माना है, क्योंकि इससे प्रायः दूसरों का अहित सोचना या करना होता है । इसलिये इससे होने वाले टेशन, क्रोध, आवेग एवं अशान्ति आदि को तो फिर भी आसानी से अनुभव भी किया जा सकता है और समझा भी जा सकता है । परन्तु राग एक ऐसा जहर है जो अत्यन्त सुन्दर, मधुर, सुगन्धित एवं स्वादिष्ट बादाम के हलवे की तरह मीठा लगता है । साँप के काटने से आने वाली गेल या नशे के समान है इसलिये इससे होने वाले तनाव एवं अशान्ति को न तो आसानी से समझा जा सकता है और न यह अनुभव में ही आता है । क्योंकि इस सुखद एवं मधुर लगने वाली अशान्ति में दुःख एव पाप रूप जहर भी मीठा एव धीमी गति से असर करने वाला होता है । इसलिये जैन-दर्शन ने राग को ही हिंसा और रागरहितता-वीतरागता को ही सच्ची अहिंसा एव धर्म माना है । इसके अनेक दूसरे प्रमाण भी हैं ।

‘जैन’ शब्द स्वयं ही वीतरागता का द्योतक है क्योंकि ‘जिन’ अर्थात् राग-द्वेष के जीतने वाले को ‘जिन’ कहते हैं और ‘जिन’ के उपासकों को ही ‘जैन’ कहा जाता है ।

इसी प्रकार जैन-दर्शन का सर्वमान्य मंत्र ‘नमस्कार महामत्र’ का पहला पद भी ‘णमो अरिहंताणं’ है । इसमें ‘अरि’—अर्थात् राग-द्वेष रूपी शत्रु को ‘हताणं’ अर्थात् हनन करने वाले अथवा जिन्होंने हनन कर दिया, उन्हें मैं नमस्कार करता हूँ और उन्हीं को सच्चे देव के रूप में स्वीकार किया गया है ।

जैन दर्शन में आत्म-विकास के क्रम-रूप में गुणस्थान स्वरूप में भी मोह के भेद-रूप अट्टाडिस प्रकृतियों के क्षय-उपशम आदि को ही पूर्ण प्रधानता दी गई है । अठारह पापों में सबसे बड़ा पाप मिथ्यादर्शन शल्य को माना है न कि प्राणातिपात को । सम्यग् दर्शन के अभाव में हिंसादि सत्रह पापों का त्याग मात्र द्रव्य त्याग है । सम्यक् दर्शन की प्राप्ति राग-द्वेष का मूल अनन्ता-



नुबन्धो कषाय चतुष्क एवं मिथ्यात्व मोहनीय आदि इन सात के क्षय-उपशम-क्षयोपशमादि से ही मानी है ।

अहिंसा और वीतरागता मे फल और बीज जैसा सम्बन्ध है । वीतरागता बीज रूप है और उसका अन्तिम फल अहिंसा है । जिस प्रकार आम आदमी फल को प्रमुखता देता है और फल के अन्दर रहे हुए बीज की उपेक्षा ही करता है, उसी प्रकार आज अधिकांश जैन समाज ने भी वीतरागता रूप सच्ची अहिंसा को भुला कर ऊपरी प्राण-शून्य द्रव्य अहिंसा को ही सच्ची अहिंसा समझा है । व्यक्ति जैसा समझता है वैसा ही वह आचरण करता है इसलिये धार्मिक क्रिया-कलापो में भी मूल वीतरागता के लक्ष्य को भूल कर मात्र ऊपरी क्रियाकाण्डों में ही धर्म की इति श्री मान ली गयी ।

जिस ज्ञान और क्रिया के फलस्वरूप यदि वर्तमान जीवन में राग-द्वेष कम न हो तो वह ज्ञान मात्र गधे की पीठ पर शास्त्रो के बोझ की तरह भार रूप है और क्रिया भी मात्र कायक्लेश रूप है ।

जैन दर्शन में हिंसा-अहिंसा की इतनी तार्किक, मार्मिक, व्यावहारिक एवं वैज्ञानिक व्याख्या उपलब्ध होते हुए भी जैन धर्म के मानने एवं पालने वाले समाज की स्थिति आज बड़ी विचित्र, हास्यास्पद एवं दयनीय हो रही है । उसका मूल कारण भी अहिंसा का मूल प्राण जो वीतरागता है, उसको प्रायः भुला देना ही है । हिंसादि अठारह ही पापों जिनमें क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष एवं मिथ्या दर्शन शल्य तक सम्मिलित है, उन सब पापों का करना, कराना, अनुमोदना रूप तीन कारणों से और मनसा, वांचा, कर्मणा रूप तीनों योगों से त्याग करके पूर्ण अहिंसक कहलाने वाले अधिकांश साधु-साधवियों भी आज मम और अह अथवा राग-द्वेष घटाने के बजाय उल्टे बढ़ाने में व्यस्त दिखाई देते हैं । धर्म, प्रशस्त राग अथवा धर्मानुराग के भुलावे में सम्प्रदाय, संघ अथवा संगठन के नाम पर साम्प्रदायिकता का उन्माद इतना हावी होता जा रहा है कि 'मै' और 'मेरेपन' के सिवाय मानो इनको कुछ नजर ही नहीं आ रहा है । जब 'तिन्नाण तारयाणं' कहलाने वाले गुरु वर्ग की स्थिति इस प्रकार की हो तो वेचारा गृहस्थ अथवा श्रावक समाज जिसमें ६५ प्रतिशत तो प्रायः इन धर्म-गुरुओं के अन्धभक्त ही होते हैं, वे इस वीतरागता रूप अहिंसा के स्वरूप को समझ ही कैसे सकते हैं ?

अहिंसा को पूर्णरूपेण आचरण में उतारने का दावा करने वाले त्यागी वर्ग में भी जिस ज्ञान और क्रिया के फलस्वरूप जीवन में नम्रता, सरलता, उदारता, प्रसन्नता, समता, शान्ति, करुणा, मैत्री आदि जैसे सद्गुण न बढ़कर अगर उल्टे अहं, संकीर्णता, वक्रता, तनाव, ममता, राग एवं द्वेष आदि के फलस्वरूप अगर अन्तरंग अशान्ति बढ़ रही हो तो उस ज्ञान अथवा क्रिया

से न धर्म होता है न पुण्य ही । जिस प्रकार कुटुम्ब में स्वार्थ एवं रागवश किया गया त्याग अथवा सेवा से पुण्य या धर्म नहीं होता, इसी प्रकार जिस ज्ञान अथवा त्याग के अन्दर अगर 'अहं' या 'मम' का स्वार्थ रहा हुआ हो तो वह भी धर्म के नाम पर पाप ही है, स्व-पर की अहिंसा के नाम पर स्व की तो हिंसा ही है । ऐसे अहिंसा के पुजारी अपना तो अहित करते ही हैं साथ में नव-युवकों एवं अजैन समाज में सच्चे अहिंसा दर्शन एवं धर्म के प्रति आस्था बढ़ाने के बजाय उल्टा घटाने का ही कार्य करते हैं । जिस प्रकार देश में भी आज अपनी कुर्सी एवं अपनी पार्टी की स्वार्थान्धता में वोटों की राजनीति चल रही है, सच्चे देश-प्रेम के अभाव में देश की भयंकर हानि हो रही है, फिर भी इन नेताओं को समझ में आना मुश्किल हो गया; वही हालत आज के इन धर्म-नेताओं की भी है ।

कैसी विचित्र, हास्यास्पद एवं दयनीय स्थिति है हमारी कि अहिंसा के पालनार्थ कच्चे पानी एवं वनस्पति का त्याग करने वाला शरीर के रागवश दवाई के नाम पर मासाहारी दवाइयों का प्रयोग भी नहीं छोड़ सकता । घर एवं स्थानक में कीड़ी-कुत्थुवे की दया पालने वाला लोभ के वश धी में चर्वी, इससे बढ़कर अण्डे-मछली के व्यापार या कत्लखाने तक भी खुलवाने में नहीं हिचकता । लोभवश देहेज के लिये पुत्रवधुओं को मार देना, जला देना अथवा तंग करना तो मानो आम बात हो गई है । हमारे घरों, दुकानों अथवा फैक्टरियों में काम करने वाले नौकरों को जानवर से ज्यादा कुछ नहीं गिनते । गिरवी जैसा धन्धा करते हम गरीबों का खून भी चूस जाने से नहीं चूकते ।

पूर्ण अहिंसक बनने हेतु धन, कुटुम्ब आदि को छोड़ने वालों में अधिकांश साधु-साध्वी अपने मम एवं अहम् के वशीभूत होकर संवत्सरी जैसे पर्व को एक दिन मनाने के लिये भी एक मत नहीं हो सकते । धर्म के प्रचार-प्रसार के नाम पर विविध प्रकार के आडम्बर, प्रदर्शन अथवा भक्तों की भलाई के नाम पर मन्त्र-तन्त्र एवं चामत्कारिक प्रयोगों में फँस रहे हैं । स्वयं के अथवा सम्प्रदाय के ममत्व एवं अहमत्व-वश अन्य सम्प्रदायों, संघों आदि से ईर्ष्या, द्वेषवश निन्दा करना, कीचड़ उछालना, झूठे आरोप लगाना आदि तक से भी नहीं चूकते । अधिकांश संघ अथवा सम्प्रदाय भी आपसी गुटवाजी सघाडे-वाजी के कारण प्रेमपूर्वक रह नहीं सकते ।

इन सबका नतीजा यह है कि जैन एवं अहिंसक कहलाने वाले कुटुम्बों अथवा सम्प्रदायों में भी अधिकांश व्यक्ति अन्तरगत तनाव, अशान्ति आदि से त्रस्त हैं और प्रबुद्ध वर्ग अथवा अन्य समाजों के लिये हँसी के पात्र बने हुये हैं । जैन समाज की वर्तमान इस दुर्दशा का कारण भी अहिंसा सम्बन्धी ही कुछ मूल की भूले ही हैं जो निम्न प्रकार हैं :—

वैसे ये भूले मात्र जैनों में ही हो, ऐसी बात नहीं। प्रायः सभी धर्मों की हालत भी ऐसी ही है परन्तु चूँकि जैन धर्म एव दर्शन सबसे ज्यादा अहिंसक माना जाता है, इसलिये मुख्य रूप में इसका नाम लिया गया है। वैसे तो आज के विश्व में कितनी लड़ाइयाँ, हिंसादि प्रवृत्तियाँ, मारकाट आदि धर्म के नाम पर ही हो रहे हैं। हिन्दुस्तान की राजनीति में भी आज धर्म को ही बहाना बनाया जा रहा है।

१ धर्म या अहिंसा का मूल जो समता अथवा वीतरागता है उसको न समझ सकना या भुला देना। वास्तव में तो 'अहिंसा परमो धर्मः' का नारा जिसे आज प्रायः सभी जैन एवं अधिकांश अजैन भी इसे जैनों का नारा मानते हैं तथा जो प्रायः हर जैन स्थानक, उपाश्रय आदि में लिखा हुआ भी मिलता है, यह जैनों का है ही नहीं, यह तो महाभारत के अठारहवें पर्व में आया वैदिकों का नारा है। जैनों का असली नारा तो 'वीतरागता परमो धर्मः' है। क्योंकि जैन-दर्शन का मानना है कि हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह आदि सभी पापों के मूल में तो क्रोध, मान, माया, लोभ आदि कषाय हैं जिनका संक्षिप्त दो भेदों में नाम राग एव द्वेष तथा एक भेद में कहीं मोह, कहीं प्रमाद आदि दिया गया है। कषाय अथवा राग-द्वेष के बिना कोई हिंसादि पाप कर ही नहीं सकता और अगर हिंसा, झूठ आदि प्रवृत्ति, कषाय के अभाव में अशक्य परिहार के रूप हो जाती है तो उससे पाप-का लगना नहीं माना जाता, इसे ऊपर विस्तार से सिद्ध किया जा चुका है। इसीलिये जैन दर्शन में पापों में प्राणातिपात को प्रथम रख कर भी इसे मुख्य नहीं माना गया। मुख्य तो मिथ्या दर्शन शल्य नामक अठारवाँ पाप ही माना गया है।

२. भौतिक सुखो की प्राप्ति को अर्थात् धन, कुटुम्ब, शरीर, यश आदि के मिलने को धर्म का फल माना जा रहा है, जबकि ये पुण्य रूप कर्म के फल-स्वरूप मिलते हैं न कि धर्म के फल-स्वरूप। भौतिक सुख जो साता वेदनीय या शुभ नाम कर्म के उदय के फल-स्वरूप है, अगर इनके भोग में जीव राग करता है तो पाप का बन्ध करता है। पर आज के ६५ प्रतिशत जैनी इस अहिंसादि ऊपरी धर्म का पालन भौतिक सुखो के लिये करते हैं। कई धर्म गुरु स्वयं भी इस भूल के शिकार हैं। अपने भक्तो का दुःख दूर करने या धन, पुत्रादि की प्राप्ति हेतु माला, जाप, मन्त्र, तन्त्र आदि बता देते हैं या मांगलिक सुनाया करते हैं। धर्म का फल शान्तियुक्त सच्चा आध्यात्मिक सुख है।

३. स्वार्थ एवं राग आदि से रहित जो अहिंसा दया, करुणा, सेवा, परोपकार आदि धर्म का फल जो तत्काल शान्ति का मिलना है, जिसका सम्बन्ध पहले ज्यादा वर्तमान जीवन से है, उसको न समझ सकना और इसके

फलस्वरूप धर्म का फल परलोक से अर्थात् मरने के बाद स्वर्ग आदि का मिलना मानना। मम अथवा अहम् रूप स्वार्थ के नाश अथवा कमी करने की भावना युक्त होकर जो भी अहिंसादि संवर रूप अथवा स्वाध्याय, सेवा, परोपकार आदि निर्जरा रूप जो भी क्रिया की जाती है, उससे तत्काल शान्ति मिलती है। पानी पीते ही जैसे प्यास बुझती है। जैन दर्शन में नव तत्वों में धर्म के तत्व संवर, निर्जरा एव मोक्ष को ही स्वीकार किया गया है। इनकी न स्थिति बंधती है न अबाधा काल होता है। स्थिति बंध एवं अबाधा काल कर्म का होता है। धर्म के साथ जो पुण्य होता है वह कर्म है, धर्म नहीं इसलिये कालान्तर या परलोक आदि में जो फल मिलता है वह पुण्य का है। जिस प्रकार गेहूँ, चावल आदि धान्यों के साथ खाखला या भूसादि होता है, इसी प्रकार धर्म धान्य रूप है तो पुण्य खाखले रूप है। इस भूल का नतीजा भी आज समाज भोग रहा है कि अहिंसा, अपरिग्रह एवं अनेकान्त के रहस्य को समझने और जीवन में पालन करने का व्रत ग्रहण करने वाले भी अधिकांशतः तनाव एवं अशान्ति से अन्तरंग में ग्रस्त हैं। कारण कि अहं के स्वार्थ को भी स्वार्थ मानना समझ में नहीं आता जबकि धन एवं सेवा के स्वार्थ से बढ़कर मुख्य किन्तु सूक्ष्म स्वार्थ तो अहं का ही है।

४. अहिंसा, दया, करुणा आदि की पालना में भी क्रम जो पंचेन्द्रिय उसमें भी सर्व प्रथम मनुष्य, फिर पशु-पक्षी आदि फिर क्रमशः चौइन्द्रिय, तेइन्द्रिय, वेइन्द्रिय फिर एकेन्द्रिय होना चाहिये था पर आज वह भी उल्टा पकड़ लिया गया। पानी एवं वनस्पति अथवा वेइन्द्रियादि की हिंसा से बचने का लक्ष्य या ध्यान तो फिर भी रह सकता है, उसके लिये तो हमेशा नियम भी लिये जाते हैं परन्तु सभी पंचेन्द्री जो पशु आदि है तथा मनुष्यों जिनमें हमारे कुटुम्बीजन, नौकर, ग्राहक आदि भी है, उन पर द्वेषवश क्रोधादि नहीं करने का नियम कब लिया जाता है? इससे हमारे कौटुम्बिक एवं सामाजिक दैनिक जीवन में तनाव एवं अशान्ति बढ़ती ही जा रही है, जो सबसे बड़ी हिंसा है।

जैन दर्शन में मोह के क्षय को ही मोक्ष तथा कषाय से मुक्त होने को ही मुक्ति माना है। मोक्ष की साधना के लिये कहा गया है—सम्यग् दर्शन, ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः।  
—तत्त्वार्थ अ. १ सूत्र १।

विना सम्यग् दर्शन के अर्थात् मिथ्या दर्शन शल्य रूप अठारहवे पाप के त्याग के विना हिंसादि सत्तरह पापों के त्याग को मात्र द्रव्य त्याग कहा है। उसे धर्म या सच्ची अहिंसा की कोटि में स्वीकार नहीं किया गया। मोह की तीव्रतम गांठ मिथ्यात्व मोहनीय एवं राग-द्वेष की जड़ अनन्तानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ के नाश किये विना सम्यग् दर्शन की प्राप्ति नहीं।

वर्तमान जीवन में भी सच्ची शान्ति एवं आनन्द राग-द्वेष की कमी तथा समता एवं वीतरागता की वृद्धि से ही प्राप्त हो सकता है । मुक्ति भी उसी जीव की होती है जो मनुष्य जन्म में ही पहले राग-द्वेष का सम्पूर्ण नाश कर वीतराग बनता है, फिर सर्वज्ञ बनता है, यही भाव मुक्ति है । वीतराग सर्वज्ञ का ही निर्वाण को प्राप्त होने पर देह मुक्त या द्रव्य मोक्ष होता है । राग-द्वेष से मुक्त होने पर जीव पहले स्वयं का पूरा एवं सच्चा अहिंसक बन जाता है और शरीर से मुक्त होने पर ही वह प्राणी मात्र की होने रूप हिंसा से भी बच कर 'स्व-पर' का सच्चा अहिंसक बन जाता है और सदा-सदा के लिये शाश्वत शान्ति एवं आनन्द का भागी बन जाता है ।

—संयोजक, स्वाध्याय संघ, घोड़ों का चौक, जोधपुर

## फिर भरो अहिंसा का प्रकाश

□ डॉ० रामगोपाल शर्मा 'दिनेश'

[ १ ]

ऋषियो-मुनियों की धरती पर,  
नर-मेध नित्य अब होते है ।  
कर रहे हिंस्र पशु अट्टहास,  
गीता-कुरान सब रोते है ।  
हिंसा के भीषण ताण्डव से,  
भय-ग्रस्त हुआ सूरज युग का !  
हे महावीर ! तुम दो प्रकाश,  
रोको विनाश, रोको विनाश !

[ २ ]

सत्ता-विलास का लोभ बढ़ा,  
जीवन के मूल्य विलीन हुए ।  
छल दम्भ और पाखण्ड ओढ़,  
मानव, पशु से भी हीन हुए ।  
घिर रही चतुर्दिक् मृत्यु-घटा,  
अंगार भरे अन्यायों के ।  
हे महावीर ! जीवन-रण मे,  
फिर भरो अहिंसा का प्रकाश ।

[ ३ ]

सब मे ममता, सब की समता,  
जन-हृदय प्रेम का सागर हो ।  
विद्वेष वैर प्रतिशोध भाव,  
सब मिटे शिवम् मय हर नर हो ।  
हे महावीर ! हो उदय सत्य,  
सब करे क्षमा में नित्य लास !  
दो नई आश, रोको विनाश ।  
फिर भरो अहिंसा का प्रकाश ॥



# चैतन्य महाप्रभु और अहिंसा

□ डॉ० उषा गोयल

विश्व के सभी धर्म मनुष्य मात्र कल्याण के लिए बने हैं। सभी धर्मों ने प्रेम, दया और परोपकार जैसे उच्च मूल्यों का संदेश दिया है। इस संदेश की प्रक्रिया-साधन पद्धतियाँ—चाहे भिन्न-भिन्न-रही हों किन्तु लक्ष्य सभी का एक ही है—मानवता का विकास। भारतीय धर्म और संस्कृति के मूल मन्त्र है—प्रेम और अहिंसा। इनके सैद्धान्तिक और व्यावहारिक पक्षों से सम्बन्धित विपुल मात्रा में सरस साहित्य की रचना हुई है जिसने भारतीय जन मानस को व्यापक रूप में, गहराई तक प्रभावित किया है। वैष्णव धर्म के अनुसार भगवद् प्रेम साध्य भी है और साधन भी। वैष्णव भक्ति में सेवा, परदुःखकातरता व दीनता का विशेष स्थान रहा है। भक्त कवि नरसी मेहता ने सच्चे भक्त की परिभाषा इस प्रकार दी—“वैष्णव जन तो तैने कहिये जे पीर पराई जाणे रे।” तुलसीदास ने भी कहा—“परहित सरिस धर्म नही भाई। परपीड़ा सम नहीं अधमाई।” वास्तव में दूसरों को किसी भी प्रकार से कष्ट देना हिंसा और सुख देना अहिंसा है। अहिंसा का यही व्यापक अर्थ वैष्णव-प्रेम-भक्ति में अभिव्यक्त हुआ है।

चैतन्य महाप्रभु प्रेम के साक्षात् स्वरूप थे, रसराज श्रीकृष्ण और उनकी आह्लादिनी शक्ति महाभावस्वरूपा श्री राधा के मीलित अवतार थे। बंगभूमि जब वाममार्गीय तान्त्रिक उपासना की हिंसात्मक व अनाचारपूर्ण साधना एवं बाह्य आडम्बरों व संकीर्ण विचारधाराओं में जकड़ी हुई थी, तब चैतन्य ने राधा-कृष्ण की सात्त्विक व भावमयी उपासना से जीवन को ऊर्ध्वगामी करने का महत्त्वपूर्ण कार्य किया। उन्होंने नृत्य-गीत समन्वित महाभावपूर्ण संकीर्तन के द्वारा कृष्ण-प्रेम भक्ति की मधुर धारा से जन-मानस को आनन्द-रस में निमग्न किया। यही प्रेम—यही अखण्ड आनन्द, अहिंसा और शांति का मूल स्रोत है।

चैतन्य महाप्रभु के अवतरण का मूल प्रयोजन नाम संकीर्तन द्वारा प्रेम-भक्ति का प्रचार करना था। उन्होंने भगवद्-प्रेम को परम पुरुषार्थ—‘प्रेमा पुमर्थो महान्’—माना। इसलिए उन्होंने किसी सम्प्रदाय विशेष की स्थापना न करके अपने आचरण द्वारा सार्वजनिक प्रेम-धर्म का प्रचार किया। कृष्ण-प्रेम के माध्यम से उन्होंने जीव मात्र के प्रति प्रेम को प्रचारित किया। उन्होंने कहा—

जीवे दया नामे रुचि, वैष्णव सेवन,  
एइ त्रय धर्म आछे सुनो सनातन”

—चैतन्य चरितामृत

अर्थात् जीव मात्र पर दया, भगवान के प्रति प्रेम और मनुष्य मात्र की सेवा—ये ही तीन श्रेष्ठ धर्म है ।

सच्चे प्रेम में अहं का विसर्जन और आत्म-समर्पण होता है । अभिमान-शून्यता और सहिष्णुता का भाव ही हमें मन, वचन और कर्म से अहिंसक बनाता है । चैतन्य महाप्रभु का मूल मन्त्र था—“कीर्तनीयः सदा हरि” । उन्होंने सकीर्तन का सच्चा अधिकारी उस व्यक्ति को माना जो तिनके से भी अपने को तुच्छ समझे, वृक्ष से भी अधिक सहिष्णु बने और स्वयं अभिमान रहित होकर दूसरों को सम्मान दे—

“तृणादपि सुनीचेन, तरोरपि सहिष्णुना ।

अमानिना मानदेन, कीर्तनीयः सदा हरि ॥”

वस्तुतः चैतन्य ने सकीर्तन के माध्यम से, प्रेम और अहिंसा का सन्देश देकर अपने युग की समस्याओं का समाधान किया । उस समय की समस्याएँ भी बहुत कुछ आज जैसी ही थी । नाना प्रकार के विद्रोह, षड्यन्त्र, हत्या, व्यभिचार व विद्वेष से भय व आतंक का वातावरण था । ऐसे समय में उन्होंने भारत के विभिन्न स्थलों में स्वयं घूम-घूमकर और अपने पार्षदों को भेजकर प्रेम का प्रचार करके हिंसात्मक उग्र प्रवृत्तियों को शान्त किया । उनका महाभावपूर्ण संकीर्तन जड़ और चेतन दोनों को प्रेममय बना देता था । राक्षसी प्रवृत्ति वाले मनुष्य ही नहीं, शेर, चीते जैसे हिंसक जीव-जन्तु भी उनके प्रेम के वशीभूत हो प्रेमोन्मत्त हो जाते थे ।

संकीर्तन रूपी प्रेमास्त्र आज के आणविक अस्त्र से बहुत अधिक शक्तिशाली है । आणविक अस्त्र मनुष्य की देह पर प्रहार करता है अतः विनाशकारी होता है लेकिन संकीर्तन रूपी प्रेमास्त्र मनुष्य के अन्तःकरण पर प्रहार करता है, इसलिए मंगलकारी होता है । महाप्रभु चैतन्य ने इसी मंगलकारी संकीर्तन के अस्त्र से स्वेच्छाचारी व हिंसात्मक शक्तियों को भुकाया । उनके समय में जब काजी ने राजाज्ञा द्वारा कीर्तन पर प्रतिबन्ध लगाकर जनता की स्वतन्त्रता को छीना और मनमाना अत्याचार किया तो उन्होंने उसे चुपचाप सहन नहीं किया और डटकर उसका विरोध किया लेकिन शान्तिपूर्ण तरीके से । उन्होंने जनशक्ति को जाग्रत कर काजी के सामने सामूहिक संकीर्तन किया और ‘मामा’ कहकर काजी को आत्मीयता से सम्बोधित किया । प्रेमास्त्र की मार से काजी का हृदय विदीर्ण हो गया और अन्ततः उसे आत्मसमर्पण कर अपनी निषेधाज्ञा वापिस लेनी पड़ी ।

महाप्रभु ने काजी के द्वारा गोवध बन्द कराया और उसे अहिंसा व प्रेम का उपदेश दैते हुए कहा—“गाय दूध देती है अतः तुम्हारी माता तुल्य है और बैल अन्न उत्पादन करते है अतः तुम्हारे पिता तुल्य है । माता-पिता का वध कर उनका भक्षण करना अधर्म और निन्दनीय कर्म है । जब मनुष्य में किसी प्राणी को जीवित करने की शक्ति नहीं है तो किसी को मारने का भी उसे क्या अधिकार है ?” (चैतन्य चरितामृत—कृष्णदास कविराज, १/१७/१४७, १४८) महाप्रभु ने धर्म के नाम पर मूक, निरीह व निर्दोष पशुओं की बलि जैसी हिंसात्मक कुप्रथाओं की समाप्ति के लिए अनेक प्रयास किए । वे खण्डला और नासिक होते हुए जब सुराट नगर पहुँचे तो वहाँ अष्ट-भुजा देवी के मंदिर में एक ब्राह्मण वक्रे को बलि चढ़ाने को तत्पर था । उन्होंने उसे रोकते हुए अहिंसा का शास्त्र सम्मत उपदेश दिया और कहा कि “कोई भी शास्त्र देवी को पशुबलि चढ़ाने के लिए नहीं कहते, शास्त्र तो अहिंसा धर्म का पालन करने और सब प्राणियों पर दया ही करने का उपदेश करते है ।” इस सदुपदेश से ब्राह्मण के मन में अहिंसात्मक सात्विक भावों का उदय हुआ ।

चैतन्य के प्रेम ने जगाई, मघाई जैसे दुराचारी व्यक्तियों और दुर्दान्त डाकुओं का भी हृदय-परिवर्तन किया । बगुला वन में पन्थ भील आदि डाकुओं के साथ तीन दिन रहकर हरिनाम—कीर्तन द्वारा उनके कठोर हृदय को द्रवीभूत किया । महाप्रभु ने उनकी प्रशंसा करते हुए कहा कि “तुम पत्नी, पुत्र आदि किसी के मोह में नहीं बंधे, गृहस्थियों की तरह विषय—वासनाओं में नहीं फँसे, जगलों में विरक्त साधुओं की तरह घूमते हो अतः तुम एक क्षण में सब कुछ त्यागकर प्रभु के भजन में लग सकते हो ।” (चैतन्य लीलामृत—डॉ० अचध-विहारीलाल कपूर, पृ० २६२) । इस प्रकार के प्रशंसापूर्ण वचनों को सुनकर डाकू के मन में आत्मग्लानि हुई और सहजरूप से पश्चात्ताप के भाव जाग्रत होते ही वह तुरन्त अपने पापों को स्वीकार कर महाप्रभु के चरणों में गिर पड़ा । इसी प्रकार चोरानन्दी वन में नौरोजी डाकू ने भी संकीर्तनानन्द के प्रभावस्वरूप हिंसात्मक प्रवृत्तियाँ त्यागी ।

। प्रेम और अहिंसा के द्वारा हृदय के परिष्कार पर चैतन्य ने सर्वाधिक बल दिया । उनका आचरण इसे भली भाँति प्रतिपादित करता है । उनके समय में सुबुद्धिराय को षड्यन्त्र के द्वारा काशी के रुद्धिवादी पण्डितों ने जाति से बहिष्कृत कर दिया था और उनके पश्चात्ताप के लिए उबलते हुए घी के पान का विधान किया था । चैतन्य ने इस प्राणघातक हृदयहीन व्यवस्था को चुनौती दी और इस निर्मम दण्ड विधान को ठुकराकर सुबुद्धिराय को वृंदावन भेज दिया, जहाँ संकीर्तनामृत के मधुर आस्वादन द्वारा उनके जीवन को सार्थक दिशा प्रदान की । चैतन्य ने प्रेम से परिपूर्ण मधुर वचनों द्वारा अहिंसात्मक



को प्रोत्साहन दिया। नागर नगर में एक ईर्ष्यालु ब्राह्मण ने कुछ अपशब्द बोलकर महाप्रभु का अपमान किया और उन्हें मारना चाहा। किन्तु महाप्रभु के मन में क्रोध का भाव नहीं आया अपितु उन्होंने हँसकर कहा कि—“तुम मुझे मार भले ही लो, उससे मुझे तनिक भी दुःख नहीं होगा किन्तु दयाकर एक बार मन से ‘हरि’ बोलो, जिससे मेरे प्राण शीतल हों। मैं तुमसे यही भिक्षा मांगता हूँ—

आमारे आघात कर ताते दुःख नाई।

प्राण भरे हरि बोलो एइ भिक्षा चाई।”

—अमिय निमाई चरित—शिशिर कु घोष (६/३/७०-७१)

प्रेम और करुणा के इस प्रवाह में ब्राह्मण की ईर्ष्याजन्य हिंसक वृत्तियाँ ब्रह्म गई और उसका हृदय प्रेम-रस से भर गया।

चैतन्य महाप्रभु के जीवन चरित्र में ऐसे अनेकानेक प्रसंग मिलते हैं जिनसे यह ज्ञात होता है कि उन्होंने प्रेम के व्यापक, गहन व सहज प्रभाव द्वारा अहिंसा की भावना का प्रसार किया। सर्वोदय, अहिंसा और शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व के ये आदर्श आगे चलकर महात्मा गाँधी, विनोबा और जयप्रकाशनारायण जैसे महापुरुषों के जीवन-दर्शन और कार्यों के महत्त्वपूर्ण व आधारभूत सिद्धान्त बने। हिंसा और तनाव से भरे आज के इस युग में भी हमारी समस्याओं का समाधान निस्संदेह प्रेम और अहिंसा में ही निहित है। इसी मार्ग पर अग्रसर होकर मानवता अक्षुण्ण बनी रह सकती है।

—वरिष्ठ व्याख्याता, हिन्दी विभाग,  
श्री सत्य साई कॉलेज फॉर वीमेन, जयपुर

## पर दुःख कातर

□ डॉ० गोवर्धन शर्मा

अपनी चमक-दमक पर मन ही मन मुग्ध होता जुगनू एक जलते दीपक के पास जा पहुँचा। बोला—“तुम चमकते तो हो पर प्रकाश के साथ ही यह काला-काला क्या उगलते हो? मुझे देखो! मैं चमकता भी हूँ, पर तुम्हारी तरह कालिमा नहीं फैलाता।”

दीपक शान्त स्वर में बोला—क्या करूँ? मेरा स्वभाव ही ऐसा है। मुझे दुःख इसी बात का है कि मेरी एक सीमा है, मर्यादा है। अपने घरे के बाहर प्रकाश देकर मार्ग भटके हुए पंथी का पथ आलोकित नहीं कर पाता। अपनी इभ अशक्ति और विवशता के ताप में जला जा रहा हूँ, उसी की यह आह है।



# महात्मा गाँधी का अहिंसा-दर्शन

□ डॉ० ज्ञानप्रकाश पिलानिया

महात्मा गाँधी का स्वभावतः अहिंसा में अटूट विश्वास था। महात्मा गाँधी की अहिंसा कोई निषेधात्मक धारणा नहीं थी वरन् अच्छाई से बुराई को जीतने का सिद्धान्त था, प्राणी मात्र के प्रति मनसा, वाचा, कर्मणा सद्भावना रखने का विचार था, सर्वोच्च प्रेम और आत्म-बलिदान की धारणा थी, जिसमें घृणा के लिए कोई स्थान नहीं था।

गाँधीवादी दर्शन के अनुसार अहिंसा तीन प्रकार की हो सकती है— जाग्रत अहिंसा, औचित्यपूर्ण अहिंसा एवं भीरुओं की अहिंसा। जाग्रत अहिंसा वह है जो व्यक्ति में अन्तरात्मा की पुकार के अनुसार स्वभावतः उत्पन्न होती है और व्यक्ति अहिंसा को आन्तरिक विचारों की नैतिकता के कारण स्वीकार करता है। यह अहिंसा का सर्वोत्कृष्ट रूप है जिसमें असम्भव को सम्भव बना देने की शक्ति है। औचित्यपूर्ण अहिंसा वह है जो जीवन के क्षेत्र-विशेष में आवश्यकता पडने पर औचित्य के अनुसार एक नीति के रूप में अपनाई जाए। अहिंसा का यह रूप दुर्बल व्यक्तियों के लिए है पर ईमानदारी और दृढ़ता से पालन करने पर यह अहिंसा काफी लाभदायक सिद्ध हो सकती है। भीरुओं की अहिंसा तो निकृष्ट अहिंसा है। “कायरता और अहिंसा आग तथा पानी की भाँति एक साथ नहीं रह सकते।” अपनी नपुंसकता को छिपाने के लिए अहिंसा का आवरण धारण करने से तो हिंसक होना अधिक अच्छा है, क्योंकि हिंसक में साहस होता है तथा उससे यह आशा की जा सकती है कि किसी न किसी दिन वह अहिंसक बन जाएगा। कायर से इस प्रकार की आशा नहीं की जा सकती। महात्मा गाँधी ने जीवन के व्यावहारिक प्रयोग से यह सिद्ध किया कि अहिंसा आत्म-बल की प्रतीक है और यह ऐसा अमोघ शस्त्र है जो कभी खाली नहीं जा सकता। अहिंसा को वैयक्तिक आचरण तक ही सीमित न रखकर मानव-जीवन की प्रत्येक परिस्थिति में लागू किया जाना चाहिए। गाँधी की अहिंसा मोक्ष-प्राप्ति का ही साधन नहीं है वरन् सामाजिक शान्ति, राजनीतिक व्यवस्था, धार्मिक समन्वय और पारिवारिक निर्माण का भी साधन है।

महात्मा गाँधी ने समस्त मानवीय समस्याओं और व्यथाओं के निराकरण के लिए बहुमुखी अहिंसा का उपदेश दिया जिसे उन्होंने कभी-कभी प्रेम मानव-सहयोग आदि की संज्ञा दी। उनकी एक मूलभूत मान्यता यह

अहिंसा जन-साधारण के लिए तो आवश्यक ही है, नेताओं को विशेष रूप से इसका पालन कर जनता के सामने आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए।

गाँधीजी ने अहिंसा की परिभाषा करते हुए कहा—“मेरी सम्मति में अहिंसा किसी भी रूप में निष्क्रियता नहीं है। जैसा कि मैंने अहिंसा को समझा है, यह ससार में सर्वाधिक क्रियाशील शक्ति है। अहिंसा सर्वोत्कृष्ट एवं सबसे महान् नियम है।”

गाँधीजी की अहिंसा में निष्क्रियता और कायरता लेशमात्र भी नहीं है। एक अवसर पर उन्होंने कहा—“भारत की इज्जत की रक्षा के लिए, मैं यह अधिक श्रेयस्कर समझूँगा कि हमारा देश शस्त्र का सहारा ले बजाय इसके कि वह कायरों की तरह निस्सहाय होकर अपनी बेइज्जती होते हुए देखे।”

गाँधीजी ने अहिंसा को अपना धर्म स्वीकार करके अपने को कभी असहाय अनुभव नहीं किया। उन्होंने कहा—“कठोरतम धातु भी पर्याप्त ताप के आगे पिघल जाती है। इसी प्रकार कठोर से कठोर हृदय भी अहिंसा के पर्याप्त ताप के आगे द्रवित हो जाता है और ताप उत्पन्न करने की अहिंसा की क्षमता की कोई सीमा नहीं है। मेरे सामने अपने पचास साल के अनुभव में ऐसी स्थिति कभी नहीं आई जब मुझे यह कहना पड़ा हो, कि मेरे पास इसका कोई अहिंसक इलाज नहीं है।”

महात्मा गाँधी के अनुसार—“वस्तुतः, अहिंसा की अग्नि-परीक्षा यह है कि जब हिंसक बनने के लिए भयंकरतम उत्तेजना का अवसर मौजूद हो तब भी आदमी अहिंसक रीति से सोचे, बोले और आचरण करे। भद्र और नेक पुरुषों के प्रति अहिंसक बनने में कोई बड़प्पन नहीं है। अहिंसा ससार में वह सबसे बड़ी शक्ति है जो कि सबसे बड़े प्रलोभन का सामना करने की क्षमता रखती है।”

गाँधी के अनुसार—अहिंसा (किसी को हानि न पहुँचाना) का अभिप्राय है—असीम प्रेम। यह सबसे बड़ा नियम है। केवल इसी के द्वारा ही मानव जाति को बचाया जा सकता है। अहिंसा और सत्य एक दूसरे से अभिन्न हैं, और दोनों एक दूसरे की पूर्व कल्पना करते हैं। अहिंसा शक्तिशालियों और बहादुरों का अस्त्र है। भगवान् का सच्चा भक्त तलवार का प्रयोग करने की शक्ति रखता है, परन्तु वह यह जानते हुए कि प्रत्येक व्यक्ति भगवान् की प्रतिमा है, उसका प्रयोग नहीं करेगा। शांत, दृढ़ निश्चयी और प्रभु से डरने वाली जनता के वेग के आगे दुनिया की कोई ताकत नहीं टिक सकती। अहिंसा संसार के समस्त शस्त्रों से अत्यधिक शक्तिशालिनी है। अहिंसा सच्ची नम्रता की अपेक्षा रमती है, क्योंकि यह अपने पर निर्भरता नहीं, अपितु केवल भगवदाश्रितता है।

देश की आजादी में अहिंसा की भूमिका :

स्वर्गीय आचार्य श्री हस्तीमल जी म० सा० के शब्दों में, “गाँधी ने इस पर बड़ा चिन्तन किया। शायद यह कह दिया जाय तो भी अनुचित नहीं होगा कि महावीर की अहिंसा का व्यवहार के क्षेत्र में उपयोग करने वाले गाँधी थे। संसार के सामने उसूल के रूप में अहिंसा को रखने वाले महावीर के बाद में ये पहले व्यक्ति हुए। उन्होंने सोचा कि हमारे लिए यह अमोघ शस्त्र है। हमारे गौरांग प्रभु के पास में तोपे हैं, टैंक हैं, सेना है, तबेला है और हमारे पास में ये सब नहीं हैं। गाँधीजी ने अहिंसा का तरीका अपनाया। सबसे पहले उन्होंने अहिंसा को अपने जीवन में और विश्व के सम्पूर्ण प्राणीमात्र के जीवन में काम आने वाला अमृत बताया और कहा कि अहिंसा का अमृत पीने वाला अमर हो जाता है। उसी अहिंसा पर गाँधीजी को विश्वास हो गया। गाँधीजी के सामने भी देश को आजाद करने के लिये विविध विचार रहे।”

अष्टांग योग में अहिंसा :

पतंजलि ऋषि ने अष्टांग योग की साधना मुमुक्षुजनो के सामने रखी। अष्टांग योग में पहला है—यम। यम पाँच प्रकार के हैं। अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। सबसे पहला स्थान अहिंसा को दिया गया है। उन्होंने कहा कि जब तक अहिंसा को साध्य बनाकर नहीं चलोगे, तब तक आत्मा को, समाज को, राष्ट्र को और किसी को दुःख-मुक्त नहीं कर सकोगे। पतंजलि के शब्दों में ही “अहिंसा प्रतिष्ठायां वैरत्यागः।” यदि आप चाहते हैं कि दुनिया में आपका कोई दुश्मन न रहे, तो आप अहिंसा को धारण करें। मानव समाज में मतभेद स्वाभाविक है। अधिकारों के लिए भी संघर्ष हो सकते हैं। हिंसा जीवन का स्वभाव नहीं, अपितु मनोविकार है। अहिंसा आत्मा का स्वाभाविक गुण है। देश आजाद हुआ। किससे? अहिंसा, प्रेम और बन्धुत्व भावना की एक शक्ति के द्वारा।

अहिंसा-तत्त्व को जीवन में उतारें :

स्वर्गीय आचार्य श्री हस्तीमल जी म० सा० ने अहिंसा के सिद्धान्त को अपनाने का आह्वान करते हुए कहा—“महावीर ने धर्म-क्षेत्र में अहिंसा को अपनाने की शिक्षा दी। गाँधी ने राज्य-क्षेत्र में अहिंसा को अपनाने की प्रयोगात्मक शिक्षा दी। महावीर ने अहिंसा के द्वारा आत्मशुद्धि करने का वारीक से वारीक चिन्तन किया, लेकिन गाँधी ने चिन्तन किया कि घर गृहस्थी के मामलों को भी अहिंसा हल कर सकती है। अहिंसा के द्वारा कोई भी बात-चाहे समाज की हो या घर की, हल की जा सकती है। जिसके घर में अहिंसा के वजाय हिंसा होगी, प्रेम के वजाय फूट होगी, वहाँ शक्ति, समृद्धि, मान-सम्मान सब का हास होगा। उनका जीवन काम करने के लिये आगे नहीं बढ़ पायेगा।

इसलिये महावीर का अहिंसा सिद्धान्त देश में समस्त मानव जाति को सिखाना होगा, अमली रूप में लाना होगा। सभी लोग इसे अमल में लावे, उससे पहले महावीर के भक्तों को इसे अपनाने की सबसे पहली आवश्यकता है। लेकिन महावीर के भक्तों को अभी अपनी वैयक्तिक चिन्ता लग रही है। सबके हित की बात तो बोल जाते हैं, लेकिन करने के समय अपना घर, अपनी दुकान, अपना धन्धा, अपने बाल-बच्चों की व्यवस्था आदि के सामने दूसरी बातों की ओर देखने की फुरसत नहीं है। सार्वजनिक सेवा करने वाले लोग व्यक्तिगत स्वार्थ को भुलाकर, ममत्व को भुलाकर देखें कि गाँधो जैसे व्यक्ति देश के लिये बलि हो गये, गोली खाकर मर गये, लेकिन उन्होंने अहिंसा तत्त्व को अन्त तक नहीं छोड़ा। मरते समय उनके मुँह से 'राम' निकला। जहाँ ऐसा नमूना हमारे सामने है, वहाँ जैन समाज और भारत के अहिंसक समाज के लोगों को कितना उच्च शिक्षण लेना चाहिये ?”

—सदस्य, राजस्थान लोक सेवा आयोग—३०.५.००१

• □ •

## सक्रिय सेवा

□ श्री मनोज इकबाल

पं० मदनमोहन मालवीय का जीवन बड़ा संयमी व परोपकारी था। एक बार की बात है। प्रयाग में घण्टा घर के पास एक भिखारिन किसी पीडा से हाय-हाय कर रही थी। मालवीयजी उसका हाहाकार सुनकर रुक गए। उससे उन्होंने पूछा—‘क्या दर्द कर रहा है?’

वह बोल न सकी, तब उसके पास बैठकर वे पूछने लगे—‘कभी दवा करायी है?’

वह फिर न बोली और उनकी ओर ताकती रही। तब उन्होंने मिश्राजी से कहा—‘एक इक्का लाओ और इसे अस्पताल पहुँचाओ।’ उसे इक्के पर बिठाकर अस्पताल लाकर पूर्णरूप से दवा-इलाज करवाया तब उन्हें आत्म-संतुष्टि मिली। ऐसे इन्सानियत के पुजारी थे पण्डित जी !

—सुन्दर स्पोर्ट्स, चेटक सर्किल, उदयपुर



# अभिनव विज्ञान युग :

## अभिनव अहिंसा

□ आचार्य विनोबा भावे

सृष्टि की हर चीज में और हर एक व्यक्ति में दो तरह के मसाले हैं; एक को 'देह' कहते हैं, दूसरे को 'आत्मा'। देह और आत्मा, दोनों का दृढ़ सम्बन्ध है। दोनों का पोषण किये बिना मनुष्य को पूरा समाधान नहीं होता है। जो शरीर की तरफ ज्यादा झुकता है, वह सुखार्थी और आत्मा की तरफ ज्यादा झुकता है वह 'श्रेयार्थी' कहलाता है। शरीर के सुख के लिए 'विज्ञान' की और आत्मकल्याण के लिए 'आत्मज्ञान' की मदद मिलती है। प्राचीन काल से आज तक इन दोनों विद्याओं का विकास होता आया है। मानवजीवन में सुख-उपभोग के अनेक साधन बढ़े हैं। आज यहाँ बैठ कर दुनिया के किसी भी कोने से बातचीत हो सकती है। दूसरे ग्रहों में, आकाश में मनुष्य को प्रवेश मिला है। दूसरी तरफ, सत्यनिष्ठा, समत्व-बुद्धि, न्याय-वृत्ति, दया, प्रेम, वात्सल्य आदि गुणों का कुछ भान हुआ और प्रेम के विकास के लिए कुटुम्ब बने, समाज बना, राज्य बना, तरह-तरह की मर्यादाएँ और नियमन बनाये गये। पूरा विकास नहीं हुआ है। यात्रा अभी जारी है।

इस प्रकार मनुष्यरूपी पंखी के दो पंख हैं—(1) आत्मज्ञान और (2) विज्ञान। इन दो पंखों पर पक्षी विहार करता है। उनमें से एक भी पंख टूट जाये, तो उसकी उड़ान खतम हो जायेगी। इसलिए दोनों के विकास से ही जीवन में सतुलन आयेगा। समाज की दृष्टि से देखा जाये तो दोनों हिस्सों का संतुलन करने से ही समाज में समाधान स्थापित हो सकता है। प्राचीन काल में भारत में यद्यपि विज्ञान था, पर आध्यात्मिक तृष्णा अधिक थी। पश्चिम के देशों में पिछले तीन-सौ सालों में विज्ञान का विकास अधिक हुआ। विज्ञान ने आज सुख-विस्तार किया है, परन्तु ऐसा नहीं कह सकते कि उसके साथ शांति-समाधान भी बढ़ा है। विज्ञान के नाम से आज मनुष्य हिंसा जगत् में बहुत आगे बढ़ चुका है।

आखिर विज्ञान एक ऐसी शक्ति है, जिसका सदुपयोग-दुरुपयोग, दोनों ही हो सकते हैं, जबकि अध्यात्म का कभी दुरुपयोग नहीं हो सकता। आज विज्ञान के नाम से एक समूचा देश दूसरे समूचे देश के खिलाफ लड़ाई में खड़ा हो जाता है। तब यह नहीं सोचा जाता कि दूसरे देश में भी अच्छे लोग हैं, वहाँ भी स्त्रियाँ और बच्चे हैं, पेड़ हैं, प्राणी हैं, जिन्होंने हमें सताया नहीं है, और ऊपर से ऐसे वम बरसाये जाते हैं, जिससे सब खतम हो जाता है। आज नुस्खे

साधन तो बढ गए, पर उसका नियन्त्रण करने की अक्ल नहीं है। वह तो आत्मा के गुणों में रहती है, उनका विकास नहीं होगा तो मनुष्य दुःखी होगा। जीवन में भी भोग का स्थान है, परन्तु एक मर्यादा में। हमने सूत्र बनाया है 'त३भ'—जीवन में दो मात्रा त्याग की रहे, एक मात्रा भोग की रहे। विज्ञान अग्नि की खोज करता है परन्तु विज्ञान यह नहीं कहता कि अग्नि का उपयोग कैसे करना। वह आत्मज्ञान बताता है। आत्मज्ञान तय करता है कि अग्नि से रोटी पकानी है, मकान नहीं जलाना है। विज्ञान पर आत्मज्ञान का अंकुश चाहिए।

आज का युग विज्ञान-युग माना जाता है। विज्ञान-युग यानी पिछले दो-सवा दो-सौ वर्षों का युग। उसमें भी आखिरी पचास-साठ वर्षों में विज्ञान की जो प्रगति हुई, वह उसके पहले के २०० वर्षों में भी नहीं हुई थी। मनुष्य अब केवल पृथ्वी पर रहना नहीं चाहता, वह अब दूसरे ग्रहों में जाने लगा है। इसलिए कहना तो यह चाहिए कि अब 'अभिनव-विज्ञान-युग' शुरू हुआ है।

**विज्ञान समाज भावना ला रहा है :**

यह विज्ञान-युग क्या-क्या ले कर आता है, यह समझ लेने की जरूरत है। विज्ञान एक शक्ति है। शक्ति का सदुपयोग हो सकता है और दुरुपयोग भी हो सकता है। इसलिए विज्ञान-युग में विवेक अनिवार्य है। आज विज्ञान इतना व्यापक हो गया है कि व्यक्ति का व्यक्तित्व भी टिकने नहीं देगा। इस जमाने में वह समाज टिक सकेगा, जो अपने को समष्टि का अंश समझेगा। विज्ञान-युग में छोटे-छोटे सवाल भी एकदम अन्तर्राष्ट्रीय हो जाते हैं, और किसी भी देश का छोटा-सा सवाल समूची दुनिया को स्पर्श करता है, उस पर असर करता है। इस तरह आज विज्ञान मनुष्य को 'मैं' और 'मेरा' की वृत्ति छोड़ने को कह रहा है; यह युग अहंता और ममता का छेदन करने खड़ा है। आज तक आत्मज्ञान तो इस पर प्रहार कर ही रहा था, अब विज्ञान भी संकुचित वृत्ति पर प्रहार कर रहा है। आत्मज्ञान का सिर पर प्रहार और विज्ञान का पांव पर। विज्ञान-युग में संकुचित भावना टिक नहीं सकती।

**विज्ञान + हिंसा = सर्वनाश :**

विज्ञान ने आज ऐसे शस्त्रास्त्र ढूँढे हैं, जिनके उपयोग से पृथ्वी शमशान बन सकती है। विज्ञान आज हिंसा के साथ नहीं, अतिहिंसा के साथ जुड रहा है। इस दिशा में विज्ञान आगे बढ़ता रहेगा तो सर्वनाश अटल है। परन्तु मनुष्य के चित्त में अभी रक्षण के लिए शक्तिदेवी की उपासना ही चलती है। लोग शांति की उपासना करते हैं आत्म-समाधान के लिए, सामाजिक समता के लिए, मानसिक शांति के लिए। परन्तु रक्षण के लिए अंतिम 'संरक्षण' (आश्रय) हिंसा ही मानी है। देश का रचनात्मक काम करना है तो सत्त्वगुण का उपयोग है; परन्तु अभी तक यह मान्य नहीं हुआ है कि रक्षण के लिए भी सत्त्वगुण समर्थ

है। दुनिया में आज कशमकश चल रही है; जवान पर तो 'ॐ शांति: शांति: शांति:' है परन्तु तैयारिया विश्वयुद्ध की हो रही है। चाह है शांति की, परन्तु राह ली है अशांति की।

इसलिए रक्षण के लिए हिंसाशक्ति अब अपना तीव्र रूप धारण कर रही है। लेकिन यह शक्ति तो मूढ़ देवी है। जो देवी मूढ़ है, उसको देवी मानना ही गलत है—उस पर विश्वास रखना ही गलत है, तो फिर अतिम विश्वास रखना तो और भी गलत है। इन दिनों, भयानक शस्त्रास्त्र निकलने के कारण राष्ट्रों में 'बैलन्स ऑफ पावर'—शक्ति के संतुलन की होड़ चली है। और वह होते-होते दोनों पलड़ों में इतना बजन बढ़ रहा है कि तराजू टूटने की नौबत आ गयी है।

**विज्ञान + आत्मज्ञान = सर्वोदय :**

ऐसी परिस्थिति में विज्ञान की मदद में आत्मज्ञान को जोड़ना होगा। आज विज्ञान की युति हिंसा के साथ होने जा रही है। उसको रोक कर उसकी युति अहिंसा से करनी होगी। यह तब होगा जब अहिंसा पर निष्ठा बढ़ेगी। हमारा विश्वास हिंसा या दण्डशक्ति पर नहीं; अहिंसा की करुणा की शक्ति पर, समझने की विचारशक्ति पर होना चाहिए। हमारे रोजमर्रा के जीवन में जो छोटी-छोटी हिंसाएँ व्याप्त हैं, वे जब तक नहीं मिटेगी, तब तक यह बड़ी हिंसा मिटने वाली नहीं है। मुझे तो इन छोटी-छोटी हिंसाओं का जितना डर है उतना इस बड़ी हिंसा का नहीं है। क्योंकि वह हिंसा नहीं, संहार है; और विश्वसंहार तभी होगा जब विश्वनियंता की इच्छा होगी। लेकिन छोटी-छोटी हिंसाओं को मिटाना ही होगा इसलिए समाज में क्षोभ पैदा न करनेवालो समस्या-मोचनी क्षोभरहित शक्ति की खोज हमें करनी होगी। हमारी अतिम श्रद्धा अहिंसा पर रूढ़ करनी होगी।

जैसे आज विज्ञान के साथ हिंसा जुड़ रही है, वैसे ही वर्तमान संकीर्ण राजनीति भी जुड़ रही है। वर्तमान राजनीति तोड़ने की राजनीति है। कोई भी मसला राजनीति से सुलझनेवाला नहीं है। ऐसी परिस्थिति में विज्ञान का राजनीति से नाता तोड़ना होगा। हमने आज की परिस्थिति का एक सूचक-सूत्र बनाया है। वह इस प्रकार है—

विज्ञान + सियासत (राजनीति) = सर्वनाश

विज्ञान + रूहानियत (आत्मज्ञान) = सर्वोदय

मतलब, विज्ञान के साथ रूहानियत को जोड़ना होगा। और, तोड़ने-वाली नहीं, बल्कि सबको परस्पर जोड़नेवाली प्रक्रिया ढूँढनी होगी। आत्मज्ञान अगर विज्ञान के साथ जुड़ जायेगा तो पृथ्वी पर स्वर्ग उतरेगा, अन्यथा सर्व निश्चित है।



जब तक विज्ञान राजनीति का गुलाम रहेगा, तब तक दुनिया को नाश करनेवाली खोजे करता रहेगा। आइन्स्टाईन ने भी कहा था कि हमको ऐसे काम नहीं करने चाहिए, जिनसे दुनिया का संहार हो। संहारक शस्त्र खोजते-खोजते हम 'बैलेस्टिक वेपन्स'—प्रक्षैपणास्त्र तक पहुँच गये। आज दुनिया को सबसे बड़ा खतरा परमाणु-शस्त्र का है। यह सब विज्ञान की राजनीति की गुलामी है। इस गुलामी को काफी सहन कर लिया, अब हमें अपने को राजनीति से बिलकुल अलग कर लेना चाहिये और साफ कह देना चाहिए कि इससे आगे विज्ञान राजनीति के मार्गदर्शन में नहीं, अध्यात्म के मार्गदर्शन में चलेगा।

मानव को विज्ञान में ऐसी खोजें करनी चाहिए, जिनसे मानव का विकास हो, जैसे खेती है। विज्ञान का उपयोग खेत में उत्पादन बढ़ाने में हो, यह ठीक ही है, लेकिन उससे जमीन की ताकत ही कम हो, यह कुशलता नहीं मानी जायेगी। अब तो ऐसी औषधियाँ खोजी गयी हैं, जिनके कारण वातावरण दूषित होता है। उससे मनुष्य-जीवन में अनेक प्रकार की बीमारियाँ फैलती हैं। समुद्र में भी प्रदूषण फैला है। परिणामस्वरूप समुद्र में कई मीलों तक मछलियाँ मर रही हैं। विज्ञान के गलत उपयोग के कारण प्रदूषण जैसी अनेक समस्याएँ पैदा हुई हैं। इसलिए मनुष्य-जीवन के लिए जो लाभदायी है ऐसी चीजों के लिए विज्ञान का उपयोग होना चाहिए। विज्ञान चंद लोगों के हाथों में नहीं रहना चाहिए। विज्ञान का विस्तार पूजीपति और राजनीतिवाले करेंगे तो समाज में भ्रम बढ़ेगा। विज्ञान लोकजीवन के लिए चाहिए। जैसे, छोटे-छोटे औजार ढूँढने में, रोग-बीमारियों को खतम करने में विज्ञान का उपयोग हो। इस प्रकार विज्ञान लोक-समस्या के साथ जुड़ जाये। सर्वोदय विज्ञान के लिए प्राणवायु है।

**दिशा अध्यात्म, गति विज्ञान :**

जैसे मोटरकार में दिशासूचक और गतिवर्धक, दो प्रकार के यंत्र होते हैं, वैसे ही हमारे जीवन के लिए विज्ञान गतिवर्धक यंत्र होगा और आत्मज्ञान दिशासूचक यंत्र, जो विज्ञान को नियंत्रित करेगा। स्वयं विज्ञान में यह शक्ति नहीं कि वह अपना सदुपयोग ही होने दे। इसलिए, उसका विवेकपूर्वक उपयोग करने के लिए विज्ञान के साथ दिशासूचक यंत्र—आत्मज्ञान को जोड़ देना होगा।

विज्ञान-शक्ति 'सत्' के साथ जुड़ी हुई है। सत् तत्त्व की छानबीन करके उसकी गहराई प्राप्त करने का विज्ञान का प्रयत्न रहेगा ही। इसमें वह कभी संहारक शक्ति भी प्राप्त कर लेगा, यद्यपि उसका इरादा तो पृथक्करण का, सत्-प्राप्ति का ही होगा, संहार का नहीं। इसलिए मार्गदर्शक तत्त्व की बहुत जरूरत रहेगी। उसकी मदद में आत्मज्ञान जुड़ जायेगा, तो पृथ्वी पर नदनवन स्थापित होगा।

जैसे वर्तुल के दो सिरे अत में मिल जाते हैं, वैसे हिंसा बढ़ते-बढ़ते अतिहिंसा हो कर 'अहिंसा' के नजदीक आ रही है। इसलिए अब आत्मज्ञान को जोर करना होगा। और हमें अपने चित्त को मन से ऊपर उठाना होगा। विज्ञान-युग में मनुष्य को मन से ऊपर उठना होगा। उपनिषदों ने समझाया है कि ममोमय कोष से ऊपर विज्ञानमय कोष है। अब विज्ञानमय कोष को जागृत करने का समय आ चुका है। हमारा चित्त अक्षुब्ध हो, यह आज नितांत आवश्यक हो गया है।

हमारा देश विविधता से भरा है। उसमें अनेक भेद हैं। इसवास्ते हमारे देश में सबसे महत्त्व की कोई बात हो तो वह अनुराग और स्नेह की है। मैं तो सभी विचारधाराओं को गौण और स्नेहभाव को मुख्य मानता हूँ। जैसे-जैसे विज्ञान बढ़ता जायेगा, वैसे-वैसे लोग विचार को समझते जायेंगे। विज्ञान के साधनों का लाभ उठाना हो तो मतभेदों के कारण कभी भी कटुता पैदा नहीं होने देनी चाहिए। अक्सर न्यायप्रियता और मतभेदों के कारण कटुता, परस्पर वैमनस्य अथवा दुर्भावना पैदा होती है। फिर ऐसी परिस्थिति में विज्ञान के अद्यतन साधनों के अत्यंत खराब परिणाम आते हैं। इसलिए इस जमाने में मानसिक क्षोभ को स्थान देंगे तो विज्ञान से जो लाभ लेना था, वह तो नहीं ही ले सकेंगे, बल्कि विज्ञान से होने वाली हानि का ही पूरा फल भुगतेंगे। गांधीजी ने साधनशुद्धि की बात कही थी, उसका एक नया अर्थ मैं यहाँ खोल रहा हूँ। साधनशुद्धि अर्थात् ऐसे साधनों का उपयोग, जिनसे हमारे मन में क्षोभ पैदा न हो। चित्त का या समाज का या जिसका भी परिवर्तन करना हो, परिवर्तन विना क्षोभ का, अक्षुब्ध ही हो। केवल विचार-विमर्श से ही। अक्षुब्ध चित्त आज के विज्ञानयुग का तकाजा है।

फिर सवाल उठता है कि क्षोभ पैदा ही न हो तो समाज आन्दोलित कैसे होगा? आन्दोलन के लिए तो मन का क्षोभ जरूरी है; आन्दोलन का अर्थ ही है—मन का क्षोभ! परन्तु यह पुराने चित्त की बात है। समाज को आन्दोलित करना है विचार से। शंकराचार्य ने यही किया। विचार-भेदों का निरसन बुद्धि के क्षेत्र में होना चाहिए, मन के क्षेत्र में नहीं। मानसिक क्षोभ पैदा करने से शायद प्रश्न जल्दी हल हो जाये, परन्तु वह हमारे काम का नहीं है। विज्ञानयुग में चित्त अक्षुब्ध होगा तभी हम टिक पायेंगे।

**नये चित्त का निर्माण :**

साम्ययोग के आधार पर हमें नया समाज बनाना है। वास्तव में समाज नया तब बनता है, जब नये मनुष्य का निर्माण होता है, नये चित्त का निर्माण होता है। कुदरत, मकानात, पोशाक, रहन-सरन के ढंग आदि सब बदल जाये, लेकिन दिल और दिमाग न बदले तो समाज नहीं बदला। हम मानवचित्त को नया परिवेश देना चाहते हैं। नया चित्त-निर्माण करना चाहते हैं। आज का युग विज्ञान-युग है, इसमें पुराना चित्त नहीं चलेगा।

हम विश्वनागरिक हैं, हम विश्वमानव हैं, इस युग में अब हम इससे छोटे नहीं रह सकते। यह विश्वमानववृत्ति पनपाने के लिए दिल-को बड़ा बनाना होगा। आज विज्ञान के कारण दिमाग बड़ा बन गया है। आज छोटा बच्चा भी दुनिया का भूगोल जानता है और मनुष्य अब आकाश में घूमने लगा है। इतने विनाल और व्यापक ज्ञान के साथ-साथ अगर चित्त में छोटे-छोटे राग-द्वेष रहेगे तो हम टुकड़े-टुकड़े हो जायेंगे। ज्ञान की विशालता के अनुकूल हृदय भी विशाल होना चाहिए।

**विराट के सामने हमारी हस्ती :**

दिल व्यापक करने के लिए अपनी हस्ती का भान होना आवश्यक है। क्या है हमारी हस्ती? यह विश्व कितना लम्बा-चौड़ा है? करोड़ों गोलकों के बीच एक सूर्य है। इतने बड़े गोलकों के सामने सूर्य की हस्ती तिनके के समान भी नहीं। उस सूर्य के इर्दगिर्द हमारी पृथ्वी घूमती है। उस पृथ्वी पर असंख्य प्राणी हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि पृथ्वी पर २०/२५ लाख प्रकार के प्राणी हैं। पुराणों में ८४ लाख योनियां बतायी हैं। जो भी हो, करोड़ों-लाखों की बात है, हजारों की नहीं। उनमें मानव एक छोटी-सी योनि। उस मानवसमाज में भारत जैसा एक देश। उस देश में महाराष्ट्र प्रदेश का वर्धा नाम का छोटा-सा जिला। उसमें पवनार नाम का एक गांव। उस गांव में एक आश्रम, उसमें हम हैं। यानी हमारी कोई हस्ती ही नहीं। इतने विशाल ब्रह्माण्ड की कल्पना मनुष्य के सामने आती है और उसके सामने हम कितने छोटे हैं, इसका भन होता है, तो अहंकार मिटता है। फिर पाप की प्रेरणा हीं नहीं होती।

विज्ञान को, खास कर खगोलशास्त्र—'रेडियो अँस्ट्रानामी' को मैं बहुत पसन्द करता हूँ। पहले हम जानते थे कि आकाश में यह जो 'मिल्की वे'—आकाशगंगा है, उसमें करोड़ों तारिकाएँ हैं। परन्तु अब पता चलता है कि आकाशगंगा का एक छोटा-सा हिस्सा ही हमें दिखायी देता है। ऐसी अनेक आकाशगंगाएँ होंगी। यह पढ़ कर हमें हमारी मां की एक बात याद आयी। हमारी मा रोज अपनी पूजा पूरी करके अपने कान पकड़ कर भगवान से कहती, 'हे अनन्तकोटि ब्रह्मांडनायक ! मेरे अपराधों को क्षमा कर।' अनन्तकोटि ही कह दिया फिर बचा क्या ! इस तरह अनन्तकोटि ब्रह्मांड है।

'रेडियो अँस्ट्रानामी' ने अभी यह भी जाहिर किया है कि प्लैनेट—ग्रह ग्यारह नहीं, लगभग पचास लाख है। मालूम नहीं उन ग्रहों पर क्या-क्या होगा ! भगवान की सृष्टि में चारों ओर अनन्तता है। तब पाच इन्द्रियों वाले प्राणी में ही समाप्ति हो जायेगी, यह सम्भव नहीं लगता। सम्भव है कि कहीं, किसी ग्रह पर आठ, नौ, दस इन्द्रियों वाले प्राणी भी हो। उनका संदेश समझने की शक्ति हममें नहीं है, इसलिए वे होंगे तो भी हमें मालूम नहीं होता। भगवान की बनायी सृष्टि बड़ी व्यापक है और हम अत्यन्त छोटे हैं, नगण्य हैं। हमें

नम्रतापूर्वक विश्व की सेवा करनी है। अब विश्व से कम चीज नहीं चलेगी। कुल विश्व और विश्व जिसके पेट में है वह विश्वेश्वर है !

**वैज्ञानिक बुद्धि :**

विज्ञान बढ़ेगा तो जिन्दगी जटिल नहीं बनेगी, बल्कि सरल बनेगी। हमने हमारे अंग्रेज मित्र डोनाल्ड से पूछा था कि आपके यहाँ लन्दन में भी यहाँ के जैसे हर दूकान में रेडियो चिल्लाता है ? तब उन्होंने बताया कि वहाँ इसकी मनाही है। वहाँ विज्ञान काफी आगे बढ़ा है, और हमारे यहाँ अभी आया है, इसलिए यह फर्क है। विज्ञान के जमाने में आज के ढग नहीं टिकेंगे। बुद्धि वैज्ञानिक होगी। हमारा हृदय प्राचीन संस्कृति का बना रहेगा और बुद्धि आधुनिक विज्ञान से भरी रहेगी।

उस युग में नम्बर एक की अहमियत इसको मिलेगी कि हर आदमी को खाने के लिए पूरा आसमान मिले। नम्बर दो में हवा, तीन में सूरज की रोशनी, चार में पानी, पाँच में अनाज, छः में काम करने के लिए औजार, कपड़ा, आवास, और सात में मनोरंजन की चीजे आदि।

रवीन्द्रनाथ ठाकुर सारी दुनिया को एक मानने वाले व्यक्ति थे। सकुचित वृत्ति के व्यक्ति नहीं थे। उन्होंने हिन्दुस्तान और योरप के मजदूरों की तुलना करते हुए कहा है कि दिन भर की थकान मिटाने के लिए योरप का मजदूर रात को शराब पीता है और भारत का मजदूर थकान मिटाने के लिए रात को भजन करता है। मैं अध्यात्म के ख्याल से नहीं, विज्ञान की दृष्टि से पूछता हूँ कि रात को परमात्मा के सुन्दर भजन गा कर सोना ज्यादा वैज्ञानिक है या शराब पी कर सोना ? मेरी विज्ञान पर इतनी श्रद्धा है कि वह जो भी जवाब देगा वह मुझे मंजूर होगा। रात की नीद यानी इनसान की उस दिन की मौत है। मौत के समय जो विचार बलवान होंगे, उसके मुताबिक आगे गति मिलेगी, ऐसा शास्त्र भी कहता है। तो रात को क्या करना ज्यादा वैज्ञानिक है ?

दुनिया में आज सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक क्षेत्रों में वर्तमान समाज रचना कायम रख कर कुछ हलचले चल रही हैं। लेकिन विज्ञान-युग में वे निकम्मी साबित होंगी। हम समाज रचना की बुनियाद ही बदलना चाहते हैं, जैसे कि 'मैं' की जगह 'हम' की स्थापना करनी होगी, विश्व को ही परिवार मानना होगा। इसकी बुनियाद है नया मन, परिवर्तित मन। पुराना मन राग-द्वेष, मान-अपमान, ऊँच-नीच-भाव, अहंकार, वासना आदि कायम रख कर सोचता है। चित्त को यह आदत छोड़नी होगी। चित्त को एक नया परिवेश प्राप्त हो। वह विकारों में न फस कर निर्विकार भूमिका में रहे और आत्मा में स्थित शक्ति-स्रोत का उसे स्पर्श हो। विज्ञान-युग में ऐसे मुक्त चित्तवाले लोग होंगे तभी ठीक समय पर उचित निर्णय हो सकेगा।

विज्ञान-युग में ऐसे व्यापक और जटिल सवाल आयेगे जिनका फि  
शीघ्रता से करना होगा। पुराने जमाने में ऋषि समाधि लगा कर व्युत्

बाद सर्वालो का जवाब देते थे। लेकिन इन दिनों इतनी देरी के लिए अबकाज नहीं है। इसलिए आज अचूक उत्तर देने वाले स्थितप्रज्ञों की जितनी जरूरत है, उतनी पहले कभी नहीं थी। मेरा मानना है कि विज्ञान-युग का स्थितप्रज्ञ नैतिक और भौतिक योग्यता में पहले के स्थितप्रज्ञों की अपेक्षा कहीं अधिक ऊँचा माना जायेगा। इसमें कोई सन्देह नहीं कि पहले की अपेक्षा आज स्थितप्रज्ञता प्राप्त करना कठिन है, क्योंकि चित्त की चंचलता के लिए अनेकविध कारण उपस्थित हैं। परन्तु स्थितप्रज्ञता इस युग की अनिवार्य आवश्यकता है, यह भी निर्विवाद सत्य है।

**एक या समान चित्त नहीं, सहचित्त**

ऋग्वेद के अंत में एक शब्द आता है—सहचित्तमेषाम्। समान मन-समिति समानी—हम सबका मन, हम सबकी बैठक समान ही। सत्रका 'सहचित्त' हो।

सहचित्त कहा, एकचित्त नहीं कहा। एकचित्त बनेगा तो विविधता का लाभ नहीं होगा। एकतानता आ जायेगी। विचार में वृद्धि नहीं होगी, सर्जोधन नहीं होगा। चित्तलय होगा और चित्त लीन होने पर दुनिया का लोप होगा। वैसे ही, समान चित्त भी नहीं कहा। समान चित्त समान कार्यक्रम बनाने में मददगार हो सकता है। यानी यह बात भी नहीं कही कि सर्वसाधारण, सर्वसामान्य अंश सबको मान्य हो, 'मिनिमम अग्रीमेट' ही। एकचित्त और समान चित्त से भिन्न यह जो सहचित्त शब्द है, वह बहुत जानदार और अच्छा शब्द है, उसमें समान चित्त का विरोध नहीं। लेकिन सहचित्त वह शब्द है, जिसमें एक-दूसरे के सामने एक-दूसरे के दिल खुल जाते हैं। सहचित्त की आज अत्यन्त आवश्यकता है।

सहचित्तन की प्रक्रिया चलनी चाहिए। सलाह-मशविरा हो, अन्योन्य प्रबोधन ही और अन्योन्य विश्वास हो। आज दुनिया में अन्योन्य विश्वास की बहुत कमी है। गहराई में पैठ कर एक-दूसरे को समझने की कोशिश नहीं की जाती। अक्सर होता यह है कि हम कुछ अंश जानते हैं, कुछ नहीं जानते इसलिए अंदाज लगाते हैं, फलतः कुछ गलत समझ लेते हैं और एक-दूसरे पर गलत हेतु का आरोप करते हैं। विश्वास खो बैठते हैं। विश्वास विश्व की एक महान शक्ति है। मनुष्य जीवन में जो स्थान श्वास का है, वह स्थान सामाजिक जीवन में विश्वास का है। (श्वास और विश्वास दोनों शब्द 'श्वस्' धातु से बने हैं) विज्ञान-युग में सहचित्त की आवश्यकता है और उसके लिए परस्पर विश्वास अत्यन्त जरूरी है। एक-दूसरे का मन एक-दूसरे के सामने विलकुल खुला रहेगा तभी सहचित्त होगा। समान चित्त से सर्वसामान्य कार्यक्रम बन सकता है, लेकिन सहचित्त न हो तो काम में जोश नहीं आयेगा। सामाजिक काम के लिए सहचित्त की आवश्यकता है। आज मानव के सामने असली समस्या चित्त-निर्माण की है। विज्ञान-युग के लायक नया चित्त अत्यन्त आवश्यक है। □



# अहिंसा : व्यक्ति और संघ के संदर्भ में

□ पं दलसुख भाई मालवणिया

देश, काल व परिस्थिति के अनुसार अहिंसा की विचारणा मे नये-नये मोड़ आते रहे है। अहिंसा की विकास-यात्रा मे उत्सर्ग और अपवाद के जो सोपान है वे केवल व्यक्तिगत साधना की दृष्टि से ही हो सकते है। किन्तु जब साधको का संघ बन जाता है, और सभी साधको के योगक्षेम की दृष्टि भी विचारणा में आती है, तब अहिंसा की विचारणा नया मोड़ ले लेती है। उसमे व्यक्ति की साधना गौण हो जाती है और संघ की सुरक्षा प्रधान बन जाती है। यहाँ सर्वप्रथम भगवान महावीर का जो अहिंसा का उपदेश व्यक्ति के लिए था उसका विवरण प्रथम देकर बाद में संघ-दृष्टि से अहिंसा का विवरण देने का सोचा है।

**व्यक्तिगत अहिंसा**—भ० महावीर ने स्वयं जो साधना की वह एकाकी रहकर की थी। न उनके कोई गुरु थे और न उनके कोई शिष्य। अतएव उनका सर्व-प्रथम अहिंसा के विषय मे जो उपदेश था वह एकाकी विचरण करने वाले साधुओं के लिये ही था। उसमें प्रारम्भ में गृहस्थों की अहिंसा का भी विचार नहीं था, केवल श्रमणों को अपनी साधना किस प्रकार करना है, यही लक्ष्य था, अतएव उसे हम व्यक्तिगत साधना की अहिंसा अथवा परिभाषा में कहना ही तो जिनकल्पी की अहिंसा कह सकते है। किन्तु यह व्यक्तिगत अहिंसा भ० महावीर के समकक्ष साधकों मे ही संभव है अतएव भ० महावीर के अनुयायियों ने देश-काल की परिस्थिति देखकर अहिंसा के अपवादो का विवरण देना शुरू किया और अहिंसा का वह रूप जो भ० महावीर के प्राथमिक उपदेश में था, वह नहीं रहा। उसका स्थान नई-नई व्याख्याओं ने ले लिया।

**अहिंसा का आचार**—भ० महावीर का मुख्य उपदेश तो यह था कि किसी भी प्राणी की हिंसा न की जाय।<sup>१</sup> इसको ध्यान में रखकर श्रमण के लिए जरूरी था कि वह भिक्षाजीवी हो<sup>२</sup> जिससे कि भोजनपान के निमित्त उसे हिंसा नहीं करनी पड़े। उस काल के भिक्षाजीवी आमंत्रण स्वीकार करते थे और उनके निमित्त से बना भोजन-पान स्वीकार करते थे, अतएव भ० महावीर के श्रमणों के लिए जो मुख्य नियम अहिंसा की दृष्टि से अर्थात् हिंसा करना नहीं, कराना नहीं और अनुमोदन भी नहीं करना—यह बना कि वह उसके निमित्त वनी कोई भी वस्तु स्वीकार नहीं कर सकता। अन्य जैनेत्तर भिक्षु के लिए ऐसा कोई

१ आचा १३२, सूय. १६३, ४४४-५१, ५०६, दशवै. ६ १०-११

२ दशवै अ ५, आचा २१, सू ५०६

नियम नहीं था 'जहा अन्नउत्थिया एंगतेर्ण उद्देसियातिहाण पसंसंति विहाराति कारेति' (आचा. चू. पृ. ६६) यह नियम जैन श्रमण के लिए केवल भोजन:पान के लिये ही नहीं, अपितु वस्त्र-पात्र निवास के लिए भी था। इस नियम को परिभाषा में कहना हो तो कहा जाय कि भिक्षु औद्देशिक वस्तु को स्वीकार न करे। सूय. ५१०

पर सापेक्ष वस्तु के स्वीकार के लिए यह नियम बना किन्तु जीवन में संपूर्ण अहिंसा का पालन करना हो तो केवल इतने से नहीं चलता। उसकी समग्र व्यक्तिगत प्रवृत्ति भी ऐसा होना जरूरी है कि जिसमें किसी भी जीव की पीड़ा को अवकाश न मिले। ऐसा होने पर ही वह उनकी की हुई प्रतिज्ञा कि वह किसी भी जीव की हिंसा नहीं करेगा, न करायेगा और न अनुमोदन करेगा—का पालन उचित रूप से कर सकेगा। इसके लिए जरूरी था कि वह अपरिग्रही हो क्योंकि भ. महावीर ने कहा है कि संसार में हिंसादि दोष जो होते हैं, उसका मुख्य कारण परिग्रह है<sup>१</sup>। अतएव भिक्षु अपरिग्रही हो— यह अत्यंत आवश्यक है<sup>२</sup>। यदि वह संपूर्ण अहिंसा का पालन करना चाहता है तो यह निश्चित हुआ कि वह सर्वथा नग्न रहेगा। असह्य शीत का या लज्जा का जीतना यदि शक्य न हो तभी वह वस्त्र का उपयोग करेगा। उत्सर्ग तो नग्नता का ही है। सहन शक्ति आ-जाने पर और लज्जा-विजय होने पर वह नग्न ही बन जाय<sup>३</sup>। इसी प्रकार जब उसने अहिंसा की प्रतिज्ञा की तब वह असत्य भाषण, चोरी, कामराग से भी मुक्त हो, यह भी जरूरी है, अतएव अहिंसादि पांच महाव्रत उसके लिए अनिवार्य माने गये। (आचा. ७७६)

भिक्षु आत्मार्थी होता है अतएव वह शरीर को उतना ही महत्त्व देता है जितने से उसकी धर्मप्रवृत्ति अप्रमत्त बनी रहती है। अतएव आवश्यक माना गया कि वह स्नानादि शरीर विभूषा के लिए आवश्यक प्रवृत्ति से विरत होगा (सूत्र. ४४८-६) और शरीर की चिकित्सा भी नहीं करेगा (आचा. ०६४, ३०२, ७२८)

सदैव अपने मन-वचन काया की प्रवृत्ति में जाग्रत रहना, अप्रमत्त रहना अनिवार्य है, अतएव वह अपने आपका निरीक्षण करे और दिन और रात्रि में लगे दोषों का निराकरण भी करे, यह अनिवार्य माना गया। प्रतिक्रमण की क्रिया उनके लिए अनिवार्य मानी गयी जिससे कि पापशोधन होता रहे।

(दशवै. १६४, १६६-२०६, ४१-४७, ४६-५३)

१. सूय. ४३६

२. सूय. ११८-११६

३. आचा. १८४, १८७, २१४, २१६, २२१, २२५, २२६

अहिंसा पालन के लिए जीव-ज्ञान आवश्यक—व्यक्तिगत अहिंसा की साधना के साथ-साथ तत्त्वविचारणा भी अनिवार्य है क्योंकि उसी के आधार पर समग्र जीवन नियमित बनता है। भ. महावीर ने देखा कि ऐसे गई लोग हैं जो अनंगार तो बन गये हैं किन्तु जीवों का ज्ञान ही नहीं तो वे अहिंसा का पालन कैसे करेंगे ? अतएव उनका सर्वप्रथम उपदेश जीवविज्ञान विषयक था। जीवनिकाय छह है—पृथ्वी, आप, तेज, वायु, वनस्पति और त्रस। यदि सच्चे अर्थ में अहिंसक बनना है तो इन जीवों की पीड़ा से, घात से, हिंसा से बचना जरूरी है (आचारांग का प्रथम अध्ययन) त्रस के अलावा स्थावर जीवों के सूक्ष्म और बादर ऐसे भी प्रकार बताये गये। (दशवै. ४२, प्रज्ञापना २०, २६, २६, ३२, ३५) अतएव प्रश्न होना स्वाभाविक है कि ये जीव सर्वत्र व्याप्त हैं तो उनकी हिंसा से कैसे बचा जा सकता है ? अप्रमाद हो, जागृति भी हो फिर भी जो जीव हमारे चाक्षुष ज्ञान का विषय ही नहीं बनते, उनकी सुरक्षा हम कैसे कर सकते हैं ? और यदि नहीं कर सकते तो हमारी प्रतिज्ञा कि हम किसी प्राणी की हिंसा नहीं करेंगे, उसका पालन कैसे होगा ? सभी तीर्थंकरों का यह तो सामान्य उपदेश है ही कि किसी भी जीव का घात नहीं करना चाहिए। (आचा. १३२) ऐसी स्थिति में हमारी प्रतिज्ञा में संशोधन जरूरी है अथवा हिंसा की व्याख्या में ही संशोधन किया जाय।

व्यक्ति की अहिंसा के अपवाद—इस प्रश्न के समाधान में जो अपवाद किया गया कि सर्वजीव की हिंसा का अर्थ होगा—सूक्ष्मातिरिक्त सर्वजीव की हिंसा क्योंकि सूक्ष्मजीवों की हिंसा बादर से (स्थूल से) हो नहीं सकती। अतएव उसकी हिंसा का प्रश्न ही नहीं। उनकी हिंसा तो परस्पर से होती है। (आचा. चू. पृ. २२) फिर भी प्रश्न तो बना ही रहा कि हम कितना भी प्रयत्न करें जो स्थूल या बादर जीव माने गये हैं, वे भी सभी प्रयत्न करने पर भी हमारे द्वारा पीड़ा को प्राप्त नहीं होंगे, यह संभव नहीं। अपना इरादा न होने पर भी जीव का घात होना संभव है ही। ऐसी स्थिति में हम हमारी प्रतिज्ञा का पालन कैसे कर सकेंगे ? इसका समाधान और एक अपवाद देकर किया गया कि यदि आप यतना से प्रवृत्ति करेंगे तो जीव घात होने पर भी वह हिंसा मानी नहीं जायेगी। (दशवै. ६१-६३) जैसे डाक्टर या वैद्य शुभ निष्ठा से अपना कार्य करता है और रोगी को उससे पीड़ा होती है फिर भी वह दोषी नहीं माना जाता है, वैसे ही अणंगार अपनी प्रवृत्ति में यतना (अप्रमाद) को अपनाता है तो जीवघात होने पर भी वह हिंसक नहीं माना जायेगा।

इस विषय में और भी सूक्ष्म विचारणा हुई और अहिंसा का चिन्तन आगे बढ़ा। हिंसा पाप है—इसीलिए कर्मबन्ध का कारण है और इसीलिए उसका त्याग मोक्षार्थी के लिए जरूरी है और केवल परघात करने से ही हिंसा की बात नहीं। स्वघात करने से भी हिंसा होती है क्योंकि स्वघात भी



का कारण है<sup>१</sup>। परिणामस्वरूप कहा गया कि किसी का घात होता है इसी-लिए हिंसा, और घात नहीं होता है इसीलिए अहिंसा, यह मानना उचित नहीं। और लोक में सर्वत्र जीव व्याप्त हैं अतएव हिंसा होगी ही और जीव विरल हैं अतएव हिंसा नहीं होगी, यह मानना भी उचित नहीं है। किसी को नहीं मारे फिर भी हिंसक होता है, यदि मन में दुष्ट परिणाम हो।—और अन्य को कष्ट देकर भी वैद्य की तरह आत्मा यदि विशुद्ध है तो अहिंसक होता है। वस्तुतः देखा जाय तो पंच, सप्त, और तीन गुणों का पालन करने वाला जानी ही अहिंसक है। उसके विपरीत आचरण वाला हिंसक होता है। आत्मा में अशुभ परिणाम यदि है तो वह हिंसक है और यदि नहीं है तो वह अहिंसक है। बाह्य घात हो या नहीं, हो, इसके आधार पर हिंसा-अहिंसा का निर्णय नहीं किया जा सकता। (विशेषा. २२१८-२३, प्रवचनसार ३. १७)

इस अहिंसा की विचारणा में जीव को पीडा देना या न देना—यह महत्त्व की बात नहीं किन्तु अपनी आत्मा की विशुद्धि पर जोर दिया है। इसके पूर्व यतना की चर्चा में जीव घात हो तब भी यदि यतना हो तो अहिंसा है किन्तु इस विचारणा में जीव घात या अघात को कोई महत्त्व ही न मिला। आत्मा के परिणामों पर ही हिंसा-अहिंसा को छोड़ा गया है। यहाँ द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा के भेद पड़ते हैं—(आचा. चू. पृ. ४१)

इस तरह जीवघात ही हिंसा है इस मौलिक या औत्सर्गिक व्याख्या से प्रारम्भ करके अन्य जीव के घात के साथ हिंसा का कोई संबंध नहीं है—यहाँ तक व्यक्तिगत हिंसा की व्याख्या-व प्रगति की है, यह स्पष्ट होता है।

सघ या समाज की अहिंसा-विचारणा—व्यक्तिगत अहिंसा के विषय में औत्सर्गिक और आपवादिक लक्षणों की चर्चा के बाद अब सघ या समाज की दृष्टि से अहिंसा की विचारणा में जो आपवादिक मार्ग अपनाया गया है, उसकी चर्चा की जाये। सघ की दृष्टि से अहिंसा का अपवादमार्ग ही हो सकता है औत्सर्गिक नहीं। यह कह देना जरूरी है, क्योंकि औत्सर्गिक अहिंसा को मार्ग जब एकाकी व्यक्ति ही नहीं अपना सका तब ससूह में रहने वाला अनंगर उसे कैसे अपना सकता है? अतएव वह तो व्यक्तिगत अहिंसा का जो आपवादिक मार्ग स्थिर हुआ, उसी का आश्रय लेकर आगे बढ़ेगा। जैन समाज के इतिहास में जो भी संप्रदाय हुए हैं, वे तथाकथित शिथिलाचार के निराकरण के उद्देश्य से हुए और पुनः शिथिलाचार का चक्र शुरू हुआ और नया संप्रदाय आवश्यक समझा गया किन्तु मानव स्वभाव में रही हुई कमजोरियों की ओर पूरा ध्यान न देने के कारण यह चक्र सदैव चालू ही रहा देखा जा सकता है।

१. तुमं सि णामं तं चैव ज हतव्वं सि मण्णसि.....तम्हा ण हत्ता ण वि घातए।  
आचा. १७०

प्रस्तुत में “अणुगार चर्चा में अहिंसा, छेद-सूत्रों के संदर्भ में” विचार का विषय है, अतएव छेदसूत्रों के विषय में कुछ कहना आवश्यक है।

आचार के नियम आचार्यों द्वारा व्यवस्थित, छेदसूत्र अंग बाह्य होने के कारण गणधरकी रचना नहीं है और सभी छेदसूत्र एक काल के भी नहीं। प्रधान छेदसूत्र है—कल्प, व्यवहार और निशीथ। इनकी रचना आचार्य भद्रबाहु ने की, ऐसी सामान्य मान्यता है और वह प्राचीन काल से चली आ रही है। और इन्हीं छेद सूत्रों में मूलाचार के अपवादों की चर्चा और प्रायश्चित्त का विधान है। तो प्रथम प्रश्न यह उठता है कि भगवान महावीर ने जो कहा है, सूत्र में उसको जोड़ने का अधिकार किसी को है या नहीं? भगवान बुद्ध ने तो कह दिया था कि मैंने जो ‘विनय’ में कह दिया, उसमें परिवर्तन करने का किसी को अधिकार नहीं। किन्तु बौद्धाचार में कितना परिवर्तन हो गया है, यह किसी से अज्ञात नहीं है। किन्तु भगवान महावीर का कोई ऐसा संदेश हमें मिला भी नहीं और यह बात भी विशेष रूप से जानना जरूरी है कि आगमो मे केवल भगवान के गणधरों की रचना को ही स्थान दिया हो, ऐसी बात नहीं है, किन्तु दशवीं शती तक आचार्यों की रचना को भी आगमो मे स्थान मिला है। इससे यह सूचित होता है कि भगवान महावीर के मौलिक उपदेशों की केवल व्याख्या ही नहीं, उसमें परिवर्तन-परिवर्द्धन का भी अवकाश दिया गया है।

आगमो के संकलन मे केवल ‘आचारांग’ और सूत्रकृतांग’ में भगवान महावीर के मौलिक उपदेश की झलक हमें मिलती है। ‘भगवती’ मे भी अशतः कुछ प्राप्त होता है। बाकी सब स्थविरों की रचना है। ऐसी स्थिति में क्या प्रमाण और क्या अप्रमाण—यह विवाद का विषय बने, यह स्वभाविक है और इतिहास साक्षी है कि उपलब्ध सभी आगमों का प्रमाण दिग्गम्बरो ने निषिद्ध कर दिया और स्थानकवासी और तेरापथ ने कुछ आगमों का।

अहिंसक आचार के नियमों का निर्माण—‘आचारांग’ और ‘सूत्रकृतांग’ का जो प्राचीन अंश है, उसे देखने से पता चलता है कि भगवान महावीर ने आचार के नियम बनाये हो, ऐसा नहीं दीखता। ‘आचारांग’ मे अहिंसा का सामान्य उपदेश दिया और उसके आधार पर आचार के नियम आचार्यों ने क्रमशः ग्रंथित किये और व्यवस्थित किये। ‘दशवैकालिक’ और ‘आचारांग’ का द्वितीय श्रुत स्कन्ध ही ऐसे है जिनमे आचार के व्यवस्थित नियमों की सूची हमें मिलती है। अतएव उनकी और व्यवस्था मे दोष आने पर प्रायश्चित्त का विधान, यह तो छेदसूत्रों की देन है। और उन्ही छेद सूत्रों मे अपवाद मार्ग का उत्तरोत्तर विकास, उनकी निर्युक्ति, भाष्य, चूर्णि आदि टीकाओं के द्वारा हुआ है। अतएव मूल उपदेश से वह इतना दूर हट गया कि सबसे पहले यह चर्चा जरूरी हुई कि सूत्रों के विषय मे अर्थ की विचारणा क्यों आवश्यक है। अथान् टीकाकारों ने अन्त मे यह स्वीकार किया है कि—

ण वि किञ्चि अणुण्णायं यद्विसिद्धं वा वि जिणवरिं देहि ।  
 एसा तेसिं आणा कज्जे सच्चेण होयव्वं ॥  
 कज्जं णाणदीयं उस्सग्गववायओ भवेसच्चं ।  
 तं तह समायरंतो तं सफलं होई सव्वं पि ॥  
 दोसा जेण निरूभंति जेण तिज्जीति पुव्वयकम्मई ।  
 सो सो भोक्खोवाओ रोगावत्थासु समणं व ॥

—निशीथ भाष्य ५२४८—५२५०

तीर्थकरों ने यह नहीं कहा कि तुम यह करो और यह न करो। उनकी सामान्य आज्ञा इतनी थी कि कार्य सिद्ध हो, ऐसा करो। कार्य है—ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य और उनकी सिद्धि। इतना समझ लो कि दोष का निरोध जिससे हो और जिससे पूर्व कर्म का क्षय हो, वह सब मोक्ष का उपाय है। जिस प्रकार रोगों का उपशमन जिससे हो भी हो, वह उपाय है। ऐसा कह करके आचार्यों ने अपना मार्ग प्रशस्त कर दिया और उत्सर्ग से अपवाद की ओर बढे।

लोग सामान्यतः सूत्र की दुहाई देते हैं और कहते हैं कि मूल सूत्र में तो इतना ही कहा है, आप यह अपवाद मार्ग कहीं से लाए तो उसका भी उत्तर दिया गया है कि सूत्र तो सूचक होता है अतएव सूत्रों की सूचनाओं को खोज निकालना व्याख्याताओं का कार्य है—(निशीथभाष्य—५२३३) जैन सूत्र रचना की विशेषता यह है कि तीर्थकर अर्थ का उपदेश देते हैं, उसके आधार पर शब्द रचना गणधरों की है। अतएव शब्द का प्राधान्य नहीं किन्तु अर्थ का प्राधान्य है। और व्याख्याताओं का यह कार्य होता है कि वे शब्द में से विविध अर्थों की खोज करे। यही कारण है कि शब्द से सूचित होने वाला अपवाद मार्ग भी तीर्थकर मान्य हो गया और उसे उतना ही महत्त्व दिया गया जितना उत्सर्ग को। यहाँ यह स्पष्टीकरण जरूरी है कि अपवाद मार्ग का सेवन स्थविर कल्पी के लिये है, जिन कल्पी के लिये नहीं। इससे स्पष्ट होता है कि एकचारी के लिये अपवाद की आवश्यकता ही नहीं, केवल जो गच्छवासी है, समूह में रहते हैं, उनके लिये ही अपवाद मार्ग की चर्चा है। (निशीथ गाथा चूर्णी ६६६७—६८) और यह भी जानना आवश्यक है कि जिस प्रकार औत्सर्गिक मार्ग का पालन न करने पर प्रायश्चित्त है उसी प्रकार अपवाद का पालन न करने पर भी प्रायश्चित्त का विधान है। (नि. गा. २३१)

इससे स्पष्ट है कि उत्सर्ग और अपवाद आचरण की दृष्टि से समकक्ष हो जाते हैं, इतना ही नहीं किन्तु उत्सर्ग का त्याग कर अपवाद का आचरण अनिवार्य हो जाने से उससे बलवान भी सिद्ध होता है।

उत्सर्ग और अपवाद—संयमी पुरुष के लिये जो प्रतिषिद्ध है वह उत्सर्ग है और उन्ही प्रतिसिद्ध आचरणों को परिस्थितिवश करना अनिवार्य हो जाता

है तब वे विधि के अन्तर्गत हो जाते हैं और अपवाद या अनुज्ञा कहे जाते हैं (निशीथ ३६४ की चूर्ण, गाथा ५२४५) इसी विधान में एक ही अपवाद है और वह यह कि मैथुन विषयक प्रतिषेध का कोई अपवाद नहीं, बाकी के सब मूल और उत्तर गुण के विषय में अपवाद है।

कामं सव्वपदेसु वि, उस्सगपवाद धम्मता जुत्ता  
मोतुं मेहुण धम्म ण, विणा सो रागदोसेहि ॥

— निशीथ ३६४

तात्पर्य यह है कि अपवाद के सेवन में भी राग-द्वेष का अभाव आवश्यक है। दर्प से सेवन करने पर विराधक होता है और बिना दर्प के सेवन करने पर ही वह आराधक होता है—

रागद्वोसाणुगत्ता तु दप्पिया, कोप्पिया तु तद्भावा,  
आराधतो तु कप्पे, विराधतो होति दप्पे ण ॥ नि. ३६३  
अकारण अपवाद का सेवन दर्प प्रति सेवन है जो निषिद्ध है।

नि. गाथा ८८, १४४, ३६३, ४६३, ७४, ६०, ६१.

और सकारण प्रतिसेवन कल्प है। संयमी पुरुष के लिये मोक्ष मार्ग पर चलना अनिवार्य है। और मोक्ष मार्ग है ज्ञान, दर्शन, चारित्र। ज्ञान और दर्शन जितना विशुद्ध होगा उतना ही चारित्र विशुद्ध होगा क्योंकि चारित्र के कारण रूप ज्ञान, दर्शन हैं। अतएव चारित्र के विशुद्ध पालन के लिये ज्ञान, दर्शन आवश्यक हैं।

तात्पर्य यह है कि ज्ञान दर्शन की हानि करके चारित्र पालन नहीं हो सकता अतएव अपवाद के पालन का प्रसंग वही आता है जहाँ ज्ञान दर्शन की हानि की संभावना होती है। परम्परा कारण में दुर्भिक्ष आदि भी हो सकते हैं अर्थात् ज्ञान, दर्शन के लिये अपवाद सेवन को भगवान महावीर की अनुज्ञा के अन्तर्गत किया गया है। और यदि अपवाद का आचरण नहीं किया गया तो ज्ञान, दर्शन की हानि होने से प्रायश्चित्त का विधान भी किया गया। सारांश यह है कि ऐसी स्थिति में अपवाद मार्ग का सेवन अनिवार्य है। सारांश इतना ही है कि प्रमाद रूप सेवन निषिद्ध है। और अप्रमादी होकर सेवन अनुज्ञा है।

दरुप्पो जो पमादो, कप्पो पुण अपमत्तस्य ।

कप्पइ त्ति कप्पो, ज भाषित आयारो ॥

— आचाराग चू. पृ. १२२

ज्ञान का महत्त्व चारित्र के लिये आवश्यक है। यह तो दण्डकालिक (६४) से स्पष्ट है किन्तु छेद सूत्रों में ज्ञान-दर्शन के लिये अपवाद की अनिवार्यता करार दी गई है, वह व्यक्तिगत अहिंसा की दृष्टि से नहीं थी किन्तु संघ

दृष्टि से थी, यह स्पष्टीकरण आवश्यक है। दशवैकालिक में ज्ञान का तात्पर्य जीवाजीवादि जैन सम्मत पदार्थों के ज्ञान से था किन्तु छेद सूत्रों में जो ज्ञान की बात कही गई है, वह केवल उन पदार्थों के ज्ञान को लेकर नहीं है। वहाँ तो तत्काल के भारतीय धर्मों एवं दर्शनों और अन्य विद्याओं के ज्ञान से तात्पर्य था। (देखे 'कुशल' की व्याख्या, आचारांग चू. पृ. ६५)

भगवान महावीर के बाद आचार को इतना महत्त्व मिला कि अपने शास्त्रों की सुरक्षा की भी उपेक्षा रही। पुस्तक का रचना भी पाप माना जाने लगा था किन्तु छेद की टीकाओं में पुस्तक नहीं रखने से पाप का विधान किया गया। यह सब परिस्थिति और संघ-सुरक्षा की दृष्टि से था। एक काल ऐसा था जब लोग भिक्षु के त्याग और तपस्या को देखकर उनका आदर करते थे किन्तु समय आया जब उनकी तपस्या से नहीं किन्तु ज्ञान-विज्ञान का आदर होने लगा। राजसभाओं में भी वाद-विवाद होने लगे और उन विवादों के जय-पराजय के आधार पर धर्म और धार्मिक की प्रतिष्ठा होने लगी। जैसे—अह्वारा-यादि उवसते बहवे उवसमन्ति—आचारांग चू. पृ. ६७। उपदेश देते समय कितनी सावधानी बरती जानी चाहिये, उसके लिये देखे आचारांग चू. पृ. ६६-६८१ राजा के द्वारा धर्मों की परीक्षण की बात के लिये देखे आचारांग चू. पृ. १३२।

ऐसी स्थिति में केवल तपस्या को लेकर और अपने ही जीव विज्ञान के आधार पर कोई प्रतिष्ठा पा नहीं सकता था, अतएव उस काल में जिस प्रकार के ज्ञान-विज्ञान की आवश्यकता थी, उसे प्राप्त करना अनिवार्य माना गया। और यदि वह कोई प्राप्त करने की शक्ति रखने पर भी उस ओर कदम नहीं बढ़ाता है तो प्रायश्चित्त भी लेना पड़ेगा। ऐसे विधान बनाये गये। ज्ञान-विज्ञान की प्राप्ति अपने जैनाचार को जैसा कि वह चला आ रहा था, इतना आवश्यक नहीं समझा जाता था जितना कि विशुद्ध आचरण। अतएव ज्ञान-विज्ञान की ओर प्रवृत्ति न होना स्वभाविक था। किन्तु नई परिस्थिति में जबकि व्यक्तिगत विशुद्ध आचरण की अपेक्षा व्यक्ति के ज्ञान को महत्त्व मिला, उस परिस्थिति में जैन संघ की स्थिति खतरे में पडना स्वभाविक था तो जैनियों के लिये दूसरा कोई रास्ता नहीं रह गया सिवाय इसके कि वे भी उस होड़ में आ जावे और वे आ गये हैं, इसे स्पष्ट रूप से छेद की टीकाओं से जाना जा सकता है।

इतनी चर्चा के बाद हम अब देखें कि अहिंसा का आचार किस प्रकार का जैन संघ ने अपनाया था और वह भी किस प्रकार विशुद्ध चारित्र्य की अपेक्षा जैन संघ के बचाव के नाम पर किस प्रकार अपने मूल मार्ग से हट गया था।

हमने इत पूर्व देखा कि हिंसा की व्याख्या में जीव के प्राणों का घात मुख्य नहीं है, किन्तु आत्मा के ग्रध्यवसाय को देखा जाता है। इतनी भूमिका ध्यान में रख कर यहाँ जो प्रसंग दिये गये हैं, उनका परीक्षण करें।

इतना तो माना ही गया है कि अपने विरोधी को स्वयं न मार कर उसके पुत्रों को ही मर्माहत करना, यह भी हिंसा है, दर्प-प्रतिसेवना है ।—(नि. चू. १५५) और उसके लिये प्रायश्चित्त का विधान भी है । किन्तु साधु-संघ-चैत्य की रक्षा के लिये ऐसा यदि किया जाए तो कोई पाप नहीं, वह तो जायज प्रतिसेवना मानी गई—नि. गाथा १६७) सघादि शत्रु की हत्या भी जायज मानी गई है ।—(नि. चू. २८६) कोकणदेशस्थ बलिष्ठ साधु का दृष्टान्त देकर बताया है कि उसने जगल में रात्रि में आचार्य आदि की रक्षा के निमित्त तीन सिंहों की हत्या की फिर भी उसे विशुद्ध माना गया है ।

आयरियादिकारणोसु वायाहिंसो शुद्धो—(नि. चू. २८६) जैन संघ की सुरक्षा की दृष्टि से राज सभा में सैकड़ों बाह्यणों के सिरच्छेद करने पर भी एक साधु को विशुद्ध कहा है—एव पवयणत्थे पडिसेवतो विशुद्धो—(नि. चू. ४८७)

‘सिद्धिविनिश्चय’ और ‘सन्मति’ जैसे शास्त्रों के पठनार्थ कोई अकल्प सेवन करे, तब भी उसे शुद्ध माना गया है—“तथ्य सो सुद्धो अपायच्छिन्ती भवति ।—(नि. चू. ४८६)

संघगत जैन अहिंसा का साम्य गीता से—हिंसा-अहिंसा की चर्चा में छेद शास्त्र के इतने दृष्टान्त काफी हैं । उन पर विचार किए जाए तो स्पष्ट होगा कि जिस प्रकार की हिंसा-अहिंसा तत्काल में देश में चल रही थी उससे कोई पृथक् बात जैनों की नहीं दीखती । विचार सूक्ष्मातिसूक्ष्म अहिंसा का होकर भी जीवन में जहाँ समस्या खड़ी हुई, वहाँ समाज की दृष्टि से कोई विशेष बात नहीं दीखती । व्यक्तिगत अहिंसा पालन में विशेषता हो सकती है । वह तो अन्यत्र भी हो सकती है । अतएव ‘गीता’ की अहिंसा और जैनों की अहिंसा में मुझे तो कोई विशेष भेद मालूम नहीं होता । सामाजिक अहिंसा का अनुष्ठान कैसे हो, यह विचार तो भारत में सर्व प्रथम गाँधीजी ने किया, यह मानना पड़ेगा ।

आधुनिक समस्या—हमने देखा कि जैनों ने अहिंसा की व्याख्या में द्रव्य के स्थान में भाव को प्राधान्य देकर उत्तरोत्तर परिवर्तन किया है किन्तु देखना यह है कि व्याख्या के परिवर्तन के साथ-साथ आचार के नियमों में भी परिवर्तन की अवकाश दिया या नहीं ? यदि हिंसा की व्याख्या यह है कि आत्मा के राग-द्वेष के आधार पर ही वह होती है तो आहार, निवास और वस्त्र के विषय में पूर्व काल में जो नियम बने थे, उनमें भी तदनुकूल परिवर्तन किए गए या नहीं, यह देखना जरूरी है ।

श्वेताम्बर-दिगम्बर के मतभेद को ही लिया जाए तो स्पष्ट होगा कि श्वेताम्बरों ने वस्त्र को अनिवार्य माना और दिगम्बरों ने नग्नत्व को अनिवार्य माना । यद्यपि दोनों यह कहते हैं कि मूर्च्छा ही परिग्रह है । ‘जो तर्हं वोच्छिद्रति सो परिग्रह जहति । जो वा ममत्तं छिद्रति सो ममाई तव्वं जहति—(आचारंग चू. पृ. ६२) निगमंयो वज्झ मंतरेण गन्थेण निगंतो—(आचारंग चू. पृ. १०३)

परिग्रह को पाप दोनो ही मानते हैं। फिर भी दोनो परस्पर खंडन में रत हैं। परिग्रह के कारण हिंसा होती है, यह जैनागम मानते हैं और दिगम्बर ग्रंथ भी। फिर भी दोनो के बीच कोई समाधान नहीं। जिस प्रकार जीव घात हो या न हो फिर भी राग-द्वेष के कारण हिंसा हो सकती है, यदि यह माना जाए तो वस्त्र हो या न हो, मूर्च्छा के कारण ही परिग्रह माना जावेगा। इस तथ्य को दोनों क्यों नहीं स्वीकारते? स्पष्ट है कि हमारी विचारणा के अनुसार हमारे आचार को भी नया मोड जैन समाज ने दिया नहीं। केवल एक बार सम्प्रदाय दृष्टि से ग्रहण किया, उसे बदलने को कोई तैयार नहीं। अन्य बहुत बातें बदल दी गईं फिर भी सवस्त्र और अवस्त्र के कारण दोनों में मतभेद बना हुआ है क्योंकि उसी के आधार पर दोनों सम्प्रदाय पृथक् हुए हैं।

यही बात मूर्ति-पूजा और अमूर्ति-पूजा के विषय में कही जा सकती है। मूर्ति पूजा करने वाले भी भाव पूजा का ही महत्त्व मानते हैं और मूर्ति को न मानने वाले भी भाव पूजा का महत्त्व मानते हैं। फिर भी यदि दो सम्प्रदाय बन गए तो इस विषय में समाधान की कोई गुंजाइश नहीं रही।

यही बात स्थानकवासी और तेरापंथी की भी है। दोनों में आज प्रवचन और आचार में कोई विशेष अन्तर दिखाई नहीं देता, फिर भी दोनो अपने-अपने स्थान में मौजूद हैं।

बात असल यह है कि शिथिलाचार की समस्या को लेकर ही ये सभी सम्प्रदाय बने और वे उत्तरोत्तर शिथिलाचारी होकर भी अपने को उत्तमाचारी मानकर अपने अहं की पुष्टि करते हैं। जिस प्रकार स्वयं समग्र जैन समाज का यह दावा है कि हम ही संसार में अहिंसक हैं और शेष में तो हिंसा का साम्राज्य है, किन्तु जैनियों की ही हिंसा की व्याख्या को समक्ष रखा जाय तो मेरी समझ में जैनों की यह मान्यता भी एक अपने अहं की पुष्टि के अलावा और कुछ भी नहीं है।

लाउड स्पीकर का प्रयोग करना कि नहीं और आधुनिक टायलेट का प्रयोग करना कि नहीं, ऐसे जो विवाद चल रहे हैं उसे अहिंसा की चर्चित व्याख्या के प्रकाश में देखा जाए तो विवाद को कोई अवकाश रहता ही नहीं, फिर भी हमारी प्रकृति यह है कि कुछ भी नया करने पर, वह नया है, इसलिये नहीं अपनाना, यह सामान्य मत बनता है। उसके विषय में पूरा विचार नहीं किया जाता। एक ही दलील दी जाती है कि ये अपवाद कहाँ जाकर अटकेंगे? अतएव उनकी प्रवृत्ति नहीं करना किन्तु यदि वास्तविक परिस्थिति और हिंसा-अहिंसा की आज तक की विचारणा देखी जाय तो विवाद को कोई अवकाश रहता ही नहीं।

—पूर्व निदेशक, लालभाई दलपतभाई भारतीय संस्कृति विद्यामन्दिर,  
गुजरात विश्वविद्यालय, अहमदाबाद



## अहिंसा\*

प्रस्तोता—श्री पी. एम. चौरड़िया

[ १ ]

(१) प्रश्न—अहिंसा का अर्थ बताइये ?

उत्तर—(१) अहिंसा याने किसी को न सताना, किसी प्रकार का कष्ट नहीं पहुँचाना। मन, वचन, कर्म से किसी के प्रति अनिष्ट का चिन्तन न करना, अहिंसा है।

(२) अहिंसा अर्थात् प्रेम—सर्वांगीण प्रेम, सर्वस्पर्शी प्रेम, सर्वग्राही प्रेम।

(२) प्रश्न—द्रव्य अहिंसा एवं भाव अहिंसा का अर्थ बताइये ?

उत्तर—किसी भी प्राणी के इन्द्रियादि दस प्राणों में से किसी भी प्राण का प्रमाद या कषायवश होकर घात न करना और रक्षा, सेवा, दया, करुणा आदि करना द्रव्य अहिंसा है।

आत्मा के शुभ परिणामों व गुणों का घात न करना किन्तु आत्म-परिणामो व गुणों में वृद्धि करना भाव अहिंसा है।

(३) प्रश्न—‘धम्मो मंगल मुक्कट्टं अहिंसा संजमो तवो’

दशवैकालिक सूत्र (१-१)

उपर्युक्त शास्त्र की वाणी का अर्थ बताइये ?

उत्तर—धर्म उत्कृष्ट मंगल है। वह अहिंसा, संयम और तप रूप है।

[ २ ]

(१) प्रश्न—अहिंसा का प्रारम्भ कहाँ से होता है और उसकी चरम स्थिति क्या है ?

उत्तर—अहिंसा का प्रारम्भ होता है—प्रमाद-त्याग और संयम से। करुणा, मैत्री भाव आदि के रूप में उसका विकास होता है और जब प्राणी मात्र के प्रति अभेदानुभूति या अद्वैत भावना हो जाती है, वह उसकी चरम स्थिति है।

(२) प्रश्न—अहिंसा सभी तरह से कल्याणप्रद होने पर भी प्राणी अहिंसा पालन के लिए क्यों प्रयत्नशील नहीं होता ?

\* श्री एस एस जैन युवक संघ, मद्रास द्वारा आयोजित कार्यक्रम जिसमें सारकार पेट योरेम्बवाकम एवं सनै संघ ने भाग लिया।



[ ६ ]

- (१) प्रश्न—कहं चरे कहं चिट्टे, कहं मासे, कहं सए ।  
 कहं भुंजतो, भासंतो, पावं कम्मं न बंधई ॥  
 जयं चरे जयं चिट्टे, जयंमासे, जयं सए ।  
 जयं भुंजतो, भासतो, पावं कम्मं न बंधई ॥

अर्थ—हम कैसे चलें, कैसे खड़े हों, कैसे बैठें, किस प्रकार लेटें, कैसे खाए और कैसे बोले कि जिससे पाप कर्म काबन्ध न हो ।

यतना पूर्वक चलने, खड़े होने, बैठने, लेटने, भोजन करने और बोलने से पाप बन्ध नहीं होता है ।

उपर्युक्त शास्त्र की वाणी किस सूत्र से ली गई है ?

उत्तर—‘दशवैकालिक सूत्र’ (४-७-८)

(२) प्रश्न—‘अहिंसा परमं पदमं’ ।

उपर्युक्त वाणी किस पवित्र ग्रन्थ से ली गई है ?

उत्तर—‘भागवत पुराण’

(३) प्रश्न—‘अहिंसाया य भूतानाममृतत्वाय कल्पते’

अर्थ—अहिंसा प्राणियों के लिए अमृत के समान है । उपर्युक्त वाणी किस पवित्र ग्रन्थ से ली गई है ?

उत्तर—‘मनु स्मृति’

[ ७ ]

(१) प्रश्न—अहिंसा की तुलना भूमि से किस प्रकार की जा सकती है ?

उत्तर—जमीन पर सब टिका हुआ है । विशाल महल, भवन, किले, पहाड़ आदि सभी तो जमीन पर टिके हुए हैं । उसी प्रकार अहिंसा है तो सत्य अचौर्य, ब्रह्मचर्य तथा अपरिग्रह टिक सकेगा । अन्य सब व्रतों की जड अहिंसा है । अहिंसा के बिना सत्य, करुणा, क्षमा आदि कुछ भी नहीं टिक सकेंगे ।

(२) प्रश्न—‘पेट भरो, पेटि न भरो’ ऐसा किस प्रयोजन से कहा गया है ?

उत्तर—भूख को शांत करने के लिए अपना पेट भरना चाहिए । भूख से अधिक भोजन करना, संग्रह करना चोरी है, अनीति है, हिंसा है । अधिक परिग्रह का संचय बिना हिंसा के सम्भव नहीं । दूसरे के हक-संग्रह करने से प्राणी मात्र में मैत्री भाव का विकास नहीं हो सकता, अतः हम अहिंसक नहीं बन सकते ।

(३) प्रश्न—अहिंसा का क्षेत्र एवं स्वरूप क्या है ?

उत्तर—अहिंसा का क्षेत्र व्यापक है। किसी भी प्राणी के अधिकार का हनन न हो, उसको परिताप न दिया जाय, उस पर शासन न किया जाय और न ही उसके प्राणों का नाश किया जाये, यही अहिंसा का स्वरूप है।

[ ६ ]

(१) प्रश्न—तेरहवे गुणस्थान वाले केवलियों को सिर्फ पुण्य प्रकृति का ही बन्ध क्यों होता है, पाप प्रकृति का क्यों नहीं ?

उत्तर—हिंसा कषाय भाव में है। किसी के द्वारा किसी जीव का मर जाना, अपने आप में हिंसा नहीं है। केवलज्ञानों राग-द्वेष की स्थिति से सर्वथा अलग है। उनके अन्दर किसी भी प्राणी के प्रति दुर्भाव नहीं है, अपितु सर्वांगीण, सद्भाव है, अतः उनके शरीरादि से होने वाली हिंसा हिंसा नहीं है। केवली स्वभावतः हिंसा करते नहीं हैं, इसलिये पाप प्रकृति का बन्ध नहीं होता।

(२) प्रश्न—जैन धर्म में साधु-संतों के अहिंसा व्रत एवं श्रावकों के अहिंसा व्रत में क्या अन्तर है ?

उत्तर—साधु-संत सम्पूर्ण अहिंसा का पालन करते हैं जबकि श्रावक अपने सामर्थ्य के अनुसार देश-अहिंसा का। साधु के अहिंसा व्रत को अहिंसा महाव्रत कहते हैं, जब कि गृहस्थ के अहिंसा व्रत को अहिंसा अणुव्रत कहते हैं।

(३) प्रश्न—जैन धर्म में अहिंसा व्रत के पाँच अतिचार कौन २ से बताये गए हैं ?

उत्तर—(१) बन्ध—रोषवश गाढ़ा बंधन बांधा हो।

(२) वध—गाढ़ा घाव घाला हो।

(३) छविच्छेद—अवयव (चाम आदि) का छेद किया हो।

(४) अति भारारोपण—अधिक भार भरा हो।

(५) भक्तपान विच्छेद—आहार, पानी का विच्छेद किया हो।

[ ७ ]

(१) प्रश्न—(i) 'अहिंसा सत्य का प्राण है। उसके बिना मनुष्य पशु है'।

(ii) 'अहिंसा का अर्थ है, ईश्वर पर भरोसा रखना'।

(iii) 'अहिंसा में ही सत्य के दर्शन करने का सीधा और छोटा सा मार्ग दिखाई देता है'।

अहिंसा के सम्बन्ध में विभिन्न अवसरों पर ये उत्तम विचार किसने प्रकट किए ?

उत्तर—महात्मा गांधी ने।

(२) प्रश्न—‘यह अहिंसा भगवती भयभीतों को शरण के समान है। पक्षियों के लिए आकाश के समान है। प्यासों के लिए पानी के समान है। भूखों को भोजन के समान है। समुद्र के मध्य में जहाज के समान है। चौपायों के लिए आश्रम-स्थल के समान है। दुःखी-रोगियों के लिए औषध-बल के समान है। घोर जंगल में सार्थ के साथ गमन करने के समान है। यही नहीं, अहिंसा इनसे भी विशिष्टतर है। वह पृथ्वीकाय, अपकाय, तेजस्काय, वायुकाय, वनस्पतिकाय बीज, हरित, जलचर, स्थलचर, खेचर, त्रस, स्थावर समस्त प्राणियों के लिए क्षेम-कल्याण करने वाली है।’

उपर्युक्त वाणी किस शास्त्र से हिन्दी में अनुवाद है ?

उत्तर—‘प्रश्न व्याकरण सूत्र’ के प्रथम संवर द्वार से।

(३) प्रश्न—धर्म एवं देश, न्याय एवं नीति की रक्षा के लिए क्या अहिंसक गृहस्थ के लिए शस्त्र उठाना न्याय संगत है ? शास्त्रों में वर्णित उदाहरण देकर इसकी पुष्टि कीजिए।

उत्तर—अहिंसक का पहला कर्तव्य है कि वह धर्म, देश, न्याय-नीति की रक्षा करने के लिए सभी शांतिपूर्ण अहिंसक उपायों से काम ले, लेकिन ऐसा सम्भव न हो सके तो अहिंसक गृहस्थ का नैतिक कर्तव्य हो जाता है कि वह अपने पर लादी गई हिंसा और अन्याय का समर्थ न्यायपूर्ण प्रतिरोध करे।

उदाहरण—(१) भगवान महावीर के उपासक वैशाली गणाध्यक्ष चेटक ने, जो व्रतधारी श्रावक थे, न्याय एवं नीति की रक्षा के लिए शरणागत की पुकार पर कोणिक के साथ युद्ध किया।

(२) राजा उदयन ने हार, हाथी और दासी के लिए न्याय की रक्षा हेतु चण्ड प्रद्योतन से युद्ध किया।

[ १० ]

(१) प्रश्न—॥नेमजी की जान बणी भारी ॥

(तर्ज—दया पालो बुध जन प्राणी..... )

नेमजी री जान बणी भारी, देखण को आवे नर नारी ॥टेर॥

घट रही हुक्का सरणाई, व्याह में आए बड़े भाई ।

भरोखे राजलदे आई, जान को देखत सुख पाई ।

दोहा—उग्रसेनजी देख के, मन मे कियो विचार ।

बहुत जीव को करी एकठा, वाड़ो भर्यो तिवार ।

करी जब भोजन की त्यारी.....नेमजी .. ..

नेमजी तोरण पर आवे, पशु सब मिलकर कुरयिे ।

नेमजी वचन यूँ फरमाए, पशु ये काहे को लाये ।

दोहा—याको भोजन होवसी, जान वास्ते तयार ।  
 एह वचन सुण नेमजी, थर थर कंपी काय ।  
 भाव से चढ़ गए गिरनारजी.....नेमजी.....

उपर्युक्त स्तवन के रचनाकार कौन है ?

उत्तर—श्री नवल मल ।

(२) प्रश्न—भूल चुका है मनुज श्री.....

कौन सुनेगा, आज यहाँ पर पीर को,  
 भूल चुका है आज मनुज श्री राम, कृष्ण महावीर को ।  
 कभी जटायु की सेवा मे, राम बलि-बलि जाते थे,  
 घायल पक्षी को हाथो मे, ले आसू टपकाते थे,  
 आज खंडा है भाई आगे, भाई ले शमशीर को ।  
 भूल चुका है.....॥१॥  
 कभी वीर चन्दन बाला से, उड़द बाकुले पाये थे,  
 चण्डकौशिया विष के बदले, अमृत को बरसाये थे,  
 आज मनुज बरसाते है, कटु वाणी के विषतीर को ।  
 भूल चुका है.....॥२॥

उपर्युक्त स्तवन के रचनाकार कौन है ?

उत्तर—श्री कुमुद मुनि

(३) प्रश्न—॥वीर जिनेश्वर सोई दुनिया..... ॥

वीर जिनेश्वर सोई, दुनिया जगाई तूने ।  
 जान की मधुर-सुरीली, वंशी बजाई तूने ॥१॥  
 भारत की नैया डोली, मृत्यु आ सिर पर बोली ।  
 स्वर्ग से आकर भगवन्, पार लगाई तूने ॥२॥  
 पशुओ पै छुरियाँ चलती, रक्त की नदियाँ बहती ।  
 करुणा के सागर, करुणा-गंगा बहाई तूने ॥३॥

उपर्युक्त स्तवन के रचनाकार कौन है ?

उत्तर—'श्री अमर मुनि'

[ ११ ]

(१) प्रश्न—एक मछली को जीवन दान देने से मृगसेन धीवर को किन भव मे कई जीवन दान मिले ?

उत्तर—'दामनखा' के भव में ।

(२) प्रश्न—ढंढण मुनिराज को किस पूर्व भव की घटना से सदैव भिक्षा ने रूखा-सूखा भोजन ही प्राप्त होता था ?

उत्तर—पूर्व जन्म में ढंढण मुनि एक खेत का रखवाला था। राजा के खेत में मजदूरो एवं बैलों से कुछ घंटे काम का नियम था। जब दोपहर के विश्राम में छुट्टी मिलती थी तो वह अपना निजी कार्य करवाता था, जिससे वे सुख से भोजन भी नहीं कर पाते थे। यद्यपि यह सूक्ष्म हिंसा थी, किन्तु अपने निजी स्वार्थ ने उसे मानवीय कर्तव्य से परे हटा दिया था। उन्हीं पूर्व कर्मों के फल स्वरूप ढंढण मुनि को भिक्षा में रूखा-सूखा आहार मिलता था।

(३) प्रश्न—निम्न महान् आत्माओं को आज भी 'अहिंसा' के सदर्थ में क्यों याद किया जाता है ?

(१) नेमी नाथ तीर्थकर, (२) धर्म रुचि अणगार, (३) मैतार्य मुनि, (४) मेघरथ राजा

उत्तर—(१) नेमीनाथ तीर्थकर—पशुओं पर करुणा करने से।

(२) धर्म रुचि अणगार—कीड़ियों पर दया करने से।

(३) मैतार्य मुनि—कुक्कुट की रक्षा के कारण।

(४) मेघरथ राजा—शरणागत कबूतर की रक्षा के कारण।

[ १२ ]

(१) प्रश्न—अहिंसा का आचार पक्ष के अलावा विचार और व्यवहार पक्ष भी बहुत महत्त्वपूर्ण है। कृपया यह बताइये कि अहिंसा का विचार एवं व्यवहार पक्ष कौनसा है ?

उत्तर—(१) अहिंसा का विचार पक्ष है—अनेकान्त।

(२) अहिंसा का व्यवहार पक्ष है—अपरिग्रह।

(२) प्रश्न—मन, वचन और काया के त्रियोग में मन की अहिंसा (मानसिक अहिंसा) को सर्वोपरि महत्त्व क्यों दिया गया है ?

उत्तर—हिंसात्मक भावनाएँ सर्व प्रथम मानस पर पनपती हैं, इसलिये मन को हिंसा से बचाना अत्यन्त आवश्यक है। वचन और काय हिंसा मानसिक हिंसा होने के बाद ही सम्भव है, इसलिये मन की अहिंसा को सर्वोपरि महत्त्व दिया गया है।

(३) प्रश्न—अहिंसा के निषेधात्मक एवं विधेय पक्ष की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए।

उत्तर—अहिंसा का निषेधात्मक पक्ष है—किसी को मत मारो, किसी के मन, हृदय को आघात मत पहुँचाओ। दूसरी ओर अहिंसा का विधेय पक्ष है—मैत्री भाव स्थापित करना और अपने जैसा व्यवहार सबके साथ करना, अहिंसा का विधेय पक्ष है।



## अहिंसा-तत्त्व

□ प्रो० कल्याणमल लोढ़ा

विश्व का रचनात्मक चिन्तन आज भौतिकवाद, हिंसावाद और आतंकवाद के विरुद्ध जागरूक होकर शान्ति के नए आयाम खोज रहा है—इसके साथ ही वर्तमान काल की भौतिकवादी उपभोक्ता अथवा सस्कृतिकी चकाचौंध में वैचारिक ऊहापोह से संत्रस्त ऐसी धारा भी है जो युद्ध, हिंसा, प्रतिशोध, सत्ता और अधिकार की अन्तहीन महत्वाकांक्षा को मनुष्य की प्रकृति का जन्मजात और आवश्यक अंग गिनती है, तो दूसरी अहिंसा, समता, सहिष्णुता, मैत्री और सहअस्तित्व को। कुछ उदाहरण देखें। नीट्शे ने कहा था कि “दयनीय और दुर्बल राष्ट्रों के लिए युद्ध एक औषधि है।” रस्किन ने माना कि “युद्ध में ही राष्ट्र अपने विचारों की सत्यता और सक्षमता पहचानता है। अनेक राष्ट्र युद्ध में पनपे और शांति में नष्ट हो गये।” मोल्टेक “युद्ध-हिंसा को परमात्मा का आन्तरिक अंग” गिनना था। उसकी धारणा थी कि स्थायी शान्ति एक स्वप्न है। डार्विन का शक्ति सिद्धान्त तो ज्ञात है ही। स्पेगलर जैसा इतिहासज्ञ भी युद्ध को मानवीय अस्तित्व का शाश्वत रूप गिनता है। आर्थर कीथ ने ‘युद्ध को मानवीय उत्थान की छँटाई गिना’। वैज्ञानिक डेसमोन्ड मोरिस, ‘नैकड एप’, रावर्ट आड्रे ‘दि टैरीटोरियल इम्पैरेटिव’, व कोनार्ड लारेज ‘आन एग्रेसन’ में फाइड की मान्यता के पक्ष धर है कि आक्रामकता और हिंसा मनुष्य की जन्मजात, स्वतंत्र, सहज एवं स्वाभाविक चित्तवृत्ति है।

इन भ्रान्त धारणाओं के विपरीत दूसरा व्यापक और स्वस्थ मत है उन विचारकों का, जो अहिंसा के सिद्धान्त और दर्शन को आज चिन्तन के नये घरातल पर प्रतिष्ठित कर उसे केवल धर्म और अध्यात्म का ही नहीं, दर्शन और मुक्ति का साधन ही नहीं, सामाजिक परिवर्तन, अहिंसक समाज, विश्वशांति और सार्वभौम मानवीय मूल्यों के परिप्रेक्ष्य में भी स्वीकार कर रहा है। यूनेस्को जैसी संस्था ने भी इस पर गम्भीर विचार-विमर्श के लिए अन्तर्गष्ट्रीय संगोष्ठियां आयोजित की व सामाजिक सर्वेक्षण और शोध योजनाओं को विविध रूपेण क्रियान्वित किया। आज सभी देशों, वर्गों और नमाजों के प्रबुद्ध चिन्तक यह स्वीकारते हैं कि स्थायी विश्वशांति के लिए आमूल राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक, क्रान्ति की अपरिहार्य आवश्यकता है और वह केवल महावीर, बुद्ध व गांधी की अहिंसा से सम्भव है। यो कहना अधिक सगत होगा कि मानव सभ्यता का भविष्य अहिंसा व शान्ति पर ही निर्भर करता है। सम्भवतः यही कारण था कि महान् वैज्ञानिक आइन्स्टीन ने अपने व

महात्मा गाँधी का चित्र लगाया; किसी राजनेता और वैज्ञानिक का नहीं। मानव समाज की मूल प्रक्रिया मानवीय अभिप्रेरणा व प्रयोजन की संरचना शांति, सुव्यवस्था और समता की ओर उन्मुख रही है। द्वितीय महायुद्धोपरांत विनष्ट नागासाकी को देखकर प्रसिद्ध चिन्तक ब्रोकोस्वकी ने यह प्रस्ताव किया कि नागासाकी को उसके विध्वंसक और विनष्ट रूप में यथावत रखा जाय, जिससे आने वाली पीढ़ियाँ यह देख सकें कि युद्ध और हिंसा कितनी भयावह और दुर्दान्त होती है। इस सम्बन्ध में एक और उदाहरण ध्यातव्य है। कुछ वर्ष पूर्व अमेरिका के सांसद भरविक डायमेफी ने कांग्रेस में यह प्रस्ताव रखा था कि संयुक्त राज्य में सेनापतियों, युद्ध विजेताओं और वीर सैनिकों की तो अनेक मूर्तियाँ हैं पर अब समय आ गया है कि हमें महात्मा गाँधी का एक स्मारक वाशिंगटन में बनाना चाहिए, जिससे अहिंसा, प्रेम और शांति का व्यापक संदेश मानव-कल्याण के लिए फैले।

सामाजिक मनोविज्ञान का मूलाधार जिस व्यवस्था और संस्थावाद को प्रमुखता दे रहा है, उसकी निर्मिति मैत्री, समता और भ्रातृत्व पर ही आधारित है। प्रसिद्ध विद्वान् सी. राइट मिल का कथन है कि आज मनुष्य की समस्त चिन्ताधारा विभ्रमित होकर तृतीय विश्व युद्ध को यथार्थ मानकर भ्रमवश विश्व शांति की सम्भावना स्वीकार नहीं करती। पो सोरोकिन का भी यही अभिमत है। उसकी दृष्टि में आज सामाजिक व्यवस्था और सांस्कृतिक जीवन मूल्यहीन, प्रत्ययहीन, अस्थायी हो गए हैं और स्पर्धा एवं सकटग्रस्त होकर चारों ओर विनिष्टवादी कटुता का बोलबाला है।

आइन्सटीन ने तो स्पष्ट कह दिया था, “हमें मानवता को याद रखना है जिससे हमारे समक्ष स्वर्ग का द्वार खुल जायेगा अन्यथा सार्वभौम मृत्यु को ही भेलना होगा। कोई अंधी मशीन हमें अपने विकराल वज्र दन्तों में जकड़ लेगी।” एक ओर विश्व संहार का यह भय और आतंक है, तो दूसरी ओर यह मान्यता जोर पकड़ रही है कि रचनात्मक पदार्थवाद और नैतिक मानवीय मूल्यों के मानदण्ड के रूप में ही अहिंसक समाज व संस्कृति के लिए स्थायी विश्वशांति के हेतु बन सकते हैं। सामाजिक व सांस्कृतिक विकास आज द्वयर्थक हो रहा है। एक ओर तकनीकी व वैज्ञानिक आविष्कारों ने राष्ट्रों के आचार-विचार-व्यवहार में परिवर्तन कर दिया है तो दूसरी ओर सत्ता व शासन की अमित महत्वाकांक्षाओं ने चुनौतियाँ उत्पन्न कर तनाव और संघर्ष उपस्थित किया है। कोई राष्ट्र अन्य उन्नत राष्ट्रों से पिछड़ना नहीं चाहता, दूसरी ओर सामान्य जनता शान्ति, सुव्यवस्था और सामाजिक परिवर्तनों की माग कर परस्पर सौमनस्य और सौरस्य का आग्रह कर रही है। युद्ध की भयावहता इससे ही स्पष्ट है कि आज संहार अस्त्रों पर तीस हजार डालर प्रति सैकेण्ड खर्च हो रहे हैं और उधर हर दो सैकेण्ड पर बालक, चिकित्सा के अभाव में

विकलांग हो रहा है ।' अमेरिका नाभिकीय युद्ध के लिए रसायनिक और जैविक तत्वों के मिश्रण से ऐसे अस्त्र बना रहा है, जो विशेष जातियों और नस्लों को पहचानकर समाप्त कर देंगे एवं मानवीय इच्छाओं का दमन कर जनता की मानसिकता और आचरण-क्षमता को स्वचालित शब्दों में बदल देगे । इसके विपरीत प्रेमचन्द के शब्दों में 'विश्व समर का एकमात्र निदान है विश्व-प्रेम ।' इस सन्दर्भ में आज विश्व साहित्य में तकनीकी संस्कृति का घोर विरोध हो रहा है, ब्रूस मेजलिस ने १९८० में लिखा कि "आविष्कारों की महानता और उनके परिणामों के हीनता की घोर विषमता से मैं हैरान हूँ ।' नारमन फंजिल्स ने कहा कि 'अतिरिक्त की मानवयात्रा का महत्त्व यह नहीं है कि मनुष्य ने चंद्रमा पर पैर रखे पर यह है कि उसको दृष्टि वहाँ भी अपनी पृथ्वी पर ही लगी रही ।' यही सोचना है कि मनुष्य की इस सर्वव्यापी चारित्रिक आन्तरिक बाह्य अस्मिता के संकट से मुक्ति का उपायक अहिंसक क्रान्ति देकर क्या वह स्थायी शांति और सुव्यवस्था का प्रमाण बन सकती है ? इसी दृष्टि से आज गम्भीर विचारक और चिन्तक अहिंसा के दार्शनिक और धार्मिक पक्ष के साथ-साथ उसकी सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक उपयोगिता और इयत्ता पर उन्मुक्त भाव से विचार कर रहे हैं ।

आज मनुष्य की हिंसा प्रवृत्ति-आन्तरिक और बाह्य पक्षों में पाशविक सीमा को भी पार कर रही है । प्रकृति का संतुलन नष्ट हो रहा है । पर्यावरण का प्रदूषण अत्यन्त भयावह है—तकनीकी आविष्कार मनुष्य की आन्तरिक अस्मिता को नष्ट कर रहे हैं । इसके अनेक उदाहरण हमें आए दिन पत्र-पत्रिकाओं में मिलते हैं । कुछ वर्ष पूर्व लन्दन के एक वृद्ध की लकड़ी छोनकर उसे पीटा और फिर पकड़े जाने पर युवको ने इसे 'मनोरंजन' कहा । इसी प्रकार पार्क के एक कोने में एक अन्धी स्त्री के साथ बलात्कार करने पर उसे भी एक साधारण घटना समझा गया । भारत में भी प्रत्येक दिन ऐसी घटनाएँ पत्र-पत्रिकाओं में विज्ञप्त होती हैं । अमेरिका के उद्धत छात्रों ने एक उपनगर की जन आपूर्ति को उसके दुष्परिणामों का अनुभव करने के लिए समाप्त कर दिया । निर्दोष पशुओं की क्रूरता का तो अन्त ही नहीं है । अब अनेक चिन्तक इस क्रूरता के विरुद्ध आंदोलन कर रहे हैं और इसके साथ ही मात्साहार के विरोध में भी प्रचार । प्रसिद्ध जीव-वैज्ञानिक रेचल कार्स ने 'सायलेट स्पिग' पुस्तक लिखी और डी. डी. टी. के प्रयोग से फ्लोरिडा में ऋतु पक्षियों ने विहीन हो गयी और सृष्टि का संतुलन विगड़ा । साइबेरिया में भी चींटियों को मारने से वहाँ का पर्यावरण नष्ट हो गया—और इस क्रूरता को बढ़ करना पडा । चीनियों ने फसल को नष्ट करने वाली गौरव्यों को मार डाला, उनमें अकाल पड़ा और तब उनकी सुरक्षा का प्रबन्ध हुआ । बेरी कमाण्डर लेखक की 'बर्नोर्जिग सर्कल और जान मेडोस की 'डूमसडे सिण्ड्रोम' पर्यावरण की



प्रकृति के संतुलन के लिए पशु क्रूरता के निवारणार्थ लिखी गयी। राजस्थान में प्रतिवर्ष आने वाले सारस पक्षियों की सख्या अब अत्यन्त कम हो गयी है, इसके कारणों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जा रहा है। आज जीव विज्ञानी जीवन की रहस्यात्मक सूक्ष्मता का अध्ययन कर रहे हैं। शेल्ड्रेक ने प्रसिद्ध ग्रंथ 'एन्यू साइन्स आफ लाइफ' में एक शब्द का प्रयोग किया है 'मोर्फोजेनेटिक रिजोनेन्स' (रूप-गुणाणु जन्य अनुवाद) यह शब्द जीव सृष्टि के अन्तर क्रियात्मक क्षेत्र का सशक्त वैज्ञानिक विवेचन करता है। इस प्रसंग को आगे न बढ़ाकर मैं फ्रिट जाफ का प्रा का यह कथन उद्धृत करना चाहूँगा 'जब मन अशान्त होता है तब पदार्थ की अनेकता पैदा होती है, परन्तु जब मन शान्त होता है तब पदार्थ की अनेकता नष्ट हो जाती है' और एकता सिद्ध होती है। एकता का यह परमबोध ही अहिंसा का मूल तत्त्व है।

ऊपर मैंने युद्ध-लिप्सा का उल्लेख किया है। इस सम्बन्ध में अमेरिका के राष्ट्रपति जिमी कार्टर के भाषण (१४,१,१९८१) का उल्लेख करना चाहूँगा, जिसमें उन्होंने कहा था कि 'यदि परमाणु युद्ध पृथ्वी पर छिड़ जाय तो दूसरे विश्वयुद्ध में जितना विनाश हुआ था उतना विनाश प्रत्येक सेकेंड में होगा' यह विचार ही युद्ध जन्य हिंसा का घातक प्रमाण है—सृष्टि के विध्वंस का। इसके साथ हमें यह भी स्मरण रखना होगा कि यदि विभिन्न देश युद्धार्थ अस्त्र-शस्त्र के निर्माण के लिए एक दिन में जितना व्यय करते हैं उससे संयुक्त राष्ट्र के एक वर्ष का साधन जुट सकता है। अफ्रीका में प्रत्येक दिन अनुपाततः १४००० बालक भूख से मरते हैं—इस सब को देखकर रूथ सिवर्ड ने विनपिटि को "साइलेंट होलोकास्ट" कहा था।

उपरिलिखित ये उल्लेख इस विसंगति के प्रमाण हैं कि आज मानवीय संस्कृति जिस विभीषिका से सत्रस्त है—उसका समाधान अहिंसा से ही संभव है। और इसीलिए आज मानवीय चिन्तन अहिंसा की ओर आकृष्ट हो रहा है—आहार-व्यवहार-आचार-विचार-सभी-दृष्टियों से। डा. दौलतसिंह कोठारी ने 'सिरेमल वाफना स्मारक व्याख्यान में (विज्ञान और अहिंसा) कहा था कि 'अहिंसा और विज्ञान के अन्तरावलम्बन पर विचार करते हुए हमें सहसा जीव विज्ञान के अधुनातन अनुसंधानों का स्मरण होता है जिसमें यह प्रतिपादित किया गया है कि 'एक ही कोटि के प्राणी पारस्परिक हत्या में लिप्त नहीं होते, पर मनुष्य ऐसा अभागा प्राणी है कि वह एक दूसरे की हत्या करने में नहीं हिचकिचाता'। उन्होंने कार्ल पोपर के प्रसिद्ध ग्रन्थ 'दि ओपन सोसाइटी एन्ड इट्स ऐनीमीज' का उद्धरण भी दिया है। पोपर कहता है कि "राजनीतिक सत्ता के अधिकारों का इतिहास केवल अन्तर्राष्ट्रीय सामूहिक हत्याओं और मानवीय अपराधों का इतिहास है"। इस का अन्य पक्ष यह है कि जिन मनुष्यों ने युद्धान्माद और हिंसा को अपनाया, इतिहास में वे केवल घटना बनकर

रह गए। सिकन्दर, चंगेजखां, नादिरशाह, महमूद गजनवी, तैमूरलग आदि आज कहाँ है? सिकन्दर के लिए कहा गया कि ग्रीक दार्शनिक डायोजिनीज के लिए एक टब ही बहुत थी, पर सिकन्दर की महत्त्वाकांक्षा में सारा विश्व उसके लिए छोटा रहा। कोलम्बस की क्रूरता के लिए अब कहा जाता है कि हिटलर अपनी नृशंसता में उसके समक्ष बौना लगता है। औरंगजेब ने मृत्यु के समय अपने पुत्रों को लिखे पत्र में अपनी करतूतों के लिए पश्चात्ताप किया था।

हमें स्मरण रखना चाहिए कि समष्टि चेतना और सामूहिक संश्लिष्ट ऐक्य मानवेतर सृष्टि में भी जब सहज, स्वसंभूत और सुलभ है, तब मनुष्य में ही क्यों आज इनका अभाव है? विख्यात मनोवैज्ञानिक एरिक डरिकसन ने इसे ही 'किर्तव्यविमूढ़ता' कहा है। उनके अनुसार मनुष्य यह नहीं जानता कि वह क्या है, उसकी सलग्नता कहाँ और किससे है? यह एक भीषण मानसिक रोग है।

इसके विपरीत मानवेतर सृष्टि को देखे। एडवर्ड विल्सन ने अपने आविष्कारों से यह प्रमाणित कर दिया कि प्रवाल, चीटी, सर्प आदि जीव-जन्तु भी पूर्णतः सामाजिक और संवेदनशील हैं, उनकी सामाजिक संरचना अत्यन्त सुव्यवस्थित है। आज तो विज्ञान ने पेड़-पौधों में भी संवेदनशीलता, आत्मसुरक्षा और ज्ञप्ति को प्रमाणित कर दिया है। इसी संवेदना का अनुभव कर परमहंस श्री रामकृष्ण ने पत्ते, फूल और पौधों को छूना तक-नहीं चाहा। जैन साधु-साध्वी तो सदा से यही करते आ रहे हैं।

हमें यह मानना चाहिए कि अहिंसा आज के विघटित, संव्रस्त और किर्तव्यविमूढ़ मनुष्य को निश्चित सुव्यवस्था देकर अहिंसक समाज की रचना करने में समर्थ है। उदात्त अहिंसा ने सदैव मनुष्य जीवन को उच्चतम नैतिक भूमि पर ले जाकर उसे मानवीय गुणों से समन्वित किया। जिन्होंने मानव जाति के विनाश का स्वप्न देखा, वे विस्मृत हो गए और जिन्होंने उसके उत्थान का सत्संकल्प किया एवं उसमें योगदान दिया, वे अजर-अमर। संस्कृति के विकास में उनकी देन अक्षय है। यह इस सत्य का प्रमाण है कि मनुष्य की आन्तरिकता मूलतः सर्वतोभावेन अहिंसक, ज्ञान्ति-प्रिय, प्रेममय, करुणाश्रित और नैतिक है। जीवन के सभी आदर्शों के मूल में अहिंसा है। अहिंसक समाज के लिए व्यक्ति का अहिंसक होना आवश्यक है। बौद्धायनी ने अहिंसक व्यक्ति और अहिंसक समाज के पारस्परिक और अन्वोन्याश्रित सम्बन्ध पत्र प्रकार से चालते हुए लिखा है कि मन, वचन और कर्म से अहिंसक व्यक्ति समाज में सर्वत्र मैत्री, प्रेम और सद्भाव का नियमन करता है। वह समूचे समाज परिवर्तन लाने की धमता रखता है।

आज जब पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, प्राकृतिक सतुलन विगड़ रहा है, पशु-पक्षी, जन्तु मनुष्य को हिमक वृत्ति से समाप्त हो रहे हैं, महावीर ने आचार-विचार और व्यवहार के साथ-साथ आहार को भी महत्व दिया। वे केवली थे—त्रिकालज्ञ, दिव्य। हिंसा पाप है, राँद्र है, भय है, मोह है। एसो सो पाणवहो पावो, चण्डो, रुदो ... .. मोह महवभयत्तवहग्रो'। अहिंसा समस्त जीवों के प्रति सयमपूर्णा आचार-व्यवहार है—'अहिंसा निऊणा दिट्ठा, सब्भूएसु सजमो।' वे सदा यही सिखाते रहे कि मनुष्य के चरित्र का आन्तरिक रूपान्तरण मुख्य है, और इसके साधन है, अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, और समता। यही मानवतावाद या समष्टिवाद की आधारशिला है। एक जैनाचार्य का कथन है—अहिंसा ही प्रमुख धर्म है, अन्य तो उसकी सुरक्षा के लिए हैं—'अवसेसा तस्स रक्षणट्ठा।' आध्यात्मिक चेतना ऊर्ध्व गति से ही संभव है—उसका सनातन मूल्य बोध भी वीर प्रभु ने इसी से शान्ति मार्ग पर चलने को कहा—

बुद्धे परिनिव्वुडे चरे,

गाम गए नगरे व संजए ।

सन्ति मग्गं च बूहए,

समयं गोयम ! मा पमायए ॥ उत्तराध्ययन सूत्र १०/३६

अहिंसा की साधना ही शान्ति का मार्ग है। वे कहते हैं 'बुद्ध तत्वज्ञ और उपशान्त होकर पूर्ण सयतभाव से गौतम ! गाँव एव नगर में विचरण कर। शान्तिपथ पर चल। अहिंसा का प्रचार कर। क्षण भर भी प्रमाद न कर।'

उन्होंने बताया कि धर्महीन नीति समाज के लिए अभिशाप है और नीतिहीन धर्माचरण निरर्थक। ज्ञानी पुरुषों ने जिसका सदा आचरण किया, वह व्यवहार और आचरण ही अपेक्षित है। इस प्रकार महावीर ने अहिंसा को वृहत और व्यापक सामाजिक धरातल पर प्रतिष्ठित किया। उनका विधान था 'चारित्तं धम्मो' सदाचार ही धर्म है। व्यक्ति की हो, चाहे समाज या शासन-तन्त्र की, हिंसा का कारण भय और क्रोध है। जैनधर्म कपाय को हिंसा का कारण मानता है—आवेश, लालसा, अधिकार-लिप्सा और वित्तैषणा हिंसा और परिग्रह के हेतु हैं, 'गथेहि तह कसाओ, वड्ढइ विज्भाइ तेहि विणा।' आधुनिक समाजशास्त्र व मनोविज्ञान में भी क्रोध, मान, माया और लोभ का वैज्ञानिक पद्धति से निरूपण मिलता है। क्रोध को ही ले। क्रोध प्रतिशोध माँगता है। वह मानसिक और शारीरिक सतुलन नष्ट कर देता है। 'भगवती मूत्र' में इसकी विभिन्न अवस्थाओं का विवरण प्राप्त होता है। भगवान महावीर कहते हैं—क्रोध उचित-अनुचित का विवेक नष्ट करने वाला है। वह प्रज्वलन रूप आत्मा का दुष्परिणाम है।

आज मनोविज्ञान ने भी इस तथ्य को भली भाँति उजागर कर दिया है। चरक ने तो यही बताया कि क्रोध आदि विकार से व्यक्ति ही नहीं, उसके आसपास का वातावरण भी विकृत हो जाता है। व्यक्ति और समाज में सार्व-देशिक शान्ति तभी संभव है जब हम अपनी जीवन-प्रक्रिया में आमूल परिवर्तन करें। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक इरिक बर्न का कथन है 'मनुष्य की रचनात्मक जिजीविषा और सहारात्मक विजीगिषा वह कच्चा माल है, जिसका आज मनुष्य और संस्कृति को उपयोग करना है। समाज और मानवजाति की सुरक्षा के लिए उसे सहारात्मक विजीगिषा समाप्त कर रचनात्मक जिजीविषा को आध्यात्मिक व जागतिक समृद्धि में लगाना होगा।' व्यक्ति का मानसिक विकास और उसकी सामाजिक शान्ति इस पर निर्भर करती है कि वह इन जन्मजात शक्तियों का किस उद्देश्य से प्रयोग करे। व्यक्ति का मानसिक सतुलन ही सामाजिक सतुलन का प्रथम चरण है। महावीर ने अपनी सारी शक्ति इसी में लगाई। उन्होंने अहिंसा के सिद्धान्त को मनुष्य या पशु हिंसा तक ही सीमित न रखकर समस्त सचराचर जगत् पर, षट्काय जीवों पर, जीवन के प्रत्येक पहलू और पक्ष पर, अनिवार्य समझा। अहिंसा के निषेधात्मक और विधेयात्मक दोनों रूपों पर गहन विचार किया। भाव हिंसा और द्रव्य हिंसा का सर्वांगीण विवेचन कर हिंसा के पाँच समादान बताए। उन्होंने कहा—'अहिंसा निजए दिट्ठा सव्व भूएसु सजमो (दशवैकालिक ६-६) क्योंकि सभी प्राणियों को जीवन प्रिय है—सुख अनुकूल है और दुःख प्रतिकूल।' 'अपिपय वहा, पिय जीविणो जीविड कामा, सव्वेसि जीविय पिय नाइवाएज्ज, कचणं (आचाराग १।३-४) महावीर की इस अहिंसा-संस्कृति को ही आधुनिक युग में महात्मा गाँधी ने अपनाया, विनोबा भावे ने सर्वोदय-सिद्धान्त में प्रमुख गिना।

प्राचीन काल से लेकर आज तक पाश्चात्य जगत् में भी मांसाहार के विरोध में व्यापक प्रचार था। प्राचीन दार्शनिक पाइथोगोरस ने मांसाहार को पापमय भोजन गिना। ग्रीक दार्शनिक सैनेका ने पाइथोगोरस के प्रभाव से मांस खाना छोड़ दिया। प्लूटार्क मांस का घोर विरोधी था। प्रसिद्ध चित्रकार लिनार्दो दिविसी का कथन था कि 'प्रकृति नहीं चाहती कि एक जीव दूसरे का घात करे।' प्रसिद्ध संगीतकार बैगनर पूर्णतः शाकाहारी था। तालस्ताय भी जीवन के अंतिम समय में पूर्ण शाकाहारी हो गये। आइन्सटीन का मत था कि शाकाहार मनुष्य के जीवन के लिए लाभप्रद है। जार्ज बर्नार्डशा वृहते थे कि 'मेरे अपने पेट को पशुओं का कब्रिस्तान नहीं बनाऊँगा।' नोबल पुरस्कार विजेता एल्बर्ट स्वाइजर पशु-हत्या व मांसाहार को पूर्णतः हेय समझते थे। आज तो पारंपरिक स्वस्थ लाभ के लिए भी शाकाहार के लिए देश-विदेश में व्यापक प्रचार हो रहा है। यहाँ तक कि कैंसर, हृदय रोग आदि घातक रोगों को रोकने के लिए भी शाकाहार के लिए प्रचार हो रहा है। यहाँ तक कि कैंसर, हृदय रोग आदि घातक रोगों को रोकने के लिए भी शाकाहार के लिए प्रचार हो रहा है।

समझा जा रहा है। इसी प्रकार पेड़ पौधों, वनस्पति व प्राकृतिक सतुलन के लिए भी आज समस्त देश जागरूक है। इस संबंध में वैज्ञानिकों ने पेड़ पौधों पर शोध करके यह प्रमाणित कर दिया है कि उनमें भी आत्मतत्त्व उसी प्रकार विद्यमान है जिस प्रकार मनुष्य में। उनमें भी वही संवेदना है जो मनुष्य में। पशु क्रूरता निवारण के लिए तो ऐसा आन्दोलन संभवतः पहले कम ही हुआ हो। सी रिचार्ड केलोर तो पशु क्रूरता निवारण के लिए जी जान से लगे हैं। भारत में साधु वासवानी का नाम विख्यात है। युनाइटेड नेशन्स को जो जापन पशु सुरक्षा के लिए (अन्तर्राष्ट्रीय एनीमल चार्टर) दिया उसमें कहा गया है कि पशुहत्या बंद की जाय। प्रसिद्ध कवि ऐन्जिला गिल्स की कविता ने अत्यधिक प्रशंसा पाई। उसकी कुछ पंक्तियाँ हैं 'प्रत्येक लघु चीटी अपने जीवन के भार से ईश्वर के पथ का ही संधान कर रही है' (अनुवाद-एनीमल सीटीजन, अक्टूबर १९६२ से) अनेक विद्वानों ने इस प्रकार ग्रंथ भी लिखे हैं, जिनमें प्रमुख है विलमूल की 'साइकिल पावर आफ एनिमल्स' यह सब जागरूकता अहिंसा की जागरूकता है। यही कारण है कि आज विश्व की चेतना जैन सस्कृति की ओर आकृष्ट हो रही है और उसे अपनाते पर चल दे रही है।

डॉ. टी. के. उन्नीथन एवं डॉ. योगेन्द्र सिंह के सर्वेक्षण के अनुसार आज नेपाल, श्री लंका और भारत का ७० प्रतिशत कुलीन वर्ग और ६३.८ सामान्य वर्ग अहिंसा को प्रधानतः राजनीतिक और सामाजिक स्वरूप में स्वीकार करता है। ये वर्ग सभी धर्मों के हैं। इन वर्गों की दृढ़ मान्यता है कि अहिंसा की उपलब्धि से मानव जाति का नैतिक और आध्यात्मिक विकास होगा। उन्नीथन ने अहिंसा की सगति और स्वीकृति का समाजशास्त्रीय पद्धति से विश्लेषण कर यह निष्कर्ष निकाला है कि "हमारे समक्ष दो ही विकल्प हैं—या तो परम्परा से प्राप्त नैतिक व्यवस्था स्वीकार करे या फिर समाज से निःसृत उसकी प्रायोगिक मान्यता को। परन्तु यही प्रश्न उठता है कि वर्तमान अनैतिक समाज से हम किस प्रकार नैतिक व्यवस्था प्राप्त कर सकते हैं? सत्ता और व्यवस्था की संकल्पना लोकोत्तर होनी चाहिए, जो विद्यमान परिस्थितियों से उत्पन्न प्रत्यात्मक और पारम्परिक हो।" डॉ. राधाकृष्णन के शब्दों में 'अहिंसा कोई शारीरिक दशा नहीं है, अपितु यह तो मन की प्रेममयी वृत्ति है।' मानसिक स्थिति के रूप में अहिंसा केवल अप्रतिरोध से भिन्न है। वह जीवन का एक नम्र रचनात्मक पक्ष है। मानव कल्याण की भावना ही सच्चा बल और सर्वश्रेष्ठ गुण है। कहा गया है कि "यौद्धा का बल घृणित है, ऋषि का बल ही सच्ची शक्ति है"—"धिग्वलम् क्षत्रिय बलम्, ब्रह्म तेजो बलम्।" अहिंसक मुनि, ऋषि या सन्यासी प्रत्यक्षतः सामाजिक संघर्ष में भाग नहीं लेते पर उनका योगदान निर्विवाद है।

पुनः डॉ. राधाकृष्णन के अनुसार वे "सामाजिक आन्दोलन के सच्चे निदेशक हैं। उन्हें देखकर हमें अरस्तू की 'गतिहीन प्रेरक शक्ति' का स्मरण हो

जाता है।" तात्सताय ने अपने प्रसिद्ध उपन्यास "युद्ध और शान्ति" में लिखा है— "युद्ध एक सामूहिक हत्या है, जिसके उपकरण हैं, देशद्रोह को प्रोत्साहन, मिथ्या भाषण, निवासियों का विनाश आदि।"

हम ग्रहिसा द्वारा सामाजिक परिवर्तन की सम्भावनाओं पर विचार करें। एरिक फ्रोम के अनुसार आज साधन को ही साध्य समझना सामाजिक व्यवस्था की सबसे बड़ी विसंगति है। भौतिक समृद्धि के लिए उत्पादन और उपभोग के साधन हमारे साध्य बन गए हैं, इसी से आज सम्पूर्ण समाज अपने आदर्श और उद्देश्य से च्युत हो गया है। मनुष्य मनुष्य से भयभीत है। उसकी वैयक्तिक अन्तहीन अधिग्रहण और अवाप्ति की लालसा ने उसकी स्वस्थ मानसिकता नष्ट कर दी है। हिगेल के शब्दों में 'मनुष्य सबसे सौभाग्यपूर्ण प्राणी है क्योंकि वह अकेला (रोबिनसन क्रूसो की भाँति) नहीं रह सकता, पर वह सबसे अभागा भी है क्योंकि अन्य मनुष्यों के साथ सौमनस्य और प्रेम से भी नहीं रहता' अर्थात् सामाजिकता की प्रकृत आकांक्षा के साथ, उसमें विकृत असामाजिकता है। वह प्रकृति के सनातन नियमों को भूल गया है। आर्थिक व राजनैतिक जीवन की केन्द्रस्थ यान्त्रिकता में, वह व्यक्तित्व की स्वतन्त्रता खो बैठा। उसके दिल और दिमाग पर शासन तन्त्र की क्रूरता और निरंकुशता हावी है। समाज शास्त्रियों ने व्यक्ति की इस विकृत मानसिकता का विशद विवेचन किया है। सामाजिक, आर्थिक दृष्टि से एक ओर वह अतीव परिग्रहवादी है, दूसरी ओर वह वर्तमान संस्कृति की जड़ता से विच्छिन्न। इसी को समाजशास्त्र में 'एनौमी' और 'एलिनेशन' कहा गया है। मार्क्स ने अपने सिद्धान्तों में भिन्नदृष्टि से व्यक्ति के ऐलिनेशन पर विचार किया। एलिनेशन की विवेचना करते हुए गर्सन का मत है कि तकनीकी—औद्योगिक क्रान्ति, नौकरशाही, विलास, वैभवपूर्ण जीवन प्रक्रिया, आदर्शों का लोप, नैतिक मूल्यों का ह्रास, विकृत मनोविज्ञान (फ्राइड आदि का) इस मानसिक विच्छति के कारण है। इसका अर्थ है कि आज व्यक्ति एकाकीपन, अनैक्य, असन्तोष का शिकार होकर वह अपने वृहत् सामाजिक सम्बन्धों को विस्मृत कर रहा है। उसे न तो अपने से सन्तोष है और न अपनी उपार्जन क्षमता से। वह असंयत है। सांस्कृतिक सकट उसे हतप्रभ कर रहा है। उसकी आकांक्षाओं और उपलब्धियों में प्रचुर व्यवधान है। उसकी एपणाओं का अन्त नहीं। वह अर्थ रहित, मूल्यविहीन, एकाकी, आत्मनिर्वासित और गतिहीन है। यही उसका सांस्कृतिक विघटन है। आज यह आत्मविमुखता और सांस्कृतिक अलगाव चारों ओर व्याप्त है। एनौमी वह मानसिक दशा है, जिसमें नैतिक जड़ें नष्ट हो जाती हैं—मनुष्य विश्रुंखलित होकर अपना नैरन्तर्य छो बैठता है। आध्यात्मिक स्तर पर वह अनुर्वर और निर्जीव है। उसका दायित्व-बोध किसी के प्रति नहीं है। उसका जीवन पूर्णतः निषेधात्मक है। उसके जीवन में न तो यतीत है, न वर्तमान और न भविष्य—केवल एनशी एक एन शीप संवेदना ही विद्यमान है। (मेक्लवर) उसकी यह विधिस्त मानसिकता

समझा जा रहा है। इसी प्रकार पेड़ पौधों, वनस्पति व प्राकृतिक सतुलन के लिए भी आज समस्त देश जागरूक है। इस अवधि में वैज्ञानिकों ने पेड़ पौधों पर शोध करके यह प्रमाणित कर दिया है कि उनमें भी आत्मतत्त्व उसी प्रकार विद्यमान है जिस प्रकार मनुष्य में। उनमें भी वही संवेदना है जो मनुष्य में। पशु क्रूरता निवारण के लिए तो ऐसा आन्दोलन संभवतः पहले कम ही हुआ हो। सी रिचार्ड केलोर तो पशु क्रूरता निवारण के लिए जी जान से लगे हैं। भारत में साधु वासवानी का नाम विख्यात है। युनाइटेड नेशन्स को जो जापान पशु सुरक्षा के लिए (अन्तर्राष्ट्रीय एनीमल चार्टर) दिया उसमें कहा गया है कि पशुहत्या बंद की जाय। प्रसिद्ध कवि ऐन्जला गिल्स की कविता ने अत्यधिक प्रशंसा पाई। उसकी कुछ पंक्तियाँ हैं 'प्रत्येक लघु चीटी अपने जीवन के भार से ईश्वर के पथ का ही सधान कर रही है' (अनुवाद-एनीमल सीटीजन, अक्टूबर १९६२ से) अनेक विद्वानों ने इस प्रकार ग्रंथ भी लिखे हैं, जिनमें प्रमुख है विलमूल की 'साइकिल पावर आफ एनिमल्स' यह सर्व जागरूकता अहिंसा की जागरूकता है। यही कारण है कि आज विश्व की चेतना जैन संस्कृति की ओर आकृष्ट हो रही है और उसे अपनाते पर चल दे रही है।

डॉ. टी. के. उन्नीथन एवं डॉ. योगेन्द्र सिंह के सर्वेक्षण के अनुसार आज नेपाल, श्री लंका और भारत का ७० प्रतिशत कुलीन वर्ग और ६३.८ सामान्य वर्ग अहिंसा को प्रधानतः राजनीतिक और सामाजिक स्वरूप में स्वीकार करता है। ये वर्ग सभी धर्मों के हैं। इन वर्गों की दृढ़ मान्यता है कि अहिंसा की उपलब्धि से मानव जाति का नैतिक और आध्यात्मिक विकास होगा। उन्नीथन ने अहिंसा की संगति और स्वीकृति का समाजशास्त्रीय पद्धति से विश्लेषण कर यह निष्कर्ष निकाला है कि "हमारे समक्ष दो ही विकल्प हैं—या तो परम्परा से प्राप्त नैतिक व्यवस्था स्वीकार करें या फिर समाज से निःसृत उसकी प्रायोगिक नान्यता को। परन्तु यही प्रश्न उठता है कि वर्तमान अनैतिक समाज से हम किस प्रकार नैतिक व्यवस्था प्राप्त कर सकते हैं? सत्ता और व्यवस्था की सकल्पना लोकोत्तर होनी चाहिए, जो विद्यमान परिस्थितियों से उत्पन्न प्रत्यात्मक और पारम्परिक हो।" डॉ. राधाकृष्णन के शब्दों में 'अहिंसा कोई शारीरिक दशा नहीं है, अपितु यह तो मन की प्रेममयी वृत्ति है।' मानसिक स्थिति के रूप में अहिंसा केवल अप्रतिरोध से भिन्न है। वह जीवन का एक नमर्थ रचनात्मक पक्ष है। मानव कल्याण की भावना ही सच्चा बल और सर्वश्रेष्ठ गुण है। कहा गया है कि "यौद्धा का बल वृणित है, ऋषि का बल ही सच्ची शक्ति है"—"धिग्वलम् क्षत्रिय बलम्, ब्रह्म तेजो बलम्।" अहिंसक मुनि, ऋषि या सन्यासी प्रत्यक्षतः सामाजिक संघर्ष में भाग नहीं लेते पर उनका योगदान निर्विवाद है।

पुनः डॉ. राधाकृष्णन के अनुसार वे "सामाजिक आन्दोलन के सच्चे निर्देशक हैं। उन्हें देखकर हमें अरस्तू की 'गतिहीन प्रेरक शक्ति' का स्मरण हो

जाता है।" ताल्सताय ने अपने प्रसिद्ध उपन्यास "युद्ध और शान्ति" में लिखा है— "युद्ध एक सामूहिक हत्या है, जिसके उपकरण हैं, देशद्रोह को प्रोत्साहन, मिथ्या भाषण, निवासियों का विनाश आदि।"

हम अहिंसा द्वारा सामाजिक परिवर्तन की सम्भावनाओं पर विचार करें। एरिक फ्रोम के अनुसार आज साधन को ही साध्य समझना सामाजिक व्यवस्था की सबसे बड़ी विसंगति है। भौतिक समृद्धि के लिए उत्पादन और उपभोग के साधन हमारे साध्य बन गए हैं, इसी से आज सम्पूर्ण समाज अपने आदर्श और उद्देश्य से च्युत हो गया है। मनुष्य मनुष्य से भयभीत है। उसकी वैयक्तिक अन्तहीन अधिग्रहण और अवाप्ति की लालसा ने उसकी स्वस्थ मानसिकता नष्ट कर दी है। हिगेल के शब्दों में 'मनुष्य सबसे सौभाग्यपूर्ण प्राणी है क्योंकि वह अकेला (रोविनसन क्रूसो की भाँति) नहीं रह सकता, पर वह सबसे अभागा भी है क्योंकि अन्य मनुष्यों के साथ सौमनस्य और प्रेम से भी नहीं रहता' अर्थात् सामाजिकता की प्रकृत आकांक्षा के साथ, उसमें विकृत असामाजिकता है। वह प्रकृति के सनातन नियमों को भूल गया है। आर्थिक व राजनैतिक जीवन की केन्द्रस्थ यान्त्रिकता में, वह व्यक्तित्व की स्वतन्त्रता खो बैठा। उसके दिल और दिमाग पर शासन तन्त्र की क्रूरता और निरकुशता हावी है। समाज शास्त्रियों ने व्यक्ति की इस विकृत मानसिकता का विशद विवेचन किया है। सामाजिक, आर्थिक दृष्टि से एक ओर वह अतीव परिग्रहवादी है, दूसरी ओर वह वर्तमान संस्कृति की जडता से विच्छिन्न। इसी को समाजशास्त्र में 'एनौमो' और 'एलिनेशन' कहा गया है। मार्क्स ने अपने सिद्धान्तों में भिन्नदृष्टि से व्यक्ति के ऐलिनेशन पर विचार किया। ऐलिनेशन की विवेचना करते हुए गर्सन का मत है कि तकनीकी—औद्योगिक क्रान्ति, नौकरशाही, विलास, वैभवपूर्ण जीवन प्रक्रिया, आदर्शों का लोप, नैतिक मूल्यों का ह्रास, विकृत मनोविज्ञान (फ्राइड आदि का) इस मानसिक विच्छति के कारण है। इसका अर्थ है कि आज व्यक्ति एकाकीपन, अनैक्य, असन्तोष का शिकार होकर वह अपने वृहत् सामाजिक सम्बन्धों को विस्मृत कर रहा है। उसे न तो अपने से सन्तोष है और न अपनी उपार्जन क्षमता से। वह असयत है। सांस्कृतिक सकट उसे हतप्रभ कर रहा है। उसकी आकांक्षाओं और उपलब्धियों में प्रचुर व्यवधान है। उसकी एषणाओं का अन्त नहीं। वह अर्थ रहित, मूल्यविहीन, एकाकी, आत्म निर्वासित और शक्तिहीन है। यही उसका सांस्कृतिक विघटन है। आज यह आत्मविमुखता और सांस्कृतिक अलगाव चारों ओर व्याप्त है। एनौमी वह मानसिक दशा है, जिसमें नैतिक जड़ें नष्ट हो जाती हैं—मनुष्य विश्रुखलित होकर अपना नैरन्तर्य खो बैठता है। आध्यात्मिक स्तर पर वह अनुर्वर और निर्जीव है। उसका दायित्व-बोध किसी के प्रति नहीं है। उसका जीवन पूर्णतः निषेधात्मक है। उसके जीवन में न तो अतीत है, न वर्तमान और न भविष्य—केवल इनकी एक एक क्षीण सवेदना ही विद्यमान है। (मेक्लवर) उसकी यह विक्षिप्त मानसिकता



हेय सामाजिक परिवेण का परिणाम है। एलीनेगन जहाँ मनोवैज्ञानिक है, एनीमी वहाँ सामाजिक व सांस्कृतिक। एनीमी समाज की नियामक संरचना के ह्रास का फल है, क्यों कि व्यक्ति की आकांक्षा और उसकी पूर्ति में भारी व्यवधान एवं संकट है। इस दुरवस्था के निवारण के लिए हृदय और मस्तिष्क का परिष्करण या दर्शन और ज्ञान का उदात्तीकरण आवश्यक है और यह व्रत साधन से ही संभव है। व्रत साधन का व्यष्टि से प्रारम्भ होकर सम्पत्ति की और अभिनिविष्ट होना ही सही उपचार है।

नीग्रो नेता मार्टिन किंग लूथर का उद्धरण भी यहाँ समीचीन होगा—'अहिंसक व्यक्ति की यह मान्यता है कि अपने विरोधी की हिंसा के समक्ष भी वह आक्रामक भाव न रखे अपितु यह सत्प्रयास करे कि उसकी हिंसात्मक या आक्रामक शक्ति का निरसन अहिंसा से संभव हो सकेगा।' लूथर कहता है 'धिक्कार के बदले धिक्कार वापस लौटने से धिक्कार का गुणन होता है, अधिक्कार कभी अंधकार दूर नहीं करता—हिंसा से हिंसा की वृद्धि होती है।' महात्मा गांधी ने इसको ही सार्व भौम प्रेम और सर्वाधिक दम कहा था। अहिंसा व्यक्ति को अभय करती है, और दूसरों को भी। 'अभयं वै ब्रह्म मा मैषी' यही अहिंसा मंत्र है। विनोबाजी के शब्दों में इससे मनुष्य सत्यग्राही होता है।

बेलजियन समाजवादी चिन्तक वार्ट डे लाइट ने लिखा—'हिंसा का प्राचुर्य जितना अधिक होगा, क्रान्ति उतनी ही कम।' ऐसीमोव का वाक्य है 'हिंसा असमर्थ आदमी का अन्तिम आश्रय है।' हिंसा और कटुता के मध्य सामाजिक परिवर्तन अपनी शक्ति और अर्थवत्ता समाप्त कर देता है। आज की जनतांत्रिक पद्धति की मूलभूत आवश्यकता हिंसाविहीन शासन तन्त्र से ही संभव है। महात्मा गांधी के अनुसार अहिंसा का विज्ञान ही यथार्थ प्रजातन्त्र की स्थापना का समर्थ साधन है (यग इंडिया-मार्च १६, १९२२) हिंसा सामाजिक दुराग्रह है, अहिंसा सत्याग्रह। वर्तमान समय में जनता का विरोध व्यक्ति और सम्पत्ति के विरुद्ध हिंसापरक बन जाता है, ऐसा विरोध सामाजिक परिवर्तन का उपकरण कभी नहीं बन सकता, वह तो अव्यवस्था, तनाव और निराशा को पनपाकर और अधिक हिंसात्मक कार्रवाई का निमित्त बनता है।

आधुनिक चिन्ताधारा के अन्य सिद्धान्तों का तथ्यानुशीलन भी करे।

स्वीडन अर्थशास्त्री एडलर कार्लसन ने इस दृष्टि से 'विपर्यस्त उपयोगितावाद' की व्याख्या करते हुए लिखा है—'हमें अपनी सामाजिक व्यवस्था का पुनर्निर्माण मनुष्य के कष्टों को कम करने के लिए करना चाहिए। जो आज धनी और समृद्ध है उनका आर्थिक स्तर बढ़ाना एक खोखला व सारहीन विचार है। जब तक प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति न हो जाए, कोई भी अधिक समृद्ध न हो—इसके लिए आवश्यक है—नैतिक साधन न कि भौतिक उपाय।' ये नैतिक साधन ही व्यक्ति और समाज को शांति लाभ दे सकते हैं।

इसी से मनोविश्लेषणात्मक चिकित्सा अथ (जूलियस शेगल के शब्दों में) — मानसिक रोग और पीडा से मुक्ति के लिए आत्म-परितोष पर अधिक बल देती है—आत्मोपलब्धि पर, क्योंकि इसी से व्यक्तित्व का स्वस्थ और स्वीकृत विकास संभव है। मनुष्य के प्रकृत मूल्य बोध से अव्यवस्था को भी सुव्यवस्था में परिणत किया जा सकता है। ल्योन आइजन वर्ग ने इस पर जोर दिया है कि 'हमें मनुष्य की प्रकृति का ही मानवीकरण करना है क्योंकि मानवीय हिंसा सामाजिक दमन का हेतु नहीं उसकी प्रतिक्रिया का परिणाम है।' इसका एक प्रतिपक्ष भी है। वर्तमान विसंगति यह है कि आज वालक या किशोर वर्ग जब युवावर्ग को संघर्ष और हिंसा रत देखता है, जब जातीय नेता स्वार्थ व सत्ता के लिए यही मार्ग अपनाते हैं, तो वह भी इस दुष्प्रभाव में आकर उसी पथ पर चलता है, उनका अनुकरण करता है। इसी से ल्योन आइजनवर्ग कहता है कि हिंसा दुष्परिणाम है अन्तरवर्ग संघर्ष का, जिसे हमारे नेता बढ़ावा दे रहे हैं। हमें समस्त मानव समाज को अविभक्त इकाई के रूप में ग्रहण कर मानवीय मूल्यों का विकास करना होगा। भ्रातृत्व और मैत्री का सिद्धान्त प्राचीन है, पर आज मानव अस्तित्व की रक्षा की वह प्रथम अनिवार्यता है।

हमें यह निःसंकोच स्वीकार करना होगा कि मनुष्य ही अपना भाग्य विधाता है व पुरुषार्थ ही उसका नियामक है। प्रसिद्ध विचारक बर्ट्रैंड रसल ने सामाजिक परिवर्तन के सिद्धान्तों में जीवन की इस आंतरिक प्रक्रिया को-अहिंसा, सत्य, समता, अपरिग्रह और सात्विक आचरण को ही प्रमुख गिना है।

त्रिद्वान् विचारक आज जिस तथ्य की ओर सकेत कर रहे हैं, जताब्दियों पूर्व भगवान महावीर ने यही बताया था। उन्होंने 'आयओ बहिया पास तम्हा न हन्ता न विघाइए।' अहिंसा के द्वारा विश्व मैत्री का सदेश दिया, मनुष्य-मनुष्य को समान बताया—

“चरण हवइ सधम्मो, सो हवइ अप्पसमा वो’  
सो राग रोस रहिओ, जीवस्स अण्ण परिणामो।”

न कोई जाति उच्च है और न कोई हीन— 'नो हीणो णो—आइरित्ते, णो पीहए' उन्होंने सत्य की सापेक्षता के साथ-साथ सह अस्तित्व पर जोर दिया, पुरुषार्थ के लिए कहा—'पुरिसा ! तुममेव तुम मित्त कि बहिया मित्तमिच्छसि'। कषाय व दुष्प्रवृत्तियों से मुक्ति का मार्ग बताया, आध्यात्मिक विकास के साथ मानवीय उच्चता और चारित्र्य पर दृष्टि रखी। उनका उद्घोष था—'सच्च मिधित्ति कुव्वहा' 'जहाँ सत्य है वहाँ भय नहीं'। 'न भाइयव्व'। वे समझाते रहे 'विसकटक ओव्व हिंसा परिहरिक्वा तदो होदि।'।

सबके साथ मैत्री भाव रखो, किसी से वैर विरोध न हो। यदि युद्ध ही करना है तो अपने से करो। आन्तरिक शुद्धि ही सर्वश्रेष्ठ है, बाह्य शुद्धि ही सुमार्ग नहीं। धन और सग्रह प्रमाद का कारण है—वित्तेण ताण न लभे पमत्ते

इमम्मि लोए अदुवा परत्था । 'लाभस्सेसो अणुं फासो, मत्ते अन्नयरा भोवे' । उन्होंने सदैव जाग्रत रहने को कहा । विनय और विवेक को आत्मज्ञान की पीठिका बताया । शोषण और परिग्रह का खुलकर विरोध किया—क्यों कि 'जहा लाहो तहा लोहो, लाहा लोहो—पवड्डई । परिग्रही को शान्ति, सुख और संतोष कहौ—वह तो—'सव्वतो पिच्छतो परिमसदि पल्लादि मुज्झदिय ।' यही तो अहिंसा का राजपथ है—शान्त, स्थिर सौम्य और श्रेष्ठ ।

आज की भयभीत, संतप्त और अभिशप्त मानव जाति के लिए यही ती परमौषधि संजीवनी है, लोकहित और सर्वभूतहित की, सर्वोदय की, सामाजिक परिवर्तन की । महावीर की परम्परा में ही महात्मा गांधी ने भी यही मार्ग अपनाया और कहा—सामाजिक और आर्थिक अहिंसा ही स्थायी शान्ति की जननी है । अहिंसा से ही मानव समाज वर्तमान विभीषिका, विजीगिषा और विसंगति से मुक्त हो सकता है । उन्होंने स्पष्ट कहा कि एक सच्चा अहिंसक व्यक्ति समस्त समाज का रूपान्तरण कर सकता है । महावीर ने यही किया और यही कहा । श्री गुणवन्त शाह ने ठीक ही कहा है कि आज जैन (और अहिंसा) दर्शन की सार्थकता अहिंसक समाज की रचना की स्थापना में है ।

ऐसे समाज में शाकाहार का बोलवाला होगा, प्रदूषण न्यूनतम होगा, शोषण नहीं के बराबर और आर्थिक असमानता एकदम कम होगी और युद्ध सदा के लिए नहीं होगा । आज हमे अहिंसा को जीवन के साथ जोड़ना है । अहिंसक समाज का अर्थ है, प्रेम, करुणा और मित्रता का समाज । इसी से आज के संघर्ष में अहिंसा के धार्मिक मूल्य के साथ सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और मानवीय मूल्य एवं अर्थवत्ता भी नितान्त आवश्यक है, यदि यह नहीं होता है तो पृथ्वी पर जीवन के नाश के चिह्न स्पष्ट है । महावीर की विचार क्रांति ही हमारे आचार का आश्रय है, सम्बल है । सामाजिक परिवर्तन के लिए सूक्ष्म और महत् अहिंसा व्यक्ति और समाज दोनों के लिए अनिवार्य है—वही केवल मात्र साधन है । आणविक युद्ध के न होने पर भी, पृथ्वी मौन भाव से हमारी कृत प्रक्रिया के कारण नष्ट हो रही है, उसे यदि बचाना है तो उसमें आमूल परिवर्तन करना अति आवश्यक और अनिवार्य है और यह अहिंसा की अपरिमेय शक्ति से ही सम्भव है ।

—२ ए, देजप्रिय पार्क (पूर्व) कलकत्ता-७०००२६

संदर्भ स्थल ग्रंथ—

1. Carles Ronmolo : Truth and Non-Voience  
(UNESCO-SYMPOSIUM)
2. C. Wright Mill : The Causes of World-War  
1950.

3. P. Sorokin : The Reconstruction of Humanity.
4. Einstein : Interview, July, 1955
5. T. Unnithan & Yogendra Singh : Sociology of Non-Voilence
6. J. S. Mathur : Non-Voilence and Social Change.
7. Unto Tahzinen : Ahinsa.
8. Kausleya Walli : Ahinsa in Indian Thought
9. S. Radha Krishnan : Religion and Society.
10. P. Sorokin : Social and cultural Dynamics
11. Eric Berne : A Layman's Guide to Psychiatry and Psychoanalysis.
12. वी. एन. सिन्हा : जैन धर्म में अहिंसा ।
13. गुणवंत शाह : महामानव महावीर
14. युवाचार्य महाप्रज्ञ : महावीर की साधना का रहस्य
15. मुनि नथमल : अहिंसा तत्त्व दर्शन
16. वेचरदास शास्त्री : महावीर वाणी
17. E. Hytton : Non-Voilence and Developmental work.
18. Alduous Muxley : Ends and Means
19. Edward Wilson : Sociobiology.
20. M. Francis Abraham : Sociobiology : (Modern Social Theory)
21. सर्व सेवाश्रम प्रकाशन : समता सूत्र
22. श्री चन्द रामपुरिया : महावीर वाणी
23. निर्मल कुमार : भगवान महावीर
24. डॉ. भागचन्द जैन : जैनदर्शन एवं संस्कृति का इतिहास
25. सीताराम जायसवाल : भारतीय मनोविज्ञान
26. व्यास देव : आत्म विज्ञान
27. नीरज जैन : मानवता की धुरी
28. वशिष्ठ नारायण सिंह : जैन धर्म में अहिंसा
29. विभिन्न जैनागम, यंग इण्डिया, अमेरिकन रिव्यू आदि पत्रिकाएं ।

इमम्मि लोए अद्रुवा परत्था । 'लाभस्सेसो अणुं फासो, मन्ने अन्नयरा भोवे' । उन्होंने सदैव जाग्रत रहने को कहा । विनय और विवेक को आत्मज्ञान की पीठिका बताया । शोषण और परिग्रह का खुलकर विरोध किया—क्यों कि 'जहा लाहो तहा लोहो, लाहा लोहो—पवड्डई । परिग्रही को शान्ति, सुख और संतोष कहौं—वह तो—'सव्वतो पिच्छतो, परिमसदि पल्लादि मुज्झदिय ।' यही तो अहिंसा का राजपथ है—शान्त, स्थिर सौम्य और श्रेष्ठ ।

आज की भयभीत, संव्रस्त और अभिज्ञप्त मानव जाति के लिए यही ती परमौषधि संजीवनी है, लोकहित और सर्वभूतहित की, सर्वोदय की, सामाजिक परिवर्तन की । महावीर की परम्परा में ही महात्मा गांधी ने भी यही मार्ग अपनाया और कहा—सामाजिक और आर्थिक अहिंसा ही स्थायी शान्ति की जननी है । अहिंसा से ही मानव समाज वर्तमान विभीषिका, विजीगिषा और विसंगति से मुक्त हो सकता है । उन्होंने स्पष्ट कहा कि एक सच्चा अहिंसक व्यक्ति समस्त समाज का रूपान्तरण कर सकता है । महावीर ने यही किया और यही कहा । श्री गुणवन्त गाह ने ठीक ही कहा है कि आज जैन (और अहिंसा) दर्शन की सार्थकता अहिंसक समाज की रचना की स्थापना में है ।

ऐसे समाज में शाकाहार का बोलबाला होगा, प्रदूषण न्यूनतम होगा, शोषण नहीं के बराबर और आर्थिक असमानता एकदम कम होगी और युद्ध सदा के लिए नहीं होगा । आज हमें अहिंसा को जीवन के साथ जोड़ना है । अहिंसक समाज का अर्थ है, प्रेम, करुणा और मित्रता का समाज । इसी से आज के संघर्ष में अहिंसा के धार्मिक मूल्य के साथ सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और मानवीय मूल्य एवं अर्थवत्ता भी नितान्त आवश्यक है, यदि यह नहीं होता है तो पृथ्वी पर जीवन के नाश के चिह्न स्पष्ट हैं । महावीर की विचार क्रांति ही हमारे आचार का आश्रय है, सम्बल है । सामाजिक परिवर्तन के लिए सूक्ष्म और महत् अहिंसा व्यक्ति और समाज दोनों के लिए अनिवार्य है—वही केवल मात्र साधन है । आणविक युद्ध के न होने पर भी, पृथ्वी मौन भाव से हमारी कृत प्रक्रिया के कारण नष्ट हो रही है, उसे यदि बचाना है तो उसमें आमूल परिवर्तन करना अति आवश्यक और अनिवार्य है और यह अहिंसा की अपरिमेय शक्ति से ही सम्भव है ।

—२ ए, देजप्रिय पार्क (पूर्व) कलकत्ता-७०००२६

संदर्भ स्थल ग्रंथ—

1. Carles Ronmolo : Truth and Non-Voilence (UNESCO-SYMPOSIUM)
2. C. Wright Mill : The Causes of World-War 1950.

- 3 P. Sorokin : The Reconstruction of Humanity.
4. Einstein : Interview, July, 1955
5. T. Unnithan & Sociology of Non-Voience  
Yogendra Singh :
6. J. S. Mathur Non-Voience and Social  
P. C. Sharma : Change.
7. Unto Tahzinen : Ahinsa.
8. Kausleya Walli : Ahinsa in Indian Thought
9. S. Radha Krishnan : Religion and Society.
10. P. Sorokin : Social and cultural Dynamics
11. Eric Berne : A Layman's Guide to Psychi-  
atry and Psychoanalysis.
12. वी. एन. सिन्हा : जैन धर्म में अहिंसा ।
13. गुणवंत शाह : महामानव महावीर
14. युवाचार्य महाप्रज्ञ : महावीर की साधना का रहस्य
15. मुनि नथमल : अहिंसा तत्त्व दर्शन
16. वेचरदास शास्त्री : महावीर वाणी
17. E. Hytton : Non-Voience and Develop-  
mental work.
18. Alduous Muxley : Ends and Means
19. Edward Wilson : Sociobiology.
20. M. Francis Abraham : Sociobiology : (Modern  
Social Theory)
21. सर्व सेवाश्रम प्रकाशन : समता सूत्र
22. श्री चन्द रामपुरिया : महावीर वाणी
23. निर्मल कुमार : भगवान महावीर
24. डॉ. भागचन्द जैन : जैनदर्शन एवं संस्कृति का इतिहास
25. गीताराम जायमवाल : भारतीय मनोविज्ञान
26. व्यास देव : आत्म विज्ञान
27. नीरज जैन : मानवता की धुरी
28. वशिष्ठ नारायण सिंह : जैन धर्म में अहिंसा
29. विभिन्न जैनग्रन्थ, वंग इण्डिया.  
अमेरिकन रिपब्लिक आदि पत्रिकाएँ ।



## हिंसा - अहिंसा

□ डॉ० राजेन्द्रस्वरूप भटनागर

ऐसा समझा जाता है कि 'अहिंसा' हिंसा का केवल विरोधी पद नहीं है, अपितु वह सकारात्मक रूप में भी प्रयुक्त होता है। यही नहीं, यहाँ तक भी कहा जाता है कि 'अहिंसा' मौलिक रूप में सकारात्मक व्यंजना ही रखता है तथा उसे समझने पर ही उसका उचित रूप में पालन किया जा सकता है। प्रस्तुत निबन्ध में हम इन बातों को मानकर चल रहे हैं। इन्हें स्वीकार करते हुए भी हमारा प्रयास 'अहिंसा' के नकारात्मक पक्ष को समझना है। हम 'हिंसा मत करो'—इस आदेश को समझना चाहते हैं। इसका कारण यह है कि इस आदेश का ठीक-ठीक मन्तव्य केवल इतने से ही स्पष्ट नहीं होता है।

इस बारे में तो बहुत कुछ कहा गया है कि अनेक अवसरों पर साधारण रूप में हिंसक प्रतीत होने वाला व्यवहार हिंसक नहीं कहा जा सकता। शल्य चिकित्सा, बालको को ताड़ना देना, अपराधियों को दण्ड देना, युद्ध काल में शत्रु का सहार तथा ऐसे ही अनेक दूसरे उदाहरण हो सकते हैं, जहाँ किसी रूप में हिंसा हो तो भी उसे हिंसा नहीं कहा जाता। कर्तव्य तथा न्याय के बृहद् परिप्रेक्ष्य में इन दृष्टान्तों में अनुस्यूत हिंसा अपना मूल देश खो देती है। इस प्रकार जीवन के निर्वाह के सन्दर्भ में वनस्पति जगत् के प्रति हिंसा तथा किन्हीं जीव-जन्तुओं का जाने-अनजाने नाश करना भी "जीवन की रक्षा" के निमित्त निन्दनीय नहीं रह जाता। यद्यपि ये सन्दर्भ "हिंसा मत करो" आदेश की सीमा तथा प्रश्नात्मक स्थितियों को किञ्चित् स्पष्ट करते हैं, तथापि इन सन्दर्भों में निहित जो दूसरे मूल्य हैं—कर्तव्य, न्याय तथा जीवन रक्षा आदि उनके विषय में 'अहिंसा' को लेकर विवेचन कम है। परन्तु जैसा पाठक देखेंगे उनका तथा किन्हीं अन्य सम्बन्धित अवधारणाओं का स्पष्टीकरण "अहिंसा" की समझ के लिये अनिवार्य है।

"हिंसा मत करो" इस आदेश को यों भी रख सकते हैं—"किसी को नन, बचन, कर्म से दुःख, कष्ट, हानि मत पहुँचाओ", "किसी का अहित मत करो।" अत्यन्त व्यापक रूप में देखने पर लगता है कि यह तो ठीक है कि किसी का अहित नहीं करना चाहिये, किसी को दुःख, कष्ट, हानि नहीं पहुँचानी चाहिये। सामान्य रूप में हम इन आदेशों को ठीक मानते हैं, तथा तब तक उनके विरोधी आदेशों को हम साधारण रूप से भी ठीक नहीं समझते

इसलिये यहाँ इन आदेशों के औचित्य के प्रश्न को नहीं उठाना है । फिर भी कुछ प्रश्न उठते हैं । “दुःख मत दो” इस आदेश को साधारण रूप में समझने में कोई कठिनाई नहीं है । कोई ऐसी बात मत कहो, कोई ऐसा काम मत करो जिससे किसी को दुःख पहुँचे । इस आदेश में यह मान्यता पूर्वपेक्षित है कि कुछ कथन अथवा कुछ कर्म ऐसे हैं जिनसे दुःख पहुँचता है । दूसरी मान्यता दुःख के स्वरूप के सम्बन्ध में यह भी लगती है कि दुःख का स्वरूप स्पष्ट है । ये दोनों मान्यताएँ अन्वीक्षा पर ठीक नहीं बैठती । “दुःख” एक प्रकार की मनोदशा है तथा बहुत बड़े अंश में व्यक्ति विशेष की संवेदनशीलता, जानात्मक परिपक्वता तथा सहनशीलता की मात्रा से सम्बन्धित है । जिस बात में, अथवा कर्म से एक व्यक्ति दुःखी हो और क्षुब्ध हो जाता है, उसी बात से अथवा उसी कर्म से दूसरा व्यक्ति भी दुःखी हो जाय, यह आवश्यक नहीं है । दूसरे, यदि दुःख की मनोदशा तथा उसे उद्दीपन के संयोग के रूप में देखें तो दुःख का लक्षण बताना भी उतना ही कठिन होगा जितना कि ‘सुख’ का ।

फिर भी साधारण रूप में तथा व्यवहार में दुःखी होना या दुःख देना हमारे व्यवहार को समझने तथा उसके प्रति कर्म को करने में सहायक होते हैं । यदि इन साधारण तथा व्यावहारिक सन्दर्भों को ध्यान में रखें तो एक अन्य प्रकार की कठिनाई उपस्थित होती है । जब हम किसी बालक को ताड़ना देते हैं, उसे उसकी गलती बताते हैं, तो उसे दुःख होता है । परन्तु बालक को ताड़ना देने वाला अथवा उसकी गलती बताने वाला बालक को दुःख नहीं देना चाहता अपितु उसे भविष्य में होने वाले कष्ट से बचाना चाहता है । इस बात को अनेक दूसरे उदाहरणों में देखा जा सकता है । जो मार की बात है वह यह है कि भविष्य के कष्ट से बचाने के निमित्त कभी-कभी ऐसा व्यवहार अनिवार्य हो जाता है जो सम्बन्धित व्यक्ति को दुःख पहुँचाता है । पाठक यह लक्ष्य करेंगे कि “हिंसा मत करो” यह आदेश यदि इन दूसरे आदेश का स्थानापन्न मान लिया जाय कि “दुःख मत दो”, तब “हिंसा मत करो” का पालन हमें उलभन में जाल देना है । किसी भी भाव में यदि उलभन “अहिंसा” को लेकर भी देखी जा सकती है । यहाँ “दुःख” “पाट” तथा “अहित” के बीच एक कामचलाऊ भेद करना मुश्किल बन जाएगा । दुःख, जैसा पहले कहा गया है एक प्रकार की मनोदशा है, “पाट” का न केवल मारीरिक अथवा कायिक पीडा ही और है, तथा “अहित” मनोदशा तथा कायिक पीडा में वही अधिक व्यापक रूप में प्रयुक्त होने वाला शब्द है ।

दुःख का अर्थ है ‘दो प्रेस है का भेद नहीं है’ । यह भी एक प्रकार का भेद नहीं मानने का अर्थ होता है । यदि हम मानें कि ‘दुःख’ का अर्थ है ‘दो प्रेस है का भेद नहीं है’ तो हमें यह भी मानने का अर्थ होता है कि ‘दुःख’ का अर्थ है ‘दो प्रेस है का भेद नहीं है’ ।



विलोम देखिये “जो श्रेय है वह अप्रेय हो सकता है।” यदि यह स्वीकार कर रहे हैं तो यह भी स्वीकार कर रहे हैं कि जो श्रेय है वह कष्टकारी हो सकता है, वह दुखदायी हो सकता है। किसी भी बड़े, उत्कृष्ट लक्ष्य को प्राप्त करने में कर्ता को कायिक कष्ट तथा मानसिक मनोव्यथा को भोगना पड़ सकता है। यदि इन बातों में कोई सार है, तो यह स्पष्ट है कि “दुःख”, “कष्ट” तथा “हित” प्रयोग का एक ही विस्तार नहीं है। यही नहीं, अनेक अवस्थाओं में सुख तथा अहित के गठबन्धन के कारण “कष्ट” एवं “दुःख” का “हित” से सम्बन्ध जुड़ सकता है। “हिंसा मत करो” यह आदेश जैसा हमने पहले देखा, यदि इस रूप में ग्रहण किया जाय कि किसी को दुःख, कष्ट या हानि मत पहुँचाओ, किसी का अहित मत करो, तब स्पष्टतया एक अस्पष्ट रूप ग्रहण कर लेता है और यह बात धूमिल हो जाती है कि अहिंसा से क्या तात्पर्य लिया जाय।

“हित”, “अहित” जो मानवीय व्यवहार के सामान्य प्रेरक कहे जा सकते हैं तथा जिनके द्वारा एक बड़ी सीख में परोपकार का रूप भी निश्चित होता है, विवादास्पद अवधारणाएँ कही हैं। हित की बात सोचते समय एक ओर तो किन्हीं भौतिक प्राप्तियों की ओर ध्यान जाता है, तथा दूसरी ओर किन्हीं अभौतिक, मानसिक, आध्यात्मिक उपलब्धियों की ओर ध्यान जाता है। इसके अतिरिक्त हित का प्रश्न तात्कालिक अवस्था के सम्बन्ध में उठता है तो वह जीवन के बड़े हिस्से को या उसकी सम्पूर्णता को ध्यान में रखकर भी उठ सकता है। एक अन्य सन्दर्भ में हित की समस्या वैयक्तिक अथवा सामूहिक सदस्यों से भी जुड़ी जान पड़ती है। ये विभिन्न सन्दर्भ हित की अवधारणा को एक वहस का विषय बना देते हैं। यदि हित के विषय में निर्णय करना समस्या मूलक है, तो “हिंसा”—“अहिंसा” का प्रश्न भी जितनी सीमा में वह उससे जुड़ता है, उतनी सीमा में समस्या मूलक हो जाता है।

दूसरे रूप में कहे तो हित-अहित का प्रश्न व्यक्ति एवं समष्टि के वाञ्छित रूप से सम्बन्धित है। मनुष्य क्या है, उसका तात्त्विक स्वरूप क्या है, वह वस्तुतः क्या हो सकता है, तथा जिस जगत् में वह विचरता है, उसका आदर्श रूप क्या है—इन प्रश्नों का उत्तर दिये या पाये बिना यह कहना कठिन होगा कि मनुष्य के लिए क्या हितकर है तथा क्या अहितकर? वस्तुतः इन आधारभूत प्रश्नों के उत्तर के आलोक में ही अन्य सम्बन्धित अवधारणाओं को इसी आलोक में समझा जा सकता है।

इस बात के स्पष्टीकरण के लिए एक दृष्टांत ले। अर्जुन की समस्या थी: कि जिन लोगों से उसे लड़ना था उनमें वे भी शामिल थे जिनके प्रति

उसके मन में श्रद्धा, आदर और प्रेम था, जिनसे उसे किसी प्रकार का वैर नहीं था। इस समस्या को दार्शनिक रूप देते हुए उसने तर्क रखा कि रुधिर से सने राज्य को लेकर वह क्या करेगा ? उसे लगा कि युद्ध करने में वह हिंसा करने जा रहा है और इस कारण नहीं लड़ना ही श्रेष्ठ है। परन्तु कृष्ण अर्जुन की युक्तियों को ज्ञान से नहीं अज्ञान से उद्भूत मानते हैं। उसके अज्ञान को दूर करने के प्रयास के साथ वे उसे उठ खड़े होने तथा अपने कर्तव्य का निर्वाह करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। क्षत्रिय के रूप में, तथा उस ऐतिहासिक क्षण में अर्जुन का कर्तव्य लड़ना था भले ही उसमें जीव हिंसा हो। तब प्रश्न उठता है कि कैसे वही कृष्ण अहिंसा को भी दैवी सम्पदा में शामिल करते हैं ? इस समस्या का समाधान तभी सम्भव है, जब कृष्ण के दोनों कथनों को उसे वृहत् तथा तात्त्विक परिप्रेक्ष्य में रख कर समझा जाय जिसे 'गीता' के व्यापक-पटल पर उकेरा गया है।

जीवन तथा कर्म की न्यूनतम अनिवार्यताये ऐसी होती हैं कि कुछ हिंसा उद्दिष्ट नहीं होने पर भी अपरिहार्य हो जाती है। वस्तुतः हिंसा-अहिंसा का प्रश्न सार्थक रूप तब ग्रहण करता है जब वह हमारे सोच-विचार-सकल्प से जुड़ता है। हम हिंसा-अहिंसा किसे समझते हैं ? कब हम हिंसा में प्रवृत्त होते हैं ? यदि इन प्रश्नों पर विचार करे तथा अपने दैनन्दिन व्यवहार में उनके जवाब को खोजे, तो हम पायेंगे कि हिंसा करना हम किसी को कष्ट देना अथवा हानि पहुँचाना मानते हैं, तथा जब हम बदले की भावना में प्रेरित होते हैं, अथवा लोभ, ईर्ष्या, क्रोध अथवा किसी अन्य आवेग के अधीन होते हैं, तब हमें हिंसक व्यवहार से ही सन्तोष मिलता है। पीछे जब चित्त शान्त होता है, जब हम अपने सचित विचारों में मुक्त होते हैं, जब हमारी वृत्ति निर्मल होती है, हमें अपनी गलती का पता चलता है। दूसरे शब्दों में व्यक्ति को किसी रूप में हिंसा-अहिंसा का बोध होता नहीं है, परन्तु उसी के व्यक्तित्व का अनात्मिक पक्ष जब उन पर हावी होता है तो वह हमें बोध से वंचित हो जाता है। अर्जुन मोह की अवस्था में है, फलतः आवश्यकता उसके तात्त्विक बोध को जगाने की थी। अर्जुन को उसको वह समझना पड़ना आवश्यक था कि वस्तुतः उसका यहाँ क्या स्वरूप है, तथा उन नमन्त व्यक्तित्व का क्या स्वरूप है ?

कर्म की दृष्टि से तात्त्विक ज्ञान का महत्त्व हमें आज भी निर्दिष्ट है कि हमें हमरूप पर कर्ता अथवा सञ्चित एक नवानात्मक बुद्धि एवं चरित्र के मूल हो जाना है तथा कर्तव्य का वास्तविक रूप में अर्जुन निर्गत रूप में जानना है। गीता के परिप्रेक्ष्य में अर्जुन का युद्ध से दौरे पड़ना ही एक ही कारण है कि हमें हमारे कर्तव्य की तथा कर्म की प्रार्थना करनी है।

विलोम देखिये “जो श्रेय है वह अप्रेय हो सकता है।” यदि यह स्वीकार कर रहे हैं तो यह भी स्वीकार कर रहे हैं कि जो श्रेय है वह कष्टकारी हो सकता है, वह दुःखदायी हो सकता है। किसी भी बड़े, उत्कृष्ट लक्ष्य को प्राप्त करने में कर्ता को कायिक कष्ट तथा मानसिक मनोव्यथा को भोगना पड़ सकता है। यदि इन बातों में कोई सार है, तो यह स्पष्ट है कि “दुःख”, “कष्ट” तथा “हित” प्रयोग का एक ही विस्तार नहीं है। यही नहीं, अनेक अवस्थाओं में सुख तथा अहित के गठबन्धन के कारण “कष्ट” एवं “दुःख” का “हित” से सम्बन्ध जुड़ सकता है। “हिंसा मत करो” यह आदेश जैसा हमने पहले देखा, यदि इस रूप में ग्रहण किया जाय कि किसी को दुःख, कष्ट या हानि मत पहुँचाओ, किसी का अहित मत करो, तब स्पष्टतया एक अस्पष्ट रूप ग्रहण कर लेता है और यह बात धूमिल हो जाती है कि अहिंसा से क्या तात्पर्य लिया जाय।

“हित”, “अहित” जो मानवीय व्यवहार के सामान्य प्रेरक कहे जा सकते हैं तथा जिनके द्वारा एक बड़ी सीख में परोपकार का रूप भी निश्चित होता है, विवादास्पद अवधारणाएँ कही हैं। हित की बात सोचते समय एक ओर तो किन्हीं भौतिक प्राप्तियों की ओर ध्यान जाता है, तथा दूसरी ओर किन्हीं अभौतिक, मानसिक, आध्यात्मिक उपलब्धियों की ओर ध्यान जाता है। इसके अतिरिक्त हित का प्रश्न तात्कालिक अवस्था के सम्बन्ध में उठता है तो वह जीवन के बड़े हिस्से को या उसकी सम्पूर्णता को ध्यान में रखकर भी उठ सकता है। एक अन्य सन्दर्भ में हित की समस्या वैयक्तिक अथवा सामूहिक सदस्यों से भी जुड़ी जान पड़ती है। ये विभिन्न सन्दर्भ हित की अवधारणा को एक बहस का विषय बना देते हैं। यदि हित के विषय में निर्णय करना समस्या मूलक है, तो “हिंसा”—“अहिंसा” का प्रश्न भी जितनी सीमा में वह उससे जुड़ता है, उतनी सीमा में समस्या मूलक हो जाता है।

दूसरे रूप में कहे तो हित-अहित का प्रश्न व्यक्ति एवं समष्टि के वाञ्छित रूप से सम्बन्धित है। मनुष्य क्या है, उसका तात्त्विक स्वरूप क्या है, वह वस्तुतः क्या हो सकता है, तथा जिस जगत् में वह विचरता है, उसका आदर्श रूप क्या है—इन प्रश्नों का उत्तर दिये या पाये बिना यह कहना कठिन होगा कि मनुष्य के लिए क्या हितकर है तथा क्या अहितकर? वस्तुतः इन आधारभूत प्रश्नों के उत्तर के आलोक में ही अन्य सम्बन्धित अवधारणाओं को इसी आलोक में समझा जा सकता है।

इस बात के स्पष्टीकरण के लिए एक दृष्टांत ले। अर्जुन की समस्या थी कि जिन लोगों से उसे लड़ना था उनमें वे भी शामिल थे जिनके प्रति

उसके मन में श्रद्धा, आदर और प्रेम था, जिनसे उसे किसी प्रकार का बैर नहीं था। इस समस्या को दार्शनिक रूप देते हुए उसने तर्क रखा कि रुधिर से सने राज्य को लेकर वह क्या करेगा ? उसे लगा कि युद्ध करने में वह हिंसा करने जा रहा है और इस कारण नहीं लड़ना ही श्रेष्ठ है। परन्तु कृष्ण अर्जुन की युक्तियों को ज्ञान से नहीं अज्ञान से उद्भूत मानते हैं। उसके अज्ञान को दूर करने के प्रयास के साथ वे उसे उठ खड़े होने तथा अपने कर्तव्य का निर्वाह करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। क्षत्रिय के रूप में, तथा उस ऐतिहासिक क्षण में अर्जुन का कर्तव्य लड़ना था भले ही उसमें जीव हिंसा हो। तब प्रश्न उठता है कि कैसे वही कृष्ण अहिंसा को भी दैवी सम्पदा में शामिल करते हैं ? इस समस्या का समाधान तभी सम्भव है, जब कृष्ण के दोनों कथनों को उसे वृहत् तथा तात्त्विक परिप्रेक्ष्य में रख कर समझा जाय जिसे 'गीता' के व्यापक-पटल पर उकेरा गया है।

जीवन तथा कर्म की न्यूनतम अनिवार्यताएँ ऐसी होती हैं कि कुछ हिंसा उद्दिष्ट नहीं होने पर भी अपरिहार्य हो जाती है। वस्तुतः हिंसा-अहिंसा का प्रश्न सार्थक रूप तब ग्रहण करता है जब वह हमारे सोच-विचार-संकल्प से जुड़ता है। हम हिंसा-अहिंसा किसे समझते हैं ? कब हम हिंसा में प्रवृत्त होते हैं ? यदि इन प्रश्नों पर विचार करे तथा अपने दैनन्दिन व्यवहार में उनके जवाब को खोजे, तो हम पायेंगे कि हिंसा करना हम किसी को कष्ट देना अथवा हानि पहुँचाना मानते हैं, तथा जब हम बदले की भावना से प्रेरित होते हैं, अथवा लोभ, ईर्ष्या, क्रोध अथवा किसी अन्य आवेश के अधीन होते हैं, तब हमें हिंसक व्यवहार से ही सन्तोष मिलता है। पीछे जब चित्त शान्त होता है, जब हम अपने सचित विचारों से मुक्त होते हैं, जब हमारी वृत्ति निर्मल होती है, हमें अपनी गलती का पता चलता है। दूसरे शब्दों में व्यक्ति को किसी रूप में हिंसा-अहिंसा का बोध होता तो है, परन्तु उसी के व्यक्तित्व का अतात्विक पक्ष जब उस पर हावी होता है तो वह इस बोध से वंचित हो जाता है। अर्जुन मोह की अवस्था में है, फलतः आवश्यकता उसके तात्त्विक बोध को जगाने की थी। अर्जुन को उसको यह स्मरण करना आवश्यक था कि वस्तुतः उसका वहाँ क्या स्वरूप है, तथा इस समस्त अस्तित्व का क्या स्वरूप है ?

कर्म की दृष्टि से तात्त्विक ज्ञान का महत्त्व इस बात में निहित है कि उसके स्मरण पर कर्ता अपनी सकुचित एवं नकारात्मक वृत्ति एवं बन्धन से मुक्त हो जाता है तथा कर्तव्य का वाञ्छित रूप में अर्जुन निर्वाह कर सकता है। गीता के परिप्रेक्ष्य में अर्जुन का युद्ध से पीछे हटना हिंसा होता क्योंकि उससे उसके कर्तव्य की तथा धर्म की हानि होती है। यदि यह स्वीकार

करलें कि कौरव दुष्ट तथा हिंसक वृत्ति के प्रतीक थे तो उनका दमन न करना अधिक हिंसा के लिये मार्ग प्रणस्त करना होता—यदि दुष्टों का विनाश तथा साधुओं का परित्राण न हो, तो यह हिंसा को छूट देना होगा। इस सक्षिप्त विश्लेषण से प्रमुख रूप में पहले तो यह स्पष्ट होता है कि हिंसा-अहिंसा का प्रश्न किन्हीं अन्य सम्बन्धित अवधारणाओं के स्वरूप तथा परस्पर सम्बन्धों के अभाव में असमाधेय होगा। दूसरे यह कि किसी विशिष्ट परन्तु व्यापक तात्त्विक दृष्टि के सन्दर्भ में ही हिंसा-अहिंसा अर्थ पाते हैं।

—प्रोफेसर, दर्शन विभाग

राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर

## अहिंसा — निरूपण

□ श्री श्रीचन्द गोलेच्छा

‘अहिंसा’ शब्द दो प्रकार के अर्थों का द्योतक है—  
 (१) प्राणातिपात न करना और (२) हिंसा न करना।  
 इन दोनों में से प्राणातिपात न करना दो प्रकार का है—  
 (१) स्व प्राणातिपात न करना और (२) पर प्राणातिपात न करना। भोग-वृत्ति से अपनी इन्द्रियों की मन, वचन, काया आदि की प्राण-शक्ति का क्षय होता है, यह स्व प्राणातिपात है तथा अपनी भोग वृत्ति की पूर्ति के लिए दूसरों के प्राणों का हनन करना यह पर प्राणातिपात है। भोग-वृत्ति के त्याग से, संयम से, विरति से इन प्राणों का अतिपात रुकता है। यह प्राणातिपात न करने रूप अहिंसा है।

अहिंसा का दूसरा प्रकार है हिंसा न करना। हिंसा का अर्थ है—चित्त में जो भोगों की वृत्ति उदय हुई, उसकी प्रवृत्ति में लग जाना। अतः भोग प्रवृत्ति से विरत होना हिंसा न करना है। तात्पर्य यह है कि भोग प्रवृत्ति करने को उद्यत होना, प्रयास करना प्राणातिपात है और भोग प्रवृत्ति में रत हो जाना हिंसा है और भोग-वृत्ति व भोग-प्रवृत्ति से निवृत्ति तथा विरति अहिंसा है।

—सी-२३, भगवानदास रोड,  
 ‘सी’ स्कीम, जयपुर



## अहिंसा का सम्बन्ध हृदय के साथ

□ उपाध्याय अमर मुनि

अहिंसा के सम्बन्ध में आज तक जितना लिखा गया है और कहा गया है, शायद ही किसी विषय पर इतना लिखा गया हो या कहा गया हो। पर, इसके साथ ही जितनी भ्रान्तियाँ अहिंसा के सम्बन्ध में आज तक हुई हैं, और किसी भी विषय में नहीं हुई। इस विरोधात्मक स्थिति का एक सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक कारण है। इसी कारण का मैं स्पष्टीकरण कर देना चाहता हूँ।

जो सूक्ष्म है, यदि उसे स्थूल बना दिया जाता है, तो उसको आत्मा समाप्त हो जाती है। यही बात अहिंसा के सम्बन्ध में भी हुई है। अहिंसा मात्र वाह्य व्यवहार का स्थूल विधि - निषेध नहीं है, बल्कि अन्तश्चेतना का एक सूक्ष्म अंग है। किन्तु, दुर्भाग्य से कुछ ऐसी स्थिति बनती गई कि अहिंसा का सूक्ष्म - भाव निरन्तर क्षीण होता गया और उसको स्थूल व्यवहार का, ओषबुद्धि से मात्र दिखाऊ विधि - निषेधो का रूप दे दिया गया। फलतः अहिंसा की ऊर्जा और आत्मा एक प्रकार से समाप्त ही हो गई। जब किसी सिद्धांत की ऊर्जा एव आत्मा समाप्त हो जाती है, तो वह निष्प्राण तत्त्व जीवन को तेजस्वी नहीं बना सकता। वह जीवन की समस्याओं का सही समाधान नहीं खोज सकता। वह स्वयं ही एक दिन एक समस्या बन जाता है। क्या स्थूल व्यवहार से सम्बन्धित अहिंसा के सम्बन्ध में भी ऐसा नहीं हुआ है? पिछली कितनी ही सहस्राब्दियों से हमने अहिंसा की महान् धर्म के रूप में उद्घोषणा की है। अहिंसा को जीवन का सत्य मान कर उसको उपासना की है। सामाजिक, आध्यात्मिक और राज-नैतिक जीवन की सुरक्षा का आधार अहिंसा को माना है, विश्वव्यापी सिद्धांत के रूप में हजारों वर्षों से पीढ़ी-दर-पीढ़ी इसकी चर्चा एवं परिचर्चा होती रही है। परन्तु प्रश्न है, कहाँ है इन सबकी फल - निष्पत्ति? हम अब तक अहिंसक समाज की रचना क्यों नहीं कर पाए? इस प्रश्न के दो ही उत्तर हो सकते हैं। जिस अहिंसातत्त्व की हम बात करते हैं, वह केवल बौद्धिक व्यायाम बन कर रह गया है। ऐसा लगता है, जैसे वह काल्पनिक दुनिया का कोई अलौकिक तत्त्व है, जिसका धरती की दुनिया के साथ कोई वास्तविक सम्बन्ध नहीं है। गलत समस्या के आस-पास हजारों मस्तिष्क व्यर्थ ही उलभते रहे हैं और आज भी उलभ रहे हैं। अथवा इसका दूसरा ही एक विकल्प है। वह यह कि अहिंसा स्वयं तो एक जीवित जागृत तत्त्व है, जनकल्याणकारी है, पर उसको सही अर्थ में हमने जाना नहीं है। ऐसा होता है कि कभी-कभी बड़ी लम्बी कालयात्रा के

वाद अच्छे-से-अच्छे सिद्धान्त धूमिल हो जाते हैं या धूमिल कर दिए जाते हैं। मैं इस प्रश्न का दूसरा उत्तर सोचता हूँ।

अहिंसा का सम्बन्ध हृदय के साथ—वस्तुतः अहिंसा का सम्बन्ध मनुष्य के हृदय के साथ है, मस्तिष्क के साथ नहीं है, तर्क-वितर्क के साथ नहीं है, कुछ बंधे-बंधाए विवेकशून्य विश्वासों के साथ नहीं है, विभिन्न शब्दों के जाल में बंधी और उलझी हुई भाषा के साथ भी नहीं है, बल्कि अहिंसा अन्तर्जीवन के साथ है, अन्दर की गहरी आध्यात्मिक अनुभूति के साथ है। अहिंसा की भूमि जीवन है। जब भूमि से वृक्ष का सम्बन्ध टूट जाता है, तो वह फिर हरा-भरा एवं विकसित नहीं रह सकता। प्रवक्ता को अपनी बात साफ कहनी चाहिए, अतः साफ और वेलाग कह रहा हूँ कि अहिंसा भी जीवन से टूट चुकी है। मूल से असंपृक्त रख कर उसे किस प्रकार पल्लवित रखा जा सकता है? यही कारण है कि अहिंसा आज केवल स्थूल व्यवहार की क्षुद्र परिधि में सीमित हो गई है। जनजीवन में उसका रस संचार क्षीण एवं क्षीणतर हो गया है। और इस प्रकार अहिंसा के प्राणों की एक तरह से हत्या ही हो गई है।

अगर अहिंसा की प्राण-प्रतिष्ठा करनी है, तो आवश्यकता है, अहिंसा को हम स्थूल व्यवहार की संकीर्ण परिधि से मुक्त कर व्यापक बनाएँ, जीवन की सूक्ष्म अनुभूति एवं हृदय की गहराई तक उसे अवतरित करें।

निवृत्ति और प्रवृत्ति के मध्य में वृत्ति का अर्थ है—चेतना का भाव। यही भाव मन को तरंगित करता है। अहिंसा इन्हीं उदात्त एवं कल्याणकारी तरंगों के आधार पर जीवन के स्थूल व्यवहारों के रूप में प्रगट होती है। इसे ही हम प्रवृत्ति कहते हैं।

घरती के समग्र आध्यात्मिक दर्शन व्यवहार के स्थूल विधि-निषेध के साथ अहिंसा का सम्बन्ध स्थापित नहीं करते हैं, प्रत्युत् मानव मन की मूल पवित्र वृत्ति के साथ ही अहिंसा को सम्बन्धित करते हैं। यही अहिंसा का बीज है। सब-कुछ है। अगर यह नहीं है, तो कुछ भी नहीं है।

अज्भृत्यं सव्वओ सव्व, दिस्स पाणे पियायए ।

न हरो पाणिण पाणं, भयवेराओ उवरए ॥

जे य बुद्धा अतिककंता, जे य बुद्धा अणागया ।

नति तेसि पइट्ठाराणं, भूयाण जगई जहा ॥

—उत्तराध्ययन ६१७

—सूत्र. श्रु. १ अ. ११ गा. ३६

अहिंसा के क्रान्तद्रष्टा ऋषि उक्त बीज की जितनी चिन्ता करते हैं, उतनी डगर-उधर के विधि-निषेध रूप फल, फूल और टहनियों की नहीं। बाह्य व्यवहार के आधार पर खड़े किये गए अहिंसा के विधि-निषेध देश, काल तथा व्यक्ति की स्थिति के अनुसार बदलते रहते हैं, मूल बीज नहीं बदलता है। किन्तु मध्यकाल के नामाजिक व्यवस्थापक, चाहे वे धार्मिक रहे हों या राजनीतिक।

अहिंसा को उसकी मौलिक सूक्ष्मता से पकड़ नहीं सके हैं। निवृत्ति और प्रवृत्ति के स्थूल परिवेष्टन में ही अहिंसा को मानने और मनवाने के आसान तरीके अपनाते रहे और यथाप्रसंग तात्कालिन समाधान निकालते रहे। किन्तु हिंसा की समस्या ऐसी नहीं थी, जो प्रचलित परम्परा के स्थूल चिन्तन से एव विधि-निषेध के भावहीन विधानों से समाधान पा जाती। वह नये-नये रूपों में प्रकट होती रही और मानव-जीवन के सभी पक्षों को दूषित करती रही। यही कारण है कि हजारों वर्षों से समस्या-समस्या ही बनी रही। कोई भी समाधान उभरते प्रश्नों को मिटा नहीं सका। यदि हम इधर-उधर के विकल्पों में न उलझ कर अहिंसा की मूल भावना को समझने का प्रयत्न करें, तो आज भी अहिंसा के मूल केन्द्र स्वरूप आन्तरिक वृत्ति पर अहिंसक समाज की रचना हो सकती है। मैं यहाँ स्पष्टरूप से कह देना चाहता हूँ कि अहिंसा के आधार पर परस्पर सहयोगी समाज की रचना के लिए निवृत्ति और प्रवृत्ति के प्रचलित व्यामोह के एकान्तिक आग्रह को क्षीण करना होगा, तभी हम मानव की आन्तरिक वृत्ति से सम्बन्धित अहिंसा के वास्तविक रूप को समझ सकेंगे।

भय एव प्रलोभन पर आधारित अहिंसा स्थायी नहीं—अहिंसा का मर्म समझाते हुए मैंने कुछ लोगों को सुना है—'किसी को कष्ट मत दो, किसी के प्राणों का वध मत करो, किसी को रुलाओ मत। अगर तुम दूसरो को कष्ट दोगे, तो तुम्हें भी कष्ट भोगने होंगे, अगर किसी को मारोगे, तो तुम्हें भी मरना पड़ेगा और किसी को रुलाओगे, तो तुम्हें भी रोना होगा।' अपने दुःखों की सभावना उन्हें पीड़ित कर देती है और इसी चिन्तनधारा में दूसरो को परिताप पहुँचाने से अपने आपको बचाने की कोशिश करते हैं। इस उपदेश ने मनुष्य के मन में एक भय की भावना पैदा की, जो स्वयं अपने में एक हिंसा है। उक्त स्थिति में प्रवृत्ति-निवृत्ति के स्थूल स्तर पर अहिंसा दिखाई देती है और हम इतने भर से सन्तोष कर लेते हैं। परन्तु, अन्य किसी प्रसंग विशेष पर जब यह समझाया जाता है कि 'अपने दुश्मनों को समाप्त कर दो, स्वर्ग मिलेगा। यज्ञ में पशुओं को देवताओं के लिए समर्पित कर दो, वे प्रसन्न हो कर तुम्हें सुख-समृद्धि देंगे। सघर्षरत प्रतिद्वन्द्वियों को परास्त कर दो, तुम्हें सम्मान मिलेगा, सम्पत्ति मिलेगी।' इतिहास का हर विद्यार्थी-जानता है कि इन प्रलोभनों ने मनुष्य से कितने क्रूर और भयानक कार्य करवाए हैं। प्रश्न है कि यह सब किस कारण हो सका है? स्पष्ट है कि भय के माध्यम से हिंसा का त्याग कराया था। ज्यों ही भय के स्थान पर प्रलोभन आ खड़ा हुआ कि मानव गड़बड़ा गया। प्रलोभन ने हिंसा को फिर से-उत्तेजित कर दिया। प्रलोभन हिंसा को इसी कारण उत्तेजित कर सका कि हमने अन्तर्मन में वृत्ति की हिंसा को छोड़ने के लिए उचित ध्यान नहीं दिया। अगर वृत्ति की अहिंसा जाग-जाती है, तो दुनिया का कोई भी भय या प्रलोभन हिंसा को जन्म नहीं दे सकता। जो अहिंसा केवल स्थूल



निवृत्ति में है, विधि-निषेध में है, उसे साधारण-सा विरोधी वातावरण एवं कारण भी समाप्त कर देता है। जन-जीवन में उसका मूल स्थायी नहीं होता।

वृत्ति में अहिंसा का अर्थ—वृत्ति में अहिंसा का अर्थ है—जीवन की गहराई में अहिंसा की भावधारा का सतत प्रवाहित होना। जो अन्दर की वृत्ति से अहिंसक है, वह किसी को मार नहीं सकता, किसी को कष्ट नहीं दे सकता, किसी के प्राणों का वध नहीं कर सकता। अर्थात् वृत्ति के अहिंसक होने में हिंसा की योग्यता ही निर्मूल हो जाती है। यह अहिंसा मरणोत्तर स्वर्ग के लिए, सामाजिक एवं पारिवारिक सुख-सुविधा के लिए या प्रतिष्ठा के लिए नहीं होती। वृत्ति में अहिंसा की स्वयं ही यह सहज अवस्था हो जाती है कि वह हिंसा कर ही नहीं सकता, चाहे उसके लिए प्राप्त प्रतिष्ठा ही क्यों न खोनी पड़े, जीवन को दाँव पर ही क्यों न लगा देना पड़े। उसके लिए अहिंसा स्वभाविक हो जाती है। मुझे शत्रु से भी प्रेम करना चाहिए, यह उसका सिद्धान्त नहीं होता, अपितु दुनिया में उसका कोई दुश्मन ही नहीं होता। वह यह बात नहीं कहता कि अहिंसा की शिक्षा से हमें सबके प्रति द्वेष नहीं, प्रेम करना चाहिए, अपितु प्रेम के अतिरिक्त उसके पास करने को और कुछ होता ही नहीं। यह वृत्ति में अहिंसा, जो अहिंसा का शाश्वत और सर्वव्यापी रूप है।

अहिंसा की निष्ठा और भावना में अन्तर—वृत्ति में अहिंसा होगी, तो अहिंसा में निष्ठा होगी। वही उसका सर्वग्राही रूप है। अहिंसा, करुणा और सत्य की धाराएँ तो हमारे जीवन में बहती रहती हैं, भावनाएँ उमड़ती चली जाती हैं, पर जब तक अहिंसा और करुणा की निष्ठा जागृत नहीं होती, तब तक वह दर्शन नहीं बन पाता।

एक माता के हृदय में पुत्र के प्रति जो करुणा और प्रेम का प्रवाह उमड़ता है, उसमें अहिंसा की धारा छिपी भले ही हो, पर उसे हम अहिंसा की निष्ठा नहीं कह सकते। उसकी करुणा के साथ मोह का अंश जुड़ा हुआ है, व्यक्तिवाद जुड़ा है, इसलिए अनन्त-काल से करुणा का प्रवाह हृदय में उमड़ते हुए भी उससे आत्मा का विकास नहीं हो सका, उत्थान नहीं हो सका।

विल्ली जब अपने बच्चों को दाँतों से पकड़ कर ले जाती है, तो एक दाँत भी उसके शरीर पर गड़ने नहीं पाता। क्या बात है कि जब वे ही दाँत चूहे पर लगते हैं, तो रक्त की धारा वह चलती है, वह ची-ची कर उठता है। इसमें क्या अन्तर आया? भावना का ही अन्तर है! भावना में एक जगह प्रेम और नमन है, दूसरी जगह क्रूरता है। खूंखार शेरनी भी अपने बच्चों को प्यार में दुनारती-पुचकारती है, उन्हें दूध पिलाती है। किन्तु यह प्रेम की भावना दया-अहिंसा के रूप में वहाँ विकसित नहीं हुई है। इसलिए विल्ली और शेरनी की नमन को अहिंसा का विकास नहीं कहा जा सकता, चूँकि वहाँ अहिंसा की शक्ति

नहीं है। जहाँ अहिंसा निष्ठा और श्रद्धा के रूप में नहीं है, वहाँ वह बन्धन से मुक्त करने वाली नहीं बन सकती। अहिंसा का आदर्श वहाँ जागृत नहीं हो सकता। अहिंसा की भावना और संस्कार होना एक बात है और उसमें निष्ठा होता दूसरी बात है।

अतः अहिंसा के बाह्यपक्ष पर ही मत उलझो। उसके हृदयपक्ष की ओर देखो! अपने मस्तिष्क से उत्पन्न तर्क को हृदय की सहज-सरल सौहार्दपूर्ण भावनाओं के रस से सिंचित करो। फिर जो अहिंसा का रूप निखरेगा, वही यथार्थ और चिरस्थायी होगा।



## अहिंसा और मैत्री के दोहे

मैं करता सबको क्षमा, करे मुझे सब कोय ।

मेरे ते सब मित्र हैं, वैरी दिखे न कोय ॥

देख दुखी करुणा जगो, देख सुखी मन मोद ॥

एवके प्रति मैत्री जगो, रहे समत्व का बोध ॥

वैर वैर से ना मिटे, बढ़े द्वेष दुष्कर्म ।

वैर मिटे मैत्री किये, यही सनातन धर्म ॥

मैत्री करुणा प्यार से, तन मन पुलकित होय ।

मानव जीवन सफल हो, सब विधि मंगल होय ॥

निर्वल सब निर्मय बनें, सबल त्याग दे दण्ड ।

जन-जन के मन प्यार की, गंगा बहे अखण्ड ॥

दुखियारे दुःख मुक्त हों, भय त्यागो भयभीत ।

वैर छोड़कर लोग सब, करे परस्पर प्रीत ॥

दूर रहे दुर्भावना, द्वेष होय सब दूर ।

निर्मल निर्मल चित्त मे, प्यार भरे भरपूर ॥

मन-मानस मे प्यार ही, तरल तरंगित होय ।

रोम-रोम से ध्वनि उठे, सबका मंगल होय ॥



# इस्लाम धर्म में प्रेम भाव

## और अहिंसा

□ श्री इकराम राजस्थानी

हमारा देश विभिन्न धर्मा और जातियों का केन्द्र है। अनेको सस्कृतियाँ आई और विलीन हो गई भारतीय एकता के सागर में। हमारे यहा इस्लाम धर्म के अनुयायी बहुत बडी सख्या में रहते है और वे इस राष्ट्र की अखंडता की धारा से जुड़े हुए है।

रस्ते अलग-अलग है, ठिकाना तो एक है,  
- मंजिल हर एक शख्स को पाना तो एक है।

हम सभी लोग अलग-अलग तरीको से अपने गतव्य की ओर बढने का प्रयास कर रहे है। आज आवश्यकता इस बात की है कि हम इन सभी धर्मो के मूल भावों को पढे, समझे और जनसाधारण तक इसे सही रूप और सच्चे अर्थों में पहुँचाये।

धर्म तो हमारे जीवन का आभूषण है, पथ का आलोक है जो सत्य मार्ग की ओर हमें आगे बढाता है। अगर धर्म ही हमे पथ भ्रष्ट करने लगे तो वह सही मायने में धर्म नहीं है।

धर्म का अर्थ है—सत्य, आलोक, निष्ठा, प्रेम, सद्भाव, न कि षड्यन्त्र, छल, कपट, धोखा या प्रपंच। आज हमारा राष्ट्र धर्म के गोरखधन्धे में उलझ कर मानव जाति की समस्या के लिए नया भ्रम उत्पन्न कर रहा है। आज प्रत्येक धर्म का सही स्वरूप सामने आये, इस प्रयास की महती आवश्यकता है।

इस्लाम धर्म भी ससार का एक बड़ा और महत्त्वपूर्ण मजहब है। इसके सम्बन्ध में हमे वुनियादी ज्ञान अवश्य होना चाहिए।

आइये, सबसे पहले तो "इस्लाम" शब्द पर ही थोडी चर्चा की जाये।

'इस्लाम' शब्द मूलतः अरबी भाषा का है। इसके शाब्दिक अर्थ को आप समझेंगे तो अपने आप ही इसकी गहराई से परिचित हो जायेंगे।

'इस्लाम' का अर्थ है—शांति, अमन, शुद्धता, समर्पण और वक्त-वदता।

अब आप सोचिए, जिस धर्म का मूल अर्थ ही शान्ति, सुलह, सद्भाव, समर्पण हो, वह धर्म किस तरह मानवता के विरुद्ध कोई कार्य कर सकता है ?

इस्लाम धर्म अल्लाह की रहनुमाई और उसकी शिक्षाओं का पूर्ण रूप से प्रतिग्रहण है।

इस्लाम धर्म कोई नया मज़हब नहीं है। पवित्र 'कुरान शरीफ' की एक सूरात 'आलेइमरान' में यह कहा गया है "कह दो हम तो अल्लाह पर और उस चीज़ पर ईमान ले आए जो हम पर उतारी गई, और उस चीज़ पर जो हज़रत इब्राहीम, हज़रत इस्माइल, हज़रत इस्हाक और हज़रत याकूब और उनकी सन्तानों पर उतारी गई और उस चीज़ पर जो हज़रत मूसा और ईसा और दूसरे नबियों को उनके पालनहार के द्वारा दी गई, हम उनमें से किसी चीज़ के बीच कोई अन्तर नहीं करते और हम उसी के मुस्लिम (आज्ञाकारी) हैं"।

—आलेइमरान, ८३

आपने दूसरे शब्द 'मुस्लिम' का अर्थ पढ़ा "आज्ञाकारी"। अब आप स्वयं सोचें कि इस्लाम धर्म पूरे विश्व को प्रेम, शान्ति, भाईचारे का सदेश देता है या नहीं ? आज जब पूरे विश्व में वर्णभेद की समस्या अपना विकराल रूप धारण किये हुए है, ऐसे युग में भी इस्लाम अपना सनातन सन्देश देता है कि पूरी दुनिया के इन्सान एक हैं और उनमें रंग, नस्ल या किरकापरस्ती के भेदभाव नहीं करने चाहिए। इस्लाम तो आरम्भ से ही कहता आ रहा है—

‘एक ही सफ़ में खड़े हो गए मंहमूदो अयाज,  
न कोई बन्दा रहा और न कोई बन्दा नवाज।  
साइलो, मुफ़लिसो, मोहताजो ग़नी एक हुए,  
तेरी सरकार में पहुँचे तो सभी एक हुए ॥

आज का आदमी तरक्की की सीढियाँ चढ़कर चाँद की धरती पर अपने कदम रख सकता है लेकिन आपसी घृणा, भेदभाव और युद्धों को रोक नहीं सका है।

इस्लाम धर्म सैकड़ों बरसों से यही प्रेम और मुहब्बत का पैग़ाम पूरे सत्तार को देता आया है—आपसी फर्क कैसे दूर किये जायें, इसके लिए हर साल हज के मौके पर लाखों लोग मक्का मुअज्जमा में इकट्ठे होते हैं। तमाम नस्लों और जातियों के लोग वगैर किसी भेदभाव के आपसी भाईचारे में जुड़कर दुनिया के सामने एक अनुपम उदाहरण प्रस्तुत करते हैं।

सारा विश्व, इस्लाम का यह चमत्कार अपनी खुली आँखों से देख रहा है।


इस्लाम मनुष्य के निःस्वार्थ प्रेम-भाव, नम्रता और प्रेम के गुणों का विकास कर उन्हें सही मायने में मानवतावादी बनाता है।

इस्लाम ने सदा ही प्रेम, प्रीति का परचम फहराया है। अहिंसा तो इसका मूलमंत्र है। जहाँ प्रेम, स्नेह, सद्भाव होगा वहाँ पर हिंसा का तो होना बैसे भी संभव नहीं है।

इस्लाम धर्म के आखरी पैगम्बर हजरत मुहम्मद (स.अ.) ने भी अपने जीवन में प्रेम और अहिंसा के सिद्धान्तों का ही प्रचार किया था। इस सम्बन्ध में हमारे राष्ट्र पिता, महात्मा गांधी ने अपने विचार इस प्रकार व्यक्त किये हैं।

“अब मुझे पहले से ज्यादा विश्वास हो गया कि इस्लाम के फैलाने में तलवार की शक्ति नहीं थी बल्कि ये इस्लाम के पैगम्बर का अत्यंत सादा जीवन, प्रतिज्ञापालन, निःस्वार्थता, निर्भयता और सबके प्रति प्रेम की भावनाएँ थीं”। वास्तव में इस्लाम धर्म प्रेम, शांति, स्नेह, सद्भाव का एक घोष है जो सारे विश्व में इन मानव मूल्यों का प्रचार सदियों से कर रहा है। जरूरत इस बात की है कि हम इसे समझे और दूसरों को समझाने का प्रयास भी करें।

— कार्यक्रम अधिकारी, आकाशवाणी, जयपुर



## हिंसक का कोई मूल्य नहीं होता

तैमूरलंग एक अति क्रूर शासक था। एक बार उसके सामने दो गुलामों को पेश किया गया। दोनों को मृत्युदण्ड दिया। कवि अहमद को भी बन्दी बना कर लाया गया था।

तैमूर ने अहमद से पूछा—‘तुम तो कवि हो, बताओ, इन दोनों गुलामों का क्या मूल्य होगा?’


‘प्रत्येक का पाँच-पाँच सौ अर्शफियाँ’।

‘अच्छा वाताओ, मेरा मूल्य कितना आँकते हो?’ ‘पच्चीस अर्शफियाँ’।

मुन कर तैमूर का क्रोधित होना स्वाभाविक ही था। वह गुस्से में बोला—‘पच्चीस अर्शफियाँ!! अरे बेवकूफ, इतना भी नहीं जानते, पच्चीस अर्शफियों का मूल्य तो सिर्फ मेरी पोशाक का ही होगा।’

कवि अहमद ने कहा—‘सही कहा आपने, मैंने आपकी पोशाक का मूल्य ही आँका है, पच्चीस अर्शफियाँ’। ‘तो क्या मेरा मूल्य कुछ भी नहीं है?’

‘जी नहीं, आपका मूल्य कुछ भी नहीं है। जो आदमी क्रूर है, हिंसक है, उसका कोई मूल्य नहीं हो सकता।’



## अहिंसा-सिद्धान्त : तुलनात्मक दृष्टि

डॉ० सागरमल जैन

अहिंसा के सिद्धान्त की सार्वभौम स्वीकृति के बावजूद भी अहिंसा के अर्थ को लेकर सब धर्मों में एकरूपता नहीं है। हिंसा और अहिंसा के बीच खीची गई भेद-रेखा सभी में अलग-अलग हैं। कहीं पशुवध को ही नहीं, नरबलि को भी हिंसा को कोटि में नहीं माना गया है तो कहीं वानस्पतिक हिंसा अर्थात् फेंड-पौधे को पीडा देना भी हिंसा माना जाता है। चाहे अहिंसा की अवधारणा उन सबमें समानरूप से उपस्थित हो किन्तु अहिंसक चेतना का विकास उन सबमें समानरूप से नहीं हुआ है। क्या मूसा के 'Thou shalt not kill' के आदेश का वही अर्थ है जो महावीर की 'सर्व्वेसत्ता न हंतव्वा' की शिक्षा का है? यद्यपि हमें यह ध्यान रखना होगा कि अहिंसा के अर्थविकास की यह यात्रा किसी कालक्रम में न होकर मानव जाति की सामाजिक चेतना तथा मानवीय विवेक एवं सवेदनशीलता के विकास के परिणामस्वरूप हुई है। जो व्यक्ति या समाज जीवन के प्रति जितना अधिक सवेदनशील बना, उसने अहिंसा के प्रत्यय को उतना ही अधिक व्यापक अर्थ प्रदान किया। अहिंसा के अर्थों का यह विस्तार भी तीनों रूपों में हुआ है—एक ओर अहिंसा के अर्थों को व्यापकता दी गई, तो दूसरी ओर अहिंसा का विचार अधिक गहन होता चला गया है। एक ओर स्वजाति और स्वधर्मी मनुष्य की हत्या के निषेध से प्रारंभ होकर पट्जीवनिकाय की हिंसा के निषेध तक इसने अर्थविस्तार पाया है तो दूसरी ओर प्राणवियोजन के बाह्य रूप से द्वेष, दुर्भावना और असावधानी (प्रमाद) के आन्तरिक रूप तक, इसने गहराइयों में प्रवेश किया है। पुनः अहिंसा ने 'हिंसा मत करो' के निषेधात्मक अर्थों से लेकर दया, करुणा, दान, सेवा और सहयोग के विधायक अर्थों तक भी अपनी यात्रा की है। इस प्रकार हम देखते हैं कि अहिंसा का अर्थविकास त्रि-आयामी (त्री-डायमेंशनल) है। अतः जब भी हम अहिंसा की अवधारणा को लेकर कोई चर्चा करना चाहते हैं तो हमें उसके सभी पहलुओं की ओर ध्यान देना होगा।

जैनागमों के सदर्भ में अहिंसा के अर्थों की व्याप्ति को लेकर कोई चर्चा करने के पूर्व हमें यह देख लेना होगा कि अहिंसा की इस अवधारणा ने कहां कितना अर्थ पाया है।

यहूदी, ईसाई और इस्लाम धर्म में अहिंसा का अर्थविस्तार :

मूसा ने धार्मिक जीवन के लिए जो दस आदेश प्रसारित किये थे एक है 'तुम हत्या मत करो' किन्तु इस आदेश का अर्थ यहूदी समाज के

व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए अपनी जातीय भाई की हिंसा नहीं करने से अधिक नहीं रहा। धर्म के नाम पर तो हम स्वयं पिता को अपने पुत्र की बलि देता हुआ देखते हैं। इस्लाम ने चाहे अल्लाह को 'रहमानुर्रहीम'—करुणाशील कह कर सम्बोधित किया हो, और चाहे यह भी मान लिया हो कि सभी जीवधारियों को जीवन उतना ही प्रिय है, जितना तुम्हें अपना है, किन्तु उसमें अल्लाह की इस करुणा का अर्थ स्वधर्मियों तक ही सीमित रहा। इतर मनुष्यों के प्रति इस्लाम आज तक सवेदनशील नहीं बन सका है। पुनः यहूदी और इस्लाम दोनों ही धर्मों में धर्म के नाम पर पशुबलि को सामान्य रूप से आज तक स्वीकृत किया जाता है। इस प्रकार इन धर्मों में मनुष्यों की सवेदनशीलता स्वजाति और स्वधर्मी अर्थात् अपने से अधिक अर्थविस्तार नहीं पा सकी है। इस सवेदनशीलता का अधिक विकास हमें ईसाई धर्म में दिखाई देता है। ईसा शत्रु के प्रति भी करुणाशील होने की बात कहते हैं। वे अहिंसा, करुणा और सेवा के क्षेत्र में अपने और पराये, स्वधर्मी और विधर्मी, शत्रु और मित्र के भेद से ऊपर उठ जाते हैं। इस प्रकार उनकी करुणा सम्पूर्ण मानवता के प्रति बरसी है। यह बात अलग है कि मध्ययुग में ईसाइयों ने धर्म के नाम पर खून को होली खेली हो और ईश्वर-पुत्र के आदेशों की अवहेलना की हो किन्तु ऐसा तो हम सभी करते हैं। धर्म के नाम पर पशुबलि की स्वीकृति भी ईसाई धर्म में नहीं देखी जाती है। इस प्रकार उसमें अहिंसा की अवधारणा अधिक व्यापक बनी है। उसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उसमें सेवा तथा सहयोग के मूल्यों के माध्यम से अहिंसा को एक विधायक दिशा भी प्रदान की है। फिर भी सामान्य जीवन में पशुवध और मांसाहार के निषेध की बात वहाँ नहीं उठाई गई है। अतः उसकी अहिंसा की अवधारणा मानवता तक ही सीमित मानी जा सकती है, वह भी समस्त प्राणी-जगत् की पीड़ा के प्रति सवेदनशील नहीं बन सका।

**भारतीय चिन्तन में अहिंसा का अर्थ-विस्तार :**

चाहे वेदों में 'पुमान् पुमास परिपातु विश्वत' (ऋग्वेद, ६ ७५.१४) के रूप में एक दूसरे की सुरक्षा की बात कही गई हो अथवा 'मित्रास्याह चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे' (यजुर्वेद, ३६ १८) के रूप में सर्वप्राणियों के प्रति मित्र-भाव की कामना की गई हो किन्तु वेदों की यह अहिंसक चेतना भी मानव-जाति तक ही सीमित रही। मात्र इतना ही नहीं, वेदों में अनेक ऐसे प्रसंग हैं जिनमें शत्रु-वर्ग के विनाश के लिए प्रार्थनाएँ भी की गई हैं। यज्ञों में पशुबलि स्वीकृत रही, वेद विहित हिंसा को हिंसा की कोटि में नहीं माना गया। इस प्रकार उनमें धर्म के नाम पर की जाने वाली हिंसा को समर्थन ही दिया गया। वेदों में अहिंसा की अवधारणा का अर्थविस्तार उतना ही है जितना कि यहूदी धर्म इस्लाम धर्म में। वैदिक धर्म की पूर्व-परम्परा में भी अहिंसा का सम्बन्ध

मानव जाति तक ही सीमित रहा। 'मा हिंस्यात् सर्वभूतानि' का उद्धोष तो हुआ, लेकिन व्यावहारिक जीवन में वह मानव-प्राणी से अधिक ऊपर नहीं उठ सका। इतना ही नहीं, एक ओर पूर्ण अहिंसा के बौद्धिक आदर्श की बात और दूसरी ओर मांसाहार की लालसा एवं रूढ़ परम्पराओं के प्रति अंध आस्था ने अपवाद का एक नया आयाम खड़ा किया और कहा गया कि 'वेदविहित हिंसा हिंसा नहीं है।'<sup>१</sup> श्रमण परम्पराएँ इस दिशा में और आगे आयीं और उन्होंने अहिंसा की व्यावहारिकता का विकास समग्र प्राणी-जगत् तक करने का प्रयास किया और इसी आधार पर वैदिक हिंसा की खुल कर आलोचना की गई। कहा गया कि यदि यूप छेदन करने से और पशुओं की हत्या करने से और खून का कीचड़ मचाने से ही स्वर्ग मिलता हो तो फिर नर्क में कैसे जाया जावेगा।<sup>२</sup> यदि हनन किया गया पशु स्वर्ग को जाता है तो फिर यजमान अपने माता-पिता की बलि ही क्यों नहीं दे देता?<sup>३</sup> अहिंसक चेतना का सर्वाधिक विकास हुआ है श्रमण परम्परा में। इसका मुख्य कारण यह था कि गृहस्थ जीवन में रहकर पूर्ण अहिंसा के आदर्श को साकार कर पाना सम्भव नहीं था। जीवनयापन अर्थात् आहार, सुरक्षा आदि के लिए हिंसा आवश्यक तो है ही, अतः उन सभी धर्म परम्पराओं में जो मूलतः निवृत्तिपरक या संन्यासमार्गीय नहीं थी, अहिंसा को उतना अर्थविस्तार प्राप्त नहीं हो सका जितना श्रमणधारा या संन्यास-मार्गीय परम्परा में सम्भव था। यद्यपि श्रमण परम्पराओं के द्वारा हिंसापरक यज्ञ-यागों की आलोचना और मानवीय विवेक एवं संवेदनशीलता के विकास का एक परिणाम यह हुआ कि वैदिक परम्परा में भी एक ओर वेदों के पशु-हिंसापरक पदों का अर्थ अहिंसक रीति से किया जाने लगा (महाभारत में शान्तिपर्व में राजा वसु का आख्यान—अध्याय ३३७—३३८—इसका प्रमाण है) तो दूसरी ओर धार्मिक जीवन के लिए कर्मकाण्ड को अनुपयुक्त मानकर औपनिषदिक धारा के रूप में ज्ञान-मार्ग का और भागवत धर्म के रूप में भक्ति-मार्ग का विकास हुआ। इसमें अहिंसा का अर्थविस्तार सम्पूर्ण प्राणीजगत् अर्थात् त्रस जीवों की हिंसा के निषेध तक हुआ है। वैदिक परम्परा में संन्यासी को कन्दमूल एवं फल का उपभोग करने की स्वतन्त्रता है, इस प्रकार वहाँ वानस्पतिक हिंसा का विचार उपस्थित नहीं है। फिर भी यह तो सत्य है कि अहिंसक चेतना को सर्वाधिक विकसित करने का श्रेय श्रमण परम्पराओं को ही है। भारत में ई० पू० ६ठी शताब्दी का जो भी इतिवृत्त हमें प्राप्त होता है उससे ऐसा लगता है कि उस युग में पूर्ण अहिंसा के आदर्श को साकार बनाने में श्रमण सम्प्रदायों में होड़ लगी हुई थी। कम से कम हिंसा ही श्रामण्य-जीवन की श्रेष्ठता का

१. "वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति"।

२. अमिघान राजेन्द्रकोश, खण्ड ७, पृ० १२२६।

३. भारतीय दर्शन [दत्त एव चर्चार्थी], पृ० ४३ पर उद्धृत।



प्रतिमान था। सूत्रकृताग मे आर्द्रक कुमार की विभिन्न मतों के श्रमणों से जो चर्चा है उसमें मूल प्रश्न यही है कि कौन सबसे अधिक अहिंसक है (देखिये सूत्रकृताग, २।६)। त्रस प्राणियों (पशु, पक्षी-कीट-पतंग आदि) की हिंसा थी ही, किन्तु वानस्पतिक और सूक्ष्म-प्राणियों की हिंसा को भी हिंसा माना जाने लगा था। मात्र इतना ही नहीं मनसा, वाचा, कर्मणा, और कृत, कारित और अनुमोदित के प्रकारभेदों से नवकोटिक अहिंसा का विचार प्रविष्ट हुआ, अर्थात् मन, वचन और शरीर से हिंसा करना नहीं, करवाना नहीं और करनेवाले का अनुमोदन भी नहीं करना। बौद्ध और आजीवक परम्परा के श्रमणों ने भी इस नवकोटिक अहिंसा के आदर्श को स्वीकार कर उसके अर्थ को गहनता और व्यापकता प्रदान की। फिर भी बौद्ध परम्परा में षट्जीवन निकाय का विचार उपस्थित नहीं था। बौद्ध भिक्षु नदी-नालो के जल को छानकर उपयोग करते थे। दूसरे उनके यहाँ नवकोटिक अहिंसा की यह अवधारणा भी स्वयं की अपेक्षा से थी—दूसरा हमारे निमित्त क्या करता है इसका विचार नहीं किया गया, जब कि जैन परम्परा में श्रमण के निमित्त से की जाने वाली हिंसा का भी विचार किया गया। निर्ग्रन्थ परम्परा का कहना था कि केवल इतना ही पर्याप्त नहीं है कि हम मनसा, वाचा, कर्मणा हिंसा न करे, न करावे और न उसे अनुमोदन दे अपितु यह भी आवश्यक है कि दूसरों को हमारे निमित्त हिंसा करने का अवसर भी नहीं देवे और उनके द्वारा की गई हिंसा में भागीदार न बने। यही कारण था कि जहाँ बुद्ध और बौद्ध भिक्षु निमन्त्रित भोजन को स्वीकार करते थे वहाँ निर्ग्रन्थ परम्परा में औद्देशिक आहार भी अग्राह्य माना गया था, क्योंकि उसमें नैमित्तिक हिंसा के दोष की सम्भावना थी। यद्यपि पिटकग्रन्थों में बौद्ध भिक्षु के लिए ऐसा भोजन निषिद्ध माना गया है जिसमें उसके लिए प्राणीहिंसा की गयी हो और वह इस बात को जानता हो या उसने ऐसा सुना हो। फिर भी यह अतिशयोक्ति नहीं है कि अहिंसा को जितना व्यापक अर्थ जैन परम्परा में दिया गया है, उतना अन्यत्र अनुपलब्ध ही है।

जैन और बौद्ध परम्पराओं में अहिंसा सम्बन्धी जो खण्डन-मण्डन हुआ, उसके पीछे सैद्धान्तिक मतभेद न होकर उसकी व्यावहारिकता का प्रश्न ही प्रमुख रहा है। पं० सुखलालजी लिखते हैं, दोनों की अहिंसा सम्बन्धी व्याख्या में कोई तात्त्विक मतभेद नहीं—जैन परम्परा ने नवकोटिक अहिंसा की सूक्ष्म व्यवस्था को अमल में लाने के लिए जो वाह्य प्रवृत्ति को विशेष नियन्त्रित किया, वह बौद्ध परम्परा ने नहीं किया। जीवन सम्बन्धी वाह्य प्रवृत्तियों के प्रति नियन्त्रण और मध्यवर्गीय शैथिल्य के प्रबल भेद में से ही बौद्ध और जैन परम्पराएँ आपस में खण्डन-मण्डन में प्रवृत्त हुईं। जब हम दोनों परम्पराओं के खण्डन-मण्डन को तटस्थ भाव से देखते हैं तब निःसंकोच कहना पड़ता है कि

बहुधा दोनों ने एक-दूसरे को गलत रूप से ही समझा है। इसका एक उदाहरण मज्झिमनिकाय का उपालिसुत्त और दूसरा सूत्रकृतांग का है।<sup>१</sup>

यद्यपि जैन परम्परा ने नवकोटिपूर्ण अहिंसा के पालन पर बल दिया, लेकिन नवकोटिक अहिंसा के पालन में जब साधु-जीवन के व्यवहारों का सम्पादन एव संयमी जीवन का रक्षण भी असम्भव प्रतीत हुआ तो यह स्वीकार किया गया कि शास्त्रविहित प्रवृत्तियों में हिंसा-दोष का अभाव होता है। इसी प्रकार मन्दिर-निर्माण, प्रतिमापूजन, तीर्थयात्रा आदि के प्रसंग पर होने वाली हिंसा विहित मान ली गयी। परिणाम यह हुआ कि वैदिक हिंसा हिंसा नहीं है, इस सिद्धान्त के प्रति की गयी उनकी आलोचना स्वयं निर्बल रह गयी। वैदिक पक्ष की ओर से कहा जाने लगा कि यदि तुम कहते हो कि शास्त्रविहित हिंसा हिंसा नहीं है तो फिर हमारी आलोचना कैसे कर सकते हो? इस प्रकार आलोचनाओं और प्रत्यालोचनाओं का एक विशाल साहित्य निर्मित हो गया, जिसका संमुचित मूल्यांकन यहाँ सम्भव नहीं है। फिर भी इतना तो कहा जा सकता है कि इस समग्र वाद-विवाद में जैन, बौद्ध और वैदिक परम्पराओं में मौलिक रूप से सिद्धान्तिक मतभेद अल्प ही है। प्रमुख प्रश्न व्यवहार का है। व्यावहारिक दृष्टि से जैन और वैदिक परम्पराओं में निम्न अन्तर खोजा जा सकता है—

(१) जैन परम्परा पूर्ण अहिंसा के पालन सम्बन्धी विचार को केवल उन्हीं स्थितियों में शिथिल करती है जिनमें मात्र सयममूलक मुनि-जीवन का अनुरक्षण हो सके, जबकि वैदिक परम्परा में अहिंसा के पालन में उन सभी स्थितियों में शिथिलता की गयी है जिनमें सभी आश्रम और सभी प्रकार के लोगों के जीवन जीने और अपने कर्तव्यों के पालन का अनुरक्षण हो सके।

(२) यद्यपि जैन आचार्यों ने सयममूलक जीवन के अनुरक्षण के लिए की गयी हिंसा को हिंसा नहीं माना है, तथापि परम्परा के आग्रही अनेक जैन आचार्यों ने उस हिंसा को हिंसा के रूप में स्वीकार करते हुए केवल अपवाद रूप में उसका सेवन करने की छूट दी और उसके प्रायश्चित्त का विधान भी किया। उनकी दृष्टि में हिंसा, चाहे वह किसी भी स्थिति में हो, हिंसा है। यही कारण है कि आज भी जैन सम्प्रदायों में संयम एव शरीर-रक्षण के निमित्त भिक्षाचर्या आदि दैनिक व्यवहार में होने वाली सूक्ष्म हिंसा के लिए भी प्रायश्चित्त का विधान है।

(३) वैदिक परम्परा में हिंसा धार्मिक अनुष्ठानों का एक अंग मान ली गयी और उनमें होने वाली हिंसा हिंसा नहीं मानी गयी। यद्यपि जैन-परम्परा

१ दर्शन और चिन्तन : प० सुखलाल सघवी, खण्ड २, पृ० ४१५.

२. अभिवान राजेन्द्रकोश. खण्ड, ७, पृ० १२२६

में कुछ आचार्यों ने धार्मिक अनुष्ठानों, मन्दिर-निर्माण आदि कार्यों में होने वाली हिंसा का समर्थन अल्प-हिंसा और बहु-निर्जरा के नाम पर किया, लेकिन जैन-परम्परा में सदैव ही ऐसी मान्यता का विरोध किया जाता रहा और जिसकी तीव्र प्रतिक्रियाओं के रूप में दिगम्बर सम्प्रदाय में तेरापंथ और तारणपंथ तथा श्वेताम्बर सम्प्रदाय में लोकागच्छ, स्थानकवासी एवं तेरापंथ (श्वेताम्बर आम्नाय) आदि अवान्तर सम्प्रदायों का जन्म हुआ, जिन्होंने धर्म के नाम पर होने वाली हिंसा का तीव्र विरोध किया।

(४) वैदिक परम्परा में जिस धार्मिक हिंसा को हिंसा नहीं माना गया उसका बहुत कुछ सम्बन्ध पशुओं की हिंसा से है, जबकि जैन-परम्परा में मन्दिर-निर्माण आदि के निमित्त से भी हिंसा का समर्थन किया गया, उसका सम्बन्ध मात्र एकेन्द्रिय अथवा स्थावर जीवों से है।

(५) जैन परम्परा में हिंसा के किसी भी रूप को अपवाद मानकर ही स्वीकार किया गया, जबकि वैदिक परम्परा में हिंसा आचरण का नियम ही बन गयी। जीवन के सामान्य कर्तव्यों जैसे यज्ञ, श्राद्ध, देव, गुरु, अतिथि पूजन आदि के निमित्त से भी हिंसा का विधान किया गया है। यद्यपि परवर्ती वैष्णव सम्प्रदायों ने इसका विरोध किया।

(६) प्राचीन जैन मूल आगमों में संयमी जीवन के अनुरक्षण के लिए ही मात्र अत्यल्प स्थावर हिंसा का समर्थन अपवाद रूप में उपलब्ध है। जबकि वैदिक परम्परा में हिंसा का समर्थन सांसारिक जीवन की पूर्ति तक के लिए किया गया है। जैन-परम्परा भिक्षु के जीवन-निर्वाह की दृष्टि से अपवादों का विचार करती है, जबकि वैदिक परम्परा सामान्य गृहस्थ के जीवन के निर्वाह की दृष्टि से भी अपवाद का विचार करती है।

**अहिंसा का विधायक रूप**—जैन धर्म निवृत्तानुलक्षी होने से उसमें अहिंसा का निषेधात्मक स्वरूप ही अधिक मिलता है। श्वेताम्बर तेरापंथी जैन समाज तो केवल अहिंसा के निषेध रूप को ही मानता है। अहिंसा के विधायक पक्ष में उसकी आस्था नहीं है। पूर्वकाल के जैन सन्त अहिंसा के इस निषेध पक्ष को ही अधिक प्रस्तुत करते थे, इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता। फिर भी जैन सूत्रों में अहिंसा का विधायक पक्ष मिलता है।

अहिंसा का विधायक पक्ष प्राणियों के हित-साधन में ही निहित है। जैन धर्म की अहिंसा इस रूप में विधायक है। 'आचारांगसूत्र' में तीर्थस्थापना का उद्देश्य समस्त जगत् के प्राणियों का कल्याण बताया गया। इस प्रकार अहिंसा में जीवों के कल्याण-साधन का तथ्य निहित है, जो विधायक अहिंसा का मूल है। इतना ही नहीं, आचारांग-सूत्र में कहा गया है कि समस्त तीर्थकरो ने 'अहिंसा-धर्म' का प्रवर्तन समस्त लोक के खेद को जानकर ही किया है<sup>१</sup>।

१ आचारांग, २।१५।६५८ ।

२ वही, १।४।१।२७ ।

'ख्येन्नेहि' शब्द के मूल में अहिंसा का विधायक रूप स्पष्ट बोल रहा है। इसमें अहिंसा का उद्देश्य मनुष्य का अपना कल्याण न होकर लोक-कल्याण ही स्पष्ट होता है। इतना ही नहीं, तीर्थंकर अरिष्टनेमि का विवाहप्रसंग तथा शान्तिनाथ के पूर्व-भव में कबूतर की रक्षा का प्रसंग, ऐसे अनेक प्रसंग, जैन कथा-साहित्य में हैं जिनमें अहिंसा का विधायक स्वरूप स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। जैन-संघों द्वारा संचालित औषधालय, गेशालाएँ, पिजरापोल (पशु-रक्षा गृह) आदि संस्थाएँ भी इस बात के प्रमाण हैं कि जैन-विचारक अहिंसा के विधायक पक्ष को भूले नहीं हैं। पुण्य के नौ भेदों में अन्नदान, वस्त्रदान, स्थान (आश्रय) दान आदि इसी विधायक पक्ष की पुष्टि करते हैं। विधायक पक्ष का एक और प्रमाण जैन तीर्थंकरों की गृहस्थावस्था में मिलता है। सभी तीर्थंकर संन्यास लेने के पूर्व, एक वर्ष तक प्रतिदिन स्वर्णमुद्राएँ याचकों को दान करते हैं<sup>१</sup>। इस प्रकार जैन धर्म अहिंसा के दोनों पक्ष स्वीकार करता है।

### बौद्ध एवं वैदिक परम्परा में अहिंसा का विधायक पक्ष :

यह निस्सन्देह सत्य है कि बौद्ध और वैदिक परम्पराओं ने अहिंसा को अधिक विधायक स्वरूप प्रदान किया। साधना के साथ सेवा का समन्वय करने में भारतीय धर्मों में बौद्ध धर्म और विशेष रूप से उनकी महायान शाखा अग्रणी रही है। यद्यपि जैन धर्म में भी ग्लान, वृद्ध, रोगी, शैक्ष्य आदि की सेवा का निर्देश है, मात्र यही नहीं मुनियों की सेवा को गृहस्थ धर्म का अनिवार्य अंग मान लिया गया है फिर भी मानवता के लिए सेवा और करुणा का जो विस्फोट जैन धर्म में होना चाहिए था, वह न हो सका। अहिंसा और अनासक्ति की जो सूक्ष्म व्याख्याएँ की गईं, वे ही इस मार्ग में सबसे बाधक बन गईं। असंयती की सेवा को और रागात्मक सेवा को अनैतिक माना गया। यही कारण था कि जहाँ हम बौद्ध भिक्षुओं और ईसाई पादरियों को सेवा के प्रति जितना तत्पर पाते हैं, उतना जैन भिक्षु संघ को नहीं। जैन भिक्षु अपने सहवर्गी के अतिरिक्त अन्य की सेवा नहीं कर सकता। जबकि बौद्ध भिक्षु प्राचीन काल से ही पीडित एवं दुःखित वर्ग की सेवा करता रहा है।

हिन्दू परम्परा में सेवा, अतिथिसत्कार, देवऋण, पितृऋण, गुरुऋण तथा लोकसंग्रह की अवधारणाएँ अहिंसा के विधायक पथ को स्पष्ट कर देती हैं। तुलनात्मक दृष्टि से हमें यह स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए कि सिद्धान्तिक रूप में जैन मुनिवर्ग की अहिंसा निषेधात्मक अधिक रही। किन्तु जहाँ तक व्यावहारिक जीवन का प्रश्न है—जैन गृहस्थ समाज एवं लोकसेवा के कार्यों से किसी भी युग में पीछे नहीं रहा है। आज भी भारत में जैन समाज द्वारा जितनी लोक कल्याणकारी प्रवृत्तियाँ चल रही हैं, वे आनुपातिक दृष्टि

१. आचाराग, द्वितीय श्रुतस्कन्ध, अ० १५।१७६ मूल एवं टीका।

से किसी भी अन्य समाज से कम नहीं है। यही उसकी अहिंसा की विधायक दृष्टि का प्रमाण है।

**हिंसा के अल्प-बहुत्व का विचार**—हिंसा और अहिंसा का विचार हमारे सामने एक समस्या यह भी प्रस्तुत करता है कि किसी विशेष परिस्थिति में जब एक की रक्षा के लिए दूसरे की हिंसा अनिवार्य हो—अथवा दो अनिवार्य हिंसाओं में से एक का चयन आवश्यक हो, तो मनुष्य क्या करे? इस प्रश्न को लेकर तेरापंची जैन सम्प्रदाय का जैनों के दूसरे सम्प्रदायों से मतभेद है। उनका मानना है कि ऐसी स्थिति में मनुष्य को तटस्थ रहना चाहिए। दूसरे सम्प्रदाय ऐसी स्थिति में हिंसा के अल्प-बहुत्व का विचार करते हैं। मान लीजिए, एक आदमी प्यासा है, यदि उसे पानी नहीं पिलाया जाय तो उसका प्राणांत हो जायेगा; दूसरी ओर, उसे पानी पिलाने में पानी के जीवों (अपकाय-जीवों) की हिंसा होती है। इसी प्रकार, एक व्यक्ति के शरीर में कीड़े पड़ गये हैं, अब यदि डॉक्टर उसे बचाता है तो कीड़ों की हिंसा होती है और कीड़ों को बचाता है तो आदमी की मृत्यु होती है। अथवा प्रसूति की अवस्था में माँ और शिशु में से किसी एक के जीवन की ही रक्षा की जा सकती हो तो ऐसी स्थितियों में क्या किया जाय? अहिंसा का सिद्धान्त ऐसी स्थिति में क्या निर्देश करता है?

पण्डित सुखलालजी ने यह माना है कि वध्य जीवों का कद, उनकी सख्या तथा उनकी इन्द्रिय आदि के तारतम्य पर हिंसा के दोष का तारतम्य अवलम्बित नहीं है, किन्तु हिंसक के परिणाम या वृत्ति की तीव्रता-मंदता, सज्जानता-अज्ञानता या बलप्रयोग की न्यूनाधिकता पर अवलम्बित है।<sup>१</sup> यद्यपि हिंसा के दोष की तीव्रता या मंदता हिंसक की मानसिक वृत्ति पर निर्भर है, तथापि इस आधार पर इन प्रश्नों का ठीक समाधान नहीं मिलता। इन प्रश्नों के हल के लिए हमें हिंसा के अल्प-बहुत्व का कोई बाह्य आधार ढूँढना होगा।

जैन परम्परा में परम्परागत रूप से यह विचार स्वीकृत रहा है कि ऐसी स्थितियों में हमें प्राण-शक्तियों या इन्द्रियों की संख्या एवं आध्यात्मिक विकास के आधार पर ही हिंसा के अल्प-बहुत्व का निर्णय करना चाहिए। इस सारी विवक्षा में जीवों की संख्या को सदैव ही गौण माना गया है। महत्व जीवों की संख्या का नहीं, उनकी ऐन्द्रिक एवं आध्यात्मिक विकास-क्षमता का है। 'मूत्रकृतांग' में हस्तितापसों का वर्णन है, जो एक हाथी की हत्या करके उसके मांस से एक वर्ष तक निर्वाह करते थे। उनका दृष्टिकोण यह था कि अनेक स्थावर जीवों की हिंसा की अपेक्षा एक वस जीव की हिंसा से निर्वाह

कर लेना अल्प पाप है, लेकिन जैन विचारकों ने इस धारणा को अनुचित ही माना।<sup>१</sup>

‘भगवतीसूत्र’ में स्पष्ट ही कहा गया है कि यद्यपि सभी जीवों में आत्माएँ समान हैं,<sup>२</sup> तथापि प्राणियों की ऐन्द्रिक क्षमता एवं आध्यात्मिक विकास के आधार पर हिंसा-दोष की तीव्रता आधारित होती है। एक त्रस जीव की हिंसा करता हुआ मनुष्य तत्सम्बन्धित अनेक जीवों की हिंसा करता है।<sup>३</sup> एक अहिंसक ऋषि की हत्या करने वाला एक प्रकार से अनन्त जीवों की हिंसा करने वाला होता है।<sup>४</sup> इस प्रकार यह सिद्ध होता है कि स्थावर जीवों की अपेक्षा त्रस जीवों की और त्रस जीवों में पंचेन्द्रियों की, पंचेन्द्रियों में भी मनुष्य की और मनुष्यों में भी ऋषि की हिंसा अधिक निकृष्ट है। इतना ही नहीं, त्रस जीव की हिंसा करने वाले को अनेक जीवों की हिंसा का और ऋषि की हिंसा करने वाले को अनन्त जीवों की हिंसा का करने वाला बता कर शास्त्रकार ने यह स्पष्ट निर्देश किया है कि हिंसा-अहिंसा के विचार में संख्या का प्रश्न अधिक महत्त्वपूर्ण नहीं है, महत्त्वपूर्ण है प्राणी की ऐन्द्रिक एवं आध्यात्मिक विकास-क्षमता।

जब अपरिहार्य बन गई दो हिंसाओं में किसी एक को चुनना अनिवार्य हो तो हमें अल्प-हिंसा को चुनना होगा। किन्तु कौन-सी हिंसा अल्प-हिंसा होगी यह निर्णय देश, काल, परिस्थिति आदि अनेक बातों पर निर्भर करेगा। यहाँ हमें जीवन की मूल्यवत्ता को भी आँकना होगा। जीवन की यह मूल्यवत्ता दो बातों पर निर्भर करती है—(१) प्राणी का ऐन्द्रिक एवं आध्यात्मिक विकास और (२) उसकी सामाजिक उपयोगिता। सामान्यतया मनुष्य का जीवन अधिक मूल्यवान् है और मनुष्यों में भी एक सन्त का, किन्तु किसी परिस्थिति में किसी मनुष्य की अपेक्षा किसी पशु का जीवन भी अधिक मूल्यवान् हो सकता है। संभवतः हिंसा-अहिंसा के विवेक में जीवन की मूल्यवत्ता का यह विचार हमारी दृष्टि में उपेक्षित ही रहा, यही कारण था कि हम चींटियों के प्रति तो संवेदनशील बन सके किन्तु मनुष्य के प्रति निर्मम ही बने रहे। आज हमें अपनी संवेदनशीलता को मोड़ना है और मानवता के प्रति अहिंसा को सकारात्मक बनाना है। यह आवश्यक है कि हम अपरिहार्य हिंसा को हिंसा के रूप में समझते रहे, अन्यथा हमारा करुणा का स्रोत सूख जावेगा। विवशता में चाहे हिंसा करनी पड़े, किन्तु उसके प्रति आत्मग्लानि और हिंसित के प्रति करुणा की धारा सूखने नहीं पावे, अन्यथा वह हिंसा हमारे स्वभाव का अंग बन

१ सूत्रकृतांग, २।६।५३-५४।

२ भगवतीसूत्र, ७।८।१०२।

३ वही, ६।३४।१०६।

४ वही, ६।३४।१०७।

जावेगो जैसे—कसाई बालक में। हिंसा-अहिंसा के विवेक का मुख्य आधार मात्र यही नहीं है कि हमारा हृदय कषाय से मुक्त हो, किन्तु यह भी है कि हमारी संवेदनशीलता जागृत रहे, हृदय में दया और करुणा की धारा प्रवाहित होती रहे। हमें अहिंसा को हृदय-शून्य नहीं बनाना है। क्योंकि यदि हमारी संवेदन-शीलता जागृत बनी रही तो निश्चय ही हम जीवन में हिंसा की मात्रा को अल्पतम करते हुए पूर्ण अहिंसा के आदर्श को उपलब्ध करेंगे, साथ ही वह हमारी अहिंसा विधायक बनकर मानव समाज में सेवा की गंगा भी बहा सकेगी।

—निदेशक, पार्श्वनाथ विद्याश्रम शोध संस्थान, वाराणसी।

## अन्तरात्मा जाग उठी

□ डॉ. भैरूलाल गर्ग

एक बार संत तुकड़ोजी गांधी जी के आश्रम में कुछ दिनों रहने के लिए आये। प्रतिदिन गांधी जी और संत तुकड़ोजी में विचार-विनिमय होता रहता। एक बार गांधी जी ने उन्हें अपनी बात समझाने के लिए एक कहानी सुनाई।

एक गरीब आदमी था और एक अमीर। दोनों के घर आस-पास ही थे। एक दिन गरीब के घर में चोर आ घुसे। उसने देखा कि चोर इधर-उधर परेशान होकर चीजे खोज रहे हैं। वह उठा और बोला, 'आप क्यों हैरान होते हैं। मेरे पास जो कुछ है, वह आपके पास लाकर रख देता हूँ।' यह कह कर उसके पास जो दस-पांच रुपये जमा-पूँजी थी, उसने चोरों के हवाले कर दी।

चोर रुपये लेकर चलते बने। पर उतने से उनका मन भरा नहीं। वे धनी आदमी के यहाँ पहुँचे। वह पहले से ही जाग रहा था। उसने उनकी बातें सुन ली थीं। सोचा 'जब गरीब ऐसा कर सकता है तो वह क्यों नहीं कर सकता?' उसने चोरों से कहा, 'आप लोग बैठो। मेरे पास जो कुछ है, वह मैं दिये देता हूँ।' उसने सब कुछ चोरों के सामने लाकर रख दिया। चोरों पर तो मानो घड़ो पानी पड़ गया। उनकी अन्तरात्मा जाग उठी। वे अमीर-गरीब का सारा माल छोड़कर वहाँ से चले गये और अपना धंधा त्यागकर माधु बन गये।

यह कहानी सुनाकर गांधी जी ने कहा, 'मैं हिंसा के मुख में अहिंसा को उसी तरह भोक देना चाहता हूँ।' आखिर कभी तो हिंसा की भूख शान्त होगी। अगर दुनिया को शान्ति से जीना है तो मेरी जानकारी में इसका दूसरा और कोई रास्ता नहीं है।'



## सकारात्मक अहिंसा पर आपत्तियाँ और उनका निराकरण

□ श्री कन्हैयालाल लोढ़ा

१. आपत्ति :—प्रवृत्ति रूप योग क्रिया कर्म की जनक है फिर वह दान, दया, परोपकार, सेवा व रक्षा करने रूप सद्प्रवृत्ति होती ही है और सद्प्रवृत्तियाँ कर्म बंध की ही हेतु हैं । कर्म बंध त्याज्य है, हेय है उपादेय नहीं ।

निराकरण :—यह ठीक है कि प्रवृत्ति क्रिया रूप होती है परन्तु सभी क्रियायें सकर्मक नहीं होती हैं, बहुत सी क्रियायें अकर्मक ही हैं । कर्म-बंध करने वाली क्रिया वह है जिस क्रिया के साथ कषाय व विषय-सुख रूप फल की आशा व इच्छा लगी हो, कर्ता भाव व भोक्ता भाव हो परन्तु जो क्रिया कर्मोदय से या निसर्गत स्वतः होती है जिसके साथ कर्ता व भोक्ता भाव नहीं होत, जो केवल दृष्टा व साक्षी भाव से होती है वह क्रिया बंध का कारण नहीं होती । जैसे अघाती कर्म की उदय रूप क्रियायें कर्म-बंध करने वाली नहीं होती । इसीलिए उन्हें अघाती कहा है । देश घाती भी नहीं कहा—उदाहरणार्थ वीतराग के निरन्तर मन-वचन-काया से क्रिया होती रहती है परन्तु उनके कर्म-बंध नहीं होता, भले ही वे श्वास ले, चले, प्रवचन दें ।

यही नहीं, वीतराग केवली द्वारा दया, दान, वात्सल्य आदि प्रवृत्तियाँ या क्रियायें भव्य-जीवों के निमित्त से स्वतः, सहज, स्वाभाविक रूप से होती रहती है, वे अनन्त दानी, जगत-वत्सल है परन्तु दया, दान आदि क्रियाओं से उनके बंध नहीं होता क्योंकि उनकी ये क्रियायें उसी प्रकार होती है जैसे ढोलक हाथ की थपकी के निमित्त से बोलने लगती है, उसमें करने का संकल्प नहीं होता । संकल्प पूर्वक की गई क्रिया कर्तृत्व भाव की द्योतक होती है तथा कर्म-बंध में हेतु होती है । आँख खोलते ही जगत् के अच्छे-बुरे सब पदार्थ दिखाई देते हैं, कान में इधर-उधर से शब्द सुनाई पड़ते रहते हैं परन्तु वस्तुयें दिखाई देने मात्र से या शब्द सुनाई पड़ने मात्र से कर्म-बंध नहीं होता है । कर्म-बंध होता है क्रिया के साथ रहे हुए संकल्प-विकल्प से, कर्तृत्व-भोक्तृत्व भाव से, राग-द्वेष-मोह कषाय से । कहा भी है—



सुख-दुःख दोनों वसत है, ज्ञानी के घट माहि ।  
गिरिसर दिसे मुकुर मे, भार भीजवो नाहि ॥

अर्थात् जैसे दर्पण में पर्वत और तालाव दोनों दिखाई देते हैं परन्तु दर्पण पर्वत से भारी नहीं होता और तालाव के जल से गीला नहीं होता। इसी प्रकार ज्ञानीजन के हृदय में सुख-दुःख रूप साता या असाता का वेदन (अनुभव) होता है परन्तु उन्हें उनके कारण से कर्म-बंध नहीं होता है। आशय यह है कि क्रिया बंध का कारण नहीं है। बंध का कारण उसके साथ रहा हुआ कषाय है। अतः सद्-प्रवृत्तियां त्याज्य या हेय नहीं हैं, कषाय हेय है।

२. आपत्ति :—सद् प्रवृत्तिया पुण्य रूप होती हैं और पुण्य बंध का कारण होने से मुक्ति में दया, दान आदि बाधक हैं।

निराकरण :—पुण्य को कर्म-बंध का कारण मानना भूल है, कारण कि कर्म की सत्ता (सत्व) तभी सम्भव है जब स्थिति बंध हो, स्थिति बंध के अभाव में कर्म-बंध सम्भव नहीं है। स्थिति बंध कषाय से होता है। कषाय कभी भी पुण्य रूप नहीं होता सदैव पाप रूप होता है अतः पुण्य मुक्ति-प्राप्ति में किसी रूप में बाधक नहीं है, प्रत्युत् मुक्ति-प्राप्ति में सहायक है। पुण्य के प्रकर्ष या उत्कर्ष से ही सम्यग्दर्शन की उपलब्धि होती है। पुण्य रूप विशुद्धि-लब्धि के बिना सम्यग्दर्शन हो ही नहीं सकता। सम्यग्दर्शन के बिना सम्यग्ज्ञान व सम्यक्चारित्र सम्भव ही नहीं है। सम्यग्दर्शन ज्ञान-चारित्र के अभाव में मुक्ति हो ही नहीं सकती। अतः पुण्य मुक्ति-प्राप्ति में साक्षात् व परम्परा कारण है।

यह नियम है कि पुण्य का क्षय किसी भी साधना से नहीं होता। साधना के दो मुख्य अंग हैं—संवर और निर्जरा। इन दोनों से पुण्य के अनुभाग का उत्कर्ष (वृद्धि) होता है, क्षय नहीं होता। पुण्य का यह उत्कृष्ट उदय सिद्ध अवस्था की प्राप्ति के अन्तिम क्षण तक रहता है। सिद्ध अवस्था प्राप्ति होने पर पुण्य स्वतः उसी प्रकार छूट जाता है जिस प्रकार यात्री के अपने गन्तव्य स्थल पर पहुँच कर अपने वाहन से उतरने पर वायुयान, रेल, कार आदि वाहन स्वतः छूट जाते हैं। उन्हें छोड़ने का प्रयत्न नहीं करना पड़ता और न वह यात्री इन्हें त्यागने का संकल्प ही करता है। सच तो यह है कि यात्री अपने वाहन की सहायता से ही गन्तव्य स्थल या लक्ष्य तक पहुँचता है। अतः सद् प्रवृत्तियां मुक्ति में सहायक हैं, लेण मात्र भी बाधक नहीं हैं।

यदि सद् प्रवृत्तियाँ मुक्ति में कहीं भी, किसी भी रूप में बाधक होती तो जैसे मुक्ति में बाधक पाप का त्याग किया जाता है वैसे ही दया, दान आदि सद् प्रवृत्तियों का भी त्याग किया जाता। परन्तु समस्त जैनागमों व उनकी टीकाओं में सद् प्रवृत्तियों या पुण्य के त्याग का न कोई पाठ ही आता है और न कोई उल्लेख ही। व्रत-ग्रहण पाप के त्याग का ही होता है पुण्य त्याग का व्रत नहीं लिया जाता।

जैनागमानुसार 'दुष्प्रवृत्ति' पाप व अधर्म है और सद् प्रवृत्ति पुण्य व धर्म है जैसा कि उत्तराध्ययन सूत्र के बीसवे अध्ययन की गाथा ३७ में कहा है—  
 "अप्पा मित्तममित्तं च दुपट्ठय-सुप्पाट्ठयो ।" अर्थात् आत्मा की दुष्प्रवृत्तियाँ अपनी गत्रु है और सद् प्रवृत्तियाँ अपनी मित्र है। जैन धर्म ग्रन्थों में कर्मों की सक्रमण प्रक्रिया का अति महत्त्वपूर्ण विस्तृत वर्णन है तदनुसार यह नियम है कि जब कोई प्राणी दुष्कर्म-पाप करता है तो उसके पूर्वोपाजित सत्ता में स्थित 'पुण्य-कर्म' पाप-कर्म में परिवर्तित हो जाते हैं। इसी प्रकार जब कोई सद्-प्रवृत्ति करता है तो उसके पूर्वोपाजित पाप कर्मों का स्थिति व अनुभाग बंध का अपवर्तन हो जाता है अर्थात् पाप कर्म घट जाता है, क्षय हो जाता है। साथ ही पाप कर्मों का पुण्य में रूपान्तरण हो जाता है, इसे वर्तमान मनोविज्ञान में उदात्तीकरण (Sublimation) कहा जाता है। इस प्रकार दया, दान, सेवा, परोपकार, अनुकम्पा, करुणा, वात्सल्य रूप सद् प्रवृत्तियों से पाप कर्मों का नियम से क्षय होता है व निर्जरा होती है। पाप के क्षय से 'मुक्ति' होती है। अतः दया, दान, वात्सल्य आदि सद् प्रवृत्तियाँ मुक्ति के साधन व सहायक हैं। इन्हें मुक्ति में बाधक मानना जैन धर्म का अपलाप करना है।

यदि पुण्य को किसी भी रूप में कोई हेय माने तो उसके लिए उसका पुण्य क्षय करना आवश्यक होगा और पुण्य का क्षय सवर-निर्जरा रूप साधना से तो होता नहीं। उल्टा उनसे पुण्य का उत्कर्ष ही होता है। पुण्य-क्षय करने का एक मात्र उपाय पाप-प्रवृत्ति रह जाता है। पाप प्रवृत्तिको पुण्य के क्षय के उपाय के रूप में ग्रहण करना मुक्ति में बाधक ही होगा।

यही नहीं पुण्य पूर्ण रूप से अघाती कर्म है अर्थात् इससे जीव के किसी भी निज गुण का लेशमात्र भी घात नहीं होता। जिससे जीव के किसी भी गुण को किंचित् भी हानि नहीं पहुँचती, उसे मुक्ति में बाधक मानना न युक्ति-युक्त है न उचित ही।

३. आपत्ति :—सद्प्रवृत्तियाँ पुण्य रूप होती हैं। पुण्य धर्म नहीं होता और धर्म के बिना मुक्ति नहीं मिलती।

**निराकरण :—**सद्प्रवृत्तियाँ पुण्य रूप भी होती हैं और धर्म रूप भी। यही नहीं पुण्य और धर्म सहचर है अतः जहाँ धर्म होगा वहाँ पुण्य होगा ही। पुण्यहीन कभी धर्मात्मा नहीं हो सकता। धर्म के साथ पुण्य उसी प्रकार जुड़ा हुआ है जैसे काया के साथ छाया। धर्म और पुण्य को अलग करके नहीं देखा जा सकता। कारण कि सद्प्रवृत्तियाँ रूप सद्गुणों के दो पहलू हैं— (१) भावात्मक और (२) क्रियात्मक। सद्प्रवृत्तियों का भावात्मक पक्ष है अपने राग-द्वेष, विषय-कषाय जन्य सुख का त्याग करना। त्याग में ही धर्म है अतः सद्प्रवृत्तियों का भावात्मक रूप धर्म है। सद्गुणों का क्रियात्मक रूप है दया, दान, सेवा, वात्सल्य आदि की प्रवृत्ति करना। इसी क्रियात्मक रूप को पुण्य कहा जाता है। ये दोनों पक्ष एक सिक्के के समान दो पहलू हैं जिन्हें एक-दूसरे से अलग करके नहीं देखा जा सकता। अतः जहाँ धर्म होगा वहाँ पुण्य होगा ही और जहाँ पुण्य होगा वहाँ धर्म होगा ही। क्योंकि पुण्य कहा ही उसे जाता है जो आत्मा को पवित्र करे और आत्मा को पवित्र करे, वही धर्म है। उसे अधर्म कदापि नहीं कहा जा सकता। इसीलिए जैनागम में दया, दान, करुणा, सेवा (वैयावृत्य), वात्सल्य आदि सद्प्रवृत्तियों को धर्म कहा है।

दान, दया आदि समस्त सद्प्रवृत्तियाँ सद्गुण हैं। सद्गुण स्वभाव होता है, विभाव नहीं। स्वभाव धर्म होता है अधर्म नहीं। यदि स्वभाव को ही धर्म न माना जाय तो धर्म का अभाव हो जायेगा।

४. आपत्ति :—दया, दान आदि सद्प्रवृत्तियों में एकेन्द्रिय व हलते-चलते जीवों की हिंसा होती है। हिंसा पाप है, कर्म बंध का कारण है। अतः सद्प्रवृत्तियाँ साधक के लिए त्याज्य हैं।

**निराकरण :—**पुण्य या धर्म रूप सद्प्रवृत्तियों से एकेन्द्रिय जीवों की जो मृत्यु होती है वह अनायास होती है। वह किसी भी प्रकार के आयाम या प्रयासपूर्वक की नहीं जाती है। हिंसा आदि पाप-बंध का कारण करण और योग ये दोनों हैं। इन दोनों के मिलने से पाप-बंध होता है, अकेले करण या अकेले योग से नहीं। अतः जिस प्रवृत्ति में करण और योग होते हैं वह पाप रूप व बंध का कारण होती है अन्यथा वह बंध का कारण नहीं बनती। यदि बिना करण (करना-कराना अनुमोदन) के ही बंध माना जाय तो वीतराग के भी श्राम लेने, चलने-फिरने, बैठने-उठने आदि प्रवृत्तियों व क्रियाओं में

वायुकाय आदि एकेन्द्रिय की व त्रसकाय की हिंसा होती रहती है अतः उनसे उनके भी कर्म-बंध होने चाहिए, परन्तु उनके बंध नहीं होता। क्योंकि जब तक किसी भी क्रिया के साथ कर्तृत्वभाव रूप करना, कराना व अनुमोदन रूप कारण न हो तब तक बंध सम्भव नहीं है।

अभिप्राय यह है कि दान, दया, सेवा आदि सद्प्रवृत्तियों में हिंसा करने, कराने व अनुमोदन का लेशमात्र भी भाव नहीं होता है अतः वह पाप रूप व कर्म बंध का कारण नहीं है। इसीलिए साधु द्वारा खाने-पीने, चलने-फिरने, श्वास लेने आदि क्रियाओं में त्रस-स्थावर जीवों की मृत्यु या हिंसा होने पर उनका हिंसा विरमण रूप अहिंसा महाव्रत तीन करण व तीन योग से माना गया है। उनके हिंसा के त्याग का व्रत भी तीन करण, तीन योग से होता है और स्थावर जीवों के मरने पर भी उनका अहिंसा महाव्रत खण्डित नहीं होता है। क्योंकि साधु व वीतरागी के द्वारा जीवों की हिंसा होती है पर वे हिंसा करते नहीं हैं। उनका लक्ष्य तो प्रत्येक प्रवृत्ति के साथ सर्व जीवों की रक्षा व हित का ही रहता है, किसी भी जीव की हिंसा व अहित करने का नहीं होता है। अतः सद्प्रवृत्तियों में हिंसा का पाप नहीं लगता व कर्म बंध नहीं होता है।

५. आपत्ति :—दान, दया आदि द्वारा जिस जीव की रक्षा की जाती है वह जीव वचकर भविष्य में संसार में पाप प्रवृत्ति करता है। इससे रक्षा करने वाला अनुमोदन रूप पाप का भागीदार होता है। पाप त्याज्य होता है। अतः दान, दया आदि से जीवों को रक्षा करना पाप है व त्याज्य है।

निराकरण :—उपर्युक्त युक्ति सर्वथा तथ्यहीन है। कारण कि रक्षा करने वाले का यह भाव कदापि नहीं होता कि यह जीव वचकर पाप करे। यदि किसी जीव के वचने पर उसके द्वारा आगे होने वाले पाप का कारण उसके रक्षक को माना जाय तो वीतरागी को छोड़कर शेष सब जीव पाप करते हैं। उसके माता-पिता, भाई-बहिन मित्र, परिजन आदि भी वचकर पाप करेंगे, यहां तक कि साधु भी दसवे गुणस्थान तक पाप कर्मों का बंध करता है अर्थात् पाप करता है। अतः अपने माता-पिता आदि परिजनों की सेवा करना व साधु को दान आदि देना उन्हें भूख-प्यास आदि से वचाना, पाप बंध का ही कारण होगा, अधर्म होगा। दूसरे शब्दों में कहे तो कोई किसी को भी वचाए तो उस वचाने वाले को पाप ही लगेगा। इस प्रकार दया, दान द्वारा किसी की भी सेवा करना, उसे भूख-प्यास से वचाना पाप का कारण होने से त्याज्य ही होगा।

इस मान्यता के अनुसार तो दया, दान आदि धर्म का ही लोप हो जाएगा। चारों ओर सर्वत्र घोर हिंसा, निर्दयता का साम्राज्य हो जाएगा और किसी भी प्राणी का जीवित रहना दूभर हो जाएगा। यहां तक कि किसी से स्वयं अपनी रक्षा, सहायता व सेवा करने की अपेक्षा करना भी पाप को बढ़ावा देने का ही कारण होगा जो घोर अमानवता, पशुता, दानवता है। कितने आश्चर्य की बात है कि पाप कोई दूसरा ही करे और उसका फल दूसरे व्यक्ति को बिना पाप किए ही मिले अर्थात् करे कोई भरे कोई, हत्या करे कोई और फांसी दूसरे को मिले। यह कर्म-सिद्धान्त व आगम के विपरीत तो है ही, साथ ही व्यवहार-विरुद्ध भी है। अतः सर्वथा त्याज्य है।

किसी भी जीव को बचाये जाने फल उस बचाये गए जीव का वचन है अर्थात् जीवित रहना है अतः जो लोग किसी जीव को बचाने में एकान्त पाप मानते हैं उनके लिए तो इतना ही कहना काफी होगा कि उनके सिद्धान्तानुसार किसी भी जीव का या उनका स्वयं बचा रहना, जीवित रहना भी पाप का ही फल है। अतः जो किसी जीव को बचाने—उसकी रक्षा करने में पाप मानते हैं, उन्हें स्वयं को बचे रहने का, जीवित रहने का अधिकार ही नहीं है। किसी मरते हुए जीव को भोजन, जल आदि देकर बचाने को या उसके दुःख को दूर करने की सेवा करने व सहायता पहुँचाने को पाप या त्याज्य मानना मानवता, व्यावहारिकता, बुद्धिमत्ता आदि सभी पक्षों से घोर विरुद्ध है, जिसका मानव-जीवन में कोई स्थान ही नहीं है।

उपर्युक्त मान्यता इसलिए भी तथ्यहीन है कि जीवों की रक्षा करने वाले की लेशमात्र भी यह भावना नहीं होती कि कोई जीव वचकर हिंसा, झूठ, चोरी, शोपण आदि दुष्प्रवृत्तियां करे व राग-द्वेष, कपाय, मोह का सेवन करे क्योंकि वह तो स्वयं ही इन दुष्प्रवृत्तियों व पापों को बुरा समझता है तथा इनके त्यागने में अपना हित मानता है। यह नियम है कि जो जिसे बुरा समझता है उसकी भावना सदैव यही रहती है कि वह बचने वाला प्राणी या व्यक्ति भी इन दुष्प्रवृत्तियों व बुराइयों से बचकर अपना हित करे। पाप का अनुमोदन तो तब होता है जब पाप कर्म या क्रिया को अच्छा समझा जाय। अतः सद्प्रवृत्तियों से पाप का अनुमोदन होता है, यह मानना भूल है।

६. आपत्ति :—सकारात्मक अहिंसा के विरोध में एक युक्ति यह भी दी जाती है कि जीव “जीव” है, सभी जीव ममान हैं। अतः किसी भी जीव

को मारा जाय, उसका पाप समान ही लगेगा भिन्न नहीं । अतः एक जीव को बचाने के लिए असंख्यात-अनन्त निरपराध जीवों की हिंसा करना कहा तक उचित व न्यायसंगत है ?

**निराकरण :—**इस सम्बन्ध में यह कहना होगा कि “सब जीवों को या किसी भी जीव को मारने से समान पाप लगता है, यह मान्यता भूल भरी है । कारण कि पृथ्वीकाय के एक कण में, जलकाय की एक बूद में असंख्यात जीव होते हैं और वनस्पतिकाय व निगोद में सूई के अग्र भाग से असंख्यात व अनन्त जीव होते हैं । अतः हमारे व वीतराग के प्रत्येक श्वास से असंख्यात वायुकाय के जीवों की हत्या हो रही है, जल की एक घूट में, वनस्पति उपयोग में असंख्यात अनन्त जीवों का प्राणान्त हो रहा है । इन जीवों में से प्रत्येक जीव की हिंसा को मनुष्य की हत्या के समान माना जाय तो हम प्रति क्षण असंख्यात मनुष्यों की हत्या का पाप कर रहे हैं जो विद्यमान समस्त मनुष्यों की संख्या से असंख्यात गुणे है । उपर्युक्त मान्यता के अनुसार कोई इन सब मनुष्यों की हत्या भी कर दे तो यह हत्या का पाप एक घूट के जलकाय के जीवों की हत्या से कम ही होगा । महाभारत जैसे हजारों-लाखों युद्धों की हत्या का पाप भी एक श्वास लेने में मरे जीवों से कम ही होगा । इस मान्यता के फलस्वरूप अपने स्वार्थ के लिए हजारों मनुष्यों की हत्या करने में भी संकोच नहीं होगा कारण कि उसका पाप एक घूट जल के पाप से कम ही होगा । अतः यह मान्यता भयंकर हत्या को प्रोत्साहन देने वाली तथा अनाचार-अत्याचार की पोषक है ।

अतः उपर्युक्त मान्यताओं को मानना आगम, कर्म-सिद्धान्त, व्यवहार, संविधान, न्याय-नीति-नियम व युक्ति आदि से विरुद्ध ही है व अहिंसा का उपहास ही है । अतः यह मान्यता सर्वथा आधारहीन, विचारहीन और कपोल-कल्पित ही है । प्राचीन काल में “हस्तितापस” नाम का एक पंथ था जो इसी मान्यता को स्वीकार करता था । इस पंथ के अनुयायी अनेक व असंख्य जीवों की हिंसा से बचने के लिए एक हाथों को मारकर लम्बे समय तक उसे खाते रहते थे और अपने को अहिंसक मानते थे तथा इस मत या सिद्धान्त को नहीं मानने वालों को हिंसक मानते थे ।

वास्तविकता तो यह है कि जीव तो अजर-अमर-अविनाशी हैं अतः जीव का विनाश होता ही नहीं । विनाश होता है—कान, नयन, नाक आदि इन्द्रियों व तन-मन-वचन आदि प्राण शक्तियों का । इसीलिए जैनागमों हिंसा के स्थान पर प्राणातिपात अर्थात् प्राणों का हनन करना जन्म

है और अणुव्रत या महाव्रत की प्रतिज्ञा भी प्राणातिपात विरमण की ही ली जाती है जो सार्थक व उचित ही है। यह नियम है कि जिस जीव में जितनी अधिक प्राण शक्ति है वह उतना ही अधिक विकसित प्राणी है। उसके हनन में उतना ही अधिक प्राणातिपात (हिंसा) है। एकेन्द्रिय जीव वनस्पति आदि से द्वीन्द्रिय जीव लट, केचुआ आदि की प्राण शक्ति (संवेदनशीलता) अनन्तगुणी है इसीलिए इन्हें एकेन्द्रिय से अनन्तगुणा पुण्यवान माना है। अतः इनकी हिंसा में एकेन्द्रिय जीव के प्राणातिपात से अनन्तगुण प्राणातिपात होता है—हिंसा होती है, पाप होता है।

इसी प्रकार द्वीन्द्रिय से तेइन्द्रिय चीटी आदि, तेइन्द्रिय से चउन्द्रिय मक्खी, मच्छर आदि और चउइन्द्रिय से पंचेन्द्रिय पशु-पक्षी-मनुष्य आदि क्रमशः अनन्त-अनन्त गुणी अधिक प्राण शक्ति वाले हैं, पुण्यात्मा हैं। अतः उनके हनन में क्रमशः अनन्त-अनन्त गुणा अधिक प्राणातिपात है, अनन्त-अनन्त गुणी अधिक हिंसा होती है या पाप लगता है। अतः सब जीवों के मारने में समान पाप लगता है, समान हिंसा है, यह भयंकर भूल है।

इसी प्रकार एकेन्द्रिय से पंचेन्द्रिय तक ऊपर दिए गए क्रम में जीवों की रक्षा करने, दया करने में क्रमशः अनन्त-अनन्त गुणा धर्म व पुण्य है। अतः पशु-पक्षी, मनुष्य आदि पंचेन्द्रिय प्राणियों को अन्न-जल देकर भूख-प्यास से मरने से बचाने व रक्षा करने, इनकी सेवा करने में अनन्त गुणा धर्म व पुण्य है और इनके मारने में अनन्त गुणा पाप व अधर्म है। यदि इनकी रक्षा या सेवा में पाप या हिंसा मानना धर्म को अधर्म मानना है, पुण्य को पाप मानना है जो घोर मिथ्यात्व रूप पाप है।

तात्पर्य यह है कि सब जीवों के मारने में समान पाप या हिंसा नहीं है। बल्कि जो प्राणी जितना अधिक प्राणवान है उसके हनन में उतना ही अधिक प्राणातिपात है, हिंसा है, पाप है, आत्म-पतन है और उसकी रक्षा में, दया में सहायता में उतना ही अधिक धर्म है, पुण्य है, आत्मा का उत्थान है।

७. आपत्ति :—कोई जीव किसी दूसरे जीव को कष्ट दे रहा है या मार रहा है तो ऐसी स्थिति में जिसे कष्ट दिया जा रहा है—मारा जा रहा है उसे बचाने से जो जीव अपने सुख के लिए उसे कष्ट दे रहा है, मार रहा है उस जीव को आघात लगता है, दुःख होता है। अतः यह हिंसा है।

**निराकरण :—**इस सम्बन्ध में विचारने से ऐसा लगता है कि किसी जीव को कष्ट होना हिंसा नहीं है। जैसे एक डॉक्टर पेट का ऑपरेशन करने के लिए किसी रोगी का पेट छुरी से काटता है और एक डाकू धन लूटने के लिए किसी व्यक्ति के पेट में छुरा घोंपता है, बाहरी दृष्टि से दोनों घटनाएँ एक सी हैं, दोनों का काम एकसा है परन्तु आन्तरिक दृष्टि में बहुत अन्तर है। डॉक्टर द्वारा छुरे से रोगी का पेट चीरना और उससे रोगी को कष्ट होना या मर जाना, हिंसा नहीं कही जा सकती। कारण कि डॉक्टर की भावना रोगी के हित की होती है और डाकू द्वारा व्यक्ति का पेट चीरना हिंसा है क्योंकि डाकू की भावना व्यक्ति का हित करने की नहीं अहित करने की है। किसी प्राणी के हित के लिए किया गया कार्य मैत्री है, सेवा है, दया व अहिंसा है अतः पेट में छुरा घोंपने का डॉक्टर का कार्य हितकारक होने से अहिंसा व दया है तथा डाकू का कार्य अहित का हेतु।

**८. आपत्ति :—**कोई व्यक्ति किसी जीव को मार रहा है उससे उस मरने वाले जीव को बचाया जाता है तो जिस जीव को बचाया जाता है उसके प्रति राग और मारने वाले व्यक्ति के प्रति द्वेष उत्पन्न होता है और राग-द्वेष पाप है। अतः किसी जीव को बचाने का कार्य पाप है, पाप से बचने में ही धर्म है।

**निराकरण :—**कोई जीव किसी दूसरे जीव को मार रहा है तो मरते हुए जीव को बचाने में न तो जिस जीव को बचाया जा रहा है उसके प्रति राग है और न जिससे बचाया जा रहा है उसके प्रति द्वेष है। बल्कि दोनों ही के प्रति हित की भावना है अर्थात् मैत्री भावना है, वात्सल्य भाव है। कारण कि राग-द्वेष या कषाय वहा ही होता है जहाँ विषय-सुख के भोग रूप स्वार्थ भाव हो। अपने इन्द्रिय विषय के सुख भोग के लिए किसी व्यक्ति, वस्तु आदि के प्रति आकर्षण होना राग है और राग की पूर्ति में बाधा पहुँचने में रोष का उत्पन्न होना द्वेष है। राग-द्वेष मोह या कषाय की उत्पत्ति भोग की इच्छा व स्वार्थपरता से ही होती है। किसी जीव को बचाने में राग-द्वेष व हिंसा नहीं होती है। राग तो तब होता है जब जिस जीव को बचाया जा रहा है उससे सुख भोगने की व किसी स्वार्थ पूर्ति की इच्छा होती है और द्वेष तब होता है जब जीव घातक हत्यारे के प्रति अहित की भावना होती है। बचाने वाले के किसी प्रकार का स्वार्थ न होने से हृदय में दोनों ही नहीं होते, वह तो दोनों ही का हित चाहता है। उमकी भावना किसी



को भी कष्ट देने की, आघात पहुँचाने की, अहित करने की नहीं होती है। सभी का भला या हित करने की होती है। उसका सब के प्रति मैत्री भाव होता है।

यथार्थता तो यह है कि मरते हुए जीव को बचाने वाले के हृदय में जो उस जीव को मार रहा है उसके प्रति द्वेष नहीं होता है। यदि उसके प्रति द्वेष होता तो जीव को कोई अन्य व्यक्ति उसे मारे या कष्ट पहुँचाये तो उसे बचाने की भावना नहीं होती परन्तु दयावान् व्यक्ति उसे भी मरने व कष्ट से बचाने का पूरा प्रयत्न करता है। इसी प्रकार जिस जीव को बचाया गया है यदि उसके प्रति राग होता तो वह बचाया गया जीव अन्य किसी जीव को मारता है या कष्ट पहुँचाता है तो उसकी इच्छा पूरी करने दी जाती परन्तु दयावान् व्यक्ति उसे भी ऐसा करने से रोकता है। अतः दयावान् व्यक्ति के हृदय में मारने वाले व मरने वाले प्राणियों के प्रति राग-द्वेष नहीं होता है क्योंकि प्रथम तो वह दोनों से अपना विषय कषायजन्य सुख नहीं चाहता है दूसरा उसकी दोनों के प्रति हित की मैत्री भावना होती है। इस प्रकार हिंसक को हिंसा करने से बचाने में न तो जिसकी हिंसा की जा रही है उसी का अहित है और न जो हिंसा कर रहा है उसका अहित है और न बचाने वाले का अहित है प्रत्युत् सभी का हित है, सभी का भला है, लाभ है, अहित या हानि किसी की भी लेशमात्र भी नहीं है। किसी जीव को हिंसा, भूठ, चोरी, राग, द्वेष, विषय, कषाय आदि दुष्प्रवृत्तियों से, पापों से बचाने में किसी का भी अहित नहीं है। जिसमें सभी का हित है, वह अहिंसा है। उसे हिंसा मानना भयकर भूल है। उसमें सभी का कल्याण है।

६. आपत्ति —दया, दान आदि सद्प्रवृत्तियों में दूसरों की रक्षा करने का संकल्प होता है और सकल्प की पूर्ति न होने पर विकल्प होता है। सकल्प-विकल्प कर्म-बन्धन का कारण है। कर्म-बन्ध बुरा व त्याज्य होता है।

निराकरण —उपर्युक्त मान्यता निराधार है। क्योंकि यह मान्यता सकल्प और विचार या कामना व भावना का भेद न समझने का परिणाम है। सकल्प उसे कहा जाता है जिसमें अपने भोग के सुख पाने रूप फल प्राप्ति की, स्वार्थ पूर्ति की कामना या इच्छा हो और बुद्धि के द्वारा चिन्तन करना विचार या भाव है। विचार या भाव दो प्रकार का है—(१) विभाव

रूप और (२) स्वभाव रूप । बुद्धि द्वारा भोग प्राप्ति का व विषय-कषाय का चिन्तन करना विभाव रूप विचार है जो विकार व सकल्प का द्योतक है । इस सकल्प की पूर्ति न होने पर विकल्प पैदा होते है । ऐसा सकल्प-विकल्प आर्तध्यान है और कर्म बंध का कारण होने से त्याज्य है ।

बुद्धि द्वारा अपने हित व कल्याण का विचार या चिन्तन करना 'ज्ञान' है सकल्प नहीं और अपने हित व कल्याण के लिए दया, दान आदि सद्-प्रवृत्तियों, रूप आचरण करना चारित्र्य है । ज्ञान-चारित्र्य से कर्म की निर्जरा होती है, बंध नहीं । इन्हे संकल्प-विकल्प मानना अज्ञान है ।

दया, दान, करुणा, अनुकम्पा, वात्सल्य आदि भाव स्वभाव रूप है । यह नियम है कि स्वभाव में सकल्प नहीं होता, विभाव में ही संकल्प-विकल्प होता है जो आर्तध्यान रौद्रध्यान का द्योतक है । मैत्री, प्रमोद, करुणा आदि भाव तथा अनित्व, अशरण आदि अनुप्रेक्षायें चिन्तन व तद्गुरूप आचरण, समय व धर्मध्यान है जो कर्म क्षय का हेतु है ।

तात्पर्य यह है कि दया, दान, मैत्री आदि सद्प्रवृत्तियों व सद्गुणों में स्वभाव रूप होने से व इनमें विषय-कषाय रूप भोग की भावना न होने से ये संकल्प व विकल्प नहीं होते । प्रत्युत विवेकमय विचार रूप ज्ञान तथा चारित्र्य रूप धर्म होता है । जो मुक्ति प्राप्ति में सहायक होता है, बाधक नहीं । सकल्प में राग, स्वार्थपरता व भोगेच्छा होती है और सद्प्रवृत्तियों में मैत्री-वात्सल्य भाव, स्वार्थ-त्याग व सर्व हितकारी भावना होती है । उसे राग-द्वेष रूप संकल्प-विकल्प मानना व बंध का कारण मानना भूल है ।

१० आपत्ति :—वर्तमान में एक युक्ति यह भी दी जाती है कि जीव संयमयापन करके तथा दया, दान आदि सद्प्रवृत्तियों करके अनन्त वार नव-गैवेयक देवलोक में चला गया परन्तु मुक्ति में नहीं गया । इसका कारण यह है कि जैसे हिंसा, भूठ आदि पाप प्रवृत्तियों को मुक्ति-प्राप्ति में बाधक समझ कर त्याग किया उसी प्रकार सद्प्रवृत्तियों को, पुण्य कार्यों को, पुण्य कर्मों को मुक्ति में बाधक न माना । इसी मिथ्यात्व के कारण वह जीव नवगैवेयक में आगे मुक्ति की ओर बढ़ने से रुका रहा । मुक्ति का बाधक कारण पुण्य कर्मों का न त्यागना ही है ।

**निराकरण :—**जैनागम के अनुसार पाप उसे कहा जाता है जिससे आत्मा का पतन हो, आत्मा अपवित्र हो, आत्मा को असाता का वेदन हो और पुण्य उसे कहा जाता है जिससे आत्मा का उत्थान हो, आत्मा पवित्र हो, आत्मा को साता का वेदन हो, दुःख उपशान्त हो । जिससे आत्मा पवित्र हो, आत्मा का उत्थान हो, उसे मुक्ति में बाधक मानना जैनागमों का घोर अपमान व अनादर है । जैन धर्म व कर्म सिद्धान्तानुसार पुण्य से पाप कर्मों का क्षय होता है, संयम, त्याग, तप रूप शुद्धोपयोग, अनुकम्पा से पुण्य का उपार्जन नियम से होता है । यदि पुण्य के उपार्जन को मुक्ति में बाधक माना जाय तो संयम, त्याग, तप रूप शुद्धोपयोग व अनुकम्पा से मुक्ति माननी होगी । पुण्य कर्म से मुक्ति पाने के लिए संयम, त्याग, तप रूप शुद्धोपयोग को त्यागना होगा । संयम, त्याग, तप, शुद्धोपयोग को ही जैनागम में मुक्ति का साधन कहा है ।

अतः पुण्य मुक्ति में बाधक है यह मान्यता जैनागम और कर्म-सिद्धान्त से विपरीत है, घोर मिथ्यात्व है । कर्म सिद्धान्तानुसार जब साधक क्षपक श्रेणी की साधना कर केवल ज्ञान, केवल दर्शन प्राप्त करता है उसी समय पुण्य के अनुभाग का उत्कृष्ट बंध होता है जो मुक्ति प्राप्ति के पूर्व अन्तिम क्षण तक उत्कृष्ट ही रहता है, उसमें अंश मात्र भी कमी नहीं होती है कारण कि संयम, त्याग, तप, शुद्धोपयोग वीतराग भाव से तो पुण्य का उपार्जन होता है, क्षय होता ही नहीं है । पुण्य का क्षय सबलेश भाव पाप प्रवृत्ति से ही होता है और वीतराग के सबलेश भाव ही नहीं । मुक्ति प्राप्ति के समय इससे पहले भी पाप कर्मों की स्थिति के क्षय के साथ पुण्य कर्मों की स्थिति का क्षय स्वतः होता जाता है । स्थिति का क्षय ही कर्म का क्षय है । पुण्य कर्मों की स्थिति के क्षय के लिए साधक को किसी प्रकार का पुरुषार्थ व प्रयत्न नहीं करना होता है । अतः पुण्य को दया, दान, करुणा, वात्सल्य भाव आदि सद्प्रवृत्तियों को मुक्ति में बाधक मानना जैनागम व कर्म सिद्धान्त के घोर विरुद्ध है, महा मिथ्यात्व है ।

यह सर्वमान्य तथ्य है, आगम सम्मन सिद्धान्त है कि राग-द्वेष रूप कषाय ही कर्म का बीज है, कर्म के बंध का कारण है । राग-द्वेष कषाय के मोहनीय कर्म के ही रूप हैं । मोहनीय कर्म की कोई भी प्रकृति पुण्य रूप नहीं है । सभी प्रकृतियाँ पाप रूप ही हैं । देव, गुरु धर्म के श्रवण-मनन आदि से जो प्रमत्तता होती है वह राग नहीं, प्रमोद है, गुणीजनों को

देखकर हृदय में जो प्रेम उमड़ता है वह राग नहीं, मैत्री भाव व वात्सल्य है।

दुखियों को देखकर हृदय द्रवित होता है वह भी राग नहीं, करुणा भाव है। उनके दुख दूर करने के लिए उनकी सहायता, सेवा करना अनुकम्पा है। मैत्री, प्रमोद, करुणा, अनुकम्पा, वात्सल्य भाव जीव का स्वभाव है। इसीलिए जैनागमो मे इन्हे सवर मे ग्रहण किया गया है। संवर से, शुभ भाव से कर्म क्षय होते हैं, कर्म बंधते नहीं है। कर्म बंध का कारण मैत्री, प्रमोद, करुणा, अनुकम्पा आदि भाव व दया, दान, सेवा, परोपकार आदि सद्प्रवृत्तियाँ नहीं है। प्रत्युत् इनके साथ रहा हुआ कषाय भाव है। मैत्री, प्रमोद, करुणा आदि भावों दया, दान, सेवा आदि सद्प्रवृत्तियों को कर्म-बंध का व संसारभ्रमण का कारण मानना, स्वभाव को कर्मबंध व संसार परिभ्रमण का कारण मानना है जो जैनागम के विरुद्ध है तथा घोर मिथ्यात्व है। सारांश यह है कि हिंसा, भूठ आदि पाप प्रवृत्तियाँ असयम ही संसार-भ्रमण के कारण है, दया, दान आदि सद्प्रवृत्तियाँ नहीं।

पहले कह आए हैं कि अनुकम्पा, वात्सल्य, मैत्री, मृदुता आदि भाव स्वभाव है अतः धर्म है, स्वभाव असीम व अनन्त होता है। वोतराग केवल ज्ञानी के दान, लाभ आदि को अनन्त कहा है। यह कथन भावात्मक है। परन्तु इनका प्रवृत्तिपरक क्रियात्मक रूप शरीर, वस्तु, परिस्थिति आदि पर निर्भर करता है, अतः सीमित होता है। यह क्रियात्मक रूप, अनुकम्पा, करुणा आदि भावों को पुष्ट करता है, राग को गलाता है। अतः प्रवृत्ति साधन रूप है साध्य रूप नहीं। क्योंकि साध्य असीम व अनन्त होता है जबकि प्रवृत्ति का अन्त होता है अतः प्रवृत्ति साध्य न होकर साधन है।

दया, दान, करुणा के क्रियात्मक रूप साधन को साध्य मान लेने पर इन क्रियाओं के प्रति कर्तृत्व भाव व फल की आशा रूप राग पैदा होता है, जिससे इन सद्प्रवृत्तियों की पूर्ति मे बाधक बनने वाले के प्रति द्वेष एव सहायक बनने वाले के प्रति राग होता है जो साधक को लोकातीत व भावातीत नहीं होने देता। अतः सद्प्रवृत्तियों राग-द्वेष उत्पत्ति की कारण न बन जाय, साधक को इसके लिए सदैव सजग रहना आवश्यक है। तात्पर्य यह है कि दया, दान आदि सद्प्रवृत्तियाँ पुण्य मुक्ति में बाधक नहीं है, बाधक है उनके साथ रहा हुआ राग-द्वेष आदि दोष व पाप।

११. आपत्ति :—किसी एक क्रिया के दो फल नहीं हो सकते इसे सिद्धत मान कर कुछ लोग सेवा, परोपकार, दया, अनुकम्पा, वात्सल्य आदि सद्प्रवृत्ति रूप सकारात्मक अहिंसा पर यह आपत्ति करते हैं कि प्यासे प्राणी को पानी पिलाने, भूखे को भोजन कराने, रोगी की चिकित्सा करने आदि सेवा कार्यों में जलकाय, अग्निकाय, वायुकाय, वनस्पतिकाय आदि के असंख्य-अनन्त जीवों की हिंसा होती है। अतः ये सेवा कार्य हिंसा हैं, पाप है, अधर्म हैं, असंयम हैं, कर्मबंध के हेतु हैं और एक कार्य के हिंसा और अहिंसा ये दो विरोधी फल न होने से ये सेवा कार्य पुण्य, धर्म, सयम व कर्मक्षय के हेतु नहीं हो सकते।

निराकरण :—यहाँ सर्व प्रथम यह विचार करना है कि एक क्रिया के दो फल नहीं होते, इस सिद्धान्त में कितना तथ्य है ?

प्राणी मात्र कोई न कोई क्रिया निरन्तर करता रहता है अतः निरन्तर कर्म का बंध होता रहता है। यह कर्म बंध पाप व पुण्य दो प्रकार से हो रहा है। प्रति समय जानावरणीय, मोहनोय आदि कर्मों की पाप प्रवृत्तियों का एव अगुरुलघु, निर्माण, तेजस, कामण शरीर आदि पुण्य प्रवृत्तियों का बंध व उदय निरन्तर हो रहा है। अर्थात् प्राणी की प्रत्येक प्रवृत्ति से पुण्य और पाप ये दोनों फल निरन्तर हो रहे हैं। साथ ही उदय में आए कर्मों का क्षय व नवीन कर्मों का बंध ये दोनों फल भी सदैव हो रहे हैं तथा कपाय में कमी रूप विशुद्ध भाव (पुण्य) से पूर्व संचित कर्मों का क्षय होकर उनकी स्थिति में कमी होती ही है और जितना कपाय उदय रूप है उससे कर्म बंध भी होता ही है। श्रावक के सयमासयम गुणस्थानक होता है अर्थात् ब्रती श्रावक के सयम और असयम दोनों युगपत् होते हैं।

दशवे गुणस्थानक तक साधुओं के जानावरणीय, दर्शनावरणीय आदि पाप प्रवृत्तियों का कर्म बंध निरन्तर होता है तथा श्वास लेने से साधक के वायुकाय के जीवों की हिंसा भी निरन्तर हो रही है। अतः एक क्रिया के दो फल न होने के सिद्धान्त के अनुसार दशवे गुणस्थान तक पाप होने से पुण्य, धर्म नहीं हो सकता, हिंसा होने से अहिंसा, सयम नहीं हो सकता, कर्म क्षय, कर्म बंध होने से नहीं हो सकता। जबकि जैनागम में साधु के अहिंसा, सयम पुण्य, धर्म क्षय होना माना है। अतः एक क्रिया के दो फल नहीं होते हैं, यह सिद्धान्त, कर्म

सिद्धान्त व आगम विरुद्ध है और यह मानना कि किसी भूखे-प्यासे को भोजन कराना है। जहाँ हिंसा है वहाँ अहिंसा नहीं हो सकती। इस प्रकार का तर्क या युक्ति व मान्यता स्याद्वाद व विज्ञान के विरुद्ध है। कारण कि जैसे सर्दी-गर्मी, लाभ-हानि आदि विरोधी गुण कहे जाते हैं परन्तु वास्तव में ये सर्दी-गर्मी दोनों विरोधी न होकर सापेक्ष है और एक तापमान गुण के अंकन के दो रूप हैं। कारण कि तापमान की प्रत्येक डिग्री सर्दी-गर्मी युक्त है अर्थात् उस डिग्री से नीचे की डिग्री की अपेक्षा गर्म है और उस डिग्री से अधिक उच्च डिग्री की अपेक्षा सर्द है। अतः तापमान की प्रत्येक अवस्था या स्थिति सर्दी-गर्मी रूप है।

इसी प्रकार प्राणी की प्रत्येक क्रिया हिंसा-अहिंसा युक्त होती है। उसके श्वास लेने, खाने-पीने, हिलने-चलने आदि क्रियाओं में वायुकाय व अन्य असंख्य जीवों की हिंसा निरन्तर होती रहती है। कोई जीव एक क्षण मात्र भी हिंसा रहित नहीं है तथा वह जगत् के श्रेष्ठ अनन्त जीवों की हिंसा नहीं कर रहा है, अतः अहिंसक भी है। यह नियम है कि कोई भी पूर्ण हिंसक नहीं हो सकता। अहिंसा की कमी ही हिंसा है, हिंसा स्वतन्त्र अस्तित्व नहीं है। अतः सर्दी-गर्मी की तरह हिंसा-अहिंसा भी सापेक्ष है, विरोधी नहीं। दोनों सदैव साथ ही रहते हैं, यही कारण है कि पाप के साथ पुण्य का वध सदैव होता रहता है और साथ ही कर्मों की नैसर्गिक (अकाम) निर्जरा भी सदैव होती रहती है, इस प्रकार छद्मस्थ जीव (सरागी) की प्रत्येक क्रिया पाप, पुण्य, वध और निर्जरा युक्त ही होती है। पुण्य कपाय की मंदता या आत्म विशुद्धि का द्योतक है। कषाय की कमी या मंदता रूप आत्म विशुद्धि धर्म है। अतः प्रत्येक क्रिया के साथ धर्म भी सदैव होता रहता है। वस्तुतः धर्म-अधर्म, सर्दी-गर्मा की तरह सापेक्ष है विरोधी नहीं। धर्म की कमी अधर्म है। अधर्म का स्वतन्त्र अस्तित्व नहीं है। प्राणी की प्रत्येक क्रिया आंशिक हिंसा और आंशिक अहिंसा युक्त होती है। अतः जितने अंशों में वह अहिंसक है उतने अंशों में धर्म है और जितने अंशों में हिंसक है उतना अधर्म है। अतः यह मान्यता कि जहाँ हिंसा है वहाँ अहिंसा नहीं हो सकती तथ्य हीन है। इसी प्रकार अशुभ योग और शुभ योग भी सापेक्ष है, विरोधी नहीं। दूसरे शब्दों में पुण्य-पाप भी सापेक्ष है। यही कारण है कि हर क्रिया में पाप-पुण्य तथा निर्जरा-वध होता रहता है।

यही नहीं कर्मों का उत्कर्षण-अपकर्षण ये दोनों भी सभी प्राणियों में वीनराग केवली के भी सदा होते रहते हैं। तात्पर्य यह है कि

पुण्य-पाप, धर्म-धर्म, गुण-दोष सापेक्ष हैं । इनमें से एक की कमी दूसरे की वृद्धि हो और ये सभी संसारी प्राणियों में न्यूनाधिक रूप से सदैव विद्यमान रहते हैं । इन्हें विरोधी समझ कर इनका आत्यंतिक अभाव मानना भ्रान्ति है ।

—अधिष्ठाता, श्री जैन सिद्धान्त शिक्षण संस्थान  
ए-६, महावीर उद्यान पथ, बजाज नगर, जयपुर-१७

• □ •

## जिनवाणी की ज्योति

□ वर्षा सिंह

जिनवाणी की ज्योति जगा ले ।  
जीवन अपना सफल बना ले ॥  
यह जग माया-जाल रे, प्राणी ।  
माया से तू पांव बचा ले ॥  
धर्म-ध्वजा की छांह बैठ कर ।  
चिन्तन की तू मधुर हवा ले ॥  
जिन का नाम हृदय से जप कर ।  
सारी पीड़ा-कष्ट मिटा ले ॥  
ध्यान-मग्न हो प्रभु-चरणों में ।  
अग-जग की सब व्यथा भुला ले ॥  
उच्च विचारों की मणियों से ।  
मन-प्रागन के ठौर सजा ले ॥  
'वर्षा' करुणा के सिचन से ।  
प्रीति-शान्ति के फूल खिला ले ॥

—एफ-३६, एम. पी. ई. वी. कॉलोनी  
मकरोनिया, सागर-४७०००४ (म. प्र.)

द्वितीय खण्ड

अहिंसा व्यवहार







## हिंसा : कारण और प्रयोजन

□ स्वर्गीय युवाचार्य श्री मधुकर मुनि

जब हम अहिंसा के सम्बन्ध में कुछ और अधिक गहराई से विचार करते हैं तो अनेक प्रश्न उत्पन्न हो जाते हैं, जैसे—अहिंसा सभी तरह से कल्याणप्रद होने पर भी प्राणी अहिंसापालन के लिए क्यों प्रयत्नशील नहीं होता है तथा आत्मा को आत्मा में पाने के लिए क्यों लालायित नहीं होता? तो इसका एकमात्र कारण यही दीखता है कि प्राणी प्रमाद और कामभोगों में तीव्र आसक्ति के कारण ज्ञात या अज्ञातरूप में हिंसा की ओर आकृष्ट होता है।

प्रारम्भ में हम बता चुके हैं कि हिंसा का मूल कारण आत्मा की प्रमाद वृत्ति है। कषाय और विषय-वासना से प्रेरित होकर व्यक्ति दूसरे जीवों की हिंसा करता है।

हिंसा का मूल कारण प्रमादाचरण होते हुए भी, अज्ञान, मोह, स्वार्थ आदि भी हिंसा के प्रेरक हैं। कभी मनुष्य अपने स्वार्थवश हिंसा करता है, तो कभी अज्ञान या भूल से भी किसी का घात कर डालता है। कभी सप्रयोजन और कभी निष्प्रयोजन भी हिंसा कर देता है। इस प्रकार हिंसा के कारण व प्रयोजन अनेक तरह के हो जाते हैं।

भगवान् महावीर ने हिंसा के निमित्त कारणों का विवेचन करते हुए पांच कारण बताये हैं—

(१) अर्थदण्ड, (२) अनर्थदण्ड, (३) हिंसादण्ड, (४) अकस्मात् दण्ड, और (५) विपर्यासदण्ड।<sup>१</sup>

(१) अर्थदण्ड—अपने लिए, अपनी जाति, मित्र, घर आदि के प्रयोजन-वश हिंसा करना, उस हिंसा को अच्छा समझना और दूसरों के द्वारा भी उनके निमित्त हिंसा करवाना अर्थदण्ड है।

(२) अनर्थदण्ड—विना प्रयोजन के कुतूहल आदि के लिए प्राणियों को मारना, क्लेश पहुँचाना, अंग-भंग करना, अनर्थदण्ड है। जिस प्रवृत्ति से न अपने शरीर की रक्षा होती है, न परिवार, कुटुम्ब, मित्र आदि का भी कार्य से प्रयोजन हो, किन्तु मन में तरंग आई और प्राणियों का भाव या करवा दिया—यह अनर्थदण्ड माना गया है।

१ स्थानागसूत्र ५ [दण्ड का अर्थ है—हिंसा]

(३) हिंसादण्ड—आशका मात्र से किसी की हत्या कर देना हिंसा दण्ड है। बहुत-से व्यक्ति दूसरे प्राणियों को इस आशंका से मार डालते हैं कि यह जोवित रहकर मुझे मार डालेगा<sup>१</sup>, दूसरो का घात करेगा या मुझे हानि पहुँचायेगा—इस प्रकार आशका मात्र से हिंसा में प्रवृत्ति करना हिंसा दण्ड माना गया है।

(४) अकस्मात्दण्ड—घात करने के लिए शस्त्रादि का प्रयोग तो किया गया किसी दूसरे प्राणी पर और प्राणवध हो गया किसी दूसरे प्राणी का। इसे 'अकस्मात्-दण्ड' कहते हैं। क्योंकि घातक प्राणी का विचार तो किसी अन्य प्राणी की हिंसा का होता है, लेकिन अचानक अन्य प्राणी की घात हो जाती है। जैसे राजा दशरथ द्वारा श्रवणकुमार के माता-पिता का हिरन के बदले हनन हो जाना। अचानक एक के बदले दूसरे की हिंसा हो जाना 'अकस्मात् दण्ड' है।

(५) दृष्टि-विपर्यास दण्ड—अन्य प्राणी के भ्रम से अन्य प्राणी को दण्ड देना दृष्टि-विपर्यास दण्ड है। भ्रमवश मित्र को शत्रु और साहूकार को चोर समझकर दण्ड देना दृष्टि विपर्यास के कारण बनता है।

अकस्मात्दण्ड और दृष्टि-विपर्यासदण्ड में यह अन्तर है कि अकस्मात् दण्ड में घातक व्यक्ति का लक्ष्य अन्य कोई होता है और घात किसी अन्य का हो जाता है। दृष्टि-विपर्यास में भ्रमवश मित्र में शत्रु और साहूकार को चोर निश्चित रूप से मानकर दण्ड दिया जाता है।

उक्त कारणों के अलावा सक्षैप में हिंसा के राग और द्वेष—ये दो मुख्य निमित्त हैं। राग के दो प्रकार हैं—माया तथा लोभ और द्वेष के क्रोध और मान ये दो प्रकार हैं। क्रोध, मान, माया और लोभ के कारण होने वाली हिंसा को क्रोधादि निमित्तक कहते हैं।

(१) क्रोध-निमित्तक—कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो थोड़े-से अपराध के लिए महान् दण्ड देते हैं। पुत्र-पुत्री आदि पारिवारिक जन मित्रवत् हैं, लेकिन उनके छोटे-मोटे अपराधों पर बेत आदि से पीटना, गरमी या सरदी के दिनों में नंगे बदन खुले मैदान में खड़े कर देना आदि कार्य क्रोध की अधिकता से किये जाते हैं। ऐसे व्यक्ति से परिवार वाले भी दुखी होते हैं और स्वयं का अहित भी करते हैं। इसको मित्र-दोष-निमित्तक हिंसा भी कह सकते हैं।

(२) मान-निमित्तक—जाति, कुल, बल, रूप, तप शास्त्र, लाभ, ऐश्वर्य और प्रजा आदि के अहंकार में गदरा कर दूसरे को तुच्छ समझना और अपने को श्रेष्ठ मानना मान-निमित्तक हिंसा है। अहंकारवश दूसरो की अवहेलना व निरस्कार आदि करना भी माननिमित्तक हिंसा में आ जाता है।

(३) माया-निमित्तक—ऊपर से सभ्य-शिष्ट बनकर छिपे रूप से पाप करना, विश्वास पैदा कर दूसरे को ठगना, कपट द्वारा दूसरों के गुप्त भेदों को जानकर अपने स्वार्थ के लिए लाभ उठाना आदि सभी कार्य माया-कपट के हैं। ऐसे व्यक्ति के द्वारा प्रच्छन्न रूप से होने वाली हिंसा को माया-निमित्तक हिंसा कहते हैं।

(४) लोभ-निमित्तक—ऊपर से उदासीनता का भाव धारण करके काम-भोगों की इच्छाओं की पूर्ति के लिए विषय-भोगों के साधन जुटाना, उनका संग्रह करना और उनके संरक्षण की चिन्ता में रत रहना लोभ है और इस प्रकार के लोभी व्यक्ति के द्वारा होने वाली हिंसा लोभ निमित्तक हिंसा कहलाती है।

आत्महत्या हिंसा है—इसके अतिरिक्त कई व्यक्ति मान-सम्मान प्राप्त न होने पर, दुखों से घबराकर आत्मघात आदि रूप में हिंसा कर बैठते हैं। कइयों का कहना है कि दूसरों के प्राणों का वध करना तो हिंसा है, लेकिन अपनी घात करना, आत्महत्या करना, हिंसा कैसे हुआ? इसका स्पष्ट समाधान यही है कि आत्महत्या क्यों की जाती है? व्यक्ति भय, क्रोध, अपमान, लोभ, प्रेम आदि कारणों से प्रेरित होकर ही आत्मघात का मार्ग चुनता है। ये कारण स्वयं ही हिंसा हैं, फिर जिसमें कष्टों से सघर्ष करने का साहस नहीं होता, जिसमें आत्मवल या आत्मविश्वास की कमी होती है, वही कायर, क्लीब व्यक्ति 'आत्महत्या' का रास्ता पकड़ता है। तो कायरता, भय, दीनता, आत्म-विश्वास खो देना—ये सभी वाते जीवन की घात करने वाली हैं, सद्गुणों की नाशक हैं, इसलिए 'आत्मघात' धार्मिक दृष्टि से तो महापातक है ही, सामाजिक दृष्टि से भी पाप और हिंसा है।

मद्य, मांस और चर्म का उपयोग भी हिंसा है :

कई व्यक्ति आजीविका के नाम पर, कई आमोद-प्रमोद के लिए और कई रसलोलुपता के वश होकर शारीरिक श्रृंगार आदि प्रसाधनों के लिए, चर्म, मांस, मज्जा, रुधिर, अस्थि, दंत आदि प्राप्त करने के लिए पचेन्द्रिय प्राणियों की, मधु या शहद के लिए मधुमक्खियों की, रेशम के कीड़ों की रेशम आदि प्राप्त करने के लिए, सीप, मूंगा आदि जीवों की आभूषण आदि के लिए, चतुरिन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, द्वीन्द्रिय जीवों का प्राणघात करते हैं। मनुष्य अपने नामान्य मोज-शौक और आमोद-प्रमोद तथा अपनी धनाढ्यता आदि के प्रदर्शन के लिए निर्भय होकर इन प्राणियों की घात कर डालता है, विचारे मूक प्राणियों के प्राणों से खेलता है। उसे कल्पना करनी चाहिए, मन में अनुभूति करनी चाहिए कि इन प्राणियों के भी प्राण हैं, जान हैं, जो इन्हें भी इतनी ही प्य हैं जितनी हमें। फिर हमें क्या अधिकार है कि उनके प्राणों के साथ खिलवाव करें। यदि कोई क्रूर मनुष्य या राक्षस आदि हमारे साथ भी ऐसी खिलवाव

करे तो शायद उसकी कल्पना से ही हमारा हृदय कांप उठे। तो सोचो! उन प्राणियों की भी फिर यही स्थिति है। इस पर विचार करना चाहिए।

**अज्ञान-हिंसा**—उक्त प्रयोजन के अतिरिक्त हिंसा करने का सबसे प्रमुख कारण है—अज्ञान! अज्ञान के वश होकर कई व्यक्ति अपनी लौकिक मनोतियों की पूर्ति अथवा धर्म के नाम पर भैरो, भवानी, काली आदि देवी-देवताओं को बलि देने के लिए मूक प्राणियों तथा मनुष्यों आदि की हत्या कर देते हैं। देवी-देवताओं के नाम पर बकरे आदि को मार देने के दृश्य प्रायः देखने-सुनने में आते ही रहते हैं, लेकिन कई चण्ड, क्रूर, मनुष्य की बलि चढ़ाने में भी नहीं हिचकते हैं। अनेक देवी-भक्त सिद्धि-प्राप्ति की आड़ में अपने प्रिय पुत्रों तक की हत्या कर डालते हैं। ऐसे लोमहर्षक समाचार यदा-कदा पत्र-पत्रिकाओं में पढ़ने को मिल जाते हैं। इन हत्याओं का अंतरंग कारण एकमात्र अज्ञान, अन्धविश्वास और उसके पीछे भोगासक्ति की तीव्रता ही मुख्य कारण रहती है।

हिंसा के पूर्वोक्त सभी कारणों का सारांश यह है कि मनुष्य क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, अरति, शोक, भय आदि के वश होकर धर्म, अर्थ, काम की इच्छा से प्रयोजन या निष्प्रयोजन त्रस और स्थावर जीवों की हिंसा करते हैं।

□ □ □

### विचार रेखा

ईश्वर प्रसन्न दाता से प्यार करता है।

—बाइबिल

जो भाग्यशाली है वह उदार है और उदारता से ही आदमी भाग्यशाली बनता है।

—सादी

उदार दे-दे कर अमीर बनता है, लोभी जोड़-जोड़ कर गरीब बनता है।

—जर्मन कहावत

उदारता पापों को ऐसे बदल देती है जैसे पारस लोहे को बदल देता है।

—सादी

उदार आदमी जब तक जीता है आनन्द में जीता है और तग दिल वाला जिन्दगी मर दुखी रहता है।

—कैस-बिन डल खनीम

दिलदार आदमी का वैभव गाँव के बीचो-बीच उगे हुए और फलों में लदे हुए वृक्ष के समान है।

—तिरुवल्लुवर



# अहिंसा व्रत के अतिचार

□ श्रीमद् जवाहराचार्य

स्थूल प्राणातिपात से निवर्तने वाले व्रतधारी श्रावक को पंच अतिचार जानने योग्य हैं, परन्तु आचरण करने योग्य नहीं हैं। वे पांच अतिचार ये हैं :—(१) बन्धन (२) वध (३) छविच्छेद (४) अतिभार (५) भत्तपाणी-विच्छेद।

किसी रस्सी आदि से बांधना, उसे 'बन्धन' कहते हैं। चाबुक आदि से मारना, उसे 'वध' कहते हैं। करवत आदि शस्त्रों से शरीर को फाड़ना या शस्त्र द्वारा किसी अवयव को काटना, छेदना, उसे 'छविच्छेद' कहते हैं। सुपारी, नारियल आदि भार को पशु के कन्धे, पीठ आदि पर शक्ति से ज्यादा भरना, उसे 'अतिभार' कहते हैं। 'भत्त' याने ओदन आदि खाने की चीज और पाण याने पानी आदि तृषा मिटाने की वस्तु, उसका विच्छेद कर देना अर्थात् भात-पानी न देना, उसे 'भत्तपाण-विच्छेद' नामक अतिचार कहते हैं।

१. बन्धन—पहला 'बन्ध' नामक अतिचार आया है। बन्ध के दो भेद होते हैं। एक तो दोपद को बांधना और दूसरा चौपद को बांधना। दास-दासी, नौकर-चाकर तथा लड़के-लड़की आदि की गिनती दो पद में है और हाथी, घोडा भैंस, बकरी, गाय आदि की चौपद में। ये दो कारणों से बांधे जाते हैं, जैसे अट्टाय-अनट्टाय, अर्थ के लिये और अनर्थ के लिए। किसी को बिना मतलब बांधना और उसे कष्ट देना, उसकी कुदरती बाढ को रोक देना, यह एक प्रकार की हिंसा है। श्रावक को चाहिए कि वह इससे बचे।

अट्टाय अर्थात् अर्थ से बांधना। इसके भी दो भेद हैं, निरपेक्ष और सापेक्ष। निरपेक्ष उसे कहते हैं, जो लापरवाही से बांधा जावे, ऐसा बांधा जावे कि वह अपने हाथ-पैर भी न हिला सके। ऐसा बांधना श्रावक का धर्म नहीं है। दूसरा बांधना है सापेक्ष। मतलब के लिये करुणा रखकर जो बांधा जावे, उसे सापेक्ष कहते हैं। शास्त्र कहता है कि पशु आदि को करुणा छोड़ कर इस प्रकार न बांधे, कि उन्हें दुःख हो। मौके-वेमौके जैसे लाय (अग्निकाण्ड) आदि में जल्दी खोला न जा सके, ऐसा न बांधे।

दोपद दास-दासी, पुत्र-पुत्री आदि यदि उद्वण्डता करते हों, उनको मुधारने के लिये बांधना, यह सापेक्ष बांधना है। चोर को चोरी करने की सजा, यानी चोरों को आदत मिटाने के लिये बांधना, यह भो सापेक्ष है। इसी प्रकार पुत्रादि को पढ़ने के लिये बांधना, यह भी सापेक्ष है।

मैं कई बार कह चुका हूँ कि यह धर्म राजाओं के मुकुट पर रहने वाला है। राजा इस धर्म को धारण कर सकता है। जो राजा इस धर्म को धारण करे और अपने फर्ज के अनुसार प्रजा के कल्याण के लिये अन्यायियों को दण्ड दे, चारों को बाँधे और मौका आ पड़े तो जुल्मी को सजा भी देता है। गुस्से में आकर नहीं, पर न्याय से अभियुक्त की पूरी जाँच कर यदि यथार्थ में दोषी हो और उसके जीने से प्रजा को महान् कष्ट पहुँचने की अथवा शांति भंग की पूरी सम्भावना हो तो उसे फासी की सजा देना, यह भी सापेक्ष में गिना जायगा।

वैसे तो राजा फाँसी की सजा दे सकता है, पर जिन्हें केवल बन्धन की ही सजा दी गई है, उनके भरण-पोषण में कभी दुष्टता का परिचय न देना चाहिये। उनकी भूख-प्यास तथा अन्य शारीरिक बाधाएँ न रुके, इसकी तरफ ध्यान देना, राजा का कर्तव्य है। इतने दिन तो उसकी जिम्मेवारी उसके ऊपर थी, पर अब उसके जीवन की जिम्मेवारी राजा पर है। यदि उसे किसी प्रकार का न्याय युक्त कानूनी कष्ट के सिवाय कष्ट भोगना पड़ेगा, तो उसका अपराध राजा के सिर होगा। जो राजा इस बात का ध्यान न रखेगा, उसका दोष राजा के ऊपर तो है ही, पर उसका राज्य भी दोषी हो जायगा।

यह बात तो हुई द्रव्यबन्धन की। ऐसा ही भावबन्धन के लिये भी समझ लेना चाहिये। अर्थात् जाति के बन्धन, रीति रिवाज, ठहराव, कानून, ऐसे न हों, कि विचारे गरीब कुचल-कुचल कर खरिब कर मर जावे। जिस समाज में अन्याय-युक्त कानूनों का प्रचार न होगा, और जो अभी प्रचलित कितने ही विपरीत कानून है, उनको ठुकरा देगा, उस समाज में रामराज्य का सा आनन्द फैल जायगा, इसमें कोई सन्देह नहीं है।

२. वध—पहले अतिचार का कुछ विचार हुआ। अब दूसरे अतिचार वध (हनन) पर विचार किया जाता है। इसके दो भेद होते हैं एक 'अनर्थ' दूसरा 'अर्थ'। रास्ते चलते हुए बिना कसूर किसी मनुष्य या पशु को डण्डे, चाबुक आदि से चोट पहुँचाना, अनर्थ में गिना जाता है। अर्थ 'हनन' के दो भेद हैं। एक सापेक्ष और दूसरा निरपेक्ष। दया रहित होकर यानी अंग, उपांग में चोट पहुँच जाने का विचार न कर जो मारपीट की जाती है, उसे निरपेक्ष कहते हैं। और जो सुधार के खयाल से, अपना व्रत भंग न हो जावे-मानों में अपने ही शरीर पर मार रहा हूँ, ऐसा खयाल कर के जो दण्ड देता है, वह सापेक्ष है। अथवा पशु आदि को उलटे रास्ते न जाने देने या चलाने के खयाल से जो प्रहार किया जाय वह भी सापेक्ष है।

३. छविच्छेद—तीसरा अतिचार है 'छविच्छेदन'। इसके दो भेद हैं—अर्थ और अनर्थ। बिना प्रयोजन कुतूहलवश किसी मनुष्य या पशु-पक्षी का अंगोपांग छेदना अनर्थ है, इसे श्रावक त्यागे। अर्थ के दो भेद—सापेक्ष और निरपेक्ष।

करणा रहित होकर किसी की चमड़ी छेदना निरपेक्ष छविच्छेदन है और करणा रखते हुए किसी रोग की चीरफाड़ करना, सापेक्ष छविच्छेदन कहलाता है। ऐसा करते हुए भी, श्रावक अपने व्रत से पतित नहीं होता। इतना ही नहीं, किन्तु दुखियों के दुःख मिटाने से करणा भाव का लाभ भी ले सकता है। हाँ इस समय प्रयोग के लिये निरपराध प्राणी को चीर डालते हैं, वे अवश्य-मेव व्रत के घाती हैं। परन्तु रोगी का रोग मिटाने के लिये जो ऑपरेशन किया जाता है वह सापेक्ष छविच्छेदन है।

४. अतिभार—अब चौथा अतिचार 'अतिभार' आया। पहली बात तो यह है कि श्रावक को गाड़ी आदि से अपनी आजीविका चलानी ही नहीं चाहिये। यदि चलानी ही पड़े तो सापेक्ष और निरपेक्ष का ध्यान जरूर रखना चाहिए। बैल तथा घोड़ों आदि के ऊपर इतना बोझ न लाद देना चाहिए कि वेचारों की पीठ, टाँग आदि टूट जाय, या शक्ति से ज्यादा काम लेने से, उन्हें अपनी जीवनलीला ही जल्दी समाप्त करनी पड़े। कई मनुष्य भी अपने पेट के लिए, बोझ उठाने का काम करते हैं। आप लोगों का कर्त्तव्य है, कि दया कर उनसे शक्ति से ज्यादा काम न ले। उनको उतना बोझ उठाने का अधिकार है, जितना वह अपने हाथ से सुख-पूर्वक उठा और रख सके।

कोई प्रश्न कर सकता है कि यदि कोई आदमी अपनी मर्जी से, शक्ति से ज्यादा बोझ उठाना चाहे तो? इसका उत्तर यह है कि—यदि वह अपने मन से भी उठाना चाहे तो भी श्रावक को उसे न उठाने देना चाहिये। क्योंकि इस प्रकार बोझा उठाने से, उसकी जिन्दगी जल्दी खतम हो जाती है, ऐसा पुस्तकों के अन्दर पढ़ने में आया है। ऐसा करने से एक दोष और भी है और वह यह कि करणा का भाव नष्ट हो जाता है।

मनुष्य, बैल, घोड़ों आदि के ऊपर ज्यादा न लादना चाहिये, यह बात तो आप समझ ही गये। यहाँ यह भी समझ लेना चाहिये कि असमय में लड़के-लड़कियों का विवाह करना भी उन पर अनुचित बोझा डालना है। अनमेल के साथ विवाह कर देना, यह भी अनुचित बोझा है। प्रजा के हित को सामने न रख कर, जो कानून (अन्याययुक्त) उनके द्वारा जबरदस्ती पलवाये जाते हैं, यह भी एक प्रकार का बोझ है अतएव इन कामों को श्रावक व्रतधारी मनुष्य (राजा आदि भी) कभी न करे।

जिन पशुओं और मनुष्यों को अपने अधीन कर रखे हैं, उनको समय पर विश्राम देना, शक्ति से अधिक काम न लेना, इस तरफ से कभी बेभान न होना चाहिये। वर्तमान में मालिकों की तरफ से उपेक्षा बढ़ने तथा अत्यधिक समय तक काम लेने के कारण सरकार को कानून बनाकर रोक करनी पटी है। श्रावक को इस विषय में बहुत सावधानी रखनी चाहिये। तभी वह अतिचार में बच सकता है।



५ भक्तपानविच्छेद—पाँचवां अतिचार 'भक्तपाणीविच्छेद' है। इसके भी पूर्ववत् दो भेद हैं। श्रावक को चाहिये कि अनर्थ से निष्कारण, हास्य कौतूहलवश किसी को भूखों न मारे। सापेक्ष भूखों मारने में, कोई दोष नहीं गिना गया है। समाज के अन्दर, अभी ऐसी बेहूदगी फैली हुई है कि वैद्य वगैरह आज्ञा देते हैं कि इसको रोटी आदि मत देना, तो भी घर वाले 'कुछ तो खाले' कह-कह कर जबरदस्ती खिलाते हैं। रोगी-अवस्था में विचार-पूर्वक भूखे रहना, रोग को भूखा रखना है। इसी प्रकार रोग अवस्था में विना विचार से खाना, रोग को खिलाना है। वैद्य आदि निश्चय कर कहे, कि इस रोग में रोटी आदि देना हानिकर है ऐसी अवस्था में रोटी न दी जाय, तो यह व्रत का अतिचार नहीं, पर करुणा का काम है। किसी को सुधारने के लिये 'रोटी न दी जायगी' ऐसा भय दिखाना सापेक्ष में गिना गया है। परन्तु निरपेक्षता से ऐसा करना और अपने प्राश्रित मनुष्य या पशु-पक्षी आदि के खान-पान की सम्माल न करना, यह भक्तपाणीविच्छेद नामक अतिचार है। गर्भवती स्त्री उपवास करके गर्भ को भूखा रखती है, वह भी इसी अतिचार में समाविष्ट है।

### हिंसा के कार्य और उनसे बचने का उपाय

मित्रो ! हिंसा बुरी है, ऐसा सारा जगत् कहता है, पर इसके सच्चे स्वरूप को समझे बिना, इससे बच नहीं सकते। हिंसा का स्वरूप शास्त्र में निराले-निराले ढंग से बतलाया है। इसका यही मतलब है, कि मनुष्य इसके वास्तविक स्वरूप को पहचान ले। वस्तु के गुण-दोष को अनेक रूप से बतलाने का तात्पर्य केवल यही है, कि यदि वह वस्तु अच्छी हो तो उसके प्रति लोग आदर और बुरी हो तो उसका तिरस्कार करे।

आत्मा, हिंसा कब करता है और दया कब; यह मैं बतलाना चाहता हूँ। आत्मा के दो गुण हैं—शुभ गुण और अशुभ गुण। शुभ गुण में प्रवृत्त होने से आत्मा दया करता है और अशुभ में प्रवृत्त होने से हिंसा। हिंसा और अहिंसा, आत्मा के परिणाम हैं। इस पर गणधारों ने शास्त्र के अन्दर, बड़ी ही मार्मिकता के साथ चर्चा चलाई है। उनके परिश्रम का लाभ लेना प्रत्येक मनुष्य के लिये हितावह होगा।

शास्त्र में जिस प्रकार एक वस्तु के अनेक भेद बतलाये हैं, इसी प्रकार हिंसा के भी कई भेद बतलाये हैं। इसका कारण यही है कि किसी भी प्रकार से लोग हिंसा से बचें। हिंसा के बुरे गुणों को प्रकट करना, हिंसा पर कोई क्रोध नहीं है, यह तो उसके सच्चे स्वरूप को बतलाना है। वस्तु के यथार्थ गुण दोष बतलाना, संसार के कल्याण के लिए बहुत जरूरी है।

शास्त्र यदि, हिंसा-अहिंसा का रूप न समझावे, तो मनुष्य उससे दूर रह सकता है? जो मनुष्य सर्प के जाति स्वभाव को नहीं जानता, वह

उसके डसने से कैसे बच सकता है ? जो जहर के गुण को नहीं जानता, वह अवश्य ही धोखा खा जाता है। इसी प्रकार जो हिंसा के स्वरूप को नहीं जानता, वह उससे बच नहीं सकता।

हिंसा से बचने वाले प्राणी की आत्मा में अपूर्व जागृति उत्पन्न होती है। हिंसा से बचना दयावान का खास लक्षण है।

सब प्राणियों ने अपनी-अपनी रक्षा के लिये, खाने के लिये, दाढ़ व दाँत, देखने के लिये नेत्र, सुनने के लिये कान, सूँघने के लिए नाक, चखने के लिए जीभ आदि, अंग-उपांग अपने पूर्व कर्म के अनुसार प्राप्त किये हैं। इनको छीन लेने का, मनुष्य को कोई अधिकार नहीं है। जो मनुष्य, मक्खी के पंख को भी नहीं बना सकता, उसे उसको नष्ट करने का क्या अधिकार है ? परन्तु स्वार्थ ऐसी चीज है, कि उसकी ओट में कुछ भी नहीं दिखता। जो अंग-उपांग उस प्राणी के लिये उपयोगी है, मनुष्य कहा करते हैं कि यह तो हमारे लिये पैदा किया गया है। ऐसा कहने वालों से सिह यदि मनुष्य की भाषा में कहे, कि तू मेरे खाने के लिये पैदा किया गया है, तो वह मनुष्य उसे क्या जवाब देगा ?

स्वार्थ के कारण अज्ञानी, मनुष्य अपने अज्ञान से यदातदा ऐसी हिंसा का समर्थन कर देते हैं, लेकिन ज्ञानी-पुरुष ऐसा कभी नहीं करते। वे सब प्राणियों को सुख का अभिलाषी समझते हैं, किसी प्राणी को हिंसा करने का अधिकारी नहीं समझते।



- 
- ❀ सर्वजन हिंसाय—सबके हित के लिए जो काम किया जाय, वही अहिंसा है।
  - ❀ अहिंसा, हिंसक को मारने के बदले हिंसा भाव को मार देती है।
  - ❀ यदि अहिंसा को देश में बढ़ावा देना है तो उसके लिए संयम जरूरी होगा।



## अहिंसा का अभ्यास

□ स्वामी शिवानन्द

दिव्यत्व की प्राप्ति के लिए पहिली सीढी है—पशुत्व का मूलोन्मूलन और इसी प्रक्रिया द्वारा ही मनुष्य का उद्धार संभव है. और वह सच्चे अर्थों में मानव कहलाने का अधिकारी हो सकता है। पशुओं में क्रूरता की प्रधानता है, तभी संतों एवं ज्ञानियों द्वारा वर्णित इसका एकमेव उपचार अहिंसा ही है। मनुष्य के पशु-स्वभाव के पूर्णरूपेण मूलोच्छेदन के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली उपाय अहिंसा ही है।

अहिंसा के अभ्यास द्वारा प्रेम विकसित होता है। सत्य अथवा प्रेम का दूसरा नाम अहिंसा है। यह शुद्ध प्रेम है, दिव्य प्रेम है। जहाँ प्रेम है, वहाँ अहिंसा है, जहाँ अहिंसा है वही निष्काम सेवा तथा प्रेम है। ये सब एक साथ रहते हैं। अहिंसा, निष्काम-सेवा तथा प्रेम का सदेश ही सदा-सर्वदा सब युगों में सर्वदेशीय संतों द्वारा दिया जाता रहा है। महान् आत्माओं के दैनिक जीवन के समस्त क्रिया-कलापों में अहिंसा का ही सर्वोत्तम उदाहरण रहा है। अहिंसा, न केवल मोक्ष प्रदान करती है, अपितु शांति तथा दिव्य-आनन्द के धारा प्रवाह की गति को अबाध बनाये रखती है। प्राणीमात्र की हिंसा न करने से ही मनुष्य को दिव्य-शांति की प्राप्ति हो सकती है। धर्म एक है, वह है—प्रेम का धर्म तथा शांति का धर्म। धर्म का संदेश भी एकमात्र अहिंसा है, तभी तो अहिंसा को 'परमोधर्म' कहा गया है।

**अहिंसा का अर्थ**—किसी की हत्या या वध न करना ही—प्रायः अहिंसा कहलाता है। परंतु किसी का केवल वध न करना ही अहिंसा नहीं है। इसका पूर्ण व्यापक आशय तो प्राणियों को मनसा, वाचा, कर्मणा पीड़ा या कष्ट न पहुँचाना है। विचार से, वाणी से, कर्म से किसी को कष्ट न देना ही अहिंसा है। किसी को कष्ट या पीडा देना अहिंसा का नकारात्मक रूप है। सकारात्मक रूप में तो यह सार्वभौमिक प्रेम है। इसके द्वारा मानसिक दृष्टिकोण ऐसा हो जाता है कि घृणा स्वतः ही प्रेम में परिवर्तित हो जाती है। अहिंसा ही वास्तविक बलिदान है, अहिंसा ही क्षमा है, अहिंसा ही शक्तिरूपा है, अहिंसा ही शुद्ध बल है।

**हिंसा के सूक्ष्म रूप**—केवल साधारण पुरुष ही अहिंसा का यह अर्थ लेते हैं कि दूसरों को शारीरिक कष्ट नहीं पहुँचाना चाहिए परंतु यह तो अहिंसा का स्थूल रूप है। हमारे व्यक्तियों के प्रति घृणा प्रकट करने, अकारण ही अप्रसन्नता या द्वेष की भावना मन में लाने, किसी को घूरने, गाली देने, निंदा करने, चुगली

करने, झूठ बोलने, दूसरों को हानि पहुँचाने, व्यर्थ में ही किसी को कलंकित करने से तथा अपने मन में औरों के प्रति घृणा के भाव रखने मात्र से ही अहिंसा का व्रत भंग हो जाता है। कठोर और कर्कश वाणी का प्रयोग भी हिंसा ही है। भिखारियों, नौकरों एवं अपने से निम्न वर्ग के लोगों के प्रति कटु-वाणी का प्रयोग भी हिंसा माना जाता है। यदि ऊँची आवाज तथा अप्रिय शब्द व हाव-भाव से किसी को मानसिक कष्ट पहुँचाया जाये तो यह भी हिंसा ही होगी। दूसरों के समक्ष, जानबूझ कर किसी के साथ अशिष्ट व्यवहार अभिमत्रित हिंसा मानी जाती है। दूसरों द्वारा कहे गये अप्रिय वचनों की पुष्टि भी परोक्ष हिंसा है। औरों के कष्ट दूर करने में उद्यम का अभाव तथा दुःखी के पास कष्ट के दिनो में न पहुँचना अथवा असावधानी बरतना अथवा उसके कष्ट के प्रति उदासीनता दिखाना भी हिंसा का ही रूप है। ऐसी भूल की गिनती पाप में ही होगी। सब प्रकार की कठोरता प्रत्यक्ष या परोक्ष, तात्कालिक या निलंबित, स्वीकारात्मक या निषेधात्मक हिंसा के इन सभी रूपों से हमें सदैव बचना चाहिए। अतएव दिव्यत्व प्राप्त करने के लिए अहिंसा के शुद्ध रूप का पालन करना आवश्यक है। अहिंसा तथा दिव्यता दोनों का एक ही अर्थ है। दोनों एक ही हैं।

**अहिंसा बलवान का गुण है**—यदि आप अहिंसा का अभ्यास करना चाहते हैं, तो आपको निरादर, डॉट-फटकार, अपशब्द, समालोचना और सभी प्रकार के तीव्र प्रहारों, कुठाराघातों को सहन करने की क्षमता रखनी होगी। प्रतिकार की भावना का पूर्णतः त्याग करना होगा। उत्तेजित किये जाने पर भी किसी को भी अप्रसन्न नहीं करना होगा। किसी के प्रति भी अपने मन में द्वेष भावना का सर्वथा बहिष्कार करना होगा, क्रोधावेश से बचना होगा। किसी को भी जोसना या धिक्कारना नहीं होगा। सत्य के लिए सहर्ष प्राण तक न्यौछावर करने के लिए तत्पर रहना होगा। परम सत्य की प्राप्ति अहिंसा व्रत के इस शुद्ध रूप का पालन करने से संभव है। शौर्य की पूर्णता अहिंसा में ही निहित है। अहिंसा का पालन करने से मनुष्य निर्भीक बनता है। दुर्बल मनुष्य अहिंसा का पालन कर ही नहीं सकते। मृत्यु से भयभीत रहने वाला, अवरोधशक्ति से वंचित तथा असहिष्णु व्यक्ति अहिंसा के अभ्यास में पूर्णतया असमर्थ होगा। अहिंसा शक्तिशाली का कवच है, न कि कायर का। अहिंसा शूरवीरो का गुण है, उनका अस्त्र भी अहिंसा ही है। यदि आपको कोई छड़ी से पीटने लगे, तो भी आपके मन में बदले की भावना नहीं आनी चाहिए। मन में किसी भी प्रकार की कोई दुर्भावना आक्रमणकारी के प्रति नहीं आनी चाहिए। क्षमा की पूर्णता अहिंसा में ही होती है।

**अहिंसा का उत्तरोत्तर अभ्यास**—जब भी प्रतिकार की अथवा घृणा की भावना तुम्हारे मन में उठने लगे तो सर्वप्रथम शारीरिक चेष्टाओं और वाणी

को सयमित रखिए । कठोर तथा दुर्वचनों का प्रयोग मत करिए । किसी को भी दोषी नहीं ठहराइए । दूसरों को दुःखी मत करिए । यदि कुछेक मास पर्यंत आप इस अभ्यास में सफल हो जाये तो प्रतिकार की भावना—अभिव्यक्ति का अवसर न पाकर स्वयमेव नष्ट हो जायेगी । वाणी तथा शारीरिक संयम के बिना, ऐसे विचारों के निवारणार्थ आरंभ से बहुत कठिनाई होगी । स्थूल शरीर को पूर्णतया वश में रखना अहिंसा का प्रारंभ मात्र है । यदि तुम्हारे शरीर को कोई पीड़ा पहुँचाये, तो भी मौन रहो । अपने क्रोध को दबाओ । ईसामसीह की शिक्षा और उनके 'पर्वतीय उपदेशों' का अनुसरण करो, "यदि कोई तुम्हारे एक गाल पर चाँटा लगाता है तो दूसरा गाल भी उसके आगे कर दो ।" यदि कोई तुम्हारा कोट ले लेता है तो अपना कुर्ता भी उसे दे दो । ऐसा करना प्रारंभ में कठिन अवश्य होगा । 'जैसे को तैसा' जैसे बदले के संस्कार तुम पर अपना प्रबल दबाव डालेंगे ही; किन्तु तुम शांत चित्त से प्रतीक्षा करो । मनन करो, ध्यान करो, विचार करो, मन शांत हो जायेगा । तुम्हारी ओर से विरोध का कुछ भी आभास न पाकर तुम्हारा शत्रु भी क्रुद्ध होने के बाद शांत हो जाएगा । वह चकित हो जाएगा और डर भी जाएगा । क्योंकि आप स्थिर-चित्र बुद्धि की प्रतिमा बने रहेंगे । आपकी अंतः शक्ति का क्रमशः विकास होगा । यही आदर्श सदा-सर्वदा अपने समक्ष रखना है । इसी सिद्धांत पर दृढ़ रहने का अभ्यास करते रहे, भले ही आरंभ में आप लड़खड़ायेगे । अहिंसा तथा इसके अनंत गुणों का स्पष्ट चित्र आपके मस्तिष्क में बना रहना चाहिए ।

शरीर पर नियंत्रण पा लेने के पश्चात् वाणी-संयम का अभ्यास करना होगा । पूरा निश्चय कर ले कि मैं आज से किसी को भी कठोर शब्द कहूँगा ही नहीं । भले ही आप सौ बार असफल रहें, तो भी क्या हुआ ? शनैः शनैः शक्ति मिलती जायेगी । वाणी पर अंकुश रखते हुए मौन रहिए । क्षमा-भावना को अपनाइए । मन को समझाइए, "अपराधी की अभी बाल-बुद्धि है । वह अज्ञानी है, तभी तो अपराध कर बैठा है । अतः क्षमा का पात्र है । इसे यदि मैं भी गाली दे दूँगा, कोसूँगा तो क्या लाभ होगा मुझे ? भूल तो मनुष्य के स्वभाव में है, परंतु क्षमा करना दैवी गुण है ।" धीरे-धीरे अभिमान का त्याग करो । मानुषिक कष्टों का मूल कारण अभिमान ही है ।

विचारशील बनिये तथा पर पीड़ा के विचार को तिलाजलि दीजिए । इस अधम वृत्ति पर अंकुश रखिए । सबमें एक ही आत्मा का निवास है । सबमें वही परमात्मा व्याप्त है । दूसरों को पीड़ित करने पर आप अपने आप को ही कष्ट पहुँचाते हैं, इसके विपरीत दूसरो की सेवा द्वारा आप अपने आप की सेवा करते हैं । अतः सबसे प्रेम करो, सबकी सेवा करो । किसी से भी घृणा न करो । किसी का भी निरादर न करो । इससे अहिंसा का स्वतः ही पोषण होता रहेगा ।

**अहिंसा के अभ्यास से लाभ**—यदि आप अहिंसा में स्थित रहे तो समस्त गुण आपके अन्दर स्वतः ही उद्बुध हो जाएंगे। अहिंसा ही वह केन्द्र-विन्दु है, जिसके चारों ओर अन्य गुण मडराते हैं। जैसे हाथी के पाव के नीचे सबके पाव, वैसे ही सब नैतिक एवं आध्यात्मिक नियम अहिंसा के महान् व्रत में ही समाहित रहते हैं। अहिंसा आध्यात्मिक शक्ति का पूँजीभूत है। प्रेम के सामने घृणा पिघल जाती है। अहिंसा से घृणा-तिरोहता हो जाती है। अहिंसा से बढ़कर कोई शक्ति नहीं। अहिंसा के अभ्यास से संकल्पशक्ति विकसित होती है। अहिंसापालन आपको निर्भय कर देगा। अहिंसा का निष्ठापूर्वक अभ्यास करने वाला सारे जगत को हिला देने की क्षमता रखता है। जंगली पशुओं को पालतू बना सकता है। सबके मन को जीत सकता है और अपने शत्रुओं पर विजय पायी जा सकती है। स्थिति को सुधारने की क्षमता रखता है तो बिगाड़ने की भी। विद्युत तथा चुम्बकीय शक्ति से भी कई गुना अधिक, सूक्ष्म तथा आश्चर्यजनक शक्ति अहिंसा में निहित है। अहिंसा का नियम गुस्त्वाकर्षण शक्ति के नियम से भी अधिक निश्चित है। इसके प्रयोग में विशेष सावधानी तथा प्रखर बुद्धि की आवश्यकता है। यदि आप इसका निश्चित तथा पूर्णरूपेण प्रयोग करें तो आप चमत्कारिक उपलब्धियाँ दिखा सकते हैं। इतना ही नहीं आप पचतत्त्वों तथा प्रकृति पर भी अधिकार कर सकते हैं।

**अहिंसा की शक्ति**—अहिंसा की शक्ति के सामने बुद्धि बल नगण्य है। बुद्धिविकास सरल है, किन्तु हृदय को उदार बनाना अति कठिन है। अहिंसा के अभ्यास से हृदय की उदारता आश्चर्यजनक ढंग से विकसित होती है। अहिंसापालन से संकल्पशक्ति बढ़ जाती है। अहिंसाव्रती की उपस्थिति में शत्रुता विनष्ट हो जाती है। उसके निकट रहकर सर्प और मेढक, गाय व शेर, नेवला और नाग, विल्ली व चूहा, भेड़िया तथा भेड़—सब परस्पर मित्र-भाव तथा प्रेम-भाव से रहते हैं। उस अहिंसा-अभ्यासी की उपस्थिति में ये सब प्राणी अपना वैर-विरोधी भूल जाते हैं। शत्रुता दूर हो जाने का अर्थ यह रहता है कि सब प्राणी, मनुष्य, पशु-पक्षी, विषैले जीव-जंतु अहिंसक के सामने निर्भय होकर जायेंगे और उसे किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं पहुँचाएँगे। अहिंसक में इतनी शक्ति होती है कि उसकी उपस्थिति में विरोधी प्रवृत्ति का सर्वथा नाश हो जाता है। अहिंसा में संस्थित योगी के अमित प्रभाव से विल्ली, चूहा, सर्प, नेवला आदि विरोधी प्रकृति वाले जीव पारस्परिक शत्रुता को भूल ही जाते हैं। सिंह तथा बाघ किसी भी प्रकार का कष्ट ऐसे योगी को नहीं देते। बल्कि योगी उन्हें जैसे-जैसे आज्ञा देता है वे उसका अनुपालन करते रहते हैं। इस भूत सिद्धि की प्राप्ति अहिंसक के लिए सहज संभव है। अहिंसावृत्ति के सतत अभ्यास से अन्ननांगत्वा जीवन की एकता अथवा अद्वैत चेतना प्राप्त हो जाती है।

**एक विश्व-व्या महासंकल्प**—अहिंसा एक महान् व्रत है। ससार के सभी देशों के समस्त वासियों को इसका पालन करना चाहिए। यह केवल भारतीयों

अथवा हिंदुओं के लिए ही नहीं। जो कोई भी सत्य का साक्षात्कार करना चाहता है उसे अहिंसा का पालन अवश्यमेव करना पड़ेगा। आपको चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों न आये, कितनी ही हानि क्यों न उठानी पड़े, अहिंसा का त्याग कदापि न करे। आपके शक्ति-परीक्षण के लिए तो कष्ट अनेकों आयेगे ही। आपको वज्रवत् डटे रहना होगा, तब कहीं स्वर्णिम सफलता की प्राप्ति होगी।

अहिंसावादियों की रक्षा अहिंसा में ही निहित एक गुप्त शक्ति रक्ष करती रहती है। भगवान का अदृश्य हस्त कवच का कार्य करेगा। भय न की कोई वस्तु रहेगी ही नहीं। पिस्तौल और तलवार तुम्हारी रक्षा भला तक करेगे ?

आज के युग में भी ऐसे महानुभाव हैं, जो चीटियों और मक्खियों तक कण्ट नहीं पहुँचाते। वे चावल-चीनी ले जाकर चीटियों के बिलों पर बिखेरते हैं। रात को वे इस भय से दीपक भी नहीं जलाते कि छोटे-छोटे कीड़े इस मडरा कर जलेंगे। धरती पर चलते समय वे अपने पैर धीरे-धीरे रखते कहीं कीड़े-मकोड़े नीचे आकर कुचल न जायें। धन्य है ऐसे महान् पुरुष कोमल हृदयों को भगवद् साक्षात्कार अति शीघ्र होता है।



## अहिंसा : सर्व धर्मों का मंगलाचरण

□ श्री सिध्दील

हिंसा का पाप करते सदा अनुकरण,  
है अहिंसा सर्व धर्मों का मंगलाचरण।

कहता बलि देने से मिलते वरदान हैं,  
यह निकृष्ट आदमी की ही पहिचान है।

जो क्षुधा अस्त को बांट कर खा रहे,  
धर्म के मार्ग से तृप्ति को पा रहे।

हिंसा पर आश्रित जिनकी आजीविका,  
है घृणित कृत्य, मृतक भोजी जीव का।

प्राण सब को है प्यारे, अभय दीजिए,  
अहिंसा व्रत श्रेष्ठ है, आप भी लीजिए।

जन्म जिसने लिया मृत्यु का आस है,  
उससे होना अभय मात्र संन्यास है।

[ तिरुक्कुरल से



# अहिंसा का प्रशिक्षण

□ आचार्य तुलसी

हिंसा मनुष्य के सस्कारों में रहती है। निमित्तों का योग पाकर वह प्रकट होती है। 'आचाराग' सूत्र में हिंसा के तीन कारण बताये गये हैं—प्रतिशोध, मुरक्षा और आशंका। कारण कुछ भी रहे हों, हिंसा का प्रशिक्षण नियमित रूप से चलता है। उसमें उत्तरोत्तर दक्षता बढ़ रही है। उसके लिए नये-नये साधन विकसित हो रहे हैं। आगे-से-आगे नई तकनीक खोजी जा रही है। अनेक प्रसंगों में इसका खुला प्रयोग भी हो रहा है। लगता है महावीर की इस भाषाणी को समर्थन मिल रहा है कि "अत्थि सत्थ परेणपर"—शस्त्र आगे से आगे प्रशिक्षण होता है, उसकी परम्परा चलती है।

अहिंसा के प्रयोग की बात तो दूर, उसके प्रशिक्षण की भी कोई व्यवस्था ही है। अहिंसा का उपदेश बहुत दिया जाता है, उसके गुणगान बहुत किये जाते हैं, पर उसके प्रशिक्षण की बात कौन सोचते हैं? ऐसी स्थिति में यह प्रश्न कैसे की जा सकती है कि अहिंसा आएगी और वह जीवन-शैली से आएगी? अधिक लोगों को तो यह विश्वास ही नहीं है कि अहिंसा कुछ कर सकती है या उसका प्रशिक्षण दिया जा सकता है। हमारी मान्यता यह है कि अहिंसा में असीम शक्ति है और उसका प्रशिक्षण दिया जा सकता है।

## हिंसा का सैद्धान्तिक स्वरूप :

अहिंसा प्रशिक्षण के स्वरूप का निर्धारण किया जाए तो उसके दो रूप सकते हैं—सैद्धान्तिक और प्रायोगिक। सैद्धान्तिक प्रशिक्षण में दार्शनिक प्रश्नों का अवबोध कराया जाता है। अहिंसा के दार्शनिक पहलू अनेक हैं। उनमें से प्रशिक्षण की बात बिखर सकती है। इस दृष्टि से यहाँ कुछ ऐसे बिन्दुओं को उल्लिखित किया जा रहा है, जिनको समझे बिना अहिंसा के प्रशिक्षण का कोई आधार ही नहीं बनता। दार्शनिक पृष्ठभूमि पर अहिंसा की प्रकृति प्रमाणित करने वाले पाँच बिन्दु हैं—

१. आत्मा का अस्तित्व
२. आत्मा की स्वतंत्रता
३. आत्मा की अविनाशिता
४. जीवन की सापेक्षता
५. सह-अस्तित्व।

आत्मा है। प्रत्येक आत्मा का सुख-दुःख अपना-अपना है। इस दृष्टि से आत्मा स्वतंत्र है। गणित की भाषा में आत्मा अनन्त है। उनकी कल्पना भिन्न-भिन्न हैं। पर स्वरूप की अपेक्षा से सब आत्माएँ समान हैं।



का यह सिद्धान्त मनुष्य तक ही सीमित नहीं है। संसार में जितने प्राणी हैं, उन सबकी आत्मा समान है। कोई भी व्यक्ति निरपेक्ष रहकर अपने अस्तित्व को नहीं बचा सकता। इसी कारण जीवन को सापेक्ष माना गया है। सापेक्षता का सिद्धान्त प्रकृति के प्रत्येक कण पर लागू होता है। कहीं पर वृक्ष का एक पत्ता भी टूटकर गिरता है तो उसका प्रभाव पूरी सृष्टि पर पड़ता है। मैं रहूँगा या वह रहेगा, अहिंसा की परिधि में इस चिन्तन को स्थान नहीं मिल सकता। मैं भी रहूँगा, तुम भी रहोगे। यह भी रहेगा, वह भी रहेगा—इस प्रकार सह-अस्तित्व की भाषा में सोचना अहिंसा का दर्शन है।

**अन्तर्जगत् में अहिंसा के प्रयोग :**

अहिंसा के सैद्धान्तिक पक्ष को समझने के बाद उसके प्रायोगिक स्वरूप को समझना आवश्यक है। प्रायोगिक प्रशिक्षण के दो बिन्दु हैं—अन्तर्जगत् और बाह्यजगत्। अन्तर्जगत् में प्रशिक्षण का महत्त्वपूर्ण तत्त्व है सवेग-संतुलन (Balance of Emotions)। मनोविज्ञान की भाषा में मानसिक उथल-पुथल या उद्वेलन की अवस्था का नाम सवेग है। भय, क्रोध, जुगुप्सा, कामुकता, सुख, दुःख आदि संवेग प्रतिक्रियात्मक भावों के रूप में अपना प्रभाव दिखाते हैं।

मनुष्य जब तक वीतराग नहीं बन जाता, सवेगों के प्रभाव से मुक्त नहीं हो सकता। पर इसका सन्तुलन न होने से अनेक प्रकार की समस्याएँ पैदा हो जाती हैं। संवेगों को सन्तुलित करने की प्रक्रिया को यहाँ उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है—

क्रोध एक संवेग है। इसे नियन्त्रित करने के लिए डमोशनल एरिया—भाव क्षेत्र पर ध्यान के प्रयोग करवाए जाते हैं। चैतन्य केन्द्र प्रेक्षा और लेश्या-ध्यान के प्रयोग इसके लिए कार्यकारी प्रमाणित हुए हैं।

प्रमाद एक संवेग है। यह जागरूकता घटाता है। इसको नियन्त्रित करने के लिए चैतन्य-केन्द्र प्रेक्षा, लेश्या-ध्यान और दीर्घ-श्वास प्रेक्षा के प्रयोग निर्धारित हैं। नशा-मुक्ति के लिए भी इन प्रयोगों को काम में लिया जाता है।

हीन भावना और अहं भावना ऐसे संवेग हैं, जो मनुष्य के समग्र व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। इनके प्रभाव को क्षीण करने के लिए अनुकम्पी और परानुकम्पी Sympathetic & Parasympathetic नाड़ी-तन्त्र पर ध्यान के विशेष प्रयोग करवाये जाते हैं।

**बाह्य जगत् में प्रशिक्षण बिन्दु :**

बाह्य जगत् में अहिंसा के प्रायोगिक प्रशिक्षण की भूमिका बहुत विस्तृत है। मुख्य रूप में उसके तीन बिन्दु हो सकते हैं—

मानवीय सम्बन्धों का परिष्कार या विकास ।

प्राणी जगत् के साथ सम्बन्धों का विस्तार ।

पदार्थ जगत् के साथ सम्बन्धों की सीमाएँ ।

मनुष्य सामाजिक प्राणी है । वह समूह में रहता है । वहाँ वह प्रतिकूल प्रकार के सम्बन्ध जोड़ता है । सम्बन्ध जोड़ना कोई कठिन काम नहीं है । कठिन है उनका समुचित निर्वाह । कठिनाई का कारण है मनुष्य की स्वार्थपरायण मनोवृत्ति । स्वार्थ की आँख से देखने वाला और स्वार्थ की धरती पर चलने वाला परमार्थ की बात कैसे सोच सकता है ? अहिंसा परमार्थ का दर्शन है । अहिंसा में विश्वास करने वाला व्यक्ति सम्बन्धों की आंच पर स्वार्थ की खेती नहीं सेक सकता । स्वार्थवाद या व्यक्तिवाद के कारण सम्बन्धों के संसार जहर घुल रहा है, उससे बचने के लिए अहिंसा का प्रशिक्षण अत्यन्त आवश्यक है ।

### मानवीय संबंधों का परिष्कार :

मनुष्य के दृष्टिकोण को दो रूपों में देखा जाता है—मानवीय और अमानवीय । एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य के प्रति कैसा सम्बन्ध या व्यवहार होना चाहिए, नीति सूत्रों में यह बात निर्धारित होती है । उसके अनुसार व्यवहार करने वाले व्यक्ति का दृष्टिकोण मानवीय कहलाता है । जो व्यक्ति दूसरे के हितों की उपेक्षा करता हो, उन्हें कुचल देता हो, किसी का शोषण करता हो या सताता हो, यह पाशवी या दानवी वृत्ति कहलाती है । इस वृत्ति को दूर करने से ही मानवीय संबंधों का परिष्कार हो सकता है ।

मानवीय सम्बन्धों को कई इकाइयों में विभक्त किया जा सकता है । हम यहाँ मुख्य रूप से तीन इकाइयों की चर्चा कर रहे हैं—पारिवारिक सम्बन्ध, सामाजिक सम्बन्ध और व्यावसायिक सम्बन्ध । पिता-पुत्र, पति-पत्नी, भाई-भाई, सास-बहू, देवरानी-जिठानी, माँ-बेटी आदि पारिवारिक सम्बन्ध हैं । इनमें मानवीय दृष्टिकोण का विकास हो तो किसी को मारने, पीटने, सताने या प्रताड़ित करने का प्रसंग उपस्थित ही नहीं हो सकता ।

सामाजिक सम्बन्धों का दायरा बहुत विस्तृत होता है । पड़ोसी से लेकर दूर-दराज बसने वाले समाज के हर व्यक्ति के साथ किसी न किसी रूप में सम्बन्ध रहता है । सम्बन्धों की स्थापना में स्वार्थ की प्रेरणा न हो और स्वार्थ में बाधा पहुँचने पर सम्बन्ध तोड़ने की परिस्थिति भी पैदा न हो, यह अहिंसा की प्रेरणा है । जाति, रंग, लिंग, वर्गभेद आदि को आधार बनाकर मनुष्य-मनुष्य के बीच जो दूरियाँ बढ़ती जा रही हैं, वे किसी-न-किसी रूप में हिंसा को बढ़ावा देती हैं । इन सब भेदों से ऊपर एक तत्त्व है वह है मनुष्यता । वह भी मनुष्य ही मनुष्य हैं । मैं इससे जिस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा रखता हूँ, उस

का यह सिद्धान्त मनुष्य तक ही सीमित नहीं है। सबकी आत्मा समान है। कोई भी व्यक्ति निरपेक्ष नहीं बचा सकता। इसी कारण जीवन को सापेक्ष सिद्धान्त प्रकृति के प्रत्येक कण पर लागू होता है। भी टूटकर गिरता है तो उसका प्रभाव पूरी सृष्टि वह रहेगा, अहिंसा की परिधि में इस चिन्तन को भी रहूँगा, तुम भी रहोगे। यह भी रहेगा, वह अस्तित्व की भाषा में सोचना अहिंसा का दर्शन है

**अन्तर्जगत् में अहिंसा के प्रयोग :**

अहिंसा के सैद्धान्तिक पक्ष को समझने के वा को समझना आवश्यक है। प्रायोगिक प्रशिक्षण के वाह्यजगत् । अन्तर्जगत् में प्रशिक्षण का महत्त्व (Balance of Emotions) । मनोविज्ञान की भाया उद्वेलन की अवस्था का नाम संवेग है। भय, क्रोध दुःख आदि संवेग प्रतिक्रियात्मक भावों के रूप में अ

मनुष्य जब तक वीतराग नहीं बन जाता, संवे हो सकता। पर इसका सन्तुलन न होने से अनेक प्र जाती है। संवेगों को सन्तुलित करने की प्रक्रिया को प्रस्तुत किया जा रहा है—

क्रोध एक संवेग है। इसे नियन्त्रित करने के लि भाव क्षेत्र पर ध्यान के प्रयोग करवाए जाते हैं। चैतन्य ध्यान के प्रयोग इसके लिए कार्यकारी प्रमाणित हुए हैं।

प्रमाद एक संवेग है। यह जागरूकता घटाता है। के लिए चैतन्य-केन्द्र प्रेक्षा, लक्ष्या-ध्यान और दीर्घ-श्वास प्रेरित हैं। नशा-मुक्ति के लिए भी इन प्रयोगों को काम में लि

हीन भावना और अहं भावना ऐसे संवेग हैं, जो मनुष्य को प्रभावित करते हैं। इनके प्रभाव को क्षीण करने के लि परानुकम्पी Sympathetic & Parasympathetic नाड़ी-विशेष प्रयोग करवाये जाते हैं।

**वाह्य जगत् में प्रशिक्षण विन्दु :**

वाह्य जगत् में अहिंसा के प्रायोगिक प्रशिक्षण की भूमिका है। मुख्य रूप में उनके तीन विन्दु हो सकते हैं—



## हिंसा का सामना कैसे किया जाय ?

□ काका कालेलकर

धर्म की अनेक व्याख्याएँ की गई हैं। मेरे विचार से धर्म की उत्तम व्याख्या यह है। “जीवन-शुद्धि और समृद्धि की साधना जो दिखाये वह धर्म है।” प्रत्येक धर्म में आत्मोद्धार के लिये जो बातें बताई गई हैं, उनके द्वारा ही मनुष्य अपनी उन्नति कर सकता है। यह साधना दो प्रकार से होती है। केवल अपना ही विचार करके आत्मशुद्धि से आत्म-विजय प्राप्त करना और अन्त में मुक्त होना, यह पहली साधना है। दूसरी साधना वह है जिसमें केवल व्यक्ति का विचार न करके समस्त समाज का विचार किया जाता है। सारे व्यक्तियों को मिलाकर समाज बनता है और वह समाज ही मुख्य माना जाता है। जैसे हम शरीर के एक-एक अवयव का विचार नहीं करते, परन्तु समग्र शरीर का विचार करते हैं, वैसे ही मुख्यतः विचारणीय प्रश्न यह है कि संगठन बनाकर रहने वाली मनुष्य-जाति अहिंसा की साधना कैसे कर सकती है ?

मेरी मान्यता के अनुसार अभी तक मनुष्य-जाति की बाल्यावस्था थी, इसलिये केवल व्यक्ति के लिये मार्ग विचारने और बताने से हमारा काम चल जाता था परन्तु अब जो कार्य हमारे सामने है वह विकट और व्यापक है। अब निश्चित तथा व्यवहार्य सामाजिक साधना बताने के दिन आये हैं। आज की साधना केवल आत्मशुद्धि की नहीं परन्तु समाज-जीवन की शुद्धि की साधना है।

अहिंसा एक सनातन तत्त्व है। अमुक समय के पहले अहिंसा नहीं थी, यह नहीं कहा जा सकता। समय-समय पर अहिंसा का प्रचार करने वाले पुरुष निकल ही आते हैं। मुझे सदा यह लगा है कि अहिंसा की सच्ची साधना ब्रह्म-चर्य में, सयम में है। जो मनुष्य भोग-विलास में डूबा रहता है और वैसा करके मरने के लिये बच्चे पैदा करता है, वह अहिंसक नहीं है। जीवन में विलासिता, कामुकता कम हो तो ही सच्ची अहिंसा को जीवन में उतारा जा सकता है और समाज में उसे फैलाया जा सकता है।

पुण्य दुःखकर है, लेकिन उसका फल सुखकर है, जब कि पाप बाहर में प्रयत्न प्रारम्भ में सुखकर होता है, लेकिन उसका फल दुःखकर होता है। इस-के-ने-भोग-विलास का सुखकर मालूम होना स्वाभाविक है। मनुष्य जिस हृदय विलासिता का त्याग करता है उसी हृद तक वह अहिंसा-धर्म के निकट पहुँच पाता है। विलासिता को दूर करने के लिये इन्द्रियों की वृत्तियों को जीतना

मानवीय सम्बन्धों में करता

मनुष्य के दैनंदिन जीवन में इन बिन्दुओं से सम्बन्धित जो प्रसंग उपस्थित होते हैं, उन्हें टालने का कार्यकारी उपाय एक है कि मनुष्य को प्रशिक्षित कर दिया जाए। बहुत बार ऐसा भी होता है कि व्यक्ति अज्ञानवश हिंसा में प्रवृत्त हो जाता है। हिंसा के परिणामों से परिचित न होने के कारण भी ऐसा हो सकता है। इसलिए अहिंसा के प्रशिक्षण की प्रक्रिया को काफी सघन बनाना अपेक्षित है। कुछ व्यक्तियों अथवा गाँवों को चुनकर प्रयोग करना ही पर्याप्त नहीं है। परीक्षण के तौर पर ऐसा किया जा सकता है। पर प्रशिक्षण कार्यक्रम को व्यापक बनाने के लिए इसे शिक्षा के साथ नट्थी करना होगा।

जितने भी विद्यालय और महाविद्यालय हैं, उनमें अहिंसा को अनिवार्य सब्जेक्ट के रूप में स्वीकार किया जाए और थ्योरिटिकल ट्रेनिंग के साथ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग पर भी ध्यान केन्द्रित किया जाये तो इस विषय को और अधिक व्यापक बनाया जा सकता है। अहिंसा के प्रशिक्षण की यह पद्धति और अधिक वैज्ञानिक और सुगम बने, इस दृष्टि से इस पर समीक्षात्मक बहस भी आमंत्रित की जा सकती है।

—जैन विश्व भारती, लाहूर

## दया

जब दया का देवदूत दिल से दुत्कार दिया जाता है और जब आंसुओं का फव्वारा सूख जाता है, तब मनुष्य रेगिस्तान की रेत में रेगते साँप के समान हो जाता है।

—इंगरसोल

दया से लवालव भरा हुआ दिल ही सब से बड़ी दौलत है, क्योंकि दुनियावी दौलत तो नीच आदमियों के पास भी देखी जाती है।

—तिरुवल्लुवर

दयालु-हृदय खुशी का फव्वारा है, जो कि अपने पास की हर चीज को मुस्कानो से भर कर ताजा बना देता है।

—वाशिंगटन डीविंग

मेरी यह प्रवचन कामना है कि मैं हर आँख का हर आंसू पोंछ दूँ।

—गांधी



# हिंसा का सामना कैसे किया जाय ?

□ काका कालेलकर

धर्म की अनेक व्याख्याएँ की गई हैं। मेरे विचार से धर्म की उत्तम व्याख्या यह है : "जीवन-शुद्धि और समृद्धि की साधना जो दिखाये वह धर्म है।" प्रत्येक धर्म में आत्मोद्धार के लिये जो बातें बताई गई हैं, उनके द्वारा ही मनुष्य अपनी उन्नति कर सकता है। यह साधना दो प्रकार से होती है। केवल अपना ही विचार करके आत्मशुद्धि से आत्म-विजय प्राप्त करना और अन्त में मुक्त होना, यह पहली साधना है। दूसरी साधना वह है जिसमें केवल व्यक्ति का विचार न करके समस्त समाज का विचार किया जाता है। सारे व्यक्तियों को मिलाकर समाज बनता है और वह समाज ही मुख्य माना जाता है। जैसे हम शरीर के एक-एक अवयव का विचार नहीं करते, परन्तु समग्र शरीर का विचार करते हैं, वैसे ही मुख्यतः विचारणीय प्रश्न यह है कि संगठन बनाकर रहने वाली मनुष्य-जाति अहिंसा की साधना कैसे कर सकती है ?

मेरी मान्यता के अनुसार अभी तक मनुष्य-जाति की बाल्यावस्था थी, इसलिए केवल व्यक्ति के लिये मार्ग विचारने और बताने से हमारा काम चल जाता था परन्तु अब जो कार्य हमारे सामने है वह विकट और व्यापक है। अब निश्चित तथा व्यवहार्य सामाजिक साधना बताने के दिन आये हैं। आज की साधना केवल आत्मशुद्धि की नहीं परन्तु समाज-जीवन की शुद्धि की साधना है।

अहिंसा एक सनातन तत्त्व है। अमुक समय के पहले अहिंसा नहीं थी, यह नहीं कहा जा सकता। समय-समय पर अहिंसा का प्रचार करने वाले पुरुष निकल ही आते हैं। मुझे सदा यह लगा है कि अहिंसा की सच्ची साधना ब्रह्म-चर्य में, सयम में है। जो मनुष्य भोग-विलास में डूबा रहता है और वैसा करके मरने के लिये वच्चे पैदा करता है, वह अहिंसक नहीं है। जीवन में विलासिता, कामुकता कम हो तो ही सच्ची अहिंसा को जीवन में उतारा जा सकता है और समाज में उसे फैलाया जा सकता है।

पुण्य दुःखकर है, लेकिन उसका फल सुखकर है; जब कि पाप बाहर में श्रवण प्रारम्भ में सुखकर होता है, लेकिन उसका फल दुःखकर होता है। इस-लिये भोग-विलास का सुखकर मालूम होना स्वाभाविक है। मनुष्य जिस हृदय विलासिता का त्याग करता है उसी हृदय तक वह अहिंसा-धर्म के निकट पहुँच पाता है। विलासिता को दूर करने के लिये इन्द्रियों की वृत्तियों को जीतना

पड़ता है। इसी को तप कहा जाता है। यह तप ही अहिंसा है। यह साधना व्यक्तिगत और सामुदायिक दोनों प्रकार से होती है। उसे बताने वाले तीर्थंकर समय-समय पर आते ही रहने चाहिये। और, इस प्रकार सनातन अहिंसा-धर्म का विकास होना चाहिये।

अपराध के लिये सजा देना मनुष्य-जाति का बड़ा अपराध है। दूसरे को सजा देने वाले हम कौन होते हैं? अपराध के लिये अपराधी को प्रायश्चित्त करना चाहिये। अपराध के लिये सजा देकर तो हम हिंसा को घटाने के बदले प्रतिहिंसा करते हैं। सजा देने से मनुष्य का सुधार नहीं होता। सजा देकर हम भले ही संतोष अनुभव करें, परन्तु वास्तव में उससे हिंसा दुगुनी होती है। अपराध करने वाले की हिंसा अप्रतिष्ठित मानी जाती है। जब किसी अपराधी को सजा होती है तो लोग उस कार्य को अच्छा मानते हैं; इसलिये यह प्रतिहिंसा प्रतिष्ठित मानी जाती है। यह उलटे मार्ग की साधना है। इतनी बात हम समझ लें, तो अहिंसा का मार्ग हमारी समझ में आ जायेगा। भावी तीर्थंकर हमें अवश्य कहेगे कि अपराधी को सजा देना भी अपराध ही है। क्रोधी के सामने अगर हम क्रोध न करें, तो अन्त में उसे शांत होना ही पड़ेगा। 'अतृर्णं पतितो वह्निः स्वयमेवोपशाम्यति'—तृणरहित-स्थान में पड़ी हुई आग अपने आप बुझ जाती है।

आज हम अहिंसा के बाल्यकाल में हैं। अहिंसा के विकास के लिये बड़े धीरज और अखूट साहस की जरूरत है। मार्ग लम्बा है। समाज में अहिंसा की शिक्षा का कार्य करना आवश्यक है। इसके लिये अनेक महापुरुष आयेगे और मार्ग दिखायेगे।

केवल स्थूल हिंसा का त्याग पर्याप्त नहीं होगा। जहाँ धन के ढेर जमा हो गये हैं वहाँ उनकी नींव में शोषण का पाप है—हिंसा है। अमेरिका में क्वेकर सम्प्रदाय के लोग अहिंसक हैं और धनी भी हैं। भारत में जैन लोग अहिंसक होने का सकारण दावा करते हैं। फिर भी वे धनाढ्य हैं। द्रोह के बिना धन नहीं मिलता। इसलिये मेरी समझ में नहीं आता कि अहिंसा और धन का मेल कैसे बैठ सकता है। आप चींटियों के दर के सामने आटा डाले, रात्रि-भोजन न करे, आलू न खाये—यह सब तो अच्छा है परन्तु यह आरम्भ की क्रिया है। हमें तो अहिंसा-धर्म में आगे बढ़ना है। जगत् में जब युद्ध चल रहा हो तब हम शान्ति से कैसे बैठ सकते हैं? हमें उसे रोकने का मार्ग खोजना चाहिये। हमारे विचारों में परिवर्तन की आवश्यकता है। कई लोग कहते हैं कि युद्ध तो यूरोप में लड़ा जा रहा है, हमारे देश में तो गाँधीजी के प्रताप से सब ठीक चल रहा है। लेकिन मैं कहता हूँ कि हमारे देश में प्रत्येक प्रान्त में भीतर ही भीतर फूट फैली हुई है, हर जगह अविश्वास फैला हुआ है। ये सब हिंसा के ही प्रतीक हैं। यूरोप के पास अस्त्र-शस्त्र हैं, इसलिये वहाँ के लोग युद्ध करते हैं। हम एक-

दूसरे के पैर खींचकर एक-दूसरे को नीचे गिराते हैं। वृत्ति से तो दोनों एक से ही हैं। वहाँ समर्थों की शस्त्राधारी हिंसा चलती है, यहाँ असमर्थों की अविश्वास द्वेष, निद्रा और द्रोह-मूलक हिंसा।

अदालत में जाने के बदले पंच के द्वारा अन्याय दूर करना और अन्याय करने वालों को अपना बनाकर उसकी शुद्धि का प्रयत्न करना—इस प्रकार की अहिंसक साधना का विकास विचारपूर्वक अभी तक हमने नहीं किया है।

सरकारी अन्याय के विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह करने के बजाय सत्याग्रह करने की अहिंसक साधना हमारे जमाने में गाँधीजी ने ही बताई है। राज्य के विरुद्ध किये जाने वाले पुराने 'त्रागा' (धरना) या ऐसे ही दूसरे विद्रोह में अहिंसा नहीं थी। शायद ऐसा कहा जा सकता है कि उसमें अहिंसक पद्धति के बीज थे।

राष्ट्रों के बीच जो युद्ध लड़े जाते हैं उनके बजाय चढाई करने वाले शत्रु का अहिंसक पद्धति से प्रतिकार कैसे किया जाय, यह सोचने या सुझाने का मौका गांधीजी को भी नहीं मिला है।

अमेरिका में या अफ्रीका में गोरे लोग काले लोगों पर जो जुल्म ढाते हैं, उन्हें दूर करने का अहिंसक मार्ग दिखाने की जिम्मेदारी अहिंसा के उपासकों और आचार्यों की है परन्तु आज तो ये लोग शास्त्र-वचनों की व्याख्या करने में और परम्परागत मार्ग से अपने तप या प्रतिष्ठा को बढ़ाने में ही मग्न हैं।

आज दुनिया में बड़ी से बड़ी हिंसा शोषण की चल रही है। दूसरों की कठिन परिस्थितियों का लाभ उठाकर उनकी सेवाओं का दुरुपयोग करने, और उन पर अनुचित अत्याचार करना अर्थात् उनके जीवन का शोषण करना बहुत बड़ी हिंसा है। इस तरह की हिंसा परिवारों में भी चलती है। जमींदार और काश्तकार, खेत में काम करने वाले मजदूरों के मालिक और खेतीहर मजदूर, कारखानेदार और कारखाने के मजदूर, उच्च वर्गों के लोग और श्रमजीवी लोग—इन सब के सम्बन्धों में शोषण की, दबाव की और जुल्मों की हिंसा सतत चला ही करती है। साहूकार मनमाना व्याज लेकर कर्जदार को चूसता है. यह भी हिंसा ही है।

जैन समाज तथा जैन साधुओं और आचार्यों को यह सोचना चाहिये कि इन सारी हिंसा का सामना कैसे किया जाय और इस दृष्टि से समाज-जीवन का परिवर्तन करने के लिये कौनसे कदम उठाये जाने चाहिये।

जब हमारा समाज धर्मप्राण था उस समय हमारे धर्मार्थी तत्कालीन विज्ञान की मदद से साहस पूर्वक जीवन परिवर्तन करने में हिचकिचाते नहीं थे और समाज की पुरानी रुढ़ियों का विरोध करने में भी डरते नहीं थे।



शरीर-शुद्धि के लिए पंचगव्य में गोमूत्र का भी प्राशन करने की प्रथा के पीछे वैज्ञानिक साहस स्पष्ट दिखाई देता है। पानी में सूक्ष्म कीटाणु होते हैं इसलिये पानी को गरम करने और उसे तुरन्त ठण्डा करने की जो प्रथा जैनो ने चलाई, उसमें आज के डॉक्टरी आग्रहों से कम हिम्मत नहीं थी। जैन साधुओं का केशलुञ्चन तथा मुख पर बाँधी जाने वाली 'मुँहपत्ती' भी सामाजिक शिष्टाचार की परवाह न करके एक प्रकार के विज्ञान से चिपके रहने की हिम्मत का ही प्रतीक है। बहुबीज वनस्पति न खाना, रात्रि-भोजन न करना इत्यादि सुधारों का प्रचार जिन आचार्यों और साधुओं ने किया, वे आज के जमाने में विज्ञान का अनुसरण करके यदि चिन्तन करे और नये आचार का प्रचार करें, तो कोई यह नहीं कह सकेगा कि आज के जैन आचार्य धर्म-परायण न रहकर रूढ़ि-परायण हो गये हैं और आज के जैन साधु अन्धपरम्पराओं का निष्प्राण जीवन जीते हैं।

जो चीज बुरी मानी जाती है वह कितनी ही सुखकर, प्रिय अथवा प्रतिष्ठित क्यों न हो, तो भी उसका त्याग करने के लिये तैयार होना और अद्यतन विज्ञान तथा धर्मज्ञान आज जो नई दृष्टि प्रदान करे, उसका अनुसरण करने के लिये तैयार होना जीवन्त और प्राणवान रहने का लक्षण है। जो व्यक्ति जीवन पर विजय प्राप्त करता है वह जिनेश्वर है। अब ऐसे अनेक जिनेश्वर उत्पन्न होने चाहिये। उनके आने की हम तैयारी करे और उनके स्वागत के लिये लोक-मानस तैयार करे।



## उ द ा र त ा

- ❖ जो भाग्यशाली है वह उदार होता है और उदारता से ही आदमी भाग्य-शाली बनता है।  
—सादी
- ❖ उदार दे-दे कर अमीर बनता है, लोभी जोड़-जोड़ कर गरीब बनता है।  
—जर्मन कहावत
- ❖ उदारता पापों को ऐसे बदल देती है जैसे पारस लोहे को बदल देता है।  
—सादी
- ❖ उदार आदमी जब तक जीता है आनन्द से जीता है और तंग दिल वाला जिन्दगी भर दुखी रहता है।  
—कैस-विन डल खतीम
- ❖ दिलदार आदमी का वैभव गाँव के बीचो-बीच उगे हुए और फलों से लदे हुए वृक्ष के समान है।  
—तिरुवल्लुवर

# विश्व-शान्ति के सन्दर्भ में अहिंसा-प्रयोग



□ आचार्य श्री विजय वल्लभ सूरि

आत्मशान्ति और विश्वशान्ति दोनों में कोई विसंगति नहीं है। दोनों एक-दूसरे पर आश्रित हैं। आत्म-शान्ति के लिए किया गया प्रयत्न विश्वशान्ति का एक हिस्सा है और विश्वशान्ति के लिए जो भी प्रयत्न किया जायगा, उसमें आत्मशान्ति तो निश्चित ही आ जायेगी। फिर भी हमें स्वार्थभावना न रख कर विश्व शान्ति को ही दृष्टिसमक्ष रखना चाहिए। क्योंकि जब तक विश्व-शान्ति नहीं होगी, आत्मशान्ति स्थायीरूप से नहीं हो सकती। एक व्यक्ति शान्तिपूर्वक अपने घर में ध्यान लगा कर बैठा है, मगर आसपास चारों ओर आग लगी है तो, वह कितनी देर शान्ति से बैठ सकेगा? आग की लपटें बहुत शीघ्र ही उसे घेर लेगी और उसकी वह व्यक्तिगत शान्ति अशान्ति में परिणत हो जाएगी। इसलिए मुझे कहना चाहिए कि विश्वशान्ति का उद्देश्य रखे बिना व्यक्तिगत आत्मशान्ति क्षणिक होगी।

इसलिए विश्वशान्ति को सक्रियरूप से जगत् में स्थापित करने के लिए मुख्यतया तीन ठोस उपाय करने जरूरी हैं—

पहला उपाय है—स्वधर्म साधना का, दूसरा है—मन्त्रजप तथा तप-साधना का और तीसरा है—सक्रिय प्रयोग का।

स्वधर्मसाधना के उपाय में व्यवस्था की दृष्टि से सारे विश्व के हमें ७ विभाग कर लेने चाहिए—(१) व्यक्तिगत आत्मशान्ति, (२) गृहशान्ति, (३) ग्रामनगरशान्ति, (४) संघ व धर्मसम्प्रदायशान्ति, (५) राष्ट्रशान्ति, (६) विश्वशान्ति और (७) समष्टिशान्ति। इस सातों विभागों का अपनी-अपनी श्रेणी के अनुसार अपने-अपने हिस्से में आया हुआ स्वधर्म-पालन करना चाहिए।

## स्वधर्म-साधना :

व्यक्तिगत आत्मशान्ति के लिए उपाय तो हम पहले बता ही चुके हैं। वही उपाय गृहशान्ति या कौटुम्बिक शान्ति के लिए है। विधेयात्मक दृष्टि से नोचे तो पूर्वोक्त सातों प्रकार की शान्तियों के लिए सामान्यतया ये उपाय प्राणनीय हैं—(१) परस्पर स्नेह, वात्सल्य और गुरुप्रेम हो, (२) सभी प्राणियों के साथ मैत्री व बन्धुत्वभावना हो, (३) सभी प्राणियों की कल्याण, दया, रक्षा व अभयदान की भावना हो, (४) गुपीतियों

प्राणियों के प्रति प्रमोदभावना हो, विशेष आत्मीयता हो; (५) जो मनुष्य, परिवार, सम्प्रदाय, नगरग्राम, राष्ट्र अथवा प्राणी उद्वृण्डता करते हो, संसार की व्यवस्था को बिगाड़ते हों, अशान्ति पैदा करते हों, उनकी उपेक्षा की जाय, उनके साथ प्रेम-पूर्वक असहयोग रखा जाय; उन पर सामाजिक-नैतिक-दवाव डालने का प्रयत्न किया जाय, उनको न्याय दिया जाय ।

विशेषरूप से गृहशान्ति के लिए परिवार में परस्पर सहनशीलता व स्वार्थत्याग की भावना आवश्यक है ।

१७वीं शताब्दी में जापान में उस समय के राज्यमंत्री ओ-चो-सान का परिवार अपने सौहार्द के लिए प्रसिद्ध था । यद्यपि उनके परिवार में लगभग एक हजार सदस्य थे, पर उनके बीच एकता का अटूट सम्बन्ध था । सभी सदस्य साथ रहते, साथ ही खाना खाते । कलह तो उनके घर से दूर ही रहता था । शान्ति का अखण्ड भ्ररना उनके कुटुम्ब में बहता रहता था । दूर-दूर तक इस कुटुम्ब की शोहरत फैल गई थी । ओ-चो-सान—परिवार में इस प्रकार की शान्ति की बात उस समय के सम्राट् 'यामातो' के कानों में पहुँची । वे इसकी जाँच करने के लिए स्वयं उस वृद्धमंत्री के घर पहुँचे । स्वागत, सत्कार और शिष्टाचार की रस्म पूरी हो जाने पर सम्राट् ने पूछा—“मैंने आपके परिवार की एकता, शान्ति, स्नेहसम्बन्ध और सहृदयता की कई कहानियाँ सुनी हैं । क्या आप मुझे बतलायेंगे कि एक हजार से भी अधिक परिवार वाले घर में यह सौहार्द, ऐक्य, शान्ति और स्नेहसम्बन्ध किस तरह बना हुआ है ?” ओ-चो-सान वृद्धावस्था के कारण अधिक देर तक बातें नहीं कर सकते थे, इसलिए अपने पौत्र को कलम-दावात व कागज लाने का इशारा किया और कागज पर काँपते हाथों से कोई सौ शब्द लिख कर उस कागज को सम्राट् यामातो की ओर बढ़ा दिया । सम्राट् ने बड़ी उत्सुकता से कागज पर दृष्टि डाली और आश्चर्यान्वित हो गए । एक ही शब्द—‘सहन-शीलता’—को १०० बार लिखा गया था । सम्राट् को चकित और अवाक् देखकर वृद्ध महामंत्री ने काँपती हुई आवाज में कहा—“महाराज ! मेरे परिवार में एकता और शान्ति का रहस्य वस इसी एक शब्द में निहित है । सहनशीलता का मन्त्र ही हमारे बीच एकता का धागा अब तक पिरोये हुए है । इस महामन्त्र को जितनी बार दुहराया जाय उतना ही कम है ।”

भाग्यशालियो ! जहाँ सहनशीलता आ जाएगी, वहाँ स्वार्थत्याग तो लाजिमी होगा । फिर गृहशान्ति में क्या कमी रह जायगी ? अगर घरों में हमारी माताएँ-बहने इस मन्त्र को जीवन में उतार ले तो आए दिन छोटी-छोटी बातों पर होने वाला महाभारत बन्द हो जाय और परिवार में शान्ति का भ्ररना बहने लगे ।

ग्राम और नगर की शान्ति के लिए विशेष तौर तर प्रत्येक ग्रामजन व नागरिक को ग्रामधर्म और नगरधर्म का पालन करना आवश्यक है। तभी ग्राम और नगर में शान्ति स्थापित हो सकेगी। जब भी गाँव या नगर पर आफत आये उस प्रत्येक व्यक्ति को उस आफत को मिटाने के लिए एकमन से जुट पड़ना चाहिये। गाँव और नगर में कोई भी फूट, कलह या वैमनस्य की अप्रिय घटना होने लगे, तब तुरन्त ही उसे मिटा कर परस्पर शान्ति स्थापित करने का प्रयत्न होना चाहिये।

संघशान्ति या धर्म-सम्प्रदाय-शान्ति के लिए विभिन्न धर्मसंघो या सम्प्रदायो में परस्पर सौहार्द, समन्वय और सौजन्य की भावना होनी चाहिए। सर्वमान्य कार्यक्रम सभी धर्मसम्प्रदाय के लोगों को एक होकर मिलजुल कर सम्पन्न करने चाहिए। साम्प्रदायिक विद्वेष, तनातनी, मारपीट, कलह एव वैमनस्य को कतई बढ़ावा नहीं देना चाहिए। तभी संघशान्ति होगी।

इसी प्रकार एक धर्मसंघ के अंदर फिरकेवाजी, वैमनस्य, कलह और फूट नहीं होनी चाहिए। अन्यथा संघ में अशांति फैलेगी और व्यक्ति की शान्ति पर भी उसके छोटे उछलेगे। संघशान्ति के लिए यह भी आवश्यक है कि संघ पर कोई भी आफत आए तो उसका निवारण करके शान्ति स्थापित की जाय।

भद्रबाहुस्वामी ने संघ में शास्त्रीयज्ञान लुप्त होने के समाचार सुन कर ज्ञान की उन्नति के लिए प्रयत्नशील चतुर्विध संघ का आमंत्रण पा कर अपनी योगसाधना छोड़कर पाटलिपुत्र की ओर प्रस्थान किया और वहाँ संघ की उन्नति के लिए विशिष्ट पुरुषार्थ में योग दिया। संघशान्ति के लिए संघ के प्रत्येक सदस्य को संघधर्म का पालन करना आवश्यक है।

राष्ट्रशान्ति के लिए राष्ट्र के प्रत्येक सदस्य को राष्ट्रधर्म का पालन करना चाहिए। राष्ट्र के प्रति पूरी वफादारी रख कर, राष्ट्रीय उन्नति के कामों में सहयोग देना चाहिए। जब भी राष्ट्र पर आफत आए तब सब मतभेदों को भुला कर उस आफत का पूरी ताकत से सामना करना चाहिए। राष्ट्र-विरोधी तत्त्वों को न तो बढ़ावा देना चाहिये और न स्वयं राष्ट्रहित के विरुद्ध कोई कार्य करना चाहिए। राष्ट्र में फूट डालना, राष्ट्र को गुलाम बनाने की मुरादवालों को प्रोत्साहन देना, दंगे, हड़ताल, तोड़फोड़ आदि करना राष्ट्र के प्रति गद्दारी है, राष्ट्र में अशांति को न्यौता देना है। अतः इन गलत कार्यों को करना राष्ट्रशान्ति में विघ्न डालना है। इसका मतलब यह नहीं है कि हम दूसरे राष्ट्र या राष्ट्रवालों के प्रति द्वेष, शत्रुता या वैर-विरोध रखें, उनकी उन्नति देख कर जले; अपितु दूसरे राष्ट्रों के प्रति स्नेह-सौजन्य व सहयोग की भावना रखनी है।

विश्वशांति के लिए विश्व के प्रत्येक राष्ट्र को 'पञ्चशील' का पालन करना अनिवार्य है। राजनैतिक पञ्चशील ये है—(१) सहअस्तित्व, (२) अनाक्रमण, (३) सार्वभौमत्व-स्वीकार, (४) अहस्तक्षेप और (५) सहयोग। सहअस्तित्व का मतलब है, अपने से भिन्न सिद्धान्तों या मान्यताओं के कारण दूसरे देश का अस्तित्व समाप्त करके उस पर अपने सिद्धान्त और व्यवस्था लादने का प्रयोग न किया जाए। सब राष्ट्रों को सम्मानपूर्वक साथ जीने का अधिकार है, ऐसा माना जाय। (२) अनाक्रमण का अर्थ है—एक देश दूसरे देश की सीमा का उल्लंघन करके उसकी स्वतंत्रता पर या उसके शासित भूभाग पर आक्रमण न करे, जिससे उसकी अखंडता सकट में पड़ जाय। (३) सार्वभौमत्व-स्वीकार का मतलब है, प्रत्येक राष्ट्र की अपनी प्रभुसत्ता है। उसके सार्वभौमत्व पर किसी प्रकार की बाधा दूसरे राष्ट्रों की ओर से नहीं होनी चाहिए। (४) अहस्तक्षेप का अर्थ है—किसी भी राष्ट्र के आन्तरिक या बाह्य मामलों में कोई दूसरा देश किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप या दस्तंदाजी न करे और (५) सहयोग का अर्थ है—एक दूसरे के विकास में सम्पन्न राष्ट्र यथासम्भव सहयोग दे, परस्पर सहकार की भावना रखे। इस राजनीतिक पञ्चशील का अमल सारे देशों में हो जाय तो विश्वशान्ति को कोई खतरा नहीं।

इसके बाद समष्टि-शान्ति का भी विचार कर ले। समष्टि का अर्थ है—मनुष्य के अतिरिक्त सृष्टि के समस्त प्राणी। इसलिए समष्टि की शान्ति मनुष्य से भिन्न चेतनाशील प्राणियों से सम्बन्धित होते हुए भी उसका सीधा प्रभाव मानवसृष्टि पर पड़ता है। बहुत-सी दफा अतिवृष्टि, अनावृष्टि, महामारी, भूकम्प आदि प्राकृतिक प्रकोप आते हैं। उनके पीछे सारी प्राणिसृष्टि का पाप निमित्त होता है। मनुष्य अणुशस्त्रों आदि का प्रयोग या शिकार, पशुपक्षीवलि या पशुहत्या करता है तो उसके उक्त पापों के कारण भूकम्प, अतिवृष्टि, सूखा, बीमारी आदि उपद्रव फूट निकलते हैं।

बिहार में जब भूकम्प आया था, तब महात्मा गांधीजी के ये उद्गार थे कि "यह हमारे अस्पृश्यता के पाप का फल है।" इस पर कवीन्द्र रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने गांधीजी से बहस की—“यह तो कुदरती प्रकोप है, इसका अस्पृश्यता से क्या सम्बन्ध?” महात्मा गांधीजी ने कहा—“भले हम सृष्टि की इस रहस्यमयता को न समझे, लेकिन मानवसमाज में जो भी पाप—व्यक्ति, राष्ट्र, सम्प्रदाय या समाज की ओर से—किसी भी रूप में होते हैं, उनका प्रतिफल मिने विना नहीं रहता। इसीलिए मैंने कहा था “यह हमारे अस्पृश्यता के पापमय व्यवहार का फल है।”

इसी प्रकार शान्ति के भ्रम से जो लोग देवीदेवताओं के आगे धर्म के नाम पर, शान्ति के नाम पर या परिवार-मुग्धा के नाम पर पशुवलि देते हैं, पक्षियों

को होमते हैं, वे भी समष्टि में अशान्ति फैलाने में निमित्त बनते हैं। मानव-सृष्टि के बुरे कार्यों—हिंसा, असत्य, मारकाट, अणुअस्त्रों का परीक्षण व प्रयोग, युद्ध आदि—का भी प्रभाव अन्य प्राणिजगत् पर पड़े बिना नहीं रहता। समष्टिशान्ति के लिए ये सब पापमय कार्य बन्द होने चाहिए।

सभी का सार यह है कि व्यक्ति से लेकर समष्टि तक की सारी ही सृष्टि की शान्ति के लिए पापमय कार्यों—अहितकर कृत्यों—का त्याग होना चाहिए, यह सर्वमान्य स्वधर्म है। जिस दिन इसका पालन नहीं होगा, उस दिन सृष्टि से त्राहि-त्राहि मच जायेगी।

यही कारण है कि शान्तिनाथ भगवान् ने अचला महारानी के गर्भ में आते ही अपने पिता के राज्य में फैली हुई महामारी को अपने माता-पिता द्वारा स्वधर्म-साधना के जरिये मिटा दिया था।

**जप और तप की साधना .**

विशुद्ध भावना का भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। विश्वशान्ति के लिए स्वधर्म के आचरण के साथ-साथ 'सारी सृष्टि में शान्ति फैले' इस प्रकार की भावनाओं का आन्दोलन भी होना जरूरी है। यही कारण है कि जैनाचार्यों ने विश्वशान्ति के लिए भावनात्मक आन्दोलन जगाने हेतु 'बृहच्छान्तिपाठ' बनाया है। जिसके सूत्र इस प्रकार हैं—

शान्तिः शान्तिकरः श्रीमान् शान्तिं दिशतु मे गुरुः ।

शान्तिरेव सदा तेषां येषां शान्तिर्गृहे गृहे (सदा) ॥

श्रीसंघ-जगज्जनपद-राजाधिप-राजसन्निवेशानाम् ।

गौष्ठिकपुरमुख्याणां व्याहरणैर्व्याहरेच्छान्तिम् ॥

श्रीश्रमणसंघस्य शान्तिर्भवतु, श्रीजनपदानां शान्तिर्भवतु,

श्रीराजाधिपानां शान्तिर्भवतु, श्रीराजसन्निवेशानां शान्तिर्भवतु,

श्रीगौष्ठिकानां शान्तिर्भवतु, श्रीपौरमुख्याणां शान्तिर्भवतु,

श्रीपौरजनस्य शान्तिर्भवतु, श्रीब्रह्मलोकस्य शान्तिर्भवतु,

भावार्थ यह कि श्री शान्तिनाथ प्रभु सदा शान्ति करने वाले हैं, वे शान्ति का बोधपाठ पढाने वाले गुरु मुझे शान्ति का मार्ग दिखाएँ। जिनके घर में सदा शान्ति रहती है, उनके घर में सदा शान्तिनाथ भगवान् का निवास रहता है। इसलिए श्री संघ, जगत् के सभी देशों, सभी शासनकर्ताओं, शासनाधीन ग्राम-नगर आदि सन्निवेशों, विभिन्न राष्ट्रों की शान्तिसंस्थाओं अथवा शान्तिदूतों, पौरजनों, नेताओं आदि के नाम ले-लेकर शान्ति की भावना का उच्चारण करें। जैसे—श्रमणप्रधान धर्मसंघ में शान्ति हो, जगत् के समस्त देशों में शान्ति हो, जगत् के नमन्तराष्ट्रों के शासनकर्ताओं व राजाओं में शान्ति हो. <

अन्तर्गत विभिन्न ग्राम-नगरप्रान्त आदि विभागों में शान्ति हो, राष्ट्रों की शान्तिसंस्थाओं या उनके शांतिदूतों में शान्ति हो, नगरनेताओं या राष्ट्रनेताओं में शान्ति हो, नगर (ग्राम) वासियो में शान्ति हो, ब्रह्म (विश्व के समस्त चेतन) लोक में शान्ति हो ।”

ये है विश्वशान्ति की भावना के लिए मन्त्र । आत्मशान्ति के इच्छुक साधक को विश्वशान्ति की भावना किये बिना कोई चारा नहीं ।

इन मंत्रों का हृदय से, श्रद्धापूर्वक उच्चारण करना ही जाप कहलाता है । मंत्रजप में अपूर्व शक्ति होती है । इससे सामूहिक संकल्प-बल तैयार होता है और वह बड़ी से बड़ी अशान्ति को शीघ्र मिटा देता है । विश्वशान्ति का वायुमण्डल तैयार करने में इन शान्तिमंत्रों का जप आवश्यक है ।

पहले कहा जा चुका है कि त्याग के बिना कभी शान्ति नहीं हो सकती । इच्छाओं के त्याग का ही नाम तप है । इसलिए जप के साथ तप भी जरूरी है । इस प्रकार के शान्तिमंत्र के जप के साथ आर्यविल, एकाशन या उपवास आदि तप सामूहिक रूप से होने पर शीघ्र असर होता है । विष्णुकुमार मुनि ने तपस्या के साथ शान्तिमंत्र की जप-साधना की; जिसके फलस्वरूप श्रमणसंघ पर आई हुई भयंकर विपत्ति—अशान्ति दूर हुई । इसी प्रकार के विश्वशान्ति के हेतु कई और भी जप-तप के प्रयोग समय-समय पर आचार्यों द्वारा हुए हैं । हमें भी विश्वशान्ति के लिए जपतप के इस प्रकार के प्रयोग करने चाहिए ।

इसके बाद एक सवाल और खड़ा होता है कि सारे संसार में आधि-भौतिक, आधिदैविक और आध्यात्मिक; दूसरे शब्दों में स्वकृत, परप्राणीकृत और प्रकृतिकृत—ये तीन प्रकार के दुख या अशान्तिकारक ताप हैं । इनको दूर करने या शान्त करने का उपाय क्या है; भारतीय मनीषियो ने इसके लिए भी शान्तिमंत्र बताया है । वैदिक धर्म की प्रार्थना में आता है—

“ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिर्वनस्पतयः शान्तिर्विश्वदेवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्व शान्तिः शान्तिरेदं शान्तिः, सा सां शान्तिरेधि ।”

“ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः”

अर्थात्—आकाश (द्यु) लोक शान्तिदायक हो, ज्योतिषलोक शान्तिमय हो, पृथिवी शान्तिमयी हो, जल शान्तिप्रद हो, औषधियाँ (अन्न आदि खाद्य वस्तुएँ) शान्तिकारिणी हो, वनस्पतियाँ (फल, मूल, फूल, शाक-भाजी आदि) शान्तिदायिनी हो, समस्त देव शान्तिदायक हों, समस्त ब्रह्म (चेतनाशील प्राणी) शान्तिदाता हो, सृष्टि का कणकण शान्तिमय हो, सर्वत्र शान्ति ही शान्ति हो और वह शान्ति मुझ में भी बढे । सारे जगत् की त्रिविध ताप में शान्ति हो ! शान्ति हो !! शान्ति हो !!!”

यह है भारतीय महापुरुषों का सारी सृष्टि की शान्ति के लिए शान्ति-पाठ ! सृष्टि की शान्ति की कितनी उच्चभावना है ! इसके अलावा संक्षेप में भी विश्वशान्ति की भावना व्यक्त की गई है—

शिवमस्तु सर्वजगतः परहितनिरता भवन्तु भूतगणाः ।

दोषाः प्रयान्तु नाशं, सर्वो भवतु सुखी लोकः ॥

“सारा संसार निरुपद्रव हो, कल्याणमय हो, समस्त प्राणी दूसरों के हित में रत रहें। उनमें जो भी दोष हों, वे नष्ट हो जाय और सारा संसार सुखी हो।”

**विश्वशान्ति का सक्रिय प्रयोग :**

अशान्त विश्व की शान्ति के लिए पूर्वोक्त दो उपायों के बाद तीसरा उपाय है—सक्रिय प्रयोग। अर्थात् विश्वशान्ति के लिए ऐसे ठोस प्रयोग भी साथ-साथ होते रहने चाहिए। इसके लिए मेरे निम्नलिखित सुझाव हैं—

(१) संसार के सभी छोटे-बड़े राष्ट्र संयुक्तराष्ट्रसंघ के सदस्य बनें और उसकी नीतियों पर चले।

(२) राजनैतिक पंचशील का सभी राष्ट्र भलीभाँति पालन करे।

(३) संसार के समस्त शान्तिपरायण राष्ट्रों और संस्थाओं तथा शान्ति के लिए सक्रिय कार्य करने वाले विशिष्ट व्यक्तियों का अनुबन्ध हो।

(४) शीतयुद्ध और महायुद्ध होने से रोके जाय, राष्ट्रों के आपसी विवाद समझ-बुझ कर न्यायी मध्यस्थों द्वारा हल किये जाय।

(५) अणुअस्त्रों पर प्रतिबन्ध के बारे में सभी राष्ट्रों को सहमत किया जाय और इस शर्त का पालन सबके लिए अनिवार्य कर दिया जाय।

(६) सैनिक गुटबन्दियों के संगठनों को तोड़ दिया जाय। कोई भी शान्तिवादी राष्ट्र उनका सदस्य न बने।

(७) प्रत्येक राष्ट्र व उस राष्ट्र का नागरिक विश्वशान्ति के कार्यों में सहयोग दे।

(८) युद्धों को मिटाकर विश्व में स्थायी शान्ति स्थापित करने के लिए अपने हृदय को उदार और समन्वयशील बनाएँ।

मेरे ह्याल से ये आठ सूत्र ही विश्वशान्ति के सक्रिय प्रयोग के लिए काफी होंगे।

इनके अलावा समय-समय पर विश्वशान्ति-परिषदों व विश्वज्ञानि-सम्मेलनों का आयोजन किया जाय और प्रत्येक राष्ट्र की प्रजा का लोकमत इस दिशा में तैयार किया जाय। □□



अन्तर्गत विभिन्न ग्राम-नगरप्रान्त आदि विभागों में शान्ति हो, राष्ट्रों की शान्तिसंस्थाओं या उनके शांतिदूतों में शान्ति हो, नगरनेताओं या राष्ट्रनेताओं में शान्ति हो, नगर (ग्राम) वासियों में शान्ति हो, ब्रह्म (विश्व के समस्त चेतन) लोक में शान्ति हो ।”

ये है विश्वशान्ति की भावना के लिए मन्त्र । आत्मशान्ति के इच्छुक साधक को विश्वशान्ति की भावना किये बिना कोई चारा नहीं ।

इन मंत्रों का हृदय से, श्रद्धापूर्वक उच्चारण करना ही जाप कहलाता है । मंत्रजप में अपूर्व शक्ति होती है । इससे सामूहिक संकल्प-बल तैयार होता है और वह बड़ी से बड़ी अशान्ति को शीघ्र मिटा देता है । विश्वशान्ति का वायुमण्डल तैयार करने में इन शान्तिमंत्रों का जप आवश्यक है ।

पहले कहा जा चुका है कि त्याग के बिना कभी शान्ति नहीं हो सकती । इच्छाओं के त्याग का ही नाम तप है । इसलिए जप के साथ तप भी जरूरी है । इस प्रकार के शान्तिमंत्र के जप के साथ आयविल, एकाशन या उपवास आदि तप सामूहिक रूप से होने पर शीघ्र असर होता है । विष्णुकुमार मुनि ने तपस्या के साथ शान्तिमंत्र की जप-साधना की; जिसके फलस्वरूप श्रमणसंघ पर आई हुई भयंकर विपत्ति—अशान्ति दूर हुई । इसी प्रकार के विश्वशान्ति के हेतु कई और भी जप-तप के प्रयोग समय-समय पर आचार्यों द्वारा हुए हैं । हमें भी विश्वशान्ति के लिए जपतप के इस प्रकार के प्रयोग करने चाहिए ।

इसके बाद एक सवाल और खड़ा होता है कि सारे संसार में आधि-भौतिक, आधिदैविक और आध्यात्मिक; दूसरे शब्दों में स्वकृत, परप्राणीकृत और प्रकृतिकृत—ये तीन प्रकार के दुःख या अशान्तिकारक ताप हैं । इनको दूर करने या शान्त करने का उपाय क्या है; भारतीय मनीषियों ने इसके लिए भी शान्तिमंत्र बताया है । वैदिक धर्म की प्रार्थना में आता है—

“ॐ धीः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिराप. शान्तिरोषधयः शान्तिर्वनस्पतयः शान्तिर्विश्वदेवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्व शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः, सा नां शान्तिरेधि ।”

“ॐ शान्ति. शान्ति शान्तिः”

अर्थात्—आकाश (द्यु) लोक शान्तिदायक हो, ज्योतिषलोक शान्तिमय हो, पृथिवी शान्तिमयी हो, जल शान्तिप्रद हो, औपधियाँ (अन्न आदि खाद्य वस्तुएँ) शान्तिकारिणी हों, वनस्पतियाँ (फल, मूल, फूल, शाक-भाजी आदि) शान्तिदायिनी हो, समस्त देव शान्तिदायक हों, समस्त ब्रह्म (चेतनाशील प्राणी) शान्तिदाता हो, सृष्टि का कणकण शान्तिमय हो, सर्वत्र शान्ति ही शान्ति हो और वह शान्ति मुझ में भी बढ़े । सारे जगत् की त्रिविध ताप ने शान्ति हो ! शान्ति हो !! शान्ति हो !!!”

यह है भारतीय महापुरुषों का सारी सृष्टि की शान्ति के लिए शान्ति-पाठ ! सृष्टि की शान्ति की कितनी उच्चभावना है ! इसके अलावा संक्षेप में भी विश्वशान्ति की भावना व्यक्त की गई है—

शिवमस्तु सर्वजगतः परहितनिरता भवन्तु भूतगणाः ।

दोषाः प्रयान्तु नाशं, सर्वो भवतु सुखी लोकः ॥

“सारा संसार निरुपद्रव हो, कल्याणमय हो, समस्त प्राणी दूसरों के हित में रत रहे । उनमें जो भी दोष हों, वे नष्ट हो जाँय और सारा संसार सुखी हो ।”

विश्वशान्ति का सक्रिय प्रयोग :

अशान्त विश्व की शान्ति के लिए पूर्वोक्त दो उपायों के बाद तीसरा उपाय है—सक्रिय प्रयोग । अर्थात् विश्वशान्ति के लिए ऐसे ठोस प्रयोग भी साथ-साथ होते रहने चाहिए । इसके लिए मेरे निम्नलिखित सुझाव हैं—

(१) संसार के सभी छोटे-बड़े राष्ट्र संयुक्तराष्ट्रसंघ के सदस्य बने और उसकी नीतियों पर चले ।

(२) राजनैतिक पंचशील का सभी राष्ट्र भलीभाँति पालन करें ।

(३) संसार के समस्त शान्तिपरायण राष्ट्रों और संस्थाओं तथा शान्ति के लिए सक्रिय कार्य करने वाले विशिष्ट व्यक्तियों का अनुबन्ध हो ।

(४) शीतयुद्ध और महायुद्ध होने से रोके जाँय, राष्ट्रों के आपसी विवाद समझा-बुझा कर न्यायी मध्यस्थों द्वारा हल किये जाँय ।

(५) अणुअस्त्रों पर प्रतिबन्ध के बारे में सभी राष्ट्रों को सहमत किया जाय और इस शर्त का पालन सबके लिए अनिवार्य कर दिया जाय ।


(६) सैनिक गुटबन्दियों के संगठनों को तोड़ दिया जाय । कोई भी शान्तिवादी राष्ट्र उनका सदस्य न बने ।

(७) प्रत्येक राष्ट्र व उस राष्ट्र का नागरिक विश्वशान्ति के कार्यों में सहयोग दे ।

(८) युद्धों को मिटाकर विश्व में स्थायी शान्ति स्थापित करने के लिए अपने हृदय को उदार और समन्वयशील बनाएँ ।

मेरे ख्याल से ये आठ सूत्र ही विश्वशान्ति के सक्रिय प्रयोग के लिए काफी होंगे ।

इनके अलावा समय-समय पर विश्वशान्ति-परिषदों व विश्वशान्ति-सम्मेलनों का आयोजन किया जाय और प्रत्येक राष्ट्र की प्रजा का लोकमत उस दिशा में तैयार किया जाय । □□



## मैत्री भावना

□ युवाचार्य महाप्रज्ञ

भगवान महावीर ने मैत्री का बहुत बड़ा सूत्र दिया । एक पादरी ने आचार्य श्री से कहा, प्रभु ईशु ने कितनी बड़ी बात कही है कि अपने शत्रु के साथ मैत्री करो । कितनी बड़ी बात है ? क्या इससे बड़ी बात हो सकती है ? आचार्य श्री ने कहा, यह बड़ी बात है, किन्तु भगवान महावीर ने इससे आगे की बात कही है कि किसी को शत्रु मानो ही मत । पहले शत्रु माने और फिर मैत्री करे, इससे तो अच्छा है कि किसी को शत्रु माने ही नहीं । पादरी अवाक् रह गया । उसके अह पर अव्यक्त चोट हुई । उसने रहस्य समझ लिया ।

राष्ट्रपति लिंकन प्रबुद्ध व्यक्ति थे, आध्यात्मिक व्यक्ति थे । वे घूमने जाते । सामने मिलने वाले अभिवादन करते तो वे भी अपना टोप उतार कर अभिवादन का उत्तर देते । सामने वाला कोई भी क्यो न हो, गौरा हो या काला, उनके लिए सब बराबर थे । कुछ लोगों ने कहा, आप अमेरिका के राष्ट्रपति हैं और इस प्रकार सामान्य व्यक्तियों का अभिवादन करते हैं, यह पद के लिए गौरव की बात नहीं है । राष्ट्रपति ने कहा, मैं शिष्टता के मामले में किसी से पीछे रहना नहीं चाहता । यह बात एक आध्यात्मिक व्यक्ति ही कह सकता है ।

कुछ व्यक्तियों ने लिंकन से कहा, आपके शत्रु बहुत हैं । अभी आप सत्ता में हैं । उनको समाप्त क्यो नहीं कर देते ? लिंकन ने कहा, 'उन्हे समाप्त कर रहा हूँ ।' लोगों ने कहा, अभी तक किसी को जेल में नहीं डाला, फांसी नहीं दी, देश से नहीं निकाला । फिर कैसे समाप्त कर रहे हैं ? लिंकन बोले, शिष्ट व्यवहार से सबको जीत रहा हूँ । कुछ ही समय में वे मेरे मित्र बन जायेंगे । फिर कोई शत्रु नहीं रहेगा । सब शत्रु समाप्त हो जायेंगे ।

यह मैत्री का महान् सूत्र है । इसके समक्ष शत्रु कोई रहता ही नहीं । मैत्री की भावना जागने पर अनेक समस्याएँ समाहित हो जाती हैं । प्रतिदिन हमारे मन पर अनेक मैल जमा होते जा रहे हैं । उनमें सबसे क्लिष्ट मैल है शत्रुता का, द्वेष का । इस दुनिया का यह अटल नियम है कि आदमी जैसा चाहता है वैसा होता नहीं है । इस ससार में सचि और चिन्तन का भेद है, व्यवहार और व्यवस्था का भेद है, रहन-सहन और खान-पान का भेद है,

रीति-रिवाजों का भेद है—ये सब भेद न रहें, यह कभी सम्भव नहीं है ।  
 रुचि की भिन्नता है तब तक भेद समाप्त नहीं हो सकते । इन भेदों के कारण  
 हमारे मन में शत्रुता और द्वेष का भाव पनपता है, यह अवांछनीय है ।  
 भगवान् ने कहा, दूसरे के साथ बुरा व्यवहार करने में यह देखो कि तुम्हारा  
 स्वयं का अहित हो रहा है । दूसरे का अहित हो या नहीं, यह विकल्प है,  
 निश्चित नहीं है, किन्तु तुम्हारा अहित निश्चित है, उसमें कोई विकल्प नहीं  
 है । दूसरे के प्रति तुम्हारे मन में बुरा विचार आया, चाहे उसका पता किसी  
 को न लगे, पर उसका अंकन तुम्हारे मस्तिष्कीय कोशों में हो जाएगा ।  
 उसका बुरा परिणाम तुम्हें अवश्य ही भोगना पड़ेगा । दूसरे का अनिष्ट करने  
 में स्वयं का अनिष्ट है—जो इस सूत्र को पकड़ लेता है वह कभी दूसरे का  
 अनिष्ट नहीं कर सकता । 'मैं दूसरे का अनिष्ट कर रहा हूँ'—यह सोचना  
 मूर्च्छा है । वह नहीं जानता कि पदों के पीछे क्या हो रहा है ? भीतर क्या  
 हो रहा है ? जिसके मन में मैत्री की भावना का जागरण होता है वह कभी  
 किसी का अहित नहीं कर सकता ।

सबके प्रति आत्मीय या पारिवारिक भावना होने पर मन प्रफुल्ल  
 रहता है । उसे किसी से भी भय नहीं होता । शत्रुता और भय, मैत्री और  
 अभय—ये दो युगल हैं । जिसका मन भय से भरा होता है, वह दूसरे को  
 शत्रु मानता है । जिसके मन में कोई भय नहीं होता, वह अनिष्ट करने वाले  
 को अज्ञानी मान सकता है किन्तु शत्रु नहीं मानता । सब जीवों के हित-चिंतन  
 का बार-बार अभ्यास करने से मैत्री का संस्कार पुष्ट होता है ।

मनुष्य के ज्ञात सम्बन्धों की कड़ी बहुत छोटी है और अज्ञात की  
 शृंखला बहुत प्रलम्ब है । ज्ञात स्पष्ट है और अज्ञात अस्पष्ट, इसलिए शत्रु,  
 मित्र आदि की कल्पनाये खड़ी होती हैं । अज्ञात सामने आ जाए तो ये भाव  
 स्वतः गान्त हो सकते हैं । जन्म-मृत्यु की लम्बी परम्परा से कौन अपरिचित  
 है ? किन्तु इसे साधारण लोग नहीं समझते । साधक आत्म-तुला के पथ पर  
 प्रसर होता है, उसे यह स्पष्ट हो जाए तो बहुत अच्छा है किन्तु बहुत कम  
 व्यक्तियों को अतीत ज्ञात होता है । लेकिन इतना स्पष्ट है कि मैं पहले भी  
 था, अब भी हूँ और आगे भी रहूँगा । अतीत में था तो कहां था, कौन मेरे  
 सम्बन्धी थे, आदि प्रश्न स्वतः खड़े हो जाते हैं । इस दृष्टि से साधक का मन  
 नदके प्रति मित्र भाव धारण कर लेता है । 'मिति मे सच्चभूएसु वेरं मन्म  
 केनै'—मेरा सबके साथ मैत्री-भाव है । कोई मेरा शत्रु नहीं है । यान्ति  
 चेतना ने जैसे-जैसे यह भाव पुष्ट होता जाता है वैसे-वैसे शत्रुता  
 शत्रुता का भाव नष्ट होता चला जाता है । मित्र-मन सर्वत्र प्रसर  
 शत्रु-मन अज्ञान, द्विगम

रहता है। उसमें प्रतिशोध की आग निरन्तर प्रज्वलित रहती है। मित्र-मन में ये सब दोष नष्ट हो जाते हैं। उसे भय नहीं रहता।

मैत्री-भावना का साधक स्वयं अपने को कष्ट में डाल सकता है, किन्तु दूसरो को कष्ट नहीं देता। उसकी दृष्टि में पर-शत्रु जैसा कोई रहता ही नहीं। शत्रु का भाव ही अनिष्ट करता है। खलीफा अली अपने शत्रु के साथ क्यों लड़ता रहा। एक दिन शत्रु हाथ में आ गया। उसकी छाती पर बैठ भाला मारने वाला ही था, इतने में शत्रु ने मुँह पर थूक दिया। अली को एक क्षण गुस्सा आया और बोला—‘आज नहीं लड़ेंगे।’ लोगों ने कहा, ‘कैसी मूर्खता कर रहे हैं?’ वर्षों से शत्रु हाथ आया और आप छोड़ रहे हैं।’ अली ने कहा—‘कुरान का वचन है—‘क्रोध में मत लड़ो।’ मुझे गुस्सा आ गया। शत्रु को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने पूछा—‘इतने वर्षों क्या आप बिना क्रोध के लड़ रहे थे?’ अली ने उत्तर दिया—‘हां।’ शत्रु चरणों में गिर पड़ा। उसे पता ही आज चला कि बिना क्रोध के भी लडा जा सकता है। वह मित्र हो गया। लड़ने का हेतु भिन्न हो सकता है, किन्तु क्रोध में नहीं लड़ना—यह मित्रता का परिचायक है। मैत्री भाव का विराट् रूप जब सामने आता है तब द्वैत नहीं रहता। ‘आयतुले पयासु’—प्राणियों को अपने समान देखो—यह उसका फलितार्थ है।

**स्वयं सत्य खोजें : सबके साथ मैत्री करें :**

हमें सत्य को जानना है और अपने आपको बदलना है कि हमारा शत्रुता का भाव सर्वथा नष्ट हो जाए। हमारे मन में शत्रुता का भाव रहे ही नहीं। हम आदमी को शत्रु मान लेते हैं। अपना प्रमाद, अपना दोष दूसरे के सिर पर आरोपित कर देते हैं कि उसने मेरा अनिष्ट किया है, उसने मेरा ऐसा कर दिया। कोई भी आदमी यह देखने को तैयार नहीं है कि उसने भी कुछ किया है। सारा का सारा दोष हम दूसरों के सिर मढ़ देते हैं—‘पत्थर कितने ऊबड़-खाबड़ है, मुझे ठोकर लग गयी।’ अपनी गलती से, अपने प्रमाद से ठोकर लगी, इस बात को हम स्वीकार नहीं करेंगे, किन्तु कहेंगे कि पत्थर ठीक स्थान पर नहीं थे, इसलिए ठोकर लगी। दरवाजा छोटा है, इसलिए सिर में चोट लगी; किन्तु मैंने दरवाजे को छोटा समझकर भी अपने को छोटा नहीं किया, सिकोड़ा नहीं, इसलिए चोट लगी, ऐसा कोई नहीं सोचता। उसने मेरे साथ ऐसा किया, वैसा किया। उसने मेरे मित्र को बिगाड़ डाला। उसने उसे भ्रमित कर दिया। हम सारा दोषारोपण दूसरो पर करते हैं। दूसरों में दोष देखते हैं और दूसरों को दोषी मानकर अपने आपको बचा लेते हैं। परन्तु जिसने सत्य को खोजा है, जो सत्य का खोजी है, वह दूसरों पर आरोप नहीं लगाता। वह इस बात का अनुभव करता है कि उसका

अपना ही प्रमाद बहुत सारी विकृतियां उत्पन्न कर रहा है। इसलिए वह इस प्रयत्न में रहेगा कि वह अप्रमत्त रह सके, जागृत रह सके, सतत जागरूक रह सके।

शत्रुता का इतना ही अर्थ नहीं है कि दूसरे से द्वेष रहे और मित्रता का अर्थ इतना ही नहीं है कि दूसरे से प्रेम रहे। शत्रुता का अर्थ है—अपने कर्तव्य को भुलाकर दूसरे के कर्तव्य में बुराइयां देखना। यह शत्रुता है एक प्रकार की। पत्थर के प्रति भी हमारी शत्रुता हो जाती है। हम पत्थर को भी गालियां देने लग जाते हैं। पूरा बर्तन पानी से भरा था। एक हाथ से उसे उठाया-वह फूट गया। अब इस सच्चाई को नहीं खोजा कि पानी से भरा हुआ पात्र एक हाथ से उठाया जाएगा तो छूटेगा और फूटेगा। इसको हम नहीं सोचेंगे। हम कहेंगे—पात्र इतना कच्चा था कि नहीं फूटता तो और क्या होता? यह परिणाम तो अवश्यंभावी था। इस प्रकार अपने कर्तव्य को बचाने की जो बात है वह भी एक प्रकार से दूसरों के प्रति शत्रुता है। दूसरी वस्तु चाहे सजीव हो या निर्जीव, मित्रता का अर्थ केवल प्रेम ही नहीं है। प्रेम भी मित्रता है। किन्तु वास्तव में मित्रता है—सबके अस्तित्व को स्वीकार करना, जो जैसा है उसे उसी रूप में स्वीकार करना, किसी को किसी पर आरोपित न करना। यह है मित्रता। यह अनाशातना है। जैन साहित्य का महत्वपूर्ण शब्द है 'आशातना।' जीव की आशातना होती है। अजीव की आशातना होती है। मकान की आशातना होती है। आशातना द्वेष है, शत्रुता है। अनाशातना मैत्री है। हमारा यह व्यापक दृष्टिकोण है कि हम सत्य को खोजे और सबके साथ मैत्री करे। अर्थात् जो जिसका जितना है उसे स्वीकार करे सहज भाव से और किसी पर कुछ आरोपित न करे। यह सच्चाई है। इसे हम पकड़ें। इस सच्चाई को पकड़ें बिना कोई साधना नहीं कर सकता।

### मैत्री का मनोवैज्ञानिक प्रभाव :

मानवीय सम्बन्धों की दूसरी कठिनाई है—कठोरता। आदमी अपने से छोटे व्यक्ति के साथ मृदु व्यवहार नहीं करता। अपने से बड़े व्यक्ति के साथ उसे मृदु व्यवहार करना पडता है। अन्यथा उसे स्वयं को कठिनाई भोगनी पडती है। छोटे के साथ मृदु व्यवहार करने पर बड़े का बड़प्पन भी कैसे मुराक्षित रह सकता है? यह धारणा रूढ हो गयी है। एक मालिक अपने नौकर के साथ मृदु व्यवहार करने में कठिनाई का अनुभव करता है। किन्तु बराबर के साथी के साथ वह विनम्र और मृदु व्यवहार करने में और अनुभव करता है। भला नौकर के साथ मृदु व्यवहार कैसे किया जाए? हमको तो दो-चार गालियां ही दी जानी चाहिए। इस धारणा ने सारे

व्यवहारों को अव्यवस्थित कर डाला है । आज सर्वत्र यह धारणा ही बन गयी कि छोटे के साथ तो कठोर व्यवहार ही करना चाहिए । एक मिल मैनेजर यदि मजदूरों के साथ मृदु व्यवहार करता है तो भला मिल कैसे चल सकेगी ? इस प्रकार की धारणाओं ने सामाजिक सम्पर्कों, सामाजिक सम्बन्धों और मानवीय सम्बन्धों में बहुत बड़ी दरार पैदा कर दी । हम इस बात को भूल गए कि मैत्री और प्रेमपूर्ण भावनाओं के द्वारा, निर्मल और पवित्र भावनाओं के द्वारा आदमी को जितना जगाया जा सकता है, जितना प्रेरित किया जा सकता है, उतना कठोर व्यवहार से नहीं किया जा सकता । आज वैज्ञानिक खोजों के द्वारा नयी सच्चाइयां सामने आयी हैं कि पवित्र और सद्भावनापूर्ण भावनाओं के द्वारा पौधों को विकसित किया जा सकता है । खेती को बढ़ाया जा सकता है । फूल को और अधिक विकसित किया जा सकता है । ऐसी स्थिति में पूर्ण चेतनाशील व्यक्ति को निर्मल और सद्भावनापूर्ण चेतना के द्वारा क्या विकसित नहीं किया जा सकता ? क्या वह निरा पत्थर है ? पत्थर को भी पवित्र भावनाओं से चैतन्य जैसा किया जा सकता है । जब बड़ी चट्टान को उठाना होता है पाँच-सात आदमी उस चट्टान के प्रति समर्पित होकर, संकल्पशक्ति के सहारे उसे उठा देते हैं ।

विनम्रता, मृदुता, हर किसी को पिघला देती है । आप किसी के प्रति सद्भावना करें, प्रेमपूर्ण भावना करें, वह पिघल जाता है । गाय अधिक दूध देने लग जाती है, वृक्ष अधिक फल-फूल देने लग जाते हैं और लतायें अपनी दिशा बदल देती हैं । एक ईसाई महिला ने एक प्रयोग किया । उसने कुछ पौधे लगाए । किन्तु एक लता उन पर छा जाती, उन पौधों को ढंक देती । पौधों को पनपने का मौका ही नहीं मिलता । एक दिन महिला उस लता के पास गयी और विनम्र स्वर में बोली—'लता ! मुझे दुःख है कि तुझे काटना पड़ेगा । मुझे खेद है ! तू मुझे क्षमा करना ।' उस महिला ने पौधे पर छा जाने वाली लता के भाग को काट डाला । फिर लता को सुभाव दिया कि तुम अमुक दिशा में बढ़ती जाओ । कुछ दिनों बाद देखा कि उस लता ने अपना मार्ग बदल डाला और दूसरी दिशा में बढ़ना प्रारम्भ कर दिया । जब लता भी विनम्र बात सुन लेती है, पौधा भी सुन लेता है, तब आदमी हमारी भावना क्यों नहीं सुनेगा ? हमारी मृदुता को वह न समझे, यह कैसे हो सकता है ? किन्तु हमने यह रूढ़ धारणा बना ली है कि आदमी पर मृदुता से शासन नहीं किया जा सकता । इस धारणा से मानवीय सम्बन्धों में कटुता आयी है । एक आदमी दूसरे आदमी को शत्रु या पराया मानता चला जा रहा है ।

**सरस जीवन की प्रक्रिया—मृदुता :**

जीवन की सफलता का मूल है—मरमता । मृदु व्यवहार जीवन की

सरसता का सूचक है। जिसका व्यवहार कठोर होता है, उसका जीवन सरस नहीं हो सकता। वह स्वयं भी सरस नहीं हो सकता और दूसरों में भी सरसता नहीं भर सकता। जिसका व्यवहार मृदु होता है वह स्वयं सरस होता है और दूसरों में भी सरसता भरता है।

**मैत्री की आराधना : शक्ति की आराधना :**

शक्ति के बिना मैत्री नहीं हो सकती। मैत्री की आराधना का अर्थ है—शक्ति की आराधना। सहिष्णुता एक शक्ति है। शक्ति की जब तक कामना नहीं होती, मैत्री का भाव स्थायी नहीं हो सकता। दूसरी बात है, शक्ति के बिना कलुषता का निरसन भी नहीं हो सकता। कमजोर आत्मी दिन में सौ बार मैत्री का संकल्प करता है और शत्रुता के भाव को मन से निकाल देता है। फिर परिस्थिति आती है और उसके चित्त पर शत्रुता का भाव छा जाता है। यह चित्त का आकाश कभी निर्मल नहीं होता। उसको निर्मल करने के लिए सहिष्णुता की शक्ति चाहिए, निर्मलता की शक्ति चाहिए।

**खमतखामणा का वास्तविक अर्थ :**

खमतखामणा आराधना का महत्त्वपूर्ण सूत्र है। उसका तात्पर्य है कि किसी भी व्यक्ति के प्रति तुम्हारे मन में असहिष्णुता का भाव आ जाए, कलुषता का भाव जाग जाए, उसे जात हो या नहीं, वह जाने या न जाने, किन्तु तुम अपनी ओर से क्षमा मांग लो, सहन कर लो। अपनी मैत्री को मत खोओ। उसे शत्रु मत मानो। यह महान् व्यक्तित्व की प्रक्रिया है। वह इतना विराट् बन जाता है कि उसके सामने फिर शत्रु जैसा कोई व्यक्ति नहीं होता। भगवान् महावीर को देखे। अन्यान्य साधको को देखे। वे सब अपनी साधना के द्वारा ही महान् बने थे।

**इकोलॉजी : अहिंसा जगत् का विकास :**

आराधना का कितना महत्त्वपूर्ण सूत्र है—मैत्री का विकास। मैत्री के विकास के लिए शक्ति का विकास और शक्ति के विकास के लिए सहिष्णुता का विकास, निर्मलता का विकास। जब ये सब विकास हमारी चेतना में घटित होते हैं तब दृष्टि का रूपान्तरण होता है। हम तब सचमुच इकोलॉजी के सिद्धान्त की परिधि में आ जाते हैं। आज की इस नई शाखा का विकास जितना अहिंसा के जगत् में हुआ है, आज तो उसका पुनरावर्तन हो रहा है वृत्त ही थोड़े अंश में। परस्परालम्बन, सहयोग और परस्पर निर्भरता—ये सब प्रकृति के कण-कण से जुड़े हुए हैं। ये सब अहिंसा के सिद्धान्त में घटित दिग्गमन हुए हैं।





# अहिंसक क्रान्ति की प्रक्रिया

□ दादा धर्माधिकारी

हमारे सामने सबसे पहला सवाल यह है कि हम समाज-परिवर्तन चाहते क्यों हैं ?

पहली बात तो यह है कि मनुष्य को जो प्राप्त है, उससे वह हमेशा असंतुष्ट रहता है। बहुत दिनों तक अगर वह रेशमी कपड़ा पहनता रहे, तो सोचता है कि अब कुछ दिन सूती कपड़ा पहने, तो अच्छा है। मैदान में रहने वाले हवा-खोरी और स्थान-परिवर्तन के लिए पहाड़ पर चले जाते हैं और वहाँ कहते हैं कि यहाँ सृष्टि-देवी का सौंदर्य अनुपम है, कितना रम्य स्थान है ! लेकिन पहाड़ का आदमी कहता है कि मैदान देखा नहीं, वह बहुत ही खूबसूरत होगा। मनुष्य का स्वभाव-धर्म है कि वह परिवर्तन चाहता है, वस्तु-स्थिति से संतुष्ट नहीं रहता। यह असन्तुष्टि निरन्तर-सी है। अगर प्रगति जैसी कोई चीज है, तो उसका बीज इसी में है। यह असंतोष मनुष्य की प्रगति का जनक है।

## जड़ता या परिपूर्णता :

अब सोचिये कि ऐसी कौन-सी अवस्था है, जिसमें यह असंतोष न हो। दो जवाब हैं, या तो जड़ता होगी या परिपूर्णता। 'स वै मुक्तोऽथवा पशुः'—'या तो वह मुक्त होगा या पशु।'

इसके विपरीत, परिवर्तन से मनुष्य घबराता भी है। कल ही तो कृष्ण-मूर्ति ने कहा था कि "मनुष्य को सोचने में खतरा मालूम होता है, संकट मालूम होता है, डर लगता है कि कहीं अपनी स्थिति से हम खिसक न जायँ। मनुष्य अपनी स्थिति से खिसकना नहीं चाहता, इसलिए वह परिस्थितियों के साथ और अपने-आपसे 'एडजस्टमेंट'—समझौता—कर लेता है। वह नुकसान में भी अपना फायदा देख लेता है। हानि में भी लाभ देख लेता है। और दुःख में भी सुख मान लेता है। लेकिन यह समझौता मानसिक आलस्य का लक्षण है। मनुष्य विचलित नहीं होना चाहता। किसी तरह समय काटना चाहता है।"

इसके लिए कृष्णजी ने कल 'स्लिदरिंग' शब्द का प्रयोग किया था। अर्थात् जैसे लडके पटिया पर से खिसकते और उछलते हैं, वैसे ही मनुष्य किसी तरह खिसक-उछलकर पार हो जाना चाहता है। वह समस्या को समझना नहीं चाहता।

यही आत्मतुष्टि या स्वयं-तुष्टि मनुष्य को जड़ बना देती है। तो, एक तो ऐसा मनुष्य है, जैसा पशु। पशु प्रकृति के अधीन है। इसलिए उसमें अपने जीवन के परिवर्तन की विशेष आकांक्षा नहीं है।

अब, सिद्धावस्था में परिचित नापी की दृश्या विधान लीनी आणी, एका  
पता मुझे नहीं। कल्पना और अनुभव की एक दुष्ट की भाषा नहीं जा सकता।  
हां, पशु की अवस्था का अनुभव है। किसी तरह इस अर्थ का अनुभव है।  
विदगी में व्यापक रूप में है। इसमें किसी तरह का अनुभव है। एका अर्थ में  
नाम लेते हैं। लेकिन इस तरह का अनुभव नहीं है। दूसरी अवस्था में  
विधान नहीं है।

इसी प्रकार निम्नलिखित अर्थों में एक दुष्ट की भाषा नहीं जा सकता।  
नाम लेते हैं। एका अर्थ में व्यापक रूप में है। इसमें किसी तरह का अनुभव है।  
एक अनुभव का अनुभव के अर्थ में नाम लेते हैं। एका अर्थ में व्यापक रूप में है।  
नाम लेते हैं। लेकिन इस तरह का अनुभव नहीं है। दूसरी अवस्था में

### अधिकार का व्यवहार विधान :

नाम लेते हैं। एका अर्थ में व्यापक रूप में है। इसमें किसी तरह का अनुभव है।  
एक अनुभव का अनुभव के अर्थ में नाम लेते हैं। एका अर्थ में व्यापक रूप में है।  
नाम लेते हैं। लेकिन इस तरह का अनुभव नहीं है। दूसरी अवस्था में  
विधान नहीं है।  
नाम लेते हैं। एका अर्थ में व्यापक रूप में है। इसमें किसी तरह का अनुभव है।  
एक अनुभव का अनुभव के अर्थ में नाम लेते हैं। एका अर्थ में व्यापक रूप में है।  
नाम लेते हैं। लेकिन इस तरह का अनुभव नहीं है। दूसरी अवस्था में  
विधान नहीं है।  
नाम लेते हैं। एका अर्थ में व्यापक रूप में है। इसमें किसी तरह का अनुभव है।  
एक अनुभव का अनुभव के अर्थ में नाम लेते हैं। एका अर्थ में व्यापक रूप में है।  
नाम लेते हैं। लेकिन इस तरह का अनुभव नहीं है। दूसरी अवस्था में  
विधान नहीं है।  
नाम लेते हैं। एका अर्थ में व्यापक रूप में है। इसमें किसी तरह का अनुभव है।  
एक अनुभव का अनुभव के अर्थ में नाम लेते हैं। एका अर्थ में व्यापक रूप में है।  
नाम लेते हैं। लेकिन इस तरह का अनुभव नहीं है। दूसरी अवस्था में  
विधान नहीं है।  
नाम लेते हैं। एका अर्थ में व्यापक रूप में है। इसमें किसी तरह का अनुभव है।  
एक अनुभव का अनुभव के अर्थ में नाम लेते हैं। एका अर्थ में व्यापक रूप में है।  
नाम लेते हैं। लेकिन इस तरह का अनुभव नहीं है। दूसरी अवस्था में  
विधान नहीं है।

T  
२  
३

अपनी बात समझाना चाहते हैं, इसका क्या मतलब है ? दूसरे की बात समझने की तत्परता होती है, तभी समझाने का अधिकार आता है; दूसरे को समझाने के लिए तभी दावा कर सकते हैं। जिसे आप 'अहिंसक क्रान्ति' कहते हैं, वह समझने और समझाने की क्रान्ति है। हम पहले समझेंगे और बाद में समझाएंगे।

### विनयशीलता या तटस्थता :

हमें यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि हमारा मुख्य साधन समझना और समझाना है। जब हम समझाने के लिए उपवास आदि अवांतर उपायो से काम लेते हैं, तब हमें यह समझ लेना चाहिए कि दूसरा आदमी भी हमें समझाने के लिए इन उपायों से काम ले सकता है। आप कहते हैं कि "मैंने हजार बार समझाया, लेकिन इसकी समझ में ही नहीं आता, इसलिए अब समझाना-बुझाना छोड़, अपनी बात मनवाने के लिए दूसरे ऐसे उपाय से काम लूंगा, जिससे उसे किसी तरह की हानि न पहुँचे, कष्ट न हो।" लेकिन इससे पहले हमें सोचना चाहिए कि यदि मैं समझाने के लिए इस उपाय से काम लेता हूँ, तो समझने के लिए इससे काम क्यों नहीं लेता ? हम अपनी बात दूसरे के गले उतारना चाहते हैं। उसे समझाने के लिए इन अवांतर उपायो से काम लेते हैं। कहते जरूर हैं कि मैं अपनी आत्मशक्ति बढ़ा रहा हूँ। लेकिन किस लिए—तो समझाने के लिए। किन्तु अहिंसा में अगर इन अवांतर साधनों का प्रयोग हो भी, तो वह अपनी समझने की शक्ति बढ़ाने के लिए होना चाहिए। हमें यह बहुत अच्छी तरह जान लेना चाहिए कि समझने की शक्ति जितनी बढ़ती है, समझाने का अधिकार भी उतना ही प्राप्त होता है।

'अधिकार' शब्द संस्कृत का है। उसका मतलब है पात्रता। हिन्दी में अधिकार का मतलब 'स्वामित्व' कहाँ से आया, पता नहीं। हममें समझाने की क्षमता उस अनुपात में प्राप्त होती है, जिस मात्रा में हमने समझने की योग्यता प्राप्त की हो। आज हो क्या रहा है ? हम समझाने की अधिक कोशिश करते हैं, समझने की कम। इसलिए हमारे दर्शन में भी अहिंसा नहीं आ पाती।

आज 'अहिंसा' शब्द ऐसा हो गया है कि उसके साथ बहुत-सी बातें मिल गयी हैं। उसका नाम लेते ही कई चीजें मन में खड़ी हो जाती हैं। बुद्ध, महावीर, गांधी, शाकाहार, सत्याग्रह, अनशन आदि के सपने आ जाते हैं। इसलिए उस शब्द को अलग रख ले और 'विनयशीलता' या 'तटस्थता' शब्द ले ले। समाज-परिवर्तन में ऐसे उपायों से काम लेना चाहिए कि जिनमें समझाने की कोशिश कम और समझने की कोशिश ज्यादा हो।

### नानव अपवाद भी है, विभूति भी :

हर एक चाहता है कि मेरे दिमाग की दुनिया और इन्सान बने। लेकिन गांधी के लिए ऐसा इन्सान उनके तनय नहीं बने, 'विनोबा' बने। अगर आपका

तनय नहीं बन सकता, तो शिष्य बन सकता है। अगर मेरा तनुज मेरे मन के मुताबिक नहीं बन सकता, तो कम-से-कम मेरा आत्मज, मानस-पुत्र, मेरे मन के अनुसार, मेरे ढाँचे का बने। अहिंसक क्रांति में इस बात की बहुत बड़ी आवश्यकता है कि हम पहले से न सोच लें कि दूसरा आदमी हमारे ढाँचे में टले। हर व्यक्ति अपने में अपवाद भी है और अपने में विभूति भी। यह नहीं होना चाहिए कि हम उसे अपने ढाँचे में ढालें।

हमारे एक मित्र है। पहले वे असेबली में थे। वैसे तो मुझसे छोटे हैं, लेकिन हैं बड़े होशियार। उन्होंने एक बार कहा : “आजकल आप किस दुनिया में रहते हैं ?” मैंने कहा : “मैं उसी दुनिया में रहता हूँ, जिसमें आप रहते हैं।” उन्होंने कहा : “क्या तुम जानते हो कि अब तो हम मनुष्य को भी विज्ञान से बनायेंगे। आँख की जगह आँख, नाक की जगह नाक, हृदय की जगह हृदय, मस्तिष्क की जगह मस्तिष्क—यह तो होता ही था; लेकिन अब तो मनुष्य ही बनायेंगे। अब आप क्या कहेंगे ?” हमने कहा : “अगर हमें दुबारा बनाना हो, तो आप न बनाइये। जिस भगवान् ने हमें बनाया, उससे भी हमें शिकायत है। उसने हमें यह शरीर दिया। भीमकाय क्यों नहीं किया ? मदन जैसा रूप क्यों नहीं दिया ? गधर्व की आवाज क्यों नहीं दी ? वह तो सर्वशक्तिमान् था उसने हमें इतना भद्दा बनाया, तो क्या पता कि तुम कैसा बनाओगे ? जितनी तुम्हारी अवल होगी, उतना ही तो तुम बना पाओगे न ?” विज्ञानवादी जैसे स्थूल भूमिका से मनुष्य और सृष्टि का निर्माण करना चाहता है, वैसे ही हम आध्यात्म से भी करना चाहेंगे, तो अनर्थ ही होगा। यह ‘रेजिमेन्टेशन’ टकसाली ढंग है।

### वशीकरण के गलत प्रकार :

आगे जो दुनिया होगी, उसमें मनुष्य को मनुष्य नहीं बनायेगा। हम तो यहाँ तक कहते हैं कि मनुष्य अपने को भी नहीं बनायेगा। एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को बनायेगा, यह गलत चीज है। वैसे आज तो सभी एक-दूसरे को ‘बनाते’ ही हैं ? एक ‘डिप्लोमेट’ (कूटनीतिज्ञ) दूसरे ‘डिप्लोमेट’ को बनाता है। ‘डिप्लोमेसी’ (कूटनीति) का अर्थ यही है कि मैं आपको बनाऊँ और आप मुझे। लेकिन जिस तरह की प्रत्रिया का प्रयोग हम करना चाहते हैं, उसमें यह चीज नहीं आ सकती। आप कहेंगे कि इसमें कोई हिंसा तो है नहीं, किसीको उराया-धमकाया नहीं, जबरदस्ती भी नहीं की। लेकिन किसी आदमी के भेदपन, उसकी विश्वासपरकता से अगर हम लाभ उठा लेते हैं, तो वह थोड़ा है। इन तरह शारीरिक और मानसिक स्तर पर किसीको बनाना हमारी दुनिया में आ नहीं सकता।

इसी प्रकार आध्यात्मिक स्तर पर भी मनुष्य मनुष्य को न बनाये। स्तर पर बनाने का प्रकार है—मैस्मरिज्म, सम्मोहन। किसी भी बड़े स्टेमन

जाकर देखेंगे, तो डेल कानेंगी की किताबे विकती है। 'हाउ टु इन्फ्ल्यूएन्स पीपुल?' (लोगों को कैसे प्रभावित करे?) किसी की शादी करनी हो, तो लडका या लडकी का वशीकरण कैसे करे? ये सब वशीकरण के उपाय हैं। सारा का सारा अथर्ववेद 'मंत्र-विद्या' है। जारण, मारण, उच्चाटन, वशीकरण के तावीज मिलते हैं। बीस-पचीस रुपये भेज दिये, तो वशीकरण का एक तावीज आ जायगा।

ये सारे अमानुषता और पुरुषार्थहीनता के प्रकार हैं। इनसे नम्रता भी नहीं है। मर्दानगी और इन्सानियत भी नहीं। मर्दानगी इसलिए नहीं कि हम दूसरों को मूर्च्छित कर देना चाहते हैं, सुला देना चाहते हैं, परास्त करना चाहते हैं। यह पौरुष नहीं है। वीरता दूसरे की वीरता खंडित करने में नहीं है। एक दीपक दूसरे दीपक को बुझा नहीं सकता। एक दीया दूसरे दीये को बुझाता हो, तो उसमें चिराग की तासीर, चिराग का लक्षण ही नहीं है। वीरता से वीरता पैदा होनी चाहिए। वीरता से अंगर भीरुता पैदा होती है, तो वीरता ने अपना गुण छोड़ दिया, अपनी असलियत छोड़ दी। इसीलिए वीरता ऐसी न हो, जो भय पैदा करे। दूसरों के चित्त को अपने कब्जे में कर लेने वाली जितनी युक्तियाँ हैं, उनमें न मर्दानगी है, न इन्सानियत; न पुरुषार्थ है, न मानवता।

### अनाग्रह का मार्ग :

हम इसका प्रयोग करना नहीं चाहते, भले ही हमें सफलता न मिले। सफलता हमें व्यग्र कर देगी। व्यग्र एकाग्र से विरुद्ध है। फिर हमारा ध्यान समझाने की तरफ नहीं रहेगा, सफलता की तरफ ही रहेगा। जहाँ सफलता की तरफ ध्यान गया, वही समझाने की तरफ से ध्यान हट जायगा। सफलता का विचार मनुष्य के मन में अधीरता पैदा कर देता है, फिर चित्त एकाग्र नहीं रहना और जहाँ एकाग्रता नहीं, वहाँ नम्रता, विनयशीलता हो नहीं सकती, समाज-परिवर्तन भी नहीं हो सकता। अगर इन रास्तों को छोड़कर दूसरे रास्ते से जाना है, तो उस रास्ते को जो जानने वाले हैं, उनके साथ ही जाना होगा। अलग रहने का आग्रह नहीं रखना चाहिए। जिस रास्ते को हमने सही समझा, अपने में उस रास्ते से जाने की ताकत न पैदा हो, दूसरा रास्ता बनाना जरूरी हो, तो पहले से ही दूसरे रास्ते पर 'डबल मार्च' करने वाले जो लोग हैं, उनके साथ ही जाना चाहिए। 'अनाग्रह' की बात यहाँ आती है।

'आग्रह नहीं रखेंगे', इसका मतलब क्या है? इसका इतना ही मतलब है कि आग्रह अपना होता है। किसी तत्त्व का नहीं। विनोवा-वेद से एक शब्द देते हैं—'मम सत्यम्।' यह असत्य का दूसरा लक्षण है। जब सत्य 'मेरा' बन जाता है, तब उसका नाम है असत्य। तटस्थता तब आती है, जब अपने संस्कारों को अलग रखा जाता है। अपनी बात को लेकर दूसरे की बात नहीं समझी जा सकती। आग्रह हमेशा अहंकार के साथ जुड़ा होता है। जितनी अहंता होगी,

Handwritten musical notation consisting of approximately 12 staves. The notation includes various notes, rests, and bar lines, typical of a musical score.

Handwritten section title or label, possibly indicating a specific part of the composition.

A large section of handwritten musical notation, consisting of approximately 20 staves. This section appears to be a more complex or extended part of the piece, with dense notation and frequent use of accidentals.

Handwritten section title or label, marking the beginning of a new part.

A final section of handwritten musical notation at the bottom of the page, consisting of approximately 5 staves.

(प्रचार) अपनी बात समझाने की कोशिश के लिए है, दूसरे की बात समझने की कोशिश के लिए नहीं। विनोबा कहते हैं: “प्रकाशन चाहिए, प्रसिद्धि नहीं।” प्रकाशन क्या करता है? अपनी बात के साथ दूसरे की बात को भी प्रकाशित करता है। एक चिराग दूसरे चिराग को जलाता है। लेकिन प्रचार अपनी आग जलाता है, पर दूसरे की ज्योति बुझा देता है। वह ठीक नहीं।

हम 'रेजिमेंटेशन' न करें। अपनी बात दूसरों पर न थोपें। अवान्तर साधनों का उपयोग हम दूसरों की बात समझने के लिए करें, अपनी बात समझाने के लिए नहीं। नहीं तो हम एक अहिंसक रेजिमेंटेशन बनायेगे, जिसमें शस्त्र और सत्ता नहीं रहेगी। वह राज्य-निरपेक्ष, शस्त्र-निरपेक्ष रेजिमेंटेशन होगा। वह भी हम नहीं चाहते। उसमें भी हम मनोवैज्ञानिक दृष्टि से दूसरे पर कब्जा करना चाहते हैं। सूक्ष्म दबाव के तौर पर आपने उपवास कर दिया या किसी दूसरे ऐसे उपाय का प्रयोग किया, तो देखने में वह अहिंसक ही है, फिर भी वह मनवाने का उपाय है, समझाने का नहीं।

### धार्मिक स्तर :

तीसरा स्तर धर्म का आता है। धर्म के सम्बन्ध में हम क्या करते हैं? दो प्रकार के प्रयोग करते हैं। एक योग-विद्या का और दूसरा सम्मोहन-विद्या का। दोनों में चमत्कार है। आश्रय चमत्कार का है। मराठी भाषा में कहावत है: 'चमत्काराशिवाय नमस्कार नाही।'—'चमत्कार के बिना नमस्कार नहीं।' आपके साधुत्व को मानने के लिए कोई तैयार नहीं, या तो आपमें चमत्कार की शक्ति हो या सम्मोहन की शक्ति।

एक पतिव्रता स्त्री अपने पति की सेवा में लगी हुई थी। उतने में एक बहुत बड़ा तपस्वी ब्राह्मण उसके दरवाजे पर अलख जगाता हुआ भिक्षा के लिए आया। लेकिन वह तो पति-सेवा में लगी थी, इसलिए भिक्षा देने में पाँच मिनट देर हो गयी। ब्राह्मण शोला हो गया। वह आयी, तो बेचारे ने आँखें बन्द कर ली। भोली में भिक्षा ले ली और ऊपर देखा। पेड़ पर एक पक्षी बैठा था, वह मर गया। उसने कहा: “देवी, अगर मैं आपकी तरफ देखता, तो आपकी भी यही स्थिति होती।” उस तपस्वी ब्राह्मण की आँख में इतनी शक्ति थी! दूसरे दिन भी वह भिक्षा लेने आया। भिक्षा देने के बाद उस पतिव्रता स्त्री ने सूरज की तरफ देखा, तो सूरज छिप गया। यह देखते ही तपस्वी ने उसे नमस्कार किया और कहा कि “मैं हार गया। आपमें मुझसे ज्यादा शक्ति है!” एक कहता है कि “हमारे पास हाइड्रोजन बम है, तुम्हारा कुछ नहीं चलेगा।” तो दूसरा कहता है कि “मेरे पास स्पुतनिक है।” तो, वैज्ञानिक आविष्कार का चमत्कार हो या योग-विद्या का, सम्मोहन का चमत्कार हो या तो कुछ मैजिक, हिप्नाटिज्म, विचक्रैफ्ट—जंतर-मंतर—जैसा, या फिर धर्म की सत्ता हो। यह भी 'रेजिमेंटेशन' की ही पद्धति है।

आध्यात्मिक स्तर :

अन्त में हम आते हैं आध्यात्मिक स्तर पर, जिसे लोगों ने वैचारिक प्रभुत्व (आइडिआलाजिकल डॉमिनेशन) कहा है। सारे विश्व पर मेरा विचार छा जाय। विश्व वैसा ही बने, जैसा कि मैं चाहता हूँ। यह तो मेरी ही कल्पना का विश्व बनाना हुआ न? भगवन् प्रसन्न हो गये। वरदान माँगा। बहुत अच्छा आलीशान मकान हो, बगीचा हो, मोटर हो, ड्राइवर हो, दो रसोइये हो, हर घंटे सामने आकर हाथ जोड़कर खड़े हों। यह आपकी कल्पना का जगत् हुआ। फिर विनोबा से हम कहेंगे कि यहाँ रहने आओ, तो वे कहेंगे कि "यहाँ मेरी तो तबीयत ही नहीं लगती! मुझे जंगल में अच्छा लगता है, वहीं रहूँगा।" "तो क्या फिर हम आपके पास जंगल में आये?" यहाँ दोनो का झगडा शुरू हो गया। दो नकशे बनाये। अब हर एक अपने-अपने नकशे में दूसरे को रखना चाहता है। इस तरह अध्यात्म के क्षेत्र में वैचारिक प्रभुत्ववाद होता है।

जब इस साधना-केन्द्र की बात आयी, तो शंकररावजी ने कहा कि जहाँ नक शारीरिक सुविधाओ का सम्बन्ध है, वे सबके लिए समान होंगी, सबको प्राप्त हो सकेगी। इसका यह मतलब नहीं कि वे जबरदस्ती सबको प्राप्त करनी ही पड़ेगी। उपभोग आवश्यक नहीं, सुलभता होनी चाहिए। इस तरह जितनी सुविधाएँ हैं, सर्वसुलभ होंगी, एक हद तक सबके लिए समान होंगी। इसके आगे समझौता नहीं होगा। जब हम कहते हैं कि रेजिमेंटेशन नहीं होगा और साथ-साथ यह भी कहते हैं कि विपमता भी नहीं होगी, तो 'रेजिमेंटेशन नहीं होगा' का मतलब होता है, हम दूसरे के शरीर का उपयोग उसकी इच्छा के विरुद्ध नहीं कर सकेंगे। अर्थात् कोई संस्था, समाज या राज्य भी किसी व्यक्ति का उपयोग नहीं करेगा। रेजिमेंटेशन के साथ 'कान्स्क्रिप्शन' भी आता है। 'कान्स्क्रिप्शन' का अर्थ है, जबरदस्ती सिपाही बनाना। युद्ध के समय हम कहते हैं कि हर व्यक्ति को सिपाही बनना ही पड़ेगा। किन्तु हम कहते हैं कि किसी मनुष्य के शरीर का उपयोग उसकी मर्जी के खिलाफ कोई नहीं कर सकेगा। इसकी हद कहाँ होगी? 'क्वोचर कंफर्ट' याने स्वास्थ्य और शारीरिक उपभोग के लिए जिनका काम आवश्यक है सबके लिए समान होगा। इससे आगे 'कान्स्क्रिप्शन' नहीं।

भामुदायिक पुरुषार्थ आवश्यक :

इस दिशा में हम जाना चाहते हैं। हम इस तरह समाज-परिवर्तन करेंगे, जहाँ मतलब इतना ही है कि हम अपने लिए ऐसी स्थिति, ऐसी भूमिका प्राप्त करेंगे। 'हम' कहने पर मैं अकेला नहीं रह जाता, सामाजिक पुरुषार्थ भी आता है। विनोबा कहता है कि सामूहिक मुक्ति और भामुदायिक पुरुषार्थ ही चाहिए। एक व्यक्ति परिस्थिति का निर्माण नहीं कर सकता। नए



मिलकर करना चाहिए। सहकर्म, सहपुरुषार्थ और सहवीर्य होना चाहिए। जिस परिस्थिति का निर्माण करना हो, सब मिलकर करेंगे। परिस्थिति सबके लिए है, इसलिए उसमें स्थूल कर्म होना चाहिए, स्थूल पुरुषार्थ होना चाहिए। क्लेश और कष्ट सामुदायिक हैं, संकट सामुदायिक है, इसलिए पुरुषार्थ भी सामुदायिक होना चाहिए। इसके समझने में कोई दिक्कत नहीं है। जैसे बाढ़ आती है, भूकम्प आता है, शहर में आग लग जाती है—इन सामुदायिक संकटों से बचने के लिए पुरुषार्थ भी सामुदायिक ही चाहिए।

सामुदायिक पुरुषार्थ हो और रेजिमेंटेशन न हो, इसलिए वह पुरुषार्थ सर्वसम्मत होना चाहिए। नहीं तो जो कम है, उन्हें उनकी बात माननी पड़ेगी, जोकि ज्यादा हैं। इसलिए यह जरूरी है कि सामुदायिक पुरुषार्थ सर्वसम्मत से हो। अल्पसंख्या पर बहुसंख्या की सत्ता न हो। बहुसंख्य अल्पसंख्य को समझाये। समझाने के लिए पहले क्या करे? बहुसंख्य अल्पसंख्य को समझे। जिस व्यवस्था में समझना और समझाना अधिक-से-अधिक होता है, वही 'लोकतन्त्र' कहलाती है।



## अहिंसक : अहिंसा

अहिंसा की शक्ति अमाप है, वैसी ही अहिंसक की है। अहिंसक स्वयं कुछ नहीं करता, उसका प्रेरक ईश्वर होता है।

—महात्मा गांधी

जो अहिंसक है और ज्ञान-विज्ञान से तृप्त है, वही ब्रह्मा के आसन पर बैठने का अधिकारी होता है।

इन्द्रियो के निग्रह से, राग-द्वेष की विजय करने से और प्राणी-मात्र के प्रति अहिंसक रहने से साधक अमरत्व प्राप्त करता है।

—मनुस्मृति

अनेको को जो एक रखती है, भेदों में से अभेद ढूँढती है, वही अहिंसा है।

—विनोबा भावे



# अहिंसा जीवन के भीतर : अहिंसा जीवन के बाहर

□ डॉ. महेन्द्र सागर प्रचंडिया

जन्म-मरण प्राणि-चर्या के अनिवार्य परिणाम है। प्राणी शुभ-अशुभ जैसे कार्य करता है, तदनुसार उसे अपने कर्म-फल भोगने पड़ते हैं। शुभ-कर्म सुख-दायी परिणाम देते हैं और अशुभ कर्म का परिणाम होता है सर्वथा दुःखद। अशुभ कर्मों के मूल में पाँच प्रमुख दुष्प्रवृत्तियाँ सक्रिय रहती हैं—हिंसा, भूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह। संसार की तमाम दुष्प्रवृत्तियाँ इन्हीं में अन्तर्भुक्त हो जाती हैं। यहाँ हिंसा-अहिंसा पर संक्षेप में चर्चा करना हमारा मूल अभिप्रेत है।

हिंसा एक दुष्प्रवृत्ति है। भूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह इसका पोषण करती हैं। इन सभी दुष्प्रवृत्तियों के विनाश करने के लिए प्राणी को सयम और तप का आचरण करना पड़ता है। जीवन-चर्या से जैसे-जैसे हिंसा नामक दुष्प्रवृत्ति का समापन होता जाता है, वैसे-वैसे जीवन में अहिंसा-स्वभाव का जागरण होने लगता है। इसके यह अर्थ कभी नहीं है कि हिंसा के अभाव में अहिंसा का जन्म होता है। वास्तविकता यह है कि अहिंसा आत्मिक स्वभाव है और आत्मा के साथ वह सर्वदा विद्यमान रहता है। अहिंसा के जागरण पर हिंसा का उन्मूलन होता है।

कषाय आत्म-प्रदेश पर आच्छन्न होते हैं, लेश्याएँ उन्हें पुष्ट करती हैं। जैसे सूर्य पर धूल कण आच्छन्न हो जाते हैं और उसके प्रकाश को ढक लेते हैं। काषायिक परते आत्म स्वभाव को ढक लेती हैं। काषायिक धूल धुलते ही आत्म-स्वभाव का आलोक फैलने लगता है।

कर्म की कर्म-शाला बड़ी विचित्र है। वह जीवन के बाहर और जीवन के भीतर निरन्तर सक्रिय रहती है। जीवन के बाहर वह शरीर के द्वारा सम्पन्न होती है और वह पर को और पर-परिवार को प्रभावित करती है जबकि जीवन के भीतर वह भावात्मक रूप में सक्रिय रहती है और प्रायः स्वयं को प्रभावित करती है। भाव हिंसा द्रव्य हिंसा को भी प्रभावित करती है। इसीलिए यह अपेक्षाकृत अधिक भयंकर तथा दूरगामी परिणाम रखती है। कर्म की तात्कालिक नीमासा जैन-दर्शन में बड़ी बारीकी तथा विज्ञद रूप में की गई है।

प्राणी का जन्म-मरण-परक खेल कर्म-परिणाम पर निर्भर करता है। कर्मों में और नए सभी प्रकार के जब कटे तब उसका निष्कर्ष होता है।

निष्कर्म होने पर प्राणी का जन्म आखिरी होता है, और होता है उसका आखिरी मरण। शास्त्रीय शैली में इसी को प्राणी का मुक्त होना कहा गया है।

जीवन के बाहर हिंसा क्रिया प्रधान है। हिंसा जब क्रिया प्रधान होती है तब वह संकल्पी, आरम्भी, उद्योगी तथा विरोधी रूप धारण करती है। किसी प्राणी को जान-बूझ कर आघात पहुँचाना वस्तुतः संकल्पी हिंसा कहलाती है। मनोरंजन, आखेट आदि क्रियाएँ भी संकल्प पूर्वक सम्पन्न होती हैं। अतः ऐसी क्रियाएँ संकल्पी हिंसा को जन्म देती हैं। भोजन बनाते, घर-बाहर की सफाई करते, वस्त्र आदि धोते तथा इसी प्रकार की सभी क्रियाएँ करते समय जो हिंसा होती है, उसे आरम्भी हिंसा कहा जाता है। जीवन-पोषण हेतु, सामाजिक तथा राष्ट्रीय दायित्व निर्वाह हेतु, कृषि-व्यापार आदि उद्योग करने-कराने में जो हिंसा होती है, उसे उद्योगी हिंसा कहा जाता है। परकीय अथवा स्वकीय आक्रान्ताओं, शील तथा धर्म-विरोधियों तथा समाज विरोधी तत्त्वों से रक्षा करते समय जो हिंसा होती है, वही वस्तुतः विरोधी हिंसा है।

इस प्रकार यह सहज में कहा जा सकता है कि घर के भीतर और बाहर प्राणी वैयक्तिक तथा समाजगत कोई काम करता है तो उसमें होने वाली हिंसा वस्तुतः अधिक भयंकर नहीं है। सत अथवा सन्यासी इस प्रकार की आवश्यक हिंसा को भी नहीं करते, पर गृहस्थ-जीवन चर्या इसके बिना सम्पन्न नहीं हो सकती। फिर प्रश्न उठता है हिंसा से बचने के लिए हमें निश्चेष्ट रहना चाहिए? निश्चेष्ट रहना भी एक प्रकार की हिंसा है। जैन धर्म और दर्शन के अनुसार हमें किसी भी कर्म को करते समय प्रमादी अथवा मूर्च्छित नहीं होना चाहिए। प्रमादी अथवा मूर्च्छित अवस्था में प्राणी प्रायः कृत, कारित तथा अनुमोदन परक हिंसा करता है जो सर्वथा सदोष है।

प्रमाद में मन की क्लृप्तता, अज्ञानता तथा असावधानप्रियता प्रायः सक्रिय हो जाती है। जीवन-चर्या में यदि प्रमाद है तो वहाँ कषाय अवश्य है। कषायजन्य प्रवृत्तियाँ प्रायः हिंसा को जन्म देती हैं। इतना ही नहीं, ये उसे पोषती और पल्लवित भी करती हैं। कषाय कुल से आत्मा की निर्मलता और पवित्रता प्रायः प्रच्छन्न हो जाती है।

प्राणी के भाव-जगत् में कषायजन्य द्वेष और द्वन्द्व जब उदय होते हैं तब मनोविकारों में उत्तेजना उत्पन्न होती है, इसी से भाव हिंसा का जन्म होता है। दूसरे का घात करने का भाव, उस भाव को सम्पन्न करने की योजना तैयार करने तक का व्यापार भाव हिंसा में आता है और जब यह योजना कार्यान्वित होती है तभी द्रव्य हिंसा अपना रूप धारण कर लेती है। इस प्रकार द्रव्य-हिंसा से भाव हिंसा अधिक बलवती है। भाव हिंसा दियासलाई की तीली की भाँति है जो जलकर स्वयं को भस्म करती है और जब वह दूसरों को जलाने में सक्रिय हो जाती है तब वस्तुतः द्रव्य हिंसा का रूप धारण कर लेती है।

हिंसा अपना प्रभाव जीवन के भीतर और जीवन के बाहर तक डालती है। जीवन के भीतर भाव हिंसा और जीवन के बाहर द्रव्य हिंसा का सम्यक् परिपाक होता है। जीवन-चर्या को भाव और द्रव्य हिंसा किस प्रकार दूषित और दुःखद बनाती है, यह कहने की आवश्यकता नहीं है। सासारिक जीवन इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। अहिंसक जीवन-चर्या सदा बाहर और भीतर सुख-शान्ति और सौहार्द का वातावरण उत्पन्न करती है।

हिंसा के परिपाक पर किञ्चित् विचार कीजिए। जीवन में यदि भाव हिंसा का उदय है किन्तु द्रव्य हिंसा चरितार्थ नहीं हो पाती, तो भी जीवन-चर्या हिंसक कहलाएगी। ऐसी हिंसा जीवन में प्रत्याख्यान, अप्रत्याख्यान तथा अनन्तानुबन्धी कर्म का बंध बांधती है जिसे बिना भोगे क्षय करना प्रायः सम्भव नहीं होता। यदि द्रव्य हिंसा हो किन्तु भाव हिंसा न हो तो इस प्रकार की हिंसा का परिणाम इतना भयकर नहीं होता। डॉक्टर द्वारा आपरेशन, अध्यापक द्वारा प्रताडना तथा सकल्पी हिंसा को छोड़कर शेष सभी प्रकार की द्रव्य हिंसा प्रायः डमी कोटि में सम्मिलित की जा सकती है। इस प्रकार की हिंसा वस्तुतः सज्वल कोटि का कर्म बंध बांधती है, जिसको क्षय करना कठिन नहीं है। मूल बात तो तब उत्पन्न होती है, जब भाव-हिंसा भी हो और द्रव्य-हिंसा भी हो। ऐसी हिंसा प्रायः अनन्तानुबन्धी कर्म का बंध बांधती है। ऐसे विकट कर्मबंध अनेक जन्मों तक क्षय नहीं हो पाते और जीव घोर दुःखों को भोगता रहता है। नारकिक जीवन यातनाएँ भोग-भोग कर प्राणी निकृष्ट दशा में जीवन जीता है। ऐसी दशा में जीव स्व और पर दोनों का ही विनाश और पतन प्राप्त करता है।

इसके अतिरिक्त एक अवस्था यह भी हो सकती है जब जीवन में न तो भाव हिंसा हो और नाही द्रव्य हिंसा हो। इस पुनीत एवं विशुद्ध जीवन-चर्या को कोई महानात्मा, संत-शिरोमणि ही जीता है। सार-सक्षेप में कहा जा सकता है कि भाव हिंसा और द्रव्य हिंसा के योग से हिंसा का पूर्ण परिपाक भयकर परिणाम पैदा करता है।

हिंसक जीवन-चर्या का परिणाम सदा दुःखद होता है अतः मुखद जीवन-चर्या के लिए यह अत्यन्त आवश्यक है कि अहिंसा भाव को जागृत किया जाय। अहिंसा का मेरुदण्ड है—समता। ससार की सभी आत्माओं के प्रति समत्वचरिण्ड रखना वस्तुतः समता है। जब प्राणी अपनी आत्मा के समान अन्य प्राणियों की आत्माओं को अनुभव करने लगता है तो वह हिंसा जैसे निकृष्टतम कृत्य को नहीं कर सकता। ऐसे मनोभाव के उत्पन्न होने पर जीवन से सन्देह, अविश्वास, द्वेष, शून्यता वा सर्वथा परिहार हो जाता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति की नमान-वृत्त नमन्धो का पूर्णतः प्रक्षालन तथा परिष्कार हो जाता है। अन्त-भेद, अज्ञान-भेद की सकीर्ण तथा क्षुद्र विचारधागाएँ विनिर्जित हो जा

फलस्वरूप समुदाय और समाज में मानवीय मूल्यों की पूजा प्रारम्भ होने लगी है। अहिंसा प्राणी मात्र को पूर्ण विकास की प्रेरणा देती है।

आज के व्याप्त सामाजिक प्रदूषण में हिंसा की नहीं, पूर्णतः अहिंसा की आवश्यकता है ताकि जन-जीवन में पारस्परिक प्रेम, सौहार्द और सहानुभूति को भव्य भावना उत्पन्न हो और एक आदर्श जीवन जीने के लिए एक स्वस्थ वातावरण उत्पन्न किया जा सके। तब प्राणी स्व और पर कल्याण की भव्य भावना का नित्य चिन्तन करेगा—

सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी न घबरावे ।  
वैर-पाप अभिमान छोड़ जग, नित्य नए-मंगल गावे ॥

— निदेशक, जैन शोध अकादमी  
३६४, सर्वोदय नगर, आगरा रोड, अलीगढ़-२०२००१

## शाही फरमान

□ श्री राजेन्द्र प्रसाद जैन

सन् १८५७ ई. में दिल्ली मात्र चार माह स्वतंत्र रही पर इस अल्प-कालीन स्वतंत्रता में, क्रान्तिकारियों का नेतृत्व करने वाले, अंतिम मुगल-सम्राट् बहादुर शाह जफर ने गो-वध पर प्रतिबन्ध लगाकर जो काम अजाम दिया उसके लिए वह इतिहास में सदैव अमर रहेगा।

उसने २८ जुलाई, १८५७ को गो-वध पर प्रतिबन्ध लगा कर जो शाही फरमान जारी किया, वह इस प्रकार था—

“खल्क खुदा की, मुल्क बादशाह का, हुक्म फौज के बडे सरदार का। जो कोई इस मौसम बकरीद में या उसके आगे-पीछे गाय या बैल या बछड़ा या बछड़ी लुकाकर या छिपाकर अपने घर में जिवह और कुरबानी करेगा वह आदमी हुजूर जहाँपनाह का दुश्मन समझा जावेगा और उसको सजा-ए-मौत दी जावेगी। और इतिहास साक्षी है कि १ अगस्त, १८५७ को दिल्ली में सम्पन्न बकरीद पर एक भी गौ की हत्या नहीं हुई—हिन्दू-मुसलमान भाईचारे के साथ एक दूसरे से गले मिल रहे थे—उस दिन सभी ने फिरगियों के खिलाफ साम्प्रदायिक एकता को मजबूत करने का संकल्प लिया था।

—एडवोकेट, भवानी मंडी



# अहिंसा-वृक्ष की जड़ को सींचें

□ श्री मोफतराज मुणोत

देश-विदेश के सभी धर्मों में अहिंसा को परम धर्म बताया गया है। जैन धर्म में अहिंसा की अति सूक्ष्म और गहरी व्याख्या की गई है। किसी को मारना ही हिंसा नहीं है बल्कि किसी के प्रति मन में बुरे विचार लाना, कठोर, कर्कश-बाणी का प्रयोग करना भी हिंसा है। भगवान महावीर ने अहिंसा के साथ तप व सयम को जोड़ कर उसे व्यवहार में लाने पर बल दिया। महावीर स्वयं अहिंसा के पथ पर चले और दूसरों को चलने की प्रेरणा दी।

भगवान महावीर को हुए आज २५०० वर्ष से अधिक समय हो गया है, पर देखने में आता है कि जीवन और समाज में अहिंसा का पालन जिस अनुपात में होना चाहिये, नहीं हो पा रहा है। इसका एक प्रमुख कारण मेरी समझ में यह है कि हमने अहिंसा को "किसी जीव को न मारना" तक ही सीमित कर दिया है। हमारे अधिकांश भाई-बहिन सूक्ष्म से सूक्ष्म जीव भी न मरे, इस दृष्टि से पानी छानकर पीते हैं, पाँच तिथियों पर हरी सब्जी नहीं खाते हैं, जमीकन्द की सौगन्ध रखते हैं, रात्रि भोजन नहीं करते हैं, सावधानी पूर्वक चलते हैं, ताकि कहीं कीड़ी-मकोड़े नहीं मर जावे। यह सब जीवों को न मारने की दृष्टि से बहुत अच्छा है पर मात्र इसी से अहिंसा धर्म का पूर्ण पालन नहीं हो जाता है। यह तो अहिंसा का निषेधात्मक पक्ष है।

अहिंसा की पूर्ण परिपालना के लिये यह आवश्यक है कि हम अहिंसा के सकारात्मक पक्ष को जीवन में अपनाये। अहिंसा का सकारात्मक पक्ष है—सबके प्रति प्रेम, दुःखियों की सेवा, जरूरतमंदों की सहायता, प्राणी मात्र के प्रति शुभ संकल्प। सच तो यह है कि अहिंसा का मूल प्रेम, करुणा, दया, सहयोग और सेवा है। इसके अभाव में ही गई सभी क्रियाएँ यांत्रिक बनकर रह जाती हैं, दृष्टि में बदल जाती हैं। आज अधिकांशतया हमारे समाज में ऐसा ही हो रहा है।

अहिंसा की परिपालना के लिये यह आवश्यक है कि हमारे मन में मोह, मान, माया, लोभ आदि कषाय न हो। जब तक मन में विकार है हम चाहे पानी छानकर पीवें, चाहे रात्रि भोजन न करें, चाहे हरी सब्जी न खाएँ चाहे पैसा देकर गायों और बकरों को छुडवा दें, इतने मात्र से ही हम अहिंसा का पालन नहीं कर पायेंगे। अहिंसा का मूल कल्याण है। अहिंसा ही हमारा स्वभाव है। जब हमारे दिल में करुणा और प्रेम होगा तो हम किसी का नुकसान न करेंगे। अनावश्यक हिंसा इसमें अपने धर्म के अर्थों को नष्ट करने का नुकसान न करेंगे, न जल का अनावश्यक बुरा उपयोग करेंगे, न पानी को सतायेंगे।

आज परिवार में जो अशान्ति है, देश में जो विघटन और साम्प्रदायिक कट्टरता है उसका मूल कारण अहिंसा के विधेयात्मक रूप को न अपनाना है। यदि हमारे मन में लोभ वसा हुआ है तो हम अहिंसा का पालन नहीं कर सकते। लोभवश ही परिवार में सास-बहू, देवरानी-जेठानी, ननद-भौजाई आदि में झगड़े होते हैं। लोभ वश ही आर्थिक अपराध किये जाते हैं। दहेज के नाम पर मूक वधुओं की बलि दी जाती है। सच तो यह है कि कषाय भाव निरंतर जाने-अनजाने हिंसा करते रहते हैं। वह आत्म-हत्या करे या न करे पर जीवित रहने पर भी सास के ताने व अत्याचारों से वह तिल-तिल मरती रहती है। खेती व अन्य व्यवसायों में हिंसा से बचने के लिये कई भाई ब्याज का धन्धा करते हैं पर वे जिस तरीके से ब्याज का धन्धा करते हैं उससे ऋण लेने वाला पूरी तरह निचोड़ लिया जाता है। यह हिंसा नहीं तो क्या है ?


कई लोग नामवरी के लिये, अपने अह के पोषण के लिये धार्मिक कार्यों में बड़ा दान देता है, मन्दिर निर्माण और मूर्ति प्रतिष्ठा के लिये बड़ी-बड़ी बोलिया बोलते हैं, धर्म के नाम पर, पूजा के नाम पर अपनी सम्पदा और सम्पत्ति का प्रदर्शन करते हैं, पर मात्र इससे अहिंसा धर्म का पालन नहीं हो पाता क्योंकि अहिंसा का सम्बन्ध बाहरी चमक-दमक और पौशाक से नहीं है, वह आत्मा का स्वभाव है, धर्म की जड़ है। इस जड़ को हम प्रेम, करुणा और दया से ही सींच कर हरा-भरा रख सकते हैं।

आज हमारी दुःखद स्थिति यह है कि हम अहिंसा की जड़ को प्रेम, करुणा, दया, सद् व्यवहार जैसी वृत्तियों के द्वारा सींचने की वजाय, पानी छान कर पीने, हरी सब्जी न खाने, कीड़े-मकोड़ों को बचाकर चलने, रात्रि भोजन न करने जैसे छोटे-मोटे व्रत नियम लेकर ही उसकी शाखाओं, पत्तों और फूलों को ही सींचने का काम कर रहे हैं, पर यदि वृक्ष की जड़ मजबूत नहीं होगी तो उसकी शाखाएँ पत्ते-फल-फूल आदि कैसे स्वस्थ और सुरक्षित रह सकेंगे। अहिंसा रूपी वृक्ष की जड़ को सींचने के लिये हमें चाहिये अन्दर की करुणा, निस्वार्थ प्रेम, निष्काम सेवा और सबके प्रति सद् व्यवहार। हमारा मन क्रोध की वजाय क्षमा में विचरे, अहंकार की वजाय नम्रता से जुड़े, छल-कपट में न उल-झकर सरलता में विचरे और लोभ वृत्ति छोड़कर सतोष धारण करे, तभी हम अहिंसा के वृक्ष की जड़ को सींच सकेंगे और जब हम में अहिंसा के विधायक गुण प्रकट होंगे तो स्वतः हमारा जीवन और व्यवहार ऐसा बनेगा कि हम किसी भी प्राणी को कष्ट न देंगे। धर्म के जितने भी व्रत नियम हैं, जितनी भी धार्मिक क्रियाएँ हैं, वे स्वतः होंगी। “जयणा” का भाव हम में प्रकट होगा और तब महात्मा कबीर का यह दोहा सचमुच चरितार्थ होगा।—

कबीरा वादल प्रेम का, हम पर वरखा आय ।

अन्तर भीगी आत्मा, हरी भरी वनराय ॥

—ग्रन्थक, अ. भा श्री जैन रत्न हितैपी श्रावक सघ, जोधपुर



## योग और अहिंसा

□ डॉ० नरेन्द्र शर्मा 'कुसुम'

एक विशेष अर्थ में योग और अहिंसा एक दूसरे के पर्याय माने जा सकते हैं। योग यदि अखण्डता का नाम है तो अहिंसा में, जोड़ने का भाव प्रमुख है। जो खण्ड-खण्ड है वह योग नहीं हो सकता, जो एक दूसरे को तोड़े वह अहिंसा नहीं हो सकती। योग हमें पशुत्व से मुक्त कर दिव्य-तत्त्व की अनुभूति कराता है, अहिंसा प्राणिमात्र में 'आत्मवत् सर्वभूतेषु' का भाव जागृत करती है। कहने का तात्पर्य यह है कि अहिंसा एक प्रकार का योग ही है। हमारी अनुदात्त जीवन-शैली को उदात्त जीवन-शैली में परिवर्तित करने की एक अभ्यासापेक्षी प्रक्रिया। दरअसल, योग और अहिंसा के अभाव में सभ्य एवं सुसंस्कृत मानव की कल्पना करना असंभव है। योग यदि संयम है तो अहिंसा उसकी निष्पत्ति।

बड़ा विचित्र सा विरोधाभास है कि जिस मनुष्य के बारे में 'नहि मानुषात् श्रेष्ठतर हि किञ्चित्', 'अशरफुल मखलूकात (सृष्टि में श्रेष्ठ) जैसे शब्दों का प्रयोग कर उसकी श्रेष्ठता का परिचय दिया गया है, वही मनुष्य असद्व्यवृत्तियों का समवाय बनकर हिंसा और असंयम जैसी आमुरी प्रवृत्तियों में निपट रहता है। लगता है मनुष्य की आदिम हिंसक प्रवृत्ति पर तथाकथित सभ्यता का कोई विशेष असर नहीं पड़ा है। प्रसिद्ध दार्शनिक जे० कृष्णमूर्ति ने अपनी पुस्तक *Beyond Violence* में इस तथ्य की ओर विशेष रूप से इंगित किया है: "We have built a society which is violent and we as human beings, are violent, the environment, the culture in which we live is the product of our endeavour of our struggle, of our pain, of our appalling brutalities" (पृ० ७५) कितना विषाद का विषय है कि अपने भीतर 'दिव्य-दीप' को छिपाये हुए मनुष्य, 'खुदा' होकर भी एक 'अदना इंसान' बन गया है:

इन्सान की बदवस्ती, अन्दाज़ से बाहर है,  
कमवस्त खुदा होकर, वन्दा नजर आता है।

मनुष्य इस द्वन्द्व की स्थिति से अपने को उबारने का सतत प्रयत्न करता है क्योंकि वह पशु से भिन्न है। विकास उसका लक्ष्य रहा है। बुद्धि का अन्दाज उसे मिला है, इसलिए वह पशुत्व से ऊपर उठना चाहता है, किन्तु उसके इन प्रयत्नों के बावजूद भी उसके भीतर का पशु उग्र होकर उसने के बाध करा लेता है जिनकी आज्ञा मनुष्य से नहीं की जा सकती। यही मनु



की दुर्गति की कहानी आरम्भ होती हैं। यही से असंयम, हिंसा आदि पाशविक प्रवृत्तियों का सिलसिला शुरू होता है।

योग और अहिंसा—दोनों ही मनुष्य को न केवल मनुष्य बने रहने के लिए प्रेरित करते हैं अपितु ये उसे दिव्यत्व की ओर भी ले जाते हैं। मनुष्य का यही तो गंतव्य है, यही तो उसकी मंजिल है। योग और अहिंसा एक दूसरे के पूरक है। बिना योग के अहिंसा कैसी, और बिना अहिंसा के योग कैसा? योग यदि चित्तवृत्तियों का निरोध है तो अहिंसा उस निरोध का परिणाम। ससार के प्रायः सभी धर्मों में योग और अहिंसा की बात कही गई है। कोई भी धर्म, असंयम, हिंसा, असत्य आदि अमानवीय प्रवृत्तियों की वकालत नहीं करता। योग मनुष्य की इतस्ततः विकीर्ण शक्तियों को केन्द्रीभूत कर आत्म-ज्ञान और आत्म विकास का पथ प्रशस्त करता है, अहिंसा मनुष्य को उसके मूल 'धर्म' 'प्राणिमात्र के प्रति 'प्रेम' के प्रति सजग बनाती है। योग खण्ड-खण्ड की 'खण्डता' को अखण्डता में बदल देता है, अहिंसा किसी को खण्डित होने ही नहीं देती।

यह एक सारभौगिक सत्य है कि सभी प्राणियों में जिजीविषा प्रमुख रूप से पाई जाती है। कोई भी प्राणी कष्ट पाना नहीं चाहता, मरना नहीं चाहता। भगवान महावीर ने कहा है—

‘सर्वे जीवा वि इच्छन्ति, जीवि उ न मरिज्जि डं।’

प्राणिमात्र की इस इच्छा का हनन ही हिंसा है। मनुष्य में हिंसा की प्रवृत्ति का कारण उसका अज्ञान है। 'स्व' को न समझ पाने की उसकी असमर्थता। योग की प्रक्रिया के द्वारा मनुष्य इस 'स्व' को समझ सकता है। जब वह 'स्व' को समझ लेगा तो हिंसा में क्यों प्रवृत्त होगा? चित्त वृत्तियों के निरोध से 'आत्म-ज्ञान' स्वतः हो जायेगा "तदा द्रष्टुं स्वरूपेऽवस्थानम्" (पातजलि)। योग के सतत अभ्यास से मनुष्य में 'विवेक' जागृत होता है क्योंकि इसी अभ्यास तथा वैराग्य से चित्त की वृत्तियों का निरोध संभव है: "अभ्यास वैराग्याभ्यां तन्निरोधः" (योगसूत्र) जब इस प्रक्रिया के माध्यम से मनुष्य अहिंसा में प्रतिष्ठित हो जायेगा तो वह किसी से बैर क्यों करेगा? (अहिंसा प्रतिष्ठायाम् तत्सन्निधौ बैर त्यागः)। (योग सूत्र)

योग का लक्ष्य मनुष्य को आत्म-विकास के रास्ते पर ले जाना है। 'यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि' के रास्ते से गुजर कर मनुष्य पूर्णत्व की ओर पहुँचता है। अहिंसा यद्यपि इस प्रक्रिया में एक 'यम' के रूप में ही बताई गई है, पर गम्भीरता से विचार करने पर पता चलेगा कि 'अहिंसा' में योग की समग्र प्रक्रिया सन्निहित है। अहिंसा को 'हाथी के पाव' की संज्ञा दी गई है क्योंकि अहिंसा के सिद्ध हो जाने पर मनुष्य, सत्यशील, संयमी, अपरिग्रही, पवित्र, सनोपी, तपस्वी और ईश्वरोन्मुख बन जाता है। अहिंसा के

• योग और अहिंसा

नमी शास्त्रीय नामों—'निष्वाण, समाही', 'सत्ती' 'कित्ती'—में 'आत्म-विकास' की भावना ही ध्वनित होती है। आचार्य नानेश, अहिंसा को आत्म शक्ति को प्राप्त करने की पहली सीढ़ी मानते हैं : "अहिंसा आत्म शक्ति को प्राप्त करने की वह पहली सीढ़ी है जिस पर पाँव रखकर ही ऊपर की ओर बढ़ा जा सकता है। अहिंसा की आराधना से शक्ति का संयम करती हुई आत्मा ऊर्ध्वगामी बन सकती है। यह कहा जा सकता है कि आत्म-शक्ति का मूल अहिंसा में ही है और जिसने मूल को पकड़ लिया, मूल को पुष्ट और दृढ़ बना दिया, उसे कौन हिला सकता है।"

हिंसा का जन्म होता है मनुष्य में अहं के कारण। स्वयं के प्रति लगाव के कारण। जब मनुष्य सभी को अपना जैसे मानने लगे तो वह हिंसा करेगा ही—क्यों? क्या कोई अपने को या अपनों को कष्ट पहुँचाना चाहेगा, उन्हें मारना चाहेगा? भगवान महावीर कहते हैं : "प्रत्येक प्राणी अपने वर्तमान जीवन के लिए, प्रशंसा, सम्मान और पूजा के लिए, जन्म, मरण और मोचन के लिए, दुःख के प्रतिकार के लिए जीवों की हिंसा करता है, करवाता है या अनुमोदन करता है।" मनुष्य इसी प्रवृत्ति के कारण परिग्रह, स्तेय, असत्याचरण में लिप्त होता है। जब मनुष्य में आत्म-ज्ञान का उदय हो जाता है तो उसमें 'समता' का भाव जगता है। समता—शम, संवेग, निर्वेद, अनुकम्पा व आस्था की ओर ले जाती है। विषमता बाहर हो या अन्दर-संताप को जन्म देती है। 'समता' की दृष्टि मनुष्य को मनुष्य से जोड़ती है। मनुष्य की वैयक्तिक एवं सामाजिक समस्याओं का समाधान 'समता-दृष्टि' में खोजा जा सकता है। यह दृष्टि अहिंसा के 'मनसा वाचा कर्मणा' आचरण से प्राप्त होती है। समता की दृष्टि से मनुष्य में करुणा, मुदिता, क्षमा जैसी मानवीय प्रवृत्तियों का विकास होता है। यहाँ पर योग और अहिंसा और भी निकट आ जाते हैं क्योंकि, योग 'ममत्वं' ही तो है। समता का अर्थ है सबको अपने जैसा मानना। 'समगमृत्तं' की गाथा २४ के अनुसार—

जं इच्छसि अप्पणतो, जं च ण इच्छसि अप्पणतो ।  
तं इच्छ परस्स वि या, एत्तियगं जिणसासणं ॥

—जो तुम अपने लिए चाहते, हो वही दूसरों के लिए भी चाहो तथा जो तुम अपने लिये नहीं चाहते, वह दूसरों के लिए भी न चाहो। समता-दृष्टि का गही मूल मन्त्र है। जब मनुष्य में असद्वृत्तियों का दमन होने लगता है तो उसमें स्वतः ही अहिंसा उदित हो जाती है इसके फलस्वरूप व्यक्ति में समतल योग की भावना स्फूर्त हो जाती है जिससे व्यक्ति सहज रूप से सभी को सम समाने लगता है :

अप्पा चे व दमेयव्वो, अप्पा हु खलु दुद्धो ।  
अप्पा दन्तो सुही होइ, अस्सि लो ए परत्थए ॥  
(उत्तर ०११४)

अहिंसा में प्रवृत्त व्यक्ति सच्चे अर्थ में पण्डित बन जाता है, “पण्डित समदर्शनः” । (गीता)

अहिंसा का क्षेत्र मात्र ‘किसी को न मारने’ तक ही सीमित नहीं है। हिंसा, कामिक, वाचिक मानसिक हो सकती है। इस प्रकार की हिंसा को रोकने का नाम ही अहिंसा है। व्यापक अर्थ में प्रकारान्तर से कहा जा सकता है कि अहिंसा, विश्व-प्रेम, सहिष्णुता, करुणा, सहानुभूति आदि मानवीय उदात्तगुणों का ही दूसरा नाम है। अहिंसा में अपरिग्रह, अनेकांत एवं सत्यशीलता अपनेआप आ जाते हैं। अहिंसा ‘मानव-धर्म’ है, मनुष्य का आभ्यन्तर तत्त्व है, उसका ‘स्वभाव’ है। जब कभी मनुष्य अपने इस ‘धर्म’ से च्युत होने लगता है तो वह मानव नहीं रह जाता। कहा गया है कि :

अहिंसा सत्यमस्तेयं ब्रह्मचर्यं किञ्चन ।

यश्चपालयते नित्यं, समाप्तो त्यात्मदर्शनं ॥

—अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, व अपरिग्रह को जो सर्व रूप से संयमित हो पालन करता है, वह आत्म-दर्शन को प्राप्त करता है।

आज हम सर्वत्र विषमताओं के बीहड़ जंगल में भटक रहे हैं। हिंसा इसीलिए पनप रही है। विषमताओं से क्या कोई सुख मिल सकता है ?

अज्ञान कर्ममे मग्नः, जीव. संसार-सागरे ।

वैषम्येण समग्युक्त., प्राप्तुमर्हति नो सुखं ॥

—संसार-सागर के अज्ञान-रूपी कीचड़ में लिप्त, विषमता से युक्त जीव कभी भी सुख को प्राप्त नहीं कर सकता।

इस स्थिति का उपचार है अहिंसा के द्वारा अर्जित समता दृष्टि। ‘मैत्रि भूयेसु कप्पए’ (प्राणिंयो से मैत्री करो) ‘आयतुले पयासु’ (सबको अपने तुल्य समझो) की भावना ही मनुष्य को विनाश से बचा सकती है। यही अहिंसक दृष्टि सर्वत्र करुणा, मैत्री, प्रेम फैला सकती है। ‘सर्वे भवन्तु सुखिनो’ का स्वप्न केवल अहिंसा ही साकार कर सकती है। आज के संसार में योगमय जीवन को परमावश्यकता है—वह जीवन जिसमें सयम हो, अहिंसा हो। यह मानते हुए कि हमारे समाज में हिंसक प्रवृत्तियों का ताण्डव नृत्य हो रहा है, हमें निराश नहीं होना चाहिए। योग और अहिंसा से दीप्त मानव-प्रेम का प्रदीप बुझेगा कभी नहीं—

इन्सान मुहब्बत का, चलन भूल गया है,

अल्लाह यह क्या हाल, जमाने का हुआ है ?

ये शमे मुहब्बत है, बुझी है न बुझेगी

माना कि बहुते तेज, जमाने की हवा है ।



## अहिंसा और सेवा

□ श्री टीकमचन्द हीरावत

क्या विश्व में कोई ऐसा मानव है जो पूर्णरूप से हिंसक हो सकता है ? नहीं हो सकता है । लेकिन पूर्णरूप से अहिंसक हो सकता है । अहिंसा का व्यापक अर्थ हमें समझना चाहिए । क्या अहिंसा का अर्थ हिंसा न करना ही है या प्राणों का घात न करके उसको अभयदान देना है, उसके जीवन का रक्षण करना है । अहिंसा पर तमाम विश्व जोर दे रहा है । वैसे तो सृष्टि की रचना हुई तब से ही अहिंसा पर मानव जाति का चिन्तन रहा है । बिना अहिंसक हुए मानव का विकास हो ही नहीं सकता है । आज तो विश्व में अहिंसा पर सबका ध्यान आकर्षित है कारण कि भौतिक प्रगति की स्पर्धा में मानव ज्यादा कुँठित होता जा रहा है । जितना वह कुँठित होता जा रहा है, उतना उसमें हिंसा का भाव बढ़ता जा रहा है और उस हिंसा को रोकने का एक ही तरीका है मानव-सेवा । अहिंसा का क्रियात्मक रूप है सेवा, जो उसके भावात्मक रूप को सजीव बनाती है ।

हिंसा का मूल कारण है सुख-भोग । इसकी आसक्ति के कारण ही मानव हिंसा करने लग जाता है जो उसे नहीं करना चाहिए । सुख भोग का सदुपयोग सेवा है । सेवा के बिना अहिंसा का सही रूप उजागर नहीं हो सकता है । सेवा बही कर सकता है जिसका हृदय पराये दुःख से भरा हो । सेवा का अर्थ किमी का दुःख मिटाना नहीं है, अपितु अपना सुख वांटना है । सुख के व्यय होने पर राग निवृत्त हो जाता है और हृदय त्याग तथा प्रेम से भर जाता है । त्याग से चिर शान्ति और प्रेम से अगाध-अनन्त रस स्वतः प्राप्त होता है जो मानव की माँग है । अतः यह स्पष्ट हो जाता है कि सुख-भोगने से अनेक दोष उत्पन्न होते हैं और सेवा द्वारा सुख का सदुपयोग करने से प्राणी-कल्याण तथा सुन्दर समाज का निर्माण होता है, जो वास्तव में मानव जीवन का लक्ष्य है । यही वास्तविक अहिंसा का सकारात्मक रूप है । अहिंसा आ जाने पर निर्मलता, स्नेह और एकता आ जाती है । ये तीनों ही मानवता के विशेषण हैं ।

यह सभी को मान्य होगा कि निर्मलता, स्नेह तथा एकता में ही अपना तथा दूसरों का हित है जो वास्तविक अहिंसा है । उस मधुष्पल को प्राप्त करना ही मानव जीवन का उद्देश्य है । यह तभी सम्भव होगा जब हम अपने-अपने निर्दोष बनाये, निर्मल बनाये तथा प्रेमी बनाये । निर्मल बनाने के लिये हमारे अधिकार की रक्षा, निर्दोष बनाने के लिए अपने अधिकार का त्याग । अज्ञान होने पर बीजरूप मानवता जो मानव मात्र में विद्यमान है, विकसित हो सकती है । अतः उसको विकसित करने के लिए मनु प्रयत्नशील रहना चाहिए । यही वास्तविक अहिंसा है ।

साधना युक्त जीवन ही मानव जीवन है। इस साधन के दो अंग हैं। एक तो अपना कल्याण अर्थात् हम किसी की हिंसा न करें और दूसरा सुन्दर समाज का निर्माण अर्थात् समाज को अहिंसा के लिए प्रेरित करना। जो मानव इसको जीवन की आवश्यकता नहीं मानता, वह वास्तव में मानव नहीं है। जो मानव दूसरे के अधिकारों की रक्षा नहीं कर सकता है, वह पूर्ण रूप से विकसित नहीं है। जब कोई हमारे प्राणों का हरण करता है तब हम अपना बचाव करते हैं तो हमें क्या अधिकार है कि हम दूसरों के प्राणों का हरण करें? हिंसा का अर्थ अपने में छिपी हुई वासना की पूर्ति का प्रयास ही मानना चाहिए।

उपर्युक्त कथन से ऐसा लगता है कि अहिंसा और सेवा आपस में पर्याय-वाची शब्द हैं। ऐसा ही नहीं सकता है कि मानव बिना सेवा के अहिंसक जो जाय। अगर वह भाव से अहिंसक हो भी गया और सेवा का रूप ग्रहण नहीं किया तो एक दिन वापस हिंसक बनने की संभावना हो जावेगी। पूर्ण रूप से अहिंसक तभी बना जा सकेगा जब उसकी अहिंसा का क्रियात्मक रूप सेवा में प्रकट होगा।

—कार्याध्यक्ष, सभ्यज्ञान प्रचारक मंडल, बापूवाजार, जयपुर-३

× ❀ ×

## गजेन्द्र-वाणी

- ❀ अहिंसा की सेवा भगवान की सेवा है। जो अहिंसा की सेवा करेगा, वह समाज और विश्व की सेवा करेगा।
- ❀ जिसके मन में, तन में और वाणी में संयम होगा, वह व्यक्ति अहिंसा का ठीक रीति से पालन करेगा।
- ❀ हिंसा घटने से समस्त संसार की भलाई होगी, लोगों में परस्पर प्रेम बढ़ेगा, आपस में शांति तथा सौमनस्य का प्रादुर्भाव होगा, ईर्ष्या, कलह, द्वेष और विरोध का दमन होगा तथा परवत प्रतीत होने वाले आत्मीयवत् दिखाई देंगे।

—आचार्य हस्ती



## विज्ञान और अहिंसा

□ डॉ. धनराज चौधरी

मनुष्य की बुद्धि श्रेष्ठतम अभिव्यक्ति विज्ञान है। आज के विश्व में कोई कुछ भी अर्धज्ञानिक तौर-तरीके से समझना नहीं चाहता। उसे स्वीकार ही तब है जबकि सुभाव प्रयोग आधारित हो एवं तर्क की कसौटी पर खरा उतरा हो। विज्ञान और तकनीकी ने देखते-देखते विश्व को तेजी से बदला है। जानकारियां ब्रह्माण्ड के बारे में, पदार्थ के बारे में, जीव के बारे में, शरीर के बारे में वेशुमार बढ़ी हैं। वस्तुतः ज्ञान का विस्फोट हुआ है। पदार्थ एवं जीव के बारे में ज्ञान दस साल में दुगुना हो जाता है। सामान्य बुद्धि के वस का नहीं कि ज्ञान की उम बढ़त से अपने जीवनकाल में परिचित तक हो सके। बुद्धि के नित नये धरातल छेने में उसका संघर्ष है, प्रकृति से संघर्ष, परिस्थिति से संघर्ष।

न्यूटन, डार्विन, आइंस्टाइन, फ्रायड, पास्चर, जुग आदि करोड़ों के सहयोग का आज लेखा करना संभव नहीं। एटम बम, टीवी, सीटी स्कैन, सकर बीज अनगिनत उपलब्धियां प्राप्त हुई हैं मनुष्य के बौद्धिक विकास से। अब मिथ्या धारणाएं नहीं चल सकती, वास्तविकता ही हमारा धरातल है। शरीर को स्वस्थ-सुन्दर बनाये रखने के लिए जरूरते पूरी होनी चाहिए। उत्पादकता और हमारे क्रियाकलाप परिणाम आधारित हों। अच्छे मकान हों, अच्छी कारें हों, अच्छे चेहरे-मोहरे हों, अच्छी दवाइयां हों, अच्छी सब्जी हों और अच्छे से अच्छी वारुद और तोप। अच्छे आयुध बनाने के लिए दुनिया मिलटरी पर प्रति मिनट एक करोड़ का खर्चा करती है। और दूसरी ओर है प्रकृति, जिसे अपनी सतति की सुरक्षा की निरंतर चिन्ता है। गुपचुप वह बचाने के प्रयत्न कर भी रही है। उदाहरण के लिए, कार्बनडाईआक्साइड का स्तर वायुमण्डल में निरंतर बढ़ रहा है। यह प्राणघातक गैस है। शोध द्वारा यह पाया गया है कि जिन स्थानों में कार्बनडाईआक्साइड की मात्रा अधिक होती है वहां की वनस्पतियों की जड़ें मोटी हो जाती हैं। अर्थात् वायुमण्डल में व्याप्त विषैली गैस को कम करने हेतु पेड़ व पौधे उसे अपनी जड़ों में संगृहीत कर लेते हैं।

अब हम मनुष्य के एक और धरातल की ओर भाकें। उम धरातल पर है विचार और अनुभव जैसी बातें जो कि पदार्थ और ऊर्जा प्रत्ययों से निरान भिन्न स्तर हैं और पदार्थ विज्ञान से इनका स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होता। वैज्ञानिकता हमें तर्कसम्मत बनाती है और तर्कसंगतता से हमें विवेक मिन्दने है। विषय के विवेकपूर्ण होना एक बात है मगर वे ऐसे विचारवान हों जिन्हें प्रेम के प्रमग बात है। विचारवान उसे कहेंगे जो कुछ रममय दरदे, नर्जननामकता का कुछ टरों के जीवन में। यह प्रेम से संभव है और प्रेम विज्ञान का विषय नहीं

है। यह तन की जरूरत से परे की बात है। विज्ञान के सिलसिले में तो सीधी स्पष्ट बात है कि बाहर की दुनिया मनुष्य के अनुकूल कर दो। नैसर्गिक परिस्थितियां बदली है बहुत कुछ समृद्ध राष्ट्रों ने कि प्रकृति मनुष्य की चेरी हो जाय। मगर वे सुखी नहीं, वहां प्रेम नहीं। मनुष्य के जीवन में बहुत कुछ बेजोड़ है, महिमायुक्त है जो कि तथ्यों की पृष्ठभूमि पर नहीं ठहरता है। यह कुछ मन के जरूरत की बात है। हाँ कुछ सगीतमय, कलात्मक और साहित्यिक। बाह्य यात्रा के साथ-साथ अंतर्यात्रा मनुष्य की चेतना से जुड़ी है। यांत्रिकता तोड़ने को जी मचलता है जिसे समय का अभाव खलता रहता है, थक कर वह ठहरना चाहता है, शांत होने हेतु।

मुझे बर्टरण्ड रसेल का एक कथन स्मरण पड़ता है। “बावलो को छोड़ दे वरना कुछ बातों पर तो सब एक मत है कि मरने से जीवित रहना बेहतर है, भूखे मरने से भर पेट रहना बेहतर है, गुलामी से आजादी भली है। मगर अधिक संख्या में लोग यह सब कुछ अपने और अपने सगे-संबंधियों के लिए चाहते हैं। उनकी बला से, औरों का कुछ भी हो, उसकी चिंता नहीं। विज्ञान के द्वारा ऐसे व्यक्तियों के प्रति विरोध प्रकट किया जाना चाहिए कि अब संपूर्ण मानवता एक परिवार हो गई है। हम अपनी सम्पन्नता दूसरे के सम्पन्न हुए बिना सुरक्षित नहीं रख सकते।” प्रकृति का अत्यधिक दोहन करे कि कुछ लोग समृद्ध हो सके तथा यत्रो की भरमार ने इस धरती पर बहुत कुछ असंतुलित कर दिया है। समुद्र के धरातल में तेल बढ़ रहा है कि वहा के जीव-जन्तुओं की जान को भारी खतरा हो गया है, हवा में विषैला धुँआ बढ़ रहा है और जगलो का सफाया हो रहा है। वस्तुतः तकनीकी और प्राद्यौगिकी ने धरती के अस्तित्व को खतरे में डाल दिया है। विज्ञान के कुछ अनुप्रयोगों पर अकुश लगाना आवश्यक हो गया है। गरीब और धनाढ्य देशों के बीच की खाई और चौड़ी हो गई है और घृणा बढ़ती जा रही है। भय विश्व को घेरे है, तनाव निरंतर बढ़ता जा रहा है। विज्ञान ने ऐसी वास्तविकताएँ ला खड़ी की हैं कि हम विनाश के कगार पर आ खड़े हैं। आज से कुछ वर्षों पहले पदार्थ वैज्ञानिकों के मस्तिष्क में बमों के कारण खतरों की जो चिंता थी, उसका स्वरूप बदलकर अब पारिस्थितिकी से उत्पन्न खतरा हो गया है। न शुद्ध वायु, न शुद्ध भोजन—पर्यावरण जीवन को चुनौती देने लगा है। यह सब मनुष्य की मेधा विज्ञान की परोक्ष देन है। एड्स जैसी डलाज रहित बीमारी इस वैज्ञानिक युग की देन है। पूरी तरह अस्त पश्चिमी देशों को इन से आगाह करते वैज्ञानिक टॉयनबी ने इंगित किया था। भारत की ओर देखो, पूरव में वह रास्ता है जो कि इस विनाशलीला से बचा सकता है।

आइस्टाइन ने कहा है : धर्म के बिना विज्ञान लंगड़ा है और विज्ञान के बिना धर्म अंधा है। मनुष्य का बाहर और भीतर समान रूप से बलशाली हो।

रोटी, कपडा, मकान, संगीत, कला, साहित्य, शांति, प्रार्थना, ध्यान सभी संतुलन लिए हो मानव मे। बाह्य और भीतर में एक तालमेल होना आवश्यक है। यदि हम भीतर को शब्दों में व्यक्त करना चाहें तो हम कहेगे मनुष्य को चाहिए भय से मुक्ति, पूर्वाग्रहों से छुटकारा, अनुशासन का अवतरण और प्रेम तथा रसमय क्रियाकलाप। स्वतंत्रता तथा सम्पन्नता तथा न्याय पाना हमारी आवश्यक मांग है। यह संभव है जबकि 'स्व' के साथ 'पर' का भी समादर हो। गुस्सा, भय एवं प्रतिशोध की भावना के बिना हमें रहना आ जाय। ये सारी आकांक्षाएं मनुष्य को अहिंसक होने के लिए उत्साहित करती हैं अथवा कहें कि अहिंसक हुए बिना सही मायने मे अस्तित्व संभव ही नहीं। इससे प्रकट होता है कि विज्ञान और अहिंसा मूलतः पूरक है। अहिंसक हुए बिना सच्चा वैज्ञानिक बना नहीं जा सकता और सच्चे अहिंसक को वैज्ञानिक प्रवधि जीवन में उतारनी होगी। आर. के प्रभु एवं यू. आर. राव ने 'महात्मा गांधी के विचार' पुस्तक में लिखा है कि गांधीजी ने कहा था जब मैंने स्वयं को घटाकर शून्य करना जाना तब कही सत्याग्रह की शक्ति को प्राप्त कर सका। सच्चे अर्थों में जो वैज्ञानिक होगा उसका अहंकार शून्य हो जायेगा तभी तो आइंस्टाइन कहते हैं कि मैं ऐसी कोई वस्तु नहीं सोच पाता जिसे कि अति आवश्यक समझूँ और एक मिनिट के नोटिस पर त्याग न सकूँ।

वस्तुतः अस्तित्व को रक्षा के लिए, जीवन की निरंतरता के लिए पृथ्वी पर दो बातें मूलतः आवश्यक हैं - विज्ञान और अहिंसा। विज्ञान बाह्य संसार है जो मूलतः पश्चिम में विकसित हुआ है, अहिंसा भीतरी संसार का मूल तत्त्व है जो मूलतः पूर्व में विकसित हुआ है। पूरव और पश्चिम का मिलन ही पूर्णता प्रदान कर सकता है। अपने तरीके से सत्य के दर्शन हेतु विज्ञान बढ़ रहा है। वह तथ्यों के जरिये एक-एक कर अनंत की रचना में पैठना चाहता है। अहिंसक भी तो यही चाहता है। गांधीजी ने 'सत्य के साथ मेरे प्रयोग' मे कहा है : मेरे अनुभव ने सब कही एक ही बात की पुष्टि की है कि नत्य के अतिरिक्त कोई और ईश्वर नहीं है..... (एवं) उस सच को प्राप्त करने का एकमात्र तरीका है अहिंसा—विश्वव्यापी एवं सब कही विद्यमान सत्य की आत्मा के मन्मुख दर्शन के लिए छोटे से छोटे प्राणी मे प्रेम करना आना चाहिए.....मुझे स्वयं को पृथ्वी के कुछ छोटा बनना होगा..... मानवीयता की आखिरी सीमा अहिंसा (मन, अक्षत एवं कर्म से) है।" भारतीय वैज्ञानिक स्वर्गीय डॉ. दान्त मिह्र कोठारी तो कहते हैं कि विज्ञान हमें विनम्र बनाना है और बिना अहिंसक हुए विज्ञान मनुष्य के मन पर विजय नहीं पा सकेगा। विज्ञान ने प्रकृति पर विजय प्राप्त की है, विज्ञान को अंतर्द्वंद्वन आनन्दमय बनाने के लिए अहिंसा का मार्ग नहीं मानना होगा।



को शक्ति चाहिए थी कि वह अपना प्रभुत्व प्रकट कर सके—उसने परमाण्विक युग की इमारत खड़ी की। शक्ति-संग्रहण के पागलपन ने एक नई चुनौती पैदा कर दी कि धरती स्वयं खतरे में आ पड़ी। ऐसी नव परम्परा अपनी और प्रगति में आगे की ओर भांकते विनाश का दर्शन करती है। समझदार होती वह विकल्प के रूप में अपारम्परिक को विकसित करना चाहती है। यह अपारम्परिक है: सौर ऊर्जा, वायो ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वार ऊर्जा। शक्ति के बिना जीवन संभव नहीं मगर शक्ति प्राप्त करने के तरीके संकट बढ़ाने वाले नहीं बल्कि समता बना कर रखने वाले हों। वे मूलतः अहिंसक हों, इसीलिए कदाच औद्योगिक क्रान्ति, परमाण्विक क्रान्ति, और सौर क्रान्ति की बात आज विज्ञान की प्रमुख चिंतनधारा में है।

—एसोशियेट प्रोफेसर, भौतिकशास्त्र विभाग, राज. वि. वि. जयपुर



## सूई की पीड़ा

डॉ. गोवर्धन शर्मा

माली के हाथो पड़कर सूई मन-ही-मन फूल उठी। एक अभूतपूर्व उत्साह में भरकर उसने शताधिक पुष्पो के हृदय विदीर्ण कर डाले। अपनी इस विजय पर गर्व में चूर होकर उसने यह भी नहीं देखा कि अन्ततः उसे कुछ भी नहीं मिला है। माली ने उसे एक ओर खोंस दिया है।

अपनी इस उपेक्षा पर दुःखी होकर सूई ने धागे को ललकारा—“दुष्ट ! इन सुन्दर फूलो पर मेरा अधिकार है। मैंने इनका शिकार किया है, तू क्यों इन्हे बटोरता है ?”

उत्तर दिया फूलो ने—तुम अपने विजयमद मे चूर होकर छली ही रही। डोरा पहुँचा समवेदना की मृदुता और व्यवहार का लचीलापन लिए, और वह हमारे हृदय में स्थान पा गया। मारने वाले से बचाने वाला श्रेष्ठ है।



# विज्ञान को अहिंसा से जोड़ें

□ डॉ दौलतसिंह कोठारी

हमारे सामने कोई भी समस्या हो, हम उसका हल निकालना चाहे तो आजकल उसमें विज्ञान और टेक्नोलॉजी की परम आवश्यकता होती है। भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा युग आया है, जिसका आधार विज्ञान और टेक्नोलॉजी है। चाहे आर्थिक समस्या हो, खेती की कठिनाइयाँ हो या सुरक्षा का सवाल हो, सबका हल खोजने के लिए और प्रगति एवं विकास के लिए हमें विज्ञान और टेक्नोलॉजी का सहारा लेना पड़ता है। लेकिन एक बात गहरी चिन्ता जगाती है। एक ओर तो मानव इतिहास में पहले कभी न तो इतना विज्ञान था, न टेक्नोलॉजी थी, दूसरी ओर मानव-मानव के बीच जितना अविश्वास, जितनी घृणा और जितनी हिंसा आज दिखाई देती है उतनी पहले कभी नहीं थी। और यह हिंसा बहुत ही व्यापक है। भाई-भाई का गला काटने को तैयार है। ऐसा लगता है जैसे पूरे समाज में पूरे देश में, हिंसा के तूनी दाग लगते ही जा रहे हैं—हर रोज।

इसका कारण क्या है? कारण यही है विज्ञान और जनता के बीच खाई है, जो बड़ी तेजी से बढती जा रही है। इसलिए कि विज्ञान भयंकर रफतार से बढ़ रहा है, हर दस साल में उसका परिणाम पहले से दुगुना हो जाता है। इन तरह आदमी तो पिछड़ रहा है और विज्ञान बढ़ रहा है। आम आदमी की जिन्दगी में विज्ञान को जिस तरह से रस-वस जाना था, वह नहीं हुआ। चन्द्र नृविधाओं का मिल जाना विज्ञान नहीं है। विज्ञान का असली लाभ तो तब है, जब वह हमारी जिन्दगी में उतर जाय, उसका हिस्सा बन जाए।

यह तभी सम्भव है, जब हम विज्ञान को जनता के निकट ले जाएँ और उसे अहिंसा और गाँधी के साथ जोड़कर ले जाएँ और यह प्रयास केवल राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पर ही नहीं, हर दिन होना चाहिए निरन्तर। तभी विज्ञान और जनता के बीच की खाई कम हो सकती है। खासतौर से बच्चों को अपने देश के नान् वैज्ञानिकों के जीवन और कार्य से परिचित कराना जरूरी है। २० फरवरी के दिन मन् १९२८ में हमारे एक नान् वैज्ञानिक डॉ. सी. वी. रामन ने अपनी शान् खोज "रामन इफेक्ट" की घोषणा की थी। और भी बहुत से नान् वैज्ञानिक हुए हैं इस देश में—प्रफुल्लचन्द्र राय, जगदीशचन्द्र बोस, मेघनाथ साहू। इन सबके बारे में बच्चों को और आम जनता को बनाना जरूरी है। विज्ञान के ज्ञान हो गये अब भी नहीं बनायेगे जो —द वन केने।

इन महान् वैज्ञानिकों के बारे में बताने की सबसे बड़ी बात यह है कि विज्ञान एक साधना है। इन वैज्ञानिकों के जीवन से हमें सबसे बड़ा पाठ यह मिलता है कि जीवन में समय बरतना जरूरी है, विज्ञान के प्रति ही नहीं मानव में भी अटूट श्रद्धा रखना आवश्यक है और हमें घोर परिश्रम करना चाहिए। समय, श्रद्धा और परिश्रम या तप के बिना आप न तो जीवन में अच्छी तरह जी सकते हैं न जीवन से कुछ पा सकते हैं और न कहीं पहुँच सकते हैं। हमें नव-युवकों तक यह सन्देश पहुँचाना होगा कि विज्ञान एक तरह की तपस्या है, साधना है।

एक और बात जो इन वैज्ञानिकों के जीवन और कार्य से सीखनी है, वह यह है कि जो समस्याएँ हमें बेहद जटिल और डरावनी लगती हैं, असल में उनकी जड़ मामूली होती है। हमें वे मुश्किल इसलिए लगती हैं कि ठीक से नजर नहीं आ रही है। उनकी तह तक पहुँचने के लिए हमें विज्ञान का तरीका अपनाना होगा। विज्ञान का तरीका यही है—खोज-बोन, जाँच-पड़ताल और सोच-विचार।

उदाहरण के लिए “रामन् इफेक्ट” या “रामन् का प्रभाव” की खोज को ले। उसकी जड़ है इस सवाल में कि आसमान का रंग आसमानी है तो सही, पर यह रंग आसमान में आया कहाँ से? हर बच्चे के मन में यह सवाल उठता है। रामन् ने इसी पर सोचा, चिन्तन किया। उनसे पहले भी लोग इसी ऊहा-पोह में लगे थे कि आसमान को उसका रंग कहां से मिला। तो एक जवाब मिला कि हवा से मिला। पर हवा में तो कोई रंग नहीं होता। सो चिन्तन जारी रहा। तब इस प्रश्न की एक और गुत्थी सुलझी कि सूरज की किरणें जब हवा के परमाणुओं से टकराती हैं तो उसमें से जो नीले रंग की किरणें हैं वे ज्यादा बिखर जाती हैं, और लाल रंग की किरणें कम बिखरती हैं इसलिए उगता और डूबता सूरज लाल दिखता है और बाकी आसमान नीला। ऐसी ही बातों का चिन्तन करते-करते रामन् अपनी महान् खोज तक पहुँचे।

रामन् की खोज की महानता इस बात में है कि वह बुनियाद वैज्ञानिक संकल्पनाओं से भी जुड़ी है और व्यावहारिक उपयोगों से भी। विज्ञान के इस समय के सबसे महान् विद्वान् से भी उसका सीधा तालमेल बैठता है। वह मूल सिद्धान्त यह है कि कोई भी परमाणु हो वह लहर भी है, तरंग भी है और कण भी। अब तरंग है तो यहाँ भी तरंग है और आधे में भी तरंग रहेगी—यानी उसमें अभिन्नता का समन्वय विज्ञान का सबसे बड़ा मूल सिद्धान्त है। इसी को अंग्रेजी में कहते हैं कॉम्पिलमेंटेरिटी ऑफ आइडेन्टिटी एण्ड नॉन आइडेन्टिटी” यानी परस्पर विरोधी होते हुए भी एक दूसरे का पूरक होना।

अब इसी बात को अगर जीवन में उतार ले तो सारे भेद मिट जाएँ। देश अलग हो, रंग-रूप, खान-पान भिन्न हो, सम्प्रदाय भिन्न हो तो भी मानव

एक दूसरे का पूरक है। वह भिन्न होते हुए भी अभिन्न है। अपने आस-पास की नमाम चीजों की घटनाओं को आप इस कसौटी पर रखिए और आपके मन में बसी तमाम घृणा, द्वेष, गुस्सा और भु भलाहट यानी हिंसा पलभर में काफूर हो जायेगी।

विज्ञान के इसी मूल सिद्धान्त को भारतीय दर्शन ने भी अनुभव के आधार पर अपनी तरह से प्रस्तुत किया था। जैसे कि आप और हम हैं। शरीर की दृष्टि से हम भिन्न हैं। लेकिन आत्मा की दृष्टि से हम अभिन्न हैं। यही से उदय होता है प्रेम। मानव ही नहीं, जीव मात्र के प्रति प्रेम! यही से पनपती है भावना कि जिम्नो और जीने दो, परमाणु के अन्दर प्रोटोन के चारों ओर चक्कर लगाते इलेक्ट्रॉन भला कहाँ जानते हैं कि वे अभिन्न हैं। बस उनके कार्यों से उनकी अभिन्नता प्रकट होती है। इसी आधार पर कुछ टिका हुआ है—इलेक्ट्रॉन से बने परमाणु—परमाणु से बने तत्त्व—तत्त्वों से बने यौगिक और यौगिकों से बने पदार्थ जीव-जन्तु, पेड़-पौधे, हम सब और यह धरती, ग्रह तारे और यह सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड। दूसरी ओर हर मानव जानता है कि आत्मा की दृष्टि से हम अभिन्न हैं, पर अपने जीवन में, आचार में इस बात को उतारते नहीं हैं। इसी कारण नारो समस्याएँ हैं।

तो विज्ञान की यह बात हमें आज भारत के जन-जन तक पहुँचानी है। बल्कि भारत में नहीं, सम्पूर्ण विश्व में फैलानी है। भारत की इसमें एक बड़ी निश्चित देन हो सकती है कि विज्ञान के इस युग को “विज्ञान और अहिंसा” का युग बनाया जाए।

यहाँ मुझे महान् वैज्ञानिक आइन्स्टाइन की याद आ रही है। प्रिस्टन में उनका जो अनुसन्धान था, उसमें अपने कमरे में उन्होंने केवल दो चित्र लगा रखे थे। इनमें से एक उनके जर्मनी के मित्र सगीतकार का था। दूसरा चित्र न तो न्यूटन का था और न किसी और वैज्ञानिक का, बल्कि ऐसे व्यक्ति का था जिससे आइन्स्टाइन स्वयं कभी मिले नहीं थे। वह महात्मा गांधी का चित्र था। जब कोई उनसे मिलने आता तो वे गाँधी के चित्र की ओर इशारा करके कहते, “द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ द एज” (इस युग का सबसे बड़ा महापुरुष) युग के सर्वत्र महान् वैज्ञानिक का यह कथन ही मानो उस भविष्य का संकेत दे रहा है, जो विज्ञान और अहिंसा का युग होगा।

मन् १९५१ में मैंने आइन्स्टाइन को एक पत्र लिखा था कि दिल्ली विश्व-विद्यालय के भौतिकी विभाग के रजत जयन्ती समारोह के लिए कृपया एक सन्देश भेजिए। उन्होंने छोटा, पर कितना सारगर्भित सन्देश भेजा। उन्होंने लिखा—

“भाईचाग रखो, लगन से बिना किसी पूर्वाग्रह के काम में जुटे रहो। नृत्न अपने कार्य में आनन्द भी आयेगा और सफलता भी मिलेगी।”

यही चीज हमें देश को सिखानी है। ❀

इन महान् वैज्ञानिकों के बारे में बताने की सबसे बड़ी बात यह है कि विज्ञान एक साधना है। इन वैज्ञानिकों के जीवन से हमें सबसे बड़ा पाठ यह मिलता है कि जीवन में सयम बरतना जरूरी है, विज्ञान के प्रति ही नहीं मानव में भी अटूट श्रद्धा रखना आवश्यक है और हमें घोर परिश्रम करना चाहिए। सयम, श्रद्धा और परिश्रम या तप के बिना आप न तो जीवन में अच्छी तरह जी सकते हैं न जीवन से कुछ पा सकते हैं और न कहीं पहुँच सकते हैं। हमें नव-युवकों तक यह सन्देश पहुँचाना होगा कि विज्ञान एक तरह की तपस्या है, साधना है।

एक और बात जो इन वैज्ञानिकों के जीवन और कार्य से सीखनी है, वह यह है कि जो समस्याएँ हमें बेहद जटिल और डरावनी लगती हैं, असल में उनकी जड़ मामूली होती है। हमें वे मुश्किल इसलिए लगती हैं कि ठीक से नजर नहीं आ रही हैं। उनकी तह तक पहुँचने के लिए हमें विज्ञान का तरीका अपनाना होगा। विज्ञान का तरीका यही है—खोज-बोन, जाँच-पड़ताल और सोच-विचार।

उदाहरण के लिए “रामन् इफेक्ट” या “रामन का प्रभाव” की खोज को लें। उसकी जड़ है इस सवाल में कि आसमान का रंग आसमानी है तो सही, पर यह रंग आसमान में आया कहा से? हर बच्चे के मन में यह सवाल उठता है। रामन् ने इसी पर सोचा, चिन्तन किया। उनसे पहले भी लोग इसी ऊहा-पोह में लगे थे कि आसमान को उसका रंग कहा से मिला। तो एक जवाब मिला कि हवा से मिला। पर हवा में तो कोई रंग नहीं होता। सो चिन्तन जारी रहा। तब इस प्रश्न की एक और गुत्थी सुलझी कि सूरज की किरणें जब हवा के परमाणुओं से टकराती हैं तो उसमें से जो नीले रंग की किरणें हैं वे ज्यादा बिखर जाती हैं, और लाल रंग की किरणें कम बिखरती हैं इसलिए उगता और डूबता सूरज लाल दिखता है और बाकी आसमान नीला। ऐसी ही बातों का चिन्तन करते-करते रामन् अपनी महान् खोज तक पहुँचे।

रामन् की खोज की महानता इस बात में है कि वह बुनियादी वैज्ञानिक सकल्पनाओं से भी जुड़ी है और व्यावहारिक उपयोगों से भी। विज्ञान के इस समय के सबसे महान् विद्वान् से भी उसका सीधा तालमेल बैठता है। वह मूल सिद्धान्त यह है कि कोई भी परमाणु जो वह लहर भी है, तरंग भी है और कण भी। अब तरंग है तो यहाँ भी तरंग है और आधे में भी तरंग रहेगी—यानी उसमें अभिन्नता का समन्वय विज्ञान का सबसे बड़ा मूल सिद्धान्त है। इसी को अंग्रेजी में कहते हैं कॉम्प्लैमेंटैरिटी ऑफ आइडेंटिटी एण्ड नॉन आइडेंटिटी” यानी परस्पर विरोधी होते हुए भी एक दूसरे का पूरक होना।

अब इसी बात को अगर जीवन में उतार लें तो सारे भेद मिट जाएँ। देश अलग हों, रंग-रूप, खान-पान भिन्न हों, सम्प्रदाय भिन्न हों तो भी मानव

एक दूसरे का पूरक है। वह भिन्न होते हुए भी अभिन्न है। अपने आस-पास की तमाम चीजों की घटनाओं को आप इस कसौटी पर रखिए और आपके मन में वसी तमाम घृणा, द्वेष, गुस्सा और भुंभलाहट यानी हिंसा पलभर में काफूर हो जायेगी।

विज्ञान के इसी मूल सिद्धान्त को भारतीय दर्शन ने भी अनुभव के आधार पर अपनी तरह से प्रस्तुत किया था। जैसे कि आप और हम हैं। शरीर की दृष्टि से हम भिन्न हैं। लेकिन आत्मा की दृष्टि से हम अभिन्न हैं। यही से उदय होता है प्रेम। मानव ही नहीं, जीव मात्र के प्रति प्रेम! यही से पनपती है भावना कि जिन्नों और जीने दो, परमाणु के अन्दर प्रोटोन के चारों ओर चक्कर लगाते इलेक्ट्रॉन भला कहाँ जानते हैं कि वे अभिन्न हैं। बस उनके कार्यों से उनकी अभिन्नता प्रकट होती है। इसी आधार पर कुछ टिका हुआ है—इलेक्ट्रॉन से बने परमाणु—परमाणु से बने तत्त्व—तत्त्वों से बने यौगिक और यौगिकों से बने पदार्थ जीव-जन्तु, पेड़-पौधे, हम सब और यह धरती, ग्रह तारे और यह सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड। दूसरी ओर हर मानव जानता है कि आत्मा की दृष्टि से हम अभिन्न हैं, पर अपने जीवन में, आचार में इस बात को उतारते नहीं हैं। इसी कारण सारी समस्याएँ हैं।

तो विज्ञान की यह बात हमें आज भारत के जन-जन तक पहुँचानी है। बल्कि भारत में नहीं, सम्पूर्ण विश्व में फैलानी है। भारत की इसमें एक बड़ी निश्चित देन हो सकती है कि विज्ञान के इस युग को “विज्ञान और अहिंसा” का युग बनाया जाए।

यहाँ मुझे महान् वैज्ञानिक आइन्स्टाइन की याद आ रही है। प्रिस्टन में उनका जो अनुसन्धान था, उसमें अपने कमरे में उन्होंने केवल दो चित्र लगा रखे थे। इनमें से एक उनके जर्मनी के मित्र संगीतकार का था। दूसरा चित्र न तो न्यूटन का था और न किसी और वैज्ञानिक का, बल्कि ऐसे व्यक्ति का था जिससे आइन्स्टाइन स्वयं कभी मिले नहीं थे। वह महात्मा गांधी का चित्र था। जब कोई उनसे मिलने आता तो वे गाँधी के चित्र की ओर इशारा करके कहते, “द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ द एज” (इस युग का सबसे बड़ा महापुरुष) युग के सबसे महान् वैज्ञानिक का यह कथन ही मानो उस भविष्य का संकेत दे रहा है, जो विज्ञान और अहिंसा का युग होगा।

सन् १९५१ में मैंने आइन्स्टाइन को एक पत्र लिखा था कि दिल्ली विश्व-विद्यालय के भौतिकी विभाग के रजत जयन्ती समारोह के लिए कृपया एक सन्देश भेजिए। उन्होंने छोटा, पर कितना सारगर्भित सन्देश भेजा। उन्होंने लिखा—

“भाईचारा रखो, लगन से बिना किसी पूर्वाग्रह के काम में जुटे रहो। तुम्हें अपने कार्य में आनन्द भी आयेगा और सफलता भी मिलेगी।”

यही चीज हमें देश को सिखानी है। ❀



# आगमों में पृथ्वी-पर्यावरण-संरक्षण

□ डॉ. उदयचन्द्र जैन

हमारी सस्कृति के संरक्षक आगम ग्रन्थ है, जिनमे जीवन का समग्र चित्रण व्यक्ति, समाज, देश और राष्ट्र को सर्वोपरि बनाकर प्रस्तुत किया गया है। प्राणी-भाव के स्थायित्व का स्वरूप इनके प्राणो मे निहित है। समृद्धि, विकास, उत्थान-पतन, आचार-विचार एवं प्रकृति का समस्त सौन्दर्य इनके मूल में समाविष्ट है। इसीलिए आगम तब से अब तक संस्कृति के प्राण रक्षक बने हुए अपने इतिवृत्त को संजोय हुए है।

जहाँ इनमें समाज का सर्वांगीण सुकुमार चित्रण है, वहाँ पर्यावरण-संरक्षण के तत्त्व भी है। आगमों का चिन्तन यदि इस सन्दर्भ में किया जाय तो बढ़ते हुए प्रदूषण को रोकने में बहुत कुछ मदद मिल सकती है। आगमो मे अंग ग्रन्थ, उपांग-ग्रन्थ, मूलसूत्र, छेदसूत्र, प्रकीर्णक आदि कई आगम है। 'षट्खण्डागम', 'समयसार' आदि के अतिरिक्त इनका व्याख्या साहित्य भी पर्यावरण के संरक्षण में अपना महत्त्वपूर्ण योगदान दे सकता है। आगमो के समग्र प्रस्तुतीकरण की बात छोडे, पृथ्वी, जल, तेज, वायु और वनस्पति इन पाँच तत्त्वों पर अलग-अलग विचार करे तो भी इन पर अलग-अलग रूप में एक-एक शोध प्रबन्ध लिखा जा सकता है। इन प्राणभूत तत्त्वो मे से यहाँ एक मात्र पृथ्वी-तत्त्व को हम विविध रूप में प्रस्तुत करते हुए पृथ्वी-संरक्षण के आधार पर समग्र वातावरण को प्रदूषण से बचाने पर विचार करेगे।

'आचारांग' आदि की मूल प्रस्तुति जहाँ आचार-विचार परक है, वहाँ पर्यावरण के संरक्षण की विस्तृत चर्चा भी जीवन्त भावना प्रदान करती है। हमारे समस्त क्रिया-कलाप यदि किसी भी तरह से प्रदूषित होते है तो उनसे न केवल व्यक्ति, समाज ही प्रदूषित होता है, न केवल देश, राष्ट्र ही, अपितु प्रदूषित होता है प्रकृति का सम्पूर्ण वातावरण, प्रकृति का समग्र भाग। उससे हमारा अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा, हमारे मूल-बीज ही समाप्त हो जायेगे, फिर अन्य किसी के अस्तित्व की कल्पना सूर्य को दीपक दिखाने की तरह ही होगी।

विज्ञान की वैज्ञानिकता प्राणी विज्ञान को जितना महत्त्व देती है, उतना ही महत्त्व प्रकृति विज्ञान को भी।

'न सा जाई, न सा जोणी, जत्थ जीवो न जायइ।'

आगम का यह विचार यथार्थ है, सत्यार्थ की ओर ले जाने वाला है। यदि प्रकृति है, तो जाति है / जन्म है, जन्म है तो उसकी पर्याये भी है और पर्याये है तो निश्चित ही उनकी सुरक्षा भी करना होगी, उन्हें बढ़ते हुए प्रदूषण से बचाना होगा।

पृथ्वी आदि तत्त्व की अनेक राशियाँ हैं। अनेक पर्याय हैं। परन्तु इन सभी के साधन इतने कम होते जा रहे हैं कि उनका संरक्षण तो दूर, उनकी पहचान भी संभव नहीं रह पाएगी। हम विज्ञान को आधार बिन्दु बनाते हैं, हम एटम, अणु शक्ति, अग्नि प्रक्षेपास्त्र आदि कितने ही साधन क्यों न बना ले, यदि इनको बनाने से पूर्व पृथ्वी आदि तत्त्वों की रक्षा पर ध्यान नहीं दिया गया तो हमारी यह वैज्ञानिकता हमारे को ही लील जाएगी। जब मिट्टी खिसकेगी, सनिज पदार्थों का दोहन होगा, तब क्या भूकम्प नहीं आयेगा? जल या ज्वलनशील पदार्थों की सीमा का उल्लघन करके जब उन्हें निकाला जाएगा, तब क्या यह सोचेंगे कि पृथ्वी है? जिस पृथ्वी पर हम निवास कर रहे हैं, वही डावा-डोल हो गयी, तब फिर वचेगा क्या?

“पुढवि-कम्म-समारंभेणं पुढविसत्थ समारभेमाणा अण्णे अणेगरूवे पाणे विहिंसइ” (आचाराग २/१३) अर्थात् पृथ्वी का आरम्भ, उसका खोदना काटना, खनिज पदार्थों का निकालना, न केवल पृथ्वी का ही संतुलन बिगाड़ता है, अपितु पृथ्वी पर आधारित जल, अग्नि, वनस्पति आदि का भी संतुलन बिगाड़ता है। जो ऐसा करता है—वह

‘तं से अहियाए, तं से अबोहिए’

उससे अधिक विनाशकारी कार्य कोई नहीं कर रहा है, उससे अधिक कोई अज्ञानता का दूसरा कारण नहीं है। यही नहीं, अपितु

एस खलु गये ।

एस खलु मोहे ।

एस खलु मारे ।

एस खलु णरण ॥

इससे ऐसी ग्रंथी, ऐसा असंतुलन उत्पन्न होगा, जहाँ विनाश ही विनाश होगा, जहाँ भार ही भार, हास ही हास होगा। पृथ्वी का काटना, खनन करना, पृथ्वी क्रिया में संलग्न होना, वैसा ही कार्य है, जैसा व्यक्ति अपना छेदन, नदन एवं काटने पर अनुभव करता है—जैसे कोई व्यक्ति जन्मांध बहिर, लगडा—लूला आदि वेदना का अनुभव करता है, वैसा ही पृथ्वी भी। ‘परिणाय-कम्मे’ यह सूक्ति प्रज्ञा पर बल देती है और विवेचन करती है कि पृथ्वी आदि का खनन उत्तना ही श्रेयस्कर है, जितना कि अपेक्षित है। फिर भी व्यक्ति अपनी स्वार्थ की सीमा का उल्लघन करके पृथ्वी के अस्तित्व के साथ अपने अस्तित्व पर भी कुठाराघात कर रहा है।

“पुढ वी जीवा पुढो सत्ता”

यह सूक्ति पृथ्वी के जीवन्त प्राणों का मूल्यांकन करती है। जैसे जल, वनस्पति, वृष आदि की पृथक्-पृथक् सत्ता है, उसी तरह पृथ्वी की भी सत्ता है, फिर इसके साथ खिलवाड़ करके आतंक को बूलावा क्यों दे रहे हैं?



प्राणी सहित, बीज रहित, हरी वनस्पति रहित, जल रहित, कीट-पतंग आदि से रहित पृथ्वी की खोज करना मनुष्य का अपना प्रमुख कर्तव्य है। पृथ्वी के संरक्षण से उपर्युक्त प्राणियों का भी संरक्षण हो जाएगा।

आगमों में पृथ्वी के भेद-प्रभेद आदि की भी विस्तार से चर्चा हुई है। 'मूलाचार' में पृथ्वी के छत्तीस भेद किये गये हैं—

(१) मिट्टी (२) बालू (३) शर्करा (४) पत्थर (५) बड़ा पत्थर (६) समुद्री नमक (७) लोहा (८) चांदी (९) ताँबा (१०) जस्ता (११) सीमा (१२) सोना (१३) हीरा (१४) हरिताल (१५) इंगुलर (१६) मैनतिल (१७) सस्यक (१८) सुरमा (१९) मूंगा (२०) अमरक (२१) चमकती रेत (२२) पुलकवर्णमणि (२३) स्फटिकमणि (२४) पद्म-रागमणि (२५) चन्द्रकान्तमणि आदि। आगम के गणितीय विषय विवेचन में पृथिवियों की लम्बाई-चौड़ाई, गहराई विस्तार आदि का विशद वर्णन की दृष्टि से भी इनका वर्णन किया गया है।

“णाणाविह-वण्णाओ महीओ तह सिलातला उवला।” ति प २।१०।१४  
इसके अतिरिक्त अन्य १४ भेद भी गिनाए हैं। प्रत्येक की मोटाई, लम्बाई आदि का भी प्रमाण दिया गया है। ये सभी पृथिवियाँ विधि रत्नो से भरी हुई हैं। इनमें विविध सम्पदाएँ हैं।

“एवं बहुविह-रयणप्पयार-भरिदो विणाजवे जम्हा” ति. प. २।२०

इसी तरह नीचे की पृथिवियों का वर्णन ३०० गाथाओं में किया गया है। 'आचाराग' में वज्रमयी और शुभ्रमयी पृथिवी का वर्णन है। जैसे-जैसे इन पृथिवियों का दोहन होता रहेगा, वैसे-वैसे रेगिस्तान भी फैलता जाएगा। पजाब या हरियाणा में आज इसके प्रमाण हैं। अतः आज इस पृथिवी के विनाश के कारणों को रोका जाना आवश्यक है।

—पिऊ कुंज, अरविन्द नगर, उदयपुर—३१३००१

❀❀❀

❀ मानव ! यदि तू अपने जीवन को अहिंसक बनाये रखना चाहता है तो यह ध्यान रख कि जिस व्यक्ति से तू अपना जीवन चलाने के लिए सहयोग, लाभ का काम ले, उसे कोई पीड़ा न हो।

—आचार्य हस्ती



## पर्यावरण धर्म

□ डॉ० त्रिलोकीनाथ खुशु

क्या जड़, क्या चेतन सब प्रकृति की जीवंत व्यवस्था के ताने-बाने में बड़ा नाजुक-सा संतुलन बनाये रखने में अपनी-अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जैसे यह उनका धर्म हो। इस 'पर्यावरण धर्म' के छह बुनियादी सिद्धान्त हैं।

१. जीवनयापन प्रणालियों की पुनरुत्पादकता बनाये रखना और बढ़ाते जाना :—समस्त साधनों को सोच-समझकर काम में लाने और साथ ही उनका संरक्षण करते रहने से पर्यावरण-धर्म के इस पहले सिद्धान्त का निर्वाह हो सकता है। इसका मतलब यह है कि हमें नवीनीकरण योग्य ऊर्जा स्रोतों को पनपाना होगा और समाप्त हो जाने वाले ऊर्जा स्रोतों की रक्षा करनी होगी। कोयला, पेट्रोल जैसे चुकते जा रहे ऊर्जा स्रोतों के इस्तेमाल में हमें यह सावधानी बरतनी होगी कि वे बार-बार इस्तेमाल न हों और उनकी बरबादी न हो। सुधरे चूल्हों और अगीठियों में कम कोयला और लकड़ी जलाकर चौगुना तक ताप पैदा किया जा सकता है।

२. सारी दुनिया ऊर्जा स्रोतों की खपत मिल बांटकर करे :—दुनिया भर के देश और देश के सभी इलाके ऊर्जा स्रोतों की छीना-भपटी करने के बजाय एक-दूसरे की जरूरतों और उपलब्ध स्रोतों के हिसाब से अपनी साभेदारी से काम चलाएँ। ऐसा हो जाये तो धनी विकसित देश अभी जो अनाप-शनाप ऊर्जा फूँके रहे हैं, उसमें बचत करके गरीब और ऊर्जा की दृष्टि से दरिद्र विकासरत देशों के हिस्से में अधिक ऊर्जा दे सकते हैं। लेकिन साथ ही विकासरत देशों को ऊर्जा का उपयोग करते समय यह ध्यान रखना होगा कि कहीं ज्यादा कोयला जलाकर वे अपनी हवा तो खत्म नहीं कर रहे ?

३. उपभोग प्रधान संस्कृति के अभिशापो के प्रति चेतना—हमें सादा जीवन और उच्च विचार की धारणा का प्रचार करके प्राणिमात्र में यह चेतना जगानी होगी कि बिना जरूरत जोड़ते-भरते जाने की प्रवृत्ति की भारी कीमत हमें परोक्ष रूप से सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय स्तर पर चुकानी पड़ती है। विकसित विश्व में अतिभोगवाद से उपजी विसंगतियों से तीसरी दुनिया सबक ले सकती है।

४. तेते पाँव पसारिये, जेती लॉबी सौर .—जितनी लम्बी रजाई है उत पाँव पसारिये, इस बात को हमें जीवन में उतारना होगा। इसके लिए जो है उसी में और भी आनन्द से गुजारा करना होगा, वह भी आपस में बाँटकर।

५. सबकी बुनियादी जरूरतें पूरी करना :—रोटी, कपड़ा और मकान की बुनियादी जरूरतें पूरी करते हुए सबको गरीबी के चंगुल से छुड़ाया जाये तो फिर मुफ्त में लकड़ी के लिए पेड़ नहीं कटेगे। ईंधन बटोरना-बेचना इस समय गरीबों का बड़ा धन्धा बना हुआ है। विनाश से बचते हुए विकास कर पाना तलवार की धार पे धावनौ, तो है, पर असम्भव नहीं।

६. हथियारों की होड़ पर रोक :—दुनिया के सारे दुःखों की जड़ है हथियारों की होड़। आगे हथियार बने नहीं और जो खतरनाक हथियार जमा है, उन्हें धीरे-धीरे नष्ट करके सभी देश हिल-मिलकर शांति और सुरक्षापूर्वक रहें और इस धरती की हवा, पानी और मिट्टी को बचाये रखने में अपना समय और साधन खपाएँ।

यह वसुन्धरा सबकी है—मनुष्यों की भी, अन्य जीव-जन्तुओं की भी और पेड़ पौधों की भी। हम अपने तुच्छ स्वार्थों से ऊपर उठे तो ही हम सबका निर्वाह करने वाली, हम सबको धारण करने वाली धरती अपनी समस्त जीवनदायिनी शक्तियों और साधनों के साथ सदा सुरक्षित रह सकेगी। वर्तमान सन्दर्भ में भी 'वसुधैव कुटुम्बकम्' की भावना ही मानवता की रक्षा कर सकती है।

आज पर्यावरण पर जो सकट गहराया है, वह असल में हमारे मन और आत्मा पर घिरे घने अन्धकार की छाया है। पर्यावरण-रक्षा के प्रश्न को हम टुकड़ों में बाँटकर हल नहीं कर सकते कि लो जी तुम वन्य प्राणी बचाओ, तुम जंगल बचाओ, तुम हवा को देखो, तुम पानी को मत फँलने दो और तुम मिट्टी पलीद होने से बचाओ। इसे तो हमें समग्रता में ही सम्भालना होगा। तीसरी दुनिया से सबसे बड़ा प्रदूषक तत्त्व है दरिद्रता। विकसित विश्व में भोगवाद और लालच धरती को लील रहा है। दुनिया के ७६ प्रतिशत लोग गरीब मुल्कों के वाशिदे हैं। मगर धरती की ८० प्रतिशत सम्पदा अमीर देशों की भेंट चढ़ जाती है।

धरती पर मानव के प्रादुर्भाव के बाद जितना काल बीता है उसके ११ फीसदी काल में तो हम जंगलों से कद-मूल बटोरकर और वन्य प्राणियों का शिकार कर अपना निर्वाह करते रहे। खेती शुरू हुई आज से करीब १०-१२ हजार साल पहले और कारखानों की कहानी तो मुश्किल से दो-ढाई सौ साल पुरानी है। चन्द जीवाणुओं को छोड़ दे तो आज भी हम उन्हीं पेड़-पौधों और पालतू पशुओं पर निर्भर हैं, जिन्हे हमारे पूर्वजों ने साध लिया था।

हल और पहिये के आविष्कार के बाद जंगलों की शामत आई। सिचाई के लिए नहरे बनी। कुछ लोग जमीन के मालिक बन बैठे और उन्होंने मजदूरी के लिए दूसरों को गुलाम बना डाला। खेत बड़े हुए तो जंगल सिकुड़ते गये और पानतू जानवरों ने चरागाहों को हरियाली को चाटना शुरू किया। गनीमत थी कि बाहुबल और पशुबल ही था हमारे पुरखों के पास।

जर, जोरू और जमीन के भगड़े बढ़ते चले गये और यूनान, मिश्र, रोम, मय तथा एजटेक सभ्यतायें अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारकर काल के गर्त में विलीन हो गयी। लालच सबको निगल गया।

तीसरा दौर शुरू हुआ औद्योगिक क्रांति का, जिसे ले उड़े चक्के और धुआं उगलते इंजन। वह इंग्लैण्ड से शुरू हुई और उत्तर अमरीका में बसे अग्रजो मे भी फैल गयी। खेती भी पसीने के बजाय कोयला और तेल पीने लगी। हरे-भरे गाँव छोड़कर लोग शहरों की चिमनियों और भट्टियों में खिचते चले गये। हाथ का स्थान मशीनों ने ले लिया और घण्टों का काम मिनटों में होने लगा। खेती के मशीनीकरण और कारखानों ने धरती के प्राकृतिक साधनों का विकट दोहन शुरू किया।

धीरे-धीरे इस विकास के पीछे छिपे विनाश के चित्र प्रकट होने लगे। हवा में कार्बन डाइआक्साइड का जहर फैलता गया, व कहीं-कहीं तेजाबी बरसात होने लगी। कहीं ओजोन की छतरी में छेद हो गया और सूरज की लप-लपाती परा-बैंगनी किरणें धरती का पारा चढ़ाने लगी। आगे बढ़ने की होड़ में गरीब देश अपने-अपने जंगल काटकर इमारती लकड़ी बेचने लगे और अनाज के बजाय नकदी फसल उगाने लगे। मध्य अमरीका ने अपना करीब आधा जंगल काटकर चरागाह बना दिया ताकि उस पर जानवर चरे और उनका मांस उत्तर अमरीका को बेचा जाए। आधा जंगल कट गया, ताकि वे हैम्बरगर आ सके। आर्थिक सहायता के एवज में तीसरी दुनिया के देश अमीर देशों के कूडादान बनते चले गये। रेडियोधर्मी छीजत, प्रतिबन्धित दवाएँ और कीटनाशी रसायने, गयी गुजरी तकनीकी और भौडी संस्कृति सब चीजे उधर से इधर वढायी जाती रहीं।

इस भोवगादी औद्योगिक सभ्यता से ही उपजा है मानव का यह मिथ्या अहकार कि वह इस धरती का स्वामी है और मन चाहे ढग से उसे नोच-खसोट सकता है। ३ ठण्डे देश धरती के ८० प्रतिशत साधनों से आग लगाकर हाथ ताप रहे हैं। १३३ उष्णकटिबन्धीय देशों को कंपकंपाता छोड़कर। ऊर्जा संकट के बाद ही कुछ होश आया है और अमीर देश भी समझ गये हैं कि धरती के वर्षा-वन नहीं बचे तो वे भी नहीं बचेगे।

गनीमत है कि अभी गरीब मुल्कों ने अपनी कुदरती जमा-पूँजी उतनी नहीं गवायी है जितनी कि अमीर देश गवा चुके हैं। अब आगे तीन सम्भावनाएँ दिख रही है कि औद्योगीकरण के गर्त में डूबकर महाविकास के नाम पर धरती महा-विनाश की शिकार हो जाएगी। दूसरा सकट यह है कि परमाणु वम से ध्वस्त हुई धरा पर हम फिर से जगली बन जाएँ कदमूल बटोरते और शिकार करते जगली।

तीसरी सम्भावना यह है कि सूझबूझ से काम लेकर 'जीवन-निर्वाह सभ्यता' का उदय करे। आबादी कम हो, बरवादी कम हो, कुंदरत की लूट-खसोट की आजादी खत्म हो। तब हम इस लायक भी बन सकेंगे कि अच्छे रहन-सहन के साथ ही अपने परिवेश को भी हरा-भरा रख पाएँ और कहीं कुछ हानि हो भी जाये तो तुरन्त उसकी भरपाई की जा सके। जितने पेड़ गिरे चौगुने उगे। अपरिग्रह की भावना में लौटे और लालच के बजाय जरूरतभर को लेकर ही हम सन्तुष्ट रहे। तब आदमी प्रकृति का शत्रु नहीं मित्र बनकर रहेगा।

इस सपने को पूरा करने में हम अपने बनवासी साथियों से बहुत कुछ सीख सकते हैं जो हजारों साल से प्रकृति के साथ ताल-मेल बनाये रखकर एक सुखी और सम्पूर्ण जीवन जीते आये हैं।

## प्रतिफल | श्री मनोज इकबाल

महात्मा बुद्ध से उनके एक शिष्य ने कहा—“महात्मन् ! मैं मानव जाति से प्रेम करता हूँ मगर उनका मेरे प्रति वैसा प्रत्युत्तर नहीं है जैसा कि होना चाहिए। ऐसा क्यों ?”

बुद्ध कुछ न बोले। उसी शाम महात्मा बुद्ध और शिष्य एक सभा को सम्बोधित करके लौट रहे थे। राह में एक कुएँ की मुडेर देख शिष्य ने बुद्ध से पानी पीने की आज्ञा माँगी। कुआँ बहुत गहरा था। शिष्य ने रस्सी के सहारे डोल को कुएँ की ओर धकेला और खींचना शुरू किया। बड़ी मेहनत के बाद डोल ऊपर की तरफ आया मगर बिल्कुल खाली था। यह देखकर महात्मा बोले—“वत्स ! तुम्हारे प्रश्न का जवाब अब सुन ! हमारा मन भी इस डोल की भांति है जिसमें छिद्र ही छिद्र है। पानी टिके कहाँ ? मन में छिद्र है, प्रेम भरा भी जाये तो क्या रुक पायेगा ? हम दूसरों को क्या देंगे ? इसलिए अपने मन रूपी डोल को ठीक करे तब उसमें प्रेम भरा जा सकेगा। उसे हम जितना चाहें, वांट सकते हैं।

—मुन्दर स्पोर्ट्स, चैटक सिनेमा, उदयपुर (राज)



## भ्रमर, पर्यावरण और अहिंसा

□ श्री रणजीतसिंह कूमट

भ्रमर के जीवन को देखे । जरा गहराई से देखे । भ्रमर को रस चाहिये । रस के लिये घूम रहा है । भ्रमण करना ही उसका जीवन है और भ्रमण की वजह से ही उसका नाम भ्रमर या भंवरा पडा है । एक जगह वह टिकता ही नहीं ।

किसी एक फूल का शोषण नहीं करता, थोडा-थोडा रस सबसे लेता है । किसी एक पर आश्रित नहीं । वह मुक्त है, अपने मे मस्त है । अपने मन और मार्ग का स्वामी है । आश्रित होता तो स्वामी नहीं बन सकता था । मुक्त नहीं घूम सकता था । जब शोषण में प्रवृत्ति नहीं है तो आसक्ति नहीं है । एक जगह का लगाव या चिपकाव भी नहीं ।

भ्रमर फूल के पास गया—बिना दुःख दिये, जितना रस मिला ले लिया । रस नहीं मिला तो आगे चल दिया । न असन्तोष जाहिर किया न दुःख । मिला गया तो ले लिया और नहीं मिला तो फूल को तडफाया नहीं, गाली नहीं दी, बुरा भला नहीं कहा । रस नहीं मिला तो बिना पीये चल दिया । भूखा रह गया परन्तु फूल को खाने या तोडने का प्रयत्न नहीं किया । भूख से, प्यास से मर जायेगा परन्तु फूल को दुःख नहीं देगा । रस नहीं मिला तो अन्य वाटिका में जायेगा परन्तु उस वाटिका को उजाडेगा नहीं ।

भ्रमर का सबसे पहला सिद्धान्त रहा अहिंसा का । फूल को या वगिया को नष्ट नहीं करना, उसको जरा भी नहीं छेडना । जैसा था वैसा ही रहने दिया । भ्रमर के रस ले जाने के बाद भी फूल पर शिकन नहीं, मुरझान नहीं । फूल को पता भी नहीं कि उसका रस किसी ने ले लिया है । फूल को तो गुंजन में ग्रान्द्र आ रहा था । उसके सुई लगे जितना दर्द भी तो नहीं हुआ—कण्ट कैसा ? वगिया हरी-भरी है, पेड, फूल, फल, पौधे सब ज्यो के त्यों हैं—फिर भी भ्रमर ने बिना कण्ट दिये अपना प्रयोजन सिद्ध कर लिया । जिममे रस मिला, ले लिया, नहीं मिला तो आगे चल दिया । रस एक ही फूल मे नहीं लिया, थोड़ा थोड़ा सबसे लिया ।

मानव, तू भी ऐसा ही कर सकता है । इस संसार हपी बनि ही जी सकता है । तू भ्रमर की तरह इसमे क्यों नहीं जीता ? फल पेड क्यों काटता है ? भूख मिटाने के लिये जीवों को क्यों नष्ट बिना किसी को नष्ट किये तेरा जीवन-यादन मन्दर नहीं ?

आज का मानव यही जवाब देगा—सम्भव कहाँ है ? उन्हें अपार धन, वैभव चाहिये । केवल भोजन से काम चलता है क्या ? भोजन कर पशु-पक्षी भी जीवन बिताते हैं । हम तो मानव हैं । हम केवल भोजन के लिये जीते हैं क्या ? हम वैज्ञानिक युग में हैं—विज्ञान से जितना अधिक उत्पादन व उपभोग बढ़ा कर ऐशो-आराम से जीवन बिता सके उतना ही आधुनिक एवं विकसित कहला सकते हैं । इसलिये ऐसा जीवन सम्भव नहीं जहाँ किसी को कष्ट ही न दे । ससार की सब वस्तुएँ भोगोपभोग के लिये हैं, फिर उनका उपयोग क्यों नहीं ?

इसी भोगोपभोग दर्शन के आधार पर पाश्चात्य देशों में अधिकाधिक उत्पादन—उपभोग की अर्थव्यवस्था बनी और अधिक से अधिक उपभोग करने के लिये विभिन्न माध्यमों से विज्ञापन कर उपभोक्ता को लालायित करने का प्रयत्न किया । परन्तु साधनों का शोषण बीसवीं सदी के उत्तरार्द्ध में इतना तीव्र गति से हुआ कि पर्यावरण के नष्ट होने का खतरा उत्पन्न हो गया और सब तरफ पर्यावरण संरक्षण की बात खड़ी हो गई । सबकी अपील है कि अधिक वन न काटें, प्रकृति का दोहन कम करें, प्रदूषण कम करें और विभिन्न जीवों को नष्ट करने की प्रक्रिया समाप्त करें । आखिर यह सब क्यों ? पर्यावरण में असन्तुलन आ गया है । धरती उपग्रह का अस्तित्व खतरे में है इसलिए अब सब तरफ सीमित दोहन की बात हो रही है । वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण की बात हो रही है ।

जंगलों में से कई प्रकार के प्राणियों का तो अस्तित्व ही समाप्त हो गया—नाम ही बाकी रह गया । टाइगर व व्हेल मछली को बचाने के लिये विश्व स्तर पर कार्यवाही हुई है । इसी प्रकार अन्य प्राणियों को बचाने के लिये विश्व वन्य कोष (World Wild Life Fund) आदि स्थापित हुए हैं । एक ओर बचाने व पर्यावरण संरक्षण की बात हो रही है, दूसरी ओर आर्थिक विकास की दौड़ में पर्यावरण को नष्ट कर रहे हैं ।

मानव यदि इस प्रकृति प्रदत्त संसार में भ्रमर की तरह रहे और पर्यावरण को नष्ट न करे तो यह दुनिया कितनी सुन्दर नजर आये । परन्तु सूखे व नंगे पहाड़, उजाड़ वन, सूखे पेड़, बंजर भूमि, सहमे-सहमे वन्य प्राणी, यह सब देख कर यही लगता है कि हम अपनी धरती को नष्ट करने पर तुले हैं । पर्यावरण संरक्षण की बात करते हैं परन्तु इसका नाश द्रुतगति से करते जा रहे हैं । इसका मात्र एक कारण है—हमारा लोभ और उपभोग संस्कृति । जब तक संग्रह और उपभोग वृत्ति पर अंकुश नहीं लगेगा, पर्यावरण संरक्षण की बात ही निरर्थक है । संग्रह और उपभोग पर संयम बिना पर्यावरण का अथाह दोहन रुक ही नहीं सकता । संरक्षण की बात ढोंग है या मृगतृष्णा ?

सब प्राणी मिलकर जगत् का निर्माण करते हैं। वनस्पति, पानी, पृथ्वी, अग्नि और अन्य सब प्राणी—जलचर, थलचर व खेचर (आकाश में भ्रमण करने वाले) सबके समन्वय व सन्तुलन से यह संसार बना है। नष्ट करने का अधिकार किसी को भी नहीं क्योंकि इसके सृजन में सन्तुलन है और किसी भी एक आयाम के नष्ट होने से पर्यावरण में असन्तुलन बनेगा। जीवन जब स्वयं को प्यारा है तो हर प्राणी को प्यारा है। स्वयं के पेट भरने के लिये, दूसरो के जीवन का अन्त करना अनुचित है। इसी सिद्धान्त को मोटे रूप में धर्म का रूप देकर बड़े-बड़े महात्मा व मनीषियों ने अहिंसा का उपदेश दिया। ईसा मसीह ने मोटे आदेश के रूप में कहा—“Thou shall not kill” तुम किसी को नहीं मारो। महावीर ने कहा “अहिंसा परमो धर्मः।” इसी प्रकार सभी धर्मों से आवाज उठी—किसी की हिंसा न कर, जीवन नष्ट न कर। जीवन अमूल्य है और मारना पाप है। परन्तु कालान्तर में आचार और सिद्धान्त में भेद हो गये और व्यवहार में हिंसा का प्रचार हुआ। परन्तु सिद्धान्ततः कोई भी धर्म हिंसा का समर्थक नहीं है।

हिंसा के भी दो मोटे रूप हैं—एक प्रयोजनार्थ हिंसा और एक अनर्थ हिंसा। जहाँ अभी तक खान-पान में सामिष भोजन का ही रिवाज है और निरामिष भोजन का व्यवहार नहीं पनपा वहाँ भोजन के लिये जीवों की हिंसा की जाती है। इसके विपरीत केवल शौक के लिये शिकार, दिखावे के लिये मिक कोट (जिसमें हजारों छोटे जानवरों को जिन्दा मारकर उनकी त्वचा से कोट बनाया जाता है) का पहनावा, सौन्दर्य प्रसाधन के लिये लाखों जानवरों का जीवन-नाश, ये सब हिंसा के विभिन्न रूप हैं। थोड़ी देर के लिये मान ले कि सामिष भोजन की प्रथा होने से भोजन के लिये प्राणी हिंसा की जाती है परन्तु शौक, सौन्दर्य और दिखावे के लिये लाखों प्राणियों की हिंसा कहाँ तक उचित है? वह अनर्थ है, अनुचित है और पर्यावरण असन्तुलन की जिम्मेवार है। जगल कटने और जगलों से वन्य प्राणी गायब होने का मूल कारण शौक और शिकार है। इन्हीं की वजह से खरगोश, मोर, छोटे बालों व पखों वाले पशु-पक्षी सब गायब होते जा रहे हैं। व्हेल जैसी बड़ी-बड़ी मछलियों का अस्तित्व ही खतरे में हो गया है। यह सब पैसा कमाने, अपने शौक पूरा करने और दिखावे के लिये है। अपार धन वाले व्यक्ति अपना धन प्रदर्शन करने के लिये कितने जीवों की हिंसा करते हैं, यह वे जानते तक नहीं। अतः मोटे रूप में अनर्थ हिंसा को बन्द करना न केवल जीवों की रक्षा और धर्म के पालन के लिये वरन् इस पृथ्वी के पर्यावरण संरक्षण के लिये आवश्यक है और यह तत्काल करना चाहिये।


भोजन में भी संयम नितान्त आवश्यक है। टालस्टाय ने कहा—जब तक भोजन में संयम नहीं करते, किसी भी प्रकार का सयम सम्भव नहीं। रस-लोलु-



पता ही जीव को सब प्रकार की हिंसा करने को प्रेरित करती है। मनुष्य अपनी रस-लोलुपता के लिए क्या नहीं करता ? लाखों प्राणियों की हिंसा केवल भोजन के लिये होती है। आधुनिकतम कत्लखाने लाखों प्राणियों को मारने के लिए स्थापित किये जाते हैं। उन कारखानों में इतनी पूंजी लगाई जाती है कि वर्ष में एक निश्चित सख्या से कम जानवर मारे जायेंगे तो वह कारखाना हानि में जावेगा। अतः उसको आर्थिक हानि से बचाने के लिये उतने जानवर प्रति-दिन काटने ही होंगे। यह हुआ आधुनिकीकरण। पुराना कसाई उतने ही जानवर मारता था जितनी माँग थी या उसकी क्षमता थी। अब कारखाना नफे में लाने के लिये न्यूनतम क्षमता तक जानवर मारे जायेंगे और यदि माँग नहीं है तो विज्ञापन के माध्यम से बढ़ावा देकर मांस बेचा जावेगा। पहले खाने वालों के लालच से जानवर कटते थे, अब पैसे वालों के लालच से कटते हैं और जो नहीं खाते थे उनको भी खाने के लिये बढ़ावा देते हैं। जानवरों का उत्पादन उनके निश्चित क्रम से होता है परन्तु हनन तो कारखाने की क्षमता से होता है और यदि क्षमता ज्यादा है तो अल्प समय में जानवरों को समाप्त होने की नौबत आ जावेगी। चीन एक ऐसा देश है जहाँ गाय, बैल आदि जानवरों की अत्यन्त कमी है और दूध व्यवसाय नाम मात्र को है। भारत में परम्परा से गाय को माता मानने का वरदान समझे कि यहाँ गाय व बैलों की सख्या प्रचुर मात्रा में है वरना यह भी समाप्त हो गई होती। बढ़ती जनसख्या के भोजन के लिये कृषि व शाकाहार ही समाधान है। सामिष भोजन के लिये जानवरों को मारने से कृषि पर बोझ अधिक पड़ता है क्योंकि जितनी जमीन से शाकाहारी का निर्वाह हो सकता है उससे तिगुनी जमीन सामिष भोजन वालों के लिये चाहिये।

मनीषियों, तीर्थङ्करों या पैगम्बरों ने अहिंसा का सिद्धांत अपनी आत्म-करुणा व सवेदनशीलता के आधार पर दिया। यह पर्यावरण सन्तुलन में ही उतना ही कारगर है जितना निजी जीवन में सन्तुलन कायम करने में है। बाहरी पर्यावरण के प्रति, छोटे से छोटे प्राणी के प्रति यदि सवेदनशीलता है तो अपने घर व पास पड़ोस में रहने वाले व्यक्तियों के प्रति भी उतनी ही सवेदनशीलता होगी और परिवार, परिजन, मित्र और पड़ोसी से हमारा व्यवहार भी संतुलनवाला एवं संवेदनशील होगा और मधुर रस स्वतः ही बहेगा। अहिंसा बाहरी वातावरण में तो सरसता पैदा करती ही है, निजी आंतरिक जीवन में भी करती है। अतः प्राणी मात्र के प्रति सवेदनशीलता ही पर्यावरण संरक्षक का मूल मन्त्र बन सकती है।

—सी-२०, हीरा बाग, जयपुर-४



## अहिंसा : सामाजिक सन्दर्भ में

□ श्री राजीव प्रचंडिया

जब और जहाँ कही भी 'अहिंसा' का नाम आता है तो सर्वप्रथम उसका निषेधात्मक रूप ही हमारे दृष्टि पटल पर उभरता है अर्थात् समस्त जीवों को पीडा-दुःख न पहुँचाना और न ही घात-प्रतिघात करना अहिंसा है, किन्तु जब इसके विधेयात्मकता पर विचार करते हैं तो हम पाते हैं इसके गर्भ में अनन्त अनमोल रत्न-राशियाँ विखरी पड़ी हैं। ये सब विखरी पड़ी राशियाँ एकत्रीकरण या पुंजरूप में अहिंसा को असली जामा पहनाती हैं। यथार्थतः अहिंसा का क्षेत्र बड़ा व्यापक है। यह न तो किसी एक वर्ग, जाति, धर्म समाज और राष्ट्र का प्रतिनिधित्व ही करती है और न ही किसी एक विशेष व्यावसायिक क्षेत्र से सम्बन्धित है अपितु यह तो समस्त जीवन के साथ जुड़ी हुई है। अहिंसक का जीवन-दर्शन बड़ा प्रामाणिक होता है। उसकी कथनी और करनी में इकसारता होती है। उसका सोच, उसकी दृष्टि और उसका व्यवहार 'सत्य, शिवं, सुन्दरम्' से सदा मण्डित-अभिमण्डित रहता है। उसके द्वारा जो कुछ भी किया जाता है उसमें सवेदनशीलता, सहिष्णुता, मृदुता, सदाचारिता, कर्तव्यपरायणता आदि सद्वृत्तियाँ दिखाई देती हैं। वास्तव में अहिंसा से अनुप्राणित जीवन अनन्त आनन्द का स्रोत है।

प्रस्तुत लेख में अहिंसा के अन्तर्गत् में छिपे पड़े अनमोल रत्नों का, जो वैयक्तिक जीवन के साथ-साथ सामाजिक जीवन को सुन्दर से सुन्दरतम बनाते हैं, छटांकन किया गया है।

अहिंसक सदा त्रिगुणात्मक होता है अर्थात् उसके जीवन में तीन रत्नों के समीकरण को देखा जा सकता है यथा वर्तमान में जीना, सहजता में जीना और अनासक्त होकर जीना।

मनुष्य के जीवन का यदि सवक्षण-आकलन किया जाए तो यह स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि उसका जीवन वर्तमान में होते हुए भी प्रतिक्षण भूत जो गुजर चुका है और भविष्य जो आने वाला है, के भँवर जाल में उलझा रहता है। भूत के सतत स्मरण और भविष्य के प्रति नित नयी कल्पनाओं को लेकर व्यक्ति वस्तुस्थिति का सामना करने में सर्वथा असक्षम हो जाता है। जो उसकी प्रतीति तो होनी ही चाहिए अर्थात् प्रमाद से बचते हुए जागरण/चेतना के साथ जीना ही श्रेयस्कर है। अहिंसक सदा अप्रमादी रहता हुआ वर्तमान में जीता है। वह सोता हुआ नहीं; जागता हुआ जीता है। उसका जीवन सहजता-सरलता से सदा अनुप्राणित रहता है। जो बाहर है, वही भीतर है

और जो भीतर है, वही बाहर है। बाहर-भीतर की भेदक रेखा उसमें नहीं पायी जाती है। इसलिए वह विभिन्न तनावों से मुक्त रहता है, स्वस्थ व प्रसन्नचित्त रहता है। इतना ही नहीं उसके व्यवहार से आस-पास का वातावरण भी सौहार्दपूर्ण होता है। 'वसुधैव कुटुम्बकम्' की भावना उसमें समाहित रहती है।

आज सारा भगड़ा इसी बात पर है कि मैं दूसरे से कुछ ऊँचा हूँ, बड़ा हूँ। यह अहंकार प्रवृत्ति अर्थात् 'ईगो' की टकराहट व्यक्ति, परिवार, समाज और राष्ट्र तक को बिखेर कर रख देती है। 'ईगो' को बचाने के लिए आज व्यक्ति कृत्रिमता, आडम्बर, दोगलेपर का तानाबाना बुनता हुआ अन्ततः अपनी अस्मिता, संस्कृति और सम्यता तक को दाँव पर लगा देता है। अहिंसा, ऊँचनीच, छोटा-बड़ा जैसी संकीर्ण मनोवृत्तियों की अपेक्षा मनुष्य में समता का संचार करती है। समता में व्यक्ति-विशेष की नहीं अपितु उसमें व्याप्त अनन्त गुणों की महत्ता विद्यमान रहती है। समता जीवन में विराटता लाती है। दूसरों के विचारों को, धर्म मजहबों को आदर-सम्मान देने की प्रवृत्ति भी इसी से उद्भूत होती है। अनेकता में एकता के अभिदर्शन इसी का ही सुपरिणाम है। यह निश्चित है कि जो जितना सहज होगा, उतना ही वह सहिष्णु भी होगा। सहजता और सहिष्णुता ये दोनों गुण एक अहिंसक व्यक्ति में सदा उपस्थित रहते हैं। जहाँ ये दोनों गुण होते हैं वहाँ जीवन अनासक्ति से आप्लावित रहता है। आसक्ति के प्रभाव में व्यक्ति अनैतिक व घृणित कार्य करने तक में नहीं चूकता है, उस समय उसका विवेक क्षीण हो जाता है।

आसक्ति में तृष्णा और लालसा जाज्वल्यमान रहती है। फिर यह प्रवृत्ति आवश्यकता से अधिक न लेना और न संग्रह करना जीवन से पलायन कर जाती है। अहिंसक सदा अपरिग्रही होता है। वह सच्चा पुरुषार्थी होता है। उसे अपने श्रम पर विश्वास रहता है। श्रम के बलबूते पर जितना वह अर्जित करता है उसी में वह सन्तुष्ट रहता है। होड़बाजी तथा हड़पने की प्रक्रिया चाहे वह बल-प्रयोग से हो या फिर लाचारी से, वह इनसे कोसों दूर रहता है। ऐसी परिस्थिति में जमाखोरी, मिलावट, नापतोल में बरती जाने वाली अनियमितताएँ आदि घातक कुवृत्तियों के बने रहने का प्रश्न ही नहीं उठता है, पर आज अधिकांशतः जीवन इन्हीं से घिरा हुआ है, इससे लगता है कि अहिंसा जीवन में है ही नहीं। हैरानी तो तब होती है जब अहिंसक कहलाने वाले ही इन्हीं दुष्प्रवृत्तियों में लिप्त पाए जाते हैं। विचार करें, क्या वे अहिंसक हैं? या अहिंसा का चोगा धारण किए हुए हैं? वास्तव में एक सच्चा अहिंसक सादगी पूर्ण जीवन जीता है।

अहिंसक अपने कर्त्तव्यों के प्रति सदा सचेष्ट रहता है। उसका जीवन उत्तरदायीपूर्ण होता है। परिवार, समाज और राष्ट्र की एकता-अखण्डता बनाये रखने के लिए त्याग-वनिदान तथा निःस्वार्थ सेवा-सहयोग की प्रवृत्ति

उसमें पायी जाती है। अहिंसामय जीवन में रिश्वतखोरी, करों की चोरी, चक्रमा-विश्वासघात-धोखाधड़ी आदि बातों का सर्वथा अभाव रहता है। वास्तव में अहिंसक एक समर्पित व्यक्ति होता है। समर्पण की यह पवित्र भावना सवेदनशीलता को बढ़ावा देती है। आज पड़ोस में कुछ भी घटना-दुर्घटना हो जाए, व्यक्ति में उसके प्रति कोई-किसी भी प्रकार की सहानुभूति उत्पन्न नहीं होती, वस्तुतः यह एक आश्चर्य का विषय है। अखबार आदि संचार मीडिया मारकाट, हिंसा, अराजकता, बलवा, लूट-खसोट, बलात्कार आदि घिनौनी हरकतों की जानकारी दिन प्रतिदिन देते हैं, पर, एक हम है जिन पर तनिक भी असर नहीं होता। अब यह हमारे लिए चटपटी अर्थात् मनोरंजन की सामग्री सी बन गई है। ऐसा क्यों है? हमें इस स्थिति तक पहुँचाने के लिए कौन दोषी है? विचार करें, दोषी और नहीं स्वयं हमारा जीवन-यापन है, आचार-विचार और खान-पान है। हममें दूषण-प्रदूषण इतना व्याप्त हो गया है कि उसमें अहिंसा का कहीं अवगाहन ही नहीं हो पाता। सही अर्थों में हम जिस परिवेश में जी रहे हैं, उसमें किसी भी प्रकार का अपराध-बोध नहीं होता, हमारा जीवन सिकुडता-सिमटता जा रहा है और यही क्रम यदि निरन्तर चलता रहा तो निश्चित रूप से एक न एक दिन हम बाहर से भी और भीतर से भी एकदम टूट जायेंगे, बिखर जायेंगे। वास्तव में संकीर्ण मनोवृत्ति व्यक्ति-विकास में एक सशक्त अवरोधक तत्त्व है, जिसका अहिंसा के द्वारा ही शमन किया जा सकता है।

अहिंसक का जीवन अत्यन्त निर्मल होता है। व्यसनो के प्रति उसकी अरुचि बनी रहती है। नशा-पता से वह बहुत दूर रहता है। तामस और राजस की अपेक्षा सत्व के प्रति वह सदा सचेष्ट रहता है क्योंकि एक सुन्दर और उत्कर्षपूर्ण जीवन की नींव व्यक्ति के भोजन-भजन पर ही अवलम्बित है। जैसा और जिस प्रकार का भोजन लिया जाता है तदनु रूप उसका रस परिपाक होता है। ये रस व्यक्ति के व्यक्तित्व पर अपना प्रभाव डाला करते हैं। सात्विक रस व्यक्ति के अन्तस् में सुप्त सद्संस्कारों को जाग्रत करता है। उससे चेतना और बुद्धि तत्त्व कुन्द और मन्द नहीं अपितु पुष्ट और प्रखर होते हैं। उसकी समस्त दैनिक क्रियाएँ 'समिति पूर्वक' अर्थात् विवेकवन्त होती हैं। उसका सोच 'अपेक्षा प्रधान' होता है। उसकी दृष्टि में अनेकान्तिकता छापी रहती है। एक सच्चे अहिंसक में ये सर्वगुण सहजरूप में देखे जा सकते हैं।

आक्रान्ता के सन्दर्भ में प्रायः यह समझा जाता है कि अहिंसा इस क्षेत्र में एक भ्रामक जाल है, किन्तु अहिंसा की गहराई में जाने पर हमें वस्तुस्थिति का अवबोध होता है। ऐसी परिस्थिति में एक सच्चा अहिंसक एक ओर जहाँ अपने आत्मबल का प्रयोग करता है वही दूसरी ओर स्थिति न संभलने पर आत्मरक्षा के साथ-साथ धर्म-संस्कृति, समाज और सर्वोपरि राष्ट्र की रक्षार्थ

उसका परम कर्तव्य बन जाता है कि वह अपने पुरुषार्थ का सही और सटीक प्रयोग करे अर्थात् कर्म के क्षेत्र में अहिंसक कभी कायर नहीं होता वह आक्रान्ता का सामना या तो अपने आत्मबल से करता है या फिर अस्त्र-शस्त्र बल से। किन्तु इसके साथ ही एक बात और ध्यातव्य है कि यदि अहिंसक साधु-सन्यासरूप में प्रदीक्षित है, जगत के मोह-माया से विरक्त होता हुआ वह सतत साधना में रत है तो उसके आत्मबल-तेज के समक्ष आक्रान्ता की कुत्सित वृत्तियाँ स्वतः ही निस्तेज हो जाती हैं।

अहिंसा मात्र वैयक्तिक जीवन अर्थात् घर-गृहस्थी चूल्हे-चक्की तथा धर्मायतनो तक ही सीमित नहीं है, उसका दायरा सामाजिक/सार्वजनिक तथा राष्ट्रीय-अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर विस्तीर्ण हुआ है। अहिंसा का यह व्यापक स्वरूप बहुआयामी रूप निश्चयतः उपयोगी सिद्ध हुआ है। जीवन को यदि प्रामाणिक बनाना है तो हमें आज नहीं तो कल एक न एक दिन अवश्य ही अहिंसा की शरण में आना होगा। वास्तव में विश्व-कल्याण, शान्ति, एकता, मैत्री और सौहार्दता की प्रगाढ़ अनुभूति अहिंसा में व्यञ्जित है। वस्तुतः अहिंसा के अन्तस् में अनगिन अनमोल रत्न जीवन की अनन्तता का उद्घाटन करते हैं।

—३६४, सर्वोदय नगर, आगरा रोड,  
अलीगढ़ (उ.प्र.) २०२००१



### अमृत-करण

उपकार कभी व्यर्थ नहीं जाता।

—अज्ञात

उपकार करने से मनुष्य की आत्मा उन्नत और प्रफुल्लित बनती है।

—गांधी

पैरोपकार कर सको तो कोई बात नहीं, पर किसी का अपकार हरगिज न सोचो, न करो।


—गांधी

जिसमें उपकार की वृत्ति नहीं, वह मनुष्य कहलाने का अधिकारी नहीं है।

—अज्ञात

किसी फकीर के पास अगर एक रोटी होती है, तो वह आधी आप खाता है, आधी किसी गरीब को दे देता है। लेकिन किसी बादशाह के पास एक मुल्क होता है तो वह एक मुल्क और चाहता है।

—सादी



# अहिंसा का समाजदर्शन

□ डॉ० धर्मचन्द लाल

अहिंसा का जितना सूक्ष्म और विचित्र विवेचन जैनदर्शन में हुआ है, उतना अन्य किसी दर्शन में दिखाई नहीं देना। पृथ्वीकाय, अप्पकाय, तेजस्काय वायुकाय और वनस्पतिकाय के स्थान पर एकेन्द्रिय जीवों तथा त्रसकाय के द्वीन्द्रिय से लेकर पचेन्द्रिय तक के जीवों की हिंसा न करने, न कराने तथा अनुमोदन न करने का विवेचन जैनदर्शन की अमूर्ती विशेषता है। यही नहीं हिंसा करने का त्याग तीन योगों से किया जाता है। वे तीन योग हैं—नन, वचन और काय। साधु तीन करण (करना, कगना एवं अनुमोदन) एवं तीन योग से हिंसा का त्यागी होता है। श्रावक दो करण तथा तीन योग से हिंसा का त्यागी होता है। साधु के हिंसा-त्याग को अहिंसा-महाव्रत तथा श्रावक के हिंसा-त्याग को अहिंसा-अणुव्रत कहा जाता है।

हिंसा क्या है? इस व्याख्या में यदि हम जाते हैं तो तत्त्वार्थसूत्र पर हमारी दृष्टि पड़ती है। उनमें 'प्रमत्तयोगात्प्राणव्यपरोक्षणं हिंसा' लक्षण के द्वारा यह प्रतिपादित किया गया है कि प्रमत्तयोग के कारण जो प्राणों का व्यपरोक्षण अर्थात् अतिपात होता है वह हिंसा है। प्रमत्तयोग का अर्थ है प्रमादपूर्वक की गई प्रवृत्ति। प्राण दो प्रकार के हैं—मात्र प्राण और द्रव्यप्राण। मात्र प्राण तो स्वयं आत्मा है और द्रव्यप्राण के दम प्रकार हैं—गर्भ इन्द्रियों के पंच बलप्राण मन-वचन और काय के तीन बलप्राण, स्वासोच्छ्वास बलप्राण तथा आयुष्य बलप्राण। इनमें किसी भी प्रकार के प्राणों को क्षाण्य पूर्वक न हिंसा है। यहाँ प्रश्न होता है कि इस हिंसा में किसके प्राणों का अनिपात होता है? हिंसक के प्राणों का अनिपात होता है या हिंसित के प्राणों का? इन प्रश्नों के उत्तर में जैनाचार्य यह स्पष्टीकरण देते हैं कि हिंसा से हमारे अर्थात् हिंसक प्राणों के प्राणों का अनिपात हो या न हो किन्तु हिंसक के प्राणों का ही अनिपात ही जाता है। प्रमादपूर्वक जब हिंसा का मात्र संकल्प किया जाता है तब भी प्राणों पर किसी प्रकार का प्रहार नहीं किया जाता है तब भी हिंसक प्राणों का अनिपात नहीं होता है। दूसरी बात यह भी है कि वह हिंसक के प्राणों का अनिपात होकर कर्मबन्धन होता है, किन्तु हिंसक के प्राणों का अनिपात ही नहीं होता है। इस प्रकार हिंसक से हिंसित को नुकसान

पडता है, और कालान्तर में भी उसका प्रभाव अङ्कित रहने से फल मिलता है।

अहिंसा की आध्यात्मिक व्याख्या करते हुए अमृतचन्द्राचार्य ने पुरुषार्थ-सिद्धयुपाय में रागादि भावों की उत्पत्ति को हिंसा तथा इनके अप्रादुर्भाव को अहिंसा कहा है। यह अहिंसा की आध्यात्मिक पराकाष्ठा है। रागादि भाव कषायरूप हैं तथा कषाय, प्रमाद का एक भेद है। अतः रागादि कषाय की उपस्थिति में जो द्रव्य-भाव रूप प्राणों का अतिपात होना है वह हिंसा है। ऐसी हिंसा से तो केवली ही बच पाता है, अन्य समस्त छद्मस्थ प्राणी कषाय की उपस्थिति के कारण हिंसा से पूर्णतः विरत नहीं हो पाते।

इस प्रकार प्रमाद अथवा कषाय की उपस्थिति में जो स्व या अन्य प्राणी के प्राणों का व्यपरोपण होता है उसे ही जैनाचार्य हिंसा मानते हैं। यदि प्रमाद अथवा कषाय के अभाव में प्राणों का व्यपरोपण होता है तो वह हिंसा नहीं है। इसे हिंसा इसलिए भी नहीं कहा जाता क्योंकि यह कर्मबन्धन का कारण नहीं है। कषाय की उपस्थिति में ही योग कर्मबन्धन का कारण बनता है। उदाहरण के लिए केवली प्रमाद अथवा कषाय से सर्वथा रहित होते हैं, तथापि श्वास ग्रहण करने एवं निकालने में उनके द्वारा वायुकाय के असंख्य जीवों का प्राण व्यपरोपण होता रहता है। यह प्राणव्यपरोपण हिंसा नहीं है, पाप नहीं है क्योंकि इससे किसी प्रकार के कर्म का बन्ध नहीं होता है। हिंसा का यह विवेचन बन्धन एवं मुक्ति की प्रक्रिया को लेकर हिंसक या अहिंसक जीव के सन्दर्भ में हुआ है। इस दृष्टि से पूर्णतः अहिंसक वह है जो कषायमुक्त है।

### सामाजिक सन्दर्भ में अहिंसा :

आध्यात्मिक दृष्टि से हिंसा का परिणाम स्वयं को भोगना पडता है, अतः हमें हिंसा का सकल्प मात्र भी छोड़ देना चाहिए। यही नहीं राग-द्वेष से पूर्णतः विश्राम पा लेना चाहिए। अब हम सामाजिक सन्दर्भ में हिंसा-अहिंसा पर विचार करें।

सामाजिक-जीवन एक दूसरे प्राणियों के सहयोग से चलता है। माता यदि शिशु को दूध न पिलाकर प्रताड़ित करे तो उसका शिशु पर विपरीत प्रभाव पडता है। और वही माता शिशु को समय पर दूध एवं प्यार दे तो वह उस शिशु के लिए जीवनदायिनी सिद्ध होती है। करुणा एवं प्यार, सेवा एवं मैत्री से अहिंसक समाज का निर्माण होता है तो आतंक, भय एवं हिंसा से हिंसक तथा अशान्त समाज का निर्माण होता है।

हिंसा एवं अहिंसा का जितना सम्बन्ध स्व से है उतना समाज से भी है। बिना समाज के हिंसा एवं अहिंसा का प्रश्न ही नहीं उठता है। यदि सम्पूर्ण संसार में एक ही प्राणी हो तो हिंसा-अहिंसा का प्रश्न बेमानी हो जाता है।

एक से अधिक प्राणियों के होने पर ही हिंसा-अहिंसा होती है। चाहे हिंसा मन से हो, वचन से हो या कर्म से, उसके लिए एक के अतिरिक्त अन्य किसी प्राणी का होना आवश्यक है। फिर यह भी मानना होगा कि हिंसा का पभाव हिसाफ एवं हिसित दोनों पर पड़ता है। यही कारण है कि आचारांग सूत्र में भगवान् महावीर हिसित प्राणी की भी चिन्ता करते हैं। वे कहते हैं—

सत्त्वे पाणा पिआउया नुहसाता दुःखपडिकूला अप्पियवधा पिय जीविणो जीवितुकामा । आचारांग सूत्र, ६.२.३

अर्थात् सभी प्राणियों का आयुष्य प्रिय है, सबको सुख अनुकूल लगता है तथा दुःख प्रतिकूल लगता है। सभी प्राणियों को वध अप्रिय है, सबको जीवन प्रिय है, सब जीना चाहते हैं। अहिंसा की स्थापना में भगवान् महावीर के ये वचन उसे सामाजिक एवं मानवीय रूप देते हैं। अहिंसा यहाँ प्राणिमात्र से जुड़ी हुई है। यही अहिंसा के समाज-दर्शन का मूल है।

आज आवश्यकता इसी बात की है कि अहिंसा का सामाजिक वैभव उजागर हो। प्राणिमात्र के जीवन की रक्षा का भाव मन में पैदा हो। यह भाव ही करुणा का द्योतक है, और जहाँ करुणा है वहाँ हिंसा स्वतः निभाम पा लेती है। वैयक्तिक मुक्ति की प्रक्रिया में अहिंसा साधनभूत अवश्य है किन्तु अहिंसा का उससे भी अधिक महत्त्व प्राणियों के रक्षण एवं उन्हें अभय प्रदान करने में है।

सूत्रकृताङ्गसूत्र में भी आचारांग सूत्र की अनुगूज है। वहाँ मनुष्य को प्राणिमात्र के प्रति संवेदनशील बनाने हेतु कहा है—“जिस प्रकार मुझे उठे से, मुट्टि से, अस्थि से ढले से, अथवा कपाल से कोई चोट पहुँचाता है, तर्जना देता है, पीटता है, परिताप देता है, पीड़ा पहुँचाता है, विनाश करता है अथवा एक रोम भी उखाड़ता है तो मुझे हिंसाकारी दुःख एवं भय की वेदना होती है। एसी प्रकार समस्त जीवों को जानो। समस्त जीव, भूत, प्राण एवं सत्त्व को उठे आदि किसी भी साधन से पीड़ा पहुँचाने, मारने, पीटने, परिताप देने, खिन्न करने, रोग उखाड़ने आदि से उसे दुःख एवं भय का वेदन होता है। इसलिए यह जानकर किसी भी प्राणी को नहीं मारना चाहिए, उन पर शासन नहीं करना चाहिए, अपने अधीन नहीं बनाना चाहिए, परिताप नहीं देना चाहिए तथा पीड़ित ग करना चाहिए।”<sup>१</sup>

अहिंसा का यह उपदेश मात्र भगवान् महावीर ने नहीं दिया है जो अतीत एवं आगामी अरिहन्त भगवान् हैं वे सब इसी प्रकार प्रवचन हैं कि किसी भी प्राणी का हनन नहीं करना चाहिए, किसी को अप



नहीं बनाना चाहिए। किसी को परिताप नहीं देना चाहिए, किसी को पीड़ा नहीं देना चाहिए—यह धर्म ध्रुव, नित्य एवं शाश्वत है तथा सम्पूर्ण लोक को जानकर क्षेत्रज्ञों के द्वारा कहा गया है।<sup>२</sup> इस प्रकार 'सूत्रकृताङ्ग में निरूपित अहिंसा का यह दर्शन प्राणी को दूसरो के दुःख के प्रति संवेदनशील बनाता है। दूसरों के दुःख के प्रति संवेदनशील होकर ही उनके प्रति की जा रही हिंसा से बचा जा सकता है।

हिंसा का त्याग आध्यात्मिक दृष्टि से जहाँ संवर का कारण है वहाँ सामाजिक दृष्टि से उसका प्रभाव प्राणि-रक्षण के रूप में समस्त प्राणियों पर पड़ता है। हिंसा एवं अहिंसा से मात्र हिंसक व्यक्ति प्रभावित नहीं होता अपितु समाज प्रभावित होता है। इसी वर्ष बम्बई में मार्च माह में हुए अनेक बम विस्फोटों में सैकड़ों लोगो की जान चली गई। इसमें विस्फोट करने वाला गिरोह उसके कर्म-बन्धन का फल भोगता रहेगा किन्तु साक्षात् फल तो हिंस्य प्राणियों पर हो ही गया। यही नहीं जिनकी जाने गई उनके परिवार वालो एवं निकट सम्बन्धियों के भी प्राणों का इससे अतिपात हुआ है। समाचार सुनने वाली जनता भी आतंकित हुई है।

यहा पर जैनाचार्य यह समाधान प्रस्तुत करते है कि हिंसा करने के दोष का फल मात्र हिंसक को मिलता है। हिंस्यमान प्राणी अपनी चेतना के स्तर पर उस हिंसा से अप्रभावित भी रह सकता है। उस हिंसा से जिनकी मृत्यु हुई है, वह उन प्राणियों के आयुष्यकर्म क्षीण होने से हुई है। हिंस्यमान प्राणी की मृत्यु को अपने कर्मोदय से मानने पर अनेक प्रश्न उठते है।

सबसे पहला प्रश्न तो यह उठता है कि जब हिंस्यमान प्राणी का आयुष्यकर्म क्षीण होने ही वाला था तो क्या उसके निमित्त से ही हिंसक ने हिंसा-जनक बम-विस्फोट किया? यदि हम हिंसा के परिणामस्वरूप हुई मृत्यु को आयुष्यकर्म के समापन का परिणाम मानेगे तो इससे हिंसकों को प्रोत्साहन मिलेगा। उन्हें अन्य प्राणियों को अकाल मे मृत्यु का ग्रास बनाते हुए कोई संकोच नहीं होगा।

इसलिए, दूसरा प्रश्न यह होता है हिंस्यमान प्राणी की मृत्यु क्या उसी निमित्त से होनी थी, या अन्य निमित्त से भी हो सकती थी? यदि अन्य निमित्त से होनी थी तब भी हिंसक ने अन्य निमित्त के कार्य का निर्वाह कर हिंसित प्राणी का सहयोग ही किया और यदि वही निमित्त बनना था, तो हिंसक का दोष हलका हो जाता है क्योंकि उसकी विवशता थी कि वह ऐसा कार्य करे जिससे हिंस्यमान को हिंसा हो जाय।

समाज में व्यापक स्तर पर योजनाबद्ध तरीके से जो हिंसा हो रही है वही वह हिंसा आतंकवाद के रूप में हो, गोपनी के रूप में हो, औद्योगिक प्रगति के रूप में हो, किसी भी प्रकार से हो: उस हिंसा को रोकने के लिए आवश्यक है हमारे दुःख के प्रति संवेदनशीलता का विकास। जब तक मनुष्य में यह भावना नहीं आयेगी कि जिन प्रकार मुझे प्रभावित किए जाने पर, नारे जाने लगे, उचित दिए जाने पर मुझे दुःख होगा है उसी प्रकार अन्य प्राणियों को भी दुःख होता है। मुझे जिस प्रकार जीवन प्यारा है उसी प्रकार अन्य प्राणी भी मरना चाहते हैं। 'सर्वेसि जीविनं पियं'। आचारारंग का यह वाक्य अपने समान अन्य प्राणियों को सम्झकर उनके दुःख-सुख के प्रति संवेदनशील होने का पाठ पढ़ता है। जानबूझकर निर्दोष प्राणियों को उल्टे पहुँचाना प्रत्येक मनुष्य के लिए त्यज्य है।

हिंसा से हिंसित प्राणी की जीवन-शैली के समान होने को मात्र आयुष्य-समय की सीमाता का परिष्कृत मानना, हिंसा को बढ़ावा देता है। स्थानांग सूत्र में प्रमाण मृत्यु के साथ कारण गिनाए गए हैं, जो यह प्रमाणित करते हैं कि प्राणी की निर्धारित आयु के पूर्व भी उनकी मृत्यु हो सकती है। वे सात कारण

अव्यवसायान्निमित्ते, आहारि वेद्यना पराधाने ।  
 कामे आनामनू, जनविर्वं विज्जए आउं ॥

—स्थानांग सूत्र, सफ मन्तर

- (१) राग-द्वेष के तीव्र अव्यवसायों से, (२) अल्प, अन्ध, वन-विहारी, अथ अति के निमित्त से (३) आहार न मिलने अथवा अत्यधिक आहार करने से, (४) तीव्र वेदना होने से (५) दुमनों के द्वारा जोर पहुँचाने, आजाद पहुँचाने से, (६) विद्वान् द्वारा के स्वर्ग अति से (७) स्वान-निःस्वान के अस्वीकार से मनुष्य का वेद हो सकता है अर्थात् निर्धारित आयु के पूर्व भी औद्योगिक प्रगति के तीव्र वेद हो सकती है। हिंसा का दुःख हमें प्रभाव देती है, जो हमें ही न अनुभव हो किन्तु उनके अनिर्धारित हम मनुष्य मंत्रारी प्राणियों को प्रभावित कर सकता है। इसलिए हिंसा त्यज्य है।

मनुष्य के सहअस्तित्व एवं विद्वयान्ति के लिए अहिंसा को जीवन के रूप में स्वीकार करना होगा। पंडु-शौर्वों की रक्षा का प्राणी जानवरों के संरक्षण का स्वभाव, सब तरह अहिंसा को हिंसा के अन्त में हमारा जीवन ही संश्लेष बन जाना चाहिए जो मात्र हो या मृत्यु को बचाने की, सर्वत्र अहिंसा प्रमाण है। अहिंसा का यह सार्वभौमिक अस्तित्व निर्धारित नहीं है, अर्थ के लिए नहीं, ऐसा नहीं हो सकता।

स्वतन्त्रता एवं जीव प्रदान करती है। इसीलिए 'प्रश्न-व्याकरणसूत्र' में कहा गया है—

अहिंसा तसथावर सव्वभूयखेमंकरी ।

त्रस एवं स्थावर समस्त प्राणियों का अहिंसा क्षेम करने वाली होती है। वह एक का नहीं समस्त प्राणियों का कल्याण करती है। वह अहिंसक का तो कल्याण करती ही है किन्तु उसके सम्पर्क में आने वालों का भी उससे कल्याण होता है। अहिंसक आश्रम में वैर-विरोध त्याग कर समस्त प्राणी एक साथ बैठते थे, यह संस्कृत साहित्य में भूरिशः उल्लेख है। तीर्थकरो के समवसरण में भी निर्भय होकर समस्त प्राणी एक साथ बैठकर उपदेश श्रवण करते थे। इसी-लिए कहा गया—

भगवती अहिंसा भीयाणं विव सरणं । प्रश्न व्याकरण २ १

जिस प्रकार हिंसा में स्व एवं पर दोनों का अहित विद्यमान है, उसी प्रकार अहिंसा में स्व एवं पर दोनों का हित निहित है। गाँधीजी ने मृत्यु के लिए तडफते हुए बछड़े को मार देना उचित माना है किन्तु जैनदर्शन को यह मान्य नहीं है। जैनदर्शन में यह अवश्य निर्देश है कि जो भी कार्य करो उसे यतनापूर्वक करो, विवेकयुक्त होकर करो। बालक को सही मार्ग पर लाने के लिए यदि डांटना पड़े तो यतनापूर्वक डांटो, यह जैनदर्शन का निर्देश है।

अहिंसा-महाव्रत की पुष्टि के लिए आगम में पाँच भावनाओं का प्रति-पादन हुआ है। वे पाँच भावनाएं हैं—

(१) ईयासमिति (२) मनोगुप्ति (३) वचनगुप्ति (४) आलोकित पान भोजन और (५) आदान-भाण्ड-मात्र निक्षेपणा समिति। इन पाँच भावनाओं के द्वारा अहिंसा का यह व्यावहारिक रूप है जो आत्मिक करुणा एवं जीवों के प्रति समता-भाव के बिना संभव नहीं है।

अहिंसा की स्थापना के लिए करुणा भाव एवं संवेदनशीलता की आवश्यकता है किन्तु साथ ही प्रमाद एवं अयतना का त्याग भी आवश्यक है। बिना विवेक एवं यतना के संवेदनशीलता का दुरुपयोग भी संभव है। इसीलिए तो जैन दर्शन में हिंसा-अहिंसा के विवेचन को लेकर अनेक मत एवं सम्प्रदाय पैदा हुए। परन्तु विश्वहित में या समाजहित में सोचा जाय तो अपने क्षुद्र स्वार्थ एवं मुख की पूर्ति के लिए निरपराध प्राणियों का जीवन ले लेना नितान्त घृणित कार्य है, किन्तु करुणाहीन होना और भी बुरा है। निष्करण प्राणी अहिंसक नहीं हो सकता। जो दूसरों के दुःख को अपने दुःखों के दृश समझता है वही दयादर् होकर दूसरे के दुःख को हलका करने में, उसे सान्त्वना देने में समर्थ हो पाता है।

‘परस्परोपग्रहो जीवानाम्’ सूत्र इस बात का निरूपण करता है कि जीव परस्पर एक दूसरे के उपकारक होते हैं। माता अपने पुत्र पर उपकार कर उसका लालन-पालन करती है। पुत्र भी माता-पिता का सहयोग करता है। परस्पर सहयोग से ही बड़े-बड़े कार्य सम्पन्न हो पाते हैं। स्वामी-भृत्य, गुरु-शिष्य आदि एक दूसरे के उपकारक हैं। यह उपकार ऐसा नहीं होना चाहिए जिसमें किसी का शोषण हो, हिंसा हो।

मैत्री एवं कारुण्य भावनाएँ अहिंसादि व्रतों के पालन में सहायक हैं। तत्त्वार्थ सूत्र में कहा गया है—

मैत्री प्रमोद कारुण्यमाध्यस्थानि च सत्त्वगुणाधिक क्लिश्यमाना-  
विनयेषु। (तत्त्वार्थसूत्र ७.११)

समस्त प्राणियों के प्रति मित्रता का भाव होना चाहिए। ‘मित्री मे सव्वभूएसु’ पंक्ति में भी यही बात कही गई है। मैत्री हमें तो निर्मल बनाती ही है किन्तु दूसरों के प्रति अहिंसक आचरण की भी प्रेरणा देती है। इसीलिए उसे अहिंसादि व्रतों के पालन में सहायक माना गया है। दीन-दुखियों के प्रति अथवा कष्ट पा रहे जीवों के करुणा भाव हो यह भी सदेश इस सूत्र से मिलता है। गुणीजनों के प्रति प्रमोद एवं अविनीतों के प्रति समता का भाव भी अहिंसादि व्रतों के पालन में सहायक हैं।

‘प्रश्नव्याकरणसूत्र’ में तीन प्रकार के हिंसकों का संकेत किया गया है—  
क्रुद्धा हणंति, लुद्धा हणंति, मुद्धा हणंति। अर्थात् या तो जीव क्रोध के कारण हिंसा करते हैं, या लोभ के वशीभूत होकर हिंसा करते हैं, या फिर वे अज्ञानवश हिंसा करते हैं। कभी वे सप्रयोजन हिंसा करते हैं तो कभी निष्प्रयोजन हिंसा करते हैं। हिंसा के ये जो कारण हैं उनका त्याग तभी हो सकता है जब हमें ‘आत्मवत् सर्वभूतेषु’ का बोध हो जाए। अपने समान अन्य प्राणियों को भी जीवन प्रिय है, यह अहिंसा का पाठ समझ में आ जाय।

दान, सेवा, परोपकार आदि में भी हिंसा होती है इसलिए वे त्याज्य हैं, इस प्रकार की बात निष्करुण तार्किक जन ही उठा सकते हैं। उन्हें यह बात समझ लेनी चाहिए कि अप्काय के जीव की अपेक्षा पचेन्द्रिय मनुष्य की चेतना का विकास अधिक होता है इसलिए अप्काय के असख्य जीवों की हिंसा से भी अधिक पाप एक मनुष्य को मारने में है। शाकाहार के सम्बन्ध में भी यही तर्क है। वनस्पति के असख्य जीवों की अपेक्षा एक पशु का जीवन अधिक महत्त्वपूर्ण है। मनुष्य एवं पशुओं में ऋषि की चेतना अधिक विकसित होती है। इसीलिए अन्य प्राणियों की अपेक्षा ऋषि या साधु के हनन में अधिक पाप है—

एगं इंसि हणमाणे अण्णते जीवे हणइ ।

अर्थात् एक ऋषि को मारने वाला अनन्त जीवो को मारता है। किन्तु इसका यह आशय नहीं है कि अप्काय, वनस्पतिकाय आदि के एकेन्द्रिय जीवो की हम निष्प्रयोजन हिंसा करते रहे। इसका प्रयोजन इतना ही है कि हम चेतना के स्तर को पहचान कर हिंसा से बचे। प्रयत्न यह करे कि छहकाय के जीवो की हिंसा के हम निमित्त न बने।

इस लेख को लिखने का प्रयोजन इतना ही है कि आचारांग, सूत्रकृताङ्ग आदि सूत्रो में जो अहिंसा का निरूपण हुआ है उसका मात्र वैयक्तिक पक्ष नहीं है अपितु उसका एक सामाजिक पक्ष भी है जो प्राणि-रक्षण के लिए हमें बार-बार प्रेरित करता है। अहिंसा का एक समाज-दर्शन भी है जो हमें दूसरे जीवो के प्रति संवेदनशील बनाकर करुणा एवं मैत्री का संदेश देता है। हिंसा समाज के लिए शत्रु है तो अहिंसा उसके लिए परम मित्र। हिंसा प्राणि-समाज के लिए घातक है तो अहिंसा उसके लिए जीवनदायिनी है। हम यह सोचे कि जिस प्रकार दूसरों के द्वारा की गई हिंसा हमें अप्रिय लगती है उसी प्रकार अन्य जीवो को भी लगती है अतः उसे छोड़ दे। आज विश्व शान्ति एवं सामाजिक बन्धु-भाव के लिए हिंसा के जहर को उतारकर अहिंसा का अमृत पीने एवं पिलाने की आवश्यकता है।


—सहायक आचार्य, संस्कृत विभाग  
जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर (राज०)

× ×

जहाँ दया तहे धर्म है, जहाँ लोभ तहे पाप ।  
जहाँ क्रोध तहे काल है, जहाँ छिमा तहे आप ॥

जहाँ दया रहती है, वहाँ धर्म रहता है। जहाँ लोभ रहता है, वहाँ पाप रहता है, जहाँ क्रोध रहता है, वहाँ काल (मृत्यु) रहता है, जहाँ क्षमा रहती है वहाँ भगवान रहता है।

—कवीर दाम



## अहिंसा के प्रयोग : अहिंसक समाज रचना की दिशा में

□ श्री जमनालाल जैन

‘अहिंसा सूतानां जगति विदितं ब्रह्म परमम्।’ यह वचन जैन आचार्य समन्तभद्र का है। इसमें उन्होंने अहिंसा को परमब्रह्म कहा है। वेदान्त के अनुसार ब्रह्म का अर्थ है निर्गुण, निराकार परमात्मा जो सारे ब्रह्माण्ड में, अणु-अणु में यानी सकल चराचर सृष्टि में व्याप्त है। यह स्थिति जीव को तब प्राप्त होती है, जब वह सब ओर से अद्वैत हो जाता है, अपने में सबको और सब में अपने को देखता है। आचार्य समन्तभद्र ने अहिंसा को इसी व्यापक ब्रह्म की स्थिति में रखा है।

पाँच व्रतों में सत्य और ब्रह्मचर्य मूल रूप में विधायक है। बाकी के तीन अहिंसा, अचौर्य और अपरिग्रह निषेधात्मक हैं, नकारात्मक हैं। मतलब यह कि हिंसा से विरत होना ही अहिंसा है। इसी प्रकार चोरी और परिग्रह से परे होना अचौर्य और अपरिग्रह है। चित्त-शुद्धि के लिए जैसे विकारों से मुक्ति आवश्यक है, वैसे ही जीवन में अहिंसा की सिद्धि के लिए अद्वैत की, प्रेम की, समानता की, शून्यता की साधना आवश्यक है।

अहिंसा अर्थात् आत्म-ज्ञान। जिसने अपने को पहचान लिया, जिसके लिए कोई ‘पराया’ नहीं रहा, जिसका ‘मैं’ गल गया, वह निज-स्वभाव में स्थित हो जाता है। उसका जीवन-व्यवहार सहज स्वाभाविक हो जाता है। एकेन्द्रिय जीव हो या पंचेन्द्रिय, जड़-चेतन सबके प्रति उसमें समभाव जागृत हो जाता है। उसका खाना-पीना, चलना-फिरना, सोना-उठना सहज हो जाता है। वह किसी के लिए कुछ नहीं करता, पर सब उसमें अपना दर्शन करते हैं।

यह ब्रह्म रूप अहिंसा इतनी सूक्ष्म है कि पकड़ में नहीं आती। वह आकाश की भाँति विराट्, व्यापक और अमूर्त है। कण-कण में व्याप्त यह अहिंसा ही सर्व प्राणियों की आत्मा है।

अहिंसा की दिशा में आगे बढ़ने के लिए हिंसा को समझना और उ विरत होना नितान्त आवश्यक है। हिंसा अनन्तरूपिणी है, वह जितनी

है, उतनी ही सूक्ष्म भी है। वह अहिंसा के अनन्त चेहरे (मुखौटे) लगा कर प्रकट होती है। ऐसा किए बिना हिंसा चल ही नहीं सकती। हम दया करते हैं, करुणावान् बनते हैं, दान करते हैं, सत्य-व्यवहार करते हैं, चोरी से भय खाते हैं, क्रोध करने से बचना चाहते हैं और समझते हैं या दूसरों को जतलाना चाहते हैं कि हम हिंसक नहीं, अहिंसक हैं—लेकिन भीतर-भीतर हिंसा का नर्तन चलता रहता है। भीतर-भीतर हमारे ऐसे अनेक व्यापारों में, हिंसा हँसती रहती है। हम निरन्तर इस प्रयास में रहते हैं कि कोई हमें क्रोधी, मानी, मायाचारी और लोभी न समझे। क्या यह प्रयास अहं-प्रेरित ही नहीं होता? और तो और, अपने बाल-बच्चों के सामने भी हम अपने यथार्थ, सहज रूप में प्रकट नहीं होना चाहते। हो नहीं सकते, क्योंकि कुछ ऐसा होता है जिसे छिपाना चाहते हैं। उद्योग, व्यापार, घर-गृहस्थी जीवन का कोई भी क्षेत्र हो, हिंसा वहाँ होगी।

अहिंसा का समूचा आचार-शास्त्र, व्रत-विधान, सारे नियमोपनियम, सिद्धांत स्थूल हिंसा को ही मन्द करते हैं। लगता तो है कि हम अहिंसा की ओर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन गहराई में, सूक्ष्म रूप में, भीतर-भीतर हिंसा रहती ही है।

भगवान् महावीर परम अहिंसक थे। वे अहिंसामय ही थे। उन्होंने अहिंसा को अपने जीवन में मूर्तिमान किया था। वे आत्म-ज्ञान के आनन्द से भरे हुए थे, उनका तन सब का हो गया था और वे अपने में सम्पूर्णता का अनुभव करते थे। इसलिए उनकी हर क्रिया सहज होती थी। वे चीटी को नहीं बचाते थे, अपने को ही बचाते थे। उनकी पीड़ा व्यापक थी। सबकी पीड़ा-व्यथा उनकी पीड़ा-व्यथा बन गयी थी। इसीलिए चीटी का दुःख भी उनका बन जाता था। घटना प्रतीक हो सकती है, पर पुकार-पुकार कर कह रही है कि संगमदेव द्वारा दी गयी पीड़ा से महावीर विचलित नहीं थे, व्याकुल यदि थे तो इसलिए थे कि संगमदेव जो कर्म-बध कर रहा है और जैसी नरक-यातना उसे भोगनी पड़ेगी वह रोगटे खड़े करने वाली थी। लेकिन उनके जैसा वेग धारण कर और नियमों का ध्यान रखकर चलने वाला चीटी को बचाने के लिए आहिंस्ते से धरती पर पैर रखता है। कहना चाहिए कि वह केवल चीटी को बचाना चाहता है।

महावीर इसलिए आहार नहीं कर पाते थे कि आनन्द से भरे रहते थे। लेकिन उनका अनुकरण करके यह मान लिया जाय कि अनशन या उपवास करने से, कायक्लेज करने से मुक्ति मिलती है या अहिंसा सधती है, तो परिणाम यही होगा कि उपवास करने वाले का शरीर सूख जाएगा और चित्त आकुल-व्याकुल हो जाएगा।

भगवान महावीर ने अहिंसा का जो दर्शन, जो तत्त्व प्रस्तुत किया, वह आज भी विचारकों के लिए चिन्तन का विषय बना हुआ है। द्रव्य-अहिंसा और भाव-अहिंसा के रूप में उन्होंने अहिंसा का इतना सूक्ष्म विश्लेषण किया कि सबके लिए तो क्या, लाखों में दो-चार के लिए भी उस आदर्श तक पहुँचना कठिन हो जाता है। उसी का यह परिणाम है कि भारत में मांसाहार के प्रति आदर के भाव नहीं पाए जाते। आज भी करोड़ों लोग मांसाहार करते हैं, शोक और प्रतिष्ठा के तौर पर भी करते हैं, लेकिन वे स्वयं जानते हैं कि यह सामाजिक दृष्टि से निन्दनीय है, त्याज्य है, अपराध है। यही तो उस महापुरुष की अमूल्य देन है।

लेकिन गहराई से विचार करने पर ऐसा लगता है कि उनके द्वारा प्रस्तुत की गई अहिंसा, चित्त-शुद्धि एवं समभाव के आदर्श को सामने रखकर अधिकांशतः व्यक्तिनिष्ठ रही, समाज-व्यापी नहीं बन पायी। समाज में यानी व्यक्तियों में अहिंसा का प्रवेश हो जाना एक बात है और समाज का अहिंसक बन जाना बिल्कुल दूसरी बात है। यह प्रश्न किया जा सकता है कि आज का जो जैन समाज है, वह तो पूरा का पूरा अहिंसा-निष्ठ ही है। पानी छान कर पीना, व्रत-उपवास करना, रात्रि भोजन न करना, हरी साग-सब्जी का मर्यादापूर्वक सेवन करना, अमक्ष्य पदार्थों का त्याग, मद्य-मांस-मधु का त्याग तथा ऐसे फलों का, पदार्थों का त्याग जो जमीकंद हैं, यह सब अहिंसा का पालन नहीं तो क्या है? ठीक है, स्थूल रूप में समाज में यह अहिंसा व्याप्त है। पर यह सब पारिवारिक संस्कार है। संस्कार में धर्म तब प्रविष्ट होता है जब चित्त एवं अभ्यास के द्वारा आगे बढ़ा जाता है। राष्ट्रीय अथवा सामूहिक दृष्टि से देखा जाय तो जैन समाज को अहिंसक समाज कहना कठिन है। पूर्वजों के अनुभवों का लाभ उसे अनायास मिल गया है। उसके पास इस युग का कोई नया अनुभव, नया प्रयोग नहीं है। जैन समाज की स्थिति तो वही ही है, जैसे एक श्रीमन्त के अयोग्य-अकर्मण्य पुत्र की होती है। जैनों की अहिंसा केवल जीवों के न मारने तक सीमित रह गयी है। जीवों में भी केवल एकेन्द्रिय से लेकर पंचेन्द्रिय पशु-पक्षियों तक। इसका परिणाम यह हुआ कि शोषण, संग्रह तथा मिथ्याचरण में हिंसा नहीं दीखती।

उस जमाने में अहिंसा की जो मर्यादा या धारणा थी, महावीर उससे आगे गये, उसमें क्रान्ति की। लेकिन समाज जहाँ का तहाँ रह गया। अहिंसा का समग्र विकास नहीं हो पाया। महावीर ने तो अहिंसा की साधना को सफल व परिपूर्णता तक पहुँचाने के लिए सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य आदि गुणों का भी विधान किया। फिर भी अहिंसा मात्र खाने-पीने तक सीमित रह गयी। अहिंसा का उनका प्रयोग प्राणी दया, मांस परित्याग के आगे परिस्थितिवश जा न सका।



आज विज्ञान विविध क्षेत्रों में काफी प्रगति कर चुका है। उसकी प्रगति का प्रवाह सतत जारी है। विज्ञान ने धरती और आकाश की अनगिनत परतें खोलकर रख दी है। चिकित्सा-विज्ञान तो कल्पनातीत उन्नति कर चुका है। रेलगाड़ी का ड्राइवर अब मजें में ठण्डी हवा खाकर आराम से एंजिन में बैठता है। कम्प्यूटर-युग ने न जाने कितनी सुविधाएँ पेश कर दी है। यह विज्ञान की ही देन है कि आदमी की आयु क्षीण होने से बच गयी। मृत्यु-दर घट गयी। हमारे धर्म-चिन्तकों ने हजारों वर्षों में जो प्रयोग किये, उनसे उत्तम प्रयोग आज के वैज्ञानिक घण्टों और मिनटों में कर रहे हैं। धर्मवादी लोग विज्ञान को हेय दृष्टि से देखते हैं और कहते हैं कि उससे संस्कृति का ह्रास हो रहा है, धर्म से लोग विमुख हो रहे हैं। लेकिन आश्चर्य तो यह है कि ऐसे लोग स्वयं विज्ञान की सुविधाओं का उपयोग करने में गर्व का अनुभव करते हैं। ध्यान में रखने की बात यह है कि जो चीज मानव-समाज के लिए हानिप्रद या घातक होती है, वह बढ़ती नहीं, टिकती नहीं। हाँ, वस्तु व साधनों के उपयोग में समयोचित विवेक रहना जरूरी है। यह विवेक आत्म-ज्ञान से ही आ सकता है। विनोबा तो कहते हैं कि जब हम विज्ञान और आत्म-ज्ञान का मुमेल साध लेंगे, तभी हमारे जीवन में अहिंसा प्रतिष्ठित होगी।

विगत हजारों वर्षों में, अनेक क्षेत्रों में अहिंसा के सहस्रो प्रयोग हुए हैं। स्व. साने गुरुजी ने लिखा है—“अहिंसा के पीछे बहुत बड़ी तपस्या है। इसके लिए बड़े-बड़े प्रयोग हुए हैं। वैदिककाल से लेकर आज तक भारतीय संस्कृति में यदि कोई स्वर्णसूत्र है तो वह है अहिंसा। इस सूत्र के आसपास ही भारत में धार्मिक, राजनैतिक और सामाजिक आन्दोलन गुंथे हुए हैं। भारतवर्ष का इतिहास मानो एक प्रकार से अहिंसा के प्रयोग का ही इतिहास है।” एक पुस्तक में राजनैतिक, धार्मिक, सामाजिक प्रयोगों की संख्या लगभग २०० दी गयी है। प्रयोग तो आदिकाल से हो रहे हैं और आज भी हो रहे हैं। इन प्रयोगों में युद्ध की समाप्ति, विकारों का शमन, खान-पान में सात्विकता, मांसाशन-त्याग, यज्ञ में पशु-बलि का निषेध, आक्रमण और प्रहार में अद्वेष, प्रतिकार का सामूहिक मार्ग, निःशस्त्रीकरण आदि महत्त्वपूर्ण हैं। भगवान् कृष्ण ने गोकुल में मांस के स्थान पर दुग्ध सेवन का महत्त्व बढ़ाया और युद्ध में अनासक्ति या ‘विगत-ज्वर’ की बात कही। जैन पुराणों के अनुसार भरत-बाहुवली का युद्ध एक प्रकार से अहिंसा का ही पहला प्रयोग था जिसने नर-संहार पर पावन्दी लगायी थी। महावीर तथा बुद्ध ने भी हिंसा एवम् स्वार्थ के स्थान पर दया, करुणा, समता तथा मयम की प्रतिष्ठा बढ़ाई।



लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि अहिंसा की शक्ति हमारे हाथ में आ गयी है । विश्व में आज शस्त्र-शक्ति, संहार-शक्ति बड़ी तेज गति से बढ़ रही है । हर देश परमाणविक शक्ति से सम्पन्न होना चाहता है । मिनटों में अब राष्ट्र धराशायी हो सकते हैं । ऐसी स्थिति में आत्म-बल की सहायता से यदि अहिंसक शक्ति नहीं बढ़ती है तो सर्वनाश निश्चित ही है । अभी तो हम अहिंसा विश्वविद्यालय में, नितांत प्रारम्भिक नर्सरी कक्षा में ही विचर रहे हैं—स्थूल रूप में खान-पान में ही पूर्ण अहिंसावादी होने का श्रेय ले लेना चाहते हैं । इन सब स्थूलताओं से ऊपर उठे बिना अहिंसा विराट् शक्ति का दर्शन होने वाला नहीं है ।

हमने अपने को अहिंसक बनाने या मानने की दिशा में काफी धोखा दिया है । तरह-तरह के आचार-विचार गढकर, व्रत-नियम बनाकर मान लिया कि इतने अंश में हम अहिंसक हो गये हैं । किसी जीव को नहीं मारना चाहिए । इसका परिणाम यहाँ तक आया कि हम स्थूल रूप से जीव को न मारने में अहिंसा समझने लगे । किसी मरते हुए को बचाने की वृत्ति विकसित नहीं हुई—बल्कि क्षीण हो गयी । दूसरी ओर जीव को न मारने की वृत्ति इतनी विकृत हो गयी कि सट्टे, सौदे, सोने-चांदी, जवाहरात के व्यापार में अहिंसा दीखने लगी । धन के संग्रह में हिंसा कैसे दीखती ? बल्कि झेती-बाड़ी तथा सेवा-कार्यों में हिंसा दीखने लगी । कर्म-बध को ढीला करने, या स्वर्ग प्राप्त के लिए, मान ले आत्म-शांति के लिए उपवास या तपस्या करने वाला व्यक्ति ब्याज लेने में, शोषण करने में, हिंसा-किताव की अनैतिकता में हिंसा नहीं देखता । मिलावट करने वाला भी अपने हाथ से हिंसा कहाँ करता है ?

‘जीओ और जीने दो’ का नारा खूब चलता है । यह वास्तव में स्वार्थपरक उक्ति है । पहले हम स्वयं जीये और तब दूसरे जीयें (चाहे जैसे) —यह ध्वनि इसमें से निकलती है । मानो किसी को जिलाने की हमारी जिम्मेदारी ही नहीं है । ‘जीने दो’ कहकर सिर्फ यह कहा गया कि ‘मारो मत ।’ अपनी ओर से किसी को छोड़ो मत, सताओ मत । असल में यह पलायन का स्वर है । इसके स्थान पर हमारा नारा होना चाहिए ‘जिलाकर जीओ ।’ दूसरे को जीने का भरपूर अवसर देकर ही हम जीवित रह सकते हैं । खिलाकर खाने में, पिलाकर पीने में जो स्वाद है, जो रस है, जो तृप्ति है, वही आनन्द जिलाकर जीने में है । स्वयं मर-मिटकर भी अगर हम दूसरे को जिलाये रख सकें तो उसकी कीमत बहुत अधिक है । यह विज्ञान-युग का ही नहीं, स्थूल से स्थूल आर्थिक व्यवहार का भी स्वर्ण सूत्र है । आर्थिक क्षेत्र में साझेदारी का, ट्रस्टीशिप का, बांटकर खाने का विचार फल

रहा है, यह भी जिलाकर जीने की प्रक्रिया है। इसके बिना जीवन में अहिंसा मूर्त नहीं हो सकेगी।

यूरोप में हॉलैंड एक छोटा-सा देश है। वहाँ की कुल आबादी डेढ़ करोड़ है। वहाँ की राज्य-व्यवस्था विकेन्द्रित है। सत्ता, पचायतों या म्युनिसिपल कमेटियों के हाथ में है। केन्द्रीय व्यवस्था के पास कोई पुलिस बल नहीं है। लेकिन समाज व्यवस्था भी इतनी मानवीय है कि कह सकते हैं कि वहाँ अहिंसा तेजस्वी रूप में व्याप्त है। वहाँ के परिवार गरीब देशों के, गरीब परिवारों के लड़के-लड़कियों को अपने परिवार में दत्तक लेकर आत्मीयता से पालते हैं। ऐसे बालक-बालिकाएँ वहाँ ४० हजार हैं। हमारे यहाँ भी लोग दत्तक लेते हैं, पर स्वार्थवश और सो भी लड़कों को। वहाँ यह परिपाटी मात्र मानवता की दृष्टि से है। घरों में सफाई का यह हाल कि मार्बजनिक शौचालय घरों के संडास से भी साफ रहते हैं। न वहाँ छल-कपट है, न भ्रष्टाचार। हम उन्हें मांसाहारी अर्थात् मलेच्छ कहने में सकोच नहीं करेंगे—उनको हिंसक कहेंगे, उनके हाथ का छुआ खायेगे-पियेगे नहीं। हमारे त्यागी-संन्यासी तो अपने ही देश में शूद्र-जल आदि का त्याग कराके ही चुप नहीं बैठते। अमीर-गरीब का, ऊँच-नीच का, जाति-विजाति का न जाने कैसा-कैसा भेद बढ़ाकर हिंसा को बढ़ाते रहते हैं और कहलाते हैं अहिंसाव्रती।

जब हम अहिंसक समाज की बात करते हैं तो हमारे सामने कई प्रश्न नड़े होते हैं। जहाँ तक हम समझते हैं, अहिंसक समाज का स्वरूप नीचे लिखे आधारों पर निर्भर होगा—

१. अहिंसा-सिद्धि के लिए नित नये प्रयोग होते रहेंगे।
२. वह समाज अपने में स्वयं पूर्ण और स्व-शासित होगा।
३. वह पूर्णतया स्वावलम्बी होगा।
४. वह सत्ता और शस्त्र से मुक्त होगा, उनसे निर्भय होगा।
५. उस समाज में व्यक्तिगत सम्पत्ति और परिग्रह का मूल्य कतई नहीं रहेगा। सम्पत्ति और परिग्रह (संचय) चोरी की तरह राष्ट्रीय गुनाह माना जायेगा।
६. वह सेवानिष्ठ, सेवामय समाज होगा।
७. वह समाज राष्ट्रीय दृष्टि से ऐसे उद्योग-धंधों को अपनायेगा जिनके द्वारा राष्ट्र स्वावलम्बी, आत्मनिष्ठ बनेगा। ऐसे उद्योग-धंधों में होने वाली थोड़ी-बहुत हिंसा क्षम्य होगी, वह अहिंसा ही मानी जायेगी

और उसमें भी संशोधन होते रहेंगे । लेकिन उन उद्योगों को कतई महत्त्व नहीं दिया जायेगा जो शोषण के आधार होंगे—कुछ की पेटियाँ भरे और करोड़ों का पेट खाली रहे ।


८. यन्त्रों का विरोध न होगा, लेकिन उनके उपयोग की मर्यादा रहेगी । वह मर्यादा सामूहिक, सामाजिक विकास पर निर्भर होगी । उसमें वर्ग-विषमता व शोषण का कोई स्थान न होगा ।
९. वह समाज श्रम-परायण होगा । हर व्यक्ति अपने श्रम द्वारा उपार्जित वस्तुओं का उपयोग करेगा । जाति या वर्णगत भेदभाव नहीं रहेगा । हर आदमी हर काम करने के लिए तत्पर रहेगा । कोई भी काम हलका-भारी, छोटा-बड़ा नहीं माना जायेगा ।
१०. व्यक्तियों द्वारा जो कुछ निर्माण या उत्पादन होगा, उस पर पूरे समाज की मलकियत होगी ।

अहिंसक समाज की रचना के लिए यह जमाना अतीव अनुकूल है । आज मानव समाज विज्ञान की मदद से अति विकसित स्थिति में पहुँच गया है । वह जागृत हो गया है । पुराने मूल्य समाप्त हो रहे हैं । मूल्य-परिवर्तन की क्रांति ही अहिंसा है । विनोबाजी कहते हैं—

“समाज में आज जो मूल्य स्थापित है, उन्हें ही हम बदल देना चाहते हैं । हम चाहते हैं कि मंत्री से भंगी तक की सेवा का दर्जा समान बना दिया जाये । पैसे की कीमत मैं नहीं मानता । मैं पूछता हूँ कि जिन मेहतरो को स्वराज्य में प्रतिष्ठा हासिल नहीं है, उनके लिए स्वराज्य की क्या कीमत है ? दूसरा सवाल मैं यह पूछता हूँ कि हम जैसों की क्या कीमत है जो स्वराज्य में मेहतरो से इस तरह गुलाम बनाकर काम लेते हैं ? एक वह भी गिरे, हम भी गिरे । दोनों की नैतिक कीमत नहीं जैसी है । वहनों को जड़ वस्तु माना जाता है । इसके बजाय उनको पेटों में बन्द करके रखते तो ज्यादा कीमत हो जाती ।”

अहिंसा सिद्धान्त नहीं है, एक वृत्ति है । यह वृत्ति जितनी व्यापक होगी, उतनी ही अहिंसा जीवन में व्यक्त होगी । हर व्यवहार में इस वृत्ति के प्रति जागरूकता ही अहिंसा की उपलब्धि है । सिद्धान्त बनकर तो अहिंसा मात्र ढाँचा ही रह जाती है और हम देखते हैं कि अहिंसा को सिद्धान्त मानने के क्या-क्या नतीजे देश और समाज को भुगतने पड़े हैं ।

—सारनाथ (३० प्र०)



## वर्तमान अर्थव्यवस्था और अहिंसा

□ डॉ० नरेन्द्र भानावत

वर्तमान अव्यर्थवस्था और अहिंसा का विचार सामान्यतः लोगों को अटपटा लग सकता है, कारण कि वर्तमान युग में अर्थ नीति और राजनीति का जो प्रतिस्पर्धात्मक माहौल बना हुआ है, उसके मूल में प्रत्यक्ष-परोक्ष हिंसा का ही व्यवहार है। पर यह भी देखने में आया है कि धार्मिक वृत्ति के लोग आर्थिक दृष्टि से प्रायः अधिक समृद्ध हैं और व्यावसायिक क्षेत्र में उनकी प्रतिष्ठा भी है, अतः आर्थिक क्षेत्र और धार्मिक क्षेत्र के पारस्परिक प्रभाव और दाय पर विचार करना अप्रासंगिक न होगा। भारतीय मनीषियों ने जीवन को समस्या के रूप में न देख कर पुरुषार्थ के रूप में देखा है तथा अर्थ और काम को कर्म द्वारा नियंत्रित करने का विधान किया है। भगवान महावीर के समय में आनन्द आदि जो श्रावक थे, उनके पास करोड़ों की सम्पत्ति थी और वे व्रतधारी श्रावक थे। आज भी विभिन्न धर्मों के अनुयायी करोड़पति हैं। अतः धार्मिक तत्त्व आर्थिक समृद्धि में बाधक होते हैं, ऐसा मानना ठीक नहीं। धर्म-परम्परा द्वारा अहिंसा, सत्य, अचौर्य, त्याग वृत्ति, संयम-नियम जैसे सद्गुण विकसित होकर समाज में एक ऐसा नैतिक ढांचा निर्मित करते हैं जो आर्थिक जीवन को प्रभावित किये बिना नहीं रहता।

अर्थ व्यवस्था की दृष्टि से आज संसार दो वर्गों में बंटा हुआ है—पूँजीवादी अर्थव्यवस्था और मार्क्सवादी, समाजवादी या साम्यवादी व्यवस्था। दोनों व्यवस्थाओं में मौलिक और बुनियादी अन्तर सम्पत्ति के स्वामित्व को लेकर है। पूँजीवादी व्यवस्था में व्यक्तिगत सम्पत्ति का अधिकार सुरक्षित है तो साम्यवादी व्यवस्था में सम्पत्ति पर समाज या राज्य का अधिकार है। अर्थशास्त्र में उत्पादन के साधन—श्रम, भूमि, पूँजी, उपकरण आदि सम्पत्ति माने गये हैं। पूँजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर व्यक्ति का अधिकार होता है जबकि समाजवादी व्यवस्था में इन पर समाज या राज्य का स्वामित्व होता है। दोनों व्यवस्थाएं कम श्रम या लागत से अधिक सुख प्राप्त करना अपना लक्ष्य मानती हैं। दोनों में अधिकाधिक लाभ प्राप्त करने और आवश्यकताएँ बढ़ाने की प्रवृत्ति समान रूप से है। पूँजीवादी अर्थव्यवस्था में लाभ या मुनाफा व्यक्ति की जेब में जाता है जबकि समाजवादी या साम्यवादी व्यवस्था में यह लाभ जिसे मार्क्स ने 'अतिरिक्त मूल्य' कहा है, किसी व्यक्ति की जेब में न जाकर केन्द्रीय संगठन या राज्य के खजाने में जाता है।

दोनों व्यवस्थाओं में पूँजी का समान महत्त्व है। एक में पूँजी पर वैयक्तिक अधिकार होने से उसका केन्द्रीकरण व्यक्ति-व्यक्ति के बीच होता जाता है और वह अनैतिक तरीके से भी उसे संगृहीत करने का प्रयत्न करता है। इन प्रयत्नों में कर चोरी, तस्करी, मिलावट, कम नाप-तोल, अधिक श्रम लेकर कम देने की प्रवृत्ति आदि शामिल हैं। इससे समाज में अमीर के अधिक अमीर होने की और गरीब के अधिक गरीब होने की स्थिति बनी रहती है। फलस्वरूप अमीर और गरीब की खाई बढ़ती जाती है। जो असली श्रमिक है, उत्पादक है, उसे अपने श्रम की पूरी लागत न मिलना मानवीय शोषण है। लाभ की इस प्रवृत्ति से अधिकाधिक सग्रह करने की होड़ बढ़ती है। कृत्रिम रूप से वस्तुओं का अभाव पैदा कर कीमते बढ़ाई जाती है, कालावाजारी की जाती है और लाखों करोड़ों लोगों को दो जून रोटी के लिये बंचित कर दिया जाता है। मानवीय हिंसा का यह निकृष्टतम रूप है। इस हिंसा और शोषण से मानव समाज को मुक्त करने के लिये मार्क्स ने सम्पत्ति के व्यक्तिगत अधिकार को छीनकर उसे राज्य के हवाले कर दिया। इस व्यवस्था में जो लाभ होता है, वह राज्य द्वारा लोगों को रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी सुविधाएँ जुटाने में खर्च किया जाता है। इससे, व्यक्ति-व्यक्ति द्वारा शोषण की प्रवृत्ति तो रुकती हुई दिखाई देती है पर एक राज्य द्वारा दूसरे राज्य को हथियाने की कोशिशें लगातार चालू रहने से रक्तपात लूट-खसोट और विश्वयुद्ध का खतरा बराबर बना रहता है। इस व्यवस्था में पूँजीवादी व्यवस्था को समाप्त करने का प्रयत्न तो किया गया, पर पूँजीवादी टेकनीक का आलम्बन नहीं छोड़ा गया, फलस्वरूप तीव्र औद्योगिकरण की प्रक्रिया वैसी की वैसी बनी रही। दोनों व्यवस्थाओं में उत्पादन पर और उसमें निरंतर विकसित होती हुई तकनीक के प्रयोग पर किसी प्रकार के नियन्त्रण की व्यवस्था न होने से पूँजी का केन्द्रीकरण रुकता नहीं। इस प्रकार शोषण का दमनचक्र दोनों व्यवस्थाओं में समान रूप से चालू रहता है।

वर्तमान अर्थव्यवस्था में वस्तुओं के उत्पादन, वितरण और विनिमय पर अधिक जोर दिया गया है। मशीनों के प्रयोग से उत्पादन में कई गुणा वृद्धि हुई है। उत्पादित माल को खपाने के लिये, नये-नये बाजार ढूँढने की प्रतिस्पर्धा बढ़ी है। जिसके फलस्वरूप अर्थसत्ता का राजसत्ता पर हावी होने का दुष्चक्र तेजी से चलने लगा है। अर्थसत्ता और राजसत्ता के गठबन्धन ने विश्व में हिंसा और शोषण के चक्र को और बढ़ता से कस दिया है। मार्क्स ने शोषण को मिटाने के लिए हिंसा को क्रांतिकारी साधन के रूप में अपनाया पर उससे शोषण तो न मिटा वरन् प्रतिहिंसा की ज्वाला में संसार और तेजी से जलने लगा, साथ ही व्यक्ति का स्वातन्त्र्य और उसका गौरव भी नष्ट हो गया। व्यक्ति व्यवस्था का पूर्ण मात्र वनकर रह गया।

अधिकाधिक उत्पादन कर अधिकाधिक लाभ कमाने की प्रवृत्ति ने व्यक्ति की आवश्यकताओं और इच्छाओं को असीमित रूप से बढ़ा दिया है। तीव्र औद्योगिकरण से आर्थिक वैषम्य बढ़ने के साथ-साथ प्रदूषण की एक विकट समस्या पैदा हो गई है जो सम्पूर्ण मानवता के विनाश का कारण बन सकती है। प्रदूषण से हिंसा का खतरा भी अधिक बढ़ गया है। कारखानों से निकलने वाली विषैली गैसों, विपाक्त एवं हानिकर तरल पदार्थों एवं रासायनिक तत्त्वों के कारण जल प्रदूषण एवं वायु प्रदूषण इतना अधिक हुआ है कि पश्चिम के औद्योगिकृत देशों को ही नहीं, अन्य देशों को भी इससे खतरा पैदा हो गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका के भील प्रदेश के आसपास के कारखानों द्वारा इतना अधिक हानिकर तरल पदार्थ भीलों में बहा दिया जाता है कि उससे लाखों मछलियां मर जाती हैं। जापान के आसपास के समुद्री जल की भी यही स्थिति है। यह अनुमान लगाया गया है कि अगले २० वर्षों में भूमध्य सागर जैविक दृष्टि से मृत प्रायः हो जायेगा क्योंकि उसके आसपास स्थित कल कारखानों का विषैला जल इतनी अधिक मात्रा में उसमें बहा दिया जाता है कि अब तक उसके आधे जीवों का विनाश हो चुका है।

वायुमंडल का प्रदूषण भी कम भयंकर नहीं। इंग्लैण्ड, पश्चिमी जर्मनी एवं जापान के अतीव औद्योगिकृत क्षेत्रों के कारखानों द्वारा इतनी अधिक मात्रा में विषैली गैसों को वायु मण्डल में विसर्जित किया जाता है कि स्वास्थ्य के लिये खतरा उत्पन्न हो गया है। भारत में भी अहमदाबाद, बडौदा के आसपास स्थित पेट्रोलियम, पेट्रोरसायन उर्वरक तथा अन्य रासायनिक उद्योगों के समक्ष विषैले एवं हानिकारक निरर्थक पदार्थों के निष्कासन की समस्या उत्पन्न हो गई है। वम्बई एवं कलकत्ता के चारों ओर स्थित कारखानों के द्वारा निष्कासित हानिकर निरर्थक पदार्थों का विसर्जन समुद्री जल एवं हुगली नदी में होता है जो उनके जलचरो के विनाश का कारण बनता जा रहा है। जल और वायु प्रदूषण को तरह अणु-परीक्षण की रेडियोधर्मिता और कीटाणुनाशक दवाइयों के प्रयोग से थल प्रदूषण की समस्या भी उभर कर सामने आ रही है। इस प्रकार तीव्र औद्योगिकरण से मानव-शोषण के अतिरिक्त हिंसा की नई-नई संभावनाओं के क्षेत्र खुलते जा रहे हैं। सौन्दर्य प्रसाधनों के निर्माण में खरगोश, ह्वेल मछली, सिवेट, भेड़, मैमना, मृग आदि की हिंसा के प्रसंग दिल दहलाने वाले हैं।

मानव सभ्यता के विकास में औद्योगिक क्रांति ने नये हस्ताक्षर किये पर यह किसे पता था कि यह क्रांति जानलेवा बन जायेगी। शोषण और हिंसा के इस दुष्चक्र से मानव की मुक्ति कैसे हो, यह विचारणीय प्रश्न है। इस सम्बन्ध में दोनों प्रकार की अतिवादी अर्थ व्यवस्था से बचते हुए महात्मा गांधी ने



स्वावलम्बन मूलक विकेन्द्रित अर्थ व्यवस्था और ट्रस्टीशिप का सिद्धांत प्रस्तुत किया। गांधी जी के अनुसार शोषण और हिंसा से बचने का तरीका है—आवश्यकताओं को नियन्त्रित किया जाय। लघु और कुटीर उद्योगों का विस्तार किया जाय, धनिक अपने को धन का स्वामी न समझ कर ट्रस्टी समझे और उस धन का उपयोग जन कल्याण में करे।

आज से २५०० वर्ष पूर्व भगवान् महावीर ने गृहस्थ धर्म के व्रत विधान में प्रकारान्तर से इन्हीं बातों पर बल दिया है। महावीर ने वर्तमान अर्थशास्त्रियों की तरह उत्पादन पर अधिक नियन्त्रण लगाने की बात कही। इस सम्बन्ध में उनके विचारों को चार सूत्रों में रखा जा सकता है—

(१) आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संचय न करो। मनुष्य की इच्छाएं आकाश की तरह अनन्त हैं और ज्यों-ज्यों लाभ होता है, लोभ की प्रवृत्ति बढ़ती जाती है, अतः इच्छा का नियमन आवश्यक है। इस दृष्टि से सद्गृहस्थों के लिये परिग्रह-परिमाण या इच्छा-परिमाण व्रत की व्यवस्था की गई है। सद्गृहस्थ यह निश्चय करता है कि मैं इतने पदार्थों से अधिक की इच्छा नहीं करूंगा। शास्त्रकारों ने ऐसे पदार्थों को नौ भागों में विभक्त किया है—(१) क्षेत्र (खेत आदि भूमि) (२) वास्तु (निवास योग्य स्थान) (३) हिरण्य (चांदी) (४) सुवर्ण (सोना) (५) धन (सोने चांदी के ढले हुए सिक्के अथवा घी, गुड, शक्कर आदि मूल्यवान् पदार्थ) (६) धान्य (गेहूँ, चावल, तिल आदि) (७) द्विपद (जिसके दो पांव हों जैसे मनुष्य और पक्षी) (८) चतुष्पद (जिसके चार पांव हों, जैसे हाथी, घोड़े, गाय, भैंस, बकरी आदि) और कुप्य (वस्त्र, पात्र औषध आदि)।

इस प्रकरण की मर्यादा से व्यक्ति अनावश्यक सग्रह और शोषण की प्रवृत्ति से बचता है।

(२) भगवान् महावीर का दूसरा सूत्र यह है कि विभिन्न दिशाओं में आने-जाने के सम्बन्ध में मर्यादा कर यह निश्चय किया जाये कि मैं अमुक स्थान से अमुक दिशा में अथवा सब दिशाओं में इतनी दूर से अधिक नहीं जाऊंगा। इस मर्यादा या निश्चय को दिक्परिमाणव्रत कहा जाता है। इस मर्यादा से वृत्तियों का सकोच होता है, मन की चञ्चलता मिटती है और अनावश्यक लाभ या सग्रह के अवसरों पर स्वैच्छिक रोक लगती है। प्रकारान्तर से दूसरों के अधिकार क्षेत्र में उपनिवेश बसा कर लाभ कमाने की अथवा शोषण करने की वृत्ति से बचाव होता है। आधुनिक युग में प्रादेजिक सीमा, अन्तर्राष्ट्रीय सीमा, नाकेबन्दी आदि की व्यवस्था इसी व्रत के फलितार्थ है। क्षेत्र सीमा का अतिक्रमण करना आज भी अन्तर्राष्ट्रीय कानून की दृष्टि में अपराध माना जाता है। तस्कर वृत्ति इस का उदाहरण है।

(३) भगवान् महावीर ने तीसरा सूत्र यह दिया है कि मर्यादित क्षेत्र में रहे हुए पदार्थों के उपभोग-परिभोग की मर्यादा भी निश्चित की जाए। दिक्परिणामव्रत के द्वारा मर्यादित क्षेत्र के बाहर का क्षेत्र एवं वहां के पदार्थादि से तो निवृत्ति हो जाती है पर यदि मर्यादित क्षेत्र के पदार्थों के उपभोग की मर्यादा निश्चित नहीं की जाती तो उससे भी आवश्यक संग्रह का अवसर बना रहता है। अतः उपभोग-परिभोगपरिमाणव्रत की विशेष व्यवस्था की गयी है। जो एक बार भोगा जा चुकने के पश्चात् फिर न भोगा जा सके, उस पदार्थ को भोगना, काम में लेना, उपभोग है, जैसे भोजन, पानी आदि, और जो वस्तु बार-बार भोगी जा सके, उसे भोगना परिभोग है, जैसे वस्त्र, विस्तर आदि। उपभोग-वस्तुओं में वे वस्तुएं आती हैं जिनका होना शरीर-रक्षा के लिए आवश्यक है। परिभोग-वस्तुओं में उन पदार्थों की गणना है जो शरीर को सुन्दर और अलंकृत बनाते हैं अथवा जो शरीर के लिए आनन्दायी माने जाते हैं। शास्त्रकारों ने उपभोग्य-परिभोग्य वस्तुओं को २७ भागों में विभक्त किया है।

इस प्रकार की मर्यादा का उद्देश्य यही है कि व्यक्ति का जीवन सादगीपूर्ण हो और वह स्वयं जीवित रहने के साथ-साथ दूसरों को भी जीवित रहने का अवसर और साधन प्रदान कर सके।

(४) भगवान् महावीर ने चौथा सूत्र यह दिया है कि व्यक्ति प्रतिदिन अपने उपभोग-परिभोग में आने वाली वस्तुओं की मर्यादा निश्चित करे और अपने को इतना संयमशील बनाये कि वह दूसरों के लिए किसी भी प्रकार बाधक न बने। दिक्परिमाण और उपभोग-परिभोगपरिमाणव्रत जीवन भर के लिए स्वीकार किये जाते हैं। अतः इनमें आवागमन का जो क्षेत्र निश्चित किया जाता है, तथा उपभोग-परिभोग के लिए जो पदार्थ मर्यादित किये जाते हैं, उन सबका उपयोग वह प्रतिदिन नहीं करता है। इसीलिए एक दिन-रात के लिए उस मर्यादा को भी घटा देना, आवागमन के क्षेत्र और भोग्योपभोग्य पदार्थों की मर्यादा कम कर देना, देशावकाशिकव्रत है। अर्थात् उक्त व्रतों में जो अवकाश रखा है, उसको भी प्रतिदिन सक्षिप्त करते जाना।

आवक के लिए प्रतिदिन चौदह नियम चिन्तन करने की जो प्रथा है, वह इस देशावकाशिक व्रत का ही रूप है। शास्त्रों में वे नियम इस प्रकार कहे गये हैं—

सच्चित्त द्रव्य विगर्ह, पन्नो ताम्बूल वत्थ कुमुभेषु।

वाहण सयण विलेपण, चम्भ दिसि नाहण भत्तेषु ॥

अर्थात्—१. सच्चित्त वस्तु, २. द्रव्य ३. विगर्ह, ४. जले-रक्षा ५. पन्नो  
६. वस्त्र, ७. पुष्प, ८. वाहन, ९. शयन, १०. विलेपण, ११. चम्भ, १२. दिसि  
दिशा, १३. स्नान और १४. भोजन। इन नियमों से अतः नियमित

मर्यादा रखी जाती है, उसका संकोच होता है और आवश्यकताये उत्तरोत्तर सीमित होती है।

उपर्युक्त चारों सूत्रों में जिन मर्यादाओं की बात कही गयी है वह व्यक्ति की अपनी इच्छा और शक्ति पर निर्भर है। भगवान् महावीर ने यह नहीं कहा कि आवश्यकताये इतनी इतनी सीमित हो। उनका संकेत इतना मर है कि व्यक्ति स्वेच्छापूर्वक अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार आवश्यकताये सीमित करे, इच्छायें नियन्त्रित करे क्योंकि यही परम शान्ति और आनन्द का रास्ता है। आज की जो राजनैतिक चिन्तनधारा है उसमें भी स्वामित्व और आवश्यकताओं को नियन्त्रित करने की बात है। यह नियमन, नियन्त्रण और सीमांकन विविध कर पद्धतियों के माध्यम से कानून के तहत किया जा रहा है। यथा—आयकर, सम्पत्तिकर, भूमि और भवन कर, मृत्यु कर और नागरिक भूमि सीमांकन एवं विनियमन अधिनियम (अरबन लैण्ड सीलिंग एण्ड रेग्यूलेशन एक्ट) आदि।

भगवान् महावीर ने अपने समय में, जबकि जनसंख्या इतनी नहीं थी, जीवन की जटिलतायें भी कम थीं, तब यह व्यवस्था दी थी। उसके बाद तो जनसंख्या में विस्फोटक वृद्धि हुई है, जीवन पद्धति जटिल बनी है, आर्थिक दबाव बढ़ा है, आर्थिक असमानता की खाई विस्तृत हुई है, फिर भी लगता है कि महावीर द्वारा दिया गया समाधान आज भी अधिक व्यावहारिक और उपयोगी है क्योंकि कानून के दबाव से व्यक्ति बचने का प्रयत्न करता है, पर स्वेच्छा से उसमें जो आत्मानुशासन आता है, वह अधिक प्रभावी बनता है।

भगवान् महावीर ने आवश्यकताओं को सीमित करने के साथ-साथ जो आवश्यकताएं शेष रहती हैं, उनकी पूर्ति के लिए भी साधन शुद्धि पर विशेष बल दिया है। महात्मा गांधी भी साध्य की पवित्रता के साथ-साथ साधन की पवित्रता को भी महत्त्व देते थे। अहिंसा, सत्य, अस्तेय आदि व्रत, साधन की पवित्रता के ही प्रेरक और रक्षक हैं। इन व्रतों के पालन और इनके अतिचारों से बचने का जो विधान है, वह भाव-शुद्धि और अहिंसक दृष्टि का सूचक है। अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यक्ति को संकल्पपूर्वक की जाने वाली हिंसा से बचना चाहिए। उसे ऐसे नियम नहीं बनाने चाहिए जो अन्याययुक्त हों, न ऐसी सामाजिक रूढ़ियों के बन्धन स्वीकार करने चाहिए जिनसे गरीबों का अहित हो। अडभार (अतिभार) अतिचार इस बात पर बल देता है कि अपने अधीनस्थ कर्मचारियों से निश्चित समय से अधिक काम न लिया जाये, न पशुओं, मजदूरों आदि पर अधिक बोझ लादा जाए और न बाल-विवाह, अनमेल विवाह और रूढ़ियों को अपनाकर जीवन को भारभूत बनाया जाए। भक्त-पाण-विच्छेद अतिचार से यह तथ्य गृहीत होता है कि व्यक्ति अपना व्यापार इस प्रकार करे कि उससे किसी का भोजन व पानी न छीना जाय।

सत्याणुव्रत में सत्य के रक्षण और असत्य से बचाव पर बल दिया गया है। कहा गया है कि व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए कन्नालीए अर्थात् कन्या के विषय में, गवालीए अर्थात् गो के विषय में, भोमालीए अर्थात् भूमि के विषय में, णासावहारे अर्थात् धरोहर के विषय में झूठ न बोले। कूडसक्खिजे अर्थात् झूठी साक्षी न दे। इसी प्रकार सत्याणुव्रत के अतिचारों से बचने के लिये कहा गया है कि बिना विचारे एकदम किसी पर दोषारोपण न करे, दूसरों को झूठा उपदेश न दे, झूठे लेख, झूठे दस्तावेज न लिखें, न झूठे समाचार या विज्ञापन आदि प्रकाशित कराये और न झूठे हिसाब आदि रखें।

अस्तेय व्रत की परिपालना का, साधन शुद्धता की दृष्टि से विशेष महत्त्व है। मन, वचन और काय द्वारा दूसरों के हकों को स्वयं हरण करना और दूसरों से हरण करवाना चोरी है। आज चोरी के साधन स्थूल से सूक्ष्म बनते जा रहे हैं। संध लगाने, डाका डालने, ठगने, जेब काटने वाले ही चोर नहीं हैं बल्कि खाद्य वस्तुओं में मिलावट करने वाले, एक वस्तु बतलाकर दूसरी लेने-देने वाले, कम तोलने और कम नापने वाले, चोरों द्वारा हरण की हुई वस्तु खरीदने वाले, चोरो को चोरी की प्रेरणा करने वाले, झूठा जमा-खर्च करने वाले, जमाखोरी करके बाजारों में एकदम से वस्तु का भाव घटा या बढ़ा देने वाले, झूठे विज्ञापन करने वाले, अवैध रूप से अधिक सूद पर रुपया देने वाले भी चोर हैं। भगवान् महावीर ने अस्तेय व्रत के अतिचारों में इन सबका समावेश किया है। इन सूक्ष्म तरीकों की चौर्यवृत्ति के कारण ही आज मुद्रा-स्फीति का इतना प्रसार है और विश्व की अर्थव्यवस्था चरमरा रही है। एक ओर काला धन बढ़ता जा रहा है तो दूसरी ओर गरीब अधिक गरीब बनता जा रहा है। अर्थव्यवस्था के संतुलन के लिये आजीविका के जितने भी साधन हैं, पूजी के जितने भी न्रोत हैं उसका शुद्ध और पवित्र होना आवश्यक है।

इसी संदर्भ में भगवान् महावीर ने ऐसे कार्यों द्वारा आजीविका के उपा-  
जन का निषेध किया है जिनसे पाप का भार बढ़ता है और समाज के लिए जो  
अहितकर हों ऐसे कार्यों की संख्या शास्त्रों में पन्द्रह गिनाई गयी है और इन्हें  
'कर्मादान' कहा गया है। इसमें से कुछ कर्मादान तो ऐसे हैं जो लोक में निन्द्य  
माने जाते हैं और जिनके करने से सामाजिक प्रतिष्ठा नष्ट होती है। उदाहरण  
के लिए, जंगल को जलाना (इंगालकम्मे), शराब आदि नादक पदार्थों का  
व्यापार करना (रसवाणिज्जे), अफीम, संखिया आदि जीवन नाशक पदार्थों  
को बेचना (विसवाणिज्जे), सुन्दर केश वाली स्त्रियों का क्रय-विक्रय करना  
(केशवाणिज्जे), वन दहन करना (दवग्गिदावणिगकम्मे), असज्जनों अर्थात्  
असामाजिक तत्त्वों का पोषण करना (अमईजणपोनदियाकम्मे) आदि  
को लिया जा सकता है।

भगवान महावीर द्वारा गृहस्थ पर इतने अधिक नियन्त्रण लगाने का यह अर्थ नहीं है कि जीवन के प्रति उनकी दृष्टि नकारात्मक रही है। उन्होंने अपरिग्रह व्रत की प्रवृत्तिमूलक दृष्टि पर भी व्यापक बल दिया है। वस्तुतः उनका प्रहार धन के प्रति रही हुई मूर्च्छावृत्ति पर है। वे व्यक्ति को निष्क्रिय या अकर्मण्य बनने को नहीं कहते। उनका बल अर्जित सम्पत्ति को दूसरों में बांटने पर है। उनका स्पष्ट उद्घोष है—असविभागीणहु तस्सा भोव खो अर्थात् जो अपने प्राप्य को दूसरों में बांटता नहीं, उसकी मुक्ति नहीं होती। अर्जन के विसर्जन का यह भाव उदार और संवेदनशील व्यक्ति के हृदय में ही जागृत हो सकता है और ऐसा व्यक्ति क्रूर, हिंसक या पापाचारी नहीं हो सकता। निश्चय ही ऐसा व्यक्ति मिष्टभाषी, मितव्ययी, संयमी और सादगीपूर्ण जीवन व्यतीत करने वाला होगा और इन सबके सम्मिलित प्रभाव से उसकी सम्पत्ति भी उत्तरोत्तर वृद्धिमान होगी।

अर्जन का विसर्जन नियमित रूप से होता रहे और मर्यादा से अधिक सम्पत्ति संचित न हो, इसके लिए अतिथि-संविभागव्रत और दान का विधान है। भगवतीसूत्र में तुंगियानगरी के ऐसे श्रावको का वर्णन आता है जिनके घरों के द्वार अतिथियों के लिए सदा खुले रहते थे। अतिथियों में साधुओं के अतिरिक्त जरूरतमन्द लोगों का भी समावेश है। पुण्य तत्त्व के प्रसंग में पुण्य-बन्ध के नौ कारण बताए गये हैं, इस दृष्टि से वे उल्लेखनीय हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं—(१) भूखे को भोजन देना (अन्न पुण्य) (२) प्यासे को पानी (पेय पदार्थ) पिलाना, (पानपुण्य), (३) जरूरतमन्द को मकान आदि देना (स्थान पुण्य), (४) पाट, बिस्तर आदि देना (शयन पुण्य), (५) वस्त्र आदि देना (वस्त्र पुण्य), (६) मन (७) वचन और (८) शरीर की शुभ प्रवृत्ति से समाज सेवा करना (मन पुण्य, वचन पुण्य और काय पुण्य) तथा (९) पूज्य पुरुषों और समाज सेवियों के प्रति विनम्र भाव प्रकट करते हुए उनका सम्मान सत्कार करना (नमस्कार पुण्य)।

आवश्यकता से अधिक संचय न करना और मर्यादा से अधिक प्राप्य सम्पत्ति को जरूरतमन्द लोगों में वितरित कर देने की भावना ही जन कल्याण के कार्य को आगे बढ़ाती है। दान या त्याग का यह रूप केवल रूढ़ि पालन नहीं है। समाज के प्रति कर्तव्य व दायित्व बोध भी है। दान का उद्देश्य समाज में ऊच-नीच का स्तर कायम करना नहीं, वरन् जीवन रक्षा के लिये आवश्यक वस्तुओं का समवितरण करना है। धर्म शासन इस प्रवृत्ति पर जितना बल देता है, उतना ही बल जनतान्त्रिक समाजवादी शासन व्यवस्था भी देती है। दान का यह पक्ष केवल अर्थदान तक ही सीमित नहीं है। यहाँ अर्थदान से अधिक महत्त्व दिया गया है आहारदान, औषधदान, ज्ञानदान और अभयदान को। उत्तम दान के लिये यह आवश्यक है कि जो दान दे रहा है वह निष्काम भावना से दे और


जो दान ले रहा है, उसमें किसी प्रकार की दीन या हीन भावना पैदा न हो। दान देते समय दानदाता को मान-सम्मान की भूख नहीं होनी चाहिए। निर्लोभ और निरभिमान भाव से किया गया दान ही सच्चा दान है। दाता के मन में किसी प्रकार का ममत्व भाव न रहे, इसी दृष्टि से शास्त्रों में गुप्तदान की महिमा बतायी गई है।

भगवान् महावीर द्वारा आवश्यकताओं पर स्वैच्छिक नियन्त्रण की बात सम्प्रति अर्थशास्त्रियों को अटपटी लग सकती है। अन्य लोग भी इसे अव्यावहारिक कह सकते हैं। यों प्रसिद्ध अर्थशास्त्री जे.के. मेहता ने आवश्यकता विहीन स्थिति (स्टेट आफ वान्टलेसनेस) का निरूपण किया है। अर्थशास्त्री चाहे माने या न माने पर यह अनुभूत सत्य है कि समाज में व्याप्त हिंसा और शोषण, आवश्यकताओं और इच्छाओं को नियन्त्रित किये बिना मिट नहीं सकता। औद्योगिकरण की बढ़ती हुई तीव्रगति और उससे उत्पन्न खतरे संभव है हमें स्वावलम्बी विकेन्द्रित अर्थव्यवस्था के लिये मजबूर करे। तीव्र विद्युतिकरण और सौर ऊर्जा से यह आशा बंधती है कि बड़े पैमाने पर लघु और कुटीर उद्योगों का जाल बिछाने में हम समर्थ हों। भारतीय संविधान के निर्देशक तत्वों और योजना आयोग के उद्देश्यों में सामाजिक न्याय की रक्षा करते हुए अर्थ नीति निश्चित करने का संकेत है। श्रमिकों के कल्याण के लिये सेवा सुरक्षा, वीमा, वोनस, श्रम के घंटे आदि के नियम बने हुए हैं। विभिन्न प्रकार की कर-व्यवस्था आर्थिक विषमता को कम करने में सहायक है। राष्ट्रीयकरण की बढ़ती हुई प्रवृत्ति, लाभ के व्यक्तिगत उपभोग के स्थान पर सम्मिलित उपभोग को बढ़ावा दे रही है। ये सब प्रयत्न इस बात के संकेत हैं कि वर्तमान अर्थ-व्यवस्था में अहिंसा-विचार धीरे-धीरे प्रवेश पा रहा है। अर्थ-व्यवस्था देश काल के अनुसार आकार ग्रहण करती है। यदि समाज में अहिंसा का विचार बल पकड़ता है, और संगठित नैतिक ढाँचे का निर्माण होता है तो उसका प्रभाव अर्थनीति और राजनीति पर पड़े बिना नहीं रहेगा।

—प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, हिन्दी विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर



सेवा भाव है, कर्म नहीं। सेवा भव से भावित कर्म आसक्ति के लिए  
 पूजा, अध्यात्मवादी के लिए... अध्यात्मवादी के लिए



## अहिंसक अर्थव्यवस्था

□ श्री सिद्धराज डड्डा

भारत समेत दुनियाभर में आज जो अर्थ व्यवस्था प्रचलित है वह सौ फीसदी हिंसक है। आज के उद्योग और व्यापार का एकमात्र लक्ष्य उपभोक्ता का शोषण करना तथा मुनाफा कमाने का है। वास्तव में आर्थिक प्रवृत्ति का या उद्योग-व्यापार का मुख्य उद्देश्य लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति होना चाहिये। शिक्षा, चिकित्सा आदि अन्य सामाजिक सुविधाओं की तरह उत्पादन और व्यापार की प्रक्रियाएं भी सामाजिक सेवा के रूप में ही चलनी चाहिये।

भारत में परम्परागत रूप से इनकी यही भूमिका रही थी। यहाँ की खेती और गांव-गांव में चलने वाले उद्योग-धन्धे सब जनता की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये ही चलते थे। इन वस्तुओं का आज जैसा व्यापार नगण्य था। आज वस्तुओं का उत्पादन केवल आवश्यकता पूर्ति के लिये नहीं होता, बल्कि उत्पादन को खपाने के लिये नई-नई आवश्यकताएं सृजित की जाती हैं। इसके अलावा, बड़े पैमाने पर विज्ञापन और प्रचार किया जाता है, तरह-तरह के आकर्षक आवरण में इन्हें पेश किया जाता है। पहले, वस्तुएं अधिक से अधिक टिकाऊ हो, इस प्रकार से बनाई जाती थी। पुराने घरों में अब भी लोग गर्व के साथ बताते हैं कि अमुक चीज हमारे यहां सौ बरस से या इतनी पीढ़ियों से काम आ रही है। आज हर साल वस्तुओं के नये मॉडल तैयार करके फैंके जाते हैं। १९६३ में १९६१ का मॉडल खरीदना हेठी की बात समझी जाती है। पुरानी चीज काम दे रही हो तब भी उसका नया मॉडल निकलने पर लोग पुराने मॉडल को कूड़े के ढेर में फैंक देते हैं। पश्चिमी देशों में तो आम तौर पर यही हो रहा है।

जाहिर है कि इस उत्पादन-पद्धति से केवल उपभोक्ता का या लोगों का ही शोषण नहीं होता बल्कि प्राकृतिक ससाधनों का भी शोषण और दुरुपयोग हो रहा है। स्थिति यहां तक पहुंच गई है कि कोयला, तेल, लकड़ी जैसी चीजों के प्राकृतिक भंडार समाप्त होने जा रहे हैं। खेती के द्वारा जमीन से पैदा होने वाली फसलों के अलावा खनिज आदि ऐसी चीजें हैं

जिन्हे प्रकृति के गर्भ में तैयार होने में सैकड़ों-हजारों बल्कि लाखों वर्ष लगते हैं। पेड़ों से प्राप्त होने वाली लकड़ी भी बीसियों बरसों में तैयार होती है। लेकिन आज की उपभोक्ता संस्कृति के कारण इन चीजों की अनाप-शनाप खपत हो रही है। कोयले और पेट्रोल के भंडार जिनके बनने में हजारों-लाखों वर्ष लगे होंगे, वे अब कुछ सालों के लिये ही बचे हैं, ऐसा तक लोग कहने लगे हैं। सैकड़ों-हजारों बरसों से चले आ रहे जंगल, अनेक जगह विलकुल साफ हो चुके हैं और अन्य जगह तेजी से कट रहे हैं। जंगलों के बाद अब खनिज पर मुनाफाखोरों और व्यापारियों की गिद्ध-दृष्टि लगी हुई है। पिछले कुछ बरसों में भारत समेत दुनिया के अनेक देशों में खनिज-काम तेजी के साथ बढ़ा है। पहले संगमरमर के लिये लोग केवल मकराना का नाम जानते थे, आज राजस्थान में ही सैकड़ों जगह मार्बल की खुदाई चल रही है। मतलब यह है कि वर्तमान आर्थिक पद्धति, उद्योग और व्यापार इस प्रकार चल रहे हैं कि वह आज की पीढ़ी का ही शोषण नहीं कर रहे हैं बल्कि आगे आने वाली कई पीढ़ियों के हिस्से की वस्तु भी उन्होंने समाप्त कर दी है।

आज की इस हिंसक अर्थव्यवस्था के वजाय अहिंसक व्यवस्था कैसी होगी? जाहिर है कि अहिंसक व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य आवश्यकताओं की पूर्ति का होना चाहिये, मुनाफा कमाने के लिये अधिक से अधिक चीजें तैयार करने का नहीं। आवश्यकताएं भी वे जो स्वाभाविक और जीवन के लिये जरूरी हों—जैसे भोजन, वस्त्र, आवास आदि। मुनाफे के लिये विज्ञापनवाजी के जरिये नई-नई आवश्यकताएं पैदा करना अहिंसक पद्धति में नहीं बैठता। आदमी की आवश्यकताएं भी सीमित होनी चाहिये, जीवन सादा और सरल होना चाहिये, तड़कीला-भड़कीला नहीं। आवश्यकताओं को बढ़ाते जाना और अपने आसपास अनावश्यक सामान का सग्रह करना वास्तव में सामाजिक अपराध है। इसीलिये अपरिग्रह और असंग्रह को मनुष्य के धर्म में शामिल किया गया है।

हमारी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति भी यथासंभव ऐसी वस्तुओं से होनी चाहिये जो आसानी से और बार-बार हमें प्राप्त हो सकती हों, यानी जो रिन्युएबल रिसोर्सेज (Renewable Resources) द्वारा प्राप्त हो सकती हों, तथा हमारे आसपास उपलब्ध हो सकती हों। स्वदेशी का वास्तविक अर्थ पाज की तरह केवल अपने देश में बनी चीज नहीं है। स्वदेशी केवल वस्तुओं का विशेषण नहीं है, वह एक सिद्धान्त है, एक मानसिक वृत्ति है। स्वदेशी सिद्धान्त केवल भौतिक वस्तुओं को ही लागू नहीं होता बल्कि जीवन से प्रत्येक क्रिया को लागू होता है। उदाहरण के लिये, सेवा भी पहले स



दीक वाले की होगी, पड़ौसी की होगी, बाद में दूर वाले की । दूर वाले की सेवा न करना यह इसका मतलब नहीं है बल्कि यह है कि सकट में पड़े पड़ौसी को छोड़कर अगर हम दूर वाले की सेवा करने जायें तो वह स्वदेशी-व्रत का भग माना जायेगा । चिंतन में तो मनुष्य पूरे ब्रह्माण्ड की सोच सकता है लेकिन जहां क्रिया का सम्बन्ध है, वह तो अपने आसपास ही हो सकती है । 'थिक ग्लोबली एकट लोकली' । पेड़ पर लगे हुये फल को हम तोड़ सकते हैं, आसमान के सितारों को तोड़ने की केवल कल्पना ही कर सकते हैं ।

इसलिये अर्थव्यवस्था के मामले में "ग्लोबलाइजेशन" की जो बात आज-कल चली है, वह स्वदेशी की दृष्टि से एकदम गलत है । अर्थव्यवस्था को तो "ग्लोबलाइज़" नहीं "लोकलाइज" होना चाहिये ।

—चौड़ा रास्ता, जयपुर-३



## अहिंसा

□ छंदराज 'पारदर्शी'

(१)

अवतारों की धरती यह भारत रही, अहिंसा की जिसको शहादत कही । आज फैला है हिंसा का तांडव यहाँ, करते हैं दिखावा यह इबादत नहीं ॥

(२)

फैली हिंसा की जग मे वीमारी बडी, जातियों में धर्म की ही लडाई छिडी । ओ ! अहिंसा-पुजारी तू आज जरा, आज तेरी ही जरूरत हमे आ पडी ॥

(३)

शस्त्रों से नहीं मिलती शान्ति है, समझो सपना और इक भ्रान्ति है । अहिंसा का हथियार सभी से बड़ा, भारत से शुरू हुई यह क्रान्ति है ॥

(४)

अहिंसा को माने वो इंसान है, हिंसा जो करे समझो शैतान है । दीन-दुखियो को पाले, बिन कुछ लिये, वो ही सारे जग का भगवान है ॥



# उद्योग-व्यवसाय एवं अहिंसा

□ श्री अमरसिंह मेहता

व्यवहार में उद्योग तथा व्यवसाय को हिंसा का कारण ही माना जाता है क्योंकि उत्पादन, वितरण तथा विक्रय आदि में किसी न किसी रूप में हिंसा अवश्य होती है। वर्तमान परिस्थितियों में जब विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धा है तथा विकास की जो गति है, उसे देखते हुए हम पुरातन युगीन व्यवस्था को अपनाने की नहीं सोच सकते हैं। अपने तथा अपने राष्ट्रीय अस्तित्व को बनाये रखने तथा बढ़ाने के लिए उद्योग तथा व्यवसाय का विकास करना ही होगा। प्रश्न यह उठता है कि क्या उद्योग तथा व्यवसाय में हिंसा को पर्याय मान लिया जाय या विवेक तथा सामयिक निर्णय से हिंसा से बचा जा सकता है ?

अब अन्तर्राष्ट्रीय रक्षा समीकरण बदल रहे हैं। विश्व की महाशक्तियाँ एक दूसरे के नजदीक आ रही हैं तथा हिंसा एवं युद्ध की जगह शान्ति एवं एकीकरण की व्यवस्था को स्वीकार किया जा रहा है। पूर्वी एवं पश्चिमी जर्मनी का विलय, उत्तरी तथा दक्षिणी कोरिया में संधि, रूस तथा अमेरीका द्वारा शस्त्र परिसीमन संधि आदि इसके उदाहरण हैं। दक्षिणी अफ्रीका में रंग भेदी व्यवस्था भी हिंसा का सहारा लेकर कुछ नहीं कर पायी एवं अन्ततः वहाँ भी सरकार की विचारधारा में परिवर्तन हुआ है। इराक द्वारा कुवैत हथियाने पर भी विश्व की शक्तियाँ शान्तिपूर्वक अन्य प्रतिबंधों के माध्यम से समस्या का समाधान ढूँढ रही थीं क्योंकि हिंसा एवं युद्ध का अन्त विनाश के साथ होता है। उसका प्रभाव सम्पूर्ण विश्व पर पड़ता है।

यदि विश्व में शान्ति का वातावरण हो तथा युद्ध की विभीषिका नहीं रहे तो रक्षा-सामग्री के उत्पादन में लगे उद्योग के साधनों का उपयोग मानव-कल्याण तथा सामाजिक विकास में किया जा सकता है। इसी से अहिंसा की शुरुआत होगी क्योंकि जब हिंसा के लिए बनने वाले उपकरणों का उत्पादन नहीं होगा तथा उत्पादन तथा उपयोग से होने वाली अन्तहीन हिंसा से बचा जा सकेगा। अब विश्व के कई राष्ट्रों में वहाँ के कुल बजट का एक चौथाई से ज्यादा हिस्सा रक्षा सम्बंधी खर्च में चला जाता है। यदि शान्ति-व्यवस्था एवं अहिंसा की विचारधारा विकसित हो तो ये ही साधन मानव-कल्याण में लग सकते हैं।

अहिंसा का सामान्य अर्थ जीव-हिंसा नहीं करने से है। उद्योग एवं व्यवसाय आज की सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था के अभिन्न अंग हैं एवं हिंसा को उद्योग या व्यवसाय में हिंसा को समाप्त करना असंभव प्रायः है।

को नियंत्रित करना तथा अत्यधिक हिंसा की गतिविधियों को बन्द करना ही अहिंसाजनक हो सकता है।

आज प्रत्यक्ष रूप से सबसे अधिक हिंसा बूचड़खाने तथा मांसाहारी व्यवसाय से हो रही है। आज वैज्ञानिक दृष्टि से भी सिद्ध हो चुका है कि मांसाहार मानव-शरीर के लिए हानिकारक है तथा शाकाहार ही स्वस्थ एवं निरोगी शरीर के लिए लाभदायक है। यदि मांसाहारी प्रवृत्ति को त्यागकर शाकाहारी प्रवृत्ति को अपनाया जाय तो प्रत्यक्ष रूप से होने वाली सबसे अधिक हिंसा को रोका जा सकता है। आवश्यकता है शाकाहारी चेतना जागृत करने की तथा सरकार पर दबाव डालने की कि केवल विदेशी मुद्रा अर्जित करने के लिए प्रत्यक्ष हिंसा आवश्यक नहीं है। विदेशी मुद्रा अन्य उत्पादों के निर्यात से तथा आयात प्रतिबन्ध से भी संभव है। इसी प्रकार चमड़ा उद्योग की सीमा निर्धारित करनी होगी। मुलायम जूतों तथा बैग इत्यादि का उपयोग सभी को अच्छा लगता है लेकिन उसमें होने वाली हिंसा की ओर ध्यान देना अत्यावश्यक है।

आवश्यकता इस बात की है कि हम इस प्रकार के विकल्प सोचे जिनसे प्रत्यक्ष हिंसा को कम करके ऐसे उत्पादों का उपयोग करे जिनमें कम हिंसा हो। जैसे चमड़े की जगह प्लास्टिक के उत्पाद इसका उदाहरण है। उनके बने उत्पादों पर यदि ध्यान दे तो आश्चर्य होगा कि मंहगी एवं मुलायम ऊन भेड़ के बच्चे की पहली ऊन से बनती है। आप सोचिये कि उस अपरिपक्व जानवर को कितनी पीड़ा होती होगी। यदि अपनी प्रवृत्ति को बदलकर हम सूती वस्त्रों या सिथेटिक वस्त्रों को प्राथमिकता दे तो इस प्रकार की हिंसा से भी बचा जा सकता है। ऐसे कई सामान हैं जिनके वैकल्पिक उत्पादों को काम में लेकर या अपनी प्रवृत्ति को थोड़ा नियंत्रित कर हम हिंसा को कम कर सकते हैं।

हम उद्योग एवं व्यवसाय को भी इस प्रकार चलावे एवं इस प्रकार की व्यवस्था को विकसित करें जिससे हिंसा को कम किया जा सके। वर्तमान समय में निम्नांकित सुझाव हिंसा को कम कर सकते हैं—

१. उत्पादन की किसी प्रक्रिया जिसमें अत्यधिक हिंसा होती हो, उसमें रक्षात्मक व्यवस्था प्रदान कर या उस प्रक्रिया की जगह ऐसी प्रक्रिया विकसित करले जिसमें हिंसा को कम किया जा सके। कई ऐसे उद्योग हैं जिनमें कबूतर, चिड़िया तथा अन्य पक्षी फैक्ट्री बिल्डिंग में प्रवेश कर जाते हैं। वहाँ कई तरह की विजली की मोटर्स तथा इलेक्ट्रिक कैबल्स होते हैं जिनसे उनकी हत्या हो जाती है। इसके लिए आवश्यक है कि फैक्ट्री गेट पर इस प्रकार की व्यवस्था हो जिससे पक्षी अन्दर न आ पायें ताकि उनकी हिंसा नहीं हो तथा केवलम तथा मोटर्स खुले रूप में नहीं हो।

२. दवाइयाँ एवं सौंदर्य-प्रसाधन उत्पादन की प्रक्रिया में परीक्षण चूहों, खरगोश तथा अन्य प्राणियों पर किये जाते हैं जो गहन परीक्षण के दौरान ही

## • उद्योग-व्यवसाय एवं अहिंसा

मर जाते हैं। इन उद्योगों में परीक्षण की ऐसी तकनीक की आवश्यकता है जहाँ परीक्षण जानवरों पर नहीं होकर अन्य विधि से हों तथा जीव-हिंसा कम की जा सके।

३. आज कई उद्योग ऐसे हैं जिनका प्रदूषित जल बाहर नदी-नालो में प्रवाहित कर दिया जाता है जिससे आप-वास का पेय जल, कृषि तथा पैड़ पौधे प्रभावित होते हैं। इससे कई तरह की बीमारियाँ फैलती हैं तथा पशु पक्षियों के मरने की काफी संभावना रहती है। इसको रोकने हेतु सरकार ने कई कदम उठाये हैं। उसी अनुरूप दूषित जल को साफ करके छोड़ा जाना चाहिये ताकि बाहर के वातावरण तथा पेयजल पर प्रभाव नहीं पड़े। यह समस्या विशेष रूप से चमड़ा तथा कपड़ा उद्योग से सम्बन्धित है जो कई तरह के रसायन तथा अम्ल को उपयोग के बाद दूषित पानी को ऐसे ही छोड़ देते हैं। गंगा के प्रदूषण का एक कारण ऐसे ही पानी का नदी में छोड़ा जाना है।

४. आज वायु प्रदूषण की समस्या सबसे खतरनाक है। आज उद्योग अपनी चिमनियों से प्रदूषित काला धुआँ एवं जहरीली गैस छोड़ते हैं, उससे दीर्घकालीन प्रभाव हिंसा से किसी प्रकार कम नहीं है। यदि उद्योग अपने धुएँ की सफाई करके तथा सामान्य ऊँचाई में ऊपर छोड़ें तो वह खतरनाक नहीं रहेगा तथा किसी भी प्रकार से हानिकारक नहीं होगा। इसी प्रकार भोपाल गैस काण्ड की विभीषिका से सभी परिचित ही है जो जघन्य हिंसा का कारण बनी है। यदि सुरक्षा के कड़े मापदण्डों का पालन किया जाय एवं तकनीकी सावधानी रखी जाय तो जहरीली गैस के रिसाव तथा प्रदूषण से बचकर हिंसा को कम किया जा सकता है।

५. यद्यपि श्रम कानून व्यापक रूप में उद्योगों में कार्यरत श्रमिकों के कार्य, सुविधाएँ तथा कार्य की दशाओं के बारे में प्रावधान रखते हैं, लेकिन अभी भी कई उद्योग संगठित तथा विशेष रूप से छोटे उद्योग जिनमें छोटे-छोटे बच्चे जो अपनी स्कूली शिक्षा भी पूरी नहीं करते कि उनसे कठिन से कठिन कार्य कराया जाता है तथा शोषण की स्थिति बन जाती है। कई छोटे उद्योग ऐसे हैं जहाँ अभी भी बधुआ मजदूर की स्थिति बरकरार है। यह किसी भी प्रकार से हिंसा से कम नहीं है। इसके लिए कानून की जगह एक आर्थिक समानता तथा विकासोन्मुख विचारधारा की आवश्यकता है जिसमें उद्योगपति अपने मजदूर भाइयों का शोषण नहीं करे तथा उनकी आधारभूत समस्याओं तथा कार्य की दशाओं का पूरा ध्यान रखे। साथ ही आवश्यकता इस बात की भी है कि कार्य की प्रक्रिया तथा प्रणालियाँ ऐसी हों जिनमें कम से कम दुर्घटना हो।

६. उत्पादक की गुणवत्ता एक बहुत ही मुख्य एवं महत्वपूर्ण आवश्यकता है। विशेष रूप से उपभोक्ता वस्तुओं तथा खाने पीने की वस्तुओं के उत्पादन में गुणवत्ता अत्यन्त आवश्यक है। उत्पाद की गुण-

वत्ता में गिरावट से मानव एवं जीव मात्र पर बहुत ही बुरा असर होता है। कई बार ऐसा हुआ है कि व्यक्तियों एवं पशुओं को अपने जीवन से हाथ धोना पड़ा है। इसी प्रकार कई दवाइयाँ इस प्रकार की बनी हैं कि उनकी गुणवत्ता में गिरावट से बहुत नुकसान हुए हैं। इसी प्रकार मिलावट से भी मानव समाज को बहुत हानि होती है। इन सबको रोकने तथा अहिंसात्मक व्यवस्था के लिए आवश्यक है कि उत्पाद की गुणवत्ता को बनाये रखा जाय तथा निरन्तर प्रयास हों कि वह प्राणीमात्र के लिए हानिकारक नहीं हो।

७ उद्योग तथा व्यवसाय में यदि ईमानदारी या सच्चाई की बात की जाय तो आज के युग में हास्यास्पद लगती है एव यही कहा जाता है कि सच्चाई से तो अब कुछ हो ही नहीं सकता। कम तोल, घटिया सामान या नकली वस्तुओं से उपभोक्ता को जो धोखा दिया जाता है, उससे उनकी भावनाओं को ठेस पहुँचती है, यह भी किसी हिंसा से कम नहीं है। यदि किसी गरीब को खाने के नाम पर कम सामान तौलकर दिया जाय तो उसकी भूख एवं कमी किसी भी प्रकार से हिंसा से कम नहीं है। भूठे तरीकों से एवं धोखाधड़ी से कार्य करने से जिस व्यक्ति को नुकसान होता है, उसका दिल कितना दुखता है जो किसी भी हिंसा से कम नहीं है। आज आवश्यकता है कि सच्चाई तथा ईमानदारी से उद्योग-व्यवसाय का संचालन हो तथा किसी के साथ भूठ तथा धोखा नहीं हो।

किसी भी प्राणी का छेदन-भेदन तथा उसे आहार से परे करना हिंसा है। हिंसा का कोई भी कार्य करना, करवाना तथा करने वाले की सहायता तथा अनुमोदन करना भी व्यापक अर्थ में हिंसा है। इसे समझ कर यदि व्यवसाय तथा उद्योग का संचालन किया जाय एवं विवेक तथा सामयिक निर्णय तथा सुरक्षात्मक उपायों को अपनाया जाय तो अहिंसा की ओर अग्रसर होने में मदद मिलेगी, उससे सम्बन्धित सभी पक्षों को लाभ होगा व व्यर्थ की हिंसा से बचा जा सकेगा।

—जनरल मैनेजर, जे. के. टायर फैक्ट्री, कांकरोली

❖ व्यापार के क्षेत्र में भी वही सफलता प्राप्त करता है जो नीति और धर्म के नियमों का ठीक तरह से पालन करता है।

—आचार्य श्री हस्ती



## सौन्दर्य-प्रसाधनों में बढ़ती हुई हिंसा

□ डॉ. शान्ता भानावत

भगवान् महावीर द्वारा प्ररूपित धर्म अहिंसा प्रधान धर्म है। यहां किसी जीव की हत्या का तो पूर्ण निषेध है ही पर विचारों द्वारा भी किसी के अहित का चिन्तन भी निषिद्ध है। अहिंसा का जहां इतना सूक्ष्म विवेचन है, वहां आज फैशन और आधुनिकता के नाम पर कृत्रिम सौन्दर्य प्रसाधन सामग्री का प्रचलन बढ़ता जा रहा है। फर के कोट, टोपियां, चमड़े के जूते, अटेचियां, रेशमी वस्त्र, तथा ड्रेसिंग टेबिल पर सजे कॉसमेटिक्स के सामान जैसे शैम्पू, परफ्यूम, (सुगन्धित इत्र) आपटर शेव लोशन, साबुन, तेल, क्रीम आदि को स्वयं के काम में लेकर अथवा विवाह, शादी आदि मागलिक अवसर पर इन्हें भेंट देकर हम अपने आपको बड़ा समझते हैं, स्वयं की सूझ-बूझ पर बड़ा गौरव अनुभव करते हैं, पर इन चीजों के निर्माण में पंचेन्द्रिय जीवों की कितनी भयंकर हिंसा होती है, यह हमने क्या कभी जानने की कोशिश की है ?

कॉसमेटिक्स की प्रत्येक वस्तु पशुवध का कितना रक्तरंजित इतिहास अपने परिवेश में छिपाये हुए है, यदि इसका पर्दाफाश किया जाय और प्रत्येक मा-वहन को इस करुण-कहानी से अवगत कराया जाये तो लगता है अवश्य ही ड्रेसिंग टेबिल के निकट जाकर भी वह इन कृत्रिम प्रसाधनों से नश्वर शरीर को सजाने का प्रयत्न नहीं करेगी, न ही अपने पारिवारिक सदस्यों को रक्तरंजित फर के कोट, टोपी, चमड़े के जूते, रेशमी वस्त्र पहनने को प्रेरित करेगी।

प्रस्तुत निबन्ध में हम पशुरक्त से सने सौन्दर्य उपकरणों पर दृष्टि डालेंगे तथा यह समझाने का प्रयत्न करेंगे कि इन शृंगार प्रसाधनों के निर्माण में किस प्रकार पशुओं की हत्या होती है और उन्हें कैसा मर्मन्तिक कष्ट दिया जाता है।<sup>१</sup> फर की टोपी, जो नन्हे मुन्हे की मस्तक की शोभा या कोट जो पारिवारिक जन को ठंड से बचाये हुए हैं, उसकी करुण कथा सुनिये जरा—यह फर सील, खरगोश, भालू, लोमड़ी, ऊदविलाव आदि जानवरों की चमड़ी से प्राप्त किया जाता है। सील एक समुद्री प्राणी है। फर उद्योग में इसका बड़ा महत्त्व है। सबसे मुलायम तथा मूल्यवान 'फर' सील के नवजात बच्चे का माना जाता है। इस नवजात बच्चे

१ यह विवरण रेखा सप्रू के निबन्ध (धर्मयुग : २ से ८ अक्टूबर, १९७७) के आधारे पर दिया गया है।

को गोली से नहीं लाठी मार-मार कर मौत के घाट उतारा जाता है। गोली मारने से तो उसकी चमड़ी खराब हो जाती है। बेचारे की मृत्यु का पूरा इन्त-जार भी नहीं किया जाता कि बेहोशी की हालत में उसकी चमड़ी खींच ली जाती है। ऐसे एक नहीं छः सात सील के बच्चे जब मारे जाते हैं तब कहीं एक कोट किसी के शरीर की शोभा बनता है। इसी तरह ऊदविलाव, भालू, खरगोश आदि प्राणियों को भी बड़ी बेरहमी से पकड़ा जाता है, मारा जाता है फिर उनकी चमड़ी से फर जैसी घिनौनी वस्तु का निर्माण होता है।

आज की फैशन की दुनिया में सांप और मगरमच्छ के चमड़े की बड़ी कीमत है। किसी के हाथ की शोभा बढ़ाने वाले उन पर्स को बनाने के लिये जीते जी सापो की, मगरमच्छों की एक भटके से खाल उतार दी जाती है। इस खौफनाक मौत का नतीजा होता है किसी के पैर का खूबसूरत जूता या किसी के हाथ का सुन्दर बैग।

सुन्दर मुलायम घुंघराले वालों वाली कीमती टोपी के निर्माण के लिये भेड़ के बच्चे को पैदा होने के २४ या ४८ घंटों के अंदर ही मार दिया जाता है और उसकी मुलायम खाल प्राप्त की जाती है। बढिया जूतों के लिये गर्भिणी मादा पशुओं का बध करके गर्भस्थ बच्चे को निकाल कर, उसकी खाल खींच ली जाती है। असली रेशम, जीवित कीड़ों को पानी में उबाल कर प्राप्त किया जाता है।

यह भौतिक शरीर, मृत्यु के बाद, जिसमें कीड़े पड़ने लगते हैं, बदबू आने लगती है, उसी शरीर को जीते जी सुगन्धित तेल फूलेलों से महकाया जाता है। महक भी हल्की-फुल्की नहीं उसे तो ऐसी महक चाहिए जो बहुत दिनों तक बनी रहे, जल्दी समाप्त न हो। ऐसा महक वाला इत्र कस्तूरी से बनता है। यह कस्तूरी मृग तथा सिवेट नामक जानवर से प्राप्त की जाती है। इसे प्राप्त करने के लिये मृग को गोली से मार दिया जाता है तथा सिवेट नामक जानवर को पिजरे में बंद कर, लकड़ियां भौक भौक कर उसे खूब तंग किया जाता है। कहते हैं यह जानवर जितना अधिक चिडचिडा होता है, उतनी ही ज्यादा इससे कस्तूरी मिलती है। लकड़ियों से मार-मार कर खूब तंग करने के बाद एक आदमी इसके पैर-पूँछ आदि पकड़ता है, दूसरा इसकी कस्तूरी वाली ग्रंथि चीरा लगाकर निकाल लेता है। चीरा लगे स्थान पर मोम या मक्खन आदि भर दिया जाता है। यह कस्तूरी निकालने की प्रक्रिया हर दसवें दिन में दोहराई जाती है। इस क्रूरता को महन करते-करते बेचारा सिवेट निर्दय मानव के क्रूर हाथों में सदा-सदा के लिये अपना शरीर समर्पित कर देता है। फिर उसकी रक्त सनी कस्तूरी से मानव निर्मित करता है परप्यूम। परप्यूम की मधुर मादक गंध से वह स्वयं मदमस्त होता है, दूसरे लोगों पर अपने बडप्पन की छाप डालता है। पर बाह रे क्रूर नियति ! बेचारे मृग और सिवेट का कर्ण त्रन्दन और खून !

बाजार में मिलने वाले इत्र, साबुन, तेल, क्रीम आदि चीजों के निर्माता इनके निर्माण में पशुओं की चर्बी का प्रयोग करते हैं। यह चर्बी सबसे ज्यादा ह्वेल मछली से प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त इस मछली से एक प्रकार का तेल भी मिलता है, जिससे टॉनिक भी बनता है तथा साबुन, क्रीम आदि बनाने के काम में भी वह लाया जाता है। ह्वेल मछली सबसे बड़ी मछली होती है। इसके शरीर पर नुकीले भालों से अनेक वार किये जाते हैं। खून से लथपथ ह्वेल मछली, मानव द्वारा दी गई क्रूर यंत्रणाओं का शिकार बन मौत से लडती हुई अपने प्राण त्याग देती है, फिर उसके शरीर की चर्बी से बनते हैं सुगन्धित इत्र, साबुन, तेल, क्रीम आदि।

सौन्दर्य-प्रसाधन में एक और वस्तु प्रयोग में लाई जाती है। वह है—इस्ट्रो-जन। यह द्रव्य या वस्तु गर्भवती घोड़ी के मूत्र से बनाई जाती है। सदा यह प्रयत्न किया जाता है कि घोड़ी गर्भवती रहे। जब वह गर्भ धारण करने योग्य नहीं रहती है तो उसे मार दिया जाता है।

ये कुछ उदाहरण तो सौन्दर्य प्रसाधन सामग्री के निर्माण के हैं, पर पशुओं पर अत्याचार का यह सिलसिला यही समाप्त नहीं होता। बाजार में विकने वाले शैम्पू, आप्टर शेवलोजन, यूडीकोलोन आदि के पीछे पशुओं की मार्मिक पीड़ा की कल्पना कहीं कम दर्दनाक नहीं है। शैम्पू (सिर धोने का तरल साबुन) जिससे बाल धोकर मानव वालों की चमक पर इतराता है, बाजार में आने से पहले खरगोश की आंखों में डाला जाता है और यह देखा जाता है कि इस वस्तु से उसकी आंखों में चिरमिराहट या खुजली तो नहीं मचती। जब यह प्रयोग किया जाता है, तब खरगोश को एक ऐसे पिजरे में बंद किया जाता है, जिसमें उसका सिर तो बाहर रहता है और शरीर पिजड़े में इस कदर फिट कर दिया जाता है कि बेचारा खरगोश हिल भी नहीं सकता। शैम्पू की बूंदों से आंख में होने वाली जलन को वह विवश हो सहन करता रहता है। इस प्रकार के बार-बार प्रयोग से उसकी आंखों में छाले पड जाते हैं और वह अन्धा हो जाता है। बेचारा भोला, निरीह, कोमल मूक प्राणी क्रूर मानव के सौन्दर्य प्रसाधन की तैयारी में अपने जीवन को एक दिन यो ही समाप्त कर देता है।

इसी तरह भांति-भांति के क्रीम और लोशन भी मार्केट में आने से पूर्व शरीर पर होने वाली उनकी प्रतिक्रिया जानने के लिए जानवरों की नुची हुई ताल पर वे आजमाये जाते हैं। ये प्रयोग भी अधिकतर खरगोश या चूहे की ताल पर किये जाते हैं। इन पशुओं की विना रुओं वाली चमड़ी पर पहले चिपका दी जाती है फिर टेप एक दम खींच कर उतार ली जाती है। इस प्रकार बार-बार टेप खींचने से बेचारे प्राणी की चमड़ी भी उतर जाती है। अन्दर मांस दिखाई देने लगता है। उस कच्चे मांस पर चिरमिराहट वाले ताल



यूडीकोलोन, आप्टरशेव लोशन, आदि लगाये जाते हैं और २-३ दिन तक वह मूक प्राणी इसी प्रकार पिजड़े में बंद असह्य वेदना से तड़फड़ाता रहता है। उसकी इस वेदना पर किसी को तरस नहीं, दुःख नहीं।

चिकित्सा के क्षेत्र में तो मानव नई-नई औषधियों के निर्माण में, शारीरिक संरचना की जानकारी के बारे में, पशु-पक्षियों पर अत्याचार करता ही रहा है, पर महज अपना शौक पूरा करने के लिये, अपने कृत्रिम सौन्दर्य को बढ़ाने के लिये हजारों बेजुबान जानवरों पर जुल्म क्यों ?

मानव के कृत्रिम सौन्दर्य-प्रसाधनों के पीछे मूक प्राणियों के अत्याचार का करुण-ऋदन तो हृदय दहलाने वाला है ही, साथ ही इस कार्य पर विश्व के विभिन्न देश कितना खर्चा करते हैं, ये आकड़े भी चौका देने वाले हैं। एक सर्वेक्षण से पता चला है कि अकेला अमेरिका का कॉस्मेटिक्स का सालाना खर्चा ५ मिलियन डालर का है। इंग्लैण्ड में खाली मैकअप पर १०० मिलियन पौण्ड खर्च होता है। पश्चिम के इन देशों की तुलना में भारत का खर्चा १०० करोड़ रुपया आंका गया है जो कि अमेरिकी खर्च का २५ प्रतिशत है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार हिन्दुस्तान में कुल ११५५ कॉस्मेटिक्स उत्पादन के कारखाने हैं, जिनमें से अकेले बम्बई में १५५ है। जिस देश की जनता को दो जून भरपेट रोटी नहीं मिल पाती है, उस देश में शरीर की बाह्य चमड़ी के सौन्दर्य-वृद्धि हेतु पानी की तरह द्रव्य वहाना कहा की बुद्धिमत्ता है ? देश में प्रसाधन और विलासिता के फैलाव से अब दूसरी प्रगति रुकने लगी है। बड़े उद्योग समूह इस ज्यादा मुनाफा देने वाली सोनमुर्गी के गुलाम बनते जा रहे हैं तथा औद्योगिक विकास के नाम पर उद्योगपति ऐयाशी करने व बढ़ाने में लगे हैं।

हिंसात्मक तरीके से बनाये गये सौन्दर्य प्रसाधन एवं इनके ऊपर किये गये खर्च से लगता है कि आज संसार से प्राकृतिक, स्वाभाविक अथवा वास्तविक सुन्दरता का ह्रास होता जा रहा है। आज लोग इस बात को भूलते जा रहे हैं कि सुन्दरता का निवास मनुष्य के मन में है। इन बाजार में विकने वाले शृंगार साधनों में नहीं। केवल साज-सज्जा से सुन्दरता प्राप्त करने का प्रयत्न भ्रांति है। इस भ्रांति से हम सबको वचना चाहिए। कृत्रिम सौन्दर्य प्रसाधनों के निर्माण में पशुओं की बढ़ती हुई हिंसा हमें सचेत करती है कि हम इन रक्त-रजित कृत्रिम सौन्दर्य प्रसाधनों से अपना सौन्दर्य बढ़ाने की होड़ न करें। सच तो यह है कि कृत्रिम सौन्दर्य-प्रसाधन सौन्दर्य बढ़ाने की अपेक्षा सौन्दर्य कम ही करते हैं। मानवीय सद्गुणों की महक के समक्ष परफ्यूम की महक व्यर्थ है। गुणी व्यक्ति के निकट आने वाले एक नहीं अनेक व्यक्ति उसकी महक से मुग्ध हो जाते हैं, फिर उसे क्रीम पाउडर की कृत्रिम सुन्दरता बढ़ाकर किसी को आकर्षित करने की आवश्यकता ही नहीं रहती।


वास्तविक सुन्दरता मानव के शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य पर निर्भर करती है। स्वस्थ शरीर निर्विकार मन और मधुर स्वभाव का समन्वय सुन्दरता बन कर मुख पर चमका करती है। यदि हमें सुन्दर बनना है और सुन्दरता को स्थायी रखना है तो हमें प्रसाधन, प्रदर्शन, आडम्बर अथवा कृत्रिम शृंगार-सामग्री के स्थान पर अन्तर्मेन को सुधारना होगा, उसे शुभ बनाने का प्रयत्न करना होगा। यदि हमारा स्वभाव क्रोधी है, ईर्ष्यालु है, हम द्वेष से जलते भुनते रहते हैं, लोभ, स्वार्थ अथवा परधन प्राप्ति की विषैली भावना को पालते रहते हैं, तो दुनिया भर के प्रसाधनों का प्रयोग करके भी हमारा व्यक्तित्व मोहक नहीं बन सकता। व्यक्तित्व का आकर्षण एवं प्रभाव दूसरों को दुःखित या पीड़ित करने से नहीं बढ़ता, वह बढ़ता है दूसरों के दुःख दूर कर उन्हें प्रसन्न एवं सुखी बनाने से। ऐसा समझकर हमें अपने जीवन और व्यवहार में प्राणी मात्र के प्रति मैत्रीभाव तथा अहिंसक दृष्टि का विकास करना चाहिए।

—प्रसिपल, श्री वीर बालिका महा विद्यालय, जयपुर



## जीव-हिंसा / जीव-दया

- ❖ जीव हिंसा अपनी हिंसा है, जीव दया अपनी दया है। —भक्त परिज्ज
- ❖ जीवों का आधार-स्थान पृथ्वी है वैसे ही भूत और भावी तीर्थङ्करों का आधार-स्थान शान्ति अर्थात् अहिंसा है। —भगवान् महावीर
- ❖ हे पार्थिव ! तुझे अभय है। तू भी अभयदाता बन, इस क्षणभंगुर संसार में जीवों की हिंसा के लिए तू क्यों आसक्त हो रहा है? —उत्तराध्ययन सूत्र
- ❖ इन जीवों के प्रति सदा अहिंसक वृत्ति से रहना। जो कोई मन, वचन और काया से अहिंसक रहता है, वह आदर्श संयमी है। —दण्डकालिक सूत्र
- ❖ जहाँ मन, वचन और काया से तथकथित विरोधी को हानि पहुँचाने का इरादा है वहाँ हिंसा है। —महात्मा गांधी
- ❖ यह निश्चित जानों कि चारों गति के जीव जितने भी दुःख भोगते हैं, वे सब हिंसा के ही फल हैं। —भक्त परिज्ज



## प्रशासन और अहिंसा

□ श्री जयनारायण गौड़

प्रशासन और अहिंसा की सगति प्रथम दृष्टया तो अनेक को शेर, बकरी की तरह परस्पर विरोधी लगती है। पर रामराज्य अथवा पौराणिक तपोवनों में ये ही दोनों एक घाट पर पानी भी पीते थे। यह सर्व-विदित है कि प्रशासन द्वारा कदम-कदम पर लिए गए अपने निरोधात्मक तथा दण्डात्मक निर्णयों के सर्वथा न्यायसंगत होने के बावजूद भी लोगों को मानसिक और शारीरिक कष्ट या असुविधा होती है तथा उन निर्णयों को हिंसात्मक भी कहा जा सकता है। पर देखना यह है कि क्या वास्तव में ऐसा है तथा जहाँ ऐसा है, उसका समाधान क्या है। पर यह तभी संभव है जब पहले हम प्रशासन तथा अहिंसा दोनों का परम्परागत नहीं वरन् भावनात्मक तथा लक्ष्यपरक अर्थ या परिभाषा भी समझे।

किसी भी देश के शासकों की नीतियों एवं प्राथमिकताओं को क्रियान्वित करने का माध्यम उनका प्रशासनिक ढांचा है। विदेशी आक्रांताओं के दौरान भारतीय शासकों की प्राथमिकता, जनता की खुशहाली नहीं वरन् अपने शासन के शिकंजे को ही मजबूत करते रहने था। अतः उन काली शताब्दियों के दौरान प्रशासन में भ्रूट, फरेब, गोपनीयता, जन-आकाक्षाओं को कुचलने आदि का कदम-कदम पर सहारा लिया जाता था। स्वतंत्र भारत के संविधान तथा शासन के दिशा-निर्देश, लोक कल्याणकारी होने के कारण, आज के प्रशासन के लक्ष्य, प्राथमिकताएँ तथा उससे जनता की अपेक्षाएँ सर्वथा बदल गई हैं। वर्तमान प्रशासन की तीनों शाखाओं (कार्यपालिका, न्यायपालिका तथा विधायिका) के लक्ष्यों तथा कार्य-पद्धतियों में आश्चर्यजनक परिवर्तन हो चुका है। ब्रिटिश हुकूमत में “माई बाप” के नाम से सम्बोधित किये जाने वाले जिला कलेक्टर की तत्कालीन भय-प्रेरक तस्वीर अब बहुत बदल चुकी है। विकास-प्रशासन को दी गई प्राथमिकता के कारण, कलेक्टर अब जिला विकास अधिकारी के रूप में जनता के अधिक नजदीक आया है तथा उसकी अपेक्षाओं तथा बहुमुखी विकास के लिए, वह अब स्पष्ट रूप से उत्तरदायी भी है। एक प्रख्यात न्यायाधीश ने कहा है कि निर्धन और अशक्त तथा धनवान और सशक्त के बीच चल रहे मुकदमों में “यदि तर्क दोनों ओर समान रूप से सतुलित हो, तो न्यायाधीश के निर्णय का पलड़ा गरीब की ओर ही झुकना चाहिए।” लोक-अदालतों के माध्यम से अब न्यायपालिका भी दोनों पक्षों के आपसी समझौते के आधार पर फैसलों को प्रोत्साहित कर रही है। जमींदारी उन्मूलन, कृषि भूमि की

अधिकतम सीमा-निर्धारण, प्रिवीपर्सों की समाप्ति, बैंकों के राष्ट्रीयकरण, संविधान में संविधर्म समभाव तथा शिक्षा, बंधक मजदूरों, अनुसूचित जाति तथा जन जातियों तथा पिछड़े वर्ग के लोगों आदि के लिए, विधायिकाओं तथा ससद ने अनगिनत ऐसे कानून बनाये हैं जिनसे समाज में आर्थिक, शैक्षणिक तथा भावात्मक दूरियों को कम किया जा सके। ये सब प्रावधान अंततः सामाजिक उत्थान, शांति तथा अहिंसा के ही प्रणेता हैं।

यदि अहिंसा को केवल प्राणिवध निषेध का ही पर्याय माना जाये तब तो प्रशासन और अहिंसा में प्रथम दृष्टया भी कोई विरोध नजर नहीं आयेगा। स्वतन्त्र भारत में जलियाँवाला बाग जैसी हृदय-विदारक घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो सकती क्योंकि आज लोकतांत्रिक शासन निहत्थे लोगों को घेर कर, तथा उन्हें निकल जाने का अवसर दिये बिना ही, गोली से भूनने का जघन्य अपराध कर नहीं सकता। फांसी भी, अब उन विरले अपराधियों को ही लगती है जिनके जघन्य अपराध, अभियुक्त को संदेह का लाभ देने वाले कानून के बावजूद भी पूर्णतः सिद्ध हो जाते हैं। ऐसे प्राणि-वध को समाज द्वारा लागू किए गए कानून का पालन कहा जाना अधिक सार्थक है। दाहिने गाल पर थप्पड़ लगने पर अपना बायाँ गाल भी आगे कर देने वाले ईसा के अहिंसक सिद्धान्त को एक दूसरे महान् अहिंसक गाँधी ने नया परिवेश पहनाया। उन्होंने कहा था कि स्वयं किसी पर आक्रमण मत करो, किसी को कष्ट भी मत दो, पर अन्यायी आक्रांता का सामना करने और सत्य और न्याय की प्रतिष्ठा में उस समय हिंसा का सहारा लेने को कर्तव्य-पालन की ही संज्ञा दी जायेगी। पाकिस्तान द्वारा संभावित हमले के परिप्रेक्ष्य में उन्होंने यह कहा था। साथ ही उन्होंने यह भी कहा था कि पापी से नहीं, केवल पाप से घृणा करो। कुरुक्षेत्र में कृष्ण ने भी तो अर्जुन को यही संदेश दिया था तथा निर्लिप्त भाव से अपने अन्यायी बन्धु-बान्धवों से दिन में घमासान युद्ध करने के वाद कौरव और पाण्डव अपने दिन के घायल दुम्हनों की रात को कुशल-क्षेम भी पूछते थे। अठारह अशोहणी सेना को हताहत करने वाले इन युद्ध में पाण्डव पक्ष को अहिंसक इसलिए कहा जायगा क्योंकि उन्होंने अन्याय का सामना करने के लिए ही यह युद्ध किया था।

प्रजामन के सम्मुख आज मुख्य चुनौती यही है कि निर्लिप्त भाव से यह नहीं निर्णय कैसे लेता है। उनके अविभाज्य निर्णय मन्त्रको संतुष्ट नहीं करने। निर्दोषों, दलितों तथा जहरतमन्त्रों के हित में लिए गए, गये निर्णयों में कोई व्यक्ति अथवा वर्ग विशेष स्वयं को इमनिंग आहत मानता है। क्योंकि उसके निहित स्वार्थों को उस निर्णय ने अंग्रे पहेलनी है। अतः व्यापक परिभाषा के अंतर्गत, प्रजामन के ऐसे अर्थ में मना।

विशेष को मानसिक तथा सम्भवतः शरीरिक असुविधा देने के कारण अहिंसा-विरोधी समझे जायेंगे ? धनवानों पर अधिक कर, कृषि, भूमि की अधिकतम सीमा, सजायाफता लोगों के कुछ वर्गों की चुनाव लड़ने की अयोग्यता आदि प्रशासन के अन्य अनगिनत कार्यों से कुछ लोग तो सदैव कष्ट पायेंगे ही, पर कल्याणकारी प्रशासन को तो यह देखना है कि उसके आदेश, कार्य अथवा निर्णय अधिकांश जनता के हित में है या नहीं ? गाँधी जी ने कहा है किसी भी कार्य के औचित्य अथवा अनौचित्य की एक कसौटी यह है कि वह "दरिद्र नारायण" के अनुकूल है अथवा प्रतिकूल ? अहिंसा के अनुयायी प्रशासकों के लिए भी यह मूलमन्त्र है ।

जिस तरह शासन की नीतियों और सदाशयता से उसके प्रशासन को अलग नहीं किया जा सकता उसी तरह प्रशासन को भी प्रशासक से पृथक् नहीं किया जा सकता । उत्तम नीति की क्रियान्वयन रीति तो कुर्सी पर आसीन सम्बन्धित प्रशासक ही तय करता है । पर हर आसीन व्यक्ति कुर्सी की शोभा नहीं बढ़ाता वरन् कुर्सी ही मन, वचन और कर्म से बौने व्यक्तियों को निदेशात्मक शक्तियों की अस्थायी आभा अवश्य देती है । भोग-विलासी संस्कृति वाले आचारहीन एवं रिश्वतखोर प्रशासक तो जनता के हितों के रक्षक रहने के बजाय भक्षक बन जाते हैं । ऐसे हिंसक प्रशासक से भगवान वचाए । राज्य की उत्तम नीतियों, ऐसे प्रशासकों की जन-विरोधी रीतियों के कारण, अपने विकृत रूप में ही जनता तक पहुँचती है । ऐसे प्रशासन में धन, शक्ति, यौवन तथा चाटुकारिता के माध्यम से कुछ लोग अथवा वर्ग विशेष के स्वार्थसिद्ध पुरक निर्णय लिए जाते हैं तथा आम जनता असहाय मूक दर्शक बनकर परेशान रहती है । ऐसी छद्म हिंसा प्राणिवध से भी बदतर है । वध कार्य तो एकबार हो जाता है पर जनता के मूल अधिकारों और अपेक्षाओं का वध तो ऐसे प्रशासन के कुचक् में निरंतर चलता रहता है ।

अच्छे प्रशासन में यथासंभव आम जनता की अपेक्षाओं और आकांक्षाओं के अनुरूप ही कार्य होना चाहिए । उसके कार्यों से भी अधिक महत्वपूर्ण उसकी कार्य पद्धति है । निर्णयात्मक चरण पर पहुँचने से पहले जनता से विचार-विमर्श करने के उपरान्त लिया जाने वाला निर्णय, जनता के लिए अधिक सुखद होगा । अपने रोजमर्रा के प्रशासन के दौरान एक अच्छा प्रशासक, क्रोध को क्षमा से, विरोध को अनुरोध और तर्क से, घृणा को दया से तथा द्वेष को प्रेम से जीतने का प्रयत्न करता है तथा इन सभी शस्त्रों की असफलता के बाद ही वह आदेशात्मक, निषेधात्मक अथवा दण्डात्मक निर्णय लेता है जो सतही तौर पर हिंसक लगने के बावजूद वास्तव में अन्याय-विरोधी तथा कर्तव्य-निष्ठा मूलक होने के कारण अहिंसक ही होता है । प्रथम दृष्टया सख्त लगने वाले ऐसे आदेश, शांति और न्याय के हित में दिये जाने के कारण, सही मायनों में अहिंसक ही होते हैं । पिछले महीनों में देश के अनेक भागों में फैले साम्प्रदायिक दंगों को नियंत्रित

करने में प्रशासन ने अनेक कड़े कदम उठाये, जिनमें गोली चलाना तथा गिर-फ्तारियाँ करना भी शामिल था। परिणामस्वरूप कुछ लोगों के मारे जाने तथा गिरफ्तार होने के बावजूद, देश में भड़की हिंसा को रोकने में प्रशासन की इस कठोर पर सफल कार्यवाही को अहिंसामूलक ही कहा जायगा क्योंकि इसी के कारण रोज की मारकाट के बाद अंततः शांति स्थापित हुई।

प्रशासन में कुछेक ऐसे भी हैं जो अपनी बाह्य दिनचर्या में तो सद्पुरुष लगते हैं पर "मुँह पर राम बगल में छुरी" की तरह उनका मन क्रूर और स्वार्थी है। पानी को छान कर पीने वाले ऐसे अनेक प्रशासक जनता को त्रस्त रखकर उनका अनछना खून पी जाते हैं। ऐसे भी अधिकारी हैं जो रोज सुबह दो घण्टे पूजा तो करते हैं, पर वे रिश्वत लेते हैं तथा सुरा-सुन्दरी आदि में भी लिप्त हैं। धन बटोरने वाला परिग्रही, अहिंसक हो ही नहीं सकता। प्रशासक भी इसका अपवाद नहीं है। ऐसे प्रशासकों का भोग-विलास एवं परिग्रह उनके इन्द्रिय-सुख, स्वार्थ, माया, लोभ, असत्य, क्रोध, ईर्ष्या, षड्यन्त्र आदि हिंसात्मक वृत्तियों पर ही पलता है। अतः ऐसे लोग अपनी सौम्य भाषा या पूजा के बावजूद अहिंसा से सर्वथा विमुख हैं। मात्र शाकाहारी होने, रात्रि को भोजन न करने, मद्यपान अथवा अन्य विलासी प्रवृत्तियों से दूर रहने तथा सादा जीवन बिताने पर भी किसी प्रशासक की दिनचर्या को तब तक अहिंसक नहीं कहा जा सकता जब तक अहिंसा के प्रति वह मन से भी समर्पित न हो। शाकाहार, सादगी आदि की व्यक्तिगत आदतें भी उत्तम प्रशासन में सहायक हैं पर अधिक महत्वपूर्ण यह है कि अहिंसा कोई ऐसा परिधान तो है नहीं, जिसे जब चाहे उतार लो अथवा जब चाहे पुनः पहन लो। अक्षरज्ञान अथवा वारहखड़ी-पठन की तरह यह ऐसी शिक्षा भी नहीं है कि किसी के द्वारा सिखाने पर उसे कंठस्थ कर, पढा अथवा हिंसाब लगाया जा सके। यह तो हृदय के अंतरतम कोने से स्वचालित एवं रोम-रोम में व्याप्त वह आंतरिक शक्ति है जो व्यक्ति को अपने मन, वचन और कर्म से परिपूर्ण अहिंसा के राजपथ पर अपनी जीवन-यात्रा को प्रेरित करती है। कालान्तर में यह शक्ति व्यक्तित्व में इस तरह घुल जाती है जैसे पानी में दूध तथा फिर वह उससे अलग हो ही नहीं सकती। उत्तेजना अथवा अवरोध के क्षणों में भी ऐसा व्यक्ति अपना संयम और विवेक नहीं खोता तथा शांति, धैर्य और निष्पक्षता से उन कठिनाइयों का सामना और समाधान करता है। महावीर ने कहा है कि शत्रु अथवा मित्र सभी प्राणियों पर समभाव को दृष्टि रखना ही अहिंसा है। समभाव एवं निष्पक्षता तथा संयम, विवेक, शांति और धीरज की स्थायी नींव पर आधारित ऐसी अहिंसा की उत्तम प्रशासन में निरन्तर आवश्यकता है, जिससे कि प्रशासक अपने तन, मन और धन से जन-सेवा के पुनीत यज्ञ में अपनी सार्थक आहुति दे सके।



# अहिंसा-शिक्षा के तत्त्व

□ श्री चांदमल कर्णावट

हिंसा से अहिंसा की ओर :

हिंसा जघन्यतम पाप है, विनाशक विष है और है सर्वहारा आग । इसके विपरीत अहिंसा एक सर्वश्रेष्ठतम धर्म, एक उच्चतम मानव मूल्य है और है अमर जीवनदायी अमृत । प्रत्येक व्यक्ति, समाज और राष्ट्र अपने व्यक्तिगत, सामाजिक एवं राष्ट्रीय जीवन में अहिंसा जैसे महान् धर्म या महान् मानव-मूल्य को स्थापित करना चाहता है क्योंकि इसी में उसका और विश्व का अस्तित्व सुरक्षित है ।

विश्व का इतिहास हिंसा, रक्तपात और नर सहार से भरा पड़ा है । विकासमान विज्ञान ने भयानक शास्त्रास्त्रों के आविष्कार से इस रक्तपात में और वृद्धि की है, परंतु अब संसार इस महान् बुराई से दूर रहकर अहिंसा की पवित्र शरण में आने को इच्छुक है क्योंकि यह समझ लिया गया है कि हिंसा का समाधान हिंसा से असंभव है । विश्व की महान् शक्तियाँ अपने परमाणु शस्त्रों में भारी कमी कर रही हैं और इन्हे नष्ट किया जा रहा है ।

विश्व को अहिंसा की ओर अग्रसर करने में तीर्थंकरों, पैगम्बरों, मसीहा, गुरुओं, संतों और महात्माओं ने अथक प्रयास किए । उन्होंने इतिहास में नवीन अध्यायों को जोड़ा है । प्राणिमात्र के प्रति उनके हृदय में अपार स्नेह और प्यार भरा था । प्राणिमात्र को अपनी आत्मा के तुल्य समझने का उनका संदेश अहिंसा की महान् परिभाषा थी । अहिंसा की व्यापकता में प्रेम, मैत्री, बंधुता, सेवा, सहनशीलता तथा करुणा आदि महान् मूल्यों का समावेश किया गया । जैन तीर्थंकरों ने अहिंसा को एक शाश्वत ध्रुव एवं नित्य धर्म बताया—‘एस धम्मे ध्रुवे, णिच्चे सासए’ (आचारांग सूत्र)

विश्व की इन महान् आत्माओं ने अपने जीवन के कण-कण में महान् धर्म अहिंसा को जिया । वर्षों तक अपने जीवन को अहिंसा की प्रयोगशाला बनाकर प्रेम, सहनशीलता एवं मित्रता जैसे महान् गुणों को स्थापित किया । अपने महान्तम प्रयोगों में अहिंसक जीवन की सफलता अर्जित कर उन्होंने विश्व को अहिंसा का श्रेष्ठ सदेश दिया और इस महान् धर्म के आदर्श बने ।

अहिंसा-शिक्षा के तत्त्व :

(i) सुयोग्य शिक्षकों की उपलब्धता—अहिंसा की शिक्षा के लिए भी यही क्रम स्वाभाविक लगता है कि अहिंसा शिक्षा के लिए सुयोग्य शिक्षक तैयार

हो। सर्वप्रथम वे स्वयं अहिंसक जीवन जिएँ। उनका प्रत्येक व्यवहार अहिंसा-त्मक हो और आत्मतुल्यता की भावना से भरा हो। अपने जीवन में अहिंसा की सैद्धांतिक और व्यावहारिक भूमि सुद्ध बनाकर ही वे अपने को अहिंसा शिक्षा के आदर्श (Model) और सुयोग्य शिक्षक बना सकते हैं। सुयोग्य शिक्षक बन कर ही वे अहिंसा जैसे महानतम मूल्य को मानव समाज में प्रतिष्ठापित करने में सफलीभूत हो सकते हैं। यह एक स्थापित मान्यता है कि किसी सद्गुण को स्वयं अपने जीवन में आत्मसात् करने वाले व्यक्ति ही उसे अन्यो के जीवन में स्थापित कर सकते हैं। ऐसे व्यक्ति ही वातावरण की ध्रुव धुरी बनकर विश्व-चक्र की दिशा बदल सकते हैं।

वैसे तो अहिंसादि मूल्यों को सिखाया नहीं जा सकता। मानव जीवन में सुपुप्त इन गुणों को जगाने की ही जरूरत है। अहिंसा की शिक्षा भी इसी प्रकार अहिंसक भावनाओं, विचारों एवं व्यवहारों को जगाने का कार्य कर सकती है। अहिंसादि महान् मूल्यों को जीने वाले इन सुयोग्य शिक्षकों का जीवन एक खुली पुस्तक होगा और अन्य व्यक्ति उनसे जीवन-व्यवहारों से इन मूल्यों की शिक्षा ग्रहण करेंगे। ये शिक्षक चलते-फिरते अभिप्रेरक होंगे, उत्प्रेरक होंगे जो मानव मन में व्याप्त हिंसा, घृणा, वैर-विरोध आदि की दुर्भावनाओं का निवारण कर प्रेम, सहयोग, स्नेह, सहानुभूति आदि दिव्य गुणों को जागृत कर सकेंगे।

जैन आगमों में तीर्थंकरों के अतिशयो का उल्लेख मिलता है। उनकी शान्तिधर्म में उनकी धर्मसभा या समवसरण का वातावरण ही बदल जाता था। जन्मजात वैरी प्राणी-सिंह और मृग, सर्प और नेवला अपना वैर भुलाकर उनके शांत सौम्य मुख का दर्शन करते और उनकी मधुर वाणी का अमृत पान करने लगते थे। महान् विषधर चंद्र कौशिक के साथ महावीर की घटना तो एक कमाल थी। अपनी बाँबी पर खड़े महावीर को उसने क्रूरता से डसा परंतु यह क्या उनके अंगूठे से रक्त की लाल धारा के स्थान पर दुग्धवत् रक्त की श्वेत मधुर धारा बहने लगी। अंत में तो उसका जीवन ही बदल गया। इस महान् घटना के पीछे प्रभु महावीर का अहिंसा, स्नेह और प्रेम से भरा जीवन ही मूल कारण था।

गौतम बुद्ध को चलते हुए देखकर कुख्यात डाकू अंगुलिमाल रुका और बोल पड़ा—रुक जाओ तुम ! बुद्ध का उत्तर था (चलते हुए) मैं तो रुका हुआ हूँ, तुम नहीं रुक रहे हो। अंगुलिमाल के लिए ये शब्द पहेली बन गए और बुद्ध के चरणों में उसको बुलाकर उसने अपना जीवन ही बदल डाला।

हमारे युग में मार्टिन लूथर किंग, महात्मा गाँधी, विनोबा, मदर टेरेसा की चमत्कार हमारे सामने ही घटित हुए हैं। इनकी अहिंसा के चमत्कारों से हम परिचित हैं। महावीर, बुद्ध आदि असामान्य ऊँचाइयों पर आसीन हैं, पर हमारे लिए आदर्श तो हैं, अनुकरणीय और दिग्दर्शक तो हैं ही। भले ही हमारा



शिक्षक इन असामान्य ऊँचाइयों को न पहुँच सके परंतु इस सिद्धांत को तो उसे समझना और स्वीकारना ही होगा कि मूल्यों के सैद्धान्तिक ज्ञान के साथ उनका व्यावहारिक जीवन में आंशिक प्रयोग भी अहिंसा-शिक्षा में चमत्कार ला सकता है।

मूल्यों की शिक्षा हमारे देश में इसीलिए सफलता का मुँह ताक रही है क्योंकि अहिंसा जैसे मूल्यों को जीने वाले शिक्षक नगण्य है। शिक्षा की उच्चतम विधियाँ-प्रविधियाँ भी सफल नहीं हो सकती, यदि मूल्यों को आत्मसात् करने वाले शिक्षक उपलब्ध न हों। भावना की शिक्षा को तो अभी छुआ ही नहीं गया है।

ये शिक्षक घर में माता-पिता और गुरुजन, विद्यालयों में शिक्षक, समाज में कार्यकर्ता हो सकते हैं। शिक्षा में मूल्यों की शिक्षा पर व्यापक शोध करके उनके सफल प्रयोगों के आधार पर उक्त शिक्षकों को अहिंसावत् मूल्यों के लिए प्रशिक्षित किया जा सकता है। पाश्चात्य एवं पौराणिक दर्शनों में इससे संबंधित सामग्री को दृष्टिगत कर शोध-आकल्प (Research Designs) विशेषतः प्रयोगात्मक आकल्प और प्रयोगात्मक प्रायोजनाएँ हाथ में ली जा सकती हैं। भारत में योगदर्शन के प्रणेता पातजलि के वृत्ति-निरोध का विस्तार से अध्ययन कर उस पर प्रयोगात्मक प्रायोजनाएँ क्रियान्वित करना अपेक्षित है।

(ii) अहिंसात्मक परिवेश—अहिंसादि मूल्यों की शिक्षा के मूल तत्त्वों में अहिंसात्मक परिवेश या वातावरण प्रमुख है। अहिंसादि मूल्यों के विकासाथ तदनुकूल वातावरण सृजन का अभिप्राय है कि मूल्यों को किसी पर थोपा नहीं जा सकता। इनके निर्माणानुकूल वातावरण का सृजन आवश्यक है। वातावरण सृजन का एक अन्य अर्थ यह है कि अहिंसादि मूल्यों की शिक्षा के लिए आचार-विचारादि सभी क्षेत्रों में इनकी प्रतिष्ठा हो जिससे यह कोई अलग विषय बनकर नहीं रह जाय। यह एक स्थापित सत्य है कि हमारे चारों ओर जिस तरह का वातावरण होगा और हम जैसे वातावरण में पल रहे होंगे, वैसा ही हमारा निर्माण हो जायगा। अलग-अलग घरों के भिन्न वातावरण में पलकर दृष्टि वैसी ही शिक्षा स्वतः ग्रहण कर लेते हैं। वे जैसे व्यवहार माता-पितादि गुरुजनों के देखते, सुनते, जैसा करते देखते, वैसा ही व्यवहारों को वे सीख जाते हैं।

अहिंसाधर्म का पूर्ण पालन करने वाले जैन मुनियों के जीवन को देखे तो जात होगा कि उनकी संपूर्ण चर्या अहिंसात्मक व्यवहारों से भरी होती है। उनका रहन-सहन, आहार-विहार, चलना-फिरना, उठना-बैठना, बोलना बतलाना सभी व्यवहार अहिंसात्मक होते हैं। साथ रहने वाले सभी मुनि इन व्यवहारों का परिपालन करते हैं। इस प्रकार संपूर्ण वातावरण एवं परिवेश जब अहिंसात्मक हो तो अहिंसा की शिक्षा महज और स्वाभाविक सम्पन्न हो जाती है।

हमारे देश में विद्यालयों, महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों तथा अन्यान्य क्षेत्रों द्वारा ऐसे सप्ताह या पखवाड़े आयोजित किए जाते हैं जैसे कौमी एकता सप्ताह, स्वच्छता सप्ताह, यातायात सप्ताह, साक्षरता या सहकारिता पखवाड़ा आदि ।

इन सप्ताहों और पखवाड़ों में विद्यालयों तथा अन्यान्य विभागों में इन्हीं सप्ताहों से संबंधित कार्यक्रम आयोजित होते हैं । उन दिनों में इन्हीं विषयों के कार्यक्रम संगीत, अभिनय, चर्चाएँ, गोष्ठियाँ आदि आयोजित करके वातावरण को तदनुकूल बना दिया जाता है । इन स्थानों में सप्ताह और पखवाड़े भर इसी प्रकार के कार्यक्रम सुने जाते, देखे जाते एवं किये जाते हैं जिससे चारों ओर का वातावरण स्वच्छता, सहकारिता, कौमी एकता आदि मूल्यों के लिए प्रेरक बन जाता है ।

ऊपर दिए गए दोनों उदाहरण मूल्यों के विकासार्थ सृजन किए जाने वाले वातावरण के हैं । विद्यालयों में पाठ्यक्रम के सभी विषयों में समाविष्ट अहिंसादि मूल्यों की चर्चा तद् तद् प्रसंगों में की जाय । प्रार्थना सभा, साहित्यिक गोष्ठियों, खेलकूद, संगीत कला आदि विषयों में किए जाने वाले कार्यों में अहिंसामूल्य का वातावरण सहज में सृजन किया जा सकता है । विद्यालय में आयोजित होने वाले सभी पाठ्य एवं पाठ्य सहगामी कार्यक्रमों में अहिंसादि मूल्यों की शिक्षा का वातावरण दिया जा सकता है । शिक्षकों के एवं बालक-बालिकाओं के व्यवहारों में इन मूल्यों का समावेश कैसे हो, यह प्रयास किया जा सकता है ।

घर के वातावरण का उदाहरण तो हम सबके सामने है । घर में बालक को सभ्यता, सस्कृतिमय वातावरण देकर माता-पिता अपने बच्चों में वाञ्छित सस्कार डाल देते हैं । यह केवल वातावरण सृजन की दृष्टि से ही अनुकरणीय नहीं अपितु अहिंसा-शिक्षा की आयोजना करने वाले व्यक्तियों, संस्थाओं के लिए भी उपयोगी है कि वे देखें कि घर में बालक-बालिकाओं में माता-पिता कैसे अच्छे सस्कार वपन कर देते हैं ।

इसी प्रकार समाजनेता एवं राष्ट्रनेता समाज और राष्ट्र में भी इसी प्रकार अहिंसामूल्य के अनुकूल वातावरण या परिवेश का सृजन कर इन मूल्यों को सहज स्वाभाविक रूप में ग्राह्य बना सकते हैं ।

अतः अपेक्षित है कि अहिंसा-शिक्षा के लिए शिक्षा संस्थानों, चारों ओर हो, धर्मस्थान हो, समाज हो या अन्य अभिकरण (Agencies) ही अहिंसादि मूल्यों के योग्य वातावरण का सृजन किया जाय । इससे अहिंसा की सीख ग्रहण की जाय, अहिंसक भावनाओं को अहिंसादि मूल्य जीवन में जगत में प्रतिष्ठापित हो सके ।

(iii) प्रशिक्षण संवेगों का—ब्राउडी ने *Buliding a Philosophy of Education* में मूल्यों के विकास सिद्धांतों (Theories) की चर्चा करते हुए सवेग अभिसिद्धान्त (Emotion Theory) को जीवन मूल्यों के विकास का एक प्रमुख आधार माना है। जिस किसी भी क्रिया-विधि से मानव के संवेगों को जगा दिया जाय तो ये जागृत संवेग मानव को उत्प्रेरित कर देते हैं सबधित मूल्य को आत्मसात् करने के लिए।

आधुनिक विज्ञान द्वारा प्रदत्त उपकरण दूरदर्शन या टी.वी., रेडियो, टेप, फिल्म आदि मानव मन में सुषुप्त मूल्यों को जागृत करने में आश्चर्यजनक कार्य कर सकते हैं। इन उपकरणों पर प्रस्तुत की जाने वाली दृश्य-श्रव्य सामग्री मानव-मन को प्रबल रूप से आन्दोलित कर देती है और मूल्यों के विकास हेतु सुदृढ़ भूमि तैयार कर देते हैं।

शिक्षा के दोनों रूप औपचारिक एवं अनौपचारिक मूल्य विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अहिंसा शिक्षा में भी इन दोनों प्रकार की शिक्षा की महती भूमिका है। पाठ्यक्रमों में अहिंसा शिक्षा के लिए अनुकूल प्रसंगों का उपयोग किया ही जाना चाहिए। इन औपचारिक स्वरूपों से भी अनौपचारिक शिक्षा कही अधिक सार्थक बन सकती है।

विद्यालयों, महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में आयोजित होने वाली क्रीड़ा प्रतियोगिताएँ भ्रमण चर्चाएँ, गोष्ठियाँ, सांस्कृतिक कार्यक्रम, संगीत, अभिनय आदि तथा कहानी, सस्मरण, प्रार्थना सभाएँ एवं प्रायोजनाएँ (Projects) पर कार्य भी किशोरो एवं युवाओं में संवेगों का अप्रत्यक्ष प्रशिक्षण करते हैं।

यह एक सामान्य स्वीकृत सिद्धान्त है कि समूहों में की गई क्रियाएँ-समूह प्रायोजनाएँ संगठन, सहयोग, सहनशीलता, प्रेम, सहानुभूति जैसे गुणों को विकसित होने का सहज अवसर प्रदान करती है।

(iv) अन्य—(i) यह आवश्यक है कि अहिंसा शिक्षा के इस प्रयास को व्यापक रूप में सभी स्तरों पर सपन्न किया जाय। घर, विद्यालय, धर्मस्थान आदि अन्यान्य अभिकरण अहिंसा-शिक्षा के कार्य को हाथ में लें, प्रयोग करें और सफल प्रयोगों को सर्वत्र आत्मसात् किया जाय।

(ii) अहिंसा एक व्यापक मूल्य है। इसमें सहयोग, सहशीलता, धर्मा, बंधुता, करुणा, मैत्री, आत्मतुल्यता आदि अनेक गुणों का समावेश होता है। वाणी, मन एवं कर्म से इनका पालन करने की आवश्यकता है। अहिंसा के इन विविध रूप सदगुणों के व्यवहारों का विश्लेषण किया जाय। पश्चात् उनके विकास के लिए समुचित क्रियाएँ आयोजित की जा सकती हैं।

(iii) शोधकर्ताओं द्वारा अहिंसा शिक्षा पर शोध कार्य करके उसके सिद्ध प्रयोगों का व्यापक प्रचार किया जाना आवश्यक है ।

(iv) घर, समाज, राष्ट्र और विश्व में अहिंसादि मूल्यों को जीने वाले व्यक्तियों एवं संस्थाओं को प्रोत्साहित एवं सम्मानित किए जाने की अपेक्षा है । यह प्रोत्साहन व्यक्तियों को इन मूल्यों को अपनाने को प्रेरित कर सकेगा ।

अतोगत्वा अहिंसा जैसे शाश्वत, नित्य ध्रुव धर्म या महानतम जीवन मूल्य की शरण करने में ही व्यक्ति और विश्व की सुरक्षा, समृद्धि और गांति निहित है । ऐसे महानतम मूल्यों का प्रचार-प्रसार और उनकी प्रतिष्ठा शिक्षा के अत्यंत प्रभावी उपकरण द्वारा संभव है ।

—सेवा निवृत्त, सहायक प्रोफेसर, शिक्षा ३५ अहिंसापुरी, उदयपुर



❖ आध्यात्मिक शिक्षण अन्तर्वृत्तियों को शिक्षित करता है, जबकि व्यावहारिक शिक्षण जीवन की सुख-सुविधाओं की उपलब्ध करने में सक्षम बनाता है ।

❖ शिक्षक व्यसनी नहीं हो, अर्थ का संग्रह करने वाले और किसी को परीक्षा में पास करने के लिए हेरा-फेरी करने वाले नहीं हों, तभी वे बच्चों में भौतिकता की भावना जगा सकेंगे ।

❖ भौतिक शिक्षा से मानव जीवन शान्ति की ओर बढ़ता है ।

❖ जो शिक्षा को आचरण में ला पाता है वही दूसरों को शिक्षा देने का अधिकारी होता है ।

—गोपाल श्री



## अहिंसा और साहित्य

□ पद्मश्री डॉ० लक्ष्मीनारायण दुबे

अत्यंत प्राचीन काल से हमारे देश में अहिंसा के महत्त्व को स्वीकार किया गया है। भारतीय धार्मिक साहित्य में ही नहीं अपितु विश्व के समस्त प्रधान धर्मों के वाङ्मय में अहिंसा का स्तवन मिलता है। अहिंसा को धर्म के रूप में मान्यता मिली है यथा: “अहिंसा परमोधर्म”।

अहिंसा की महत्ता को वेद, उपनिषद्, दर्शन, शास्त्र, पुराण, महाकाव्य और लोक काव्य सभी स्वीकार करते हैं। हिंदू धर्म के विपुल साहित्य में इसकी विस्तृत व्याख्या मिलती है। बौद्ध-साहित्य तथा जैन-साहित्य इसकी गरिमा को अनुपमेय मानते हैं। संस्कृत, अपभ्रंश तथा हिन्दी साहित्य इसकी विशिष्टताओं से अपनी श्री-वृद्धि कर रहा है।

ऐसा कोई धर्म नहीं जो अहिंसा के प्रति अपनी निष्ठा व्यक्त नहीं करता। ‘महाभारत’ के ‘अनुशासन पर्व’ में भीष्म ने युधिष्ठिर के प्रति अहिंसा की व्याख्या में बतलाया है कि अहिंसा धर्म के पालन के चार उपाय हैं:—(क) मन (ख) वाणी, (ग) कर्म से हिंसा न करना और (घ) मांस न खाना। ‘पातजल-योगदर्शन’ (साधनपाद-३५) कहता है कि अहिंसा की प्रतिष्ठा हो जाने पर साधक के समीप सबका वैर भाव नष्ट हो जाता है।

“अहिंसा प्रतिष्ठाया तत्सन्निधौ वैर त्यागः।”

गांधीजी ने गीता के अनासक्ति-योग में भी अहिंसा को अन्तर्निहित पाया है।

श्रमण-संस्कृति तथा जैन-साहित्य का प्राण अहिंसा है। इसे पंच महाव्रतों में सर्वोपरि माना गया है। श्रमण संस्कृति के अनुसार किसी भी जीव की मन, वचन और काया से हिंसा न करने का नाम ही अहिंसा है।

हिंसा की निंदा करके हिन्दी के समस्त भक्तिकालीन कवियों ने अहिंसा की स्तुति की है। सन्त कवि भी अहिंसा का प्रतिपादन करते हैं। लोकनायक सन्त कवोर का अहिंसा सिद्धान्त अत्यंत व्यापक तथा प्रभावपूर्ण है। वे दुर्बल को कष्ट देना भी हिंसा मानते हैं—

“दुर्बल को न सताइए, जाकी मोटी हाय।

मुई खाल की सांस सो, सार भमम हो जाय।”

मल्लूकदास हिंसा का कारण अज्ञान में खोजते हैं। मलिक मोहम्मद जायसी हिंसा को निर्ममता की उत्पत्ति मानते हैं। गोस्वामी तुलसीदास “राम-

चरित मानस” और “विनयपत्रिका” में परमार्थ के पोषक गुणों में अहिंसा को परिगणित करते हैं जिनकी सम्पुष्टि श्रीमद्भागवत्, विष्णु पुराण और गीता भी करती है। अहिंसा, निर्वैरिता तथा समदर्शिता की जननी है जिसके फलस्वरूप तुलसीदास “सकल जीव सम जान” का साष्वत संदेश प्रदान करते हैं।

राष्ट्रपुरुष महात्मा गांधी ने अहिंसा को नवीन आयाम, राष्ट्रीय संस्पर्श तथा विनीत क्रान्ति का स्वर प्रदान किया। वे अहिंसा को चित्त-वृत्ति तथा कर्म के रूप में स्वीकार करते थे। अहिंसा गांधी-दर्शन का मूलाधार है। गांधीजी के अहिंसा-सम्बन्धी विचार उनके दो ग्रन्थ ‘अहिंसा-व्रत’ तथा ‘अहिंसा और सत्य’ में प्रधानतया मिलते हैं। गांधीजी ने अपने जीवन की प्रयोगशाला में अहिंसा के अनवरत प्रयोग किए हैं। उसे व्यापकता तथा सामाजिकता प्रदान की है। गांधीजी के जीवन में सत्य सहज रूप में आया परन्तु अहिंसा प्रयासों से प्राप्त हुई। वे अहिंसा को सत्य का प्राण मानते थे। इस प्राचीन सिद्धान्त को ग्रहण करके भी गांधीजी की अहिंसा शत प्रतिशत वही नहीं है जो कि परिपाटी प्रसूता है। उसमें सीमा-विस्तार तथा नूतन अर्थ का सम्मिश्रण मिलता है। प्राचीन अहिंसा जीव-दया तक सीमित थी परन्तु गांधीजी ने उसे असीम कर दिया। वे अविनय को भी हिंसा मानते हैं। उनकी अहिंसा में ब्रह्मचर्य, अस्वाद, अस्तेय तथा अपरिग्रह भी आ जाते हैं। उनकी अहिंसा के लिए ‘नान-वायलेंस’ शब्द ठीक नहीं बल्कि “हार्मलैसनेस” भी होना चाहिए। उनकी दृष्टि में अहिंसा पूर्ण निर्दोषिता, पूर्ण स्थिति और प्राणिमात्र के प्रति दुर्भाव का पूर्ण अभाव है। गांधी साहित्य अहिंसा के विशद विश्लेषण से आपूर्ण है। उनकी अहिंसा पुस्तकों की वस्तु न होकर जीवन के नियम तथा आचरण की व्यावहारिकता के रूप में आती है। गांधी-दर्शन में अहिंसा अभय की चरमावस्था है इसलिए वह वीरता की परिसीमा है। संगठित हिंसा के निवारण हेतु उन्होंने संगठित अहिंसा के राजनैतिक-राष्ट्रीय-आंदोलनात्मक प्रयोग को जीवंत रूप प्रदान किया। विश्व के लिए गांधीजी की अहिंसा की देन सर्व महान् है।

गांधीजी की अहिंसा-नीति से राष्ट्रीय आन्दोलन और हिन्दी-साहित्य विशद रूप से प्रभावित हुआ है। आधुनिक हिन्दी साहित्य में अहिंसा के विविध रूपों के सर्वत्र दर्शन होते हैं।

अयोध्यासिंह उपाध्याय ‘हरिऔध’ के महाकाव्य “प्रियप्रवास” (सन्-१९१४) के श्रीकृष्ण अहिंसा से प्रभावित है। इसी प्रकार “वैदेही वनवास” (सन् १९३६) के राम पर भी अहिंसावाद की छाप प्रतीत होती है।

“दमन है मुझे कदापि न इष्ट,  
क्योंकि वह है भयमूलक नीति।  
चाह है लाभ करूं, कर त्याग,  
प्रजा की सच्ची प्रीति प्रतीति ॥”

“हरिऔध” के राम अनेक स्थलो पर युद्धों का विरोध करते हैं। वे जान्तिप्रियता तथा लोकाराधन के आकांक्षी हैं।

राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त के ‘साकेत’ (सन् १९३२) के राम भी अहिंसा के उपासक हैं। “जयभारत” के धर्मराज युधिष्ठिर अहिंसा के परम अनुयायी हैं। जयशंकर ‘प्रसाद’ की ‘कामायनी’ (सन् १९३५) की नायिका श्रद्धा अहिंसा की पुजारिन है। वह पशु-बलि का विरोध करती है। उसके अहिंसा-सिद्धान्त को इन शब्दों में अभिव्यक्ति मिली है।

“अपनी रक्षा करने में जो, चल जाए तुम्हारा कही अस्त्र,  
वह तो कुछ समझ सकी हूँ मैं, हिंसक से रक्षा करे शस्त्र।  
पर जो निरीह जीकर भी कुछ, उपकारी होने में समर्थ,  
वे क्यों न जिये उपयोगी बन, इसका मैं समझ सकी न अर्थ ॥”

डॉ० बलदेवप्रसाद मिश्र के “साकेत-सन्त” (सन् १९४९) के भरत अहिंसा के अनुगामी हैं। अनूप शर्मा ने अहिंसा के दो महान् पुरोधा पर ‘सिद्धार्थ’ (सन् १९३७) तथा ‘वर्द्धमान’ (सन् १९५१) नामक महाकाव्य लिखे। बालकृष्ण शर्मा ‘नवीन’ की ऊर्मिला’ (सन् १९५७) के राम विभीषण के राज दरवार में अहिंसा की चर्चा करते हैं। इसी प्रकार “प्राणार्पण” में भी अहिंसा-अहिंसा के द्वन्द्व को प्रस्तुत किया गया है। गिरिजादत्त शुक्ल “गिरीश” के “तारकवध” (सन् १९५८) नामक महाकाव्य में अहिंसात्मक प्रयोगों को चरितार्थ किया गया है।

सूर्यकान्त त्रिपाठी “निराला” और डॉ. रामधारीसिंह “दिनकर” अहिंसा में कापुरुषता के दर्शन पाते हैं। उनका “कुरुक्षेत्र” (सन् १९४३) गांधी के साथ न होकर तिलक के साथ है। उसमें अहिंसा के धर्मराज के साथ कवि की सहा-नुभूति न होकर वीरत्व के प्रतीक भीष्म पितामह के साथ है। अहिंसा को सुमित्रानन्दन पन्त स्वीकार करते हैं। अभिनव अमिताभ गांधी में ईसा, तुलसी, तुकाराम, नरसी मेहता, रस्किन तथा टालस्टाय की परम्परा आ विराजी थी। रामनरेश त्रिपाठी के “पथिक”, “मिलन” तथा “स्वप्न” में अहिंसा को चरितार्थ होते दिखाया गया है। सियारामशरण गुप्त का “आत्मोत्सर्ग” तथा “उन्मुक्त” अहिंसा का पक्षधर है। “उन्मुक्त” का युद्धवादी पुष्पदन्त पूर्ण अहिंसावादी हो जाता है। सुमित्रानन्दन पन्त कहते हैं “सत्य-अहिंसा से आलोकित होगा मानव का मन।” सोहनलाल द्विवेदी का अभिमत है—

- “अहिंसा हो जीवन का मर्म।”

गुप्तजी के “अवध” का नायक मधु अहिंसावादी है। माखनलाल त्रिवेदी ‘एक भारतीय आत्मा’ ने गांधीजी के अहिंसक रूप को “निःशस्त्र सेनानी” के

रूप में सर्व प्रथम हिंदी-साहित्य में प्रस्तुत किया था। कवियों ने स्वाधीनता प्राप्ति का साधन अहिंसा को नाता। डॉ. हरि शंकर शर्मा लिखते हैं—

“सत्य, अहिंसा वत का बल हो।”

स्व. नेपालीजी अहिंसात्मक बलिदान का समर्थन करते हैं—

‘है अपूर्व यह युद्ध हमारा, हिंसा की न लड़ाई है,  
नंगी छाती को तोपों के, ऊपर विकट चढ़ाई है।’

सुधीन्द्र अहिंसा के स्थान को सबसे अधिक महत्त्व देते हैं—

“अणुबम्ब से है नहीं, अहिंसा  
से है जग का कल्याण।”

नरेन्द्र शर्मा के शब्दों में गांधीजी ने अहिंसक क्रान्ति द्वारा इतिहास में एक नूतन अध्याय का समारम्भ किया है—

“क्रान्ति यो जग में हुई अबतक कई,  
पर अहिंसा क्रान्ति की संज्ञा नई, शैली नई।  
साध्य, साधक और साधन में न हो व्यवधान जब,  
क्रान्ति तव मंगलमई, करुणामई।”

सुभद्राकुमारी चौहान भी अहिंसात्मक साधनों में अपनी आस्था उडेलती हैं—

“हमारी प्रतिभा साध्वी रहे,  
देश के चरणों पर ही चढ़े,  
अहिंसा के भावों में मस्त,  
आज यह विश्व जीतना पड़े।”

राजेन्द्रसिंह रघुवंशी का कथन है कि—

“दिखलाओ वह शक्ति, आसुरी वृत्ति सभी मिट जाए,  
भिड़ो अहिंसा शान्ति अस्त्र से, यशकेतन लहराए।”

“नवीन” के “हम विषपायी जनम के” की “सिरजन की ललकारे मेरी” नामक लम्बी कविता और दिनकर की पुस्तक “हुंकार” (सन् १९३८) की कविता “कल्पना की दिशा” में हिंसा-अहिंसा के संघर्ष को काफी उभार मिला है। लक्ष्मीप्रसाद मिस्त्री “रमा” के गांधी-गौरव दोहों में मिलता है—

“सत्य-अहिंसा-एकता, अरु अछूत उद्धार।  
हुआ इन्ही के लिए था, गांधी का अवतार।”

गांधीजी पर लिखित गीता, रामायण, मानस तथा पुराण में अहिंसक प्रतिपादन मिलता है। ठाकुर गोपालशरणसिंह ने गांधीजी पर लिखे महाकाव्य “विराट-रथ” का अन्त इन पक्तियों से किया है—



“अहिंसा का कर दिव्य प्रयोग,  
चित्त में की तुमने जो क्रान्ति ।  
उसी के फलस्वरूप सुखभूल,  
प्राप्त हो सकती है चिर शांति ।”

अम्बिका प्रसाद “दिव्य” भी “गांधी-पारायण” में यह कामना करते हैं—  
“हो अहिंसा पथ-प्रदर्शक, सत्य का हो सूर्य ।  
नहीं भटका सके तम में, भंवर में खद्योत ।”

हिन्दी गद्य में गांधीवादी अहिंसा को प्रेमचन्द, जैनन्द्रकुमार, सेठ गोविन्द दास तथा अनन्तगोपाल शेवडे मुखर बनाते हैं । सेठ गोविन्ददास के “अशोक” तथा “प्रकाश” नामक नाटकों में अहिंसा को स्थान मिला है । हरिकृष्ण “प्रेमी” के “बन्धन” तथा “स्वर्ण-विहान” नाटकों में हिंसा पर अहिंसा की विजय बतलायी गयी है । प्रेमचन्द के “जुलूस” तथा “समरयात्रा” में गांधीवादी अहिंसा के दर्शन मिलते हैं । अमरेश-बहादुरसिंह “अमरेश” ने “देवता: मेरे देश का” और डॉ हरीराम मिश्र ने पांच एकांकियों में गांधीजी के अहिंसा के प्रयोगों को सृजन की भाषा में बांधा है । चिरजीत के नाटक “मन्दिर की जोत” लक्ष्मी नारायण मिश्र के नाटक “मृत्युजय” तथा डॉ रामकुमार वर्मा के एकांकी “बापू” में अहिंसा की प्रतिच्छाया है । भागवत प्रसाद के उपन्यास “यात्रा और उपलब्धि” (सन् १९६९) में पशु-मन के उन्मूलन के लिए अहिंसा, साम्य, सर्वोदय, पचशील जैसे तत्त्वों का सहारा लेकर निरन्तर संघर्ष की बात कही गयी है । मानव-मन की यात्रा पशु-मन से शुरू होकर लिफन, गांधी और विनोबा भावे के मन तक पहुंचती है ।

भवानीप्रसाद मिश्र “गांधी पंचगती” की एक कविता “अहिंसा और लोकतन्त्र” में कहते हैं—

“अगर साध्य हम शुद्ध रखे तो  
सभी राष्ट्र सम्पूर्ण स्वराज्य भोगनेवाले  
बन जायेंगे और राष्ट्र छोटे-से छोटे  
महाद्वीप जैसे राष्ट्रों की तरह  
सुखी, निश्चिंत रहेंगे,  
किन्तु तभी जब,  
लोकतन्त्र के तट में बंधकर  
लौत अहिंसा के निर्मल स्वच्छन्द वहेगे ।”


गांधीजी ने अहिंसा को विधेयात्मिका शक्ति से आपूर्ण किया । उसमें श्रमण संस्कृति की अभावात्मक अहिंसा के साथ गीता के निष्काम कर्मयोग का सम्मिश्रण है । “गांधी ज्ञान गीता” में “अहिंसा” के विषय में लिखा गया है—

“जनजोरों का नहीं, अहिंसा  
है वीरों का धर्म ।  
कायरता से बढ़कर जग में,  
कोई नहीं अघर्म ।”

“बापू को बाणों” में निरंकार देव सेवक इसी सूत्र को विकसित करते  
हैं—

‘सूर्य अहिंसा का अम्बर में,  
जब है चमक दिखाता ।  
श्रेय घृणा का अन्धकार,  
तब तितर-वितर हो जाता ॥”

—ब-६. प्रोफेसर्स बंगलो, सागर विश्वविद्यालय. सागर-४६०००३



## हिंसक शेर अहिंसक बना

□ श्री बलवन्त सिंह हाड़ा

गागरोन गढ़ के राजा पीपाजी परम भक्त थे । उनकी हारकाधीश के दर्शन करने की अभिलाषा हुई तो वे पत्नी सहित हारका पहुँच गये । वापस लौटते समय दरा के सघन वन में मार्ग में शेर लड़ा मिला । उनकी पत्नी डर गई लेकिन पीपाजी निडर उसके सामने चले गये । भक्त पीपा को देखते ही उसके हृदय में परिवर्तन हो गया । वह चुपचाप खड़ा हो गया । ऊपर पीपाजी ने शेर में नरसिंह भगवान का ध्यान कर लिया ।

शेर ने पीपाजी के पैर चाटे और पीपाजी ने भाता उससे गले से जानकी । शेर अब अहिंसक बन गया । किसी भी जानवर का भिन्नार कर न कर दिया । कहा जाता है कि शीघ्र अपना पैर त्याग कर मान में परम जगत्प्रसिद्ध नरसी मेहता बनकर प्रकट हुआ ।



३. **करुणा भाव**—सभी जीव सुख चाहते हैं उनके सुख में बाधक न बने बल्कि उनके सुख में निमित्त बने, उनके दुःख में अपना दुःख समझे, उसे दूर करने का भाव-प्रयत्न करें। जिसमें करुणा नहीं, दया नहीं तो प्रेम, मैत्री, उदारता, सहानुभूति, सहयोग, क्षमाशीलता, उपकार की भावना कैसे उदित हो सकती हैं, जो अहिंसा के मुख्य लक्षण है। सभी जीव सुखी हों, विषमता से समता में आयें। दुःख है आधि-संकल्प विकल्प चिंताओं का विकारो का, व्याधि-शरीर के रोगों का, उपाधि देह-स्त्री पुत्रादिक कुटुम्ब, धन, वैभव पद प्रतिष्ठा का इन्हें मिटाने व समाधि में स्थित हों, सुखी हों, ऐसी दया भावना-यही स्व-पर करुणा अहिंसा की मूर्ति है।

४. **मध्यस्थ भावना**—सभी जीव कर्म सहित है, कर्मों के कारण देह, कुटुम्ब, व्यवहारीजन, धन, वैभव, पद, प्रतिष्ठा आदि का संयोग होता है। इनमें न किसी के प्रति अनुकूलता मानकर राग करना है और न किसी को प्रतिकूल मानकर द्वेष करना है। क्योंकि व्यक्ति, वस्तुएँ, परिस्थितियाँ न अनुकूल होती हैं और न प्रतिकूल होती हैं। जो आज जिस रूप में है, वह कल किस रूप हो जायेगी, रहेगी भी या नहीं? तथा कर्मों के उदय फलस्वरूप ऐसे संयोग जुटे हैं उनमें क्या हर्ष, शोक, इष्ट-अनिष्ट, शत्रु-मित्र, लाभ-हानि, मान अपमान की कल्पना करना। सर्वत्र मध्यस्थ भाव से समभाव से, उदासीनता से, हित रूप हो वैसे शुक्लभावो में रहना अहिंसा है।

५. **विषयों की मन्दता अथवा जितेन्द्रियता**—पदार्थों का सच्चा बोध होने पर मानव मात्र शरीरादि के निर्वाह हेतु तथा संयम के लिए मुक्त होने के लिए इन इन्द्रिय विषयभोगों में आसक्त न हो, जितेन्द्रिय होने का सफल प्रयास करे तो इतनी दौड़ धूप, तृष्णा, लालसा, भूठ, कपट, चोरी, अन्याय न हो तो सर्वत्र समता, प्रेम, मैत्री, करुणा, मध्यस्थता के भाव जाग्रत होकर सुखी हो सकता है। मुक्त हो सकता है, यही अहिंसा का मूल मंत्र है।

(६) **कषाय की उपशान्तता**—मानव सामाजिक प्राणी है। उसे समाज में, कुटुम्ब में, राष्ट्र में, लोक में, सर्व प्राणीजगत् में रहना पड़ता है—जब तक मुक्त न हो जाये। अतः कई प्रसंग-परिस्थितियाँ कब, कैसे, किस प्रकार आ सकती हैं; उनमें न कहीं क्रोध, मान, माया, लोभ, राग-द्वेष करे, न उत्तेजित हो, न आसक्त हो, क्योंकि ये सभी प्रसंग कर्मनुसार मिले हैं। अब पुनः ऐसे कर्म नहीं करने हैं जिससे कर्मबन्धन हो और चतुर्गति में भ्रमण करना पड़े, बलेश कष्ट भुगतना पड़े। कषाय ही जनम-मरण की शृंखला को बढ़ाने वाले भयंकर विषतुल्य है। अतः जनम-मरण, दुःख भोग, पीड़ा सहन करनी पडती है। अतः अहिंसा का नाधक विचारपूर्वक, विवेक पूर्वक, सोच समझ कर अशुद्ध परिणामो को घातक समझकर शुद्ध सहज स्व-पर कल्याणकारी समता भाव से वर्तन करे।

३. जीव कर्म सहित अनादि से है । जीव चेतन रूप अरूपी असंख्यात प्रदेशी है, अनंत गुण पर्यायो से युक्त है । ज्ञान दर्शन चारित्र्य सुख वीर्य आदि इसके गुण हैं । उपयोग इसका असाधारण गुण है । जबकि पुद्गल कर्म अजीव है, जड़ है, रूपो है, वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श शब्द रूप है । यह भी अपने ही अनंत गुण पर्यायो से युक्त है । जीव अपनी अज्ञानता से मोहदशा से राग-द्वेषादि विकारी भावो से कर्म युक्त है और कर्मों के उदय से देह, कुटुम्ब, धन, वैभव आदि का प्रसंग सयोग होता है । कर्मों का बन्ध भी जीव अज्ञान, मोह, राग-द्वेषादि भाव कर्मों से करता है । जो-जो देह जीव धारण करता है उसी में उसी की इन्द्रिय विषय भोगो में आसक्त बना रहता है इसलिए स्वयं ही स्वयं से अनभिज्ञ होने से स्वयं का शत्रु बना हुआ है, अपने ही गुणो को आवृत्त किये हुए है । यही दशा वैभाविक संसारी कहलाती है । अतः इन गुणो का घात प्रति समय करता रहता है, यही हिंसा है जिससे सच्चा ज्ञान-दर्शन-चारित्र्य-सुख-वीर्य आदि गुण प्रगट नहीं हो पा रहे हैं ।

४, जीव मानव भव में विनयी सरल परिणामी होकर, कुसंग से हटकर, सत्संग में सद्बिचार करे, जीवादि तत्त्वो का बोध करे, मोक्षमार्ग—संसारमार्ग को यथावत् समझे तो वह देहाधीन अवस्था से, जनम-मरण से, सभी सयोगो से तथा संयोगी निमित्ताधीन विकारी भावो से मुक्त हो सकता है । इनमें हित रूप साधनो का प्रयोग करे अहित रूप साधनो का प्रयोग त्यागे तो ही कल्याण सम्भव है । उन हित रूप साधनो में अहिंसा सर्वोच्च है ।

उपर्युक्त बोध होने पर अहिंसा क्या है और वह आज के मानव-युवा पीढी के लिए कैसे हित रूप हो सकती है, इसे समझा व्र आचरण किया जा सकता है ।

**अहिंसा का मौलिक स्वरूप : मैत्री भाव—**

१. प्राणी मात्र को आत्म तुल्य समझे, समान समझे, किसी से भी वैर-विरोध शत्रुता का, ऊँच-नीच का भाव नहीं हो, यहा तक कि सिद्ध समान सभी आत्माएँ हैं । सभी के सुख-दुःख उन्ही को अज्ञानता से है, सच्चा सुख ज्ञान होने पर स्वयं में ही रहा हुआ है तो अन्य के प्रति विषम भाव उत्पन्न नहीं हो सकता और न ही वैसी प्रवृत्ति हो सकती है जिससे दूसरे को कष्ट हो पीड़ा हो ।

२. प्रमोद भाव—सच्चा बोध होने पर गुण दृष्टि, गुण जिज्ञासा, गुण स्मरण, गुण ग्राहकता का भाव उत्पन्न हो सकता है तथा कुसंग से कुदेवादि की मान्यता से रहित सुदेवादि सत्संग के प्रति हर्ष भाव, प्रसन्नता का भाव उत्पन्न हो सकता है । दोष दृष्टि हिंसा है, घातक है जिसमें पर-निन्दा-ईर्ष्या-रोप-ग्लानि-क्लेश-द्वेष-शोक-भय चिन्ता आकुलता-व्याकुलता-अनिष्ट की चाह, अनिष्ट का वियोग-नाश की बुद्धि पनपती है जो हिंसा है । अतः स्व-दोष दृष्टि हो, पर गुण दृष्टि हो तो उसमें समभाव-सहज भाव उत्पन्न हो सकते हैं ।

३. करुणा भाव—सभी जीव सुख चाहते हैं उनके सुख में बाधक न बने वल्कि उनके सुख में निमित्त बने, उनके दुःख में अपना दुःख समझे, उसे दूर करने का भाव-प्रयत्न करे। जिसमें करुणा नहीं, दया नहीं तो प्रेम, मैत्री, उदारता, सहानुभूति, सहयोग, क्षमाशीलता, उपकार की भावना कैसे उदित हो सकती हैं, जो अहिंसा के मुख्य लक्षण हैं। सभी जीव सुखी हों, विषमता से समता में आये। दुःख है आधि-संकल्प विकल्प चिंताओं का विकारो का, व्याधि-शरीर के रोगों का, उपाधि देह-स्त्री पुत्रादिक कुटुम्ब, धन, वैभव पद प्रतिष्ठा का इन्हें मिटाने व समाधि में स्थित हों, सुखी हों, ऐसी दया भावना-यही स्व-पर करुणा अहिंसा की मूर्ति है।

४. मध्यस्थ भावना—सभी जीव कर्म सहित हैं, कर्मों के कारण देह, कुटुम्ब, व्यवहारीजन, धन, वैभव, पद, प्रतिष्ठा आदि का संयोग होता है। इनमें न किसी के प्रति अनुकूलता मानकर राग करना है और न किसी को प्रतिकूल मानकर द्वेष करना है। क्योंकि व्यक्ति, वस्तुएँ, परिस्थितियाँ न अनुकूल होती हैं और न प्रतिकूल होती हैं। जो आज जिस रूप में है, वह कल किस रूप में जायेगी, रहेंगी भी या नहीं? तथा कर्मों के उदय फलस्वरूप ऐसे संयोग जुटे हैं उनमें क्या हर्ष, शोक, इष्ट-अनिष्ट, शत्रु-मित्र, लाभ-हानि, मान अपमान की कल्पना करना। सर्वत्र मध्यस्थ भाव से समभाव से, उदासीनता से, हित रूप में वैसे शुक्लभावों में रहना अहिंसा है।

५. विषयों की मन्दता अथवा जितेन्द्रियता—पदार्थों का सच्चा बोध होने पर मानव मात्र शरीरादि के निर्वाह हेतु तथा संयम के लिए मुक्त होने के लिए इन इन्द्रिय विषयभोगों में आसक्त न हो, जितेन्द्रिय होने का सफल प्रयास करे तो इतनी दौड़ धूप, तृष्णा, लालसा, झूठ, कपट, चोरी, अन्याय न हो तो सर्वत्र समता, प्रेम, मैत्री, करुणा, मध्यस्थता के भाव जाग्रत होकर सुखी हो सकता है। मुक्त हो सकता है, यही अहिंसा का मूल मंत्र है।

(६) कषाय की उपशान्तता—मानव सामाजिक प्राणी है। उसे समाज में, कुटुम्ब में, राष्ट्र में, लोक में, सर्व प्राणीजगत् में रहना पड़ता है—जब तक मुक्त न हो जाये। अतः कई प्रसंग-परिस्थितियाँ कब, कैसे, किस प्रकार आ सकती हैं; उनमें न कहीं क्रोध, मान, माया, लोभ, राग-द्वेष करे, न उत्तेजित हो, न आसक्त हो, क्योंकि ये सभी प्रसंग कर्मानुसार मिले हैं। अब पुनः ऐसे कर्म नहीं करने हैं जिससे कर्मबन्धन हो और चतुर्गति में भ्रमण करना पड़े, बलेश कष्ट भुगतना पड़े। कषाय ही जनम-मरण की शृंखला को बढ़ाने वाले भयकर विषतुल्य हैं। अतः जनम-मरण, दुःख भोग, पीडा सहन करनी पड़ती है। अतः अहिंसा का नाशक विचारपूर्वक, विवेक पूर्वक, सोच समझ कर अशुद्ध पणिणामो को घातक नमस्कार शुद्ध सहज स्व-पर कल्याणकारी समता भाव से वर्तन करे।

३ जीव कर्म सहित अनादि से है । जीव चेतन रूप अरूपी असंख्यात प्रदेशी है, अनंत गुण पर्यायो से युक्त है । ज्ञान दर्शन चारित्र्य सुख वीर्य आदि इसके गुण हैं । उपयोग इसका असाधारण गुण है । जबकि पुद्गल कर्म अजीव है, जड़ है, रूपो है, वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श शब्द रूप है । यह भी अपने ही अनंत गुण पर्यायों से युक्त है । जीव अपनी अज्ञानता से मोहदशा से राग-द्वेषादि विकारी भावों से कर्म युक्त है और कर्मों के उदय से देह, कुटुम्ब, धन, वैभव आदि का प्रसंग संयोग होता है । कर्मों का बन्ध भी जीव अज्ञान, मोह, राग-द्वेषादि भाव कर्मों से करता है । जो-जो देह जीव धारण करता है उसी में उसी की इन्द्रिय विषय भोगों में आसक्त बना रहता है इसलिए स्वयं ही स्वयं से अनभिज्ञ होने से स्वयं का शत्रु बना हुआ है, अपने ही गुणों को आवृत्त किये हुए है । यही दशा वैभाविक संसारी कहलाती है । अतः इन गुणों का घात प्रति समय करता रहता है, यही हिंसा है जिससे सच्चा ज्ञान-दर्शन-चारित्र्य-सुख-वीर्य आदि गुण प्रगट नहीं हो पा रहे हैं ।

४, जीव मानव भव में विनयी सरल परिणामी होकर, कुसंग से हटकर, सत्संग में सद्बिचार करे, जीवादि तत्त्वों का द्रोह करे, मोक्षमार्ग—ससारमार्ग को यथावत् समझे तो वह देहाधीन अवस्था से, जनम-मरण से, सभी संयोगों से तथा संयोगी निमित्ताधीन विकारी भावों से मुक्त हो सकता है । इनमें हित रूप साधनों का प्रयोग करे अहित रूप साधनों का प्रयोग त्यागे तो ही कल्याण सम्भव है । उन हित रूप साधनों में अहिंसा सर्वोच्च है ।

उपर्युक्त बोध होने पर अहिंसा क्या है और वह आज के मानव-युवा पीढ़ी के लिए कैसे हित रूप हो सकती है, इसे संभ्रात आचरण किया जा सकता है ।

**अहिंसा का मौलिक स्वरूप : मैत्री भाव—**

१. प्राणी मात्र को आत्म तुल्य समझे, समान समझे, किसी से भी वैर-विरोध शत्रुता का, ऊँच-नीच का भाव नहीं हो, यहाँ तक कि सिद्ध समान सभी आत्माएँ हैं । सभी के सुख-दुःख उन्हीं की अज्ञानता से है, सच्चा सुख जान होने पर स्वयं में ही रहा हुआ है तो अन्य के प्रति विषम भाव उत्पन्न नहीं हो सकता और न ही वैसी प्रवृत्ति हो सकती है जिससे दूसरे को कष्ट हो पीडा हो ।

२. प्रमोद भाव—सच्चा बोध होने पर गुण दृष्टि, गुण जिज्ञासा, गुण स्मरण, गुण ग्राहकता का भाव उत्पन्न हो सकता है तथा कुसंग से कुदेवादि की मान्यता से रहित सुदेवादि सत्संग के प्रति हर्ष भाव, प्रसन्नता का भाव उत्पन्न हो सकता है । दोष दृष्टि हिंसा है, घातक है जिसमें पर-निन्दा-ईर्ष्या-रोष-ग्लानि-क्लेश-द्वेष-शोक-भय चिन्ता आकुलता-व्याकुलता-अनिष्ट की चाह, अनिष्ट का वियोग-नाश की वृद्धि पनपती है जो हिंसा है । अतः स्व-दोष दृष्टि हो, पर गुण दृष्टि हो तो उसमें समभाव-सहज भाव उत्पन्न हो सकते हैं ।

३. करुणा भाव—सभी जीव सुख चाहते हैं उनके सुख में बाधक न बने बल्कि उनके सुख में निमित्त बने, उनके दुःख में अपना दुःख समझे, उसे दूर करने का भाव-प्रयत्न करे। जिसमें करुणा नहीं, दया नहीं तो प्रेम, मैत्री, उदारता, सहानुभूति, सहयोग, क्षमाशीलता, उपकार की भावना कैसे उदित हो सकती हैं, जो अहिंसा के मुख्य लक्षण है। सभी जीव सुखी हों, विषमता में समता में आये। दुःख है आधि-संकल्प विकल्प चिंताओं का विकारों का, व्याधि-शरीर के रोगों का, उपाधि देह-स्त्री पुत्रादिक कुटुम्ब, धन, वैभव पद प्रतिष्ठा का इन्हे मिटाने व समाधि में स्थित हों, सुखी हों, ऐसी दया भावना-यही स्व-पर करुणा अहिंसा की मूर्ति है।

४. मध्यस्थ भावना—सभी जीव कर्म सहित हैं, कर्मों के कारण देह, कुटुम्ब, व्यवहारीजन, धन, वैभव, पद, प्रतिष्ठा आदि का संयोग होता है। इनमें न किसी के प्रति अनुकूलता मानकर राग करना है और न किसी को प्रतिकूल मानकर द्वेष करना है। क्योंकि व्यक्ति, वस्तुएँ, परिस्थितियाँ न अनुकूल होती हैं और न प्रतिकूल होती हैं। जो आज जिस रूप में है, वह कल किस रूप में जायेगी, रहेंगी भी या नहीं? तथा कर्मों के उदय फलस्वरूप ऐसे संयोग जुटे हैं उनमें क्या हर्ष, शोक, इष्ट-अनिष्ट, शत्रु-मित्र, लाभ-हानि, मान अपमान की कल्पना करना। सर्वत्र मध्यस्थ भाव से समभाव से, उदासीनता से, हित रूप हो जैसे शुक्लभावों में रहना अहिंसा है।

५. विषयों की मन्दता अथवा जितेन्द्रियता—पदार्थों का सच्चा बोध होने पर मानव मात्र शरीरादि के निर्वाह हेतु तथा संयम के लिए मुक्त होने के लिए इन इन्द्रिय विषयभोगों में आसक्त न हो, जितेन्द्रिय होने का सफल प्रयास करे तो इतनी दौड़ धूप, तृष्णा, लालसा, झूठ, कपट, चोरी, अन्याय न हो तो सर्वत्र समता, प्रेम, मैत्री, करुणा, मध्यस्थता के भाव जाग्रत होकर सुखी हो सकता है। मुक्त हो सकता है, यही अहिंसा का मूल मंत्र है।

(६) कषाय की उपशान्तता—मानव सामाजिक प्राणी है। उसे समाज में, कुटुम्ब में, राष्ट्र में, लोक में, सर्व प्राणीजगत् में रहना पडता है—जब तक मुक्त न हो जाये। अतः कई प्रसंग-परिस्थितियाँ कब, कैसे, किस प्रकार आ सकती हैं; उनमें न कहीं क्रोध, मान, माया, लोभ, राग-द्वेष करे, न उत्तेजित हो, न आसक्त हो, क्योंकि ये सभी प्रसंग कर्मानुसार मिले हैं। अब पुनः ऐसे कर्म नहीं करने हैं जिन्हें कर्मबन्धन हो और चतुर्गति में भ्रमण करना पड़े, बलेश कष्ट भुगतना पड़े। कषाय ही जनम-मरण की शृंखला को बढ़ाने वाले भयकर विषतुल्य हैं। अतः जनम-मरण, दुःख भोग, पीड़ा सहन करनी पडती है। अतः अहिंसा का माधक विचारपूर्वक, विवेक पूर्वक, सोच समझ कर अशुद्ध पणिणामो को घातक नमस्कार शुद्ध सहज स्व-पर कल्याणकारी समता भाव से वर्तन करे।



(७) विशालता—अहिंसा विराट् स्वरूप को लिए हुए है। उसकी आराधना का अधिकारी प्रत्येक प्राणी है। वह किसी जाति, कुल, मत, गच्छ, सम्प्रदाय, क्रियाकाण्ड, वेष, लिंग से सबधित नहीं, वीतरागता ही अहिंसा है। प्रभु का दिव्य उपदेश सार्वजनीन है, सर्वकल्याणक है। सम्प्रदाय विहीन, निष्पक्ष तटस्थ दृष्टिवन्त ही विनाल हृदय से आराधना कर सकता है। कोई प्रतिबद्धता उसके लिए नहीं। विवेक पूर्वक वीतराग मार्ग की आराधना में किसी का अहित सभव नहीं। स्वच्छ, साफ, निर्मल, निर्विकारी हृदय चाहिये। सबके प्रति समभाव, सहिष्णु सहयोग की भावना से युक्त साधक का जीवन सर्वांगीण विकास कर पाता है।

(८) व्यसनमुक्ति—मानव प्रकृति ही अहिंसक है। उसके अंग प्रत्यंग ही ऐसे हैं जिसका सारा संबंध शाकाहार से है। सात्विक खान-पान, रहन-सहन सदाचार, दुर्व्यसनों से मुक्त जीवन मानवीय जीवन है। मास-मदिरा, शहद, मक्खन, जुआ, सट्टा, शिकार, परस्त्रीगमन, वैश्यागमन, चोरी ये तो सर्वथा त्याज्य हैं ही किन्तु रात्रि भोजन, जमीकन्द, बीडी, भांग, जरदा, हुक्का, होटलो का खाना, तामसी पदार्थों का उपयोग, सात्विक अहिंसक व्यक्ति के लिए इनका त्याग अत्यन्त जरूरी है। मानवीय जीवन में शुद्ध शाकाहार आरोग्य जीवन के लिए जरूरी है तो मानसिक शुद्ध चिन्तन विचार, सत्य-हितमित मधुर वाणी, काया से इन्द्रियों से विनम्रता, सरलता, शिष्टता, सेवा, परोपकार की भावना-प्रवृत्ति मानव की शोभा है। अतः कुसंग से, दुष्ट प्रवृत्तियों से, दुष्ट आचरण से मुक्त रहना, सुसंग में सदाचार पनपे, सात्विकता संयमितता आए, जिसमें अहिंसा का निर्वाह हो सके अर्थात् किसे भी कष्ट न हो, बाधा न हो, क्लेश का भाजन न बने।

(९) व्यापार वाणिज्य-व्यवसाय—जीवन-निर्वाह के लिए व्यवसाय नौकरी-धधा करना ही पड़ता है। किन्तु वह सात्विक हो, संयमित हो, आवश्यकता से अधिक नहीं हो तो सामाजिक, राष्ट्रीय शोषण से बच सकता है। जमाखोरी, जमीदारी, अमीरीपन, सुख, सहेलियापन, भोग-विलासिता के साधनों की लालसा हिंसामय है, विषमता, असमानता उत्पन्न करती है, प्रेम, मैत्री व समभाव का विघातक है। विषमता से, स्वार्थपरता से, तृष्णा से, लड़ाई, फूट, मतभेद, संघर्ष, गरीबी-अमीरी की भेद रेखा बढ़ती है। यह समाज का दूषण है। अहिंसा इनका समाधान है। सबको यथा योग्य अजीविका हो, सुख-सामग्री मिले सभी सुखमय जीवन जिये। जिन धन्धों में विषय विकार बढ़े, तामसिकता बढ़े, हिंसा हो, कपटजाल, मोह, राग, द्वेष बढ़े यह सब अहिंसा के घातक हैं। टेक्स चोरी, मिलावट, खोटा तोल, खोटा माप, कथनी-करनी में अन्तर ये सभी अविश्वास पैदा करते हैं, प्रामाणिकता का हनन करते हैं, तनाव प्रतिक्रियाएँ, उपद्रव, चोरी, डकैती, मार-कूट, अत्याचार आदि को प्रोत्साहन मिलता है। यह

सामाजिक, वैयक्तिक व राष्ट्रीय हिंसा है। अतः आजीविका का साधन सात्त्विक, आवश्यकतानुसार हो, पर पीड़ा से रहित, सद्गुणों का पोषक हो।

(१०) प्रदर्शन रहित जीवन हो—आज श्रृंगार के साधन पंचेन्द्रिय जीवों के घात से बनाये जा रहे हैं जिनका उपयोग केवल शृंगार, दिखावा, प्रदर्शन, अश्लीलता बढ़ाने वाला है। हाथी, वन्दर, खरगोश, गाये, भेड़े आदि कई प्रकार के जीवों की हत्या हो रही है। उनके चमड़े से, चरबी से, मांस से, हड्डियों से कई प्रकार के साधन बनाकर जीवन चर्या में काम लिए जा रहे हैं। कहाँ अहिंसा, कहाँ दया, कहाँ प्रेम, कहाँ सहानुभूति, कहाँ सात्त्विकता, कहाँ कल्याणी भावना आज रही है? सोचनीय विषय है। ये वस्तुएँ जीवन को बरबाद करने वाली हैं। सात्त्विकता का नाश करती हैं, इनसे बचे।

आज मानवीय जीवन जो मात्र मुक्ति की आराधना के लिए मिला है, अहिंसा, सत्य आदि की पालना करते हुए रत्नत्रय धर्म की आराधना के लिए मिला है। वह नासमझी के कारण, शुद्ध सात्त्विक संस्कारों की कमी के कारण, असत्संग का कुसंग का भयकर प्रभाव होने से सत्संग का माहात्म्य घटा देने से, नाना प्रकार के विषैले हिंसामय वातावरण से विकृत हो रहा है। आज की युवापीढ़ी को जिसे सिवाय बाह्य शिक्षा, बाह्य जीवन विलासी कैसे हो, धन, शक्ति, प्रतिष्ठा कैसे बढ़े, की ही चिन्ता है। उन्हें सुसंस्कारित करने के लिए आज आध्यात्मिक, सत्संग की, सात्त्विक आचरण की परम आवश्यकता है। जिस सुख शान्ति व आनन्द के पीछे युवावर्ग पड़ा है, जिसे वह बाह्य में ढूँढ रहा है, ढाँड़ रहा है, अनेक आचरण कर रहा है— वह तो संतोष में, पारस्परिक प्रेम, मैत्री, सद्भावना में, उदारता में, कष्ट सहिष्णुता में है, सहयोग में है, सबके उत्थान में है, निर्व्यसनमय जीवन में है। समाज की रचना, व्यवस्था, संगठन, विधान सब होना चाहिए। ऐसे नैतिक सदाचारमय शिक्षण की व्यवस्था हो जहाँ अहिंसा, सत्य ऐसी भावना हो, प्राणी मात्र के कल्याण में ही अपना कल्याण है, देश के प्रति, समाज के प्रति, कुटुम्ब के प्रति और अपने आत्मीय गुणों की आराधना के प्रति मजबूत हो। ऐसे प्रयत्न धर्म मन्दिरों में, स्थानों में, घर में, समाज में होने चाहिए। यदि मानवीय एकता व प्रेम नहीं है तो प्राणीमात्र के कल्याण के लिये कहाँ संभव है? अतः प्रभु महावीर के सन्देश, उनके वचन—शास्त्रों का अन्वय में नित्य प्रति अवलोकन व आचरण हो तो यह युवा पीढ़ी जो भविष्य के समाज निर्माता है, सुधर सकती है। हर स्तर पर सुधार लाना आवश्यक नहीं तो बढ़ता हुआ मांसोपभोग, तोड़-फोड़ विषमता नहीं रक सकेगी। हम अज्ञान, बुद्धिवर्ग, विचारक इस पर गहराई से सोचे-समझे और तदनु रूप लें।

## अहिंसा जीवन में कैसे उतरे ?



□ श्री जशकरण डागा

संसार के सभी धर्मों में अहिंसा सर्वश्रेष्ठ है और सर्व मान्य है इसीलिए कहा गया है—“अहिंसा परमो धर्मः ।” कोई धर्म या पथ ऐसा नहीं कि जिसमें अहिंसा को स्थान न हो । संसार की समस्त सुख शान्ति, आचार-विचार व्यवस्था अहिंसा की धुरी पर आधारित है । यदि अहिंसा की धुरी न रहे तो समस्त जगत् अशान्ति, कलह, सघर्ष, मार-काट आदि से साक्षात् नरक बन जाय तथा महाविनाश और प्रलय भी हो सकता है । आज संसार में बढ़ती अशान्ति का मूल कारण अहिंसा की उपेक्षा है । जब कि अहिंसा के अभाव में एक दिन भी सुख शान्ति से नहीं रहा जा सकता है ।

अहिंसा क्या है ? किसी भी प्राणी को कष्ट न देना, दुःख न देना अहिंसा है । कहा है—‘सर्व भूतेषु सयमं अहिंसा ।’ अर्थात् सब जीवों के प्रति सयम भाव (दुःख न देने का भाव) रखना अहिंसा है । अहिंसा की यह संक्षिप्त व्याख्या है । इसके दो भेद हैं—द्रव्य अहिंसा व भाव अहिंसा । किसी जीव के शरीर, इन्द्रिय व द्रव्य प्राणों को आघात न पहुँचाना द्रव्य अहिंसा है तथा भावों से किसी का अनिष्ट चिंतन न करना भाव अहिंसा है ।

अहिंसा पालन में मुख्य बाधक इसका विरोधी तत्त्व ‘हिंसा’ है और हिंसा की जड़ परिग्रह है । विना परिग्रह के त्याग पूर्ण अहिंसक होना संभव नहीं है । कारण परिग्रह को जानियों ने मास के टुकड़े की उपमा देकर बताया है कि जैसे मास का टुकड़ा कहीं भी सुरक्षित नहीं रहता—स्थल पर हो तो कुत्ते, बिल्ली, मूँग्र आदि, जल में हो तो कच्छ मच्छ व अन्य जलचर आदि, तथा नभ में हो तो गिद्ध, चील कौए आदि उस पर झपट पड़ते हैं वैसे ही जिसके पास परिग्रह है उसे कभी कहीं चैन और शान्ति नहीं मिल पाती है ।<sup>१</sup> परिग्रह भी दो प्रकार का है—द्रव्य परिग्रह और भाव परिग्रह । परिग्रह को भलीभाँति समझने हेतु इसके भेद भी ध्यान में लेना आवश्यक है । द्रव्य परिग्रह नव प्रकार का है—(१) क्षेत्र (जमीन सबधी) (२) वस्तु (३) हिरण्य (चाँदी) (४) मुवर्ण (५) धन (६) धान्य (७) द्विपद (दास दासी पत्नी आदि) (८) चतुष्पद (पशु) तथा (९) कुविय धातु (कासी, पीतल, ताम्बा, लोहा आदि सोने चाँदी के अलावा अन्य धातुएं) ।

१. जैन सिद्धान्त दीपिका ६, १

२. सूत्र कृताग १-१

भाव परिग्रह—चौदह प्रकार का है—(१) मिथ्यात्व (२-५) क्रोध, मान माया, लोभ (६-१४) हास्य, रति, अरति, भय, शोक, दुःख-छा, स्त्री, पुरुष व नपुंसक वेद (कामेच्छा) । 'मूर्च्छा परिग्रह' के अनुसार भाव परिग्रह (आसक्ति भाव) ही सर्व परिग्रह का मूल है । अतः अहिंसा जीवन में कैसे उतरे, इसके लिए यह आवश्यक है कि आज के युग में बढ़ती हुई परिग्रह की विचारधारा को दुःख, अशान्ति व क्लेश का कारण स्पष्ट करते हुए जन-साधारण में, अपरिग्रह अपनाते हेतु व्यावहारिक जीवन को तदनुसार बदलने हेतु प्रेरित किया जावे । जब तक आचार और विचार अहिंसामय न हों, तब तक आज की बढ़ती हिंसा और अशान्ति को नहीं रोका जा सकता । आचार और विचार में भी विचार प्रधान है । विचार-शुद्धि पर विशेष बल दिया जाना चाहिए, कारण जहाँ सात्विक और अहिंसक विचार होंगे वहाँ आचार शुद्धि छाया की तरह साध रहती है, इसीलिए आचार को विचारों का द्योतक माना गया है । कहा है—

“आचार विचार का द्योतक है, चाहे वह कुछ भी कहे नहीं ।  
घन पटल बीच रवि रहकर भी, चलने से पीछे रहे नहीं ॥

विचार शुद्धि कैसे हो ? —

आज के वित्त प्रधान युग में विचारों में कड़ा परिवर्तन आया है अधिकांश व्यक्तियों की मान्यता है कि 'पैसा आवे मुट्टी में, चाहे दुनिया जावे भट्टी में।' जहाँ ऐसे विचार मानस-पटल में जड़ जमाए हों तो जब तक उनका उन्मूलन और परिष्कार नहीं किया जावे, तब तक विचार शुद्धि कैसे संभव है ? पुद्गलानन्दी और भवाभिनन्दी ऐसे प्राणियों को सही विचारों में अवस्थित करने हेतु यह नितान्त आवश्यक है कि उन पर अहिंसा के विचार बलात् लादे न जावे वरन् उनके प्रश्नों और शकाओं को जिनके कारण उन्हें अहिंसा में विश्वास नहीं है, समुचित समाधान किया जावे । उदाहरण के लिए यहाँ पर कुछ ऐसे ही प्रश्न और उनके समाधान प्रस्तुत किए जाते हैं ।

प्रश्न—'जीवो जीवस्य भोजनम्' के अनुसार एक जीव दूसरे जीव का भोजन है । फिर अहिंसा का पालन जीवन में कैसे हो सकता है ?

समाधान—जो उक्ति प्रस्तुत कर कथन किया गया है वही भ्रामक है । यस्तुतः उक्ति 'जीवो जीवस्य भोजनम् नहीं है वरन् जीवो जीवस्य जीवनम् है । जिसका यथार्थ अर्थ है कि एक जीव दूसरे जीव के जीवन में महत्वक है, उप-प्राणी है । जैनाचार्य उमा स्वामी ने इसी बात को अपने इस सूत्र में और भी स्पष्ट कर दी है—“परस्परोपग्रहो जीवानाम् ।” अर्थात् जीवों का जीवन परस्पर

उपकारित है। हमारे प्रत्येक के जीवन का बनाए रखने में अनंत-अनंत जीवों का उपकार है। कदाचित् जीवन में सहायीभूत सभी जीवों को नष्ट कर दिया जावे और मनुष्य अकेला जीवनयापन करना चाहे तो फिर उसका स्वयं का जीवन भी टिक नहीं पायेगा और अन्य सहायी जीवों के अभाव में उसका जीवन घोर दुःख व कष्टों से पूरित हो जायगा। इसी संदर्भ में कुछ समय पूर्व की एक सत्य घटना है। समुद्र के बीच में रहे द्वीप में सर्प बहुत थे। वहाँ के निवासियों ने एक बार उन सबको जीवन घातक मान कर मार डाला। उनके मरने के बाद उस द्वीप में कुछ ही समय बाद, ऐसी भयंकर बीमारी फैली, कि वहाँ मनुष्यों का रहना दूभर हो गया। इस पर जांच करने वाले बड़े-बड़े अन्वेषक व विशेषज्ञ बुलाए गए। उन्होंने खोजकर पता लगाया कि उस द्वीप की जलवायु दूषित हो गई है। उसे ठीक करने हेतु पुनः पूर्ववत् सर्पों को वहाँ बसाया जाना आवश्यक है। अतः फिर दूसरी जगह से सर्पों को लाकर वहाँ पाला गया, तब वहाँ का जन-जीवन सामान्य हुआ। वस्तुतः प्रकृति ने जितने भी जीव-जन्तुगण बनाए हैं, वे सब हमारे जीवन में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सहायक और उपयोगी हैं।

**प्रश्न**—इतिहास बताता है कि राष्ट्र के पराधीन होने का कारण अहिंसा रही है। यदि राष्ट्र को गुलाम करने वालों का मुकाबला करने वाले अहिंसक वृत्ति के न होते तो भारत कभी पराधीन नहीं होता। अतः अहिंसा क्या गुलामी का कारण नहीं है?

**समाधान**—इस प्रकार की विचारणा नितान्त असत्य और भ्रामक है। इतिहास का अवलोकन करने से यह भ्रांति दूर हो जाती है। अहिंसा के पालक जितने भी राजा महाराजा हुए जैसे महाराजा श्रेणिक, अशोक, चन्द्रगुप्त आदि के शासन काल में भारत कभी पराधीन नहीं हुआ, वरन् उनका काल तो इतिहास में स्वर्णिम युग के नाम से प्रसिद्ध रहा है। इसके विपरीत मुगल बादशाहों ने या अंग्रेजों ने कब अहिंसा का पाठ पढा था? फिर उनके शासन का अंत कैसे हो गया? वस्तुतः भारत के पराधीन होने का कारण अहिंसा नहीं, वरन् उस समय की राजनैतिक परिस्थितियाँ थीं। अतः अहिंसा राष्ट्र को गुलाम बनाने वाली है—ऐसी मान्यता ठीक नहीं है।

**प्रश्न**—जीवन में कदम-कदम पर हिंसा होती है। बिना जीव-हिंसा के कोई जीवित नहीं रह सकता, फिर अहिंसा का पालन कैसे संभव है?

**समाधान**—एकबार भ० महावीर से उनके प्रमुख शिष्य गौतम स्वामी ने भी ऐसा प्रश्न पूछा था कि प्रभो! चलने में, बैठने में, खड़े होने में, वान करने में, श्वास लेने में सभी क्रियाओं में जीवों की हिंसा होती है फिर जीव-हिंसा से कैसे बचा जाय? तब भ० महावीर ने इसका बड़ा सुन्दर एवं व्यावहारिक समाधान प्रस्तुत करते हुए कहा था—

“जयं चरे जयं चिन्दे, जयं नास्ते जयं स्तिए ।  
जयं भुजंतो भंसंतो, पावं कर्म न बंधई ॥”

अर्थात् है गौतम ! जयणा (यत्ना) से चलने, जयणा से बैठने, जयणा से सोने व जयणा से बोलने से पाप कर्म नहीं बंधते हैं ।

आशय स्पष्ट है कि प्रत्येक कार्य यत्ना और विवेक पूर्वक करने से, पाप कर्म का बंध नहीं होने से उस हिंसा के विपाक से बचा जा सकता है । गृहस्थ जीवन में सम्पूर्ण अहिंसा का पालन यद्यपि सम्भव नहीं है तथापि वह यत्ना और विवेक पूर्वक सभी कार्य करे तो अहिंसा हिंसा से सहज बच सकता है । एक बार एक जिज्ञानु ने एक विद्वान् से पूछा—“हम कैसे जीवें ?” कारण Living is killing (लिंविंग इज किंलिंग) अर्थात् जीना जीवों को मारना है ।” तब विद्वान् बन्धु ने बड़ा श्रेष्ठ समाधान देते हुए कहा—“Killing least living best” (किंलिग लीस्ट लिंविग बेस्ट) अर्थात् कम से कम जीवों का हनन हो, ऐसा जीवन सर्वोत्तम जीवन है और वह अहिंसा प्रदान होगा ।

इसी प्रकार अन्य दौष्टिक प्रश्न व उनके समाधान विचार-शुद्धि के लिए प्रस्तुत किए जावे जिसने सभी का मान्य हिंसक विचारों से हट कर शुद्ध सात्त्विक अहिंसक विचारों की ओर आकर्षित हो । इस प्रकार जब विचार-शुद्धि होगी तब आचार-शुद्धि जीवन में पतन नकेगी ।

आचार शुद्धि :—

इसका मुख्यतः तीन भागों में वर्गीकरण किया जा सकता है—(१) खान-पान (२) रहन-सहन व चलन तथा (३) व्यापार-व्यवसाय ।

१. खान-पान—जीवन में खानपान का बड़ा महत्त्व है । कहावत है—

जैसा खावें अन्न, वैसा होवे मनु ।

जैसा पीवे पानी, वैसी बोलें वाणी ।

खान-पान शुद्धि हेतु आवश्यक है कि अभक्ष्य पदार्थों का तथा जो नान-निक वृत्ति प्रदान हों, ऐसे आहार का सेवन न करे । आज मांस, मदिरा, शर्करा तथा अन्य नशीली वस्तुओं का सेवन बढ़ता जा रहा है । मद्य-पान का सेवन विवेक 'बहुधा' जैतियों में भी नहीं रहा है । पूर्व में खान-पान से जैन जीवों को बच होती थी । जो जमीकंद का सेवन न करे, रात्रि में भोजन न करे, शरीर को धानकर पीवे, इन तीन बातों में जैन जी पहिचान होती थी । जिन देशों में आज इन तीनों बातों का पालन करने वाले जैन मुस्लिम से श्रेष्ठ उचित माने जाते हैं । अभक्ष्य और रात्रि भोजन न केवल हिंसा को बढ़ावा देता है, बल्कि जो विकृत करता है, वरन् अनेक व्याधियों को उत्पन्न करता है ।

अहिंसा का संचार एव अभिवृद्धि हो तथा आचार ठीक हो, इस हेतु खान-पान की शुद्धि पर ध्यान दिया जाना अति आवश्यक है ।

२. रहन-सहन व चलन—हमारा जीवन अहिंसक हो इस हेतु आचार-शुद्धि का दूसरा प्रमुख उपाय व साधन हमारा रहन-सहन व चलन, सही और अहिंसक वृत्ति का होना आवश्यक है । “सादा जीवन उच्च विचार” के अनुसार हमारा रहन-सहन व उसके साधन—पोशाक, जूते, शृंगार एव विभूषा के साधन सभी सादे और बिना हिंसा के निर्मित किए हुए हो, उन्हें ही अपनाया जावे । जो वस्त्र हिंसा से निर्मित हों जैसे रेशम आदि या जिसमें चर्बी का पुट दिया जाता हो—उन्हे त्यागना आदि । इसी प्रकार कुर्म के जूते का उपयोग न किया जावे । सम्भव हो तो जूते चमड़े के न पहिन कर कपड़े के या प्लास्टिक (रबर) के उपयोग में लिए जावे । इसी प्रकार चर्बी वाले साबुन या क्रीम पाउडर व प्रासाधन-सामग्री जो हिंसा से निर्मित होते हैं, उनका उपयोग न किया जावे । हमारे रहने का आवास भी ऐसा हो जो हिंसा के साधनों से रहित हो । जैसे आवास में हिंसक पशु कुत्ते बिल्ली आदि का पालन न किया जावे । उसमें बन्दूक, तलवार, पशु पक्षियों के ककाल या चर्म व अन्य हिंसक उपकरण भी न रखे जावें जिसमें हिंसक भावनाओं को प्रोत्साहन मिले अनावश्यक पार्क लान, आदि जिनमें पानी वनस्पति आदि की भरपूर हिंसा होती है का सधारण न किया जावे । रहन-सहन के साथ में हमारा चलन भी अहिंसा सम्मत हो । मन, वचन व काया तीनों का चयन भी जहां तक सम्भव हो हिंसक प्रवृत्तियों में न हो, इसका पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए । मन बड़ा चंचल और सदा गतिशील है इस पर सम्यग् नियंत्रण रहे, इस हेतु उसे अशुभ से हटाकर शुभ में लगाए रखा जावे । क्रोध, मान, माया व लोभ ये चार कषाय तथा अज्ञान हिंसा के मूल जन्म दाता हैं । ‘प्रश्न व्याकरण सूत्र’ में कहा गया है—“क्रुद्धा हलति, लुद्धा हलति, मुद्धा हलति ।” अर्थात् “कुछ व्यक्ति क्रोध से हिंसा करते हैं, कुछ व्यक्ति लोभ से हिंसा करते हैं तो कुछ अज्ञान से हिंसा करते हैं ।”

मन से अशुभ विचारों की हिंसा कभी बड़ी भयंकर और दुर्गति का कारण हो जाती है । इसे समझने हेतु जैनागमों में तन्दुल मत्स्य का उदाहरण आता है जो बड़ा मननीय है । तन्दुल मत्स्य चावल से भी छोटा पचेन्द्रिय सजी प्राणी होता है । यह समुद्र में रहने वाले विशालकाय मगर मच्छों के भौहों पर या कान पर बैठा रहता है । जब विशालकाय मगर मच्छ श्वास लेता व छोड़ता है तो उस के मुंह से हजारों मछलियाँ आकर बाहर निकल जाती हैं । यह देख वह तन्दुल मत्स्य विचारता है, कि यह मगर जितना बड़ा है, उतना ही बड़ा मूर्ख है । इतनी ढेर सारी मछलियाँ मुह में आने पर भी उन्हें खाता नहीं है । यदि मेरा शरीर इतना विशाल होता तो मैं एक को भी बिना खाए नहीं छोड़ता । ऐसे अशुभ व क्रूर परिणामों के सकल्प-विकल्पों से वह, सातवीं

नरक में जाने जैसी, मानसिक हिंसा कर तदनुसार बन्ध कर लेता है। इस प्रकार मानसिक हिंसा को असाधारण मानकर मन को कषाय व अज्ञान से हटा शुभ प्रवृत्तियों में लगाने का निरन्तर अभ्यास करना श्रेयस्कर है। शुभ प्रवृत्तियाँ—दान, शील, तप और शुभ भावना—जैसे सभी सुखी हों, सभी का कल्याण हो, कोई दुखी न रहे इत्यादि सद् विचारों में मन को लगाने से न केवल मानसिक हिंसा रुकती है वरन् विशेष पुण्य का भी सहज अर्जन हो जाता है। और शुभ भावना के माध्यम से शुद्ध भावना की प्राप्ति हो, तो वह मौत का कारण होने से कर्म निर्जरा भी करती है।

मन के पश्चात् वचन की प्रवृत्ति पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है। वचन में बड़ी शक्ति होती है। रसना (जिह्वा) मात्र तीन इंच की होते हुए भी वह छः फुट के मनुष्य को मारने व जिलाने की शक्ति रखती है। वह बाग में आग और आग में बाग लगा सकती है। हजारों लाखों प्राणियों का संहार कर सकती है तो उनकी रक्षा भी कर सकती है। महाभारत जैसे महायुद्ध का कारण एक वचन ही तो था। वाणी का उपयोग बिना विवेक और समय के करने में बहुधा व्यक्ति व्यर्थ में ही महा हिंसा के भागोदार बन महा कर्म बन्ध कर लेते हैं। अतः आचार में अहिंसा की तरह वाणी में अनेकान्त और विवेक की आवश्यकता है। जब बोलें हित मित एवं दोष रहित बोलें। 'सत्यं, शिव, मुन्दरम्' के उत्तम भावों से वाणी संयुक्त हो। इस प्रयोग में जो वाणी हिंसा का कारण होती है, वही पुण्य एवं निर्जरा का कारण हो जाती है। मन, वचन के पश्चात् काया का प्रयोग अनावश्यक रूप से हिंसा में नहीं हो, इस पर भी ध्यान दिया जाना आवश्यक है। अनर्थदण्ड की हिंसा प्रायः काया की बिना प्रयोजन हिंसक कार्यों में प्रवृत्ति कराने से होती है। जैसे बैठे-बैठे हरी घास तोड़ना, ताली बजाना, स्नान में अमर्यादित पानी ढोलना इत्यादि। इस प्रकार काया की प्रवृत्तियों में समुचित विवेक से काम लेकर व्यर्थ में होने वाली कायिक हिंसा से भी महज में बचा जा सकता है। जो रीति रिवाज हिंसक हो, उन्हें भी रोकने या बदलने की आवश्यकता है। जैसे विवाह में मडप केले या हरी वनस्पतियों का बनवाना, सामूहिक भोज रात्रि में आयोजित करना व उसमें जमीन्दार (जिससे अनात जीव होते हैं) का उपयोग करना, दीपमालिका पर श्रान्ति एवं पटाखों का प्रयोग करना, होली पर रंग पानी का अत्याधिक प्रयोग करना आदि। ऐसी सभी प्रवृत्तियाँ जो हिंसा को बढ़ावा देने वाली हैं, को रोकना चाहिए।

३. व्यापार-धन्धा—धन्धे दो प्रकार के होते हैं—(१) आर्य और (२) अनाथ। अहिंसक को आर्य धन्धा ही करना योग्य है। आर्य धन्धे भी दो प्रकार के होते हैं—(१) विशेष आरम्भी और (२) अल्पारम्भी। अहिंसा की पालना के लिए आरम्भी धन्धे ही जीविका हेतु करना चाहिए। अल्पारम्भी अर्थात् अनाथों में



मुख्य रूप से-सोने चाँदी, जवाहरात और कपड़े के धन्धे आते हैं। प्राचीन काल में जैनी प्रायः इन तीन धन्धों के अलावा अन्य धन्धे नहीं करते थे चाहे आजी-विका सम्बन्धी कितनी ही परेशानी क्यों न आवे। किन्तु आज तो महा आरभी और अनार्य धन्धों को भी जैनी नि संकोच अपना रहे हैं। जिन कार्यों को पन्द्रह कर्मादान में बताकर निषेध किया गया है, आज वे सब अपनाए जा रहे हैं। हमारा जीवन अहिंसा मय हो इस हेतु यह परम आवश्यक है कि हमारा व्यापार धन्धा भी अल्प आरभ और अल्प हिंसा बाला हो।

**महा पुरुषों के जीवन एवं उपदेशों से अहिंसा की प्रेरणा लेवें :**

संसार में जितने भी महापुरुष हुए हैं वे सभी अहिंसा में विश्वास रखते थे तथा वे सभी अहिंसा के पक्षधर थे। म० महावीर ही नहीं, श्री राम, कृष्ण म० ईसा मसीह, म० गौतम बुद्ध, जरस्थु, हजरत मौहम्मद साहब, म० गाँधी आदि सभी धर्मों के महापुरुषों का जीवन अहिंसा से ओतप्रोत रहा है। अहिंसा को जीवन में विकसित करने हेतु, इन महापुरुषों के जीवन चरित्र बहुत उपयोगी हैं। जो अहिंसा को जीवन में अव्यवहार्य मानते हैं उनकी भ्रान्ति अहिंसा का जीवन्त स्वरूप चरित्र पढ़कर दूर हो जाती है। उदाहरण के लिए म० गांधी का जीवन अवलोकन करे। केवल लगेट व एक चद्दर एव अर्धनग्न रहने वाले इस महापुरुष ने बिना हिंसा का सहारा लिए उस ब्रिटिश सरकार को, जिसके विशाल राज्य में कभी सूर्य अस्त नहीं होता था, पराजित कर भारत को स्वतंत्र करने हेतु, विवश कर दिया। कितनी अजब-गजब की शक्ति है अहिंसा में। जो कार्य खूनी क्रान्ति से भी दुष्कर था, उसे अहिंसा के बल से सहज कर दिखाया गया। अहिंसा के सिद्धान्त जीवन में सहज रूप से उतरे, इस हेतु यह भी आवश्यक है कि महापुरुषों के जीवन चरित्र के साथ २ उनके अहिंसा से संबंधित उपदेशों का भी ध्यान पूर्वक पठन करे। अहिंसा पालन के अनेक सुगम किन्तु स्वर्ण सूत्र महापुरुषों के उपदेशों में पढ़ने को मिलते हैं जिन्हें अपनाकर सहज ही अपने जीवन को अहिंसामय बना सकते हैं। उदाहरणार्थ भ० महावीर द्वारा अहिंसा के संबंध में प्ररूपित अनेक सूत्रों में से एक सूत्र जो 'बृहतकल्प भाष्य' में उल्लेखित है, यहाँ प्रस्तुत है—

“ज इच्छसि अप्पणत्तो, जं च ण इच्छसि अप्पणत्तो ।

तं इच्छ परस्स वि एत्तियग जिण सासणय ॥”

अर्थात् जो अपने लिए चाहते हो, वह दूसरों के लिए भी चाहना चाहिए। जो अपने लिए नहीं चाहते हो, वह दूसरों के लिए भी नहीं चाहना चाहिए। बस इतना मात्र जिन शासन है—तीर्थकरो का उपदेश है।

उपर्युक्त सूत्र गागर में सागर रूप है। इस सूत्र में केवल जैन धर्म का ही नहीं संसार के समस्त धर्मों का सारगर्भित रूप आ जाता है, ऐसा भी कहा जाय तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। 'अहिंसा पालन का उल्लेख न करके भी इस सूत्र में

अहिंसा पालन क्यों, कैसे व अहिंसा किसे कहते हैं आदि सब कुछ सकेत में व्यक्त कर दिया है। सूत्र में सारांश में यह भाव स्पष्ट है कि जैसे सुख-दुःख, भूख-प्यास, मान-अपमान, मरण आदि की अनुभूति हमें होती है वैसे ही दूसरे प्राणियों को भी होती है। अतः हम किसी से भी ऐसा व्यवहार न करें जो हम अपने साथ नहीं चाहते अर्थात् किसी भी प्राणी के प्राणों का हनन न करें। इस सूत्र पर गभीरता से पुनः २ चिंतन मनन किया जाय तो मात्र हम एक सूत्र से जीवन में बड़ा परिवर्तन आ सकता है तथा सारा जीवन अहिंसामय बन सकता है। इसी प्रकार महापुरुषों ने सुदीर्घ साधना एवं विशिष्ट ज्ञान बल से आत्माधियों के लिए अपने उपदेशों में अनेक स्वर्ण-सूत्र ऐसे प्ररूपित किए हैं कि जिनके स्वाध्याय मात्र से न केवल हिंसक वरन् चोर, डाकू, व्यभिचारी, व्यसनी, महापापी और अधर्मियों का जीवन भी सुधर जाता है। ऐसे स्वर्ण सूत्र रूपी मोतियों को प्राप्त करने हेतु महापुरुषों के उपदेश जो सूत्रों में अंकित हैं, का अवलोकन आवश्यक है। कहा है—

“है सूत्र सागर में अनेकों, ज्ञान मोती है पडे ।

पाओ लगा गोता उसी में, ना रहो यो हो खडे ॥”

**व्यावहारिक जीवन में अहिंसक प्रवृत्तियों को महत्त्व देवें :**

हमारा जीवन अहिंसामय हो, इस हेतु एक महत्त्वपूर्ण और कारगर साधन है— व्यवहार में उन प्रवृत्तियों को बढ़ावा देवे जो अहिंसा से जुड़ी हो। ‘जैसे जीव दया मण्डल’ ‘विकलांग सहायता समिति,’ ‘पशु पक्षी क्रूरता निवारण समिति,’ ‘गोशाला,’ ‘पशु बलि निषेध कार्य कारिणी,’ ‘महावीर इन्टर नेशनल समिति,’ ‘पशु-पक्षी कल्याण कोष,’ इत्यादि परमार्थिक संस्थाएँ। जिन्हें जिन परमार्थिक कार्यों में रुचि हो, उधर तन, मन, धन से पूर्ण सहयोग देवे। परमार्थिक कार्य अनेक प्रकार के हो सकते हैं जैसे अनाथ, अपंग, दीन-दृखी, रण, असहाय, विधवा, निर्धन छात्र व ऐसे ही अन्य सहायता-योग्य प्राणियों को आवश्यक सहायता अन्न, वस्त्र, दवा, आर्थिक सहायता आदि करना। निर्दोष पशु-पक्षियों के लिए चारा, पानी, दवा आदि की व्यवस्था करना। रण, बीमार बालकों की यथा संभव सेवा सुश्रूपा व सहायता करना इत्यादि। वैसे ये सभी कार्य जीव दया के होने से अहिंसा से सम्बन्धित हैं। जो भी इन कार्यों में मगनाता है वह महान् पुण्य का भागीदार होता है। अहिंसा उनके जीवन का ध्यान कर उसे सद्पुरुष से महापुरुष बना देती है। अतः जीवन में अहिंसा धर्म को उतारने का यह एक व्यावहारिक, सुगम और ठोस उपाय है।

**अहिंसक साहित्य का प्रचार एवं स्वाध्याय :**

देश और समाज को बदलने में तीन निमित्त मुख्य होते हैं—(१) न्याय (२) साहित्य एवं (३) खान पान व वेष-भूषा। अंग्रेजों ने इन्हीं तीन में ध्यान कर भारत वासियों को पाश्चात्यानुवर्ती बना परार्थीन बनाया था। इन तीनों में भी साहित्य का बड़ा प्रभाव पड़ता है। कहा गया है—

“होगा वहाँ अंधेरा, जहाँ आदित्य नहीं है।  
कैसे करे मुधार, जहाँ साहित्य नहीं है ॥”

सभी का जीवन अहिंसक हो, इस हेतु उत्तम कोटि के अहिंसक साहित्य का प्रकाशन अधिकाधिक करके उसे अमूल्य या अल्पमूल्य में वितरित किया जावे। विद्यालयों, महाविद्यालयों में भी पाठ्यक्रम में अहिंसा से संबंधित साहित्य को सरकार से अनुमोदित करा रखवाया जावे। पुस्तकालयों में भी ऐसे साहित्य को अधिकाधिक उपलब्ध कराया जावे। प्रबुद्ध वर्ग को स्वाध्याय के लिए ऐसा उत्तम साहित्य सर्वत्र उपलब्ध कराया जावे। जो कार्य हजारों उपदेशक नहीं कर सकते, वह काम साहित्य के प्रचार-प्रसार से संभव है। जीवन में हिंसा बढ़ने का एक कारण यह भी रहा है कि आज अहिंसक साहित्य का अभाव और हिंसक प्रवृत्तियों को बढ़ावा देने वाले साहित्य का प्रचुर मात्रा में सर्वत्र प्रचार-प्रसार हो रहा है। इसी तरह रेडियो, टी. वी. सिनेमा आदि में भी मांसाहार, अण्डे सेवन, आदि हिंसक प्रवृत्तियों के बड़े स्तर पर विज्ञापन आदि दिए जा रहे हैं। इन्हें रोक कर अहिंसा का प्रचार हो ऐसे विज्ञापनों को बढ़ावा दिया जावे, ऐसे सद्प्रयास होना आवश्यक है।

**उपसंहार**—संसार के समस्त धर्मों का सारभूत और प्राणी मात्र का कल्याणक तत्त्व अहिंसा है। यह सर्वोत्तम और सर्वोत्कृष्ट है। प्रभु ने भी फरमाया है - ‘धम्मो मंगल मुक्कीटु’ अहिंसा संजमो तवो ।’<sup>१</sup> अर्थात् अहिंसा, सज्जम व तप रूप धर्म उत्कृष्ट मंगल है। इन तीनों में भी प्रमुख अहिंसा है। कारण अहिंसा में सयम, तप ही नहीं वरन सत्य अचौर्य, ब्रह्म, अपरिग्रह आदि सभी धर्म समाहित हो जाते हैं। सभी सदगुणों का आधार अहिंसा है। अहिंसा सभी प्राणियों के लिए सभी परिस्थितियों में हितकारी और कल्याणकारी है। इसीलिए कहा गया है—‘मातैव सर्वभूतानाम् अहिंसा हितकारिणी ।’ अर्थात् अहिंसा माता की तरह समस्त प्राणियों के लिए हितकारी है। यह सभी जीवों के लिए सजीवनी बूटी है और परमामृत है। जहाँ अहिंसा का साम्राज्य है वहाँ पर सभी मनुष्य, पशु, पक्षी इसी भूतल पर स्वर्ग सुख और आनंद की अनुभूति करते हैं। अतः जो भी भाई-बहिन इसी जीवन में स्वर्गीय जीवन का आनन्द और सच्चे सुख-शान्ति की प्राप्ति चाहते हैं, वे अपने जीवन को अहिंसामय बनाएँ और जैसा बताया गया है, आहार-विहार, खान-पान, रीति-नीति, चाल-चलन, रहन-सहन, आचार-विचार, काम-धंधा आदि जीवन की सभी प्रवृत्तियों को अहिंसा से जोड़े फिर देखें कि स्वर्ग सुख तो क्या मोक्ष के सच्चे सुख की उपलब्धि भी इसी जीवन में निश्चित रूप से हो सकेगी। वास्तव में वही धर्म उत्तम और सच्चा है जिसके पालन से इसी जीवन में मुक्ति मिल सके।

—डागा सदन, संघपुरा, टोंक (राज०)

# आधुनिक हिन्दी साहित्य में अहिंसा : एक अनुशीलन

□ डॉ. विश्वासराव पाटील



अहिंसा एक सकारात्मक मूल्य है। अहिंसा सत्य के समतुल्य है। सत्य और ईश्वर पर्यायवाची है। महात्मा गांधी ने अपने पत्र में लिखा था, सपूर्ण अहिंसा की साधना से शुद्ध हुए निर्मल अंतःकरण में जिस समय जो प्रतीति हो, वही सत्य है। उस पर दृढ़ रहने से सत्य की प्राप्ति हो जाती है। अहिंसा का मार्ग सत्य के साथ जोड़ते हुए बापू ने कभी कहा था कि अहिंसा मेरा ईश्वर है और सत्य मेरा ईश्वर है। जब मैं अहिंसा को ढूँढ़ता हूँ तो सत्य कहता है—मेरे द्वारा उसे खोजो। जब मैं सत्य की तलाश करता हूँ तो अहिंसा कहती है—मेरे जरिए उसे खोजो।<sup>२</sup>

अहिंसा अत्यंत पुरातन धर्म सिद्धान्त है। भगवान महावीर ने अहिंसा के रूप को जीवन साधना माना। आज भी अहिंसात्मक प्रयत्नों से तमाम व्यक्तिगत तथा सामुदायिक समस्याओं को सुलझाया जा सकता है। आज अगर विग्व को महाशक्तियाँ हिंसा की राह छोड़कर सच्चे हृदय से अहिंसात्मक आदर्श को अपना लें तो विश्वशांति की स्थापना में नया चरण उठ सकता है। ऐसी शांति युद्धजन्य शान्ति की अपेक्षा अधिक चिरस्थायी, प्रभावी, सतोपदायक तथा सुखद होगी।

## आधुनिक हिन्दी कविता में अहिंसा :

आधुनिक काव्य में मुख्यतः गांधीवादी विचार दर्शन के कारण अहिंसा की छाप दिखाई देती है। उसके मूल में वैदिक चिन्तन से लेकर आज तक की गरिमामयी ज्ञान-साधना का सुफल संचित है। हिन्दी साहित्य में अहिंसा का जो भी रूप मिलता है, उसके बहुआयामी दृष्टिकोण को देखना भगवान महावीर के अहिंसा विचार की प्रासंगिकता को रेखांकित करना है। मुमित्रा-नन्दन पंत ने अहिंसा को शुभ मानते हुए कहा है—

“सक्रिय मुखर अहिंसा हो अब, सत्याग्रह का कर आवाहन।

मूक अहिंसा का युग बीता, वह थी जनशिक्षा की साधन।”<sup>३</sup>

अहिंसा प्रेम की पराकाष्ठा है, हिंसा का उत्तर है और शून्य का लक्षण है। अहिंसा का पुजारी लाचारी और कायरता शून्य अदम्य नाहमी सोझा की मंगलना है। अहिंसा में जो शक्ति है वह जस्त्रों की हूँकार में कहीं नहीं प्रकट जस्त्र है। उसमें परम पुरुषार्थ की चिन्तनारियाँ हैं। श्री ३००० 'नवीन' लिखते हैं—

“मेरे सत्य अहिंसा में है, गति उद्यम बल ओज निराला ।  
मैं हूँ महाक्रांतिदर्शी नर, मेरी क्रान्ति निपट विकराल ॥”<sup>४</sup>

अहिंसा प्रतिक्रियात्मक शस्त्र नहीं है। सियाराम शरण गुप्त ने कहा है कि हिंसा से हिंसा शांत नहीं होती। हिंसा का एकमात्र उत्तर अहिंसा है।

आज का मनुष्य जगल की सभ्यता को प्रमाण मानकर अंतर्राष्ट्रीय सभ्यता में प्रवेश कर रहा है। फिर भी मारकाट, खूनखराबा जारी ही है। अहिंसा मनुष्य को अविवेकी जगलीपन से निकालकर विवेक सम्पन्न मानवतावादी सभ्यता की दिशा में ले जाने को अग्रसर है। मैथिलीशरण गुप्त द्वारा इस सन्दर्भ में पूछा हुआ प्रश्न और उसका समाधान अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। वे लिखते हैं—

“तुम निर्माण नहीं कर सकते, फिर क्यों नाश करोगे ?  
जीने देकर जियो, मार कर क्या तुम नहीं मरोगे ?”<sup>५</sup>

‘जिओ और जीने दो’ इस भाव को प्रसाद ने ‘कामायनी’ में श्रद्धा के माध्यम से अभिव्यक्त किया है—

हिंसक से रक्षा करे शस्त्र,  
पर जो निरीह है,—जी कर भी कुछ,  
उपकारी होने में समर्थ ।  
वे क्यों न जियें उपयोगी बन,  
इसका मैं समझ न सकी अर्थ ।<sup>६</sup>

अहिंसा महावीर का धर्म है। अहिंसक निडर होता है, वह मौत से नहीं डरता, न वह किसी का शत्रु होता न कोई उसका शत्रु होता है। अहिंसा का यह विचार निरन्तर हिन्दी कविता के सामर्थ्य को बढ़ाता रहा। अहिंसा को जीवन का मर्म मानकर विश्व मंगल की साधना में आधुनिक हिन्दी कवि जुड़ा रहा। उसने अहिंसा को अंतर्राष्ट्रीय जागरण का प्रतीक माना। मनुष्य की अमूल्य सम्पत्ति के रूप में उसे देखा-परखा।

कथा साहित्य में अहिंसा—

हिन्दी के कथा क्षेत्र में अहिंसा का विचार अत्यंत मनोरम शैली में देखा जा सकता है। प्रेमचन्द के उपन्यास ‘रंगभूमि’ का सूरदास अहिंसा का अनन्य उपासक है। उसके जमीन के प्रश्न को लेकर जब एक विशाल आन्दोलन उठ खड़ा होता है तब वह अहिंसा का विचार ही तो समझाता है और लोगो के न समझने पर आत्महत्या के लिए तैयार हो जाता है। उसकी अहिंसा की उपलब्धि इतनी महान है कि वह शत्रु के व्यवहार को भी मैत्री में परिणत कर देता है। भैरोजान सेवक और वजरंगी अपने अपराध स्वीकार कर लेते हैं। सूरदास एक ऐसा अहिंसक वीर है जिसके कारण हृदय-परिवर्तन की स्थितियाँ जागती हैं।

प्रेमचन्द के उपन्यास 'काय-कल' में चण्डेर नन्दुरी और नन्दारी के हिसापूर्व कृत्य का विरोध करता है।<sup>१०</sup> प्रेमचन्द के उपन्यास 'कर्मभूमि' का यज्ञ नामक नायक पर-पर-पर अहिंसा के मूल्य को अभिव्यक्ति करता हुआ दिखता देता है। वह कहता है, "कोई जाति अथवा राष्ट्र हिंसा के द्वारा स्याही मार वालाविक मुक्ति नहीं प्राप्त कर सकता।" नन्दारों की मनस्कान्ध और कोपों की गड़गड़ाहट में नीत्याय की आवाज स्पष्टतः सुनाई देती। जब वह हम आपम के भेदभाव को सुझाकर सबसे प्रेम करना और सेवा में ईश्वर का रूप देखना नहीं सिखेंगे तब तक हमें स्वाधीनता प्राप्त नहीं हो सकती।"

प्रेमचन्द के प्रसिद्ध उपन्यास 'गोदान' में अहिंसक आंति की मजबूती को गूज सुनाई देती है जब अंकर निज में आग का प्रसंग आता है। उनके ही उपन्यास 'प्रेमाश्रम' में प्रेमचंकर किसानों के प्रति होने वाले उत्थाप, उत्थान, गोपण आदि का अहिंसात्मक मार्ग से प्रतिकार करते हैं। आदिरमियाँ भी नन्द और अहिंसा के पुजारी हैं।<sup>११</sup>

प्रेमचंद की कहानियों में 'अमा' कहानी का जोख हनुम अहिंसक-विनय को ही व्यक्त करता है।<sup>१२</sup> प्रेमचंद की 'दिल की रानी', 'भैरू', 'विज्वान' आदि कहानियों में भी अहिंसा मार्ग की प्रशस्तता का मनोरम चित्रण देखा जा सकता है।

प्रतापनारायण श्रीवास्तव की 'विसर्जन' कहानी में तथा 'दयालीस' उपन्यास में हिंसा के विरुद्ध अहिंसा की विजय-यात्रा का प्रतिपादन है।

'दयालीस' का नायक नरेन्द्र कहता है, "हम अहिंसक सेना के निगाही हैं। मर्य हमारी डाल है, अहिंसा हमारा अस्त्र है.....।"<sup>१३</sup>

इनी नंदर्म में भगवती प्रसाद वाजपेयी के उपन्यास 'राजपथ' एवं 'सवार' का उल्लेख महत्त्वपूर्ण है।<sup>१४</sup> श्री सियाराम शरण की 'गोद' नामक धार्मिक कृति में सामाजिक अत्याचार का अहिंसात्मक ढंग ने निराकरण करने की पद्धति को निरूपित किया गया है। राधिका-रमणप्रसाद निरुपनी 'गुरु और नारी' कृति में अहिंसा के महत्व को रेखांकित करते हुए लिखते हैं, "हिंसा की तह में तुम्हारा भय है, अहिंसा की तह में आत्मनयम।"<sup>१५</sup>

रंजनेन्द्र के 'मुखदा' और 'विवर्त' में आंतिकारी पात्रों की उद्भावना का प्रयत्न ने अहिंसा के प्रतिष्ठान का प्रयत्न किया गया है। हिंसा के अभाव में अहिंसकता का मुखदा के निमित्त विवेचन करते हुए अहिंसा के स्थापना का उद्देश्य हीरे दिखाया है।<sup>१६</sup> 'विवर्त' में हिंसा-वृत्ति का अभाव हीरे के अभाव में अहिंसकता के अपराधी व्यक्तित्व का, संधि से उद्भव करने का प्रयत्न अहिंसात्मक तरीके से किया गया है।

राधिका पाण्डेय ने 'प्रमहयोग की मण्डली' नामक उपन्यास में अहिंसा के महत्व को रेखांकित किया है। गुरुदत्त के 'अराधी' नामक उपन्यास में अहिंसा के महत्व को रेखांकित किया है।

अहिंसा मार्ग' शीर्षक आठवाँ भाग है जिसमें अहिंसा नीति का विवेचन आया है। सिद्धविनायक द्विवेदी के 'मुक्तिदान' में त्याग और अहिंसा की महिमा प्रतिष्ठित करते हुए आत्मसमर्पण में अहिंसा की विजय निरूपित की गयी है। शिवरानी देवी की कहानी 'नारी का हृदय' में अहिंसा की प्रतिष्ठा है। अज्ञेय के 'शेखर : एक जीवनी' भाग दो में जेल में शेखर, विद्याभूषण, मदनसिंह हिंसा-अहिंसा पर विचार-विमर्श करते हुए दिखाई देते हैं।

### नाट्य साहित्य में अहिंसा :

हिंदी के नाट्य साहित्य में अहिंसा के महत्त्व का प्रतिपादन विविध दृष्टि-विन्दुओं के आधार पर देखना-परखना अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। जयशंकर प्रसाद प्रतिहिंसा की भावना को करुणा तथा प्रेम से शांत करने पर बल देते हैं। 'विशाख' तथा 'जनमेजय का नागयज्ञ' द्वारा इसी सदर्थ को साहित्यिक परिवेश दिया गया है। 'अजातशत्रु' नाटक की मलिका अहिंसा की प्रचारक है। पद्मावती अपने बंधु को अहिंसा की ओर प्रेरित करती हुई कहती है— "मानवी सृष्टि करुणा के लिए है, यो तो क्रूरता के निदर्शन हिंसा पशु जगत में क्या कम है?"<sup>१५</sup>

श्री लक्ष्मीनारायण मिश्र के 'अशोक' में ऐतिहासिक परिवेश के अंतर्गत अहिंसा की महिमा गाई गई है। इद्रवेदालंकार के 'स्वर्ण देश का उद्धार नामक नाटक में एक ब्रह्मचारी कहता है— "मैं हिंसा को हर दिशा में पाप समझता हूँ।"<sup>१६</sup> श्री उदयशंकर भट्ट का नाटक 'दाहर' विश्वमैत्री और अहिंसा प्रीति का पैगाम लिए चलता है। इन्हीं के 'मुक्तिदूत' में अहिंसक भावों की प्रतिष्ठा हुई है। 'जीवन' नाटक का विवेक अहिंसा का उपासक है। सेठ गोविंददास के 'सिद्धांत-स्वतंत्र्य' नामक नाटक में अहिंसा अर्थात् प्रेम की शक्ति को श्रेष्ठ तथा शारीरिक शक्ति को त्याज्य माना है। 'विकास' नाटक में तो अहिंसा का ही प्रसार-प्रचार आया है। हरिकृष्ण प्रेमी के नाटक 'स्वप्न भग' का शाहजहाँ अहिंसा की शक्ति को रेखांकित करते हुए अपने सेनापति खलीलउल्ला खान से कहता है, "प्रेम से मनुष्य को जीत लेना क्या पराधीनता है? तलवार से साम्राज्य जीते जाते हैं लेकिन प्रेम से स्थिर रखे जाते हैं।"<sup>१७</sup> अपने 'स्वर्ण-विहान' नामक गीतिनाट्य में अहिंसा की श्रेष्ठता प्रेमीजी ने प्रतिपादित की है। अपने 'शक्तिसाधना' नामक नाटक में अहिंसा को परिभाषित करते हुए प्रेमीजी ने लिखा है— "अहिंसा का अर्थ साहसहीनता और कायरता नहीं है।"<sup>१८</sup>

पाण्डेय वेचन शर्मा 'उग्र' ने 'महात्मा ईसा' नाटक में अहिंसा के सिद्धांतों की व्याख्या की है। अहिंसा को विजय का पुण्यमय उद्घोष चन्द्रगुप्त विद्यालंकार के 'रेवा' नामक नाटक में हुआ है। इसके एक पात्र आचार्य पुंडरीक द्वारा शस्त्रविजय पर हृदयविजय की गाथा अंकित की गई है। उदयशंकर भट्ट के 'सागर विजय' का दुर्दम नामक पात्र भी शस्त्रविजय को नकारकर हृदय की विजय को श्रेष्ठ और महिमावान मानता है।

कुमार हृदय का नाटक 'नक्षत्रों का रंग' भारतीय आध्यात्मिक सहिष्णुता के अभिनव प्रयोग के रंग को प्रस्तुति देनेवाला सफल नाटक है। श्री मुकुल के 'अपना गाँव' तथा 'जमीन' नाटकों में अहिंसा की सिद्धि की कहानी आई है।

भगवतीचरण वर्मा के एकाकी 'बुभुक्षु दीपक' में अहिंसा का चित्रण आया है। श्री प्रेमराज जर्मा, श्री रमण, सियारामशरण आदि के एकाकी नाटक सफल हैं। मैथिलीशरण के 'कर्वला' नाटक के ध्रुवदत्त का यह कथन द्रष्टव्य है— "जीव हिंसा महापाप है। धर्मात्मा पुरुष कितने ही संकट में पड़े, किंतु अहिंसा-व्रत को त्याग नहीं सकते।" १६

### अन्य विधाओं में अहिंसा :

हिंदी के निबंधकारों में सर्वश्री यशपाल जैन, सपूर्णानंद, काका कालेलकर सब्बरवाल, कमलापति त्रिपाठी, हरिभाऊ उपाध्याय, सियारामशरण, माखन लाल चतुर्वेदी, वियोगी हरि, जैनेंद्र, शांतिप्रिय द्विवेदी, प्रभाकर माचवे, कन्हैया-लाल मिश्र 'प्रभाकर', भागीरथ मिश्र आदि नाम महत्वपूर्ण हैं। जैन जैनेतर आचार्यों एवं सन्तों के प्रवचन अहिंसा के सकारात्मक पक्ष को प्रस्तुत करने में बड़े प्रभावी एवं प्रेरणादायी हैं। समीक्षा तथा पत्रकारिता में भी अहिंसा-विचार के प्रगतिशील कदम बड़े हैं।

वैश्विक संदर्भ में विचार करने पर आर्थर मिलर के All my Sons जैसे नाटक का विचार भी मनःपटलपर तिरने लगता है। सामाजिक तथा राजनीतिक परिवेश के संदर्भ में साहित्य का सृजन निरन्तर प्रवहमान रहता है। इस दृष्टि से हिन्दी साहित्य में अहिंसा व्रत को विचार-यात्रा बहुआयामी और मनोरम है। आने वाले युग के लिए अहिंसा का प्रदीप संजोये रखना युग की मांग है ताकि आने वाली पीढ़ियाँ इसके प्रकाश में चल सकें।

### संदर्भ-संकेत :

- (१) स्वर्गीय जमनालाल बजाज को वापू द्वारा दिनांक १७ मार्च, १९२३ को नांदरमती जेल में लिखे पत्र से उद्धृत। (२) 'यंग इंडिया' ४ जून, १९२५ तथा 'हरिजन नेचर' २९ फरवरी, १९२६। (३) मुक्तिगज—पृष्ठ : ३६, (४) लम विपपायी जनम के, पृष्ठ-६६, (५) द्वापर, पृष्ठ १२७, (६) 'उप्यां' नग, (७) बानावल्प—पृष्ठ. ११६, (८) कर्मभूमि, पृष्ठ ३७७ में ३७६, (९) प्रेमप्रथम, पृष्ठ १५२, (१०) मानसरोवर भाग-२, पृष्ठ २०३, (११) बयारोनि पृष्ठ ३०५, (१२) राजपथ, पृष्ठ २३४ तथा २३६, (१३) पुष्प कीर्ति नग पृष्ठ २०, (१४) सुमदा, पृष्ठ ३, (१५) अज्ञानमंद, पृष्ठ २५, (१६) पृष्ठ ४६, (१७) नग्न भंग, पृष्ठ ४५, (१८) नरप विनायक पृष्ठ १०, (१९) नरप विनायक, पृष्ठ २६





## लोकगीतां में अहिंसा के स्वर

□ डॉ. विद्याविन्दु सिंह

हिंसा की प्रवृत्ति मनुष्य की स्वाभाविक नहीं है, क्योंकि मनुष्य जन्म से ही जिस प्रकार का स्नेह पाता है और जिस प्रकार की सुरक्षा पाता है उसमें सहज रूप से दूसरे के लिए स्नेह और प्यार करना ही स्वाभाविक है। हिंसा की प्रवृत्ति असुरक्षा और अस्वीकृति से आती है। भारतीय मन में दूसरे का स्वीकार और अपने परिवेश में सुरक्षित होने का अनुभव सस्कार के रूप में प्रदत्त है। इसका कारण है व्यापक विश्व दृष्टि और व्यापक लोक दृष्टि। विश्वदृष्टि से विरोध का महत्त्व नहीं है, एक दूसरे की कमी पूरी करने का महत्त्व है, एक दूसरे से सीखने का महत्त्व है, एक दूसरे के स्नेह से भीगने का महत्त्व है। इसलिए लड़-भिड़ कर भी एक दूसरे के सुख-दुःख में शरीक होने की बात गाँव के समाज में चली आ रही है, भले ही आज कम हो रही हो। यहाँ हार मानने में ही जीत है।

भारतीय लोकदृष्टि में जो कुछ आँखों से दिखता है, कानों से सुनाई पड़ता है, जो कुछ छूता है, जो कुछ रस देता है, जो कुछ श्वासों में भरता है, वह सब भीतर समा जाता है, कोई भी वस्तु हेय या तिरस्कार्य नहीं होती। इस लोकदृष्टि का प्रतिबिम्बन लोकगीतों में इस रूप में मिलता है कि शुभ कार्य में सबको निमंत्रण दिया जाता है। बिच्छू, साँप, बाघ, सबके आगे हाथ पसारते हैं, तुम आओ, यह शुभ कार्य तुम्हारा ही है। यह लोकदृष्टि हर छोटे बड़े प्राणी को एक अपनी विशिष्ट भूमिका होती है, इस पर बल देती है।

इस लिए भारतीय लोकदृष्टि को लक्षित करने वाले लोक साहित्य में अहिंसा का स्वर बहुत सहज रूप में मुखरित मिलता है। कभी तो इस रूप में कि पशु-पक्षी हमारे स्वजन हैं, पेड़-पौधे हमारे नातेदार-रिश्तेदार हैं, इनको दुःख नहीं देना है। कभी इस रूप में कि हम और हमारे परिवेश के प्राणी चेतन या अर्धचेतन एक ही जीवन के अंग हैं। हम एक दूसरे से अभिन्न हैं। नीम का पेड़ काटने का अर्थ है नीम के पेड़ की तरह छाया देने वाले वत्सल भाव पर आघात करना। तभी तो गीत कहते हैं—

निविया के पेड़ जिनि काटेउ वावा

निविया चिरैया वसेर।

त्रिटियहि दिज्ज दुख दीह्या ए वावा  
त्रिटिये चिरैया की नाय ।

(वावा तीन का पेड़ नत काटना, तीन पर चिड़ियों का झेग है ;  
वेटियों को दुःख मन देना, वेटियाँ चिड़ियों की तरह हैं, भोली, निरीह)

कभी इस रूप में कि जहाँ कहीं दुःख देने का या सताने का व्यापार उठि-  
होता है, उसकी पीड़ा के साथ सहानुभूति तो व्यक्त हो ही, सताये जाने वाले  
प्राणी के साथ एकात्मता का अनुभव किया और कराया जाय । ऐसा करने  
ममय सताने वाले के प्रति प्रायः दया का भाव रहता है कि जो सता रहा है,  
वह दया का पात्र है, उनके खिलाफ कहीं कुछ कहा न जाय, बस जीवन की  
मनष्टि चेतना को दुःख अर्पित कर दिया जाय । जैसे 'चक्की के गीत' में कहा  
गया है—भइया ! यह दुःख किसी से न कहना । बस, इस दुःख की गठरी को  
गंगा-जमुना मैया को साँप देना ।

लोहवा ता जरै बहिनी लोहरा दुकनियां  
बहिनी जरैली ससुररियां हो राम  
सोनवाँ त जरै बहिनी सोनरा दुकनियां  
बहिनी जरैली ससुररियां हो राम ।  
ई दुख जिनि कहा वावा के अगवां  
सभवां बइठि पछितइ है हो राम ।  
ई दुख जिनि कहा मइया के अगवां  
छतिया पिटिय मरि जइ है हो राम ।  
ई दुख जिनि कहा बहिनी के अगवां  
नाहि ऊ वियहवा न करिहै हो राम ।  
हमरी ई विपति गठरिया मोरे बिरना  
गंगा जमुना बीचे छोर्या हो राम ।

(भाई कहता है कि जिस तरह लुहार की दुकान पर तोता उड़ता है,  
मुनार की दुकान पर सोना, उसी प्रकार ससुराल में बहन जाती है । बस  
कहती है भइया ! मेरा यह दुःख वावा से न कहना, नहीं तो वह मभा में मेरा  
पटनावेगे । माँ से मत कहना, नहीं तो वह दुःख से छाती बूटार कर लामेगी ।  
दरम से न कहना, नहीं तो वह ससुराल के बण्डों से भयभीत होकर चला  
नहीं करेगी । मेरी यह विपत्ति की गठरी गंगा-जमुना की भात दीव लो  
जिम्मे कि मेरी व्यथा में कोई दुःख न पाये) ।

यह भाव कितना स्पृहणीय है । पारौरिक हिंसा की शक्ति का प्रयोग  
करने के प्रति जो सचेत सज्जन रहते हैं, उगरी गठरी को साँप देना  
सही रास्ता नहीं बनाया जा सकता ।

कभी-कभी इस रूप में भी इस भाव को उभारा गया है कि सताने वाले के मन में पछतावा जग जाय । एक 'श्रम गीत' में बड़ा भाई अपने छोटे भाई की पत्नी के रूप पर आसक्त होकर छल से छोटे भाई को मार डालता है । छोटे भाई की पत्नी इस छल को समझ कर चतुराई से जेठ से प्रार्थना करती है कि मुझे अपने पति के अंतिम दर्शन करा दो, तुम्हारा ही तो सहारा है । वह उसे लेकर वन में भाई की लाश के पास जाता है । तब वह फिर प्रार्थना करती है कि इनके अंतिम संस्कार के लिए आग ले आइये । आपको छोड़कर अब कहीं नहीं जाऊँगी । पर जब वह आग लेने चला जाता है तब ईश्वर से प्रार्थना करती है कि यदि मैं मनसा-वाचा-कर्मणा प्रतिव्रता हूँ तो मेरे आंचल से स्वयं आग घघक उठे । आग घघक उठती है, वह पति के साथ सती हो जाती है । जेठ लौटकर यह दृश्य देखता है तो पश्चात्ताप के सिवाय उसके पास कुछ नहीं रह जाता—

जो हम जनत्यों भह्युँ ऐसन करवू  
काहे के काटित दाहिन बहियाँ हो राम ॥

(भाई की बधू ! यदि मैं जानता कि तुम ऐसा करोगी तो क्यों मैं अपनी दाहिनी बांह काटता, भाई का बध न करता)

एक गीत में बहेलिया के लड़के द्वारा परेजान कोयल का स्वर उभरता है—

“डारी डारी पसिया रे लसिया लगावै,  
पाते पाते कोइलरि लुकायँ  
यस उदवसिया रे पसिया वेटउवा  
कौने वृन्दहिबन जावँ ।”

(डाल-डाल पर पासी (बहेलिया) लासा लगा रहा है, कोयल को फँसाने के लिए और कोयल पत्ते-पत्ते में छिप रही है । पासी का बेटा ऐसा उद्वासी (बसेरा उजाड़ने वाला) है कि किस वृन्दावन में जाकर रहूँ) ।

यह गीत सुनकर कोयल ही क्यों समस्त पक्षी-जगत की विवशता की ओर करुणा की धार प्रवाहित होने लगती है । कौन व्यक्ति ऐसा होगा जो इस करुणा से भीगकर पश्चात्ताप नहीं करेगा मानव की निर्ममता पर ?

स्पृहणीय भाव इसमें यह भी व्यंजित है कि यह गीत विवाह संस्कार का है और प्रकारांतर से यह कन्या का बसेरा उजाड़ कर ले जाने वाले वर की ओर सकेत करता है और वर के मन में करुणा का संचार करता है ।

लोक गाथाओं में प्रायः यह भाव भी मिलता है कि सहिष्णुता का भाव ही अन्त में जीतता है । एक परदेसी पति लम्बी अवधि के बाद घर लौटता है

तो मां-बहन से पत्नी के वारे में पूछता है। वहन भाभी की शिकायत करके उसकी अग्नि परीक्षा लेने की सलाह देती है। पति अपनी पत्नी की अग्नि परीक्षा की घोषणा कर देता है—

इतने वर्षों से वाट जोहती पत्नी चुपचाप परीक्षा की तैयारी करने लगती है। नाई से कहती है कि तुम मेरे धर्म के भाई हो, मित्र हो, मेरे पिता व भाई को मदेश पहुँचा दो कि तुम्हारी बेटों की अग्नि परीक्षा है, आये और देखें। बहूँ, लुहार और तेली से कहती है कि तुम मेरे धर्म के भाई हो, मित्र हो, धर्म की लकड़ी चीर लाओ, धर्म की कडाही गढ़कर लाओ और धर्म का तेल पेर कर लाओ। भरी सभा के बीच अग्नि परीक्षा देकर वह विजयी होती है। सूरज की नौगन्ध खाती है तो सूर्य छिप जाते हैं। गंगा की सौगन्ध खाती है तो गंगरी का जल सूख जाता है। आग को सौगन्ध लेती है तो खौलता हुआ तेल शीतल हो जाता है। जीती हुई वहन को ले जाने के लिए भाई चन्दन की पालकी नजाता है। और पति पश्चात्ताप के आठ-आठ आंसू रोता है। अपनी मां बहन को कोसता है कि तुमने मेरी गृहस्थी में आग लगा दी—

मुँहवा अँजोर किहे हँसे वीरन भइया हो राम  
मोरी जीतलि बहिनी जइहै नइहरवा हो राम ।  
मुँहवा पटुक धरि रोवै परदेसिया हो राम  
जीतलि धना सगा छाड़ि जइ है हो राम ।

(मुँह उजाले में करके भाई हँसता है। परीक्षा में खरी उतरने में नाराज हो जायेगी। मुख पर पट डालकर परदेसी पति रो रहा है, जीत गयी प्रिय मुझे छोड़ जायेगी।)

कभी-कभी सताने वाले के प्रति शाप का भाव भी व्यक्त होता है। पर यहाँ शाप आश्रय में भी इस रूप में दिया जाता है कि शाप की निष्प्रति हिंसा भी दारुण बयो न हो पर शुभ के लिए हो। जैसे कौशल्या को एक गीत में हिरनी द्वारा शाप दिया गया है। राम की छुट्टी के लिए बधिको द्वारा हिंसा का धप कर दिये जाने पर हिरनी कौशल्या के पास जाती है और कहती है कि रामनी मान तो पकवाना पर मेरे हिंसा की नाल मुझे दे दो। उसे पत्र पर दान पर उन्हीं को देखकर अपने मन को टाँटस दूँगी। रामनी मना कर देती है— तू तो है कि एम नाल से तो मेरे राम के लिए खूँटी बनेगी। हिंसा काप देती है कि रामनी जिस तरह आज मैं अपने हिंसा के विमोह में विभूत गयी हूँ, उसे तू भी विभूतना पड़ेगा। कुछ क्षेत्रों में तो गीत में यह बात हिरनी द्वारा दिये गयी है पर कुछ में केवल हिरनी का दुःख बनीभूत जीवन व्यक्त किया है—

जय-जय बाजइ स्वभजिया नदद मनि पनगर  
हिरनी टाटी जगुनिया के तनं हिंसा को निदर ।

जब-जब खभड़ी बजती है हिरनी ढाक (पलाश) के पेड़ तले खड़ी होकर कान उठेर कर वह स्वर सुनती है और अपने हिरन के लिए बिसूरती है।)

उसका यह दुःख शाप से अधिक मन को स्पर्श करता है और हिंसा भाव के प्रति मन में आक्रोश जगाता है।

माता कौशल्या को हिरनी शाप का भोग भोगना पड़ता है। यह गीत मनुष्य की उस निष्ठुर प्रवृत्ति की और तीखा प्रहार करता है जब वह अपने सुख में लीन होकर आसपास के प्राणियों के सुख-दुःख की चिन्ता नहीं करता। माता कौशल्या तो एक प्रतीक है, मां की ममता की। और उस ममता से यह प्रमाद कभी क्षम्य नहीं होता। लोक की दृष्टि में माता कौशल्या को शाप के कारण जो दुःख होता है वह बड़े जातीय मंगल में ही परिणत होकर शुभ बन जाता है।

गीतों में माता कौशल्या द्वारा चकवा-चकवी को शाप दिया गया है। क्योंकि उसने अपने सुख में भूलकर दूसरों के दुःख की चिन्ता नहीं की। माता कौशल्या के पूछने पर कि वन जाते हुए राम लक्ष्मण सीता को तुमने देखा कि वे किस राह गये? तो चकवी उत्तर देती है कि मैं तो अपने चकवे के साथ आनन्द विहार कर रही थी, मैंने उन्हें नहीं देखा। माता कौशल्या उसे शाप देती है—

लेहु न चकई तू मोरा सरपवा हो ना  
चकई दिन भरि रह्य जधिया जोरि त  
रतिया विछोहिल हो राम ॥

(चकई लो मेरा शाप लो, दिन भर तो तुम अपने प्रिय के साथ रहोगी पर रात को विछड़ जाओगी)।

पर एक अन्य गीत में जब हिंडोला भूलती रक्मिणी का हार टूट कर यमुना में गिर जाता है और वे चकई से कहती है कि मेरा हार जल में से चुन लाओ तब वह विछोहिल चकई कह उठती है कि रानी! तुम्हें अपने हार की पड़ी है, मेरा चकवा विछड़ गया है उसे ढूँढ रही हूँ।—

“अगिया लगावो रानी हरवा, वजर परे मोतिया

रानी सँभवे से विछरा चकउवा हेरत नाही पायों”।)

(रानी! तुम्हारे हार में आग लगे, मोती पर वज्र पड़े। मेरा तो चकवा ही साँभ से विछड़ गया है, उसे खोज रही हूँ, मिल नहीं रहा है।)

यह दुःख की तीव्रता और उसका एहसास करुणा की पृष्ठभूमि है। करुणा ही अहिंसा भाव को जन्म देती है। इसीलिए इन नाना रूपों में जो अहिंसा के स्वर मुखरित होते हैं उनमें सबसे अधिक मुख्य स्वर करुणा है, विश्व-व्यापी करुणा है, जो सभी सीमाओं को तोड़ करके उमड़ती है। करुणामयी


अहिंसा निपेधात्मक नहीं होती, वह किसी प्रवृत्ति का दमन नहीं होती। हम नव अपने मन को समझाने की कोई कोशिश नहीं करते कि हिंसा बुरी चीज है, हिंसा न करो, तब भीतर की विवशता होती है कि किसी को सताओ मत। यह सताना अपने को ही सताना होगा, कोई भी पराया नहीं है, कोई भी दुश्मन नहीं है। इस अहिंसा में कमजोरी का भाव नहीं रहता, अपने भीतर शक्ति का आभास कहता है कि हम इतने लोगों का दुःख दर्द भर सकते हैं। उमीलें लोक गीतों का यह पक्ष जन-जन को द्रवित करता है और द्रविण होने के क्षण में बहुत कुछ परायापन, बहुत कुछ प्रभुता, बहुत कुछ भोलापन घुन जाता है। जिसने एक बार भी हिरणी का गीत सुना होगा या नीम के पेड़ काटे जाने पर निपेध लगाने का गीत सुना होगा, उसके मन में अहिंसा का भाव आये बिना न रहेगा। बिना अहिंसा के उपदेश के ऐसे गीतों के बार-बार सुनने ने अहिंसा बहुत भीतर तक उतर जाती है और मन की शक्ति बन जाती है। आवश्यकता है यह सुनिश्चित करने की कि यह स्वर खो न जाये, हमारे जीवन में इसकी स्मृति दुहराई जाती रहे और हमें इस स्वर से भोगने का अननर मिलता रहे।

—उपनिदेशक, उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान, लखनऊ

## गैहणो है म्हारो से परिवार

म्हारा सुसरोजी गढ रा राजवी,  
सासूजी म्हारा रतन भंडार ।  
म्हारा जेठजी वाजूवन्द वांकड़ा,  
जेठाणी वाजूवन्द री नूम ।  
म्हारो देवर चूडलो दात रो,  
देराणी म्हारी चुडले री मजीठ ।  
म्हारी नणद कसूमल कांचळी,  
नणदोई म्हारो गजमोनियां रो द्वार ।  
म्हारो कंवर घर रो चानणो,  
कुळ वह म्हारे दीवळे री जौत ।  
म्हारो धीमज हाथ री मूदडो,  
जवाई म्हारे चपे रो फूत ।  
म्हारो नायव सिर रो सेवरो,  
म्हे तो मेजा री निपाणार ।

(नानक गुरु जी की गीतों में)



# अहिंसा से विश्व-समस्याओं का समाधान

□ श्री शान्तिराल पोखरना

अहिंसा अमोघ शस्त्र है जिसके द्वारा सब समस्याओं पर विजय प्राप्त की जा सकती है। सच्ची विजय भी अहिंसा के द्वारा ही होती है, जिसमें किसी प्रकार का मनोमालिन्य नहीं रहता है। रागद्वेष की समाप्ति ही सच्ची अहिंसा है। इसीलिए जैन दर्शन में अहिंसा की जितनी सूक्ष्म व्याख्या या गहराई में डुबकी लगाई गई है, उतनी शायद ही अन्यत्र कहीं दिखाई दे।

मन से, वचन से और कर्म से अहिंसा का पालन करने पर ही उसका सच्चा फल प्राप्त होता है। जैन साधु-साध्वी अहिंसा के सच्चे उपासक हैं। वे पंचमहाव्रतधारी कहलाते हैं। उनमें भी अहिंसा को प्रमुख स्थान है। वे सदैव यत्नापूर्वक चलते, यत्नापूर्वक बोलते और यत्नापूर्वक सोचते हुए ही गाँव-गाँव और नगर-नगर में प्राणी मात्र के कल्याण की मंगल कामना करते हुए विचरण करते हैं। उनकी कथनी-करनी में सामन्जस्य रहने से उसका प्रभाव पड़ता है और लाखों व्यक्ति उनके प्रभाव से अपना जीवन उज्ज्वल बनाते हैं। “अहिंसा परमोधर्मः” इसी लक्ष्य की ओर और आगे बढ़ते हुए महावीर के दिव्य सन्देश “जीओ और जीने दो” को वे उद्घोषित करते रहते हैं।

अहिंसा का सीधा-सादा अर्थ है—हिंसा से दूर रहना। ‘अ’ हिंसा की आड़ है। हिंसा पर आड़ लगी रहेगी तो स्वतः अहिंसा का विकास होता रहेगा। आज विश्व की सबसे बड़ी समस्या यही है कि मनुष्य वैज्ञानिक उपलब्धियों से प्रकृति की दूरियों को तो कम करके चन्द्रलोक तक पहुँच रहा है किन्तु मन की दूरियाँ बढ़ती जा रही हैं। जब तक मन की दूरियाँ रहेगी तब तक अहिंसा का विकास नहीं हो सकता। मन के भाव, संकल्प और विचारों को मोड़ना होगा और इसके लिए प्रत्येक आत्मा में अपने समान ही आत्मा का दर्शन करना होगा। जो मुझे प्रिय नहीं है, वह दूसरे को कैसे प्रिय होगा? दूसरों को दुःख पहुँचा कर कभी सुख प्राप्त नहीं किया जा सकता है। कहा भी है “सुख दिए सुख होत है, दुःख दिए दुःख होत” सुख-दुःख के कर्ता हम स्वयं हैं। ईश्वर

न किसी को दुखी करता है और न किसी को सुखी । हम जैसा कर्म करते हैं, उसी के अनुसार हमको फल की प्राप्ति होती है । जैसा बीज वैसा फल । अतः कर्म करते समय हमको सदैव अहिंसा को सामने रख कर कर्म करना होगा । आज भौतिकता की चकाचौंध में हम सब कुछ भूल कर पापाचार के कार्य जैसे, बड़े-बड़े आधुनिक बूचड़खाने, मत्सय कारखाने, मुर्गी मार खाने आदि न जाने ऐसे घोर हिंसा के कार्य कर रहे हैं और सभ्यता से हम कहते हैं कि हम मत्सय पालन, मुर्गी पालन और गोपालन कर रहे हैं । नाम पालन का और काम कसाई का, यह कैसा विरोधाभास है ? पालन तो माता करती है जो अपना सर्वस्व न्यौ-छावर कर अपनी सन्तान की रक्षा करती है । तभी हमारे देश में माता की पूजा होती है और भारत माता, जन्म माता और गौ माता के लिए अपने सपूत शोश कटाते हुए मातृ-भूमि के लिए हँसते-हँसते बलिवेदी पर चढ़ जाते हैं।

वर्तमान युग में राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी ने श्रीमद् रामचन्द्र से प्रभावित होकर जीवन पर्यन्त अहिंसा का प्रयोग कर भारतवर्ष को न केवल आजादी दिलाई अपितु संसार के सामने एक नया मार्ग प्रशस्त किया जिसके द्वारा विश्व का कल्याण सम्भव है । हिंसा के परिणामों की कहानियाँ कई शताब्दियों तक हम इतिहास में पढ़ चुके हैं परन्तु लड़ाइयों ने लड़ाइयों को ही जन्म दिया है ।

आज आवश्यकता धर्म और विज्ञान के समन्वय की है । धर्मविहीन विज्ञान मानव के लिए अहितकारी है तो विज्ञान रहित धर्म मानव के लिए कार्ल मार्क्स के अनुसार अफीम है । अहिंसा के द्वारा धर्म और विज्ञान का समन्वय सम्भव है और इसी के द्वारा विश्व-बन्धुत्व और विश्व-शान्ति की ओर बढ़ा जा सकता है जिससे इस संसार में न कोई भूखा रहे न नंगा और न कोई बिना छल के सोए । ऐसी मंगलमय भावना और अपेक्षाओं के साथ "अहिंसा परमोधर्मः" ।

—७५, काशीपुरी, भीलवाड़ा—३११००१

## अहिंसा का सूर्य

सूर्य अहिंसा का अम्बर मे, जब है चमक दिखाता ।  
 क्रोध घृणा का अन्धकार तब, है बिल्कुल मिट जाता ॥  
 कमजोरी का नहीं, अहिंसा है वीरो का धर्म ।  
 कायरता से बढ़कर जग में, कोई नहीं अधर्म ॥

—निरंकारदेव सेवक, वरेली





## अहिंसा को जीवन में कैसे उतारें ?

□ श्री लालचन्द्र जैन

जैन धर्म के तीन मुख्य आचरणीय सिद्धान्त है। ये तीनों ही वर्णमाला के 'अ' अक्षर से प्रारम्भ होते हैं। ये हैं अहिंसा, अचौर्य और अपरिग्रह। ये तीनों ही एक दूसरे में इतने घुले-मिले हैं कि एक के बिना दूसरे का और दूसरे के बिना तीसरे का पालन लगभग अशक्य है।

अहिंसा का अर्थ मात्र 'किसी को न मारना' ही नहीं है किन्तु प्रत्येक ऐसा कार्य जिससे अन्य किसी व्यक्ति का दिल दुखता हो, न करना ही अहिंसा है। किसी से ऐसा कार्य करवाना जिससे किसी का दिल दुखता हो या ऐसा कार्य करने वाले का समर्थन करना, मन में ऐसा सोचना या वचन से ऐसी बात का उच्चारण करना भी हिंसा है।

अब अहिंसा की उपर्युक्त व्याख्या के अनुसार यदि हम सोचें तो अचौर्य और अपरिग्रह भी अहिंसा से ही सम्बन्धित हो जाते हैं। जब हम परिग्रह करेंगे तो अवश्य ही समाज के अन्य व्यक्तियों के हक को छीनेंगे और इससे अन्य व्यक्तियों के दिल दुःखेंगे, जिससे वह हिंसा होगी।

मान लीजिये कोई व्यक्ति स्टेशन पर, रेल में या बस में अपनी कोई वस्तु भूल कर चला जाता है। याद आते ही वह दौड़कर वापस आता है। उस समय यदि उसे वह वस्तु मिल जाती है तब तो वह बड़ा प्रसन्न होता है, किन्तु यदि उसे वह वस्तु नहीं मिलती तो वह उस वस्तु को ले जाने वाले को सौ-सौ गालियाँ देता है। इसका अर्थ यह हुआ कि जो भी व्यक्ति उस पड़ी हुई वस्तु को उठा ले गया उसने चोरी की और वस्तु के मालिक का दिल दुखाया इसलिए हिंसा भी की।

दुःख की बात है कि आज अहिंसा में विश्वास करने वाले जैन ही सबसे अधिक परिग्रह रखते हैं। कुछ व्यक्ति परिग्रह परिमाण व्रत को धारण भी करते हैं तो प्रथम तो वे अपने परिग्रह की सीमा जो अभी वर्तमान में है, उससे कहीं बहुत अधिक की वाँधते हैं, जो सरासर गलत है। परिग्रह को कम करने के लिए ही सीमा वाँधी जाती है, उसको बढ़ाने के लिए नहीं। परिग्रह को बढ़ाने का अर्थ है दूसरों के श्रम को छीनना, दूसरों की आवश्यक वस्तुओं पर अनावश्यक स्वामित्व। जबकि भगवान महावीर ने तो श्रम करने वाले की ही 'श्रमण' कहा है।

दूसरे सीमा बाँधने के बाद यदि उस सीमा से अधिक धन की आय हो जाती है तो दिखावे के लिए तो उसका ट्रस्ट बना दिया जाता है, किन्तु उस ट्रस्ट पर स्वामित्व स्वयं अपना ही रखते हैं। बिना उनकी आज्ञा के ट्रस्ट में से एक नया पैसा भी खर्च नहीं हो सकता, ऐसी जबर्दस्त पकड़ रहती है। यही है दान के प्रति आसक्ति या मूर्खी जिसे भगवान ने स्पष्ट परिग्रह कहा है। 'मुच्छा परिग्रहो वृत्ता ।'

अतः यदि हमें अहिंसा को जीवन में उतारना है तो सबसे पहले अपनी आवश्यकताओं को कम करना चाहिए। सादा जीवन जीना सीखें। सादा भोजन हो, सादी वेपभूषा हो, सादा रहन-सहन हो। जो कुछ वर्तमान में हमारे पास है, उसकी तो हम सीमा बाँधें ही, पर उस सीमा को भी दिन-प्रतिदिन कम करते जायें, यही सच्चा अपरिग्रह है। जब तक हम अपरिग्रह को नहीं अपनायेंगे तब तक श्रम का शोषण होता रहेगा और अन्य लोग अपने खाने, पीने, रहने, पहनने की आवश्यकताओं की पूर्ति भी नहीं कर पायेंगे, जिससे एक तरफ पूंजी बढ़ती जाएगी और दूसरी तरफ गरीबी। समाज में फैलते हुए इस वर्ग-विग्रह को यदि हमें रोकना है, यदि हमें खूनी क्रांति के बिना समाजवाद-समतावाद को भारत में लाना है तो हमें महावीर के सिद्धान्त को जीवन में उतारना ही होगा।

सादा जीवन विताने में कठिनाई क्या है ? सिर्फ मन को मोड़ने की आवश्यकता है। आज से ५०-६० वर्ष पहले अधिकांश लोग सादा जीवन विताने थे। उस समय कितना शान्त जीवन था और अब कितनी हाय-हाय है। हमें अपनी भावी पीढ़ी को—अपने बच्चों को अभी से यह शिक्षा देना प्रारम्भ कर देना चाहिए कि उन्हें अपनी आवश्यकताओं से अधिक किसी वस्तु का संग्रह नहीं करना चाहिए और अपनी आवश्यकताओं को भी जहाँ तक सम्भव हो सके कम करना चाहिए। आज अमेरिका जैसे धनाढ्य देश में भी लोग वर्तमान में जीना सीख गए हैं, कल की चिन्ता कोई नहीं करता। यद्यपि भौतिकवाद के कारण उनकी आवश्यकताएँ अवश्य कुछ बढ़ी हुई हैं, पर उसकी भी एक सीमा है और उस सीमा से अधिक संग्रह कोई नहीं करता। भारत की तो सादा जीवन जीने की प्राचीन संस्कृति रही है, कहीं हम पश्चिम की भौतिक चकाचौध में अपनी संस्कृति और सभ्यता को भूलते तो नहीं जा रहे हैं ?

आज से आधी शताब्दि पहले लोग अपनी दुकानों को खुली छोड़ कर खाना खाने घर पर चले जाते थे। नेपाल में तो आज भी ऐसा होता है। पर कभी कोई चोरी नहीं होती थी, किन्तु आज यदि कोई ऐसा करने साहस करे तो ? कुछ न कुछ उसकी दुकान से अवश्य गायब हो जा

क्यों ? इसलिए कि हम अपने बच्चों को नैतिकता की शिक्षा नहीं देते । पुराने जमाने में यदि बच्चा रास्ते में पड़ी कोई वस्तु उठाकर घर ले जाता था तो उसके माता-पिता उसे डाँटते थे और उस वस्तु को वापस उसी स्थान पर रख कर आने को कहते थे, पर आज स्थिति इसमें उल्टी है । यही कारण है कि हमारी नैतिकता का दिनोदिन पतन हो रहा है । अमेरिका में बिना सेल्समेन के बड़े-बड़े स्टोर चलते हैं, पर कभी कोई चोरी नहीं होती, जबकि वहाँ भारतीय मूल के भी बहुत लोग रहते हैं । क्योंकि वहाँ सभी (चाहे अमेरिकन हो वा भारतीय मूल के) अपने बच्चों के दिल में यह बात अच्छी तरह से ठूस-ठूस कर भर देते हैं कि बिना मालिक को पूछे कभी कोई वस्तु नहीं उठानी चाहिए, चाहे वह एक फूल या कोई फल ही क्यों न हो । इसीलिए वहाँ बिना बाउन्डी के फल-फूलों से लदे वृक्ष घर-घर के बाहर खड़े दिखाई देते हैं । गैरेज खुले पड़े रहते हैं, उनमें गाड़ी के सामान, औजार और फ्रिज तक पड़े रहते हैं, कपड़े टंगे रहते हैं, पर मजाल है—कभी कोई वस्तु चोरी हो जाय ।

यदि हम भी अभी से अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा देना प्रारम्भ करें तो असम्भव नहीं कि हमारी भावी पीढ़ी में फिर से हमारी सांस्कृतिक धरोहर के रूप में नैतिकता का पुनरुद्धार हो और हमारे यहाँ भी फिर से वह पुराना समय लौट सके जब धरो और दुकानों में ताले नहीं लगते थे । कहने को तो हम कहते रहते हैं कि “पर द्रव्येषु लोष्ठवत्” अर्थात् पराए माल को मिट्टी के समान समझना चाहिए पर वास्तव में क्या हम ऐसी शिक्षा अपने बच्चों को दे रहे हैं ? अपने दिल पर हाथ रख कर सोचें । अतः यदि हमें अहिंसा को जीवन में उतारना है तो अचौर्य व्रत को पहले अपने जीवन में उतारना होगा । तभी हम दूसरों का दिल दुखाने से बच सकते हैं और तभी अहिंसा का पालन हो सकता है ।

वस्तु में मिलावट करना या कम नाप-तोल कर देना यह भी अचौर्य व्रत के अन्तर्गत ही आता है । मिलावट का धन्धा तो आजकल इतना जोर पकड़ गया है कि दवाइयाँ भी मिलावट से नहीं बच पाई हैं । इससे कभी-कभी तो मरीज की मृत्यु तक होती देखी गई है । इससे अधिक हिंसा और क्या हो सकती है ? अहिंसा को जीवन में उतारना है तो हमें इस मिलावट के धन्धे का पूर्ण त्याग करना चाहिए । न स्वयं मिलावट करे, न मिलावट की हुई या नकली वस्तुओं का व्यापार करे और न ऐसे व्यापार को किसी प्रकार का समर्थन दे ।

आजकल विदेशी वस्तुओं की चाह लोगों में इतनी अधिक पैदा हो गई है कि उसके कारण चूंगी-चोरी से वस्तुएँ विदेशों से लाई जाती हैं । यह





## अहिंसा के मार्ग पर चलें !

□ श्री नरेन्द्र हीरावत, अध्यक्ष  
श्री गौतम एस. मेहता, मंत्री

‘सर्व्वेसि वदगुणाण पिण्डोसारा अहिंसा दु’

अर्थात् सभी गुणों एव व्रतों का सार अहिंसा है। जहाँ मैत्री, करुणा, प्रेम और समभाव है, वही अहिंसा है। प्रत्येक आत्मा सुख चाहती है, दुःख कोई नहीं चाहता। आत्मा के निजी गुण हैं—सत्य, अहिंसा, मैत्री, समभाव। अतः आत्म-कल्याण का मार्ग अहिंसा का मार्ग है। ‘आत्मवत् सर्व भूतेषु यः पश्यति सः पश्यति।’ अर्थात् आत्मा जब सबको अपने समान समझेगी तथा सबको मित्र समझेगी तब उसका कोई शत्रु हो ही नहीं सकता। ‘आचारांग’ सूत्र में कहा गया है—जिस प्रकार मैं जीना चाहता हूँ मरना नहीं चाहता हूँ, उसी प्रकार संसार के सभी प्राणी जीवन के इच्छुक हैं और मृत्यु से भयभीत हैं। दुःख से सभी प्राणी दूर रहना चाहते हैं। यही वह राह है जिस पर अहिंसा, सत्य, धर्म और ईमान का विकास होता है।

सभी धर्मों में अहिंसा का स्थान सबसे ऊपर है। अहिंसा के मार्ग पर चल कर ही महात्मा गांधी ने अंग्रेजों का साम्राज्य उखाड़कर फेंक दिया। बीसवीं शताब्दी में तो अहिंसा का महत्त्व बहुत बढ़ गया है। मनुष्य ने पहले अणु बम बनाया फिर उसी से वह विनाश की कल्पना करके घबराया और निशस्त्रीकरण तथा मैत्री-संधियों पर हस्ताक्षर करवाने फिरने लगा। मैं किसी से नहीं डरूँ और मुझसे कोई नहीं डरे। हमारे हृदय में प्रेम, स्नेह, दया, करुणा के स्रोत फूटें, आपस में द्वेष, घृणा, साम्प्रदायिकता न हो, मानवता का निर्माण हो तभी विश्व-वन्धुत्व और लोक-कल्याण सम्भव है। अरिहंत, ॐ, ईश्वर, अल्लाह कहने वाले सभी अहिंसा के रास्ते से ही ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। दूसरों के प्रति प्रेम-भाव का जागृत होना ही धार्मिक बनने की सबसे पहली सीढ़ी है। दूसरों के दुःख-दर्द और पीड़ा को समझना और उसका निवारण करना यही धर्म की व्याख्या है। जब अहिंसा में मैत्री और करुणा के भाव जुड़ेंगे तो सेवा का प्रगटन सहज होगा। गोस्वामी तुलसीदास ने कहा है—

पर हित सरिस धर्म नहीं भाई ।  
पर पीड़ा सम नहीं अधमाई ॥

पशु-पक्षी भी नहीं देखते कि यह मन्दिर है या मस्जिद है, उनके लिए सब समान है। किसी शायर ने कहा है—

परिन्दों में कभी फिरका परस्ती नहीं देखी ।  
कभी मन्दिर पै जा बैठे, कभी मस्जिद पै जा बैठे ॥

मैत्री भावना जीवन में अभय का संचार करती है यानी संसार के सभी प्राणी मेरे मित्र हैं, कोई मेरा शत्रु नहीं फिर मुझे अस्त्र-शस्त्र की जरूरत नहीं और ऐसे माहौल में किसी तरह की शंका या भय नहीं रह जाता। आज विभिन्न देशों की सरकारें देश की आय का बहुत बड़ा स्रोत रक्षा-संसाधनों पर खर्च करती हैं। कारण कि उन्हें भय है कि उन पर कोई बाहरी देश हमला नहीं करदे, मगर यह भय निकल जाये तो इन्हीं पैसों को कल्याण के अन्य मदों पर लगाकर देश और समाज का उत्थान किया जा सकता है। सबके प्रति द्वेष या वैर भाव हमारी प्रगति में बाधक है। इसीलिए 'आवश्यक सूत्र' में कहा गया है 'मित्री में सब्ब भुएसु' हमें संसार के सभी प्राणियों से मित्रता रखनी चाहिये।

क्या हमारा इतिहास इसका गवाह नहीं कि हिंसा के मार्ग पर चल कर आदर्श समाज की स्थापना नहीं हो सकती? क्या युधिष्ठिर ने युद्ध जीत कर भी राज्य स्वीकार किया था? उसने युद्धोपरान्त कहा—मैं जिनके लिए राज करना चाहता था वे लोग नहीं रहे, सब युद्ध में मारे गये। इसलिए अब मैं राज नहीं करूँगा। क्या आज का सभ्य समाज इन तथ्यों को समझेगा कि जो आनन्द, प्रेम, करुणा, स्नेह अहिंसा में है, वह राग, द्वेष, क्रोध, हिंसा में नहीं है। आज की विषम समस्याओं का निराकरण अहिंसा को अपनाकर ही किया जा सकता है और अहिंसा के मार्ग पर चलकर ही हम लोकतन्त्र को कायम रख सकते हैं।

—अ. भा. श्री जैन रत्न युवक सघ, बम्बई

## आत्म-जागृति

मछली की सी स्वाभाविक शक्ति मनुष्य में है, परन्तु कर्मशीलता चाहिए। विवेक शक्ति पर पर्दा पड़ने से मानेव तिनके की तरह वह जाता है, किन्तु जो ज्ञानी होकर स्वयं जागृत है, जड़ पदार्थ उसे अपनी धारा में नहीं बहा सकते।

सद्गुरु, सत्सग, शास्त्र श्रवण और योग्य करणी का निमित्त मिलने से आत्म-जागृति होती है।

—आचार्य हस्ती



## अनर्थ का मूल-मांसाहार

□ श्री रतनलाल सी बाफणा

आज देश में हिंसा का ताण्डव नृत्य हो रहा है। ६ दिसम्बर व जनवरी महीने में बम्बई व आकोला में, सूरत व अहमदाबाद में तथा देश के अन्य भागों में क्या हुआ? आदमी ने आदमी को जला डाला, काट डाला, मार डाला। एक नहीं, दो नहीं, दस-बीस नहीं, हजारों की संख्या में आदमी ने आदमी को जिन्दा जलाया। निष्पाप मनुष्यों के प्राणों की होली कर दी गई। माँ के सामने निरीह अवोध बच्चों को जलाया गया। वे चाहे किसी भी जाति, धर्म या सम्प्रदाय के हो पर वे थे आदमी। आदमी इतना विकराल, क्रूर व निर्दयी हो गया।

कुछ वर्षों पूर्व पूना कालेज में पढने वाले ४ कालेज कुमारों ने मिलकर अभ्यकर जैसे विद्वान् परिवार को उनके घर पर जाकर कत्ल कर डाला। २ वर्ष पूर्व उन चारों को फांसी दी गई। २७ नवम्बर १९६१ को जयपुर जेल में हिन्दुस्तान आजाद होने के वाद पहली बार पिता-पुत्र को फांसी दी गई—कारण उन पिता-पुत्र ने मिलकर आधा बीघा जमीन के लिए अपने चचेरे भाई के परिवार के ७ सदस्यों की हत्या कर डाली। २ वर्ष पूर्व कल्याण में परीक्षा हाल में 'सगीता' नाम की कालेज छात्रा को सभी के सामने एक विद्यार्थी ने पेट्रोल से जलाकर मार डाला। भारत का सारा संगीत इन घटनाओं से रुदन में परिवर्तित हो गया। इतना जुल्म तो प्रकृति ने भी नहीं किया। पानी, सोना-चाँदी, हीरे-मोती, जवाहरात, पत्थर-मिट्टी सबको डूबा देता है पर लकड़ी को नहीं डुबोता। इसकी वजह यह है कि पानी ने लकड़ी को पैदा किया है, सीचा है—

जल न डूबोवे काठ को, कही कहाँ की रीत ।  
अपना सीचा जानके, यही बडो की रीत ॥

राम, कृष्ण व महावीर के देश में हिंसा आज चरम सीमा पर पहुँच गई है। प्रतिदिन समाचार पत्रों के पन्ने खून से रंगे हुए मिलते हैं। मनुष्य का जीवन अमुरक्षित हो रहा है—

वतन की हालत जो वताने लगेंगे, तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे ।  
कही भीड़ में खो गई आदमियत, जिसे ढूढने में जमाने लगेंगे ॥

हम देख रहे हैं कि क्रूरताओं ने आज इंसान को इंसान नहीं रहने दिया। हिंसा ने इंसान को राक्षस बना दिया है। दुनिया का कोई मजहब हमें विश्वास-धान व खून करने की शिक्षा नहीं देता। दुनिया भर में अपहरण, दंगे, युद्ध,

हत्या, कलह, विकलांगता, भुखमरी, दुराचार बेतहाशा बढ़ रहे हैं। हम खून बहा रहे हैं, हत्याये कर रहे हैं, क्रूरता व आतंकवाद को पनपा रहे हैं। कौन है इन सबके लिये जिम्मेदार ? स्पष्टतः मांसाहार व मद्यपान। हम अपने स्वाद और शौक के लिए अपने खुनी पजो से बेकसूर पशु-पक्षियों को खा रहे हैं।

यदि हमारे देश में मांसाहार बढ़ता है तो हमारा आर्थिक मानचित्र कितना बदल जायगा। आर्थिक ही क्यों, हमारा सांस्कृतिक और नैतिक ढाँचा भी बदसूरत हो जायेगा। हमारे जीवन-मूल्य एक तो नष्ट हो ही गये हैं, जो भी बचे हैं वे भी चिन्द-चिन्दा हो जायेंगे। मांसाहार से हमारा मानसिक व शारीरिक प्रदूषण इतना बढ़ गया है कि सात्विकता, समन्वय, सहिष्णुता व सगठन की भावना लुप्त होने लगी है—

आदमी निर्मम, महा वेददं बनता जा रहा है,  
दं देता दूसरों को और खुद दुख पा रहा है।  
प्राणियों के प्राण हर्ता मांस खाने के लिये,  
आदमी का पेट मानों कब्र बनता जा रहा है ॥

प्रकृति ने जो पांच इन्द्रियाँ मनुष्य को दी हैं, प्रभु आज्ञा के अनुसार वह उसका कार्य नहीं करता। एक जीभ का ही उदाहरण लें। जीभ तीन काम कर सकती है—भजन, भोजन व भाषण। २४ घटों में एक घंटा भी मनुष्य भजन नहीं करता। रही बात भोजन की, उसमें भी आदमी कितना अविवेक से काज ले रहा है। उसे प्रकृति ने शाकाहारी बनाया है, फिर भी वह मांसाहार कर रहा है। हमारे सारे शरीर की रचना-बनावट शाकाहारी प्राणियों जैसी है। विश्व के ५०० करोड़ लोगों में से ४०० करोड़ लोग मांसाहारी हैं। शाकाहारी सिर्फ १०० करोड़। पशु-पक्षियों की ओर दृष्टिपात करे तो मालूम होगा कि हजारों बरसों के इतिहास में पशुओं ने अपना आहार नहीं बदला। जो जेर मांस खाता है वह मांस ही खायेगा। जो बकरी घास खाती है वह घास ही खायेगी। इन पशुओं की कभी कोई मीटिंग या काफ्रेस नहीं हुई। आहार के बारे में मनुष्य, जिसको प्रकृति ने बुद्धि, विवेक, कर्त्तव्य का ज्ञान दिया है, उसने सदा अपना आहार बदला है, प्रकृति के विरुद्ध आहार किया है। मनुष्य समाज की आहार के बारे में, मीटिंगे काफ्रेसे होती रहती है। विवेक-बुद्धि के बावजूद अपने स्वाद के लिये हर समय मानव जाति ने उलट-सुलट आहार किया है।

कुत्ते-बिल्ली जो मांसाहारी हैं दो तरह का आहार करते हैं। मनुष्य ने कुत्ते-बिल्ली का अनुकरण किया है और दोनों तरह का आहार करने लगा है। जितने भी विश्व में मांसाहारी व शाकाहारी पशु-पक्षी हैं, प्रकृति ने उनकी शरीर-रचना भिन्न-भिन्न प्रकार की बनाई है।

मांसाहारी प्राणी हैं—जेर, चीता, बाघ, नुअर, कुत्ता, बि  
इत्यादि।



शाकाहारी प्राणी हैं—गाय, भैंस, बकरी, भेड़, हिरण, खरगोश, घोडा, गधा, हाथी, ऊँट इत्यादि ।

इनकी शरीर-रचना में निम्नलिखित विशेषताएँ (अन्तर) है—

१. मांसाहारी प्राणियों को पसीना नहीं आता । पसीना सिर्फ शाकाहारियों के ही आता है ।

२. मांसाहारी प्राणी समूह में नहीं रहते । शाकाहारी प्राणी समूह में रहते हैं । कुत्तों के टोले-भुड नहीं होते, बकरियों के भुड-टोले होते हैं, शेरों का समूह नहीं होता, गायों का समूह होता है ।

३. मांसाहारी प्राणियों की आँखें बक्र होती हैं, वे टेढ़ा देखते हैं । शाकाहारी प्राणियों की आँखें सीधी होती हैं, वे सीधा देखते हैं ।

४. मांसाहारी प्राणियों की आँखें गोलाकार होती हैं । शाकाहारी प्राणियों की आँखें नीम गोल होती हैं ।

५. मांसाहारी प्राणियों के बच्चे जन्म लेते ही आँखें नहीं खोलते । शाकाहारी प्राणियों के बच्चे जन्म लेते ही आँखें खोल देते हैं ।

६. मांसाहारी प्राणियों की आँखें शाकाहारी प्राणियों की तुलना में ज्यादा चमकदार होती हैं ।

७. मांसाहारी प्राणियों को अन्धेरे में दिखता है । शाकाहारी प्राणियों को अन्धेरे में नहीं दिखता है । रात को मांसाहारी प्राणी आसानी से शाकाहारी प्राणियों का शिकार कर अपना पेट भर सके, इसीलिए प्रकृति ने ऐसा अन्तर रखा है ।

८. मांसाहारी प्राणी जीभ से पानी पीते हैं । शाकाहारी प्राणी होठ से पानी पीते हैं । अगर बकरी चाहे कि वह कुत्ते की तरह जीभ से चपचप करके पानी पीये तो पी नहीं सकती । मनुष्य भी जीभ से पानी नहीं पी सकता ।

९. मांसाहारी प्राणियों के नाखून तीक्ष्ण होते हैं ताकि वे शिकार सुगमता से कर सकें । शाकाहारियों के नाखून तीक्ष्ण नहीं होते ।

१०. मांसाहारी प्राणियों के पंजे शिकार करने व जानवरों को पकड़ने के लिए अनुकूल होते हैं । शाकाहारी प्राणियों के पंजे मांसाहारियों की तरह नहीं होते ।

११. मांसाहारी प्राणियों के मुँह में दो दाँत खड़े व धारदार होते हैं ताकि वे शाकाहारी प्राणियों को फाड़कर बराबर चवा सकें । शाकाहारी प्राणियों के दाँत चपटे व सरल होते हैं ।

१२. मांसाहारी व शाकाहारी प्राणियों के जवड़ों में अन्तर होता है ।

१३. मांसाहारी प्राणियों की मुखाकृति भयानक होती है और वे स्वभाव से ही आक्रमणकारी होते हैं तथा दूसरे प्राणियों को मारकर खाते हैं।

१४. मांसाहारी पशु-पक्षी चालाक, घात लगाने वाले और डरपोक स्वभाव के होते हैं, शाकाहारी ऐसे नहीं होते।

१५. मांसाहारी पशु जुगाली नहीं करते जबकि शाकाहारी पशु जुगाली करते हैं।

१६. मांसाहारी प्राणियों में नर-मादा परस्पर मैथुन करते हैं तब थोड़ी देर के लिए आपस में जुड़ जाते हैं। शाकाहारी नहीं जुड़ते।

१७. मांसाहारी प्राणियों की आंत गरदन से करीब ६ गुणी लम्बी होती है। शाकाहारी प्राणियों की आंत गरदन से १२ गुणी लम्बी होती है। प्रकृति ने यह जो फर्क रखा उसके पीछे गहरा रहस्य है। मांसाहार बाहर पड़ता है तो सड़ता है व दुर्गन्ध पैदा करता है फिर पेट में जाकर सुगन्ध या सात्विकता निर्माण नहीं करता इसलिए उसका जल्दी से बाहर निकलना उचित होता है। अतः प्रकृति ने मांसाहारी प्राणियों की आंत ज्यादा लम्बी नहीं बनाई। इसके विपरीत शाकाहारियों की आंत लम्बी करने का कारण यह है कि शाकाहार मांसाहार की तरह नहीं सड़ता, पेट में अधिक देर रहने पर भी दुष्परिणाम पैदा नहीं करता।

१८. मांसाहार से इतनी निर्दयता, क्रूरता, बढ़ती है कि मांसाहारी प्राणी भूख लगने पर अपने बच्चे को भी खा जाते हैं। माँ का सबसे ज्यादा प्यार अपने बच्चे पर होता है। वही माँ भूख लगने पर अपने बच्चे की हत्या कर उसे खा जाती है। शाकाहारी प्राणी कभी ऐसा जुल्म नहीं करते। कुत्ते विल्ली को हम देखते हैं कि किस तरह वे अपने पिल्ले को खा जाते हैं। आज तक हमने ऐसा नहीं सुना कि गाय ने अपने बछड़े को या किसी बकरी ने अपने बच्चे को खाया हो। यह जुल्म, जबरदस्ती, खून, हत्या मांसाहारी ही कर सकते हैं।

उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि मनुष्य की शारीरिक रचना शाकाहारी प्राणियों के जैसी है। अब प्रश्न यह खड़ा होता है कि फिर मनुष्य मांसाहार क्यों करता है? मनुष्य को यह भ्रान्ति है नासमझी है कि मांस खाने से ताकत ज्यादा आती है, परन्तु यह सत्य नहीं है। मांसाहार को तुलना में शाकाहारी पदार्थ अधिक पौष्टिक, ताकतवर व गुणकारी हैं। घोंडा घान व घास खाता है फिर भी कितना तेज दौड़ता है। रस घोंडों की होती है, बाघों की नहीं। महाराणा प्रताप को चेटक घोंडे का साथ नहीं मिलता तो मेवाड़ उनके हाथों से कभी का निकल गया होता। कितने चाँड़े नाले को क्रुद

करके पार करना—यह चेटक घोड़े का ही कमाल था । आज जितने भी इंजिन नोटरे, मशीने है उनका पावर 'हार्सपावर' से गिना जाता है, कभी बाघ पावर या डॉग पावर नहीं । घोड़ा घटो भाग सकता है । हाथी घास खाता है फिर भी जगल का राजा शेर उसके सामने आ जाय तो हाथी शेर को घर दबोचता है । हाँ, पीछे से वार करने पर धूर्तता के कारण कभी शेर जीत सकता है ।

गाय घास खाती है, वह अमृत तुल्य दूध देती है ।

बैल घास खाता है, वह कितना बोभा ढोता है ।

शाकाहार करने वाले पहलवानों ने खूब कुशियाँ जीती और नामी पहलवान रहे हैं । इन पहलवानों में ८५ वर्षीय पद्मश्री द्रोणाचार्य, हनुमान, सतपाल पहलवान, सज्जनसिंह, ज्ञानसिंह, श्यामा पहलवान शुद्ध शाकाहारी हैं । अपराजेय पहलवान राममूर्ति, चंदन पहलवान, मास्टर चंदगीराम आदि अनेक पहलवान शाकाहारी ही रहे । मास इन्होंने छुआ तक नहीं ।

जितनी बीमारियाँ मांसाहारियों को होती है, उतनी शाकाहारियों को नहीं । जो रोग जिनका मास खाया जाता है उन प्राणियों को होते हैं वह रोग उस मास खाने वाले को भी हो जाते हैं परन्तु जो रोग वनस्पति में होते हैं वे उस वनस्पति खाने वाले को नहीं होते । उदाहरणार्थ गेहूँ को 'जखीरा' रोग हो गया तो वह रोग उस गेहूँ को खाने वाले को नहीं होगा । कैंसर, किडनी व हृदय रोग, दंत रोग व कब्ज की बीमारी अधिकतर मांसाहारियों को ही होती है ।

जो जानवर रोगग्रस्त है, उसका मास खाने से ऊतक (टिसूज) और रक्त में उस रोग के बीज पनपने लगते हैं । 'जर्नल ऑफ दि नेशनल कैंसर इन्स्टीट्यूट' अमेरिका का अध्यापन निष्कर्ष है कि जिन क्षेत्रों में मास की खपत ज्यादा है वहाँ आंत के कैंसर का आंकड़ा ऊँचा है । आस्ट्रेलिया में मांसाहार की सर्वाधिक खपत है तो वहाँ आंतों के कैंसर के रोगी सर्वाधिक हैं । डॉक्टर कैंसर और मधुमेह पीड़ितों को शाकाहार की ही प्रेरणा देते हैं । जितने समय में आप मेरा यह लेख पढ़ेंगे उतने समय में अमेरिकी चिकित्सक वहाँ की १०० महिलाओं को स्तन कैंसर बता चुके होंगे । इसका कारण है—मांसाहार । नेशनल कैंसर इन्स्टीट्यूट, टोकियो ने १,२२,००० व्यक्तियों का कई दशकों तक अध्ययन किया था और निष्कर्ष निकाला कि शाकाहारी तुलना में मांसाहारी-अंडाहारी को चार गुना कैंसर का खतरा उत्पन्न हो जाता है ।

मांसाहार करने वालों को जानलेवा बीमारियाँ ज्यादा होती हैं, अमेरिका की प्रतिष्ठित रिसर्च संस्था वर्ल्ड वाचने अपनी रिपोर्ट में यह जानकारी दी है कि मास खाने वाले को हृदय-रोग, मधुमेह, आंतों का कैंसर और दूसरी अनेक बीमारियाँ आसानी से हो जाती हैं । चिकित्सा विज्ञान में मांसाहार इन दिनों शोध का मुद्दा बना हुआ है । इसे घातक बीमारियों का जन्मदाता कहा

है। अमीर देशों में मांसाहार के कारण हुई घातक बीमारियों से मौतें ज्यादा हो रही हैं।

मांस, शराब, अण्डे के सेवन से मानसिक विकार उत्पन्न होते हैं। दुर्गुणों का जन्म होता है। मांस खाने वाले की मनोवृत्ति क्रोधी, पापी, विलासी, खूनी, तामसी, कामुक, अत्याचारी और भगडालू होती है। इसीलिए आज विश्व में अत्याचार, दुराचार, चरित्रहीनता, हिंसा, बलात्कार, द्वेष आदि दुर्गुण व कुकर्म बढ रहे हैं। गलत आहार-पान से आचार दूषित होता जा रहा है। अतः हमें उत्तम आरोग्य व श्रेष्ठ जीवन के लिये सत्य व तथ्य को समझकर शुद्ध सात्विक आहार ही लेना चाहिये। ऐसा आहार शाकाहार ही हो सकता है।

धर्म का रथ न जाने कहाँ जा रहा है।

अहिंसावादी मानव आज अण्डा खा रहा है॥

अण्डे को शाकाहारी बताकर, भूठे विज्ञापन देकर, दूरदर्शन पर लोगों को फंसाया जा रहा है। अण्डा पेड़ पौधों पर पैदा नहीं होता अतः उसको शाकाहारी बताना भ्रामक प्रचार कर भोली जनता को गुमराह करना है। शाकाहारी भोजन हमें अधिक दयालु बनाता है और इससे ही हमारा आध्यात्मिक कार्य सिद्ध होता है। शाकाहारी जीवन अपने आप में ध्येय नहीं है लेकिन अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए यह एक अनिवार्य साधन है। भौतिक विज्ञान के महान् वैज्ञानिक अलबर्ट आइन्स्टीन शाकाहारी भोजन के प्रभाव के बड़े कायल थे। वे कहते थे—शाकाहार का हमारी अपनी प्रकृति पर गहरा प्रभाव पडता है। यदि हम सार्वभौम रूप से शाकाहार को अपना ले तो मनुष्य की यह दशा ही पलट जाये। यदि हम अहिंसा का जीवन अपना ले, सबके प्रति मन में प्यार रखें तो हम इन्सान को ऊँचा उठा सकते हैं। प्रेम और अहिंसा के मार्ग पर चलने के लिए हमें शुद्ध शाकाहारी होना आवश्यक है। ऐसा करने से हम न केवल परमात्मा की सृष्टि के छोटे जीवों पर और अपने सहजातीय इन्सानों पर दया करेंगे बल्कि अपने आप पर भी दया करेंगे।

गाय, भैंस, बकरी, भेड़, मुर्गे यह कोई खाने की वस्तुएँ हैं? हम बुद्धिमान, विवेकवान मनुष्य हैं। हमें तो चाहिये कि हम इन निरीह, निष्पाप प्राणियों को खिलावे। ये अवोध भोले प्राणी प्रभु परमात्मा की सन्तान, जो इस पृथ्वी पर घासफूस खाकर जीवन निर्वाह करते हैं, हमें अमृत तुल्य दूध पिलाते हैं, खेतों में खाद देते हैं, और मरते-मरते भी अपनी चमड़ी हमारे जूते और चप्पलों के लिए छोड़ जाते हैं। ऐसे परमोपकारी उन पशु-पक्षियों को आदमी खाता है, प्रकृति ने हमें क्या कम दिया है? कितने पदार्थ खाने के लिये हैं? एक से एक बढकर वनस्पतियाँ, फल, मेवे, अनाज हमारे खाने के लिये हैं।

मनुष्य इतना क्रूर हो गया है कि उसने आत्मा-परमात्मा को ताक मे रख दिया । जीभ के चोंसले पूरे करने के लिए इन पशु-पक्षियों को खाने लगा—

पेट भर सकती है जब तेरा, फकत दो रोटियाँ ।  
क्यों ढूढता फिरता है, वेजुवा की वोटियाँ ॥

मांस में एक विशेष कीडा 'वारलनिम्' होता है जिससे खाने वाले को 'वरलि निजन' रोग हो जाता है इससे उस व्यक्ति की मौत हो जाती है । प्राणान्त होते ही जानवरों के शरीर मे सडाध पैदा होने लगती है । मांस चाहे मुर्गे का हो या बकरे का, भैंस, गाय, बैल या मछली का ही क्यों न हो, उसकी अप्राकृतिक मृत्यु की जाने से उसके मरते ही उसके कलेवर से लाखों, करोडो कृमि-कीट स्वयं ही पैदा होने लगते है । ऐसे कलेवर से आसपास के व्यक्ति या खाद्य फल सब्जी भी रोगग्रस्त हो जाते है तो उस विषाक्त मांस भक्षी को कितने रोग हो जाते होंगे ? वैज्ञानिक शोधे बता रही है कि कई घातक असाध्य रोग हो जाते है ।

नेशनल फेडरेशन ऑफ मीट ट्रेडर्स (इंग्लैण्ड) के शोध अधिकारियों ने निष्कर्ष दिये कि जब तक पशु जीवित रहता है, उसका मास जीवाणु रहित होता है । जैसे ही उसे कत्ल हेतु वेहोश करते है, वह कत्ल से भयभीत हो जाता है । तब उस पशु के मस्तिष्क मे एक खास किस्म के वेक्टीरिया निर्मित होते हैं और वे सारे मास में प्रवेश कर जाते है । उस मांस के खाने से कई घातक बीमारियां होती है ।

'दी हायजिनिस' के सम्पादक श्री आर. डब्ल्यू पारकर लिखते है— कत्लघर कैसा भी हो, चाहे कितनी भी स्वच्छता वरती जाय, वहाँ तो रोगाणुओं का जखीरा मिलेगा ही । मांस तो खराब ही रहता है—वह तो बीमारियां लायेगा ही ।

विश्व के महान् बुद्धिजीवी लियोनार्दो, अरस्तू, प्लेटो, शेक्सपीयर, पी. एस. हक्सले शाकाहारी थे । वैज्ञानिक आइन्स्टीन दार्शनिक वनाडशा, एच. जी. वेल्स, लियो टालस्टाय, जैली रूसो, एमर्सन आदि शाकाहारी थे । महाकवि सूर, तुलसी, मीरा शुद्ध सात्विक शाकाहारी थे । अहिंसा व सत्याग्रह के पुजारी महात्मा गांधी, राष्ट्रपति राजेन्द्र प्रसाद, लोह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल शुद्ध शाकाहारी थे । अहिंसा के अवतार भगवान महावीर स्वामी, महात्मा गौतम बुद्ध, शंकराचार्य, गुरु नानकदेव, स्वामी दयानन्द सरस्वती, स्वामी विवेकानन्द शुद्ध शाकाहारी तो थे ही, शाकाहारी जीवन-पद्धति के प्रवर्तक और पोषक भी थे ।

योर्जहिसका नि भूतानि, हिनस्त्यात्म मुखेच्छया ।  
स जीवन्व मृनश्चैव न क्वचित्मुख मेधते ॥

जो अहिंसक प्राणियों का वध अपने सुख की कामना से करता है, उसको जीतेजी और मरने के बाद कभी सुख नहीं मिलता । —मनुस्मृति

नाकृत्वा प्राणिनां हिंसा, मांसं मुत्पद्यते क्वचित् ।  
न च प्राणिवः स्वर्ग्यस्तितय, स्मान्यांसं विवर्जयेत् ॥

प्राणियों की हिंसा किये बिना मांस उपलब्ध नहीं हो सकता और प्राणों का वध करना सुखदायक नहीं, अतः मांस त्याज्य है । —मनुस्मृति

अनुमन्ता विशसिता, निहन्ता ऋय विक्रयी ।  
सस्कर्ता चोपहर्ता च, खादकश्चैति घातकाः ॥

अनुमति देने वाला, काटने वाला, मारने वाला, खरीदने वाला, बेचने वाला, पकाने वाला, परोसने वाला, खाने वाला—ये आठो हत्यारे हैं ।

—मनुस्मृति

मांस भक्ष्यैः सुरापानै, मूर्खश्चाक्षर वर्जितै ।  
पशुभिः पुरुषाकारैर्भा, क्रान्ताहि मेदिनी ॥

मांस खाने वाले, शराब पीने वाले, मूर्ख और निरक्षर ये दरअसल मनुष्य के रूप में पशु ही हैं, जिनके भार से पृथ्वी आक्रान्त रहती है ।

ऐसे विविध ग्रन्थों ने, विविध महापुरुषों ने मांसाहार की घोर निन्दा की है । जिस भारतवर्ष ने विदेशियों को शाकाहार की शिक्षा दी थी, उसी भारत में आज मांसाहार तेज रफ्तार से बढ़ रहा है । जब भारत आजाद हुआ तब हमारी जनसंख्या ३५ करोड़ थी, तब गोवंश ३६.४२ करोड़ था, भैंसे १०.६४ करोड़ थी । आज १९९३ में हमारी संख्या ८७ करोड़ है और गोवंश ९६० करोड़ और भैंसें ५८२ करोड़ ही रही है । स्पष्ट है कि इस बीच मनुष्य की आबादी बढ़ी है और पशु सम्पदा लगातार कम हुई है । कत्लखानों की चर्चा करते हुए कहा गया है कि कत्लखानों में सिर्फ पशुओं का ही कत्ल नहीं हो रहा है बल्कि वहाँ हमारी मानवता का, अर्थतन्त्र का, पर्यावरण का भी कत्ल हो रहा है । जिस निर्दयता से पशुओं का कत्ल हो रहा है, उससे मानवता का प उठेगी । साक्षात् नरक व यमलोक के दृश्य इन कत्लखानों में देखने को मिलेंगे ।

गो मांस, मेढकों की टांगे व बन्दरो का निर्यात कर हम विदेशी मुद्रा कमा रहे हैं । राम, कृष्ण और महावीर के इस देश में कभी दूध और घी की नदियाँ बहती थी, वहाँ आज लहू का व्यापार कर कत्लखानों की सख्या बढ़ाई जा रही है । अकेले देवनार के कत्लखाने में १०००० पशु रोज काटे जाते हैं । छोटे-बड़े सब मिलाकर ३००० कत्लखाने आज भारत भूमि को रक्तरेजित कर रहे हैं । राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त के शब्दों में—

दाँतों तले तृण दबाकर, है दीन गायँ कह रही,  
हम पशु तथा तुम मनुज, पर योग्य क्या तुमको यही ?  
जारी रहा क्रम यदि यहाँ, गोवंश के नाश का,  
तो अस्त समझो सूर्य, भारत भाग्य के आकाश का ।  
जो तनिक हरियाली बची, वह भी न रहने पायगी,  
यह स्वर्ण भारत भूमि बस, भरघट सम बन जायगी ।

कई सन्त पुरुष यहाँ हुए हैं, मुनि मेतार्य जैसे जिन्होंने एक भुर्गे की जान बचाने के लिए अपने स्वयं के प्राणों का बलिदान कर दिया । राजा मेघरथ ने एक कबूतर की रक्षा के लिए अपने पूरे शरीर को बलिवेदी पर चढ़ा दिया था । उसी भारत में आज हिंसा का ताण्डव नृत्य हो रहा है ।

हे मांसाहारी वन्धुओ ! कृपया अगली बार मांसाहार से पूर्व एक बार कत्लखाने व मुर्गीखाने में जाकर इन सूक प्राणियों पर किये जाने वाले अत्याचार, उनकी वेदना, चीत्कार व उन पशु-पक्षियों के चेहरो के भावों को अपनी आँखों से अवश्य देखें और मांसाहार के समय अपने ही गले को धीरे-धीरे कटते, उसमें से रक्त की धारा को बाहर निकलते, अपने ही आंसुओ से भरी आँखों से देखने की कल्पना करें और अपनी अन्तरात्मा से पूछें कि क्या हमारी श्रेष्ठता व मानवता इसी में है कि हम केवल अपने स्वाद के लिए निरपराध प्राणियों का वह जीवन उनसे सदा के लिए छीन लें, जो हम उन्हें दे नहीं सकते ?

—नयनतारा, सुभाष चौक, जलगाँव-५२५००१

## दयालु सूफी संत | श्री राजेन्द्रप्रसाद जैन

सन् ११९३ ई में दिल्ली में जन्मे मोहम्मद उर्फ हमीदुद्दीन बड़े नेक और धर्म-परायण सूफी संत थे । उनकी जखूरते बहुत कम थीं । एक तहमद और एक चादर बम । जो की रोटी को पानी में भिगोकर खा लेना ही उनकी जिन्दगी की खुराक बन गई । इबादत तो उनकी जान थी ही, रहमदिली भी इबादत का अंग बन गई । एक दिन आप सिजदे में थे कि एक चिड़िया ने आकर आपकी पीठ पर अण्डा दे दिया । आपका चिन्तन चला—अगर उठता हू तो एक वेगुनाह जान चली जावेगी और उस जान को बचाने के खातिर आपने उसी हालत में ४० दिन तक सिजदे में गुजार दिये । जब तक अण्डे से निकला वच्चा खुद-ब-खुद न उड़ गया । जब आपके ससुर की मृत्यु हुई तो आप लाटनू गये । वापिस लौटे तो कपडों पर एक चीटी नजर आई । बम, आप खयालों में खो गये कि यह घर-परिवार से बिछुड गई । मेरे द्वारा ही ऐसा हुआ, यह मुनासिब नहीं । आप वापिस लाटनू जाकर उस चीटी को वही छोड आये । सन् १२७८ ई में नागौर में आपकी मृत्यु हुई । इन रहमदिली सूफी संत के आहता-ए-दरगाह में कोई इंसान मास नहीं पका सकता, कोई इंसान गोशत खाकर मजार पर हाजरी नहीं दे सकता । हकीकत में रहमदिली ही तो इंसानियत की रोगनी है ।



# अहिंसा और पशु-संरक्षण

□ श्री बी० रमेश जैन

बुद्ध-महावीर, राम-कृष्ण व गाँधी के इस अहिंसक देश में प्राणी मात्र को अभयदान देना 'अहिंसा' की श्रेणी में आता है। विडम्बना है कि अहिंसा व पशु संरक्षण को आज हमने बहुत संकुचित कर लिया है।

आज 'पशु-संरक्षण' का साधारणतया अर्थ लिया जाता है 'गो-रक्षा'। कसाईखानों से बूढ़ी गायों को छुड़ा, गोशाला में पालना ही पशु-संरक्षण समझकर कर्तव्य से इतिश्री समझ लेते हैं। कहीं-कहीं पर सरकार पर दबाव डालकर कुछेक नियम-उपनियम बनाये जाते हैं और किन्हीं विशेष तिथियों पर पशु-वध निषेध की आज्ञा जारी कर दी जाती है।

आज आवश्यकता है, इस दिशा में व्यापक दृष्टिकोण अपनाने की। मेरा मन्तव्य है—वैज्ञानिक अनुसंधान के नाम पर होते वाली पशुओं की हिंसा को रोकना भी एक प्रकार से अहिंसा व पशु-संरक्षण का ही एक पहलू है।

मानव कल्याण के नाम पर वैज्ञानिक परीक्षणों के लिए विश्व की अनेक प्रयोगशालाओं में करोड़ों असहाय, मासूम, सूक जीव जन्तुओं, पशु-पक्षियों की बलि चढ़ा दी जाती है।

इन निरीह प्राणियों को मानव-कल्याण की दुहाई देकर जीते जी उवाल देना, या शून्य से नीचे के तापमान पर जमा देना, उनके घाव करना, उनके मस्तिष्क की चीर-फाड़ कर देना और उन्हें उन्हीं पीडाजनक परिस्थिति में छोड़ देना यह सब पशु-हिंसा नहीं तो क्या है ?

इन प्राणियों पर किये गये परीक्षणों व परिणामों को शोध पत्र-पत्रिकाओं में ऐसी जटिल भाषा में प्रस्तुत करना कि—जनसाधारण यही समझे कि कोई महान् वैज्ञानिक अनुसंधान हो रहा है जबकि वास्तविकता यह है कि इन तमाम तथाकथित परीक्षणों से नई खोज के नाम पर प्रायः नया कुछ नहीं उपलब्ध होता। वे परीक्षण पुराने प्रयोगों का अधानुकरण बन कर रह जाते हैं।

'इण्डियन जनरल ऑफ सर्जरी' के खण्ड ३४ अंक ३ की रिपोर्ट के अनुसार—'एक ऑपरेशन में १५ कुत्तों की तिल्लियों को निकाल उनकी एक प्रमुख धमनी को काटकर खून बहाया गया। इस परीक्षण की उपलब्धि इतनी रही कि—विदेशों में मोराविट्रज नामक वैज्ञानिक ने भी हूबहू प्रयोग किया। दोनों का परिणाम एक सा रहा।



इसी तरह, मात्र यह सिद्ध करने के लिए कि—'बाँकुरा जिले में जापानी मस्तिष्क ज्वर के प्रसार में चिड़ियों व नन्हे स्तनपेशियों की भूमिका कुछ भी नहीं है', १०५ चिड़ियों व १२१ चूहों-गिलहरियों के दिल का सीधा पक्कर करते हुए खून के नमूने इकट्ठे किये गये (इण्डियन जर्नल ऑफ मेडिकल रिसर्च, खण्ड ६४, अंक १२)

ऐसे अनेक शोध संस्थानों में ऐसे अत्याचार विविध रूप में होते हैं—वैज्ञानिक अनुसंधान के नाम पर। यही नहीं, बल्कि हमारे स्कूल-कॉलेजों आदि शिक्षण संस्थाओं में भी विज्ञान सकार्यों में व्यावहारिक जानकारी के नाम पर करोड़ों की सख्या में मेढको, चूहों, कबूतरो, गिलहरियों का अंग-छेदन किया जाता है। परिणाम—वही पुनरावृत्ति।

जहाँ तक जानवरों के परीक्षण से मानव कल्याण की बात है, बिलकुल बेमानी सिद्ध होती जा रही है। मानव की शरीर रचना व जानवरों की शरीर रचना में बहुत से मौलिक अंतर हैं। कई बार कोई औषधि जानवरों पर अनुकूल होती है, परंतु मानव के लिए अनुपयुक्त। जैसे "थैलिडोमाइड" दवाई का कई बार बन्दरो व चूहों पर छ. साल के कड़े प्रतिबंधों के अधीन प्रयोग कर इसे मनुष्य के लिए निरापद पाया गया। लेकिन जब इसका प्रयोग तनावग्रस्त व गर्भवती महिलाओं के लिए किया गया, परिणामस्वरूप १० हजार शिशुओं का जन्म हाथ-पैर विहीन हुआ जिनमें कई जन्मते ही मर गए और कड़ियों की जिन्दगी तो मौत से भी बदतर हो गयी।

आज आवश्यकता है कि—इस दिशा में हम प्रभावी कदम उठाये। आज जब बिना चीर-फाड़, यातना व खून-खराबे के "ऊतक सवर्धन (टिशू कल्चर) क्लीनिंग जैसी अभिनव प्राविधिया उपलब्ध हैं, जिसके अन्तर्गत सीधे मानव कोशिकाओं को सवर्धित कर' उन पर मन चाहे प्रयोग व परीक्षण कर सकते हैं तो फिर क्या आवश्यकता है—इन वेजुवान-वेगुनाह प्राणियों के प्राण हरने की? और फिर टिशू कल्चरल प्रौद्योगिकी है भी अपेक्षाकृत सस्ती।

इस दिशा में मेरे कुछ सुभाव व विचार निम्नांकित हैं :—

(१) वैज्ञानिक अनुसंधान के नाम पर हो रही वर्वरता को रोकने के लिए उचित कानून बनाने हेतु सरकार पर दवाव डाला जाये।

(२) यह अनुभूत सत्य तथ्य है कि कानून बनने पर भी उसके चौरास्ते बना लिये जाते हैं अतः इसके कड़ाई से पालन पर भी ध्यान दिया जाये।

(३) एक ऐसा 'पशु संरक्षण प्रकोष्ठ' बनाया जाये, जिसमें प्रवृद्धजनों के साथ-साथ अहिंसा प्रेमी वैज्ञानिकों को भी शामिल किया जाये, जो वैज्ञानिक

शोध संस्थानों में जाकर तथ्य की सत्यता/व्यर्थता की जाँच पड़ताल करे तथा वेकार के पुनरावृत्त प्रयोगों को रोके ।

(४) शिक्षण संस्थाओं में करोड़ों की संख्या में जो पशु-पक्षी बध हो रहे हैं, उन्हें रोका जाये । जन जागृति बढ़ायी जाये ।

(५) 'टिशू कल्चर प्रौद्योगिकी' को प्रोत्साहन दिया जावे । हर प्रयोग-शाला में 'टिशू कल्चर' कक्ष की अनिवार्यता पर बल दिया जावे ।

(६) आज हर कोई हर कहीं पर्यावरण-प्रदूषण की बात करता नजर आता है । कही वायु प्रदूषण, कही जल प्रदूषण, तो कही परमाणु कचरे का प्रदूषण । प्रदूषण दूर करने व पर्यावरण को सतुलित व सयमित करने के लिए आज अत्यन्त आवश्यक है, मानव मन के पर्यावरण का प्रदूषण दूर किया जाये । 'मन शुद्धि' व 'विचार-शुद्धि' ही इसका एकमात्र उपाय है ।

(७) अत में एक विशेष बात—'जो भी परीक्षण व प्रयोग पशुओं पर किये जाते हैं, इसी दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर होते हैं कि—“मानव जीवन निरोगी व सुखमय हो ।”

फिर भी यह कटु सत्य है कि—जितनी औषधियों का आविष्कार अब तक हुआ है, उसके पीछे कितने ही प्राणियों की बलि दी गयी । फिर भी, आज मनुष्य निरोगी होने की अपेक्षा नित नई बीमारियों से जकड़ता जा रहा है । वतौर—'मर्ज बढ़ता गया ज्यो ज्यो दवा की' ।


आज तक भी कोई वैज्ञानिक डके को चोट पर यह नहीं कह सकता है कि—उसके द्वारा परीक्षित व आविष्कृत औषधि से कोई साइड इफेक्ट न होगा और वह पूर्णतः १००% सुरक्षित दवा है ।

ऐसी स्थिति में 'प्राकृतिक चिकित्सा' व 'योग साधना' इन दोनों क्षेत्रों में अनुसंधान तथा प्रचार प्रसार किया जावे तो आधुनिक चिकित्सा शोध के मूल उद्देश्य 'निरोगी-मनुष्य जीवन' को हम बिना किसी प्राणी की हिंसा के, आसानी से पा सकते हैं ।

'प्राकृतिक चिकित्सा' 'चुम्बकीय चिकित्सा', 'एक्यूप्रेसर चिकित्सा' एव 'योग साधना' पूर्णतः अहिंसक प्रणालियाँ हैं । आप लगे इस दिशा में सोचें व आगे बढ़ें, तब ही हम अपने 'प्राणी संरक्षण' 'प्रदूषण रहित पर्यावरण' 'शाकाहार' तथा 'अहिंसा' के उद्देश्यों की प्रतिपूर्ति कर सकते हैं ।

—१०/८, वासनवाड़ी रोड, एम. एस नगर, वगलौर-५६० ०३३





## अहिंसा, आतंकवाद और जैन

□ श्री सुधीन्द्र गेमावत

जैन दर्शन जीवन के हर पक्ष को प्रभावित करता है। अहिंसा और जैन एक दूसरे से अभिन्न रूप से जुड़े हुए हैं। परन्तु कई परिस्थितियाँ ऐसी आ जाती हैं जब सिद्धान्तों और व्यावहारिकता में टकराव होने लगता है और एक जैन किंकर्तव्यविमूढ़ हो जाता है।

देश में आतंकवाद, लूट, हत्याये, स्त्रियों पर अत्याचार आदि की घटनाओं में अभिवृद्धि हो रही है। यदि कोई जैन इन विपदाओं का शिकार बन जाय तो वह इनका प्रतिकार कैसे करेगा? अधिकांश जैन घरों में एक मात्र धारदार औजार सब्जी काटने की छुरी के अलावा कुछ नहीं होता। जब चीटी तक के मरने पर पीड़ा होती है, साँप-बिच्छू को भी यदि कोई मारता है तो मन दुःखी होता है, जब कोई खून की धार बहती है तो देखी नहीं जाती, और तो और दुर्घटना में ग्रस्त व्यक्ति की दशा भी देखते नहीं बनती, तब ऐसे सस्कार वाले जैन—आततायियों और दुष्टों का किस प्रकार मुकाबला कर सकते हैं?

प्रश्न यह उठता है (पूर्व में जैनो ने अन्य सभी कर्मों से विमुख होकर व्यापार और नौकरी को ही अपनाया और इस प्रकार अहिंसा से काम चल गया) कि वर्तमान परिस्थितियों में जैनो द्वारा अस्त्र-शस्त्रों से विदाई ले लेना किस प्रकार उचित कहा जा सकता है?

क्या आतंकवाद का मुकाबला अहिंसा से किया जा सकता है? इन दिनों जब पंजाब और कश्मीर में आतंकवाद का ताण्डव नृत्य हो रहा है, भारतवर्ष के जैनो ने इस समस्या के हल के लिए क्या प्रयास किए और अब भी उनसे रचनात्मक सुझाव माँगे तो वे क्या कहेंगे? इस समस्या का कोई जैन—उत्तर भी होना चाहिए। साधारणतया इस मामले में सिवाय दण्ड के कोई चारा नहीं है क्योंकि साम, दाम और भेद की नीति कोई काम नहीं आयी। दण्ड आतंकारियों के लिए कष्टदायक और जानलेवा भी हो सकता है। किसी व्यक्ति के मन को जीतकर उसे अहिंसक बनाया जा सकता है परन्तु यदि किसी कट्टर आतंकवादी को अहिंसक बनाया जाय तो युग बीत जायेंगे और तब तक अनेक निर्दोष लोग अपनी जान गँवा बैठें होंगे। सम्भवत ऐसी

स्थिति—में विरोधी हिंसा के आलोक में जैन धर्म भी शायद यही कहेगा कि ऐसे व्यक्ति को यदि मार भी दिया जाय तो कोई हर्ज नहीं।

ऐसी ही समस्या देश की सुरक्षा में भी खड़ी हो सकती है। जब हमारा राष्ट्र दुश्मन राष्ट्र से लड़ता है तब फौज और सिपाही का कर्तव्य सामने की फौज का सामना आधुनिकतम अस्त्र-शस्त्रों से करना ही होता है। किसी नगर पर शक्तिशाली बम डाला जाय तो उस स्थान की हालत का अन्दाज ही लगाया जा सकता है। तब यदि कोई जैन सैनिक या सेनापति हो तो उसका क्या कर्तव्य बनता है? क्या वह पूर्ण अहिंसा का पालन कर सकता है?

शायद कोई यह कहे कि किसी जैन को फौज में जाना ही नहीं चाहिए, न वह जाता और न ही उसे इस मुसीबत का सामना करना पड़ता। पर मान लीजिए कभी कोई राष्ट्र केवल मात्र जैनियों का ही हो तो वे अपने राष्ट्र की सुरक्षा किस प्रकार करते? क्या वे किसी और से प्रार्थना करते कि हमारी सुरक्षा कीजिए? यदि यह कार्य स्वयं जैन न कर, दूसरे से करवाता है तो वह अपनी नैतिक जिम्मेदारी से बच नहीं सकता?

मनुष्य जाति अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानती है और प्रकृति में पाए जाने वाले अन्य जीवों को अपने से निम्न मानकर उनका शोषण करती है। सामान्यतः जैन सभी जीवों को आत्म-तत्त्व की दृष्टि से एक समान मानते हैं, वे चाहे पंचेन्द्रिय हों या ऐकेन्द्रिय, वायुकाय हो, जलकाय हो, पृथ्वीकाय हो या वनस्पतिकाय। जब किसान अनाज उगाता है तो कई स्थूल और सूक्ष्म जीवों का हनन करना पड़ता है। कीटनाशक औषधियों की टाणुओं का नाश करती है। रेशम बनाने में रेशम के कीड़े को नष्ट ही करना पड़ता है। मछली का तेल, मछलियों को नष्ट करके बनाया जाता है। गाय भैंसों के दूध में हम बछड़ों का हक छीनते हैं। जो जीव हमें नुकसान पहुँचाते हैं, उनको नष्ट करते ही हैं—व्यापार के लिए भी हम निरीह जीवों को समाप्त कर देते हैं। प्राणियों को नष्ट करे, उन्हें आघात पहुँचाएँ, उनकी स्वतन्त्रता छीने, सभी में हिंसा है।

तब क्या जैन धर्म के अनुसार फसलों को नहीं उगाया जाये, वनस्पति और पशुओं का उपयोग मनुष्य के लाभ के लिए नहीं किया जावे? क्या विभिन्न औषधियों का निर्माण नहीं किया जावे? क्या अस्त्र और मकान नहीं बनाए जावे? क्या सभी लोग पूर्ण अहिंसक बन सकते हैं? वर्तमान सभ्यता को छोड़कर पुनः कन्दमूल फल खावे व जंगल में रहने चले जाना क्या अब सम्भव है?

जहाँ भी जाये संसार प्राणियों से भरा हुआ लगता है । जीव मरते रहते हैं—पैदा होते रहते हैं । कुछ अपने आप मरते हैं, कुछ को मारने में मनुष्य का हाथ होता है चाहे जाने या अनजाने । प्रकृति मारती है तो दोष किसी का नहीं, अनजाने मरते हैं तो भी दोष न माने, पर उसे जानबूझ कर मारा जावे तब तो मनुष्य दोषी है ही । परन्तु यदि वह न मारने की स्थिति धारण कर ले तो फिर उसे आदिम अवस्था में ही जाना पड़ेगा । जब-जब भी सभ्यताओं का विकास होगा—भोगोपभोग की अधिकाधिक वस्तुओं का निर्माण होगा—हिंसा बढ़ती ही रहेगी । विज्ञान ने हमारी जानकारी से इसकी काफी पुष्टि कर दी है ।

उपर्युक्त ज्वलत समस्याओं पर जैन धर्म के दार्शनिकों, विचारकों और विद्वानों को गम्भीर विचार करना चाहिए और अहिंसा को व्यावहारिक रूप में कैसे प्रयोग में लाया जावे, इस हेतु मार्ग-दर्शन करना चाहिए । महात्मा गांधी ने राजनीति में अहिंसा को अस्त्र के रूप में प्रयोग में लिया था परन्तु हर व्यक्ति महात्मा गांधी नहीं हो सकता । प्रश्न तो सामान्य व्यक्ति, सामान्य जाति या सामान्य राष्ट्र का है और ऐसा लगता है कि जीवन के अन्तिम दिनों में जब भारत का विभाजन हुआ महात्मा गांधी का भी अपने सिद्धान्तों के प्रति विश्वास कम हो गया होगा ।

इतिहास में ऐसे और भी अवसर आये होंगे और इसी प्रकार की समस्याओं का समाधान ढूँढा गया होगा पर नये परिप्रेक्ष्य में उसी बात को नये सिरे से कहने की आवश्यकता है क्योंकि ज्ञान-विज्ञान की अभिवृद्धि से—लोगों के विचारों में भी काफी परिवर्तन आ चुका है । आज के 'अर्जुन' को, 'कृष्ण' की प्रतीक्षा है कि वे आवे और धर्म की पुनः प्रतिष्ठा करे ।

—३ न ३, जवाहर नगर, जयपुर—३०२००४

— □ —

यह जमाना हथियारबन्द कायरता का है । कायरता ने अपने हाथ में हथियार इसलिए रखे हैं कि वह दूसरों के हमले से डरती है और स्वयं हथियार इसलिए नहीं चलाती कि उसे हिम्मत नहीं होती । जो डर के मारे हथियार नहीं चला पाती उसी का नाम कायरता है । इस कायरता से इन्सान को उबारने वाली केवल एक ही शक्ति है—अहिंसा ।

—डॉ० राधाकृष्णन



## अहिंसा की सार्थकता : प्रश्न फिर उपस्थित है

□ श्री ओंकार श्री

अहिंसा वीरों का धर्म है। यह 'महावीर' का उद्घोष है। कायरों की ढाल नहीं है—अहिंसा ! न यह कोरा हिंसा का ही नकार है। समता प्रेम-सेवा की त्रिपथगा। अहिंसा की कसौटी क्या है ? अहिंसा की कसौटी है— आत्मा ! 'आत्मवत् सर्वभूतेषु' की—दृढ भित्ति पर खड़ी अहिंसा पर नए सिरे से विचार करने की बात नौआखाली व बंगलादेश में हुए अमानुषिक अत्याचारों के दौर में उठी। तब, गाँधी जी ने महिलाओं को आत्मरक्षा के लिए चाकू धारण करने को कहा। तब उपाध्याय अमर मुनिजी ने बुलन्द स्वरो में कहा—

“बंगलादेश में अत्याचार पराकाष्ठापर है और आश्चर्य कि अहिंसा, दया और करुणा के उद्घोषक धर्म गुरुओं की दृष्टि में जैसे कुछ हो ही नहीं रहा है। कहाँ है वह अहिंसा, कहाँ है वह करुणा, कहाँ है वह मानवता, जिनके ये सब दावेदार बने हुए हैं ? क्या धर्म मरने के बाद ही समस्याओं का समाधान करता है ?

अहिंसा पर नए सिरे से विचार करने का अवसर आ गया है। लगता है अहिंसा सब ओर से सिमट कर एक नकार पर खड़ी हो गई है। नकार की अहिंसा में प्राणवत्ता नहीं रहती। वह निर्जीव हो जाती है। अहिंसा का अर्थ अब हिंसा न करना है, वह भी एकांगी, स्थूल, दिखावाभर साथ ही तर्कहीन। जीवन चर्या में कुछ अंग ऐसे हैं, जिनमें बाहर से तो अहिंसा जैसा लगता है, किन्तु अगल-वगल की—अन्दर की पृष्ठभूमि में भाक कर देखे तो हिंसा का नग्न नृत्य होता नजर आता है।”

अहिंसा की सार्थकता प्रश्न फिर उपस्थित है :

संसार के सभी अहिंसावादी विचारक इस बात को सर्वमान्य रूप से मानते हैं कि अत्याचार को सहना, अत्याचारी को बड़ावा देना है, यह जघन्य पाप है, हिंसा है। आततायी के आगे सत्याग्रह से काम चलता तो गाँधी जी कश्मीर में भारत द्वारा फौजे भेजने का समर्थन नहीं करते।

आज देश में चारों ओर हिंसा और आतंक का वातावरण व्याप्त है। शूरवीर, अहिंसा पालक गाँधी के अनुयायी, आज पंजाब, कश्मीर व त्रह्यपुत्र

क्षेत्रीय असमी राज्यों के खूनखच्चर को देखकर निष्क्रियता से हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं भाषा, धर्म, जाति व क्षेत्रवाद की हवा पाकर पनपती हिंसा के विरोध में सारे - धर्माचार्य अहिंसक प्रतिरोध की शक्ति खड़ी नहीं कर पा रहे ।

यह असह्य है कि अहिंसा, हिंसा को सहे । बर्बर अत्याचार के दौर में अहिंसक मौन रहे । अहिंसा द्वारा हिंसा पर प्रत्याक्रमण होना अनिवार्य है । एक सशक्त लोक शक्ति जागृत करने का बीड़ा राजनेता नहीं, आध्यात्म प्रचेता ही उठा सकते हैं ।

यदि सामूहिक रूप में अहिंसात्मक प्रतिकार के लिए प्रणवीर—प्राणी मित्र अहिंसक—सेनानी अत्याचार और आतंकग्रस्त क्षेत्रों में शांति वीरों के रूप में नंगे हथियारों के सामने सीना खोल कर खड़े हो जाये तो हिंसाचारियों के हौसले पस्त हो जायेंगे । सारा संसार इस शांत क्रान्ति से हिल उठेगा । प्रश्न पुनः उपस्थित है— ऐसे जीवट-वान अहिंसक वीरों से क्या भारत भूमि शून्य हो गई है ?

**अहिंसा से बड़ी कोई मर्यादा नहीं :**

यह समय गैर मामूली है । अच्छे से अच्छा सिद्धान्त, उत्कृष्ट से उत्कृष्ट आदर्श जब तक बुलन्द व्यवहार में आकर मानव-त्राता सिद्ध नहीं होगा तो वह जोवन्तता खो देगा । जब तक हिंसा का बोलबाला है तब तक अहिंसा की सार्थकता की ओर हमें सदैव सावधान मुद्रा में रहना होगा ।

मनुष्य मूलतः अहिंसक है । वह स्वभावतः करुणावान होता है । जो सच्चा अहिंसक है वह कायर कभी नहीं हो सकता । हम न भूले कि जो कायर होता है वह बहुत क्रूर होता है । जहाँ क्रूरता होगी वहाँ ही हिंसा ।

आज देश के सामने सबसे बड़ा संकट है तो यही है कि भारत की जनता का आन्तरिक शौर्य और जीवट मूर्च्छित अवस्था में पड़ा है । बिना जीवट न राज सुरक्षित रहेगा, न कोई समाज ।

मर्यादा है आचार्यों की, साधुओं की । साधकों और श्रावकों की । पर अहिंसा की रक्षा से बड़ी कोई मर्यादा नहीं । सारा संसार अहिंसा की गाँधी युगीन प्रयोग धर्मिता से प्रभावित हुआ । जैन और बौद्ध ही क्यों स्वयं वैदिक परम्पराओं द्वारा अहिंसा को परम धर्म मानने की बात विश्व भर के आध्यात्म प्रेरणा और विज्ञानवेत्ता मानते हैं ।

पर हम भारतवासी आज अहिंसा के महावीर-पथ से अलग-थलग पड़कर दिनोदिन दुर्बल पड़ते जा रहे हैं । हमारी अस्मिता खतरे में है । तेजहीन पीढ़ी का कोई भविष्य नहीं होता । अहिंसा की मर्यादा पर प्रश्न चिन्ह लग रहा है ।

राह बनेगी : बातों से नहीं बलिदानों से :

महाबली है काल ! अपराजेय है मानवता ! घनघोर अंधेरे में उजाले की आकुल प्रतीक्षा होती ही है। प्रतिकूल और प्रतिगामी वातावरण में कभी-कभी मानव-मन अशांत और उद्धिग्न होकर निराशा में भटक जाता है।

पर 'महावीर' वही होता है जो विपरीतता और विषमता के पथ के रोड़ों को अपने अपूर्व आत्मबल से हटाता हुआ—दिग्भ्रमित काल परिवेश में समता का सन्देश, प्रेम की वाणी और सेवा की निष्कपटता से भयत्रस्त प्राणियों को साहस पथ पर अग्रसरित करता है।

अग्रसरित करता है सुपथ पर लोक को आचार्य। 'महावीर' को हम समझें। अहिंसा की समझ हमारे मस्तिष्क में बैठेगी तभी। हमने गांधी को अनसुना कर दिया। बुध को बिसरा दिया। अभी, अभी विदा हुए विनोबा और जयप्रकाश को हम भूल गये। भूल गये हम क्रांतिकेता जवाहराचार्य की जन-जिनवाणी को। हम इन्हें भूलकर भी नहीं भूलेंगे यदि हमने 'महावीर' के स्वरो को सुना तो—

'आय तुले पयासु'—प्राणीमात्र को आत्म तुल्य समझो।—यह हमारा रक्षा सूत्र है। हम अनात्मीय हो गये हैं। इसलिए क्रूर हो गये हैं।

अहिंसा के पास करने जैसा कुछ नहीं है क्या ? यह प्रश्न उठ चुका है फिर से। इसका उत्तर—वीर धर्म में है। वीर, निर्दयी नहीं होता। देश को और पूरे संसार को वीर धर्मी-महावीर चाहिए। त्राण हिंसा से नहीं होगा। मनुष्य को प्यार दो। वह संहार नहीं चाहता। हथियार वद कायरता से मुक्ति दिलाएगी अहिंसा ही, पर राह बनेगी बातों से नहीं, बलिदानों से !

—बागी नाडा रोड, रानी बाजार, बीकानेर-३३४००?

## अहिंसा संयम और तप

अहिंसा हमारा लक्ष्य है और जीवन को अहिंसामय बनाने के लिए नयन और तप ये दो उसके साधन हैं। जिसके मन में, तन में और वाणी में संयम होगा, वह व्यक्ति अहिंसा का ठीक रीति से पालन करेगा। संयम-शून्य कार्य का आचरण अहिंसा नहीं है।

—आचार्य श्री हस्ती





## अहिंसा की ज्योति को आगे बढ़ायें

□ श्री सरदारमल कांकरिया

आज ससार मे चारो ओर हिंसा की ज्वाला भडक रही है । कभी-कभी तो ऐसा लगता है कि कही सारा ससार हिंसा की इस ज्वाला मे भस्म न हो जाए । प्रातः उठते ही समाचार-पत्रो के माध्यम से जानने को मिलता है कि कही बम के धमाके छूट रहे हैं, कही बन्दूक से गोलियाँ चल रही है, तो कही उग्रवादी और आतंकवादियो के माध्यम से निरपराध लोगो की हत्याएँ की जा रही है । आगजनी, लूट-पाट, बलात्कार जैसे जीवन की सामान्य घटनाएँ हो रही है । ऐसे हिंसाग्रस्त अशान्त संसार में शान्ति स्थापित करने का एक मात्र मार्ग यदि है तो वह अहिंसा, प्रेम और भाईचारे का ही है ।

यो तो सभी धर्मो ने अहिंसा को महत्त्व दिया है, लेकिन जैन धर्म मे अहिंसा की अत्यन्त सूक्ष्म व्याख्या करते हुए कहा गया है कि किसी को जान से मारना ही हिंसा नहीं है वरन् किसी के मन को ठेस पहुँचाना, कठोर और कटु वाणी से किसी को दुःखी करना, किसी के हक को छीनना, किसी को गुलाम बनाकर रखना भी हिंसा है । भगवान महावीर ने प्राणी मात्र के प्रति मैत्री भाव का उपदेश दिया । आज महावीर के अहिंसा सिद्धान्त के प्रचार-प्रसार की एवं जीवन मे उसे उतारने की अत्यन्त आवश्यकता है ।

भगवान महावीर की शासन-परम्परा आज तक चली आ रही है, लेकिन दुःख इस बात का है कि श्रमणों, श्रावको एव समाज के नेताओ ने अपने क्षेत्र को अत्यन्त सीमित कर अहिंसा धर्म की विश्वजनीन व्यापकता को संकीर्ण घेरे में बाध दिया है । विशेषकर श्रमणो ने कठोर चर्या का पालन करना, कठिनाइयों का जीवन जीना, सम्यक् आहार-विहार की मर्यादा का पालन करने में ही सन्तोष मान लिया है । जबकि आज आवश्यकता इस बात की है कि वे अपने-सम्प्रदायो से और क्षेत्रो से ऊपर उठकर आगे बढ़कर अपनी साधना, तेजस्विता और प्रभाव का ऐसा उपयोग करें कि सभी वर्ग और जाति के लोगो मे प्रेम बढे, अज्ञान घटे, सामाजिक

कुरीतियाँ दूर हों और उनके अहिंसा-व्यापी जीवन का प्रभाव सम्पूर्ण मानवता पर पड़े।

जैन श्रावकों ने भी श्रमणों के दर्शन, प्रवचन-श्रवण, संघयात्रा और दैनिक जीवन के सामान्य व्रत-नियमों का पालन करना ही अपने कर्तव्य की इतिश्री समझ ली है। वर्चस्व श्रावकों पर काफी है, गृहस्थ लोग उन पर अगाध श्रद्धा रखते हैं। उनकी आज्ञा शिरोधार्य करने को हमेशा तत्पर रहते हैं। पर श्रमण मन्दिर निर्माण, स्थानक-निर्माण, बड़े-बड़े आयोजन करवा कर ही अपने वर्म-सन्देश को सफलता मान बैठते हैं। अहिंसा की शक्ति का विश्व-ज्ञान्ति में, पीड़ितों की सेवा में विशेष उपयोग हो, इस ओर उनका ध्यान कम जाता है।

अहिंसा में अपार शक्ति है, यह तो भगवान महावीर ने सिद्ध किया ही था। वर्तमान में महात्मा गांधी का उदाहरण हमारे सामने है कि एक दुबले-पतले व्यक्ति ने अहिंसा के बल पर महान् शक्तिशाली अंग्रेजी साम्राज्य से लोहा लेकर भारत को स्वाधीनता दिलाई। आज सभी राष्ट्र शान्ति चाहते हैं, इसके लिए अलग-अलग मार्ग खोजते हैं, नये-नये वाद स्थापित करते हैं, पर सबसे प्रभावी और सरल मार्ग अहिंसा का ही है। अमेरिका और रूस जैसे शक्तिशाली राष्ट्र भी अब शस्त्रों से होने वाली हानियों से आतंकित हैं और गत वर्षों में अस्त्र-शस्त्रों के निर्माण पर रोक लगी है, उनके प्रयोग को उत्तरोत्तर कम किया जा रहा है। संसार के सभी राष्ट्र-नेता और चिन्तक अब एक मत हैं कि पृथ्वी का अस्तित्व अहिंसा के द्वारा ही कायम रखा जा सकता है। भारत में पंजाब में उग्रवाद और घातकवाद का जो दमन-चक्र चल रहा था, उसमें भी अब कुछ कमी आयी है। हिंसा का प्रतिकार हिंसा द्वारा नहीं, अहिंसा द्वारा ही किया जा सकता है। अतः वात अब लोग समझने लगे हैं और यही स्थायी शांति का मार्ग है।

आज अहिंसा की ज्योति को आगे बढ़ाने की जरूरत है। यह तब हिंसा के निषेधात्मक पक्ष पर ही अधिक बल दिया जाता रहा है और आवश्यकता है अहिंसा के सकारात्मक पक्ष को अधिक से अधिक अपनाने की। प्रतिष्ठित जैनाचार्य श्री जवाहरलालजी म. सा. कहा करते थे कि यदि तुम्हारा पड़ोसी भूखा है, तुम उसकी मदद करने योग्य हो, फिर भी मदद नहीं कर रहे हो तो तुम्हें हिंसा का भागी बनना पड़ता है। उन्होंने महारंभ और महारंभ की सूक्ष्म विवेचना करते हुए चत्वारंभी बनने पर और स्वयं ने खादी पहनी और दूसरों को खादी पहनने को प्रेरित की। जोषण को हिंसा बताया और स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग पर जोर दे वे कहा करते थे कि बाजार से दूध खरीदने की प्रेरणा पर दे

प्राप्त करना, बाजार में भोजन लेने की अपेक्षा घर में यत्नापूर्वक भोजन बनाना अहिंसा का मार्ग है। उन्होंने आत्मधर्म के साथ-साथ ग्राम धर्म, नगर धर्म एवं राष्ट्र धर्म की आधुनिक परिप्रेक्ष्य में व्याख्या की और अहिंसा को स्वतन्त्रता, समानता और लोक-कल्याण से जोड़ा। उन्होंने हर कार्य को विवेकपूर्वक करने की सलाह दी। विवेक अहिंसा है और अविवेक हिंसा है।

आज जैन समाज भारत के सम्पन्न समाजों में गिना जाता है। हमें जरूरतमन्द लोगों की सहायता करनी चाहिए। आज हमारे देश के निवासियों को शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार और स्वावलम्बी जीवन जीने की कला सीखने की आवश्यकता है। यदि हम इस दिशा में सक्रिय होकर सहयोग करे तो समझना चाहिए कि हम अहिंसा की ओर बढ़ रहे हैं और यदि योग्यता और क्षमता होने हुए भी निष्क्रिय बने रहें तो हमें हिंसा का बोझ बनना ही पड़ेगा। हमारा कर्तव्य है कि हम जगह-जगह नये-नये स्कूल खोलें, बुक बैंक की स्थापना करे, रोगियों की सेवा के लिए अस्पतालों का निर्माण करे, बेरोजगारों को प्रशिक्षण देकर उद्योग-धन्धों में रोजगार दें और यह सब कार्य निःवार्थ भाव से, सेवा-भाव से करें। ऐसा करके हम इस अशान्त वातावरण में शान्ति की स्थापना करने में सहयोगी बन सकेंगे।

—२ ए, क्विस पार्क, वालीगंज, कलकत्ता—७०००१६

## दयालुता

पैगम्बर हजरत मोहम्मद नित्य जिस रास्ते से जाते उसमें एक वृद्धा उन्हें देखकर कुपित हो, उन पर कचरा डाल देती थी। परन्तु वह कभी नाराज नहीं होते थे। एक दिन, उन पर कचरा नहीं डाला गया। तब उन्होंने विचारा कि वृद्धा वीमार तो नहीं हो गई। वे उसके मकान में गए, तो वृद्धा वास्तव में वीमार पड़ी मिली। उन्होंने उसकी सेवासुश्रूपा करके दवा आदि की व्यवस्था की व जब तक वीमार रही नित्य वहां जाकर उनकी सेवा सुश्रूपा, दवा आदि से करते रहे।



# अहिंसा के प्रचार-प्रसार में जनसंचार माध्यमों की भूमिका

□ डॉ० संजीव भानावत

लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में जनसंचार माध्यमों की विशिष्ट भूमिका होती है। आधुनिक युग में जनसंचार माध्यमों का महत्त्व जीवन के विविध क्षेत्रों में बढ़ता जा रहा है। इनका प्रभाव अत्यन्त व्यापक एवं दूरगामी होता है। जनसंचार माध्यमों के पाँच महत्त्वपूर्ण भाग किये जा सकते हैं :—

१. समाचार पत्र या मुद्रण माध्यम
२. रेडियो
३. टेलीविजन
४. फिल्म
५. विज्ञापन

उक्त पाँचों प्रकारों से हमारा वर्तमान जीवन गहराई से प्रभावित हुआ है। ये माध्यम एक प्रकार से हमारे जीवन के अविभाज्य अंग हो गये हैं। इनके प्रभाव में सहज और सामान्य जीवन तक की कल्पना नहीं की जा सकती। ये माध्यम जहाँ एक ओर हमें सूचित एवं शिक्षित करते हैं वहीं दूसरी ओर हमारा मनोरंजन भी करते हैं।

आज के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक आदि जीवन के विविध क्षेत्रों पर दृष्टिपात करने पर हिंसा के अनेक रूप देखने को मिलते हैं। हिंसा मात्र प्राणी को दुःखी करना या उसकी हत्या करना ही नहीं है। आज हमारे जीवन में जो आपाधापी, असहयोग, हत्याएँ, लूटपाट, आपराधिक प्रवृत्तियाँ, सकीर्णता, कट्टरता, क्षेत्रियता, साम्प्रदायिक विद्वेष, आतंकवाद आदि जिस तरह घुम गये हैं उससे आम आदमी का विश्वास टूटने लगा है। जीवन के प्रति उत्साह, उमंग और आस्था भंग होने लगी है। मन की सहज कोमल संवेदनाएँ नष्ट होने लगी हैं। दूसरों को पीड़ित और दुःखी देखकर आह्लाद की अनुभूति होने लगी है। आपसी प्रेम, विश्वास और सौहार्द का स्थान पारस्परिक कट्टरता, घृणा और वैमनस्य ने ले लिया है। अपने निहित स्वार्थों की पूर्ति के लिए किसी भी व्यक्ति की हत्या तक करने से आज मनुष्य हिचकिचाता नहीं है।

जीवन के उक्त सारे दृश्य समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठों पर प्रमुखता से छाये रहते हैं। बम्बई में बम विस्फोटों से हजारों निर्दोष लोगों की जीवनवी समाप्त कर दी गई। अनेक शहर साम्प्रदायिक दंगों की भाँति भूयः

ये सब घटनाएँ समाचार पत्रों की सुखियां बनीं। टी. वी. के पर्दे पर ऐसे वीभत्स दृश्य अनेक बार दिखाये गये। इन्हें पढ़, सुन और देखकर भी हम स्वयं को असहाय ही महसूस करते रहे। मन से मात्र 'आह' की गूँज उठी और इन घटनाओं पर कुछ आंसू वहा दिये गये। सभा गोष्ठियों में निन्दा की गई और सब कुछ फिर सामान्य !

प्रश्न है जीवन की विषमता को कैसे मिटाया जाए ? हिंसा के इस ताण्डव को कैसे रोका जाए ? व्यक्ति के मन की इन पाशविक प्रवृत्तियों को कैसे नियन्त्रित किया जाए ? व्यक्ति की सद्प्रवृत्तियों को विकसित करने के लिए पहले देश के साधु-सन्त एवं महात्मा स्थान-स्थान पर जाकर लोगों को प्रेरित करते थे। साधु-सन्तों की प्रेरणा से देश के अनेक राजाओं और बादशाहों ने अपने शासन काल में न सिर्फ कत्लखाने बन्द कराये तथा पशुओं को अभयदान दिया वरन् जनकल्याणकारी अनेक कार्यक्रमों में अपनी शक्ति लगाकर शासन को अहिंसात्मक आधार पर संचालित किया। महात्मा गांधी ने तो अहिंसा के बल पर ही देश को विदेशी शासन के चंगुल से स्वतंत्र कराया था।

अहिंसा के प्रचार-प्रसार में साधु-सन्तों की भूमिका तो महत्त्वपूर्ण है ही किन्तु आज के सन्दर्भों में उसकी परिधि सीमित होती जा रही है। ऐसी स्थिति में हमें जनसंचार माध्यमों के महत्त्व को समझना होगा। अहिंसक जीवन मूल्यों के प्रचार-प्रसार में जनसंचार माध्यमों का प्रभावी उपयोग किया जा सकता है।

अहिंसा के उदात्त भावों का अंकुरण शैशव काल से ही किया जाना चाहिए। अहिंसा की कथाएँ हमारी लोककथाओं में विविध रूपों में बिखरी हुई हैं। हमारे दादा-दादी तथा नाना-नानी आदि बुजुर्गों के मुख से समय-समय पर इस प्रकार की प्रेरणास्पद कथाएँ सुनायी जाती रही हैं। इन कथाओं के माध्यम से हम अनायास ही बालक के मन में अहिंसा के पवित्र एवं प्रभावकारी विचार बड़ी सहजता के साथ उतार सकते हैं।

मुद्रित माध्यमों में समाचार पत्र-पत्रिकाओं तथा साहित्य की भी महत्त्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। आज विपुल सख्या में जैन पत्रिकाओं का प्रकाशन हो रहा है। जैन पत्रों की यह ऐतिहासिक विकास यात्रा आज एक शताब्दी से अधिक पुरानी हो गयी है। हमारे देश की क्षेत्रीय एवं धार्मिक पत्रकारिता की अपनी विशिष्ट परम्परा रही है। इस प्रकार की पत्रकारिता का मूल स्वर अधिकांशतः सामाजिक-सांस्कृतिक एवं नैतिक चेतना के विकास तथा जनकल्याण और विश्व बन्धुत्व की भावना का प्रसार करना रहा है।

अहिंसा मूलक चेतना के प्रसार में जैन पत्रकारिता को विशेष पहल करनी होगी। प्रेम की इतनी बड़ी ताकत होते हुए भी हम हिंसा के माहौल के खिलाफ

सशक्त वातावरण तैयार कर सकने में समर्थ नहीं हो पा रहे हैं। इसका एक कारण यह भी है कि अधिसंख्यक जैन पत्र-पत्रिकाएँ विशेष सम्प्रदाय या सस्था से जुड़े रहने के कारण अपने पक्ष का समर्थन एवं प्रचार करने वाली 'पेम्पलेट' बनकर रह जाती हैं। व्यापक एवं उदार दृष्टि के अभाव के कारण जैन एकता, अपरिग्रह, संयम, सहिष्णुता, सेवा आदि जैसे मूल्य काल्पनिक आदर्श मात्र रह गये हैं। ये जीवन मूल्य अहिंसा के ही विविध रूप हैं। हम इन विविध रूपों को यथार्थ का रूप नहीं दे पा रहे हैं।

वर्तमान में सार्वजनिक पत्रकारिता में पत्रकारिता पर राजनीति हावी होती जा रही है। सनसनीखेजपूर्ण समाचार व स्कैण्डल से ग्रस्त वर्तमान पत्रकारिता मानवीय विश्वासों की पुनर्स्थापना की दिशा में विशेष सफल नहीं हो पा रही है। प्रतिदिन समाचार पत्रों के पृष्ठ आतंक, हिंसा, अपराध व अन्य ऐसे ही समाचारों से भरे रहते हैं। ऐसी स्थिति में आवश्यक है कि पाठकों को कुछ इस प्रकार की सामग्री पढ़ने को दी जाए जो जीवन मूल्यों तथा रचनात्मक शक्ति को विकसित कर सके। इस दृष्टि से लेखकों एवं पत्रकारों को संगठित होकर कार्य करना होगा। वे सामूहिक स्तर पर मिलकर एक फीचर सिण्डीकेट बना सकते हैं जो महत्त्वपूर्ण पत्रों पर विशेष फीचर विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं के लिए जारी कर सकते हैं। इन सिण्डीकेट्स के माध्यम से अहिंसा एवं उससे सम्बद्ध उपयोगी पहलुओं पर महत्त्वपूर्ण आलेख जारी कर वातावरण निर्मित करने की दिशा में प्रयत्न किया जा सकता है।

पत्र-पत्रिकाओं तथा विज्ञापन का आपसी सम्बन्ध काफी गहरा है। विज्ञापनों ने हमारे आन्तरिक जीवन को काफी प्रभावित किया है। इससे एक नवीन उपभोक्तावादी संस्कृति ने जन्म ले लिया है। धार्मिक एवं नैतिक शिक्षण तथा अहिंसक समाज रचना का आदर्श प्रचारित प्रसारित करने की दृष्टि से विज्ञापन प्रभावी माध्यम हो सकता है। व्यावसायिक विज्ञापनों में जैन धर्म दर्शन एवं महापुरुषों की अहिंसा से सम्बन्धित सूक्तियों का उपयोग किया जा सकता है। इन सूक्तियों का उपयोग छविगृहों में प्रदर्शित स्लाइडों में भी किया जा सकता है। धूम्रपान, मांसाहार, मादक पदार्थों के सेवन आदि हिंसा के अनेक रूपों को प्रचारित या समर्थन करने वाले विज्ञापनों के विरुद्ध भी अहिंसा से सम्बन्धित प्रभावी विज्ञापन अभियान संचालित कर हिंसक विज्ञापनों के प्रभावों को समाप्त करने के प्रयत्न किये जा सकते हैं।

मुद्रित माध्यमों के अतिरिक्त दृश्य, श्रव्य संचार माध्यम वर्तमान युग में प्रचार-प्रसार के सशक्त माध्यम हैं। रेडियो, टेलीविजन के आविष्कार ने सारी दुनिया को एक समुदाय में परिवर्तित कर दिया है। आज शिक्षा जगत में इनका काफी उपयोग किया जा रहा है। रेडियो और टेलीविजन पर विद्यालय स्तर से लेकर उच्च शिक्षा तक से जुड़े छात्रों व अध्यापकों के लिए नियमित प्रमा-

रण किये जाते हैं। इस दृष्टि से एन. सी. ई. आर. टी. तथा यू. जी. सी. सहित अनेक शैक्षिक संस्थान उल्लेखनीय कार्य कर रहे हैं। अतः हम भी इन माध्यमों का समुचित प्रयोग कर अपने उद्देश्यों में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ यह ध्यान रखना आवश्यक है कि इन माध्यमों पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम इस प्रकार से तैयार किये जायें जिसमें वे मात्र उपदेशपरक नहीं लगे वरन् उनमें जीवन निर्माणकारी आवश्यक बातें व्यावहारिक स्तर पर प्रस्तुत हों। इनकी वर्तमान सन्दर्भ में प्रासंगिकता को भी हमें सहजता व सरलता के साथ समझना होगा। वर्तमान विश्व आज अनेक समस्याओं से जूझ रहा है, जिनके समाधान में जैन दर्शन के अहिंसावादी जीवन मूल्यों की विशेष भूमिका हो सकती है।

टेलीविजन पर हम अहिंसा पर आधारित धारावाहिकों के निर्माण के लिए प्रयत्न कर सकते हैं। ऐसे कार्यक्रमों के साथ-साथ हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि टी. वी. पर ऐसे कार्यक्रम प्रसारित नहीं किये जायें जिनमें हिंसा तथा अपराध वृत्ति को उकसाया जाता हो। ऐसे कार्यक्रमों से अपरिपक्व मस्तिष्क पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। बच्चों की सहज विकसित होती भावनाएँ लगातार ऐसे कार्यक्रमों को देखने से प्रदूषित होने लगती हैं और फिर ये भावनाएँ कुण्ठा, सत्रास और बेचैनी के रूप में प्रस्फुटित होती हैं। मानवीय ऊर्जा की अभिव्यक्ति गलत ढंग से होने लगती है और समाज का सारा वातावरण दूषित होने लगता है।

फिल्मों का हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। दुर्भाग्य से आज बनने वाली अधिकांश फिल्मों में हिंसा और अपराध का ही खुलकर प्रदर्शन किया जाता है। इस दिशा में भी हमें गम्भीर चिन्तन करना होगा। अहिंसक विचार और कथानकों पर आधारित फिल्मों के निर्माण की दिशा में हमें प्रयत्नशील होना होगा। हमें ऐसे वृत्त चित्र बनाने होंगे जिनमें मांसाहार तथा पशुओं पर अत्याचार की प्रवृत्तियों के नुकसान बताते हुए अहिंसक जीवनयापन के लाभ बताये गये हों। ऐसे कथ्यों की प्रस्तुति प्रभावी होनी चाहिए तभी हम इस विपाक्त वातावरण में आशा की एक किरण पैदा कर सकेंगे।

अहिंसा आदर्श जीवन का प्रमुख आधार है। प्राणी मात्र की खुशी में ही हमारी खुशी है, जीवन की सार्थकता है। इस मर्म को हमें समझना होगा और जन-जन को यह प्रेरणा देने के लिए हमें जनसंचार माध्यमों के प्रभावी उपयोग के लिए गम्भीर चिन्तन करना होगा।

—प्रभारी, पत्रकारिता, जनसंचार केन्द्र,  
राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर



## अहिंसा के कुछ कथा-प्रसंग

□ डॉ० प्रेमसुमन जैन

इस देश की आचार-सहिता अहिंसा की नींव पर ही विकसित हुई है। अहिंसा को ही शुद्ध, नित्य और शाश्वत धर्म कहा गया है। अहिंसा का क्षेत्र व्यापक है। किसी भी प्राणी के अधिकार का हनन न हो, उसको परिताप न दिया जाय, उस पर शासन न किया जाय और न ही उसके प्राणों का नाश किया जाय, यही अहिंसा का स्वरूप है। इस अहिंसा को जीवन में उतार लिया जाय, यही ज्ञानी होने का सार है। जैनाचार्यों का कथन है कि उन सब कार्यों को, साधनों को, विचार को व्यक्ति यत्नपूर्वक त्याग दे, जिनसे हिंसा की प्रेरणा व अनुमोदन सम्भव हो। देवता, अतिथि, मन्त्र, औषधि, व्यापार आदि के निमित्त तथा अन्धविश्वास और धर्म के नाम पर सकल्पपूर्वक प्राणियों का घात नहीं करना चाहिए। स्व एवं पर के प्राणों को सुरक्षा के प्रति सावधानी रखने का प्रयत्न करना ही अहिंसा है। इस प्रकार अहिंसा जितना आत्मधर्म है, उतना ही वह विश्व धर्म है। जैन कथा साहित्य में अहिंसा का व्यावहारिक रूप प्रकट हुआ है।

### अहिंसक प्रयोग :

तीर्थंकर नेमिनाथ की प्राणियों के प्रति अनुकम्पा इतिहास प्रसिद्ध है। उनके जीवन की कथा तो मात्र इतना ही कहती है कि पशुओं के बाड़े को देखकर उनके अकारण वध की सूचना से उन्होंने तपस्वी-जीवन धारण कर लिया। किन्तु नेमिनाथ के जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन अचानक और अकारण नहीं हुआ था। इस घटना के द्वारा कृष्ण उन्हें कुछ सिखाना चाहते थे, किन्तु नेमिनाथ अपने अहिंसक चिन्तन के द्वारा सारे जगत् को ही इस घटना द्वारा बहूत कुछ सिखा गये। जनजन के अन्तर-मानस में प्राणियों की पीड़ा की अनुभूति इतनी तीव्रता के साथ शायद पहली बार ही अनुभव की गई होगी। मांसाहार के विरोध में नेमिनाथ का यह एक सफल अहिंसक प्रयोग था और सम्भवतः उसका ही यह प्रभाव था कि नेमिनाथ के समय में साधुओं का जब चातुर्मास होता था, तो वासुदेव श्री कृष्ण ने चातुर्मास में राज्य-सभा के आयोजनों को बन्द करा दिया था, ताकि आवागमन, भीड़-भाड़ आदि के कारण प्राणियों की अधिकतम हिंसा से बचा जा सके।



पाश्र्वनाथ का जीवन अहिंसा का जीता-जागता उदाहरण है। उन्होने अपने पूर्व-जन्म और तपस्वी-जीवन मे क्षमा की साकार मूर्ति को उपस्थित किया था। वध, क्रोध, वैर, बदला आदि अनेक हिंसा के कार्यों का सामना उन्होने अहिंसात्मक साधनों से किया। तपस्वी कमठ द्वारा प्रज्वलित पंचाग्नि में जल रहे नाग की रक्षा उन्होने अपने कुमार-जीवन में ही की थी। यह एक ऐसा प्रतीक है, जो अहिंसा के सूक्ष्म भावों को व्यक्त करता है। यदि नेमिनाथ ने जंगल के तृण खानेवाले मूक प्रणियों को हिंसा से बचाया था, तो पाश्र्वनाथ ने एक कदम आगे बढ़कर विषैले नाग की रक्षा भी अहिंसक दृष्टि से आवश्यक मानी। क्योंकि प्राणी स्वभाव का कैसा भी हो, अकारण उसका वध करने का अधिकार किसी बड़े से बड़े और धार्मिक व्यक्ति को भी नहीं है।

भगवान् महावीर का जीवन-चरित्र अहिंसा के स्वरूप को और अधिक उजागर बनाता है। उन्होने सर्प या संगम देवता द्वारा निर्मित विषधर नाग पर सहजता से और निर्भयता पूर्वक विजय प्राप्त कर, यह स्पष्ट कर दिया था कि शक्तिशाली व्यक्ति की भी हिंसात्मक वृत्ति टिकाऊ नहीं, क्षणिक ही होती है। अहिंसक चित्त निरंतर विजयी रह सकता है। महावीर अहिंसा के विस्तार के लिए उसके मूलभूत कारणों तक पहुँचे हैं। उनके जीवन की हर घटना दूसरे के अस्तित्व की रक्षा करते हुए एवं उसके भी मन को न दुखाते हुए घटित होती है। सम्भवतः परिग्रह, अनावश्यक संग्रह, दूसरे को पीड़ा पहुँचाने में सबसे बड़ा कारण है। इसीलिए भगवान् महावीर ने पाँचवें व्रत अपरिग्रह को एक नयी दिशा प्रदान की। अनेकान्तवाद द्वारा उन्होने मानसिक हिंसा को भी तिरोहित करने का प्रयत्न किया और वीतरागता द्वारा वे आत्मिक अहिंसा के प्रतिष्ठापक बने।

### अहिंसक युद्ध :

जैन-कथा-साहित्य में सम्भवतः भरत-बाहुबली के जीवन-चरित्र से यह पहली बार पता चलता है कि युद्ध की भूमि में भी अहिंसक-युद्ध का प्रस्ताव हो सकता है। दोनो ओर की सेनाओ के हजारो प्राणियो के वध के प्रति उत्पन्न करुणा इस कथा में साकार हो उठी है। दो राजाओ के व्यक्तिगत निपटारे के लिए लाखों व्यक्तियों के मरण के आकड़ों से नहीं, अपितु व्यक्तिगत भावनाओ और शक्ति-परीक्षण से भी उनकी हार-जीत स्पष्ट हो सकती है। इस दृष्टि से दृष्टि-युद्ध, मल्ल-युद्ध और वाक्-युद्ध आदि का प्रस्ताव इस कथा में अहिंसा का प्रतीकात्मक घोषणा-पत्र है।

### पशु-जगत् भी रक्षणीय :

'नायधम्मकहा' की दो कथाये अहिंसा के सम्बन्ध में बहुत महत्वपूर्ण एवं बोधपूर्ण है। मेघुकुमार के पूर्वभव के जीवन के वर्णन-प्रसंग में "भेरुप्रभ"

हाथी की कथा वर्णित है। यह हाथी आग से घिरे हुए जंगल में एकत्र छोटे-बड़े प्राणियों के बीच में खड़ा है। हर प्राणी सुरक्षित स्थान खोज रहा है। इस मेरुप्रभ हाथी ने जैसे ही खुजली के लिए अपना एक पैर उठाया कि उसके नीचे एक खरगोश का बच्चा खाली स्थान देखकर वहाँ आकर बैठ गया। हाथी खुजली मिटाकर अपना पैर नीचे रखना चाहता है, किन्तु जब उसे पता चला कि एक छोटा प्राणी उसके पैर के सरक्षण में आया है तो उसकी रक्षा के लिए मेरुप्रभ हाथी अपना पैर उठाये ही रखता है। और अन्ततः तीन दिन-रात वैसे ही खड़े रहने पर वह स्वयं मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, किन्तु वह उन छोटे-से प्राणी खरगोश तक धूप और आग की गर्मी नहीं पहुँचने देता। अहिंसा का इससे बड़ा उदाहरण और क्या होगा ?

प्राकृत-कथाओं में अहिंसा की प्रतिष्ठा के लिए कई प्रयोग किये गये हैं। मानव के जीवन में अहिंसा के महत्त्व की इतनी भावना थी कि व्यक्ति यह प्रयत्न करता था कि यथासंभव हिंसा का निषेध किया जाय। 'सूत्रकृतांग' सूत्र में आर्द्र कुमार मुनि की कथा वर्णित है। उन्होंने हिंसा के मूल कारण मांस-भक्षण का युक्ति-पूर्वक निषेध किया है। 'आवश्यकचूर्णि' में अरहमित्त श्रावक के पुत्र जिनदत्त की कथा है। वह एक बार भयंकर रोग से पीड़ित हो जाता है। वैद्य उसे औषधि के साथ मांस-भक्षण आवश्यक बताते हैं, किन्तु वह अपने स्वास्थ्य के लिए अन्य प्राणियों के वध से प्राप्त होने वाले मांस का भक्षण करना स्वीकार नहीं करता है। 'वसुदेवहिण्डी' की एक कथा में चारुदत्त अपनी यात्रा के लिए वक्रे को मारकर उसकी खाल लेना पसन्द नहीं करता, जबकि उसका मित्र उस दुर्गम प्रदेश में उसे आवश्यक बताता है।

**हिंसा : दुखों की खान :**

जैन-कथा साहित्य ने प्राणी-वध को रोकने एवं दूसरे को न सताने की भावना को रूढ़ करने के लिए एक कार्य यह भी किया कि हिंसक कार्यों में लिप्त व्यक्तियों का जन्म-जन्मान्तरो में मिलने वाले फल की सही तस्वीर खींची है। 'विपाकसूत्र' की कथाएं बताती हैं कि अण्डे के व्यापारी निम्नक, प्राणीवध करने वाले छणिक कसाई एवं सूरदत्त मच्छीमार को अपने हिंसक कार्यों के कारण कितनी यातनाएं सहनी पड़ी हैं। 'बृहत्कल्पभाष्य' आदि ग्रन्थों में हन्या करने वाले के लिए अनेक प्रकार की सजाएं दिये जाने का उल्लेख है। कर्म-परिणाम एवं सजा की कठोरता ने भी हिंसक-भावना को क्रमशः कम करने में मदद की है। एक हिंसा दूसरी हिंसा को जन्म देती है। अतः इससे वर को लम्बी परम्परा विकसित हो जाती है। इस बात को कई प्राकृत-कथाओं में उदाहरण देकर स्पष्ट किया है।

अभय से हृदय-परिवर्तन :

प्राकृत की कुछ कथाएं अहिंसा के अभय तत्त्व को उजागर करती हैं। कितना ही भयंकर एवं क्रोधी हत्यारा क्यों न हो, उसकी यह स्थिति अधिक समय तक नहीं टिक सकती। उसके हृदय में भी किसी घटना विशेष के द्वारा परिवर्तन लाया जा सकता है। मोगगरपाणि यक्ष से प्रभावित अर्जुन की कथा बहुत प्रसिद्ध है। वह अपनी पत्नी के अपमान का बदला लेने के लिए प्रतिदिन छः पुरुष और एक स्त्री की हत्या करता था। उसके इस उत्पात के कारण लोगो का जीना मुश्किल हो गया था, किन्तु अहिंसा और अभय के पुजारी मुदर्शन श्रावक ने अर्जुन मालाकार के हृदय को भी परिवर्तित कर उसे साधक बना दिया। हत्यारा अर्जुन क्षमा की मूर्ति बन गया।

अहिंसा का अर्थ केवल हिंसा से वचना ही नहीं है, अपितु अहिंसा के अतिचारों से भी दूर रहना है। प्राकृत कथाओं में यह स्पष्ट उल्लेख है कि वध, बन्धन, छेदन, अतिभारारोपण एवं दूसरे प्राणी के खान-पान के निरोध की क्रियाएँ भी हिंसा हैं। इनसे बचकर ही अहिंसा का पालन हो सकता है। 'कहा रयणकोश' में इनकी सुन्दर कथाएँ दी हैं। प्राणी-वध तो दुःख देने वाला है ही, किन्तु यदि किसी को कष्ट पहुँचाने एवं किसी के वध करने की बात मन में भी उद्बुध हो जाय अथवा किन्हीं प्रतीकों के द्वारा वध की क्रिया पूरी कर ली जाय, तो भी अनेक जन्मों तक उसके दुष्परिणाम भोगने पड़ते हैं। कालक कसाई, ५०० भैंसों का प्रति दिन वध करता था, इस क्रिया को रोकने के लिए उसे बन्दी बनाकर रखा गया, किन्तु वहाँ पर भी उसने अपने शरीर के मैल के ५०० भैंसे बनाकर उनकी हत्या करने का सकल्प पूरा किया और उसके कारण उसे तरकों की यातना सहनी पड़ी।

प्राकृत-कथाओं के उपर्युक्त कुछ प्रसंगों से स्पष्ट है कि अहिंसा किसी जाति या वर्ग-विशेष की बपौती नहीं है। जीवन के किसी भी स्तर और कोटि का व्यक्ति अहिंसा में विश्वास रख सकता है। यथा-शक्ति वह उसे अपने जीवन में उतार सकता है। पशु जगत् भी अहिंसा, अनुकम्पा, पर-पीडा आदि का अनुभव करता है। अतः उसका जीवन रक्षणीय है। ये कथाएँ यह भी उजागर करती हैं कि हिंसा की परिणति दुःखदायी ही होती है। चाहे वह किसी भी स्तर या उद्देश्य से की जाय, किन्तु हिंसक कार्यों में लिप्त व्यक्ति इतना दयनीय भी नहीं है कि उसे मुधारने का अवसर ही न मिले। वह किसी भी क्षण अपनी हिंसा की ऊर्जा को अहिंसा की ओर मोड़ सकता है। निर्भयता और प्रेम से उसे कोई प्रेरित करने वाला मिलना चाहिए।

## हिंसा-निवारण और शाकाहार-प्रचार में कार्यरत प्रमुख संस्थाओं के नाम-पते

□ श्री चंचलमल चौरड़िया, जोधपुर  
श्री हंसमुख शांतिलाल शाह, अहमदाबाद

1. अहिंसा इन्टरनेशनल  
688, वावा खडकसिंह मार्ग  
नई दिल्ली-110 001
2. भारतीय शाकाहार परिषद्  
ई-6, रणजीतसिंह मार्ग  
आदर्श नगर, नई दिल्ली-110 033
3. अहिंसा फाउण्डेशन  
जैन भवन  
12, शहीद भगतसिंह मार्ग  
नई दिल्ली-110 001
4. नव जीव दया मण्डल  
1443, गली छिपियो  
मालीवाडा, चांदनी चौक  
नई दिल्ली-110 006
5. अ० भा० गौ संरक्षण परिषद्  
सरस्वती साहित्य मन्दिर  
स्थानीय वन स्टेण्ड के पाम  
पजावी वाग विस्तार  
नई दिल्ली-110 025
6. जैन महासभा  
6-ए, पॉकेट वी ब्लॉक, क्रमांक 9  
अशोक विहार, फेज-8  
दिल्ली-110 052
7. पशु बलि निषेध समिति  
क्रय विक्रय सहकारी सघ के मामले  
भवानीसिंह मार्ग, जयपुर-5 (राज)
8. राष्ट्रीय अहिंसा प्रतिष्ठान  
446, महावीर स्ट्रीट  
सरदारपुरा, प्रथम 'बी' रोड  
जोधपुर-342 003
9. ऑल इण्डिया गीशाला फंडेशन  
द्वारा पशु पालन विभाग  
पटना (बिहार)
10. एनिमल वेलफेयर बोर्ड  
51, फर्स्ट मैन रोड  
गांधी नगर, मद्रास-600 020
11. इण्डियन वेजीटेरियन  
'जी' ग्रुप, एल्डम्स रोड  
मद्रास-600 018
12. व्यूटी विदाउट क्रुएल्टी  
4, प्रिन्स ग्रॉफ वेल्स ड्राईव  
वनोवरो-पूना-411 040 (महा)
13. दोम्बे ह्यूमेनेटिरियन लीग  
123-127, दया मन्दिर  
मुवा देवी रोड, वम्बई-400 003
14. अ भा हिंसा निवारण नंघ  
32, मनीष मोमायटी, नारायणपुरा  
अहमदाबाद-380 002 (गुजरात)
15. आंध्र प्रदेश जीव रक्षा नघ  
गुदूर-522 003 (आंध्रप्रदेश)
16. भगवान महावीर अहिंसा प्रचार नघ  
21, प्रिय नायकेन स्ट्रीट  
मद्रान-600 079 (तमिलनाडु)
17. नाउथ इण्डियन ह्यूमेनेटिरियन लीग  
21, पेरुमल मुडलीगर स्ट्रीट  
मद्रान-600 079

- 18 जीव दया घर  
35, पंचायत बाड़ी, दाऊजी गली  
कवूतरखाने के पास, भूलेश्वर  
बम्बई-400 002 (महा)
- 19 श्री महावीर शुभ संदेश साधना ट्रस्ट  
द्वारा-मुनि श्री रामचन्द्र विजयजी  
(निशाल) इहोलाय उपाश्रय  
दोषी बाड़ा की पोल  
अहमदाबाद-380 001 (गुज)
- 20 भारतीय जीवजन्तु कल्याण बोर्ड  
60, चौथी गली, अभिरामपुरम्  
मद्रास-600 018
- 21 डॉ. डी. सी. जैन  
महासचिव,  
अहिंसा पशु रक्षण और  
मानव फोषण विश्व परिषद्  
एन-15, ग्रीन पार्क एक्सटेन्शन्स  
नई दिल्ली-110 016
- 22 राष्ट्रीय एकता अहिंसा एवं  
समाज कल्याण संगठन  
जैन मार्केट  
नोगांव (मैनपुरी)-205 262  
(उत्तर प्रदेश)
- 23 हिंसा विरोधक सघ  
अहिंसा भवन  
नगर सेठ का बड़ा, रिलीफ रोड,  
अहमदाबाद-380 001 (गुज)
- 24 अहिंसा प्रसारक समिति  
बजाज भवन, नरीमन पॉइंट  
बम्बई-400 021
- 25 गुजरात महाजन पाजरापोल  
और गौशाला फंडेशन  
द्वारा-दिनेश भाई शाह की कुजी  
देशसर रोड, सुरेन्द्र नगर (गुजरात)
- 26 मध्यप्रदेश अहिंसा प्रचार सघ  
मैसर्स अग्र एजेन्सीज  
हलवाई लेन, रायपुर (म. प्र)
- 27 अहिंसा प्रचार समिति  
गांधी चौक, सिवनी (म प्र)
- 28 अखिल भारतीय कृषि गौ सेवा सघ  
गोपुरी, चर्चा (महाराष्ट्र)
29. वेजीटेरियन क्लब  
पोस्ट-बंगला (पंजाब)
30. जीव दया घर  
जय हिन्द प्रेस के समीप  
पोस्ट-राजकोट (सौराष्ट्र)
- 31 मुड (सुअर) बचाव समिति  
पोस्ट-पाटण (उत्तर गुजरात)
32. सौराष्ट्र प्राणी कल्याण मण्डल  
राष्ट्रीय शाला प्राणण  
पोस्ट-राजकोट (सौराष्ट्र)
33. जीव दया मण्डल ट्रस्ट  
डागा सदन, सघपुरा, टोक (राज)
- 34 अ राजस्थान अहिंसा प्रचारक जैन नध  
अहिंसा नगर, चित्तौडगढ़ (राज)
35. पशु क्रूरता निवारण समिति  
मेहता एण्ड कं  
2337, रामललाजी का रास्ता  
जौहरी बाजार, जयपुर-302 003
36. तीर्थकर शाकाहार प्रकोष्ठ  
हीरा मैया प्रकाशन  
65, पत्रकार कॉलोनी  
कनाडिया मार्ग, इन्दौर-452 001
37. अहिंसा प्रचार समिति  
पचपहाड़, भवानीमण्डी
38. शाकाहार सदाचार परिषद्  
श्री रतनलाल सी वाफना  
नुमाप चौक, जलगाव-425 001
39. अहिंसा स्नेही मण्डल  
नसीराबाद (राज)
40. अ. वि जैन मिशन  
(अहिंसा प्रचारक संघ)  
निवाई (टोक) राज.

परम श्रद्धेय आचार्य प्रवर पूज्य श्री १००८ श्री हीराचन्द्रजी म. सा., परम श्रद्धेय  
 उपाध्याय पं रत्न श्री मानचन्द्रजी म. सा. एवम् उनके आजानुवर्ती  
 सन्त-सतीगणों के सं. २०५० के

## स्वीकृत चातुर्मास

१. जयपुर (लाल भवन, चौड़ा रास्ता)—परम श्रद्धेय आचार्य प्रवर  
 पूज्य श्री १००८ श्री हीराचन्द्रजी म सा., ओजस्वी वक्ता पं. रत्न श्री शुभेन्द्र  
 मुनिजी म सा., तपस्वी श्री बसन्त मुनिजी म. सा., महान् अर्घ्यवसायी श्री  
 महेन्द्र मुनिजी म. सा., तत्त्व चिन्तक श्री प्रमोद मुनिजी म सा. ठाणा ५।

सम्पर्क-सूत्र—श्री चैतन्यमलजी ढढा, मन्त्री, सम्यग्ज्ञान प्रचारक मण्डल,  
 बापू बाजार, जयपुर-३०२ ००३, फोन : कार्या. ५६५६६७, नि ५६५४६६।

२. कोटा—(रामपुरा बाजार स्थित स्थानक)—परम श्रद्धेय उपाध्याय  
 प रत्न श्री मानचन्द्रजी म सा., कवि हृदय श्री गौतम मुनिजी म. सा.,  
 सेवाभावी श्री नन्दीषेणजी म सा. ठाणा ३।

सम्पर्क-सूत्र—श्री बुद्धिप्रकाशजी जैन, महेन्द्र सेव भण्डार, आर्य समाज  
 रोड, कोटा-३२४ ००१ (राज), फोन : २०२०१।

३. भोपालगढ़ (महावीर भवन)—रोचक व्याख्याता श्री ज्ञान मुनिजी  
 म. सा., तपस्वी श्री प्रकाश मुनिजी म. सा., वयोवृद्ध श्री दया मुनिजी म. सा.,  
 वयोवृद्ध श्री राम मुनिजी म. सा. ठाणा ४ (वृद्ध सन्तो के स्वास्थ्य सम्बन्धी  
 कारणों से भोपालगढ़ चातुर्मास)।

सम्पर्क-सूत्र—श्री कल्याणमलजी बाफणा, मन्त्री, श्री जैन रत्न हितैषी  
 श्रावक संघ, भोपालगढ़-३४२ ६०३, जिला-जोधपुर (राज)।

४. जोधपुर (घोडों का चौक)—साध्वी प्रमुखा प्रवर्तिनी महासती श्री  
 वदनकवरजी म. सा., सेवाभावी उप प्रवर्तिनी महासती श्री लाडकवरजी म.सा.,  
 महासती श्री सौभाग्यवतीजी म. सा. महासती श्री राजमतीजी म मा.,  
 महासती श्री नलिनीप्रभाजी म. सा., महासती श्री मुथ्रीप्रभाजी म सा  
 ठाणा ६।

सम्पर्क-सूत्र—श्री अनराजजी बोथरा, मन्त्री, श्री जैन रत्न हितैषी श्रावक  
 नघ, घोडो का चौक, जोधपुर-३४२ ००१ (राज), फोन : कार्यालय ०४८६१,  
 निवास २२१२३।

५. बाड़मेर (महावीर भवन, तेलियो की गली)—सन्त हृदया  
 नहामती श्री सायरकवरजी म सा., महासती श्री शांतिप्रभाजी म मा.,  
 महासती श्री निश्ल्यावतीजी म. सा. ठाणा ३।

सम्पर्क-सूत्र—श्री सुमेरजी सोलंकी, मन्त्री, श्री वर्द्ध. स्था. जैन श्रावक संघ, १६७, अग्रवाल मौहल्ला, बाड़मेर-३४४ ००१ (राज.) ।

६. कानपुर (आनन्दपुरी, ट्रांसपोर्ट नगर)—शासन प्रभाविका महासती श्री मैना सुन्दरीजी म सा, व्याख्यात्री महासती श्री रतनकंवरजी म. सा., महासती श्री चन्द्रकलाजी म. सा., महासती श्री ज्ञानलताजी म. सा., महासती श्री दर्शनलताजी म सा, महासती श्री चारित्रलताजी म. सा, महासती श्री शशिकलाजी म. सा., महासती श्री विनीतप्रभाजी म सा ठाणा ८ ।

सम्पर्क-सूत्र—श्री लूणकरणजी लोढ़ा, मन्त्री, श्री वर्द्ध. स्था. जैन श्रावक संघ, विकास उद्योग, २४-ए, घनश्याम बाग, अमपुरवा, कानपुर-२०८ ००७, फोन . प्रतिष्ठान ४३३३८, ४२४६६, निवास २७४०१५ ।

७. जावला (जैन स्थानक)—सेवाभावी महासती श्री सन्तोषकवरजी म सा, महासती श्री सूरजकंवरजी म. सा, महासती श्री मनोहरकवरजी म सा, महासती श्री कौशल्यावतीजी म सा., महासती श्री विमलावतीजी म सा ठाणा ५ ।

सम्पर्क-सूत्र—श्री सोहनलालजी बरसेचा, पो. जावला-३४१ ५३४, वाया-डेगाना, जिला-नागौर (राज.) ।

८. सरवाड़ (अजमेर)—शान्त स्वभावी महासती श्री शांतिकवरजी म सा, महासती श्री सोहनकंवरजी म. सा., महासती श्री इन्दुबालाजी म. सा. महासती श्री सुमतिप्रभाजी म. सा ठाणा ४ ।

सम्पर्क-सूत्र—श्री भँवरलालजी कक्कड़, मन्त्री, श्री व स्था जैन श्रावक संघ, सरवाड़, जिला-अजमेर (राज.), फोन . २५३ ।

९. गंगपुर शहर (सवाईमाधोपुर)—व्याख्यात्री महासती श्री तेज-कवरजी म. सा, महासती श्री सुमनलताजी म सा., महासती श्री विमलेश प्रभाजी म सा ठाणा ३ ।

सम्पर्क-सूत्र—श्री रेवतीप्रसादजी जैन, फव्वारा चौक, पो गंगपुर शहर-२२० २०१, जिला-सवाईमाधोपुर (राज.) ।

१०. मसूदा (अजमेर)—विदुषी महासती श्री सुशीलाकंवरजी म. सा., महासती श्री सरलेशप्रभाजी म सा, महासती श्री विनयप्रभाजी म. सा., महासती श्री इन्दिराप्रभाजी म. सा, महासती श्री मुक्तिप्रभाजी म. सा ठाणा ५ ।

सम्पर्क-सूत्र—श्री गजराजजी नाहर, अध्यक्ष, श्री वर्द्ध. स्था. जैन श्रावक संघ, पो. मसूदा-३०५ ६२३, जिला-अजमेर (राज.), फोन प्रतिष्ठान ८४२३८, निवास ८४२१६ ।

# सम्यग्ज्ञान प्रचारक मण्डल, बापू बाजार, जयपुर

आपके लिए उपयोगी साहित्य जो उपलब्ध है

क्र.सं.	नाम पुस्तक	लेखक/सम्पादक/अनुवादक	मूल्य
१	उत्तराव्ययन सूत्र भाग-१-२-३	: आचार्य श्री हस्तीमलजी म सा	
		क्रमशः १५ ००, ३५ ०० व २५ ००	
२	गजेन्द्र व्याख्यान माला भाग-३	: आचार्य श्री हस्तीमलजी म सा	५ ००
३	आध्यात्मिक आलोक साधारण सस्करण	: आचार्य श्री हस्तीमलजी म.सा	३० ००
४	आध्यात्मिक आलोक विशिष्ट सस्करण	: आचार्य श्री हस्तीमलजी म सा	५० ००
५	व्रत प्रवचन संग्रह	: आचार्य श्री हीराचन्द्रजी म सा.	४ ००
६	जैन सस्कृति और राजस्थान	: डॉ नरेन्द्र भानावत	२५ ००
७	प्रार्थना प्रवचन	: आचार्य श्री हस्तीमलजी म सा	१० ००
८	उपमिति भवप्रपंच कथा (अनुवाद)	: सिद्धर्षि गणि	१५ ०० ००
९	जैन तमिल साहित्य और तिरुक्कुरल	: डॉ इन्दरराज वैद	२० ००
१०	दीक्षा कुमारी का प्रवास	: अनु० लालचन्द्र जैन	१५ ००
११	जैन दर्शन : आधुनिक दृष्टि	: डॉ० नरेन्द्र भानावत	२० ००
१२	गजेन्द्र सूक्ति सुधा	: डॉ सजीव भानावत	२० ००
१३	निर्ग्रन्थ भजनावली	: मुनिश्री श्रीचन्द्रजी म सा	२० ००
१४	स्वाध्याय स्तवन माला	: मम्पनराज डोसी	२५ ००
१५	जैन तत्त्व प्रश्नोत्तरी	: कन्हैयालाल लोढा	५ ००
१६	पर्युषण पर्वाराधना	: माध्वी श्री मैनासुन्दरीजी	६ ००
१७	कर्म सिद्धान्त	: डॉ नरेन्द्र भानावत	४० ००
१८	कर्म ग्रन्थ	: केवलमल लोढा	८ ००
१९	पर्युषण-सन्देश	: जशकरण डागा	११ ००
२०	अपरिग्रह : विचार और व्यवहार	: डॉ नरेन्द्र भानावत	५० ००
२१	आचार्य श्री हस्तीमलजी म सा व्यक्तित्व एवं कृतित्व	: डॉ नरेन्द्र भानावत	५० ००
२२	सामायिक सूत्र		१ ००
२३	सामायिक सूत्र एव प्रवेशिका पाठ्यक्रम	: पार्श्वकुमार मेहता	२ ००
२४	जैन विवाह विधि	: जशकरण डागा	१ ००
२५	आत्म-चिन्तन	: भोंवरलाल बोधरा	५ ००
२६	सामायिक सूत्र (अंग्रेजी मे)	: प्रति दिन एक सामायिक	
२७	दुःख मुक्ति : सुख प्राप्ति (आचार्य श्री हस्ती स्मृति सम्मान से पुरस्कृत)	: कन्हैयालाल लोढा	३० ००
२८	जैन पत्रकारिता और मांस्कृतिक चेतना (आचार्य हस्ती युवा प्रतिभा गोष सम्मान से पुरस्कृत)	: डॉ सजीव भानावत (रिवायती रुद्धमूल्य)	२०० ०० १०० ००
२९	ज्ञान-प्रसार पुस्तकमाला (ट्रैक्ट साहित्य) (प्र. भा जैन विद्वत् परिषद् द्वारा प्रकाशित)	विधिवत् लेखक प्रत्येक का मूल्य = ०० १०१) रु देकर मदन्त बनने वाले का १०० पुस्तकें डाक द्वारा भेजें	



# हार्दिक क्षमा-याचना

कुछ समय से मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा है। यह अस्वस्थता कब तक चलेगी, कुछ कहा नहीं जा सकता। ऐसी स्थिति में श्री जैन रत्न हितैषी श्रावक संघ, सम्यग्ज्ञान प्रचारक मण्डल, अ. भा. साधुमार्गी जैन संघ, अ. भा. जैन विद्वत् परिषद्, 'जिनवाणी', 'स्वाध्याय शिक्षा', 'श्रमणोपासक', 'स्वाध्याय-सन्देश (पत्र-पत्रिकाएँ) के पदाधिकारियों, कार्यसमिति के सदस्यों, चतुर्विध संघ (आचार्यों, मुनियों, साध्वियों, श्रावक, श्राविकाओं) के सभी सदस्यों, जैन-जैनेतर समाज व संस्थाओं के सदस्यों, सुहृद मित्रों, विद्वानों, लेखकों, स्नेहशील सहयोगियों, हितैषियों आदि के प्रति मेरे वक्तव्य, लेखन, संभाषण, पत्र-व्यवहार द्वारा जाने-अनजाने प्रमादवश किसी कारण कोई त्रुटि-अपराध हुआ हो और उनके हृदय को ठेस पहुँची हो तो मैं मनसा, वाचा, कर्मणा सभी से हार्दिक क्षमा-याचना करता हूँ। इन सभी का मेरे प्रति बड़ा प्रेम, स्नेह व सहयोग रहा है जिससे मैं कभी उन्मत्त नहीं हो सकता। आप सभी मुझे क्षमा प्रदान कर अनुगृहीत करें।

क्षमाप्रार्थी

(डॉ०) नरेन्द्र भानावत

मानद सम्पादक—'जिनवाणी'

महामंत्री श्री अ. भा. जैन विद्वत् परिषद्

## “जिनवाणी” का विवरण (नियम संख्या ८)

१. प्रकाशन-स्थल : जयपुर
२. प्रकाशन की अवधि : मासिक
३. मुद्रक का नाम : फ्रैंड्स प्रिण्टर्स एण्ड स्टेजनर्स  
राष्ट्रीयता : भारतीय  
पता : जौहरी बाजार, जयपुर-३
४. प्रकाशक का नाम : सम्यग्ज्ञान प्रचारक मण्डल  
राष्ट्रीयता : भारतीय  
पता : वापू बाजार, जयपुर-३
५. सम्पादक का नाम : डॉ. नरेन्द्र भानावत, डॉ. गांता भानावत  
राष्ट्रीयता : भारतीय  
पता : सी-२३५-ए, दयानन्द मार्ग, तिलक नगर, जयपुर-४
६. स्वामित्व : सम्यग्ज्ञान प्रचारक मण्डल (पारमार्थिक संस्थान)  
वापू बाजार, जयपुर-३

मैं चैतन्यमल ढढ्ढा, मन्त्री, सम्यग्ज्ञान प्रचारक मण्डल, जयपुर घोषित करता हूँ कि मेरी अधिकतम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार ऊपर दिया विवरण सही है।

[ चैतन्यमल ढढ्ढा ]

प्रकाशक

जो ज्ञानी हो और आरम्भ तथा परिग्रह से विरत हो, वही सच्चा गुरु है ।  
आचार्य श्री हस्ती

*WITH BEST COMPLIMENTS FROM*


**DHARAM CHAND PARAS CHAND**

**IMPORTERS & EXPORTERS OF DIAMONDS**

\*

1301 "PANCHRATNA"  
*Opera House*  
*Bombay*

\*



सर्वजनहिताय—सबके हित के लिये काम  
किया जाय, वही अहिंसा है ।

आचार्य श्री हस्ती

With Best Compliments From



**ARVIND DIAMONDS**

343 Panchratna Opera House

Bombay 400004

*Tel Off* : 3613284

3671994

**SANIL ENTERPRISES**

**Diamond Manufacturers**

**Importers & Exporters**

**BOMBAY**



**RAKESH PANDEY**

अहिंसा की सेवा भगवान की सेवा है ।  
जो अहिंसा की सेवा करेगा, वह स्वयं  
और विश्व की सेवा करेगा ।



**SIDDHI GEM**



**Manufacturers, Exporters  
Importers Of Diamonds**

497 Rupraj Building, 3rd Floor  
Room No 306, S.v.p. Road  
Bombay, 400001

Phone

Off - 362484

Res 32 70

\*

**Rajendra (raju) Bafine**